चतुर्दश माला, खंड 10, अंक 38

शुक्रवार, 13 मई, 2005
23 वैशाख, 1927 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

चौथा सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. [illegible]
Acc No .... 58.....
Dated.....07.07.06....

(खण्ड 10 में अंक 31 से 38 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

किरण साहनी
प्रधान मुख्य सम्पादक

प्र. ना. भारद्वाज
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

ललिता अरोड़ा
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय-सूची

चतुर्दश माला खंड 10 चौथा सत्र, 2005/1927 (शक)

अंक 38, शुक्रवार, 13 मई, 2005/23 वैशाख, 1927 (शक)

विषय	कॉलम
निधन संबंधी उल्लेख	1-3
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 681 – 683 और 685	3-34
प्रश्नो के लिखित उत्तर	34-294
तारांकित प्रश्न संख्या 684 और 686–700	34-62
अतारांकित प्रश्न संख्या 7156 – 7337	62-294
सभा पटल पर रखे गए पत्र	295-306
विधेयकों पर अनुमति	306
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	
कार्यवाही सारांश	306
सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति	
उन्नीसवां तथा बीसवां प्रतिवेदन	307
कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति	307
(एक) सातवां प्रतिवेदन	
(दो) साक्ष्य	
याचिका का प्रस्तुतीकरण	307-308
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य	308-312, 365
(एक) गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 110वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री पी. आर. किन्डिया	308-309
(दो) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन में अंतविष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
डा. अंबुमणि रामदास	310-311
(तीन) कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री विजय हान्डिक	311

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
(चार) विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 129वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री पृथ्वीराज चव्हाण	311-312
(पांच) भारतीय होटल निगम के दो होटलों की बिक्री के जांच आदेश का निर्णय	
श्री पी. चिदम्बरम	365
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
मजदूरी संदाय अधिनियम और न्यूनतम मजदूरी संदाय अधिनियम के कथित उल्लंघन से उत्पन्न स्थिति तथा देश में असंगठित श्रमिकों के लिए एक व्यापक विधान अधिनियमित किए जाने की आवश्यकता	312-330
श्री गुरूदास दासगुप्त	312-313, 316-321
श्री के. चन्द्रशेखर राव	313-316, 325-330
श्री बसुदेव आचार्य	321-324
श्री सांताश्री चटर्जी	324-325
सरकारी विधेयक - पुर:स्थापित	330-336
(एक) बैंककारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2005	330-334
(दो) भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन) विधेयक, 2005	337-336
नियम 377 के अधीन मामले	337-340
(एक) जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र, त्रिवेन्द्रम, केरल का केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिग्रहण किए जाने की आवश्यकता	
श्री वरकला राधाकृष्णन	337
(दो) पर्यावरणीय प्रदूषण को रोकने के उद्देश्य से पूर्वी रेलवे के हावड़ा मंडल में रानी झील में अपशिष्ट पदार्थों की डम्पिंग को रोके जाने की आवश्यकता	
श्री स्वदेश चक्रवर्ती	337-338
(तीन) उत्तर प्रदेश के चायल संसदीय क्षेत्र में सैदपुर और गुरौली सिंचाई पम्प परियोजनाओं को पूरा करने हेतु निधियां जारी किए जाने की आवश्यकता	
श्री शैलेन्द्र कुमार	338
(चार) हमीदनगर में बैरेज के निर्माण हेतु बिहार सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता	
श्री गणेश प्रसाद सिंह	338-339
(पांच) स्थानीय लोगों को रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से केरल के कासरगोड़ जिले में उद्योग स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
श्री पी. करूणाकरन	339-340

विषय	कॉलम
प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) विधेयक-2005	340-358
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री पी. चिदम्बरम	340-341, 354-357
श्री के. एस. राव	341-347
श्री स्वदेश चक्रवर्ती	347-350
श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता	350-351
श्री आलोक कुमार मेहता	351-353
श्री एस. के. खारवेनथन	353-354
खंड 2 से 37 और 1	358
पारित करने के लिए प्रस्ताव	358
अवक्रय (निरसन) विधेयक, 2005	358-362
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री हंस राज भारद्वाज	358-359, 361-362
श्री के. एस. राव	360-361
श्री एस. के. खारवेनथन	361
खंड 2 और 1	362
पारित करने के लिए प्रस्ताव	362
नियम 193 के अधीन चर्चा	
देश में बढ़ती हुई जनसंख्या	362-365
डा. करण सिंह यादव	363-365
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के दसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	365-366
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक - पुरःस्थापित	366-368
(एक) भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2005	
(धारा 375 का संशोधन)	
श्री अबदुल्लाकुट्टी	366-367
(दो) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2005	
(अनुच्छेद 124 और 217 का संशोधन)	
श्री अबदुल्लाकुट्टी	367
(तीन) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2005	
(सातवीं अनुसूची का संशोधन)	
श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी	367-368

विषय	कॉलम
(चार) वाणिज्य फसल कर्मकार (कल्याण) विधेयक, 2005	
श्री अबदुल्लाकुट्टी	368
प्रादेशिक ग्रामीण बैंक (संशोधन) विधेयक, 2004 *(धारा 2 आदि का संशोधन)*	368-385
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
डा. करण सिंह यादव	368-370
श्री सुनील खां	370-372
श्री सी. के. चन्द्रप्पन	372-373
श्री प्रबोध पाण्डा	374-375
श्री पी. चिदम्बरम	376-379
श्री बसुदेव आचार्य	379-385
राज्य सभा से संदेश	386
आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने के बारे में	386-393
बालक श्रम उत्सादन विधेयक, 2005	393-413
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री इकबाल अहमद सरडगी	393-400
श्री सुनील खां	400-402
श्री सुरेन्द्र प्रसाद गोयल	403-404
श्री शैलेन्द्र कुमार	404-407
श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश	407-409
श्री सी. के. चन्द्रप्पन	409-413
विदाई उल्लेख	413-420
राष्ट्रगीत	420
अनुबंध-I	421-426
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	421
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	422-426
अनुबंध-II	427-428
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	427
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	427-428

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री पवन कुमार बंसल

श्री गिरिधर गमांग

श्री सुमित्रा महाजन

श्री अजय माकन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

ले. कर्नल (सेवानिवृत) मानवेन्द्र शाह

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री गुरदीप चन्द मलहोत्रा

लोक सभा

शुक्रवार, 13 मई 2005/23 वैशाख, 1927 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए)*

[अनुवाद]

निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों मुझे बड़े दुख के साथ अपने दो पूर्व सहयोगियों सर्वश्री तुलसीदास दासप्पा और चंद्रदेव प्रसाद वर्मा के निधन की सूचना देनी है।

श्री तुलसीदास दासप्पा 1967 से 1979 तक चौथी से छठी लोक सभा के सदस्य थे तथा उन्होंने कर्नाटक के मैसूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

श्री दासप्पा एक कुशल संसदविद थे और वे वर्ष 1975 से 1977 तक प्राक्कलन समिति तथा वर्ष 1977 से 1978 तक लोक लेखा समिति के सदस्य थे।

श्री दासप्पा एक वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्होंने वर्ष 1947 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया।

श्री दासप्पा एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता थे और भूदान आंदोलन तथा सर्वोदय संघ से संबद्ध थे।

श्री दासप्पा विभिन्न सामाजिक तथा सांस्कृतिक संस्थानों में विभिन्न पदों पर रहे। वह वर्ष 1955 में दिल्ली विश्वविद्यालय संघ के महासचिव भी थे। वह वर्ष 1970 से 1971 तक नेशनल अवार्ड्स (कन्नड़ फिल्म) की प्राइमरी समिति तथा अंतर भारती आधुनिक साहित्य विभाग, मैसूर विश्वविद्यालय के सभापति भी थे। वह जनपद सेवा न्यास के न्यासी तथा अपंग बच्चों के लिए 'करूणा गृह' से भी जुडे थे।

साहित्य में गहरी रुचि रखने वाले श्री दासप्पा ने युवक कल्याण तथा गांधीवादी विचारों पर कई लेख लिखे तथा कन्नड़ में प्रकाशित 'क्रांति युग' के सह प्रकाशक भी थे।

श्री दासप्पा ने वर्ष 1959 में प्राग, पूर्व में जिसे चैकास्लोवाक्या के नाम से जाना जाता था, में डमोक्रेटिक यूथ कांफ्रेंस में विश्व परिसंघ में युवक कांग्रेस का नेतृत्व भी किया था।

श्री तुलसीदास दासप्पा का निधन 19 अप्रैल, 2005 को बेंगलूर, कर्नाटक में कुछ समय बीमार रहने के पश्चात् 76 वर्ष की आयु में हुआ।

श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा वर्ष 1977 से वर्ष 1984 तथा 1996 से 1997 तक छठी, सातवीं तथा आठवीं लोक सभा के सदस्य थे तथा उन्होंने बिहार के आरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

एक कुशल प्रशासक, श्री वर्मा वर्ष 1996 से 1997 तक ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में केन्द्रीय मंत्री भी रहे।

श्री वर्मा वर्ष 1957 से 1962, वर्ष 1967 से 1972 तथा वर्ष 1992 से 1995 तक बिहार विधान सभा के सदस्य भी रहे। उन्होंने वर्ष 1970 से 1971 तथा वर्ष 1993 से 1995 के बीच राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री तथा अन्य महत्वपूर्ण पदों को भी सुशोभित किया।

श्री वर्मा वर्ष 1977 से 1979 तक छठी लोक सभा में गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति और सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सदस्य भी थे।

श्री वर्मा एक स्वतंत्रता सेनानी थे तथा भारत छोड़ो आन्दोलन में जेल भी गए थे।

श्री वर्मा एक सुविख्यात सामाजिक कार्यकर्ता थे तथा वर्ष 1972 में जयप्रकाश आश्रम, पालीगंज, पटना; वर्ष 1990 में महात्मा फुले ट्रस्ट, पटना तथा वर्ष 1992 में बिहार राज्य स्वतंत्रता सेनानी संगठन, पटना के अध्यक्ष भी रहे।

वह जी. जे. कालेज, रामबाग, पटना के संस्थापक सचिव भी थे।

साहित्य में गहरी रुचि रखने वाले श्री वर्मा ने "स्मारिका शहीद अंक" नामक एक पुस्तक का भी लेखन किया था। उन्होंने बिहार राज्य स्वतंत्रता सेनानी संगठन द्वारा प्रकाशित एक पत्रिका का संपादन भी किया। वह वर्ष 1951 से 1952 तक पटना से प्रकाशित होने वाले दैनिक हिन्दी समाचार "जनता" में सहायक संपादक रहे और उन्होंने सचिव के रूप में भी कार्य किया। तत्पश्चात् वर्ष 1952 से 1957 तक वह इस समाचार पत्र के मुख्य संपादक भी रहे।

श्री चंद्रदेव प्रसाद वर्मा का निधन कुछ समय बीमार रहने के बाद 84 वर्ष की आयु में पटना, बिहार में 30 अप्रैल, 2005 को हुआ।

हम इन मित्रों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं तथा मैं अपनी ओर से एवं सभा की ओर से शोक संतप्त परिवार को संवेदनाएं प्रेषित करता हूं।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहेंगे।

पूर्वाह्न 11.04 बजे

(तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।)

पूर्वाह्न 11.05 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

राष्ट्रीय न्यायिक आयोग

+

*681. **श्री पी. करूणाकरन :**

श्री दुष्यंत सिंह :

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस आयोग की स्थापना के मुख्य उद्देश्य क्या है;

(ग) क्या राज्य स्तर पर भी इस तरह के आयोगों की स्थापना करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो इसके लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) इस आयोग के कब तक स्थापित किये जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) भारत के संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन, अधीनस्थ न्यायिक सेवा के सदस्यों पर प्रशासनिक नियंत्रण संबंधित उच्च न्यायालय में निहित होता है। इसके अतिरिक्त, किसी राज्य का राज्यपाल, संविधान के अनुच्छेद 233 और 234 के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परंतुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य लोक सेवा आयोग और उस राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के परामर्श से अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की भर्ती, नियुक्ति और प्रोन्नति के लिए नियम बनता है।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री पी. करूणाकरन : माननीय विधि मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर से यह स्पष्ट है कि सरकार की ओर से राष्ट्रीय न्यायिक आयोग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इसके साथ ही देशभर में यह वाद-विवाद चल रहा है कि न्याय क्षेत्र में निगरानी करने तथा कुछ अधिक सुरक्षित व्यवस्था स्थापित करने हेतु एक आयोग अथवा किसी अन्य संस्था की स्थापना की आवश्यकता है।

मैं, आपके माध्यम से माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें भूतपूर्व मुख्य न्यायमूर्ति की अध्यक्षता वाली संविधान समीक्षा समिति सहित विभिन्न क्षेत्रों से सुझाव और अनुरोध प्राप्त हुए हैं; यदि हां, तो इन सुझावों का ब्यौरा और सरकार की इन पर क्या प्रतिक्रिया है।

श्री हंस राज भारद्वाज : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई संदेह नहीं है कि देश में दो मामलों पर वाद-विवाद चल रहा है, पहला मामला है कि क्या एडवोकेट ऑन रिकार्ड मामले के बाद नौ न्यायाधीशों के मामले में, न्यायपालिका द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार वास्तव में उच्च न्यायालयों की उच्च न्यायिक नियुक्तियों में भारत के राष्ट्रपति के अधिकार को सीमित करता है। पिछली सरकार अर्थात् राजग सरकार ने राष्ट्रीय न्यायिक आयोग स्थापित करने के लिए एक विधेयक पुरःस्थापित किया था। तत्पश्चात् पिछली सरकार ने न्यायाधीश वेंकटचलैया समीक्षा समिति नियुक्त की। न्यायाधीश वेंकटचलैया और उनके साथियों ने कुछ सिफारिशें की जो राजग सरकार द्वारा की गई सिफारिशों से अलग थी। इसलिए राजग सरकार की सिफारिश से विधि मंत्री तथा प्रधानमंत्री के दो प्रतिनिधियों को राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का सदस्य बनाए जाने की मांग की गई थी। न्यायाधीश वेंकटचलैया को यह बात इसलिए ठीक नहीं लगी क्योंकि न्यायाधीशों का तबादले के लिए आयोग में विधि मंत्री नहीं होने चाहिए और इस पर केवल न्यायपालिका का अधिकार होना चाहिए। हमारा भी यही मत है कि न्यायाधीशों के तबादले के मामले में कार्यपालिका को भाग नहीं लेना चाहिए। इसलिए, इस सरकार ने निर्णय लिया है कि इस विधेयक को आगे न बढ़ाया जाए लेकिन फिर भी इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं कि न्यायाधीशों की नियुक्त की प्रक्रिया को किस

तरह से बेहतर बनाया जाए तथा न्यायपालिका को किस तरह से जवाबदेह बनाया जाए । ये दो प्रश्न विचाराधीन हैं। यदि इस सभा में वाद–विवाद के दौरान किसी विशेष समय पर या संसद के बाहर कुछ सुझाव दिए जाते हैं तो मैं आपका आभारी रहूंगा।

श्री पी. करुणाकरन : यह सच है कि हमारे देश में विशेषरूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्यायपालिका सर्वोच्च है। जहां तक भारत के लोकतंत्र का संबंध है, निसंदेह, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके साथ ही हमें राज्यों के कई भागों से भ्रष्टाचार और भाई–भतीजावाद की खबरें मिली हैं और जहां तक लोकतंत्र का संबंध है यह वास्तव में काफी दुःखदायी है। सरकार ने न्यायपालिका को इस तरह की आलोचना से पूर्णतः मुक्त रखने हेतु क्या कदम उठाए हैं?

श्री हंस राज भारद्वाज : महोदय, जैसाकि आपको मालूम है कि न्यायपालिका के कदाचार हेतु संविधान में केवल महाभियोग लाने का प्रावधान है तथा दूसरा न्यायाधीश जांच अधिनियम है। लेकिन इसके अलावा, हाल ही में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। एक या दो मुख्य न्यायमूर्तियों ने सार्वजनिक रूप से वक्तव्य दिया है कि वह न्यायपालिका के 20 से 25 प्रतिशत में भ्रष्टाचार है। यह एक गंभीर आरोप है। इस बात को नोट करते हुए मैंने अपने विभाग में अध्ययन का आदेश दिया है कि एक सांविधिक समिति उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीशों के विरूद्ध आरोपों की शिकायतों की जांच करेगी। पीर्स समिति की भांति यह तंत्र न्यायपालिका ही नियंत्रित करेगी।

हम इस समय कनाडा और अमरीका के प्रतिमान का अध्ययन कर रहे हैं। मैं यह पता लगाने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ भी संपर्क बनाए हुए हूं कि भारतीय परिस्थितियों के लिए क्या उपयुक्त है। हमने आस्ट्रेलिया तथा अन्य देशों के कुछ उपबंधों का भी अध्ययन किया है। इस तरह से भारत सरकार का ध्यान इस मामले पर है। भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श करने के बाद इस मुद्दे पर कुछ कार्यवाही करने में हमें बहुत प्रसन्नता होगी।

अध्यक्ष महोदय : श्री दुष्यंत सिंह – उपस्थित नहीं।

प्रो. राम गोपाल यादव : अध्यक्ष महोदय, दुनियाभर में औथेरेटिरियन स्टेट्स में जहां डैमोक्रेटिक सिस्टम है, वहां तो जुडीशियरी और एग्जीक्यूटिव में, मैं समझता हूं कि किसी फर्क का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, लेकिन जहां डैमोक्रेटिक सैट–अप है, वहां सारे एपाइंटमेंट्स एग्जीक्यूटिव द्वारा किए जाते हैं, परन्तु कोई नहीं कह सकता कि जुडीशियरी कमिटेड है। जुडीशियरी बिलकुल इंडीपेंडेंट होती है।

महोदय, सब जानते हैं कि 1932 के बाद, तीन लॉज को लेकर, प्रेसीडेंट रूजवेल्ट के तमाम विधेयकों को जब फैडरल सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, तब अमरीका के राष्ट्रपति को यह धमकी देनी पड़ी कि यदि यही रवैया रहा, तो सुप्रीम कोर्ट को हम अपने जजेज से भर देंगे, हालांकि ऐसा हुआ नहीं, लेकिन तब से लेकर आज तक, कभी भी अनावश्यक रूप से कार्यपालिका के काम से जुडीशियरी ने हस्तक्षेप नहीं किया और कार्यपालिका ने तो कभी जुडीशियरी के काम में हस्तक्षेप किया ही नहीं।

महोदय, हमारे देश का दुर्भाग्य है कि कार्यपालिका का न्यायपालिका में हस्तक्षेप न होने के बावजूद न्यायपालिका ने एपाइंटमेंट करने की सारी शक्तियां अपने हाथ में ले लीं। जो काम कार्यपालिका द्वारा होना चाहिए, जो एपाइंटमेंट कार्यपालिका द्वारा किए जाने चाहिए, स्वयं फैसला कर के, वे न्यायपालिका द्वारा किए जा रहे हैं। कोई रिट करता है और कोर्ट स्वयं फैसला कर लेता है कि लाल बत्ती लगाने का अधिकार होना चाहिए या नहीं, तनख्वाह कितनी होनी चाहिए और कितनी नहीं, एपाइंटमेंट कैसे होना चाहिए, किसका होना चाहिए या नहीं।

महोदय, उपरोक्त स्थिति को देखते हुए, मैं महसूस करता हूं कि हमारे देश में एक जुडीशियरी कमीशन की जरूरत है, ताकि न्यायपालिका को एकाउंटेबल बनाया जा सके। अतः मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि वे स्वयं बहुत काबिल लॉ मिनिस्टर हैं, हाउस में भी बड़े एमीनेंट लॉयर्स हैं, आप जल्दी कोई ऐसी व्यवस्था कीजिए, जिससे आए दिन जो विवाद जैसी स्थिति पैदा होती है। वह पैदा न हो?

[अनुवाद]

श्री हंस राज भारद्वाज : महोदय, मुझे एक बहुत ही मशहूर कहावत याद है, जो रूजवेल्ट का सिद्धांत भी था कि "समय पर किया गया काम बहुत बड़े परिश्रम से बचा लेता है।" हम उनकी तरह व्यवहार नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने अपने चुनाव अभियान के दौरान अपने मतदाताओं से उस तरह का वायदा किया था। लेकिन भारत एक लोकतांत्रिक देश है। पचपन वर्षों से भी अधिक समय से हम अपने संविधान के अनुरूप कार्य कर रहे हैं। नौ न्यायाधीशों वाली न्यायपीठ के निर्णय के बाद ही हमारे सामने कुछ समस्याएं आयी हैं। मैं जानता हूं कि इससे कुछ समस्याएं पैदा हुई

हैं और न्यायिक पदों पर नियुक्तियां उस तीव्र गति से नहीं हो रही हैं जिस तीव्र गति से वे होनी चाहिए थी। आप इस बात को सराहेंगे कि उच्च न्यायालयों में नियुक्तियों के लिए राज्य सरकारों से परामर्श किया जाना चाहिए क्योंकि उच्च न्यायालयों का व्यय भार राज्य की संचित निधियों से वहन किया जाता है। इसलिए, नियुक्ति के मामले में मुख्य मंत्री और राज्यपाल दोनों के विचार जानना बहुत ही संगत है। इसी तरह, केन्द्र सरकार के विचारों को भी जानना बहुत ही आवश्यक है। वर्तमान प्रक्रिया के अंतर्गत इन सभी बातों का ध्यान रखा जाता है।

महोदय, जैसा कि आपको और इस सभा को भलीभांति विदित है कि ये सभी नियुक्तियां मंत्रि परिषद की सहायता और परामर्श से होती हैं। नियुक्ति संबंधी यह प्रक्रिया बिल्कुल सही है। मैं समझता हूँ कि वर्तमान इस प्रक्रिया में, एक ही समस्या है और वह यह है कि न्यायपालिका ने भारत के राष्ट्रपति के लिए यह बाध्यकारी बना दिया है कि वह न्यायपालिका की सिफारिशों को स्वीकार कर लें। यह एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में मैं चाहता हूं कि सभी राजनीतिक दल मिलजुल कर चर्चा करें। यदि इस पर कोई सहमति बन जाती है तो हम कह सकते हैं कि न्यायपालिका की सिफारिशें बाध्यकारी नहीं होनी चाहिए। हम कह सकते हैं कि नियुक्तियां आपसी परामर्श के बाद होनी चाहिए। परामर्श का तात्पर्य प्रभावी परामर्श से है।

यही एक ऐसा क्षेत्र है जहां कार्यपालिका के हाथ बंधे हुए हैं और हम इससे काफी असहज महसूस कर रहे हैं। हमें इस बात का अध्ययन करने के लिए कुछ समय चाहिए।

जहां तक भ्रष्टाचार संबंधी आरोपों का सवाल है, मैंने पहले ही निवेदन किया है कि हम इस पहलू का अध्ययन कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि केवल महाभियोग द्वारा पद से हटाये जाने की वर्तमान व्यवस्था काफी नहीं है। कानून में कोई ऐसा प्रावधान होना चाहिए जिसके तहत दोषी न्यायाधीशों से न्यायिक कार्य वापस ले लिए जायें उनसे छुट्टी पर जाने अथवा त्याग पत्र देने के लिए कहा जा सके। इन सभी बाध्यताओं और प्रावधानों का अध्ययन किये जाने की आवश्यकता है। हम उचित समय पर इस विषय को लेकर सभा में पुनः उपस्थित होंगे।

श्री एस. के. खारवेनथन : महोदय, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

आजकल, अधिकतर न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्तियां योग्यता के आधार पर न होकर राजनीतिक आधार पर हो रही है। इस तरह अयोग्य व्यक्ति उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश के पदों पर नियुक्त हो जाते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं।

श्री हंस राज भारद्वाज : न्यायाधीशों की योग्यता संबंधी बातों का निर्णय उच्च न्यायालय द्वारा लिया जाता है क्योंकि नियुक्तियों संबंधी मामलों के प्रस्ताव और सिफारिशें उच्च न्यायालय द्वारा ही किये जाते हैं। उसके बाद राज्य सरकार से परामर्श किया जाता है। संस्तुति करने वाले व्यक्ति की पृष्ठभूमि को देखा जाता है। उनका मत जानने के बाद हम उनकी पृष्ठभूमि का भी अध्ययन करते हैं। उसके बाद भारत के प्रमुख न्यायाधीश उन सिफारिशों का अध्ययन करते हैं। इसमें छानबीन इतनी अधिक होती है कि 'बार' में उपलब्ध जानकारी से ही इसकी गुणवत्ता, कुशलता और कार्यनिष्ठा सुनिश्चित की जाती है। इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है, लेकिन जैसा कि मैंने सभा में पहले ही निवेदन किया है कि यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी और समय के साथ–साथ पेश आ रही व्यावहारिक कठिनाइयों के मद्देनज़र पुनर्विचार किये जाने की आवश्यकता है। मैं इस बात से सहमत हूं कि इस बारे में मांग उठ रही है कि इस पुरानी प्रक्रिया को त्याग कर इस संबंध में नयी प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए। लेकिन यह एक ऐसा नाजुक मामला है जहां हमें बहुत सोच–संभल कर आगे बढ़ना है।

श्रीमती सुस्मिता बाउरी : महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि यदि किसी राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन किया जाता है तो क्या इस बारे में राज्य आयोगों का गठन किया जाना भी जरूरी होगा। क्या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए अलग–अलग आयोगों का गठन किया जायेगा? मैं यह भी जानना चाहूंगी कि क्या अखिल भारतीय न्यायिक अधिकारियों के लिए राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की तर्ज पर कोई न्यायिक आयोग गठित किया जायेगा।

श्री हंस राज भारद्वाज : मैंने पहले ही कहा है कि राज्य न्यायिक आयोगों के गठन की कोई आवश्यकता नहीं है। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा गठित करने संबंधी एक प्रस्ताव लम्बित है लेकिन उच्च न्यायालयों द्वारा उठायी गयी विभिन्न समस्याओं के आलोक में उस प्रस्ताव का सावधानी पूर्वक अध्ययन करना होगा। उच्च न्यायालय अपने वरिष्ठ न्यायिक अधिकारियों की भर्ती राज्य सरकारों से परामर्श के बाद करते हैं। इसलिए, जब तक राज्य और वहां के उच्च न्यायालय इस प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त नहीं करते, इस पर कोई निर्णय लेना संभव नहीं है।

श्री किन्जरपु येरननायडु : माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत

विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इसके सभी अंग देश की जनता के प्रति जवाब देह है। चाहें कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो या विधायिका हो अंततः देश की जनता ही सर्वोच्च है। कई वर्षों से हम न्यायिक आयोग के गठन की चर्चा करते रहे हैं। यह जनता की मांग है। अधिवक्ताओं की ओर से भी यह मांग की जाती रही है कि एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा तथा एक न्यायिक आयोग का गठन किया जाना चाहिए। प्रत्येक सरकार इस विषय पर चर्चा करती है लेकिन राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के गठन के मामले को लंबित कर देती है। किसी सरकार ने इसके गठन हेतु प्रयास नहीं किया है। अंततः हम देश की जनता के प्रति जवाब देह है। अतः सरकार न्यायिक आयोग के गठन में क्यों हिचकिचा रही है? प्रत्येक मुख्यमंत्री, प्रत्येक केन्द्रीय कानून मंत्री और प्रत्येक प्रधान मंत्री इस आयोग का गठन करना चाहता है लेकिन अभी तक किसी ने इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है। उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश ने भी कई बार भ्रष्टाचार होने की बात कही है। इस बारे में राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार के बीच परामर्श भी हुआ है लेकिन उसका परिणाम कुछ नहीं निकला। परिणाम निकलना एक बात है और परामर्श करना एक बात है। हो सकता है इस बारे में पहले भी परामर्श हुआ हो। लेकिन फिर इसमें केन्द्र और राज्य सरकारों की क्या भूमिका रहेगी। इसी संदर्भ में, मैं यह जानना चाहता हूं क्या सरकार इन सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्रियों की एक बैठक बुलायेगी और न्यायिक आयोग के गठन के बारे में किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगी।

श्री हंस राज भारद्वाज : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहूंगा कि सत्ता में आने के बाद इस सरकार ने जो पहला काम किया है वह है मुख्यमंत्रियों तथा मुख्य न्यायमूर्तियों का एक संयुक्त सम्मेलन आयोजित करना। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि इस सम्मेलन में हमने बडे ही सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में इन सभी बातों पर चर्चा की। मैं माननीय सदस्य को यह भी बताना चाहता हूं कि न्यायपालिका राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के पक्ष में नहीं है और यह बात सबको पता है।

अतः अब दो कारणों से उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में नियुक्तियों के लिए न्यायिक आयोग के गठन के मुद्दे पर आम सहमति नहीं हो पा रही है। इस न्यायिक आयोग का अध्यक्ष कौन होगा? हमारे बुनियादी मतभेद इसी बिंदु पर है। न्यायमूर्ति वेंकटचेलैया – जो कि सर्वोत्तम मुख्य न्यायमूर्तियों में से एक थे – भी राजग के उन प्रयासों से सहमत नहीं थे जो उसने इस दिशा में किये क्योंकि राजग न्यायिक आयोग की अध्यक्षता उन व्यक्तियों को सौंपने का पक्षधर था जो न्यायाधीश अथवा न्यायपालिका से संबद्ध व्यक्ति नहीं थे। इसलिए, न्यायमूर्ति वेंकटचेलैया ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया कि कानूनमंत्री तथा प्रधानमंत्री द्वारा नामनिर्दिष्ट दो व्यक्ति राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के सदस्य होंगे। इसलिए, मैं स्पष्टरूप से आपकी इस बात से सहमत हूं कि यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सभी बड़े राजनीतिक दलों के साथ–साथ मुख्यमंत्रियों को मिलकर कोई निर्णय लेना चाहिए। जब भी इस बारे में कोई आम सहमति बन जायेगी। हम इस व्यवस्था में सुधार लाने से हिचकिचायेंगे नहीं।

श्री वरकला राधाकृष्णन : न्यायाधीश रामास्वामी के मामले में हुए अनुभव को देखते हुए, न्यायिक जवाबदेही का मामला एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। विधायिका और कार्यपालिका को जवाबदेह बनाया गया है लेकिन न्यायपालिका किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है।

हमारे सामने ऐसे उदाहरण भी हैं कि उच्च न्यायिक नियुक्तियों के संबंध में स्पष्ट आरक्षण नीति होने के बावजूद मुख्य न्यायमूर्ति द्वरा न्यायाधीशों के नामों की संस्तुति की जाती रही है। इन नामों की संस्तुति करते समय अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के बारे में जो आरक्षण नीति का प्रावधान किया गया है, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। उच्च न्यायिक नियुक्तियों के बारे में कई सारी शिकायतें रही हैं। यह मामला काफी समय से लंबित है। हम इस समस्या का निदान कैसे कर सकते हैं?

इतना ही नहीं, हाल में उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश का वक्तव्य आया है जिसमें कहा गया है कि न्यायपालिका के 20 प्रतिशत पदाधिकारी भ्रष्ट हैं। क्या हमारे पास इन मामलों से निपटने के लिए कोई विधिक तंत्र है?

विगत में हमें न्यायिक आयोग के बारे में चर्चा करने का अवसर प्राप्त हुआ था। तेरहवीं लोकसभा में भी मुझे न्यायिक आयोग के बारे में चर्चा करने का अवसर प्राप्त हुआ था। अतः इस संदर्भ में मैं माननीय मंत्री जी से एक निश्चित उत्तर चाहता हूं कि उच्च न्यायपालिका में आरक्षण नीति का अनुपालन न करने संबंधी सभी शिकायतों को ध्यान में रखते हुए संप्रग सरकार क्या कदम उठायेगी...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने इसका उत्तर पहले ही दे दिया है।

...(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन : इस बारे में कोई सांविधिक प्रावधान नहीं है। इसका केवल एक ही प्रावधान है और वह है स्वयं न्यायाधीशों द्वारा उनकी इन – हाउस कार्यवाही में इस पर विचार करना। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस बारे में कोई सांविधिक प्रावधान है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हर बात की एक सीमा होती है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री हंस राज भारद्वाज : माननीय वरिष्ठ सदस्य ने दो मुद्दे उठाए हैं। एक जवाबदेही के संबंध में है। जैसाकि मैंने बताया, हम इस समस्या पर विचार कर रहे हैं। अब न्यायपालिका स्वयं बहुत उत्सुक है कि सांविधिक पृष्ठभूमि वाला कोई तंत्र होना चाहिए।

दूसरा, जहां तक उच्चतम न्यायालय में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का संबंध है, हम संवैधानिक प्रावधान से अवगत है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा भारत के न्यायमूर्ति को संबोधित प्रत्येक पत्र में मैंने सदैव इस बात पर बल दिया है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों तथा महिला उम्मीदवारों को उचित प्रतिनिधित्व और महत्व दिया जाना चाहिए। इसलिए इन मार्गनिर्देशों का हम अनुसरण कर रहे हैं। हम इस बात पर बल दे रहे हैं कि अब समय आ गया है जहां हम समाज के इन वर्गों की उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। मुझे प्रसन्नता है कि कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह पर्याप्त है।

...(व्यवधान)

श्री हंसराज भारद्वाज : हम, प्रतीक्षा करने की कोशिश करेंगे.. *.(व्यवधान)*

[हिन्दी]

चकबंदी

+

*682. **श्री मुंशी राम** :

श्री ए. साई प्रताप :

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष चकबंदी के लिए राज्यों को सरकार द्वारा कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ख) क्या बंजरभूमि के विकास में आम जनता, पंचायतों तथा स्वैच्छिक संगठनों की भागीदारी को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा कोई प्रारूप तैयार कराया गया है;

(ग) इस तरह की भूमि के संदर्भ में राष्ट्रीय बंजरभूमि विकास बोर्ड द्वारा अभी तक क्या कार्यक्रम तैयार किए गए हैं; और

(घ) बंजरभूमि का विकास कर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने के लिए अब तक क्या प्रयास किए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची–II (राज्य सूची) की प्रविष्टि सं. 18 के अंतर्गत की गई व्यवस्था के अनुसार भूमि और इसके प्रबंधन का कार्य अनन्य रूप से राज्यों के विधायी तथा प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। तथापि, केन्द्र सरकार भूमि सुधारों के क्षेत्र में एक सलाहकार और समन्वयक की भूमिका अदा कर रही है। केन्द्र सरकार भूमि जोतों की चकबंदी के लिए राज्य सरकारों को कोई निधियाँ आबंटित नहीं करती है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय बंजरभूमि विकास बोर्ड (एन.डब्ल्यू.डी.बी.) पर्यावरण और वन मंत्रालय में मई, 1985 में स्थापित किया गया था। तनेतर बंजरभूमि के विकास को बढ़ावा देने के लिए बंजरभूमि विकास विभाग (डी.ओ.डब्ल्यू.डी.), ग्रामीण विकास मंत्रालय में जुलाई, 1992 में सृजित किया गया था और राष्ट्रीय बंजरभूमि विकास बोर्ड को बंजरभूमि विकास विभाग को अंतरित कर दिया गया था। अप्रैल, 1999 में बंजरभूमि विकास विभाग का नाम बदलकर भूमि संसाधन विभाग (डी.ओ.एल.आर.) कर दिया गया था। भूमि संसाधन विभाग देश में बंजरभूमि को विकसित करने के लिए तीन क्षेत्र विकास कार्यक्रमों, नामतः समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.), सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) को 1.4.1995 से सहभागिता पद्धति के जरिए वाटरशेड आधार पर कार्यान्वित कर रहा है। ये कार्यक्रम इस समय 1.4.2003 से हरियाली मार्गदर्शी सिद्धांतों के अंतर्गत कार्यान्वित किए जा रहे हैं। इन सिद्धांतों में कार्यक्रमों का कार्यान्वयन ब्लॉक पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों जैसी पंचायती राज संस्थाओं (पी.आर.आई.) के जरिए किए जाने की परिकल्पना की गई है। यदि इन पंचायतों को पर्याप्त रूप से अधिकार सम्पन्न नहीं बनाया गया हो तो जिला पंचायत परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य कर सकती है अथवा उपयुक्त समनुरूप विभाग या राज्य की किसी संस्था को परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नियुक्त कर सकती है। इन विकल्पों के उपलब्ध नहीं होने पर जिला पंचायत/जिला ग्रामीण विकास अभिकरण पर्याप्त अनुभव रखने वाले

किसी प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठन (एन.जी.ओ.) को परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नियुक्त करने के बारे में विचार कर सकता है।

(घ) उपर्युक्त कार्यक्रमों के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यकलाप अधिकांशतया श्रम प्रधान हैं और इनमें मृदा तथा नमी संरक्षण कार्य, जल एकत्रण संरचनाओं का निर्माण, समोच्च (कंटूअर) बांध, समोच्च चैनल बनाना, तालाबों का निर्माण, चरागाह विकास, आदि शामिल है। 1.4.1995 से लेकर अब तक उपर्युक्त तीनों कार्यक्रमों के अंतर्गत 48.58 करोड़ श्रम दिवसों के रूप में रोजगार के अवसर सृजित किए गए हैं।

श्री मुंशी राम : अध्यक्ष महोदय, भारत के पूर्व प्रधान मंत्री, श्री चौधरी चरण सिंह जी द्वारा चकबन्दी के लिए कानून इसलिए बनवाया गया था कि इस देश के छोटे किसानों को जमीन मिल सके और इस देश की भूमि भूमाफियों के हाथों में न जाए। माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में इस बात को कहा कि केन्द्र सरकार भूमि जोतों की चकबन्दी के लिए कोई भी निधि प्रदेश सरकारों को आबंटित नहीं करती, जब कि जोत की चकबन्दी होना आवश्यक है। केन्द्र सरकार को राज्यों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि आज भी लाखों हैक्टेयर भूमि भूमाफियों के हाथों में है, जिस पर हम गरीब किसानों को भूमि जोत चकबन्दी करा कर दे सकते हैं। वे अधिकारी और भूमाफियों से मिल कर लाखों–करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और गरीब किसानों का हक मार रहे हैं। माननीय मंत्री जी से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि प्रदेश सरकारों को चकबन्दी के लिए मदद दी जाये।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह राज्य का विषय है। अब तक 5–6 राज्यों के सरकारों ने चकबन्दी का कार्य पूरा कर लिया है और 6–7 राज्यों में चल रही चकबन्दी को वहां स्थानीय कारणों से रोक दिया गया है। बाकी राज्यों में चकबन्दी शुरू ही नहीं हुई। हम लोग उसमें केवल सलाह–मशविरा देते हैं और अभी तक उनको सहायता देने का न प्रबन्ध है, न कोई सहायता दी गई है, हम केवल मोनेटरिंग का काम देखते हैं, इसलिए हम सदन को सूचना दे रहे हैं कि कुछ राज्यों में चकबन्दी पूरी हो गई है, जैसे पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश इन सब राज्यों में चकबन्दी का काम पूरा हो गया है। आन्ध्र प्रदेश और बिहार आदि कई राज्य हैं, जिसमें यह काम रोक दिया गया। कुछ राज्यों में काम शुरू ही नहीं हुआ, कई राज्यों में चकबन्दी वाला कानून बना ही नहीं, यह स्थिति है। चकबन्दी के अनेक लाभ होते हैं, लेकिन स्थानीय कारणों से वहां की राज्य सरकारें कर पायें तो हम लोग सलाह–मशविरा देंगे और उनकी देखभाल करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : यह राज्य का मुद्दा है, ये क्या करेंगे।

श्री मुंशी राम : यह राज्यों का मुद्दा है, लेकिन केन्द्र सरकार को उसमें दखल देना चाहिए। अगर भू–माफिया से छोटे किसानों को हम भूमि दिलाना चाहते हैं तो चकबन्दी करानी चाहिए। आज कितने ही भू–माफिया अधिकारियों से मिलकर उसे जोत रहे हैं, उन पर रोक लगाने के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी इसी में 48.58 करोड़ रुपये के श्रम दिवसों के रोजगार के अवसर सृजित किये जाने का ब्यौरा राज्यवार और जिलेवार माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से मालूम करना चाहता हूं।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : जिलेवार नहीं, राज्यवार हमारे पास सूचना है। अगर माननीय सदस्य चाहेंगे तो हम जिलेवार सूचना भेज देंगे।

[अनुवाद]

श्री ए. साई प्रताप : स्वर्गीय प्रधानमंत्री, श्री राजीव गांधी का सपना था कि देश में परती भूमि को विकसित किया जाए। देश में कराए गए सर्वेक्षणों में यह देखा गया है कि ग्रामीण रोजगार के अवसर पैदा करने में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम तथा मरूस्थल विकास कार्यक्रम संतोषजनक कार्य नहीं कर रहे हैं।

मेरा प्रश्न है कि क्या सरकार हमारे देश में परती भूमि के विकास में विदेशी विशेषज्ञों की सहायता लेने का विचार रखती है और यदि हां, तो कृपया इसका ब्यौरा दीजिए।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : नहीं महोदय। यहां जो वेस्टलैंड हैं, उसकी जानकारी हम लोगों को है। यहां भी रिमोट सेंसिंग प्रणाली है, उससे भी जानकारी ली जाती है, इसलिए इसमें विदेश की सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है। यहां हरियाली नामक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जो बहुत सफलता की तरफ अग्रसर है, जिसमें आई.डब्लू.डी.पी., डी.डी.पी. और डी.पी.ए.पी. तीन तरह से कार्यक्रम हैं। इस सम्बन्ध में एक हनुमन्त राव कमेटी बनी थी, 10 वर्षों का उनका समय बीत गया है। अब फिर से पार्थसारथी कमेटी बनाई गई है। महोदय, जैसे आपने कल ही सदन में बड़े ही

सामयिक प्रसंग पर जल संरक्षण, जल संचयन, रेन वाटर हारवेस्टिंग आदि के लिए दिशा–निर्देश दिया है। उसके मुताबिक यह देश महसूस करता है कि आगे आने वाला समय पानी के लिए संकट का हो सकता है, इसलिए वाटर कन्ज़र्वेशन, वाटर शेड मैनेजमेंट आदि के सम्बन्ध में कार्यक्रम चलाया जा रहा है। माननीय सदस्यों से आपके माध्यम से हम अपेक्षा करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि इस तरह का वातावरण यहां निर्मित किया जाये और वहां डी.आर. डी.ए. से और राज्य सरकारों से इस तरह का एक मास्टर प्लान तैयार कराया जाये, जिसके कार्यान्वयन में केन्द्र सरकार पूरी सहायता करेगी। हम लोगों के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में वाटर कंज़र्वेशन, वाटर शेड मैनेजमेंट, ड्राउट प्रूफिंग, ये सभी कार्यक्रम सर्वोच्च प्राथमिकता में है, चूंकि पानी का संकट देश को आगे झेलने से मुक्ति मिल सके।

[अनुवाद]

मोहम्मद सलीम : माननीय सदस्य द्वारा पूछे गए अनुपूरक प्रश्न से मेरा अनुपूरक प्रश्न उत्पन्न होता है।

[हिन्दी]

भू–माफिया से अगर लड़ना है और जिनके पास जमीन नहीं है, उनको अगर जमीन दिलानी है, तो मैं नहीं समझता कि चकबन्दी ही एकमात्र रास्ता है। पंजाब में और हरियाणा में जो कुछ हुआ है, वहां चकबन्दी का लाभ भी पहुंचा है, लेकिन आपने खुद कहा कि बिहार और बाकी बहुत से राज्यों में चकबन्दी शुरू ही नहीं हुई या रोक दी गई। हमारा अनुभव पश्चिम बंगाल का और केरल का है, जहां चकबन्दी नहीं करके भी भू–माफिया से लड़ा गया है और जमीन का आबंटन किया गया है, जिनके पास जमीन नहीं है। आपने यह सही कहा कि संविधान के अनुसार आप खुद चकबन्दी नहीं कर सकते, राज्य सरकारें करती हैं। आप कोआर्डिनेट करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं और उनको एडवाइज भी देते हैं तो क्या आज की स्थिति में आप राज्य सरकार को यह मशविरा देंगे कि पंचायतों को इस कार्य में शामिल करके भू–माफिया के हाथ से जमीन निकाल कर या राज्य सरकार के पास से जमीन निकालकर भूमिहीन किसानों को वह जमीन आबंटित की जाए।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, हमारे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में भूमि सुधार पर जोर दिया गया है। भूमि सुधार में लैण्ड कंसॉलिडेशन 100 प्रतिशत राज्य सरकार के हाथ में है। तीन तरह की जमीनें हैं जैसे सरप्लस भूमि, सरकारी भूमि अथवा भूदान की जमीन। सभी राज्य सरकारों के राजस्व मंत्रियों की हमने बैठक बुलायी थी और राज्य सरकारों के सहयोग से ही इसे लागू करवाना है, इसलिए हम बराबर मॉनीटरिंग करते रहते हैं और राज्य सरकार से परामर्श करते रहते हैं कि सरप्लस जमीन जिसके पास हो तथाजो वेस्टलैण्ड है या सरकारी जमीन है, यदि वह ऊपजाऊ नहीं है तो उस जमीन को उपजाऊ बनाकर भूमिहीन किसानों के बीच बांटने का काम किया जाए। भूदान वाली कुछ जमीनें अभी तक बची हुई हैं। सभी राज्य सरकारों से हम बराबर सम्पर्क में हैं। राज्य सरकारों के राजस्व मंत्रियों को और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हम बराबर पत्र लिखते रहते हैं जिससे कि जो सरप्लस जमीन है, वेस्टलैण्ड है अथवा भूमिदान वाली जमीन है, ऐसी सभी जमीनों को भूमिहीनों के बीच वितरित किया जा सके।

श्री राम कृपाल यादव : महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि बंजर भूमि के विकास के लिए तीन–चार तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जैसे आई.डब्ल्यू.डी.पी., डी.पी.ए. पी., डी.डी.पी. इत्यादि। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि झारखण्ड और बिहार के बॉर्डर इलाके में कई ऐसे जिले हैं, जहाँ बड़े पैमाने पर बंजर भूमि है जैसे औरंगाबाद जमोई, बांका, नवादा इत्यादि ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न खेतों की चकबंदी का है।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : महोदय, यह प्रश्न बंजर भूमि के विषय से भी संबंधित है। इस योजना के माध्यम से बंजर भूमियों को सिंचित करने की व्यवस्था की जा रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहानाबाद, औरंगाबाद, जमोई आदि कई ऐसे जिले हैं, जहाँ कई एकड़ जमीन बिल्कुल बंजर पड़ी हुई है या जो पहाड़ी इलाके हैं, वहां पानी की कोई व्यवस्था नहीं है और किसानों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दूसरी तरफ बिहार में कई ऐसी जमीनें हैं जैसे मोकामा का टाल, पटना सदन के पास ही जल्ला का क्षेत्र इत्यादि। मोकामा का टाल जहां 1200 किलोमीटर का बड़ा भूभाग है। यदि वहाँ पर पानी की समुचित व्यवस्था कर दी जाए...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप अपने अनुपूरक प्रश्नों के साथ तैयार रहें।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : महोदय, वहाँ पर एक ही फसल होती है। बिहार के कई इलाकों में जहाँ बंजर भूमि है, उन्हें सिंचित करने के लिए और जहाँ पानी का जमाव रहता है, वहां से पानी को निकाल कर किसानों को राहत पहुंचाने के लिए किसी विशेष योजना के अन्तर्गत राशि आबंटित करके उनकी बंजर जमीन को सिंचित करने और जहां पानी का जमाव है, वहां से पानी को निकालने के लिए माननीय मंत्री जी के ग्रामीण विकास मंत्रालय के अन्तर्गत कई कार्यक्रम हैं। क्या माननीय मंत्री जी इन योजनाओं को जल्द लागू करके किसानों को सुविधा मुहैया कराने का काम करेंगे?

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, माननीय सदस्य जिस क्षेत्र के बारे में बता रहे हैं, वहां इस तरह की कठिनाइयां हैं। जहां पर पानी का संकट है या जल का जमाव है, उससे मुक्ति पाने के लिए वहां से डीआरडीए या पंचायतों के माध्यम से अगर कोई योजना बन कर राज्य के माध्यम से हमारे पास आएगी तो हम निश्चित रूप से उस योजना को मंजूर करेंगे। देश के किसी भी हिस्से में या बिहार में पानी का संकट, जल का जमाव या इस तरह की कोई भी कठिनाई सामने आती है और इससे मुक्ति पाने के लिए, जल की कमी को दूर करने के लिए या जल के संचयन के लिए, इन सभी कामों के लिए यदि हमारे पास प्रोजेक्ट बन कर आएगा, तो हम उस कठिनाई को दूर करने से संबंधित राज्य की मदद अवश्य करेंगे।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय को उत्तर नहीं देना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री राजनरायण बुधौलिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि भूमि संसाधन विभाग द्वारा देश में बंजर भूमि को विकसित करने के लिए जो विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, अभी तक उसके क्या परिणाम सामने आए हैं, खास तौर से उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में कितनी बंजर भूमि में हरियाली लाई गई है? कितने समोच्च (कंटूअर) बांध, समोच्च चैनल, तालाबों का निर्माण एवं चरागाह विकास आदि का कार्य किया गया है? 1.4.95 से लेकर अब तक उपर्युक्त तीनों कार्यक्रमों के अंतगत कितने श्रम दिवसों के रूप में उत्तर प्रदेश में रोजगार उपलब्ध करवाए गए हैं?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपको यह प्रश्न अलग से करना चाहिए।

...(व्यवधान)

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बुंदेलखंड के बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन मैं उनको पूरे देश के बारे में बता देता हूं। 70 आईडब्ल्यूडी की परियोजनाएं पूरी कर दी गई हैं, जिनमें 6.26 लाख हेक्टेयर जमीन को उपजाऊ बना दिया गया है, हरियाली कर दी गई हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, कृपया अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करें। मैं इस बात से सहमत हूं कि यह एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। 19 सदस्यों के नाम के अलावा पहले ही 22 सदस्यों के नाम हैं। मैं 22 अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दे सकता हूं। पहले ही पांच माननीय सदस्य पूछ चुके हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रत्येक सदस्य का प्रश्न महत्त्वपूर्ण है। मैं इन्हें अत्यधिक महत्त्व देता हूं। यदि आप सोचते हैं कि इस मामले पर चर्चा होनी चाहिए तो आप समुचित चर्चा के लिए उचित रूप से सूचना दे सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री मित्रसेन यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। मंत्री जी बिहार से आते हैं, गांव से आते हैं। हमारे देश की अधिकतर जनता खेती पर आधारित है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि किन प्रदेशों में कितनी बंजर भूमि है? हमारे देश में बंजर भूमि तो है ही, लेकिन बहुत सी नदियां भी ऐसी हैं, जिनके किनारे मांझा क्षेत्र बहुत बड़ा पड़ा हुआ है। उस मांझा क्षेत्र पर कुछ भूमाफिया लोग जबरदस्ती कब्जा करके गन्ने की लाखों बीघे खेती करते हैं, जो जमीनें गरीब लोगों को आबंटित हुई थीं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप इस मामले पर राज्य सरकार से चर्चा करें।

[हिन्दी]

श्री मित्रसेन यादव : आप भूमि व्यवस्था को, जिसकी बिनाह

पर गांवों के 80 प्रतिशत लोग जमीन के लिए तरस रहे हैं और उनका जीवन खेती पर निर्भर है, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास अपने बच्चे की लाश गाढ़ने–भर के लिए जमीन नहीं है... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पूछिए। यह वाद–विवाद नहीं है।

[हिन्दी]

श्री मित्रसेन यादव : आपके पास जमीन होते हुए भी उनको जमीन देने की व्यवस्था करने से क्यों कतरा रहे हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसमें केन्द्र सरकार क्या करेगी? आप राज्य सरकार का मुद्दा यहां उठा रहे हैं।

[अनुवाद]

केवल प्रश्न पूछने के लिए आप प्रश्न कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री मित्रसेन यादव : संविधान के अनुसार यह राज्य का विषय है, लेकिन जो बंजर भूमि है, अतिरिक्त भूमि है, जिसे हरियाली कार्यक्रम के अंतर्गत लिया गया है, उसे तो गरीब लोगों में आबंटित करने का कार्यक्रम करना चाहिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या यह आपके क्षेत्राधिकार में हैं।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य देशभर के राज्यों के वेस्ट लैंड के आंकड़े पूछ रहे हैं। मैं उनको सब आंकड़े भेज दूंगा। माननीय सदस्य खास जगह के बारे में बता रहे हैं, जहां किसी ने जबरदस्ती जमीन हड़प ली है। अगर माननीय सदस्य हमें लिखेंगे, तो हम उसके बारे में राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप बहुत सहयोग करते हैं।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : वैसे माननीय सदस्य को अपने आप भी राज्य सरकार को लिखना चाहिए। हम राज्य सरकार के माध्यम से ही कुछ कर सकते हैं। संविधान के अनुसार जमीन पर केन्द्र सरकार का सीधा हस्तक्षेप नहीं चलता।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अतः, संसद सदस्यों को अपनी संबंधित राज्य सरकारों को लिखना चाहिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रो. एम. रामदास अंतिम प्रश्न पूछेंगे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : पहले ही सात माननीय सदस्य प्रश्न पूछ चुके हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री अनिल बसु : मुझे भी एक महत्वपूर्ण अनुपूरक प्रश्न पूछना है। कृपया मुझे अनुमति दीजिए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अन्य लोगों को परेशान न करें।

...*(व्यवधान)*

प्रो. एम. रामदास : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न भारत में जोतों के चकबंदी से संबंधित है। कृषि में उत्पादकता तथा कुशलता में सुधार लाने के लिए जोतों की चकबंदी बहुत महत्वपूर्ण है। हम उत्पादकता में सुधार करने में समर्थ नहीं हैं क्योंकि हमारी भूमि छोटे–छोटे टुकडों में बंटी हुई हैं। वह बहुत छोटे आकार की है तथा अलग–अलग टुकड़ों में फैली हुई हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न क्या है?

प्रो. एम. रामदास : मैं माननीय मंत्री से देश में जोतों के उप विभाजन और छोटे–छोटे खण्डों की स्थिति के बारे में जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपको इसके लिए एक अलग प्रश्न पूछना चाहिए। यह प्रश्न इस प्रश्न के अंतर्गत नहीं आता है।

प्रो. एम. रामदास : जी नहीं, महोदय। मैं केवल जोतों की चकबंदी के संबंध में प्रश्न पूछ रहा हूं। मैं उप विभाजन तथा खण्डों की स्थिति के बारे में जानना चाहता हूं। यदि यह कृषि के हित में बाधक है तो केन्द्र सरकार जोतों की चकबंदी के बारे में विचार क्यों नहीं करती है।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता कि वह विश्वकोश प्रस्तुत कर रहे हैं।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, चकबंदी के विषय में हमने बता दिया है कि देश की क्या परिस्थिति है तथा किन राज्यों में क्या है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : चौधरी लाल सिंह इस प्रश्न का अंतिम अनुपूरक प्रश्न पूछेंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, कृपया अपने हाथ खड़े न करें। कृपया अपने हाथ नीचे कर लें क्योंकि एक बार जब माननीय सदस्य अपने हाथ खड़े करते हैं तो उसे नोट कर लिया जाएगा और माननीय सदस्यों का नाम तद्नुसार पुकारा जाएगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : चौधरी लाल सिंह, क्या आप प्रश्न पूछने के इच्छुक हैं?

चौधरी लाल सिंह : जी हां, महोदय, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपकी मेहरबानी से मैं पूछना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : स्पीकर की मेहरबानी की क्या जरूरत है। अभी संसद की मेहरबानी की जरूरत है।

...(व्यवधान)

चौधरी लाल सिंह : मैं मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि वर्ष 1947 से चकबंदी का सिलसिला जारी है। मैं इस संबंध में एक उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे स्टेट जम्मू–कश्मीर में सर लारेंस ने सन् 1750 में घोड़े पर चढ़कर एक ही बार सारी चकबंदी कर दी। आज गाड़ियां, कम्प्यूटराइजेशन आदि सब कुछ है। मैं पूछना चाहता हूं कि स्टेट को ऐसी कौन सी प्रौब्लम बनी हुई है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री इस प्रश्न का उत्तर कैसे दे सकते हैं। यह राज्य का मामला है।

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह : आप सुनिये कि यह कैसे जुड़ता है। मैं कहना चाहता हूं कि इसमें दो प्रश्न पूछे गये हैं। एक प्रश्न 1985 में पूछा गया कि वैस्ट लैंड को ठीक करने के लिए क्या किया गया और दूसरा प्रश्न 1992 में पूछा गया कि इसके लिए कौन सी स्कीम बनाई गयी?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्पष्ट प्रश्न पूछिये।

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह : इसके बाद वर्ष 1999 और 2003 में भी हरियाली स्कीम लायी गयी। आप देखिये कि जो ड्राउट प्रोन एरियाज हैं, उनमें 20–20 साल से आपकी स्कीमें चल रही हैं। वहां उन स्कीमों का कोई मतलब नहीं है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना प्रश्न पूछिये।

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि आप उन स्कीम्स के लिए टाइम बाउंड प्रोग्राम कब बनायेंगे?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह समयबद्धता के मुद्दे से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, जम्मू–कश्मीर ऐसा राज्य है जहां चकबंदी रोक दी गयी है। वहां पहले चकबंदी चल रही थी लेकिन अब बंद कर दी गयी है। अब माननीय सदस्य ड्राफ्ट प्रोन एरिया प्रोग्राम के बारे में पूछ रहे हैं। यह पांच वर्षों में लागू करने का कार्यक्रम है जिसमें पीपल्स पार्टीसिपेशन, हरियाली, फॉरेस्ट्री, जल जमाव और वाटर कन्जर्वेशन आदि है। इसमें समय लगता है लेकिन पांच–छः वर्षों में यह काम हो जायेगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सं. 683, श्री कांशीराम राणा – उपस्थित नहीं। श्री वी. के. दुम्मर।

[हिन्दी]

कपास का उत्पादन और विपणन

+

*683. **श्री वी. के. दुम्मर :**

श्री काशीराम राणा :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कपास के उत्पादन और विपणन हेतु टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम (टी यू एफ एस) के अंतर्गत आबंटित धन तथा उक्त योजना के तहत शुरू किए गए कार्यकलापों का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कॉटन टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड के अंतर्गत पर्याप्त धनराशि उपलब्ध न होने के कारण उच्च गुणवत्ता वाले कपास के उत्पादन पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) कपास के उत्पादन और विपणन के आधुनिकीकरण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और इसके परिणामतः कितनी सफलता मिली है?

[अनुवाद]

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) यद्यपि वस्त्र उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी के उन्नयन के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टी यू एफ एस) शुरू की गई है तथापि कपास के उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए कपास प्रौद्योगिकी मिशन (टी एम सी) शुरू किया गया है। टी एम सी में चार लघु मिशन हैं जिसमें लघु मिशन–1 के अंतर्गत कपास उत्पादन प्रौद्योगिकी में अनुसंधान; लघु मिशन–2 के अंतर्गत किसानों के लिए प्रौद्योगिकी के प्रचार–प्रसार; लघु मिशन–3 के अंतर्गत विपणन इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार और लघु मिशन–4 के अंतर्गत जिनिंग एवं प्रेसिंग कारखानों के आधुनिकीकरण पर बल दिया गया है। टी एम सी के अंतर्गत किए जा रहे कुछ क्रियाकलाप प्रमाणित बीज का उत्पादन एवं वितरण, बीज डीलिंटिंग प्लांट स्थापना, कृषकों के क्षेत्रीय स्कूल, कीटनाशी प्रतिरोध प्रबंधन, बायो–एजेंट प्रयोगशालाओं की स्थापना/सुदृढ़ीकरण, छिड़काव करने वाले सैटों का वितरण, विस्तार कामगारों को प्रशिक्षण, उत्पादन प्रौद्योगिकी/एकीकृत पेस्ट प्रबंधन प्रौद्योगिकी पर अग्रवर्ती प्रदर्शन, मौजूदा बाजार यार्ड का सुधार करना, नए बाजार यार्ड स्थापित करना तथा जिनिंग और प्रेसिंग कारखानों का आधुनिकीकरण करना है। पिछले तीन वर्षों के दौरान लघु मिशन–1, 2, 3 और 4 के लिए आबंटित निधियां निम्नलिखितानुसार हैं:–

(करोड़ रुपए में)

	2002–03	2003–04	2004–05
लघु मिशन–1	3.80	4.20	4.00
लघु मिशन–2	20.00	38.00	50.00
लघु मिशन–3 व 4	30.00	30.00	40.00

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जैसा कि नीचे दी गई तालिका से देखा जा सकता है, वर्ष 2002–03 से 2004–05 के दौरान कपास का घरेलू उत्पादन, उपज और खपत बढ़ी है और कपास का आयात कम हुआ है।

	इकाई	2002–03	2003–04	2004–05 (अनंतिम)
कपास का उत्पादन	प्रत्येक गांठ 170	136.00	177.00	232.00
कपास की खपत	किग्रा. की लाख	168.83	173.96	198.00
कपास का आयात	गांठ में	17.67	7.21	6.00
उपज	कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर में	302	394	440

स्रोत : कपास सलाहकार बोर्ड।

[हिन्दी]

श्री वी. के. दुम्मर : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के जवाब में मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, उससे दो स्थिति पैदा होती है। भारत में कपास सबसे प्रमुख उगाई जाने वाली फसल है। कुछ क्षेत्रों में किसान परिवार कपास की खेती पर ही पूरा निर्भर है। मंत्री जी मेरे गुजरात राज्य से जुड़े हुए हैं। वहां कपास कई कारणों से खराब होती जा रही है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता

हूं कि क्या उन्होंने इस बार देश में कोई सर्वे कराया है कि कितने मूल्य की कपास खराब हुई है? यद्यपि ये उसे टेक्नीकली आगे बढ़ाने के लिए कहते हैं। वस्त्र मंत्रालय ने वर्ष 2004–05 की अपनी रिपोर्ट जो पार्लियामैंट में पेश की है, उसमें कहा गया है कि 200 करोड़ रुपये भारत सरकार का अंश होगा लेकिन मेरे प्रश्न के जवाब में उन्होंने बताया है कि 40 करोड़ रुपये इसमें दिये गये हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि वस्त्र मंत्रालय ने अपनी जो रिपोर्ट पेश की है और मुझे जो जवाब दिया गया है, उन दोनों में फर्क क्यों है? आज कपास का भाव इतना गिर गया है। जिसके कारण किसान अपनी फसल उस भाव पर नहीं बेच रहे हैं। पिछले साल 20 किलो कपास का रेट 600 रुपये था लेकिन आज वह 400 रुपये हो गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि इंटरनैशनल मार्केट में कपास का रेट कितना है?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप मंत्री जी को जवाब देने का मौका दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री शंकर सिंह वाघेला : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही नहीं है कि कपास खराब हो गयी है बल्कि इस समय कपास की बम्पर क्रॉप हुई है। शुरू में हमारा अंदाजा 213 लाख बेल्स था लेकिन वह 232 लाख बेल्स तक पहुंच गया। इसके साथ–साथ एमएसपी आपरेशन पूरे हिन्दुस्तान में लागू है। तकरीबन तीन राज्यों–तमिलनाडु, कर्नाटक और गुजरात की कल्याण क्वालिटी में है। इसके अलावा सबका हमने एमएसपी के हिसाब से परचेज किया है। किसान के खेत में आखिरी दिन तक जितना भी क्वार्टर आयेगा, उसे सीसीआई एमएसपी आपरेशन के तहत परचेज करेगी। इन्होंने जो कहा है, भाव के हिसाब से मैं महाराष्ट्र सरकार का आभारी हूं जिन्होंने किसानों को 2500 रुपये भाव देकर तकरीबन दो–तीन हजार करोड़ रुपये का नुकसान राज्य सरकार ने सहन किया है। मैं चाहूंगा कि दूसरी सरकारें भी इसमें आगे आएं। न केवल भारत सरकार बल्कि राज्य सरकार भी इसमें अगर मदद करेगी तो किसानों को अच्छा लाभ होगा।

श्री वी. के. थुम्मर : मैं यह भी माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि बी.टी. कपास का बीज लाने से हमारे कपास का उत्पादन आज बढ़ा है तभी बी.टी. कपास के बीजों का और आना हिन्दुस्तान में शुरू हो गया है लेकिन आज ब्लैकमार्केटिंग इतनी बढ़ गई है और मार्केटिंग करने के लिए किसानों को ब्लैक–मार्केट से बीज खरीदना पड़ता है। किसानों की कपास की जो फसल बीमा योजना है, इसमें उनसे 14 प्रतिशत प्रीमियम लिया जाता है जबकि 12 प्रतिशत इंटरेस्ट रेट पर किसानों को ऋण मिलता है और 14 प्रतिशत प्रीमियम उनसे लिया जाता है जिससे किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाता है। हमारे मंत्री जी गुजरात के हैं तथा वह गुजरात की पूरी परिस्थिति से भी वाकिफ हैं। किसानों की यह फसल पूरी तरह बिक जाए, यह ऐसी फसल है। आयात कम करने की जरूरत है फिर भी आयात हो रहा है। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि आयात पर रोक लगाने के लिए और किसानों को कॉटन का भाव पूरा मिले, इसके लिए सरकार क्या करना चाहती है, स्पष्ट कारण बताए जाएं क्योंकि किसान मर रहा है। कई ज्यादा और भी मरेंगे। उनको मरने से बचाने के लिए सरकार मदद करे, इतनी ही मेरी विनती है।

श्री शंकर सिंह वाघेला : अध्यक्ष महोदय, बी.टी. कॉटन, का जो मामला है, मोनसांटो कंपनी की मोनोपली जो है, यदि दूसरे भी अच्छे सीड्स इसमें कम्पीटीशन में आएं, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री इसे देख रही है लेकिन हम भी उसमें चिंतित हैं कि अच्छी क्वॉलिटी का सीड किसान को मिलना चाहिए। जो इन्होंने फसल बीमा योजना की बात कही है, वह भी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री देख रही है। हमारी मिनिस्ट्री इसमें इंवॉल्व नहीं है। तीसरी बात जो इन्होंने बताई कि भारत सरकार इसमें ज्यादा चिंता करे, इस पर मैं कहना चाहूंगा कि किसानों की हम चिंता करते हैं जितनी उनकी चिंता करनी चाहिए और मैं समझता हूं कि सीसीआई के हिसाब से कभी भी हमें कोई तकलीफ नहीं हुई है। किसानों की कोई शिकायत नहीं आई है कि एम. एम. एस. यू. ऑपरेशन नहीं हो रहे हैं। हम पूरे हिसाब से चिंता करके इन्हें मदद कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री जे. एम. आरून रशीद : महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र (पेरियाकुलम) में अंडीपट्टी विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारे कपास उत्पादक हैं। वे अभी भी पारम्परिक तरीकों से कपास की वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं। क्या सरकार अच्छी कपास के उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नई निधियां प्रारंभ करेगी? क्या सरकार उनका जीवन स्तर सुधारने के लिए उनके द्वारा उत्पादित कपास की वस्तुओं को खरीदेगी?

[हिन्दी]

श्री शंकर सिंह वाघेला : सर, यह जरूर मैं कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के कॉटन की जो क्वॉलिटी होनी चाहिए, वह अच्छी नहीं है। माननीय थुम्मर भाई ने बताया है, हम जो 6 लाख बेल्स इम्पोर्ट करते हैं, हम लौंग स्टेपल के हिसाब से इम्पोर्ट करते हैं। जो प्लानिंग के हिसाब से कमपलसरी है, वह ही हम इम्पोर्ट करते हैं और थोड़ा सा नुकसान करके भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन कॉटन की जो क्वालिटी है, इसमें अगर इरीगेशन के साथ अच्छी क्वॉलिटी नहीं होगी तो आने वाले दिनों में ईजिप्ट या चाइना से जो भी कम्पीटीशन हमें करना पड़ता है, उसमें हमें समस्या होती है। इसका अच्छा भाव मिले, उसकी चिंता जरूरी करनी चाहिए। राज्य सरकार भी अगर इसमें चिंता करेगी तो अच्छी क्वॉलिटी के लिए जागरूक किया जाए। हम पीएमसी–3 और टीमएसी यानी कि टैक्नोलॉजीकल कॉटन मिशन जो हमारे 3 और 4 हमारी

टैक्सटाइल मिनिस्ट्री में है, उसमें भी जिनिंग और एपीएमसी में हम अच्छी क्वॉलिटी के लिए मदद करते हैं। टीएमसी के हिसाब से 500 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट है। वह भी इसमें कैबिनेट में लाकर पहले भी चालू है और आगे भी चालू करेंगे।

श्रीमती कृष्णा तीरथ : अध्यक्ष महोदय, भारत एक कृषि प्रधान देश है और देश की आजादी के बाद में हमने खादी की शुरूआत की थी। हमारे यहां आयात करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, बल्कि हम निर्यात करें, ऐसा प्रावधान होना चाहिए। इसके लिए कपास को कितना ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए, कैसे अच्छी फसल की जाए, इसके लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है, सदन को यह बात माननीय मंत्री जी बताएंगे तो अच्छा रहेगा कि ज्यादा कपास का उत्पादन करने के लिए हमें किस तरह के प्रावधान करने चाहिए?

श्री शंकर सिंह वाघेला : यह जो इम्पोर्ट वाली बात है, वह हमें कमपलसरी इम्पोर्ट करना पड़ता है क्योंकि लांग स्टेपल कॉटन हमारे पास नहीं है, इसलिए अच्छी क्वॉलिटी के लिए हमें इम्पोर्ट करना पड़ता है। दूसरे टीएमसी के माध्यम से हम एपीएमसी और जिनिंग फैक्टरी को भी काफी पैसा इम्प्रूवमेंट के लिए देना चाहते हैं और जहां तक इरीगेशन का सवाल है या किसान को अपने हिसाब से कम्पीटीशन में आकर चाहे इजरायल से यह कम्पीटीशन करे या हमारे यहां जो पर-एकड यील्ड होनी चाहिए, उसमें भी हमारी कमी है। इसमें अगर किसान आगे बढ़े तो अच्छा रहेगा।

श्रीमती कृष्णा तीरथ : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूँ कि सरकार इस दिशा में क्या कार्रवाई कर रही है?

श्री शंकर सिंह वाघेला : सरकार क्वालिटी इम्प्रूवमेंट करने के लिए जो भी प्रयास किया जाना आवश्यक है, कर रही है। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री सीड्स के बारे में चिन्तित है। हम अपने टेक्नोलॉजी मिशन के हिसाब से जिन्निंग और एपीएमसी की सुविधा दे रहे हैं ताकि किसानों को इसका लाभ मिल सके।

[अनुवाद]

श्री डब्ल्यू वांग्यू कोन्यक : महोदय, बड़ी धनराशि कपास उत्पादन पर खर्च की जा रही है। हम वर्ष 2005-06 में कपास पर लगभग 14 करोड़ रुपए खर्च करने जा रहे हैं। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या वस्त्र मंत्रालय से 10 प्रतिशत धन दानी मंत्रालय को दिया गया है या नहीं; और इस राशि से पूर्वोत्तर के कितने राज्यों को लाभ मिला।

[हिन्दी]

श्री शंकर सिंह वाघेला : महोदय, नार्थ-ईस्ट रीजन का कोई स्पेशल प्रपोजल अभी मिनिस्ट्री के पास नहीं आया है। मैं माननीय सदस्य से कहना चाहूंगा कि वहाँ जो भी डिमाण्ड्स हों, आप हमारी मिनिस्ट्री के पास भेज दीजिए। हमारी मिनिस्ट्री नार्थ-ईस्ट रीजन के बारे में बनी हुई है। आपके जो भी प्रपोजल्स हैं, हमें भेजिए, मिनिस्ट्री उन पर विचार करेगी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सं. 684 – श्रीआनंदराव विठोबा अडसूल – उपस्थित नहीं।

श्री सुग्रीव सिंह – उपस्थित नहीं।

मूल्य वर्धित कर

+

***685. श्री इकबाल अहमद सरडगी :**

श्री खारवेल स्वाईं :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य वित्त मंत्रियों की दिनांक 18.6.2004 को हुई बैठक में कितने और किन राज्यों ने मॉडल वैट (मूल्य वर्धित कर) अधिनियम पर अपनी सहमति जताई और उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ये राज्य किसी सामान्य फार्मूले पर सहमत हो गये थे;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या देश भर में इस प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कोई समय सीमा निर्धारित की गयी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) केन्द्र सरकार ने देश भर में वैट के यथाशीघ्र सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये हैं;

(छ) क्या अलग-अलग राज्यों द्वारा वैट का कार्यान्वयन भूतलक्षी प्रभाव से किया जायेगा;

(ज) क्या केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों से वैट को सफल बनाने के लिए इसके अतिरिक्त अन्य सभी मौजूदा करों को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो ऐसे प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(झ) वैट को व्यापारियों और उपभोक्ताओं के लिए लाभकारी बनाने के लिए इसके सफल कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (झ) एक विवरण पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (झ) 20 राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों ने 1 अप्रैल, 2005 से वैट कार्यान्वित कर दिया है। हरियाणा राज्य ने पहले ही दिनांक 1 अप्रैल, 2003 से वैट कार्यान्वित कर दिया है। दो राज्यों–असम और मेघालय ने 01 मई, 2005 से वैट लागू कर दिया है। इस प्रकार, 23 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने वैट कार्यान्वित किया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वैट के कार्यान्वयन की स्थिति दर्शाने वाली सारणी अनुबंध के रूप में संलग्न है।

चूंकि वैट का आशय राज्य बिक्री कर को प्रतिस्थापित करने वाले कर से है, अतः यह राज्य का विषय है। केन्द्र सरकार राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई इस कर सुधार प्रक्रिया में केवल सुसाध्यकर्ता की भूमिका निभा रही है। राज्य स्तरीय वैट के कार्यान्वयन से संबंधित सभी मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए राज्यों के वित्त मंत्रियों की एक अधिकार–प्राप्त समिति गठित की गई थी। अधिकार–प्राप्त समिति ने, जो सभी राज्यों का प्रतिनिधि निकाय है, राज्य स्तर के वैट की संरचना और स्वरूप को अंतिम रूप दे दिया है। संघ सरकार द्वारा पूरे देश में इस प्रणाली को लागू करने के लिए कोई समय–सीमा निर्धारित नहीं की गई है और किसी राज्य ने अभी तक वैट को पूर्ववर्ती प्रभाव से लागू करने की इच्छा व्यक्त नहीं की है।

केन्द्र सरकार को वैट को सफल बनाने के लिए राज्य सरकारों की ओर से वैट के अतिरिक्त सभी मौजूदा करों को समाप्त करने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति के निर्णय के अनुसार यह आशा है कि सामानों की खरीद अथवा बिक्री पर राज्य स्तर के कई करों जैसे राज्य बिक्री कर, कारोबार कर, क्रय कर, अतिरिक्त बिक्री कर, अधिभार, प्रवेश कर (चुंगी के बदले में नहीं) को वैट में समाविष्ट कर लिया जाएगा।

केन्द्र सरकार ने, वैट के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों को आवश्यक वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की है।

अनुबंध

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वैट के कार्यान्वयन की स्थिति

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	स्थिति
1	2	3
1.	हरियाणा	वैट पहले 1 अप्रैल, 2003 को पहले लागू किया गया
2.	आन्ध्र प्रदेश	वैट 1 अप्रैल, 2005 से कार्यान्वित किया गया।
2.	आन्ध्र प्रदेश	वैट
3.	पश्चिम बंगाल	
4.	केरल	
5.	कर्नाटक	
6.	उड़ीसा	
7.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	
8.	त्रिपुरा	
9.	बिहार	
10.	अरूणाचल प्रदेश	
11.	सिक्किम	
12.	पंजाब	
13.	गोवा	
14.	मिजोरम	
15.	नागालैंड	
16.	दादर और नागर हवेली	
17.	दमन और दीव	
18.	जम्मू–कश्मीर	
19.	मणिपुर	
20.	महाराष्ट्र	
21.	हिमाचल प्रदेश	
22.	असम	वैट 1 मई, 2005 से कार्यान्वित किया गया।
23.	मेघालय	
24.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	इन संघ राज्य क्षेत्रों में कोई बिक्री कर/वैट नहीं है।
25.	लक्षद्वीप	

1	2	3
26.	उत्तर प्रदेश	इन 10 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अभी तक वैट कार्यान्वित नहीं किया गया है।
27.	तमिलनाडु	
28.	उत्तरांचल	
29.	राजस्थान	
30.	गुजरात	
31.	मध्य प्रदेश	
32.	छत्तीसगढ़	
33.	झारखंड	
34.	चंडीगढ़	
35.	पांडिचेरी	

श्री इकबाल अहमद सरडगी : महोदय, वक्तव्य में माननीय मंत्री ने उत्तर दिया है कि 23 राज्यों ने वैट लागू कर दिया है। मैं इतना प्रयास करने और राज्य सरकारों को वैट लागू करने के लिए उन्हें राजी करने हेतु केन्द्र की ओर से पूर्ण सहयोग का भरोसा दिलाने के लिए भी वित्त मंत्री को बधाई देता हूँ। मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री ने वैट संबंधी बैठकों में चर्चा के दौरान राज्यों के नया कर ढांचा लागू करने से होने वाले राजस्व घाटे के लिए क्षतिपूर्ति पैकेज देने का भी आश्वासन दिया है। यदि हां, तो राज्यों को पेश किए गए प्रोत्साहन अथवा पैकेज क्या हैं? क्या राज्य, की गई पेशकश, से संतुष्ट थे?

अध्यक्ष महोदय : अन्यथा वे सहमत नहीं होते।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकारिता समिति ने एक क्षतिपूर्ति पैकेज की सिफारिश की थी। मंत्रिमंडल ने उस पैकेज को पूर्णतया स्वीकार कर लिया है। पैकेज के अंतर्गत राज्यों को यदि कोई घाटा होता है तो उन्हें पहले वर्ष अर्थात 2005–06 में 100 प्रतिशत की दर से, दूसरे वर्ष में 75 प्रतिशत और तीसरे वर्ष में 50 प्रतिशत घाटे की क्षतिपूर्ति की जाएगी। अधिकारिता समिति की सिफारिशों के अनुसार पैकेज की स्वीकृति की गई थी।

श्री इकबाल अहमद सरडगी : महोदय, अधिकारिता समिति की अप्रैल, 2005 में दो बार बैठक हुई। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ कि क्या बैठक में भाग लेने वाले सभी राज्य वर्तमान बिक्री कर के स्थान पर विभिन्न उत्पादों पर एक समान लेवी दर लागू करने पर सहमत हो गए थे। यदि हां, तो क्या वे राज्य वैट की दरों की अधिसूचना जारी करेंगे?

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, प्रारम्भ में ही अधिकारिता समिति की बैठकों में सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों द्वारा भाग लिया गया है। जहां कोई वित्त मंत्री किसी कारण से भाग नहीं ले पाता वहां वह दूसरे मंत्री अथवा अपने अधिकारी को प्रतिनियुक्त कर देता था। मैं नहीं कह सकता कि क्या किसी विशेष बैठक में हरेक वित्त मंत्री उपस्थित था – मैं याद्दाश्त से ऐसा नहीं कह सकता क्योंकि मेरे पास कार्यवाही सारांश नहीं है। अभी तक बयासी बैठकें हो चुकी हैं। अधिकार प्राप्त समिति कुछ दरों पर सहमत हुई है। ये दरें प्रत्येक राज्य द्वारा पारित विधेयकों की अनुसूची में शामिल की गई है। ये दरें अधिकार प्राप्त समिति द्वारा पेश किए गए श्वेत पत्र में भी बताई गई हैं। यदि मुझे ध्यान है तो 26 अप्रैल को पिछली बैठक में कुछ दरों में कुछ परिवर्तन किए गए थे। परिवर्तनों पर आम सहमति होने के बाद ही वे परिवर्तन किए गए थे। वह संभव है कि एक या दो राज्यों ने अभी तक परिवर्तित दरों को अधिसूचित न किया हो। परन्तु, चूंकि यह बैठक 26 अप्रैल को ही हुई है और राज्यों को परिवर्तित दरों को अधिसूचित करने के लिए कुछ कदम उठाने पड़ेंगे इसलिए हमें राज्य सरकारों के साथ धैर्य से काम लेना चाहिए और उन्हें इसे लागू करने देना चाहिए। अधिकार प्राप्त समिति स्थिति पर निगरानी रख रही हैं।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार : अध्यक्ष जी, वैट को लेकर तमाम राज्यों के व्यापारियों में बहुत घबराहट है। उन्हें यह महसूस हो रहा है कि हमें अत्यधिक टैक्स देना पड़ेगा। इस बारे में हमारे सामने ताजा उदाहरण राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है। यहां पर करीब 80,000 व्यापारी है। इस कानून के अंतर्गत व्यवस्था है कि बिना पंजीकरण किए हुए हम किसी भी सामान को बिना बिल के नहीं दे सकते, जबकि छोटे–छोटे दुकानदारों के लिए भी एक लाख रुपए पंजीकरण शुल्क रखा है। आपने एंट्री शुल्क लेने की बात कही है। आपने अभी विभिन्न राज्यों का जिक्र किया, उत्तर प्रदेश को ही ले लें। हर जगह का व्यापारी भयभीत है कि उसका व्यापार चौपट हो जाएगा। क्या इसके लिए टैक्स माफ करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है?

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, मुझे पता नहीं कि माननीय सदस्य को कहां से यह सूचना मिली है कि 1 लाख का प्रवेश शुल्क है। इसके विपरित 5 लाख रुपए तक के कारोबार पर

प्रारंभिक छूट है और जिस व्यापारी का कारोबार 5 लाख रुपए तक है उसे वैट का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। 5 लाख रुपए और 50 लाख रुपए के बीच मिश्रित दर होती है। अधिकांश राज्यों में एक प्रतिशत या ऐसी ही मिश्रित दर तय कर दी है। इसलिए, ये आशंकाएं वास्तव में निराधार हैं।

व्यापारियों का एक वर्ग निरंतर विरोध कर रहा है। मैंने उस दिन इस सभा में व्यापारियों के उस वर्ग से अपील की थी कि यह विरोध जारी रखना ठीक नहीं होगा। यदि उनकी कुछ आशंकाएं हैं तो संबंधित राज्य के वित्त मंत्री से मिलने के लिए उनका स्वागत है। अधिकार प्राप्त समिति से मिलने हेतु उनका स्वागत है। अधिकार प्राप्त समिति के सभापति बहुत सारे व्यापारिक संगठनों से मिले हैं। डा. गोर्विंद राव की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति है जो अधिकार प्राप्त समिति की मदद करने और किसी आशंका को समाप्त करने के लिए राज्य सरकारों के साथ बातचीत करने के लिए है। मैं समझता हूं कि उन आशंकाओं पर विराम लगाना चाहिए। हम व्यापारियों के किसी भी वर्ग की आशंकाओं को दूर करने के लिए उनसे मिलने के लिए तैयार है। परन्तु मैं एक बार फिर व्यापारियों के उस वर्ग से अपना विरोध समाप्त करने और वैट को अपनाने की अपील करता हूं। महोदय, 23 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने इसे लागू कर दिया है और यह इस देश में अकेला सबसे बड़ा कर सुधार है। उन्हें वैट को लागू करने में सहयोग करना चाहिए।

श्री आर. प्रभु : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने अभी कहा है कि व्यापारियों में और उपभोक्ताओं में भी बहुत सी निराधार आशंकाएं हैं। मूल्य वर्धित कर मूल रूप से आउटपुट कर और इनपुट कर के बीच का अंतर है। उत्पादन से उपभोक्ता तक किसी वस्तु को ले जाने में वितरक और थोक विक्रेता भी होते हैं। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं। क्या उपभोक्ता, जिसका कोई उत्पाद कर नहीं होता केवल निवेश कर होता है, उसे संयुक्त मूल्य के वास्तविक अर्थ में कर देना पड़ेगा अथवा केवल एक प्वाइंट कर देना पड़ेगा?

श्री पी. चिदम्बरम : जिस तरह वैट कार्य करता है वह उत्पाद शुल्क से भिन्न नहीं है। उत्पाद शुल्क विनिर्माण पर मूल्य वर्धन पर कर है। वैट, जो कि बिक्री कर को प्रतिस्थापित करता है, वितरण श्रृंखला में मूल्य वर्धन पर कर है। मान लीजिए किसी कच्चे माल पर वैट है तो वैट का भुगतान किया जा चुका है। उस कच्चे माल का कलपुर्जे निर्माता द्वारा कलपुर्जों का निर्माण करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो कलपुर्जों पर वैट का भुगतान करना पड़ेगा। परंतु कलपुर्जे पर भुगतान किया जाने वाला वैट कच्चे माल पर भुगतान किए गए वैट को काट कर होगा। इसी प्रकार कलपुर्जे से अंतिम उत्पाद बनेगा और अंतिम उत्पाद पर वैट का भुगतान पूर्व चरणों में किए गए वैट के भुगतान को काट कर किया जाएगा। इसलिए वैट, जिसे विश्व में 130 देशों में स्वीकार किया गया है का एक लाभ है कि यह एक बिना क्रम का कर है। परिभाषा के अनुसार गैर–कास्कोडिंग (बिना क्रम का) कर निश्चय ही एक बेहतर कर है और यह कास्केडिंग कर की तुलना में उपभोक्ता पर कम भार डालता है। बिक्री कर जैसा कि यह आज भी कुछ राज्यों में जारी है यह कास्केडिंग कर होता है।

मध्याह्न 12.00 बजे

कच्चे माल पर बिक्री कर होता है, कलपुर्जों पर बिक्री कर होता है; और तैयार उत्पादों पर बिक्री कर होता है। एक को दूसरे के लिए छोड़ा नहीं जाता है। निश्चय ही अंतिम उपभोक्ता आज बिक्री कर देता है। इसी प्रकार अंतिम उपभोक्ता वैट का भुगतान करेगा सम्पूर्ण मूल्य वर्धन, जो कि श्रृंखलाबद्ध रूप में हुआ है, पर एक ही दर होगी। अतः मेरा मानना है और सभी अर्थशास्त्री मानते हैं कि वैट का भार दीर्घकाल में बिक्री कर के भार से कम होगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

चूक करने वाले शेयर दलाल

***684. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :**
श्री सुग्रीव सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान संबद्ध नियमों/विनियमों के तहत कुछ शेयर दलालों को चूककर्ता घोषित किया है;

(ख) यदि हां, तो स्टॉक एक्सचेंजवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे शेयर–दलालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान कुछ विदेशी–कॉर्पोरेट निकायों को भी काली सूची में दर्ज किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) निवेशकों के हितों की रक्षा को ध्यान में रखते हुए

देश में दलालों तथा विदेशी कारपोरेट निकायों की गतिविधियों को विनियमित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) प्रतिभूति (संविदा) विनियमन अधिनियम, 1956 की धारा 9(2) (ट) के तहत मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों की उप–विधियों में शेयर दलाल द्वारा चूके के परिणामों के लिए व्यवस्था की जाएगी। तदनुसार, समय–समय पर मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज अपनी संबंधित उप–विधियों के अन्तर्गत ऐसे शेयर दलालों को चूककर्ता के रूप में घोषित करते हैं जो अपने दायित्वों का निर्वाह करने में असमर्थ रहते हैं अथवा जो अपने कर्तव्यों के निर्वहन अथवा निष्पादन में अपनी अक्षमता स्वीकार या प्रकट करते हैं।

(ख) उन शेयरों दलालों के ब्यौरे जिन्हें चूककर्ता घोषित किया जा चुका है, और जो बीएसई, एनएसई और कोलकाता स्टॉक एक्सचेंजों से संबंधित है, उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई के ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

(ग) से (ङ) दिनांक 29 नवम्बर, 2001 से विदेशी कंपनी निकायों (ओसीबी) को पोर्टफोलियो निवेश योजना (पीआईएस) के अंतर्गत स्टॉक एजेंसियों में निवेश करने से निषिद्ध किया गया था। 16 सितम्बर, 2003 से ओसीबी को निवेशक इकाई की श्रेणी के रूप में अमान्य कर दिया गया था।

भारतीय रिजर्व बैंक की प्रतिकूल जानकारी में आने वाले ओसीबी के नाम वाली सूची में उन पूर्ववर्ती ओसीबी के नाम शामिल है जिन्होंने अपने पीआईएस–भिन्न लेनदेनों के ब्यौरों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के अनुरोध का उत्तर नहीं दिया था। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऐसे ओसीबी के खातों का कार्य प्रचालन रोक दिया गया है। ज्योंहि इन ओसीबी से अपेक्षित सूचना प्राप्त होती है उनके खातों पर से रोक हटा ली जाती है।

दिनांक 31 दिसम्बर, 2003 की स्थिति के अनुसार ऐसे 382 ओसीबी थे जो भारतीय रिजर्व बैंक की प्रतिकूल जानकारी में आए थे। आज की तारीख में ऐसे ओसीबी की संख्या 343 है।

सेबी (शेयर दलाल और उप–दलाल) विनियम, 1992 के साथ पठित सेबी अधिनियम, 1992 सेबी को स्टॉक दलालों का पंजीकरण करने और उनके कार्यकरण को विनियमित करने के साथ–साथ स्टॉक दलालों का निरीक्षण करने की शक्तियां भी देता है। देश में दलालों के क्रियाकलापों की जांच करने के लिए सेबी द्वारा किए गए विभिन्न उपाय नीचे सूचीबद्ध किए गए हैं:

- सेबी (शेयर दलाल और उप–दलाल) विनियम, 1992 के विनियम 19 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सेबी, सक्रिय स्टॉक एक्सचेंजों और सहायक कंपनियों के शेयर दलालों के औचक और वार्षिक, दोनों प्रकार के निरीक्षण कर रहा है।
- जब और जैसे आवश्यक हो, शेयर दलालों के क्रियाकलापों की जांच भी की जाती है।
- सेबी (शेयर दलाल और उप–दलाल) विनियम, 1992 के विनियम 18क में दलालों द्वारा अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है जो विभिन्न नियमों और विनियमों के अनुपालन का अनुवीक्षण करने और अपने द्वारा प्रेक्षित किसी अनुपालन की स्वतंत्र रूप से सेबी को सूचना देने के लिए उत्तरदायी होगा।
- सेबी ने स्टॉक एक्सचेंजों के लिए यह अधिदेश भी दिया है कि वह प्रत्येक वर्ष कम से कम 20 प्रतिशत सक्रिय स्टॉक दलालों का निरीक्षण करें। निगरानी के दृष्टिकोण से भी एक्सचेंज मार्जिन भुगतान, संकेन्द्रण, पूंजी पर्याप्तता आदि जैसे विभिन्न प्राचलों पर आधारित दलालों की ट्रेडिंग स्थिति का अनुवीक्षण करते हैं।
- स्टॉक दलालों को सख्ती से पूंजी पर्याप्तता, निवल मूल्य और मार्जिनिंग अपेक्षाओं का अनुपालन करना होता है, जो समग्र जोखिम प्रबंधन का आवश्यक हिस्सा है।

विवरण

चूक करने वाले शेयर दलालों के ब्यौरे

क्र. सं.	चूककर्ता का नाम	चूक की घोषणा करने की तिथि	सेबी पंजीकरण सं.	की गई कार्रवाई
1	2	3	4	5
स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई				
1.	पार्थ शेयर एवं स्टॉक ब्रोकर्स प्रा. लि.	19–जुलाई–2002	आईएनबी 010989830	पंजीकरण निरस्त
2.	पोद्दार स्टॉक ब्रोकिंग प्रा. लि.	23–अगस्त–2002	आईएनबी 011145530	पंजीकरण निरस्त

1	2	3	4	5
3.	गांधी एंड शाह कार्पोरेट सर्विसेज	23–अगस्त–2002	आईएनबी 010984737	पंजीकरण निरस्त
4.	ओप्युलेंट ब्रोकिंग प्रो. लि.	12–नवम्बर–2002	आईएनबी 011074433	पंजीकरण निरस्त
5.	ट्रायम्फ सिक्यूरिटीज लि.	12–नवम्बर–2002	आईएनबी 010980530	पंजीकरण निरस्त
6.	कांतिलाल मंगलदास सिक्यूरिटीज प्रा. लि.	08–सितम्बर–2003	आईएनबी 010831534	पंजीकरण निरस्त
7.	टीएच वकील शेयर एंड सिक्यूरिटीज प्रा. लि.	03–मार्च–2003	आईएनबी 011047538	कार्रवाई चूककर्ता की घोषणा की तिथि से 6 माह पूरे होने के पश्चात ही की जानी है।
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज				
1.	ट्रायम्फ इंटरनेशनल फाइनेन्स इंडिया लि.	3–मई–2002	आईएनबी 230634232	पंजीकरण निरस्त
2.	डांगी फाईनेन्शियल एंड मैनेजमैंट कंसलटेंसी प्रा. लि.	24–मार्च–2003	आईएनबी 230777337	पंजीकरण निरस्त
3.	ब्लू ब्लैंड्स स्टॉक्स एंड सिक्युरिटीज लि.	1–नवम्बर–2003	आईएनबी 230638434	पंजीकरण निरस्त
4.	एल्बा कैपिटल मार्केट्स प्रा. लि.	16–दिसम्बर–2004	आईएनबी 230645133	कार्रवाई चूककर्ता की घोषणा की तिथि से 6 माह पूरे होने के पश्चात ही की जानी है।
कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज				
1.	कुंज बिहारी केजरीवाल	09–08–2002	आईएनबी 030034010	पंजीकरण निरस्त
2.	नरसिंह दास ढागा	09–08–2002	आईएनबी 030057712	पंजीकरण निरस्त
3.	अनुराधा मलिक	09–08–2002	आईएनबी 030060817	पंजीकरण निरस्त
4.	वीरेन्द्र सिंह बंगाली	09–08–2002	आईएनबी 030669916	पंजीकरण निरस्त
5.	बीपीएस सिक्युरिटीज	18–05–2002	आईएनबी 030804332	कार्रवाई शुरू की जा रही है।

काम के बदले अनाज कार्यक्रम की समीक्षा

*686. **श्री बी. विनोद कुमार** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "काम के बदले अनाज कार्यक्रम" की व्यापक समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) 31 मार्च, 2005 की स्थितिनुसार इस योजना के अंतर्गत राज्य–वार खाद्यान्न की कुल कितनी मात्रा वितरित की गई;

(घ) यह योजना कितने राज्यों में कार्यान्वित की जा रही है;

(ङ) 31 मार्च, 2005 की स्थितिनुसार इस योजना के अंतर्गत कुल कितनी परिसम्पत्तियों/निर्माणों का सृजन/निर्माण–कार्य किया गया; और

(च) 31 मार्च, 2005 की स्थितिनुसार इस योजना के अंतर्गत कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गई तथा व्यय की गई?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) और (ख) प्रमुख राज्यों में 3 मार्च, 2005 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और फिर 15 मार्च, 2005 को निष्पादन समीक्षा समिति की बैठक में कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई थी, जिसमें

राज्यों से यह कहा गया है कि वे संसाधनों के उपयोग में और अधिक तेजी लाएं और पांच वर्षों की भावी योजना तैयार करने का काम पूरा करें। काम के बदले अनाज के राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनएफएफडब्ल्यूपी) को कार्यान्वित करने के लिए कलक्टरों/जिला पंचायतों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी या राज्य सरकारों द्वारा नामित प्राधिकारियों की क्षेत्रीय कार्यशालाओं की एक श्रृंखला 2 मई, 2005 से शुरू हुई है और यह 16 जून, 2005 तक जारी रहेगी जिसमें सभी एनएफएफडब्ल्यूपी जिलों को शामिल किया जाएगा।

(ग) वर्ष 2004–05 (31 मार्च, 2005 तक) के दौरान राज्य–वार प्राधिकृत, उठाए गए और वितरित किए गए खाद्यान्न की कुल मात्रा संलग्न विवरण में है।

(घ) गोआ को छोड़कर सभी राज्य कार्यक्रम के अंतर्गत कवर किए गए हैं जिससे राज्यों की कुल संख्या 27 बनती है। इन राज्यों में 150 जिलों को कवर किया गया है।

(ङ) राज्यों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 31 मार्च, 2005 तक पूर्ण हो चुके कार्यों की कुल संख्या 12266 है तथा 32194 कार्य प्रगति पर हैं।

(च) वर्ष 2004–05 (31 मार्च, 2005 तक) के दौरान निधियों के राज्य–वार आबंटन, रिलीज और खर्च को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष 2004–05 के दौरान काम के बदले अनाज के राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत निष्पादन

क्र. सं.	राज्य	माह कोड	निर्धारित जिलों की संख्या	निधियां (लाख रु. में) आबंटन	रिलीज	उपयोग	उपयोग का प्रतिशत	खाद्यान्न (मीट्रिक टन में) आबंटन	प्राधिकृत	उठाए गए	उपयोग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश		8	12214.72	12214.72			125413	125413		
2.	अरूणाचल प्रदेश	3	1	190.80	190.80	4.88	2.56	1249	0		
3.	असम		5	16645.79	16645.79			108984	108984		
4.	बिहार	1	15	26411.54	26456.54	1030.89	3.90	271183	272432	954	954
5.	छत्तीसगढ़	3	10	10410.19	10410.19	6393.51	61.42	109045	109045	101203	78503
6.	गुजरात	3	6	3994.69	3994.69	234.51	5.87	41042	41042	19085	74
7.	हरियाणा	3	1	281.85	281.85	0.00		2894	2894	0	0
8.	हिमाचल प्रदेश	3	1	303.91	303.91	200.58	66.00	3121	3121	3121	2060
9.	जम्मू–कश्मीर	3	2	494.26	494.26	145.97	29.53	5074	5074	2987.8	
10.	झारखंड	3	14	22595.70	22595.70	2021.03	8.94	232004	232004		
11.	कर्नाटक	3	3	2925.38	2925.38	176.15	6.02	30038	30038	2951	2951
12.	केरल	3	1	547.14	547.14	125.37	22.91	5618	5618	0	0
13.	मध्य प्रदेश	3	15	15808.32	15808.32	6787.57	42.94	162310	162310	93565	72772
14.	महाराष्ट्र	3	11	15495.26	15495.26	1982.62	12.80	158998	158998	13284	10789
15.	मणिपुर		1	399.22	399.22			2614	2614		
16.	मेघालय	2	1	543.85	543.85	95.23	17.51	3562	3562		
17.	मिजोरम		1	95.52	95.52			626	626		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.	नागालैंड		1	455.72	455.72			2984	2984		
19.	उड़ीसा	3	18	22283.67	22283.67	14640.55	65.70	228863	228863	183704	134522
20.	पंजाब		1	716.32	716.32			7356	7356		
21.	राजस्थान	3	5	3532.69	3532.69	2498.55	70.73	36269	36269	34766	28156
22.	सिक्किम	3	1	315.73	315.73	150.00	47.51	2068	2068		
23.	तमिलनाडु	3	4	4851.58	4851.58	2652.41	54.67	49815	49815	14450	14310
24.	त्रिपुरा	3	1	1543.37	1543.37	644.32	41.75	10105	10105	765	765
25.	उत्तरांचल	3	2	1014.86	1014.86	52.46	5.17	10418	10418	2425	195
26.	उत्तर प्रदेश	3	15	26378.11	26378.11	1982.07	7.51	270779	270779	11738	8612
27.	प. बंगाल	3	6	11449.81	11449.81	1451.64	12.68	117568	117568	32740	10189
	कुल		150	201900.00	201945.00	43270.31	21.43	2000000	2000000	517739	364852

नोट : रिक्त कॉलम संबंधित राज्य द्वारा जानकारी नहीं देने की स्थिति को दर्शाता है।

बॉक्साइट का भंडार

***687. श्री जुएल ओराम :**

श्री गिरिधर गमांग :

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अनुमानतः बॉक्साइट का राज्यवार कितना भंडार है;

(ख) देश में बॉक्साइट संसाधनों के समुचित दोहन के लिए राज्यवार क्या विशिष्ट कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खान मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) 1.4.2000 की स्थिति के अनुसार बॉक्साइट के राज्य–वार कुल भंडार निम्नानुसार हैं:–

बाक्साइट के कुल स्वस्थाने भण्डार

राज्य	भण्डार (मिलियन टन में)
1	2
अखिल भारत	**3075.71**
आंध्र प्रदेश	612.76
बिहार	4.11
छत्तीसगढ़	198.22
गोवा	64.28
गुजरात	185.49
जम्मू और कश्मीर	2.03
झारखंड	117.35
कर्नाटक	45.89
केरल	14.23
मध्य प्रदेश	131.49
महाराष्ट्र	124.78
उड़ीसा	1529.64
राजस्थान	0.53
तमिलनाडु	26.00
उत्तर प्रदेश	18.91

(ख) और (ग) बॉक्साइट सहित सभी खनिज रियायतें राज्य सरकारों द्वारा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 तथा खनिज रियायत नियमावली, 1960 के प्रावधानों के अनुसार प्रदान की जाती हैं। बॉक्साइट के मामले में, राज्य सरकार द्वारा खनिज रियायत प्रदान करने से पहले केन्द्र सरकार का पूर्व–अनुमोदन लिया जाता है। बॉक्साइट समेत गैर–ईंधन और गैर परमाणु खनिज क्षेत्र को सभी राज्यों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सहित निजी निवेश हेतु खोल दिया गया है।

बॉक्साइट सहित अन्य खनिजों के विदोहन में रूचि रखने वाले सम्भावित निवेशक, खनिजों की उपलब्धता और उसके विदोहन की आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर निवेश करते हैं।

वर्ष 2003-04 के दौरान प्रचालनरत खानों की राज्यवार संख्या और उत्पादन का ब्यौरा निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:–

बॉक्साइट खानों की संख्या का ब्यौरा

राज्य का नाम	खानों की संख्या	उत्पादन (टन) 2003-2004
छत्तीसगढ़	08	887359
गोवा	03	70369
गुजरात	92	1864387
झारखण्ड	32	1518096
केरल	03	16070
कर्नाटक	03	29403
मध्य प्रदेश	44	190937
महाराष्ट्र	11	1167720
उड़ीसा	03	4934155
तमिलनाडु	05	278040
कुल	204	10956536

बकाया धनराशि की वसूली

***688. श्रीमती मनोरमा माधवराज** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन बैंक्स एसोशिएसन के सदस्य बैंक बकाया धनराशि के संग्रह तथा प्रतिभूति के पुनः अधिग्रहण (सी डी आर एस कोड) के लिए आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वसूली एजेंट बकाया धनराशि की वसूली के लिए या प्रतिभूति का अधिग्रहण करने हेतु आपत्तिजनक तरीके अपनाते हैं जिससे भारतीय दण्ड संहिता के उपबंधों का उल्लंघन होता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे कितने मामले सरकार के ध्यान में आए; और

(ङ) इन पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) भारतीय बैंक संघ (आईबीए) ने बैंकों द्वारा देयराशियों की वसूली तथा प्रतिभूति के पुनर्धारण के लिए एक आदर्श संहिता अनुमोदित की है। यह आईबीए के सभी सदस्य बैंकों को स्वैच्छिक आधार पर अपनाने के लिए 13 नवम्बर, 2003 को परिचालित की गई थी। आदर्श संहिता की एक प्रति आईबीए की वेबसाइट अर्थात डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.आईबीए.ओआरजी.इन/सरकुलर पर उपलब्ध है।

(ग) से (ङ) जी, हां। सरकार को व्यक्तियों तथा विभिन्न संगठनों से बैंकों के वसूली एजेन्टों द्वारा अपनाई गई संदिग्ध पद्धति के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त होते रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने मई 2003 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को उचित व्यवहार संहिता के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए हैं। जिसमें बैंकों को अपने निदेशक मण्डल के विधिवत् अनुमोदन से दिशानिर्देश तैयार करने की सलाह दी गई है। दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंकों को ऋणों की वसूली के मामले में उधारकर्ताओं को अनावश्यक परेशान अथवा आस्तियों का जबरन कब्जा न करने की सलाह दी गई है। सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक व्यक्तियों/संघों से इन मामलों के संबंध में प्राप्त विशिष्ट शिकायतों को निवारण एवं उचित उपचारात्मक कार्रवाई के लिए संबंधित बैंकों के साथ भी उठाते हैं।

नकली पैन कार्ड

***689. श्री जी. वी. हर्षकुमार** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नकली स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्डों के मामलों में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस मामले में लिप्त पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध की गई/आरम्भ की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या नकली पैन कार्ड रैकेट के प्रसार में आयकर विभाग के अधिकारियों की लापरवाही का कोई मामला ध्यान में आया है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में आयकर विभाग के अधिकारियों के विरूद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/की जानी है; और

(च) भविष्य में ऐसे नकली पैन कार्ड रैकेट पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) जी, नहीं। कुछ निजी व्यक्तियों द्वारा दिल्ली स्थित कृतिपय कर–निर्धारण अधिकारियों का पासवर्ड अनधिकृत रूप से प्राप्त करके आंकड़ों में हेर–फेर करने की एक घटना दिसंबर, 2004 में आयकर विभाग के ध्यान में आयी थी।

(ग) आयकर विभाग द्वारा दायर की गई एक शिकायत के आधार पर, दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने इस मामले की जांच करने के लिए चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है।

(घ) और (ङ) आयकर विभाग का कोई भी अधिकारी इस मामले में संलिप्त नहीं पाया गया है।

(च) विभाग ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:–

I. दो पैन सेवा प्रदायकों अर्थात, यू.टी.आई. इन्वेस्टर्स सर्विसेज लिमिटेड अथवा नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड में से किसी एक को प्रस्तुत किए गए, समर्थनकारी प्रमाण के साथ, एक आवेदनपत्र के माध्यम से ही पैन आंकड़ों के मुख्य क्षेत्रों में परिवर्तन किए जा सकते हैं।

II. अनधिकृत परिवर्तनों को तुरन्त ठीक करने के लिए विभागीय अधिकारियों को अनुदेश दे दिए गए हैं।

जूट संबंधी राष्ट्रीय नीति

***690. श्री अधीर चौधरी :**

श्री चन्द्रभूषण सिंह :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में जूट के संबंध में कोई राष्ट्रीय नीति घोषित की है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) जूट उद्योग की बीमार इकाइयों की राज्य–वार संख्या कितनी है;

(घ) क्या विभिन्न मंत्रालयों के अंतर्गत काम करने वाले जूट से संबंधित संगठनों के विचारों पर ध्यान दिया गया है तथा उन्हें उक्त नई नीति में सम्मिलित किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो जूट श्रमिकों और संगठनों के हितों का कितना संरक्षण किया गया है; और

(च) जूट उत्पादों के विपणन और निर्यात में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने 15 अप्रैल, 2005 को भारत की राष्ट्रीय पटसन नीति 2005 की घोषणा की है। इस नीति का उद्देश्य 15% प्रति वर्ष की सीएजीआर प्राप्त कर पटसन और पटसन उत्पादों के निर्यात की मात्रा बढ़ाना, अच्छी कोटि के पटसन फाइबर और मूल्यवर्द्धित विविधीकृत पटसन उत्पादों का उत्पादन करना, पटसन किसानों को लाभप्रद कीमतें सुनिश्चित करना और प्रति हेक्टेयर उपज में वृद्धि करना है। राष्ट्रीय पटसन नीति का उद्देश्य पटसन किसानों को अच्छी कोटि के पटसन फाईबर का उत्पादन करने के लिए समर्थ बनाना और लाभप्रद कीमतें सुनिश्चित करना भी है। उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विशिष्ट क्षेत्र संबंधी बल निम्नलिखित के लिए दिए गए हैं:–

(i) प्रौद्योगिकी अंतरण और बेहतर कृषि संबंधी परिपाटियों पर बढ़े हुए बल के साथ–साथ पटसन फाइबर की उपज और गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए अनुसंधान व विकास प्रयास बढ़ाना।

(ii) पटसन उद्योग के आधुनिकीकरण की गति बढ़ाना।

(iii) सार्वजनिक क्षेत्र के मौजूदा उपक्रमों का पुनर्गठन करना और उनको पुनरुज्जीवित करना।

(iv) अगले 10 वर्षों में पटसन सामानों के कुल उत्पादन में निर्यात के हिस्से को मौजूदा 18% से बढ़ाकर 35% करने के लिए बाजार सहायता योजना को सुदृढ़ करना।

(v) पटसन क्षेत्र को नई गति देने के लिए मौजूदा सार्वजनिक संस्थानों का पुनर्गठन करने तथा उन्हें सुदृढ़ करने और नई संस्थाओं की स्थापना करने के लिए पटसन विविधीकरण की उच्चतर सीमा प्राप्त करने के वास्ते अनुसंधान व विकास कार्य में प्रयास बढ़ाना।

(v) पटसन प्रौद्योगिकी मिशन को तेजी से लागू करना।

(ग) पटसन उद्योग में बीमार एककों की राज्यवार संख्या नीचे दी गई है :–

पश्चिम बंगाल	29
उड़ीसा	1
त्रिपुरा	1
आंध्र प्रदेश	1
उत्तर प्रदेश	2
बिहार	1

(घ) राष्ट्रीय पटसन नीति के निर्माण में पटसन क्षेत्र के सभी भागीदारों के विचार जानने के लिए, कोलकाता में 19 और 20 नवम्बर, 2004 को एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन में केन्द्र और राज्य सरकारों के तहत पटसन संबंधी संगठनों के प्रतिनिधियों सहित सभी महत्वपूर्ण भागीदारों का प्रतिनिधित्व था। इस सम्मेलन में पटसन उद्योग में मजदूर संघों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया था। राष्ट्रीय पटसन नीति, 2005 तैयार करते समय इस सम्मेलन की सिफारिशों को ध्यान में रखा गया था।

(ङ) अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू बाजारों दोनों में भारत पटसन क्षेत्र के सामने आ रही अपरिहार्य प्रतिस्पर्द्धा बढ़ जाने से भारत सरकार का यह प्रयास होगा कि वह पटसन उद्योग में नियोजित कामगारों और पर्यवेक्षकों तथा प्रबंधकीय स्टाफ के कौशलों का उन्नयन सुकर करे। सरकार मानव संसाधन विकास में लगे संगठनों और संस्थानों के उन कार्यक्रमों का समर्थन करेगी जिनसे उद्योग के व्यावसायिक कार्मिकों की आवश्यकताओं का समाधान होता है। आईजेटी की अग्रणी भूमिका को देखते हुए, इस संस्था को नई तर्ज पर एक स्वायत्त संस्था के रूप में आगे बढ़ाने और प्रगति करने के लिए सहायता दी जाएगी। इसे प्राकृतिक रेशों में शिक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र के रूप में विकसित किया जाएगा।

सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि पटसन मिलों में लगे कामगारों की सांविधिक बकाया राशि का भुगतान समय पर किया जाए। कामगारों की कार्य संबंधी शर्तें और परिलब्धियों में सुधार होना चाहिए ताकि ऐसे कामगारों के जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि हो। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि श्रमिक का कोई शोषण न हो।

(च) राष्ट्रीय पटसन नीति 2005 में यह घोषित किया गया है कि विपणन के संबंध में, उपभोक्ता जागरुकता बढ़ाने के लिए उपयुक्त बाजार संवर्द्धन कार्यक्रम अपनाने और पर्यावरणीय समूहों के साथ निकट से कार्य कर पटसन के पर्यावरण संबंधी लाभों को उजागर करने पर बल दिया जाएगा। इस नीति में पटसन एवं पटसन उत्पादों के निर्यात में लगभग 1000 करोड़ रु. के वर्तमान स्तर से 2010 तक लगभग 5000 करोड़ रु. तक वृद्धि करने के उद्देश्य की परिकल्पना है। उपर्युक्त लक्ष्य प्राप्त करने के लिए इस नीति में निम्नलिखित उपाय प्रस्तावित किए गए हैं:–

(1) नीतिगत उपाय तैयार करने ओर विशिष्ट कार्ययोजनाओं का सुझाव देने के लिए एक बहु विषयक संस्थागत तंत्र की स्थापना।

(2) डब्ल्यू टी ओ मानदंडों के अनुरुप पटसन और पटसन उत्पादों के लिए "ब्रांड इक्विटी निधि" का निर्माण।

(3) पटसन और पटसन उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संवर्द्धनात्मक प्रयासों को प्रभावी रूप से सुकर बनाने के लिए राष्ट्रीय पटसन बोर्ड में निर्यात संवर्द्धन परिषद को शामिल करना।

किसान क्रेडिट कार्ड

*691. **श्री किसनभाई वी. पटेल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसी कोई शिकायतें मिली हैं कि विभिन्न बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब किसानों को क्रेडिट कार्ड्स देने से बच रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरतमंद किसानों को शीघ्रतापूर्वक किसान क्रेडिट कार्ड्स जारी किए जाएं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग) फरवरी 2005 तक देश में 4.84 करोड़ से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड जारी कर दिए जाने से, इस योजना ने संतोषजनक प्रगति की है। जब कभी भी अलग–अलग बैंक शाखाओं द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड न जारी किए जाने के संबंध में शिकायतें प्राप्त होती हैं, तब उन्हें निवारण हेतु संबंधित बैंकों को भेज दिया जाता है। बैंकों को किसान क्रेडिड कार्डों के कवरेज में और सुधार करने के लिए अन्य बातों के साथ–साथ, निम्नलिखित उपाय करने का परामर्श दिया गया है:–

(i) किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रचार के उपाय करना;

(ii) नए किसानों और किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत शामिल न किए गए विद्यमान किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की परिधि में लाना;

(iii) अपनी शाखाओं को उपयुक्त मार्गनिर्देश जारी करना, ताकि फसल ऋण किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ही दिए जाएं;

(iv) जानबूझकर चूक करने वाले चूककर्ताओं को प्रेरित करने के उद्देश्य से समयबद्ध कार्यक्रम शुरू करना,

ताकि वे योजना का लाभ उठाने में सक्षम हो सकें;

(v) कृषि और इससे संबंधित क्रियाकलापों के लिए सावधि ऋणों तथा उपभोग ऋण के उचित घटक को संशोधित किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अनुसार शामिल करना आदि;

(vi) राष्ट्रीय अनुप्रयोग आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीएईआर) द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड के संबंध में अपनी रिपोर्ट में दिए गए सुझावों को कार्यान्वित करना।

विश्व बैंक की रिपोर्ट

692. श्रीमती निवेदिता माने :

श्री कीर्ति वर्धन सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने वर्ष 2005 में आर्थिक विकास दर में गिरावट आने का अनुमान लगाया है जैसाकि 13 अप्रैल, 2005 के "बिजनेस स्टैण्डर्ड" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) विश्व बैंक की "ग्लोबल डेवलपमेंट फाइनांस, 2005" नामक रिपोर्ट में वैश्विक विकास में मंदी का पूर्वानुमान लगाया गया है कि विकास दर (कैलण्डर) वर्ष 2004 के 3.8% से घटकर 2005 में 3.1% रह जाएगी। इसी अवधि के दौरान दक्षिण एशियाई विकास दर भी 6% से कम होकर 6.2% रह जाने का पूर्वानुमान लगाया गया है।

(ख) भारत के संदर्भ में वास्तविक सकल घरेलू उत्पादन वृद्धि दर के संबंध में विभिन्न संगठनों द्वारा लगाए गए पूर्वानुमान नीचे दर्शाए गए हैं:–

संगठन	समग्र वास्तविक सकल घरलू उत्पाद वृद्धि (प्रतिशत)
सीएसओ अग्रिम अनुमान	2004–05 के लिए 6.9
आईएमएफ (कैलण्डर वर्ष के लिए)	2004 के लिए 7.3
	2005 के लिए 6.7 (विश्व आर्थिक दृष्टिकोण, अप्रैल, 2005)
एडीबी	2004–05 के लिए 6.5
	2005–06 के लिए 6.9
भारतीय रिजर्व बैंक	2005–06 के लिए लगभग 7.0
योजना आयोग	8 (दसवीं योजना अवधि 2002–07 का अनुमान)

उपर्युक्त पूर्वानुमानों के अनुसार, विशेष रूप से भारत में आर्थिक विकास के सुदृढ़ बने रहने की संभावना है।

(ग) वर्ष 2005–2006 के केन्द्रीय बजट में सरकारी निवेश को बढ़ाए जाने पर ज़ोर देने, कृषि का विविधीकरण करने, अवसंरचना के विकास के लिए सरकारी–निजी भागीदारी को संवर्धित करने, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को उदार बनाने और एक सक्षम नीतिगत वातावरण के माध्यम से उद्योग और सेवा क्षेत्र में विकास को सुसाध्य बनाने जैसे अनेक उपक्रमों की व्यवस्था की गयी है। इन उपायों से भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास पर अनुकूल प्रभाव पड़ने की आशा है।

वस्त्र क्षेत्र को बढ़ावा

***693. श्री ई. पोन्नुस्वामी** : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वस्त्र क्षेत्र में भारत का हिस्सा कुल वैश्विक व्यापार का केवल 3 से 5 प्रतिशत है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना करने और तकनीकी वस्त्र सहित वस्त्र क्षेत्र में रोजगार के अवसर तलाशने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) डब्ल्यू टी ओ के नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 2003 के दौरान विश्व वस्त्र एवं क्लोदिंग में भारत का प्रतिशत हिस्सा क्रमशः 4.8% एवं 3.5% था।

(ख) अमरीका, यूरोपीय संघ और कनाडा का वस्त्र क्षेत्र में विश्व व्यापार का बड़ा हिस्सा है और इन देशों द्वारा पूर्व की बहु–फाइबर व्यवस्था के तहत 31 दिसम्बर, 2004 तक लगाए गए कोटा प्रतिबन्धों के कारण इन बाजारों में भारत की निर्यात वृद्धि रुकी हुई थी। इसके अतिरिक्त आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकीय उन्नयन पर विशेषकर बुनाई एवं प्रसंस्करण क्षेत्र में, निवेश की कमी हमारी कमजोरियों के क्षेत्र हैं जिनसे हमारे वस्त्र निर्यात में वृद्धि अवरूद्ध होती रही है।

(ग) 1 जनवरी, 2005 से कोटा व्यवस्था पूर्ण रुप से समाप्त होने से भारत के वस्त्र उद्योग के लिए बेहतर निर्यात अवसर प्राप्त हुए हैं। इस उद्योग की उभरती हुई वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए अपनी दक्षता और उत्पादकता में सुधार लाना होगा।

सरकार वैश्विक बाजार में इस उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और तकनीकी वस्त्रों सहित वस्त्रों का निर्यात बढ़ाने के लिए इस उद्योग के वास्ते एक सक्षम वातावरण प्रदान करने के लिए सतत रूप से उपाय कर रही है। किए गए कुछ महत्वपूर्ण उपाय निम्नलिखित है:–

1. इस क्षेत्र के आधुनिकीकरण तथा उन्नयन को सुगम बनाने के लिए दिनांक 1.4.1999 से प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) लागू कर दी गयी है। गैर–वूवन/तकनीकी वस्त्रों के लिए मशीनों और उपस्करों को टीयूएफएस के अंतर्गत शामिल किया गया है।

2. कपास की उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सरकार ने कपास प्रौद्योगिकी मिशन (टी एम सी) शुरू किया है। इस मिशन में 4 लघु मिशन है। जिनका कार्यान्वयन कृषि मंत्रालय और वस्त्र मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। इस मिशन का एक महत्वपूर्ण घटक मौजूदा जिनिंग एवं प्रेसिंग सुविधाओं का उन्नयन/आधुनिकीकरण कर कपास प्रसंस्करण सुविधाएं स्थापित करना तथा मौजूदा बाजार यार्डों का सुधार करना/नए बाजार यार्डों की स्थापना करना है।

3. सरकार ने विकास संभावित केन्द्रों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अपैरल विनिर्माण एककों की स्थापना पर बल देने और निर्यात को गति देने के लिए "अपैरल पार्क निर्यात योजना" नामक एक केन्द्रीय रूप से प्रयोजित योजना शुरू की गई है।

4. प्रमुख वस्त्र केन्द्रों में आधारभूत सुविधाओं को उन्नत बनाने के लिए वस्त्र आधारभूत विकास केन्द्र योजना (टीसीआईडीएस) शुरू की गई है।

5. वित्तीय शुल्क ढांचा सामान्यतः देश के भीतर विकास एवं अधिकतम मूल्य संवर्धन की स्थिति प्राप्त करने के लिए युक्तिसंगत बना दिया गया है। मानवनिर्मित फिलामेंट यार्न तथा मानवनिर्मित स्टेपल फाइबर पर अनिवार्य उत्पाद शुल्क को छोड़कर समग्र मूल्य वर्धन श्रृंखला को उत्पाद शुल्क की छूट का विकल्प दिया गया है।

6. निवेश प्रोत्साहित करने के लिए तथा वैश्विक बाजार में हमारे वस्त्र उत्पादों को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए विनिर्दिष्ट वस्त्र एवं परिधान संबंधी मशीनी की मदों के आयात पर सीमाशुल्क की रिआयती दर की अनुमति दी गई है। तकनीकी वस्त्रों के लिए 28 मशीनों पर 5% के रिआयती सीमा शुल्क की अनुमति दी गई है। वित्तीय नीति संबंधी उपायों के माध्यम से मशीनों की लागत भी कम कर दी गई है।

7. परिधान निर्यातकों को, पिछले वर्ष के दौरान उनके वास्तविक निर्यात निष्पादन के 3% तक ट्रिमिंग तथा अलंकरण मदों की 21 मदों के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी गई है।

8. राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) की सात शाखाएं और अपैरल प्रशिक्षण एवं डिजायन केन्द्र (एटीडीसी) डिजायन, व्यापार और विपणन के क्षेत्र में वस्त्र उद्योग, विशेषकर अपैरल की कुशल कारीगरों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न पाठयक्रम एवं कार्यक्रम चला रहे हैं।

9. पारि–परीक्षण प्रयोगशालाओं के माध्यम से सुविधाएं तैयार की गई हैं ताकि निर्यातक आयातक देशों की आवश्यकताओं के अनुरूप परिधानों/वस्त्रों का पूर्व–परीक्षण करवा सकें।

10. सरकार ने सिले सिलाए परिधानों, हौजरी और निटवियर को लघु उद्योग क्षेत्र से अनारक्षित कर दिया है।

कपास क्षेत्र का संकट

694. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूखा, कृषि लागत में वृद्धि और घटती राजसहायता के संचयी प्रभाव के कारण भारतीय कपास क्षेत्र भारी संकट में है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का इस संकट को दूर करने के लिए तत्काल कोई कदम उठाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) कपास वर्ष 2002–03 से 2004–05 के दौरान कपास की घरेलू उत्पादन और खपत (नीचे दी गई) को देखते हुए सरकार यह नहीं मानती है कि भारतीय कपास क्षेत्र भारी आपदा में है।

(लाख गांठ में प्रत्येक गांठ 170 कि.ग्रा.)

	2002–03	2003–04	2004–05 (अनुमानित)
कपास का उत्पादन	136.00	177.00	232.00
कपास की खपत	168.83	173.96	198.00

स्त्रोत : कपास सलाहकार बोर्ड।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

उच्च विद्युत लागत

***695. श्री जी. करुणाकर रेड्डी** : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में विद्युत उत्पादन में इस्तेमाल किए जाने वाले ईंधन की किस्म का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक किस्म का ईंधन इस्तेमाल किए जाने के परिणामस्वरूप देश की विभिन्न परियाजनाओं में वर्ष 2004–05 के दौरान विद्युत उत्पादन की अनुमानित औसत लागत कितनी है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने देश में विद्युत उत्पादन लागत में कमी लाने की संभावनाओं का पता लगाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) और (ख) कोयला, लिग्नाइट, प्राकृतिक गैस, तरलीकृत प्राकृतिक गैस एवं तरल ईंधन (लो सल्फर हैवी स्टॉक/हॉट हैवी स्टौक, नाप्था/लाइट डीजल ऑयल/हाई स्पीड डीजल आदि) विभिन्न प्रकार के ईंधन हैं जिनका प्रयोग देश में विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। विद्युत उत्पादन की लागत पूंजीगत लागत, प्रयुक्त प्रौद्योगिकी, ईंधन, संयंत्र का आकार, स्थान आदि के अनुसार विभिन्न स्टेशनों में अलग–अलग होती है। केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) केन्द्रीय विद्युत उत्पादन केन्द्रों का टैरिफ निर्धारित करते हैं। सीईआरसी और नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन (एनटीपीसी) से प्राप्त सूचना के अनुसार नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन (नीपको) तथा नैवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन (एनएलसी) के संबंध में 2004–05 के लिए विभिन्न प्रकार के ईंधनों के लिए विद्युत यूटिलिटियों हेतु ऊर्जा लागत/टैरिफ विवरण–I के रूप में दिए गए हैं तथा 2003–04 के लिए एनटीपीसी विद्युत केन्द्रों के संबंध में उक्त विवरण–II के रूप में संलग्न हैं। 2004–05 के लिए एनटीपीसी द्वारा विभिन्न यूटिलिटियों को आपूर्ति की गई ऊर्जा की लागत का लेखा–परीक्षण किया जाना शेष है।

(ग) और (घ) देश में विद्युत उत्पादन की लागत कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:–

(i) विद्युत अधिनियम, 2003 विद्युत क्षेत्र के त्वरित एवं अधिक कुशल विकास के लिए एक समर्थकारी ढांचा प्रदान करता है। यह विद्युत उत्पादन के लिए एक प्रतिस्पर्धी संरचना प्रस्तुत करता है जिससे लागत में कमी आएगी।

(ii) मेगा विद्युत संयंत्रों की स्थापना के लिए सीमा–शुल्कों में छूट।

(iii) 12 विद्युत परियोजनाओं के संबंध में विद्युत उत्पादन के लिए प्रयुक्त नाप्था पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/काउन्टर वेलिंग शुल्क में छूट। विद्युत उत्पादन के

लिए प्रयुक्त लो सल्फर हैवी स्टॉक तथा अन्य विनिर्दिष्ट तरल ईंधनों पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/सीवीडी में छूट।

(iv) कोयले पर सीमा–शुल्क में 5% छूट।

(v) पुराने एवं अकुशल जेनरेटिंग यूनिटों के नवीकरण, आधुनिकीकरण एवं जीवन विस्तार के लिए पावर फाइनैंस कारपोरशन द्वारा ब्याजगत सब्सिडी प्रदान करना।

(vi) समय एवं लागत आधिक्य को रोकने/कम करने के लिए परियोजनाओं को समय पर पूरा करना।

विवरण-I

क्र.सं.	स्टेशन का नाम	कुल टैरिफ पैसे प्रति कि.वा. घ.
	गैस आधारित स्टेशन	
	नॉर्थ-ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि. (नीपको)	
1.	नीपको असम जीपीएस	222
2.	नीपको अगरतला जीपीएस	178
	लिग्नाइट आधारित स्टेशन	
	नवेली लिग्नाइट कारपोरेशन (एनएलसी)	
1.	(एनएलसी) थर्मल पावर स्टेशन–I*	182
2.	(एनएलसी) थर्मल पावर स्टेशन–II चरण–1	122
3.	(एनएलसी) थर्मल पावर स्टेशन–II चरण–2	176
4.	(एनएलसी) थर्मल पावर स्टेशन–I विस्तार	236

* ऊर्जा प्रभार समेत सिंगल पार्ट टैरिफ

विवरण-II

2003–04 के दौरान रा.वि.बो. की तुलना में एनटीपीसी की स्टेशनवार ऊर्जा लागत

स्टेशन का नाम	रा.वि.बो. की तुलना में ऊर्जा लागत (रुपये प्रति कि. वा. घं)
1	2
कोयला	
सिंगरौली	0.98
रिहंद	1.24
एनसीटीपीपी दादरी	2.13
ऊंचाहार	1.71
टांडा	1.99
कोरबा	0.76
विंध्याचल	1.19
रामागुंडम	1.20
सिम्हाद्री	1.40
फरक्का	1.63
कहलगांव	1.79
तालचेर (कनिहा)	1.17
तालचेर टीपीएस	1.06
गैस	
अंता	1.72
औरेया	1.95
दादरी गैस	2.15
कवास	3.38
गांधार	2.61
फरीदाबाद	1.78
नाफ्था	
कायमकुलम	3.64
एनटीपीसी औसत	**1.47**

[हिन्दी]

राष्ट्रीय आपदा राहत कोष

***696. श्री हंसराज जी. अहीर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा इस वर्ष सृजित "राष्ट्रीय आपदा राहत कोष" में कितनी धनराशि जमा की गयी है;

(ख) हाल में आयी सुनामी लहरों के शिकार व्यक्तियों को इस कोष से कितनी सहायता दी गयी है;

(ग) क्या अकाल, सूखा और बाढ़ से पीड़ित लोगों को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से सहायता दिए जाने का कोई प्रावधान है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अकाल पीड़ितों विशेषकर महाराष्ट्र के अकाल पीड़ितों को इस कोष से सहायता देने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो अकाल, सूखा और बाढ़ से पीड़ित लोगों को इस कोष से सहायता दिए जाने संबंधी प्रावधान पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ङ) राष्ट्रीय आपदा राहत कोष नाम से कोई भी निधि मौजूद नहीं है और न ही भारत सरकार द्वारा ऐसे किसी कोष के सृजन का प्रस्ताव है। तथापि, बारहवें वित्त आयोग (टी.एफ.सी.) ने मौजूदा राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (एन.सी.सी.एफ.) तथा राज्य आपदा राहत कोष हेतु केन्द्रीय अनुदानों को जारी रखने की सिफारिश की है। भारत सरकार ने बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं। वर्ष 2005–06 में एन.सी.सी.एफ को 1500 करोड़ रुपए अंतरित किए जाने का बजट प्रावधान किया गया है।

वर्ष 2004–05 के दौरान भारत सरकार ने तमिलनाडु के सुनामी प्रभावित क्षेत्रों के लिए एन.सी.सी.एफ. से तत्काल राहत, मछुआरों को सब्सिडी तथा संचार–संपर्कों की पुनर्स्थापना के लिए 1068.22 करोड़ रुपए तथा केरल और आंध्र प्रदेश के लिए क्रमशः 142.02 करोड़ रुपए तथा 47.19 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता अनुमोदित की है। तमिलनाडु, केरल तथा आंध्र प्रदेश के लिए क्रमशः 54,000 मी. टन 20,000 मी. टन तथा 10,000 मी. टन चावल की अतिरिक्त सहायता भी अनुमोदित की गई है।

सूखा/अकाल तथा बाढ़ एन.सी.सी.एफ. से सहायता पाने के हकदार हैं।

महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए भारत सरकार ने आपदा राहत कोष में से बकाया राशि के समायोजन की शर्त पर मानदण्डों के अनुसार एन.सी.सी.एफ. में से हाल ही में 174.66 करोड़ रुपए की सहायता का अनुमोदन किया है।

[अनुवाद]

गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों की गणना

*697. **श्री भर्तृहरि महताब :**

श्री जी. एम. सिद्दीश्वर :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों की पहचान करने हेतु निर्धारित किए गए मानदण्ड अपने प्रयोजन को पूरा कर रहे हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय एजेन्सियों और राज्य एजेन्सियों द्वारा मुहैय्या कराये गए आंकड़ों में अंतर है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) से (घ) योजना आयोग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, वह गरीबों के निर्धारण के लिए मानदण्ड निर्धारित नहीं करता है। तथापि, गरीबों के अनुपात एवं संख्या के अनुमान संबंधी विशेषज्ञ समूह (लकड़ावाला समिति) की सिफारिशों के आधार पर, यह राज्य–विशिष्ट मूल्य सूचकांकों और अंतर–राज्य मूल्य अंतरों का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रस्तरीय गरीबी रेखा से प्राप्त राज्य–विशिष्ट गरीबी रेखाओं का आकलन करता है। विभिन्न राज्यों के अभ्यावेदनों पर सावधानीपूर्वक विचार–विमर्श करने के बाद, योजना आयोग ने विशेषज्ञ समूह की कार्यपद्धति को जारी रखने का निर्णय लिया है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को बी पी एल जनगणना कराने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले उन परिवारों का पता लगाया जा सके, जिन्हें मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत सहायता प्रदान की जा सकती है। बी पी एल जनगणना 1992 और 1997 की कार्यपद्धति क्रमशः आय और व्यय दृष्टिकोण पर आधारित थी। तथापि, बी पी एल जनगणना 2002 के लिए, इस प्रयोजनार्थ बनाए गए विशेषज्ञ समूह की सिफारिशों के आधार पर 13 सामाजिक–आर्थिक संकेतकों पर आधारित एक अंक आधारित कार्यपद्धति अपनाई गई है। इन 13 सामाजिक – आर्थिक मापदण्डों में भूमिजोत, आश्रय, वस्त्र, खाद्य सुरक्षा, स्वच्छता, उपभोक्ता वस्तुएं, शिक्षा, जीविकोपार्जन के साधन और ऋणग्रस्तता शामिल हैं। इस वर्तमान कार्यपद्धति से, जिसे विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और इस क्षेत्र के प्रमुख विशेषज्ञों के साथ अनेक बार की गई चर्चाओं के बाद तैयार किया गया था, सभी ग्रामीण बसावटों को गरीबी के क्रम में व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी।

हालांकि योजना आयोग द्वारा प्रयुक्त कार्यपद्धति गरीबों की संख्या और अनुपात का आकलन करने के लिए है, बी पी एल जनगणना राज्य सरकारों द्वारा कराई जाती है जिसमें मंत्रालय सहायता प्रदान करता है ताकि इस मंत्रालय की योजनाओं के अंतर्गत संभावित लाभार्थियों का निर्धारण करने में उनकी मदद की जा सके। प्रत्यक्ष रूप से, नमूना पद्धति और जनगणना पद्धति की वजह से संख्याओं के इन दो सेटों में अंतर होगा। बी पी एल जनगणना, 2002 के लिए जारी किए गए दिशानिर्देशों में, राज्यों को क्षेत्रीय और स्थानीय विविधताओं को ध्यान में रखते हुए संभावित लाभार्थियों के निर्धारण में पर्याप्त छूट दी गई है।

बकाया आयकर

***698. श्री निखिल कुमार :**

श्री श्रीचन्द कृपलानी

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 31 मार्च, 2005 की स्थितिनुसार राष्ट्रीयकृत/निजी बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों पर आयकर की कितनी धनराशि बकाया थी;

(ख) बकाया धनराशि के बहुत अधिक बढ़ जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा आयकर की बकाया धनराशि की वसूली के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) एक करोड़ रु. और इससे अधिक की बकाया मांग के उपलब्ध अद्यतन डोजियर्स के अनुसार, दिनांक 31.12.2004 की स्थिति के अनुसार 263 राष्ट्रीयकृत बैंकों, निजी बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं और निजी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के विरुद्ध कुल 6381 करोड़ रु. की राशि लम्बित है।

(ख) बकाया राशि के इकट्ठे होने के अनेक कारण हैं जैसे विभिन्न अपीलीय प्राधिकरणों के समक्ष मांग का विवादास्पद होना, कर निर्धारिती के पास परिसम्पत्तियों का न होना, कर निर्धारिती कंपनी का परिसमापन में होना, मांग पर रोक लगा दिया जाना इत्यादि।

(ग) बकाया मांग की वसूली एक सतत प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न सांविधिक प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। किसी बकाया को वसूल करने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्रवाई प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगी।

क्रेडिट कार्ड

***699. श्री किन्जरपु येरननायडु :**

श्री ए. वी. बेल्लारमिन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों और बहुराष्ट्रीय बैंकों द्वारा जारी किए जा रहे क्रेडिट कार्डों हेतु विनियामक तंत्र के संबंध में एक कार्य-समूह की नियुक्ति की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कार्य-समूह ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो कार्य-समूह द्वारा कौन-कौन सी मुख्य सिफारिशें की गई हैं;

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा क्रेडिट कार्डों के विनियमन हेतु और क्रेडिट कार्ड के उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) जी, हां। अक्तूबर 2004 में वर्ष 2004-05 के लिए वार्षिक नीति विवरण की मध्यावधि पुनरीक्षा की घोषणा के अनुसरण में प्लास्टिक कार्डों के विनियामक एवं ग्राहक संरक्षण पहलुओं की जांच करने और सुरक्षित एवं ग्राहक अनुकूल तरीके से कार्ड का प्रयोग करने के लिए उपायों का सुझाव देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक में एक कार्य दल बनाया गया था।

(ग) और (घ) जी, हां। कार्य दल ने विनियामक उपायों का सुझाव दिया है, जिनको सुरक्षित एवं कुशल तरीके से क्रेडिट कार्डों की प्रोत्साहन वृद्धि के लिए और साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया जाना आवश्यक था कि कार्ड जारी करने वाले बैंक के नियम, विनियम, मानक एवं प्रथाएं सर्वोत्तम ग्राहक प्रथाओं के अनुरूप हों। कार्य दल की मुख्य सिफारिशों में पारदर्शिता एवं प्रकटीकरण, ग्राहक अधिकारों की सुरक्षा, सूचना गोपनीय रखने का अधिकार, टेलीमार्केटिंग, अयाचित कार्डों के मुद्दे और कार्डधारक की मृत्यु होने के मामले में कार्ड की बकाया राशि के लिए बीमा कवर शामिल है।

(ङ) भारतीय रिजर्व बैंक सिफारिशों की जांच कर रहा है और उसके तुरन्त बाद अनुवर्ती कार्रवाई करेगा।

(च) भारतीय रिजर्व बैंक ने क्रेडिट कार्ड संबंधी ग्राहकों की

शिकायतों से संबंधित मुद्दों को क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले बैंकों के साथ उठाया है। संगठनों/अलग-अलग व्यक्तियों से प्राप्त हो रही बड़ी संख्या में शिकायतों से उत्पन्न चिन्ताओं के संदर्भ में बैंकों के क्रेडिट कार्ड परिचालनों से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए 24 दिसम्बर, 2004 को कार्ड जारी करने वाले प्रमुख बैंकों और भारतीय बैंक संघ की एक बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुपालनार्थ भारतीय बैंक संघ ने उपर्युक्त मुद्दों की जांच करने और कार्ड जारी करने वालों के लिए उचित व्यवहार संहिता और सीधे विक्रय करने वाले एजेंटों के लिए आदर्श आचार संहिता विकसित करने हेतु एक कार्य दल बनाया। इस दल ने क्रेडिट कार्ड परिचालनों के लिए उचित कार्य संहिता और सीधे विक्रय करने वाले एजेंटों के लिए आदर्श आचार संहिता को अंतिम रूप दे दिया है। सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक अलग-अलग व्यक्तियों/संघों से क्रेडिट कार्ड से संबंधित विशिष्ट शिकायतों को समाधान एवं उपयुक्त उपचारात्मक कार्रवाई हेतु संबंधित बैंकों को भेजते हैं।

ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम

*700. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा देश में ऊर्जा की बचत से क्या लाभ प्राप्त किए गए हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक राज्य को सरकार द्वारा दिए गए प्रोत्साहनों को ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या हाल ही में इस कार्यक्रम में कोई परिवर्तन/संशोधन किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) और (ख) माननीय प्रधानमंत्री ने ऊर्जा संरक्षण के लाभों के बारे में जागरुकता सर्जित करने के लिए दिनांक 14 दिसंबर, 2004 को "ऊर्जा संरक्षण संबंधी राष्ट्रीय अभियान-2005" प्रारम्भ किया है।

राष्ट्रीय अभियान ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में ऐच्छिक कार्य प्रोत्साहित किये जाने पर निर्भर करता। अभियान का लक्ष्य घरेलू, वाणिज्यिक, कृषि, औद्योगिक और शैक्षिक क्षेत्रों में ऊर्जा के संरक्षण हेतु उपाय और प्रयास करना है। जागरुकता सर्जन के प्रभाव की मात्रा शीघ्र नहीं मापी जा सकती। पूरे देश में व्याप्त 44 औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान ऊर्जा संरक्षण संबंधी राष्ट्रीय अभियान में भाग ले रहे हैं। अभियान प्रारम्भ होने की प्रथम तिमाही (जनवरी-मार्च, 2005) में निम्नलिखित उपलब्धियाँ हासिल की गई हैं-

(1) कार्यशालाओं/सेमिनारों और कार्यक्रमों में भाग लेने के जरिए 1390 ऊर्जा व्यवसायियों की ऊर्जा संरक्षण संबंधी क्षमता वृद्धि प्राप्त की गई है।

(2) ऊर्जा संरक्षण कार्यों एवं पद्धतियों की लगभग 2700 छात्रों को जानकारी हुई है।

(3) 40 औद्योगिक यूनिटों और होटलों ने अपनी ऊर्जा नीतियाँ घोषित कर दी हैं जिनमें उन्होंने ऊर्जा संरक्षण के प्रति ठोस प्रबंधन वचनबद्धता प्रदर्शित की गई है।

(4) भागीदार उद्योगों और अन्य संस्थानों द्वारा ऊर्जा संरक्षण के संबंध में 35 सेमिनार, कार्यशालाएं और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

(ग) वर्तमान अभियान के तहत किसी भी राज्य को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया गया है।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय अभियान गतिशील है और इस प्रकार नए क्रियाकलापों को सतत रूप से इसमें सम्मिलित किया जाता है। जनवरी-मार्च, 2005 की अवधि हेतु नियोजित 86 क्रियाकलापों में से 9 क्रियाकलापों में छोटे-छोटे संशोधन किए गए थे और उद्यमों एवं अन्य संस्थानों से उत्साहवर्द्धक प्रतिक्रिया प्राप्त होने के कारण 29 नए अतिरिक्त क्रियाकलाप इसमें सम्मिलित किये गए थे।

[हिन्दी]

दक्षिण भारत में पावर ग्रिड

7156. **श्री महबूब जाहेदी** : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिणी क्षेत्र में पावरग्रिड को घटकों के आधार को मापकर चार भागों में बांट दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार दक्षिणी ग्रिड की तर्ज पर पूर्वी ग्रिड को विभाजित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) और (ख) पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (पीजीसीआईएल) ने सूचित किया है कि उबड़-खाबड़ भूभाग, पारेषण प्रणाली का आकार और सब स्टेशनों की संख्या समेत भौगोलिक विस्तार जैसे पैरामीटरों के मद्देनजर दक्षिणी क्षेत्र को वर्ष 2001 में दो भागों में बांटा गया था। दक्षिणी क्षेत्र-I में आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के हिस्से शामिल हैं। दक्षिणी क्षेत्र-II में तमिलनाडु, केरल, पांडिचेरी और कर्नाटक के हिस्से शामिल हैं। दक्षिणी क्षेत्र-I का मुख्यालय सिकंदराबाद में है तथा दक्षिणी क्षेत्र-II का मुख्यालय बंगलौर में है।

(ग) और (घ) ऊपर उल्लिखित पैरामीटर के मद्देनजर पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. ने सूचित किया है कि इस समय पूर्वी क्षेत्र को दो भागों में बांटने की कोई योजना नहीं है।

[अनुवाद]

मूगा रेशम

7157. श्री मनी कुमार सुब्बा : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंस्टीटयूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी इन साइंस एंड टैक्नोलॉजी ने असम के मूगा रेशम कीटपालन के घर के भीतर पालन के लिए एक प्रभावी कम लागत वाली तकनीक का विकास किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या घर के भीतर मूगा रेशम कीटपालन की इस नयी प्रणाली में पारंपरिक घर के बाहर पालन की तुलना में मूगा उत्पादन को दोगुना करने की क्षमता है;

(ग) क्या घर के भीतर मूगा रेशम कीटपालन की इस नयी प्रणाली के विकास और संवर्द्धन के लिए कोई परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त परियोजना के लिए कितने केन्द्रीय अनुदान की मांग की गयी है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार इंस्टीटयूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी इन साइंस एंड टैक्नोलॉजी ने असम के मूगा रेशम के घर के भीतर कीटपालन के लिए प्रभावी कम लागत वाली तकनीक का विकास नहीं किया है। तथापि, असम में स्थित केन्द्रीय रेशम बोर्ड के अनुसंधान संस्थानों में मूगा कीटों के लिए घर के भीतर पालन की प्रौद्योगिकी विकसित करने के प्रयास किए हैं। आज की तारीख तक विकसित की गई इन प्रौद्योगिकियों में से कोई भी लागत प्रभावी नहीं थी जो घर से बाहर पालन की तुलना में 20 प्रतिशत से कम उपज दे।

(ग) और (घ) केन्द्रीय रेशम बोर्ड को घर के भीतर पालन की नई पद्धति के विकास और संवर्धन के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

वर्ष 1984 के दंगा पीड़ितों को दिए गए ऋण पर ब्याज में राहत

7158. श्री कैलाश मेघवाल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1984 के दंगा पीड़ितों को वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए गए ऋण पर ब्याज राहत की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस राहत के लिए क्या मानदण्ड अपनाया गया है;

(ग) ब्याज की अदायगी के कितने मामले अब भी लंबित हैं; और

(घ) इनके लंबित होने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) भारत सरकार ने केन्द्रीय ब्याज सब्सिडी योजना (सीआईएसएस) 1990 तैयार की थी और 1984 के दंगा प्रभावितों को राहत प्रदान करने के लिए वर्ष 1993 में इससे संशोधन किया गया था। दंगा पीड़ितों के लिए पुनर्वास उपायों के एक भाग के रूप में सरकार ने सीआईएसएस के अंतर्गत बैंक ऋणों पर ब्याज में कमी करके 6 प्रतिशत करके राहत प्रदान करने का निर्णय लिया था। दंगा प्रभावित उधारकर्ताओं को अतिरिक्त राहत देने के लिए पात्र ऋणों पर ब्याज को कर करके 1 प्रतिशत (साधारण) करके वर्ष 1993 में इस योजना को संशोधित किया गया था। दिनांक 14.8.1995 के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के परिणामस्वरूप उपर्युक्त योजनाओं में वित्तीय संस्थानों को भी शामिल कर लिया गया था। इसके अतिरिक्त, सरकार ने दिनांक 29.11.1997 को निम्नलिखित आशोधनों के साथ बकाया ब्याज के साथ-साथ 1 नवम्बर, 1984 या उसके पश्चात मूलधन के रूप में दिए गए 50,000 रुपए तक के और उसके सहित पात्र ऋणों को बट्टे खाते डालकर राहत प्रदान करने की योजना को आशोधित किया:-

* बैंकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा 30.6.1996 तक बट्टे खाते डाले जाने वाले भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी मार्गनिर्देशों के अनुसार ऐसे ऋणों पर लागू ब्याज दर/दरों पर प्रभारित बकाया ब्याज सहित पात्र ऋणों की प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा की जाएगी।

* दिनांक 30.6.1996 के बाद प्रभारित/नामे डाले गए बकाया ब्याज, अन्य व्यय आदि को भी बट्टे खाते डाला जाएगा लेकिन इसकी प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा नहीं की जाएगी।

* दिनांक 30.6.1996 को या उससे पहले से बंद पड़े खाते इस योजना के अंतर्गत राहत के पात्र नहीं होंगे।

* उधारकर्ता तभी पात्र होंगे जब एक से अधिक बैंकों/वित्तीय संस्थानों उसी उधारकर्ता द्वारा लिया गया कुल ऋण 50,000 रुपए या उससे कम हो।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि एक मामले, जहां पंजाब नैशनल बैंक को भुगतान किया जाना है, में भुगतान अभी किया जाना है क्योंकि दावे की यथार्थता अभी साबित की जानी है।

[अनुवाद]

एन.टी.पी.सी. द्वारा एकत्र की गयी धनराशि

7159. श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे : क्या **विद्युत** मंत्री 6.7.2004 के अतारांकित प्रश्न संख्या 290 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा आरंभिक सार्वजनिक पेशकश के माध्यम से बाजार से कुल कितनी राशि एकत्र की गई; और

(ख) संचित धनराशि किस प्रकार राज्य विद्युत बोर्डों को उनके घाटे न्यूनतम करने में मदद करती है?

विद्युत मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) और (ख) नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एनटीपीसी) ने भारत सरकार द्वारा बिक्री प्रस्ताव समेत प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश के जरिए बाजार से 5368 करोड़ रुपये जुटाए हैं। इस धनराशि में से 2684 करोड़ रुपये सरकार को भेजे गए हैं और एनटीपीसी ने विशेषतः छह अभिज्ञात परियोजनाओं यथा रिहंद-II (2x500 मेगावाट), विंध्याचल-III (2x500 मेगावाट), कहलगांव-II (3x500 मेगावाट), सीपत-I (3x660 मेगावाट), सीपत-II (2x500 मेगावाट) और फिरोजगांधी ऊंचाहार-III (1x210 मेगावाट) के वित्तपोषण हेतु 2684 करोड़ रुपये की धनराशि अपने पास रखी है।

एनटीपीसी का मुख्य उद्देश्य देश में विद्युत की मांग को दक्षतापूर्ण तरीके से पूरा करने हेतु उत्पादन क्षमता में अभिवृद्धि करना है। एनटीपीसी द्वारा राज्य विद्युत बोर्डों को बेची गई विद्युत की 1.49 रुपये प्रति यूनिट की वर्तमान औसत टैरिफ देश में सबसे कम है।

[हिन्दी]

पुलों का निर्माण

7160. श्री गणेश सिंह : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश के ऐसे कई गांवों की जानकारी है जो नदियों/उपनदियों पर पुलों के न होने के कारण आज भी एक-दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं;

(ख) क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि देश के अधिकांश राज्यों ने ऐसी नदियों पर पुलों के निर्माण की मंजूरी के लिए विशेष प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं;

(ग) क्या सरकार ऐसे प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें कितना समय लगने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) से (घ) जी हां। राज्य सरकारों ने जिला ग्रामीण सड़क योजनाएं बनाने तथा संपर्क रहित पात्र बसावटों तक प्रस्तावित सड़कों सहित सड़कों का कोर नेटवर्क तैयार करने के लिए सर्वेक्षण कराए हैं। ऐसे कोर नेटवर्क के मानचित्रों में नदियां तथा बड़ी उपनदियां शामिल हैं। पीएमजीएसवाई के अंतर्गत संपर्करहित बसावटों को बारहमासी सड़क संपर्क उपलब्ध कराया जाना है तथा जहां संपर्क उपलब्ध कराने के लिए ऐसे कार्य आवश्यक होते हैं वहां इस योजना के अंतर्गत सी. डी. कार्यों तथा छोटे पुलों के निर्माण के लिए तदनुसार वित्त-पोषण किया जाता है। तथापि, चूंकि ग्रामीण सड़कें राज्य का विषय है तथा पीएमजीएसवाई एक विशिष्ट केन्द्रीय कार्यक्रम है, इसलिए पीएमजीएसवाई में पृथक नदियों पर पुलों के निर्माण का प्रावधान नहीं है।

[अनुवाद]

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त संस्थानों से सहायता

7161. श्री रमेन बर्मन :

श्री जोवाकिम बखला :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय वित्त संस्थाएं विभिन्न राज्यों विशेषकर पश्चिम बंगाल और दिल्ली में परियोजनाओं हेतु बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष उक्त संस्थाओं द्वारा इन परियोजनाओं के लिए कितना ऋण प्रदान किया गया है और इनमें से सरकार ने कितनी धनराशि का उपयोग किया; और

(घ) शेष ऋण राशि का उपयोग न करने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (ग) इस समय पश्चिम बंगाल और दिल्ली में अवसंरचना क्षेत्र से संबंधित विश्व बैंक और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों की सहायता से कोई परियोजना नहीं चलाई जा रही है। राज्य क्षेत्र में विश्व बैंक और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से सहायता–प्राप्त परियोजनाएं दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(घ) विश्व बैंक/एशियाई विकास बैंक से सहायता–प्राप्त परियोजनाओं की कार्यान्वयन अवधि 4–5 वर्ष होती है और किसी भी परियोजना के लिए इस सहायता का उपयोग कार्यान्वयन अवधि के दौरान किया जाता है। परिणामस्वरूप किसी भी समय–विशेष पर ऐसी अप्रयुक्त राशि अवश्य शेष रहती है जो मिल रही सहायता को प्रतिबिम्बित करती है और जिसे परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान प्रयोग में लाया जाता है।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान विश्व बैंक और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तपोषित की जा रही राज्य क्षेत्र की परियोजनाओं की सूची

(मिलियन अमरीकी डालर)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	दाता	भागीदारी राज्य	अनुमोदन/करार की तारीख	राशि	31.3.2005 तक किया गया संवितरण
1	2	3	4	5	6	7
वर्ष 2002-03						
1.	केरल राज्य परिवहन परियोजना	आईबीआरडी	केरल	6.5.02	255.00	72.484
2.	मिजोरम राज्य सड़क परियोजना	आईडीए	मिजोरम	6.5.02	60.00	24.034
3.	मुम्बई शहरी परिवहन परियोजना	आईबीआरडी/ आईडीए	महाराष्ट्र	5.08.02	542.00	93.538
4.	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परियोजना	आईबीआरडी	उत्तर प्रदेश	19.02.03	488.00	69.783
5.	मध्य प्रदेश सड़क क्षेत्र विकास कार्यक्रम	एडीबी	मध्य प्रदेश	5.12.2002	30.00	18.000
6.	मध्य प्रदेश सड़क क्षेत्र विकास परियोजना	एडीबी	मध्य प्रदेश	5.12.2002	150.00	2.20

1	2	3	4	5	6	7
वर्ष 2003-04						
7.	तमिलनाडु सड़क क्षेत्र परियोजना	आईबीआरडी	तमिलनाडु	28.08.03	348.00	27.598
8.	असम विद्युत क्षेत्र विकास कार्यक्रम	एडीबी	असम	10.12.2003	150.00	90.00
9.	असम विद्युत क्षेत्र विकास परियोजना	एडीबी	असम	10.12.2003	100.00	0.00
10.	शहरी जलापूर्ति एवं पर्यावरण सुधार परियोजना*	एडीबी	मध्य प्रदेश	12.12.2003	200.00	0.00
11.	छत्तीसगढ़ राज्य सड़क विकास परियोजना	एडीबी	छत्तीसगढ़	15.12.2003	180.00	0.00
वर्ष 2004-05						
12.	कर्नाटक शहरी जल क्षेत्र सुधार परियोजना*	आईबीआरडी	कर्नाटक	18.2.2005	39.50	0.00
13.	जम्मू और कश्मीर में अवसंरचना सुधार हेतु बहु क्षेत्रीय परियोजना*	एडीबी	जम्मू और कश्मीर	21.12.2004	250.00	0.00

* अभी प्रभावी घोषित की जानी है।
आईबीआरडी–अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक
आईडीए–अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ
एडीबी–एशियाई विकास बैंक

[अनुवाद]

निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष (आई. ई. पी. एफ.) के पास उपलब्ध धनराशि

7162.-श्री -सुरेश बाघमारे : क्या **कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2004–05 के लिए निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष के पास कितनी धनराशि उपलब्ध है;

(ख) क्या इस धनराशि का पूरा–पूरा उपयोग किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस धनराशि में से इनवेस्टर एसोसिएशन को कुल कितनी धनराशि उपलब्ध करायी गयी; और

(ङ) सरकार को आई.ई.पी.एफ. के आरंभ होने के बाद से अदावाकृत लाभांश, ब्याज आदि के कारण कितनी धनराशि प्राप्त हुई है?

कंपनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता) : (क) वर्ष 2004–05 के लिए बजट–व्यवस्था से निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष (आई ई पी एफ) को 3 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध हुई थी।

(ख) और (ग) जी, नहीं। धनराशि का पूरा–पूरा उपयोग नहीं किया जा सका।

(घ) विभिन्न इनवेस्टर एसोसिएशनों को 66,63,680/– रुपये की धनराशि उपलब्ध करायी गयी थी।

(ङ) इसके आरंभ होने के बाद से 28.02.2005 तक 357,88,56,331.80/– रुपये की धनराशि निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष में जमा करायी जा चुकी है।

[हिन्दी]

पेयजल योजना

7163. श्री गिरिधारी यादव : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेयजल योजना के अंतर्गत बिहार में कार्य आरंभ किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान उक्त योजना के अन्तर्गत बिहार के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गयी और गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष इस राज्य द्वारा इसमें से कितनी धनराशि का उपयोग किया गया और कितनी धनराशि वापस भेजी गयी?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र) : (क) जी हां।

(ख) पेयजल राज्यों का विषय है। केन्द्र सरकार त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए आर डब्ल्यू एस पी) नामक केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करके ग्रामीण बसावटों में पेयजल सुविधाएं मुहैया कराने के राज्यों के प्रयासों में मदद करती है। ए आर डब्ल्यू एस पी के अंतर्गत प्रदान की गई निधियों से राज्य सरकारों को ग्रामीण जल आपूर्ति परियोजनाओं की योजना बनाने, उन्हें मंजूरी देने और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए अधिकार सम्पन्न बनाया जाता है। किए गए कार्यों के ब्यौरे केन्द्र स्तर पर नही रखे जाते हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान ए आर डब्ल्यू एस पी (सामान्य) के अन्तर्गत बिहार सरकार को रिलीज की गई राशि और खर्च न की गई शेष राशि निम्नानुसार है:–

(लाख रु. में)

वर्ष	रिलीज की गई राशि	खर्च न की गई राशि
2002–03	3703.00	831.5986
2003–04	3159.50	1562.68576
2004–05	7400.03	4574.296

यदि वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की खर्च न की गई शेष राशि उस वर्ष के आबंटन के 15 प्रतिशत से अधिक होती है तो उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को रिलीज की जाने वाली ए आर डब्ल्यू एस पी निधियों की दूसरी किस्त में से इस अधिक राशि की कटौती कर दी जाती है।

उपर्युक्त के अलावा, ए आर डब्ल्यू एस पी के अन्य घटकों के अंतर्गत विशेष प्रयोजनों के लिए भी निधियां रिलीज की गई थीं, जो कि निम्नलिखित हैं:–

* वर्ष 2003–04 में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के अंतर्गत 3299 विद्यालयों के कवरेज के लिए 445.37 लाख रुपये।
* वर्ष 2004–05 में आपदा राहत के लिए 1541.00 लाख रुपये।
* वर्ष 2004–05 में पटना, वैशाली, पूर्वी चंपारण, भागलपुर और सिवान जिलों में स्वजलधारा के अंतर्गत 413 ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाएं शुरू करने के लिए 725.84 लाख रुपये।

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) के अन्तर्गत दिशा-निर्देशों में संशोधन

7164. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना" के अंतर्गत कार्य संबंधी नियमों में किसी प्रकार के परिवर्तन किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो कार्य–निष्पादन के समय आने वाली समस्याओं से निपटने के लिए नियमों में किये गये परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) और (ख) प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना का कार्यान्वयन समय–समय पर जारी किए गए कार्यक्रम के दिशा–निर्देशों द्वारा संचालित किया जाता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) के संबंध में विभिन्न अवसरों पर जारी किए गए स्पष्टीकरणों को समेकित किया है और दिनांक 1.11.2004 को समेकित दिशा–निर्देश जारी किए हैं। नए समेकित दिशा–निर्देशों में समावेशित किए गए मुख्य परिवर्तन विवरण में संलग्न हैं।

विवरण

पी.एम.जी.एस.वाई के दिशा–निर्देशों में परिवर्तन

1. **जुड़े हुए थ्रू रूटों को शामिल करना**

उन जिलों में जहां नए सड़क संपर्क कार्यों को शुरू किया जाना अपेक्षित है, सामान्यतः कोई उन्नयन कार्य नहीं किया जाएगा। यदि किसी राज्य में मौजूदा ग्रामीण थ्रू रूट खराब अवस्था में है और नई सड़क बाजार को अपेक्षित बारहमासी सड़क संपर्क

मुहैया नहीं कराती है तो ऐसी स्थिति में उस राज्य को अपवाद में रखा जाता है। ऐसे मामलों मे, अब नए संपर्क मार्गों से जुड़े ग्रामीण थ्रू रूटों के उन्नयन/नवीकरण/रखरखाव की अनुमति दी जाती है बशर्ते इसका पेवमेंट कंडीशन इंडेक्स (पी.सी.आई.) 3 से कम हो (अर्थात् सड़क खराब स्थिति में है) और सड़क 6 वर्ष से अधिक पुरानी है।

2. पी.सी.आई. आधारित प्राथमिकता के आधार पर उन्नयन प्रस्ताव

किसी जिले में सभी पात्र बसावटों को सड़कों से जोड़े जाने के बाद ही उन्नयन कार्य शुरू किया जाना होता है। उन जिलों के मामलों में, जहां किसी नए सड़क संपर्क की जरूरत नहीं है, कोर नेटवर्क के ग्रामीण थ्रू रूटों के मूलभूत पी.सी.आई. के आधार पर एक व्यापक उन्नयन प्राथमिकता सूची तैयार की जाएगी जो निम्नानुसार होगी: –

(i) प्राथमिकता–I में वैसे थ्रू रूट्स होंगे जिनका निर्माण डब्ल्यू. बी. एम. सड़कों के रूप में किया जाता है। वैसे मामलों में, उन्नयन कार्य में मौजूदा सड़कों को ज्यामिति के अनुरूप अच्छी अवस्था में बदलना, आवश्यक आर पार निकासी कार्य और सड़क चिन्ह कार्य तथा डिजाइन आवश्यकता के अनुसार उचित भू–पटल और सतह तैयार करना शामिल होगा।

(ii) प्राथमिकता–II में अन्य शुष्क मौसमी थ्रू रूट्स या रोड़ी वाले थ्रू रूट्स या संपर्क विहीन या आर आर निकासी अभाव वाले थ्रू रूट्स हैं। ऐसे किसी मामले में, उन्नयन कार्य में सड़क को उपयुक्त ज्यामिति और सभी आवश्यक प्रावधानों के साथ एक बारहमासी सड़क में रूपांतरित करना शामिल होगा।

(iii) प्राथमिकता–III में ऐसे अन्य थ्रू रूट्स होंगे, जिनकी डिजाइन अवधि समाप्त होने वाली है, जिनका पी.सी.आई. 2 या इससे कम है, अर्थात् "खराब" या "अत्यंत खराब" है। ऐसे मामलों में, उन्नयन कार्य में जहां आवश्यक हो, अनुमानित आवागमन की आवश्यकताओं के अनुरूप चौड़ाई, समतलीकरण आदि के साथ डिजाइन में सुधार करना शामिल होगा।

(iv) इस समय पक्की सतह वाली बारहमासी सड़कों जिनका पी.सी.आई. 2 से अधिक है और पक्की सतह वाली बारहमासी सड़कें जो 10 वर्ष से कम पुरानी हैं (यद्यपि पी.सी.आई. 2 से कम है) में उन्नयन कार्य शुरू नहीं किया जाएगा।

3. कार्यों के निष्पादन की समयावधि :

प्रत्येक सड़क कार्य के लिए 9 कार्य माह परंतु प्रत्येक पैकेज के लिए 12 माह का समय दिया गया है।

4. पहाड़ी राज्यों के लिए विशेष प्रावधान :

पहाड़ी राज्य दो चरणों में नए सड़क संपर्क कार्य शुरू कर सकते हैं। पहले चरण में छंटाई, आर–पार निकासी कार्य और ढलान स्थिरीकरण का कार्य किया जाएगा। वर्षा के दो मौसम बीत जाने के बाद सतह बिछाने और समतल करने का शेष कार्य किया जाएगा। 5 वर्ष के इस अनुरक्षण करार का अनुपालन 2 वर्ष की अंतस्थः अवधि में विभाग द्वारा किए जा रहे अनुरक्षण के दूसरे चरण के बाद शुरू होगा। दोनों चरणों के लिए 9 माह की अवधि अलग से उपलब्ध होगी।

5. राज्य ग्रामीण सड़क विकास एजेंसियों (एस.आर.आर.डी.ए.) का वित्तपोषण :

एस.आर.आर.डी.ए. "कार्यक्रम निधि", "प्रशासनिक निधि" और "अनुरक्षण निधि" के लिए तीन अलग–अलग खाते रखेगी। पी.आई.यू. और एस.आर.आर.डी.ए. में प्रशासनिक एवं गुणवत्ता नियंत्रण खर्चों को पूरा करने के लिए, खर्च का वहन पी.एम.जी.एस.वाई. से किया जाएगा जो निम्नानुसार है:

मद	रिलीज की गई निधियों का प्रतिशत
पी.आई.यू. के लिए प्रशासनिक खर्च	1.00%
पी.आई.यू. के लिए यात्रा खर्च	0.50%
प्रशासनिक और यात्रा खर्च (एसआरआरडीए)	0.25% (अधिकतम 25 लाख रु.)
स्वतंत्र गुणवत्ता निगरानी (दूसरा स्तर)	0.50%

6. गुणवत्ता नियंत्रण :

यद्यपि गुणवत्ता नियंत्रण पुस्तिका में विशेष रूप से उल्लेख है कि ठेकेदार क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं को जारी रखेंगे (जिनका निरीक्षण गुणवत्ता निगरानी के प्रथम स्तर के रूप में पी.आई.यू. द्वारा किया जाएगा), किंतु वास्तव में अनेक राज्यों में इसका संचालन नहीं हो रहा है क्योंकि ऐसे राज्यों में राज्य गुणवत्ता समन्वयक के अंतर्गत स्वतंत्र गुणवत्ता निगरानी का दूसरा स्तर कार्य नहीं कर रहा है। द्वितीय स्तर की अनुपस्थिति में, राष्ट्रीय गुणवत्ता निगरानीकर्त्ता के तृतीय स्तर पर काम और खर्च का (अधिक यात्रा खर्च की वजह से) अधिक बोझ पड़ रहा है। द्वितीय स्तर को संचालित करने की दृष्टि से एस.आर.आर.डी.ए. को प्रोत्साहित करने के लिए प्रस्तावों के स्वीकृत मूल्य का 0.5% एस.आर.आर.डी.ए. को अतिरिक्त रूप से रिलीज किया जाएगा ताकि द्वितीय स्तर के गुणवत्ता नियंत्रण को

वित्तपोषित किया जा सके। ठेकेदार को तब तक भुगतान नहीं किया जाएगा जब तक कि वह राज्य स्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला स्थापित नहीं कर लेता, अपेक्षित संख्या में इंजीनियरों को नियुक्त नहीं कर लेता और कार्य का एक कार्यक्रम तैयार नहीं कर लेता।

7. किस्तों की रिलीज संबंधी प्रक्रिया :

पहली किस्त स्वीकृत मूल्य का 50% या वार्षिक आबंटन, इनमें से जो भी कम हो, के हिसाब से रिलीज की जाएगी। दूसरी किस्त सौंपे गए कार्यों में से शेष बचे कार्यों के हिसाब से होगी बशर्ते खातों और लेखा परीक्षा–संबंधी शर्तों को पूरा किया गया हो और खर्च की वास्तविक प्रगति (निधियों का 60%) तथा कार्यों के समापन (विगत वर्षों के 80 से 100%) को दर्शाया गया हो।

8. पंचायत संस्थाओं के साथ परामर्श :

पी.एम.जी.एस.वाई. प्रक्रिया के हिस्से के रूप में, पी.आई.यू. को अब एक अनौपचारिक "ट्रांसेक्ट वाक" आयोजित करने की जरूरत होती है। डी.पी.आर. तैयार करते समय इसे ए.ई./जे.ई. द्वारा शुरू किया जाएगा। पंचायत प्रधान, स्थानीय पटवारी इसमें हिस्सा लेंगे। वन विभाग के कर्मचारी भी इसमें शामिल होंगे।

9. अनुरक्षण :

चूंकि ग्रामीण थ्रू रूटों/मुख्य ग्रामीण संपर्क मार्गों में अपेक्षाकृत अधिक आवागमन होता है और उन्हें अच्छी अवस्था में बनाए रखना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। थ्रू रूट्स (चाहे पी.एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत इनका उन्नयन किया गया हो या किसी पी.एम.जी.एस.वाई. संपर्क मार्ग से जुड़े थ्रू रूट के रूप में अनुरक्षण करार के अधीन हो) निर्माण पश्चात् 5 वर्षीय अनुरक्षण अवधि की समाप्ति के बाद जोनल अनुरक्षण करार के अंतर्गत रखे जाएंगे जिसमें नवीकरण सहित 5 वर्ष का अनुरक्षण करार शामिल होगा। राज्य सरकार आवश्यक बजट प्रावधान करेगी और एस.आर.आर.डी.ए. के विवेकाधिकार पर जोनल अनुरक्षण करार को पूरा करने के लिए अनुरक्षण खाते से निधियां रखेगी।

[अनुवाद]

विदेशी बैंक

7165. श्री किशन सिंह सांगवान : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि भारत में कार्यरत विदेशी बैंक अपनी वास्तविक आय प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं और इस प्रकार भारी मात्रा में कर अपवंचन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने कौन–कौन से ऐसे बैंकों की पहचान की है; और

(ग) ऐसे बैंकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ग) भारत में विदेशी बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के विनियमन एवं पर्यवेक्षण और साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लाइसेंस देते समय रखी गई शर्तों के अध्ययधीन परिचालन कर रहे हैं। विदेशी बैंकों के कार्यनिष्पादन की भारतीय रिजर्व बैंक वार्षिक वित्तीय निरीक्षण के जरिए निरन्तर पुनरीक्षा करता है। वे आय एवं लाभ सहित अपने परिचालन के विभिन्न पहलुओं के संबंध में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के लिए भारतीय रिजर्व बैंकों द्वारा जारी सभी मार्गनिर्देशों के भी अध्ययधीन है। भारतीय रिजर्व बैंक विचलन के सभी मामले सुधारात्मक कार्रवाई हेतु, यदि कोई हो, संबंधित बैंकों के साथ उठाता है।

[हिन्दी]

भूमि संसाधन विकास संस्थान

7166. श्री हरिभाऊ राठौड :

श्री राजनरायन बुधौलिया :

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भूमि संसाधन विकास योजना आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लक्ष्य क्या हैं; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान इस योजना के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र) : (क) से (ग) सरकार ने भूमि संसाधन विकास योजना के नाम से कोई योजना आरंभ नहीं की है। ग्रामीण विकास मंत्रालय में भूमि संसाधन विभाग तीन क्षेत्र विकास कार्यक्रमों, नामतः सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी), मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) तथा समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) को कार्यान्वित करता है। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) को उन क्षेत्रों, जो सूखे की गंभीर स्थितियों में लगातार प्रभावित हो रहे हैं, की विशेष समस्याओं को हल करने के लिए वर्ष 1973–74 में शुरू किया गया था। मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) को देश के गर्म तथा शीत मरूभूमि क्षेत्रों में वर्ष 1977–78 में शुरू किया गया था। समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) को बंजरभूमि को विकसित करने के लिए वर्ष 1989–90 में शुरू किया गया था। ये तीनों कार्यक्रम वर्ष 1995–96 से वाटरशेड विकास संबंधी

समान मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार कार्यान्वित किए जा रहे हैं। चल रही इन योजनाओं के लिए चालू वर्ष के दौरान स्वीकृत की गई राशि निम्नानुसार है:

सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) : 353.00 करोड़ रुपये

मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) : 268.00 करोड़ रुपये

समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) : 485.00 करोड़ रुपये

एक्सपो गोल्ड कार्ड

7167. श्री राजनरायन बुधौलिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ बैंक निर्यात व्यवस्था से जुड़े अपने ग्राहकों को एक्सपो गोल्ड कार्ड की सुविधा को पेश कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) एक्सपो गोल्ड कार्ड की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (ग) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ चुने हुए बैंकों और निर्यातकों से परामर्श करके 18 मई, 2004 को एक गोल्ड कार्ड योजना की घोषणा की। ये गोल्ड कार्ड सर्वोत्तम शर्तों पर निर्यात ऋण की आसान उपलब्धता के लिए अच्छे कार्यनिष्पादन रिकार्ड वाले छोटे और मझौले निर्यातकों सहित ऋण की पात्रता वाले निर्यातकों को बैंकों द्वारा जारी किए जाते हैं। इस योजना का ब्यौरा भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट अर्थात डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.आर.बी.आई.ओआरजी.इन/अधिसूचना पर उपलब्ध है। 25 अप्रैल, 2005 तक निम्नलिखित 10 बैंकों ने गोल्ड कार्ड जारी किए हैं:–

क्र.सं.	बैंक का नाम	जारी कार्डों की संख्या
1	2	3
1.	भारतीय स्टेट बैंक	1004
2.	बैंक आफ इंडिया	667
3.	पंजाब नैशनल बैंक	396
4.	केनरा बैंक	390
5.	बैंक आफ बड़ौदा	187
6.	इंडियन ओवरसीज बैंक	112
7.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	79
8.	सिंडिकेट बैंक	65
9.	विजया बैंक	25
10.	आईसीआईसीआई बैंक लि.	19

[अनुवाद]

सहकारी बैंकों का विलय

7168. श्री बसुदेव आचार्य : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पूर्व में गठित विभिन्न समितियों ने सहकारी बैंकों के पुनर्गठन की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) जी, हां। "सहकारी ऋण प्रणाली की कार्यपद्धति का अध्ययन करने तथा इसे मजबूती प्रदान करने के लिए उपाय सुझाने हेतु कार्यबल (कपूर समिति–1999)", "सहकारी ऋण ढांचे की पुनरूज्जीवन सहायता संबंधी संयुक्त समिति (विखे पाटील समिति–2001)" तथा "सहकारी ऋण संस्थाओं के पुनरूज्जीवन संबंधी कार्यबल (प्रो. ए. वैद्यनाथन समिति–अगस्त 2004)" मुख्य समितियां हैं।

विभिन्न समितियों द्वारा की गई सिफारिशों का सार निम्नांकित है:–

(i) प्रशासन एवं वित्तीय मामलों में राज्य सरकार के हस्तक्षेप की समाप्ति;

(ii) जमाराशि सहित वित्तीय सेवाओं के सभी उपभोक्ताओं को पूर्ण मतदान अधिकार दिए जाने को सुनिश्चित करना;

(iii) समानान्तर अधिनियमों (राज्यों में लागू) के तहत पंजीकृत सहकारी समितियों को सहकारी समिति

अधिनियम के तहत पंजीकृत सहकारी समितियों का सदस्य बनने तथा तदनुसार ही सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत सहकारी समितियों को समानान्तर अधिनियमों के तहत सहकारी समितियों का सदस्य बनने की अनुमति प्रदान करना;

(iv) बोर्ड अधिक्रमण करने के लिए राज्य सरकारों की शक्तियों को सीमित करना;

(v) विवेकपूर्ण वित्तीय विनियमों के संबंध में सहकारी बैंकों को वाणिज्य बैंकों के समान बनाना;

(vi) सहकारी बैंकों के लिए पूंजी पर्याप्तता मानदण्डों का निर्धारण करना; तथा

(vii) सहकारी बैंकों के अलावा किसी भी सहकारी समिति को अपने सदस्यों के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति से सार्वजनिक जमाराशि स्वीकार करने से रोकना।

(ग) विभिन्न समितियों की सिफारिशों को बैंककारी विनियमन (संशोधन) एवं प्रकीर्ण उपबंध विधेयक, 2003 में उपयुक्त रुप से शामिल कर लिया गया। इस विधेयक को लोक सभा में पेश किया गया था किन्तु 13वीं लोक सभा के भंग होने के कारण यह व्यपगत हो गया। सरकार ने प्रो. ए. वैद्यनाथन की अध्यक्षता वाले कार्यबल की रिपोर्ट को राज्य सरकार के परामर्श से लागू करने के लिए सिद्धान्त रुप में स्वीकार कर लिया है।

उत्तरांचल को अनुदान

7169. श्री राजेन्द्र कुमार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अंतर्गत उत्तरांचल को 90 प्रतिशत अनुदान देती है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष राज्यों को दिए गए अनुदानों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अन्तर्गत अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में उत्तरांचल को 90 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया था। पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में राज्यों को जारी किए गए अनुदानों के ब्यौरे विवरण में संलग्न हैं।

विवरण

उत्तरांचल को अनुदान

(रुपये करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य	2002-03	2003-04	2004-05
1.	आंध्र प्रदेश	578.50	1,288.41	523.89
2.	अरूणाचल प्रदेश	1.99	4.21	8.05
3.	असम	46.20	421.42	264.16
4.	बिहार	0.19	-	-
5.	छत्तीसगढ़	3.38	1.42	2.67
6.	गोवा	-	-	-
7.	गुजरात	305.06	465.73	273.37
8.	हरियाणा	50.42	12.26	43.78
9.	हिमाचल प्रदेश	30.59	19.64	34.43
10.	झारखंड	-	0.32	0.31
11.	जम्मू-कश्मीर	34.05	27.32	25.74
12.	कर्नाटक	147.45	230.99	281.36
13.	केरल	219.03	48.78	220.02
14.	मध्य प्रदेश	220.53	178.68	137.13
15.	महाराष्ट्र	119.15	84.60	119.81
16.	मणिपुर	9.16	9.61	60.65
17.	मेघालय	7.30	9.26	14.44
18.	मिजोरम	18.82	23.81	68.58
19.	नागालैंड	3.39	3.73	6.23
20.	उड़ीसा	345.60	160.64	427.67
21.	पंजाब	33.58	26.90	29.40
22.	राजस्थान	117.35	203.84	196.08
23.	सिक्किम	3.76	12.02	8.29
24.	तमिलनाडु	80.92	67.70	55.76
25.	त्रिपुरा	0.80	2.42	2.22
26.	उत्तरांचल	180.64	103.66	59.22
27.	उत्तर प्रदेश	212.98	183.54	157.96
28.	पश्चिम बंगाल	191.13	199.94	377.71
	जोड़	2,961.95	3,790.85	3,398.92

विश्व बैंक की रिपोर्ट

7170. कुंवर मानवेन्द्र सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि विश्व बैंक की हाल की रिपोर्ट के अनुसार भारत में व्यवसाय को आरंभ करने, स्थापित करने और व्यवसाय में बने रहने में अधिकांश अन्य देशों की तुलना में अधिक समय लगता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस संबंध में विशेषकर इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि देश में वर्तमान में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाह को बढ़ाने हेतु किए जा रहे प्रयासों के मद्देनजर इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) डूइंग बिजनेस इन 2005" शीर्षक से विश्व बैंक की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि भारत के कारोबार शुरू करने, सम्पत्ति को पंजीकृत कराने, संविदा प्रवर्तित करने और कारोबार को बन्द करने में लगने वाला समय दक्षिण एशियाई देशों में लगने वाले औसत समय की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक है।

(ग) और (घ) भारतीय उद्योग को अधिक सुविधा प्रदान करने की सरकार की प्रतिबद्धता के अनुसरण में, सरकार ने एक छोटी नकारात्मक सूची को छोड़कर स्वतः चालित मार्ग के जरिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) प्राप्त करने की अनुमति दे दी है। भारत में निवेश करने के लिए देशीय और विदेशी कारोबारी– निकायों के साथ सम्पर्क करने, उनके साथ विचार–विमर्श करने और उन्हें निमंत्रित करने के लिए दिसम्बर, 2004 में एक निवेश आयोग गठित किया गया है। प्रक्रियात्मक सरलीकरण और बाधाओं को हटाना एक निरन्तर जारी रहने वाली प्रक्रिया है। जिस पर सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है।

तमिलनाडु में लोक उद्यमों में केन्द्रीय निवेश

7171. श्री के. सी. पलनिसामी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु राज्य में लोक उद्यमों में किए गए कुल केन्द्रीय निवेश का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह निवेश अन्य राज्यों की तुलना में बहुत कम है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (ग) महोदय, लोक उद्यमों में केन्द्रीय निवेश राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और तकनीकी–आर्थिक व्यावहारिकता संबंधी समझ–बूझ को ध्यान में रखकर किया जाता है। लोक उद्यम विभाग द्वारा प्रकाशित लोक–उद्यम सर्वेक्षणों के अनुसार, पिछले तीन वर्षों में सभी राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों के केन्द्रीय लोक उद्यमों में किए गए निवेश की तुलना में तमिलनाडु राज्य के केन्द्रीय लोक उद्यमों में सकल ब्लॉक के रूप में किए जाने वाले निवेश की उपलब्ध अद्यतन प्रमात्रा इस प्रकार है:–

(करोड़ रु. में)

	31.3.2002	31.3.2003	31.03.2004
तमिलनाडु	33956.63	37644.38	38517.53
सभी राज्य और संघ शासित क्षेत्र	490397.24	525300.67	596725.37

पारेषण और वितरण का निजीकरण

7172. श्री उदय सिंह : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रिलायंस एनर्जी को देश के पश्चिमी क्षेत्र में पारेषण लाइनों और विद्युत उप–केन्द्रों को स्थापित करने के लिए लाइसेंस जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पावर ग्रिड कारपोरेशन ने इस कार्य में रिलायंस एनर्जी के कदम का विरोध किया है; और

(घ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं कि इस क्षेत्र में निजी कंपनी के आने के कारण सेंट्रल पावर यूटीलिटी के कार्यकरण प्रभावित न हों?

विद्युत मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) से (घ) जी, नहीं। विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार किसी व्यक्ति को विद्युत आपूर्ति हेतु पारेषण लाईसेंसी के रूप में लाईसेंस देने का अधिकार केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) अथवा राज्य विद्युत विनियामक आयोग के पास है।

[हिन्दी]

सीमाशुल्क और उत्पाद शुल्क अधिकारियों के विरुद्ध मामले

7173. श्री मनसुखभाई डी. वसावा :

श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सीमाशुल्क और उत्पाद शुल्क अधिकारियों के विरूद्ध सीबीआई द्वारा कितने मामले दर्ज किए गए;

(ख) सीबीआई जांच की स्थिति क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा किन अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई करने की अनुमति नहीं दी गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

कर सूचना नेटवर्क

7174. श्री चन्द्रभूषण सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कर सूचना नेटवर्क (टी.आई.एन.) का दूसरा चरण आरम्भ करने का निर्णय किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अधिक मूल्य वाले लेन-देन संबंधी वार्षिक सूचना विवरणियों के कंप्यूटरीकरण के परिणामस्वरूप अंततः देश का कर संबंधी आधार व्यापक हो जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) जी, हां। कर सूचना नेटवर्क का चरण-II दिनांक 1.7.2005 से शुरू किया जाएगा। इसमें स्रोत पर कर कटौती तथा स्रोत पर कर वसूली के प्रमाणपत्रों के निष्प्रभावीकरण और वार्षिक सूचना विवरणियों को इलेक्ट्रानिक तरीके से दाखिल करने की सुविधाएं शामिल हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। आयकर नियमावली के नियम 114ङ के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 285-ख क में दिनांक 1 अप्रैल, 2004 को अथवा उसके बाद उनके समक्ष अभिलिखित अथवा दर्ज विहित उच्च मूल्य के लेन-देनों के बारे में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा वार्षिक सूचना विवरणी दाखिल करने का प्रावधान किया गया है।

शिक्षा उपकर

7175. श्री अब्दुल रशीद शाहीन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षा उपकर से अर्जित धनराशि का कितना प्रतिशत अल्पसंख्यकों की शिक्षा पर खर्च किया गया है;

(ख) मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन को कितनी राशि आबंटित की गई; और

(ग) इस धनराशि में से वास्तव में खर्च की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) शिक्षा उप कर के माध्यम से प्राप्त किए गए राजस्व का उपयोग सरकार द्वारा एकमात्र और पूर्ण रूप से सर्वशिक्षा अभियान सहित व्यापक, उत्तम और प्रारंभिक शिक्षा तथा मध्याह्न आहार योजना के लिए किया जा रहा है। चूंकि सरकारी व्यय का वर्गीकरण कार्यात्मक अवधारणा पर किया जाता है। इसलिए शिक्षा उपकर के कारण जुटाई गई निधियों जिन्हें अल्पसंख्यक शिक्षा पर खर्च किया गया है, की प्रतिशतता को दर्शाना संभव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

कर पैकेज की समीक्षा

7176. श्री नवजोत सिंह सिद्धू : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार और पी.एच.डी. पंजाब चैंबर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री ने हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल को कर पैकेज देने संबंधी निर्णय की समीक्षा करने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) जी, नहीं। ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त किए गए हैं जिनमें यह उल्लेख किया गया है कि हिमाचल और उत्तरांचल राज्यों के लिए आयकर एवं अन्य रियायतों ने पंजाब के औद्योगिक विकास पर विपरीत प्रभाव डाला है और इस राज्य में उद्योगों के लिए समान रियायतें प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

(ग) अभ्यावेदनों की जांच की गई है और उन्हें स्वीकार्य नहीं पाया गया है।

[हिन्दी]

भारत की संचित निधि में जमा धनराशि

7177. श्री वाई. जी. महाजन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में देश की संचित निधि में कितनी धनराशि जमा है;

(ख) क्या सरकार ने संचित निधि के संबंध में कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) संचित निधि का उपयोग किन योजनाओं हेतु किया जाता है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (घ) भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 में व्यवस्था है कि भारत सरकार को प्राप्त सभी राजस्व, उस सरकार द्वारा राजहुंडियां निर्गमित करके, उधार द्वारा या अर्थोपाय अग्रिमों द्वारा लिए गए सभी उधार और उधारों के प्रतिसंदाय में उस सरकार को प्राप्त सभी धनराशियों की एक संचित निधि बनेगी जो "भारत की संचित निधि" के नाम से ज्ञात होगी और भारत की संचित निधि में से कोई धनराशियां विधि के अनुसार तथा इस संविधान में उपबंधित प्रयोजनों के लिए और रीति से ही विनियोजित की जाएंगी, अन्यथा नहीं। संसद में 28 फरवरी, 2005 को प्रस्तुत वर्ष 2005–06 के वार्षिक वित्तीय विवरण के अनुसार भारत की संचित निधि में अनुमानित प्राप्तियों और विभिन्न सेवाओं पर अनुमानित व्यय क्रमशः 11,87,986.44 करोड़ रुपए तथा 11,94,380.49 करोड़ रुपए हैं।

[अनुवाद]

मंत्रालयों और विभागों में सतर्कता प्रकोष्ठ

7178. श्री राजेन गोहेन : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभागों विशेषकर सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के विभागों में सतर्कता प्रकोष्ठ विद्यमान हैं;

(ख) यदि हां, तो इन प्रकोष्ठों द्वारा शिकायतों की जांच करने हेतु निर्धारित मानदंड क्या है;

(ग) क्या अतिविशिष्ट व्यक्तियों द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतों की जांच करने हेतु कोई समय–सीमा निर्धारित की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) शिकायतों के शीघ्र निपटान हेतु सरकार द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) जी हाँ। दोनों बोर्डों नामतः केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड तथा केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सतर्कता के दृष्टिकोण वाली सभी सत्यापन योग्य शिकायतों की जांच करते हैं।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सतर्कता आयोग के मार्गनिर्देशों के अनुसार उपाय किए जाते हैं जिनमें यह विहित है कि सभी शिकायतों की जांच उनकी प्राप्ति के छह माह के भीतर पूरी की जानी होती है। शिकायतों की प्रकृति, जांचे जाने वाले व्यक्तियों की संख्या और जांच के दौरान जाने वाली जगहों और अवस्थितियों तथा रिकार्डों और सूचना आदि की संवीक्षा से किसी शिकायत का जांच कार्य पूरा करने का वास्तविक समय निर्धारित होता है।

(ङ) लंबित शिकायतों का अनुवीक्षण किया जाता है और आवधिक समीक्षा की जाती है। शिकायतों के शीघ्र निपटान के लिए समय–समय पर विशेष अभियान भी चलाए जाते हैं।

राष्ट्रीय वस्त्र मिलों की भूमि पर अवैध कब्जा

7179. श्री गुरूदास कामत :
श्री एम. राजा मोहन रेड्डी :
श्री सुखदेव सिंह ढींडसा :

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों में राष्ट्रीय वस्त्र निगम मिलों के नियंत्रण में अतिरिक्त भूमि का स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्तमान बाजार दरों के अनुसार प्रत्येक भूखंड का अनुमानित मूल्य कितना है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान बेचे गए भूखंडों, यदि कोई बेचे गए हों तो, का वर्षवार मूल्य कितना है, और इसके परिणाम–स्वरूप कुल कितनी धनराशि संग्रहित की गई;

(घ) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय वस्त्र निगम के पास आज की स्थिति के अनुसार वर्तमान में उपलब्ध अतिरिक्त भूमि का उपयोग करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या राष्ट्रीय वस्त्र निगम की अतिरिक्त भूमि पर कुछ व्यक्तियों द्वारा वैध कब्जा किया गया है; और

(छ) यदि हां, तो उक्त भूमि को खाली कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) से (ग) राष्ट्रीय वस्त्र निगम (एनटीसी) की मिलों में वेशी भूमि के स्थान–वार ब्यौरे सहित उनकी बिक्री से वसूली योग्य मूल्य संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) बीआईएफआर द्वारा अनुमोदित प्रारूप पुनर्वासन योजना के अनुसार एनटीसी की पूरी वेशी परिसंपत्तियां बेची जानी है और बिक्री से प्राप्त होने वाली आय का उपयोग उपर्युक्त योजना के कार्यान्वयन के लिए किया जाना है। एनटीसी द्वारा वेशी भूमि का उपयोग किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(च) और (छ) एनटीसी की अनुमानित रूप से 66.31 एकड़ भूमि अनाधिकृत कब्जे में है और उन्हें खाली कराने के लिए नियमानुसार कार्रवाई शुरू की गई है।

विवरण

1.5.2005 की स्थिति के अनुसार एनटीसी की बेशी भूमि की बिक्री की स्थिति रिपोर्ट

क्र.सं.	मिल का नाम	बिक्री के लिए उपलब्ध भूमि का कुल क्षेत्र (एकड़ में)	पुनर्वासन योजना के अनुसार अनुमानित बाजार मूल्य	अब तक बेची गई भूमि का क्षेत्र (एकड़ में)	बिक्री से प्राप्त होने वाले मूल्य (कोष्ठक में बिक्री की तिथि) (करोड़ रु. में)
1	2	3	4	5	6
एनटीसी (एपीकेकेएंडएम) लि., बीजीएल					
1.	अलगप्पा, मिल्स, अलगप्पा नगर	8.06	0.16	4.64	0.78 (13.12.02)
2.	मैसूर मिल्स, बंगलौर	27.79	100.93	18.69	79.16 (7.8.03)
3.	नटराज मिल्स, निर्मल	70.00	5.50	70.00	2.31 (अगस्त. 03)
4.	एमएसके मिल्स, गुलबर्ग	205.32	3.58	165.20	17.08 (7.8.03)
5.	नेथा मिल्स, सिकंदराबाद	10.84	32.95	9.83	24.02 (27.10.03)
6.	मिनर्वा मिल्स, बंगलौर	30.00	109.00	27.21	71.51 (दिसम्बर, 03-जुलाई, 04)
7.	केरल लक्ष्मी मिल्स, त्रिशूर	30.11	5.88	14.19	2.15 (14.19 एकड़)
8.	अदोनी मिल्स, अदोनी	7.17	1.04		-
9.	श्री यल्लमा, टोलाहुंस	98.80	1.07		-
10.	तिरूपति मिल्स, रनिगुंटा	47.36	0.47		-
11.	अनंतपुर मिल्स, तारापत्री	9.25	0.42		-
12.	आजमजाही मिल्स, वारंगल	200.25	53.05	65.69	18.22 (11.2.04)
	कुल	744.95	314.05	375.45	215.23
एनटीसी (डीपीएंडआर) लि., नई दिल्ली					
13.	खरार टेक्सटाइल मिल्स, खरार	26.38	0.92	8.28	1.05 (16.12.02)
14.	सूरत टेक्सटाइल मिल्स, मलौट	7.05	0.17	7.05	0.56 (25.11.02)
15.	अयोध्या टेक्सटाइल मिल्स, दिल्ली	8.98	82.54	4.54	67.01 (23.2.05)
16.	उदयपुर कॉटन मिल्स, उदयपुर	29.77	51.97		-
17.	एडवार्ड मिल्स, बयावर	18.28	6.81		-
18.	दयालबाग मिल्स, अमृतसर	9.84	19.05		-
19.	महालक्ष्मी मिल्स, बयावर	5.17	5.00		-
20.	विजयनगर कॉटन मिल्स, विजयनगर	7.83	2.08	7.83	1.95 (10.3.2003)
21.	पानीपत वूलेन मिल्स, खरार	20.29	9.51	7.69	9.84
	कुल	133.59	178.05	35.39	80.41

1	2	3	4	5	6
	एनटीसी (यूपी) लि. कानपुर				
22.	स्वदेशी कॉटन मिल्स, नैनी	12.62	6.13	6.43	3.20 (7.1.2003)
23.	बिजली. कॉटन मिल्स, हाथरस	7.56	3.06	5.82	4.69
24.	स्वदेशी कॉटन मिल्स, कानपुर	55.86	68.30	3.23	7.50 (36 प्लॉट्स)
25.	लॉर्ड कृष्णा मिल्स, सहारनपुर	24.70	9.62		
26.	स्वदेशी मिल्स, मऊनाथभंजन	9.20	6.89	4.80	3.15
27.	अथर्टन मिल्स, कानपुर	20.70	26.80		
28.	लक्ष्मी रत्न मिल्स, कानपुर	13.48	18.55		
29.	न्यू विक्टोरिया मिल्स, कानपुर	29.67	66.03		
30.	म्यूर मिल्स, कानपुर	37.28	79.52		
31.	श्री विक्रम मिल्स, लखनऊ	8.14	12.52		
32.	रायबरेली टेक्सटाइल्स मिल्स, रायबरेली	30.43	12.31		
	कुल	**249.64**	**309.73**	**20.28**	**18.54**
	एनटीसी (एमएन) लि., मुंबई				
33.	आरबीबीए मिल्स, हिंगनघाट				
	(प्लाट नं. 1 पुराना बंगला के साथ)	5.95		0.16	0.18 (9.10.03)
	जिनिंग व प्रोसेसिंग फैक्ट्री	5.95		3.05	0.40 (21.11.02)
34.	सावतराम राम प्रसाद मिल्स, अकोला	0.52		0.10	0.09 (7.3.2003)
35.	विदर्भ मिल्स, अचलपुर (प्लाट नं. 1–2)	17.05	0.83	4.99	0.50 (2 और 28.5.03)
	(प्लाट नं. 6)			0.89	0.36 (9.10.03)
36.	मॉडल मिल्स (प्लाट नं. 3), एस.टी.स्टैड के पास	33.31	12.68	1.10	1.24 (19.6.03)
	मॉडल मिल्स (प्लाट नं. 2)			0.21	0.36 (8.9.2003)
	मॉडल मिल्स (प्लाट नं. 1) एस.टी.स्टैड के पास			6.98	9.50 (7.5.2004)
37.	आरएसआरजी मिल्स अकोला (प्लाट नं. 3)	15.81	2.24	1.96	0.45 (7.5.2004)
	प्लाट नं. 1			1.10	0.25 (जून, 2004)
	प्लाट नं. 2			1.06	0.30 (जून, 2004)
38.	टाटा मिल्स, मुम्बई	10.62	96.44	4.40	13.75
39.	इंदु मिल्स, सं. 1 मुंबई	8.71	79.09		-
40.	इंदु मिल्स, सं. 6, मुंबई	4.57	72.63		-

1	2	3	4	5	6
41.	इंदु मिल्स, सं. 2 मुम्बई	16.04	121.51		-
42.	जाम मिल्स, मुम्बई	7.99	66.57		-
43.	इंदु मिल्स सं. 4, मुम्बई	7.79	59.02		-
44.	सीता राम, मुम्बई	8.43	40.93		-
45-47.	कोहिनूर मिल्स सं. 1, 2, 3, मुंबई	19.39	286.31		-
48.	इंदु मिल्स सं., 3 कलाचौकी, मुंबई	5.40	40.91		-
	कुल	167.53	879.16	26.00	27.38
एनटीसी (एसएम) लि., मुंबई					
49.	बर्सी मिल्स, बर्सी	36.50	0.87	1.87	0.12 (13.12.2002)
50.	धूलै टैक्सटाइल मिल्स, धूलै	12.80	1.23	10.28	2.52 (13.12.2002)
51.	चालीसगांव मिल्स, चालीसगांव	17.54	2.93	12.82	3.64 (13.12.2002)
52.	अपोलो मिल्स, मुंबई	9.98	74.04		-
53.	गोल्ड मोहर मिल्स, मुंबई	6.52	63.30		-
54.	मधुसूदन मिल्स, मुंबई	18.05	157.91		-
55.	मुम्बई टैक्स्टाइल मिल्स, मुंबई	23.83	151.86		-
56.	जूपिटर टैक्सटाइल मिल्स, मुंबई	10.91	95.48		-
57.	एलिफिंस्टन मिल्स, मुंबई	8.91	80.85		-
58.	भारत मिल्स, मुंबई	8.37	73.21		-
59.	न्यू हिंद मिल्स, मुंबई	8.33	97.51		-
60.	दिग्विजय मिल्स, मुंबई	9.33	87.85		-
61.	औरंगाबाद मिल्स, औरंगाबाद	15.74	17.35		-
62.	पोद्दार प्रोसेस, मुंबई	2.39	20.89		-
63.	नादेर मिल्स, नादेर	91.42	15.05		-
	कुल	280.62	940.33	24.97	6.28
एनटीसी (टीएन्एंडपी) लि., कोयम्बटूर					
64.	स्वदेशी कॉटन मिल्स, पांडिचेरी	53.30	65.63	10.39	12.66 (2.6.2003)
65.	पंकज मिल्स, कोयम्बटूर	11.07	24.41	0.34	0.69 (25.8.2003)
66.	ओमपराशक्ति मिल्स, कोयम्बटूर	14.25	4.86	14.25	4.50 (दिसम्बर 03)
67.	कालेश्वर ए मिल्स (साइट नं. .2)	16.06	36.36	0.19	0.54 (नवम्बर 03)
68.	श्री रंगविलास मिल्स, कोयम्बटूर	17.20	17.65	6.21	7.82 (वस्त्र मंत्रालय द्वारा अनुमोदित)

1	2	3	4	5	6
69.	कोयम्बटूर मुरूगन मिल्स, कोयम्बटूर	2.31	5.42	0.84	1.89 (सित.–नव. 04)
70.	कोथारडरम मिल्स, मदुरई	2.66	3.59		-
71.	कृष्णावेणी मिल्स, कोयम्बटूर	4.52	5.09		-
72.	बलरामवर्मा मिल्स, सेनकटाह	20.20	1.01		-
73.	सोमसुंदरम मिल्स, कोयम्बटूर	7.43	16.71		-
74.	श्री शारदा मिल्स, कोयम्बटूर	3.45	0.88		-
75.	कोयम्बटूर स्पि. व विविंग मिल्स	20.49	94.63		-
	कुल	172.94	276.24	32.22	28.10
एनटीसी (गुजरात) लि., अहमदाबाद					
76.	अहमदाबाद न्यू टेक्सटाइल मिल्स, अहमदाबाद	7.45	16.90		
77.	राजकोट टेक्सटाइल मिल्स, राजकोट	8.72	35.30		
78.	अहम जूपिटर मिल्स, अहमदाबाद	22.44	32.23		
79.	जहांगीर टेक्सटाइल मिल्स, अहमदाबाद	16.30	26.39		
80.	राजनगर मिल्स नं. 1, अहमदाबाद	12.11	20.55		
81.	न्यू मानिकचौक मिल्स, अहमदाबाद	8.99	18.18		
82.	महालक्ष्मी टेक्सटाइल मिल्स, भाव नगर	16.32	12.55		
83.	हिमाद्रि टेक्सटाइल मिल्स, अहमदाबाद	7.22	8.77		
84.	पेटलड टेक्सटाइल मिल्स, पेटलड	29.28	7.11		
85.	विरंगम टेक्सटाइल मिल्स, विरंगम	50.91	1.55		
86.	फाइन निटिंग टेक्सटाइल मिल्स, अहमदाबाद	8.38	3.74		
	कुल	188.12	183.27		
एनटीसी (मध्य प्रदेश) लि., इंदौर					
87.	न्यू भोपाल टेक्सटाइल मिल्स, भोपाल	79.10	22.05		
88.	बुरहानपुर टैक्सटाइल मिल्स, बुरहानपुर	42.85	16.66		
89.	इंदौर मालवा टैक्सटाइल मिल्स, इंदौर	103.80	71.86		
90.	हीरा टेक्सटाइल मिल्स, उज्जैन	69.20	45.75		
91.	कल्याणमल मिल्स, इंदौर	33.57	20.16		
92.	स्वदेशी टेक्सटाइल मिल्स, इंदौर	15.32	13.76		
93.	बंगाल नागपुर टेक्सटाइल मिल्स, राजनंदगांव	52.10	12.71		
	कुल	395.94	202.95		

1	2	3	4	5	6
	एनटीसी (डब्ल्यूबीएबीओ) लि., कोलकाता				
94.	लक्ष्मी नारायण टेक्सटाइल मिल्स, रिसरा	14.83	9.79		
95.	रामपुरिया टेक्सटाइल मिल्स, सेरमपुर	30.60	14.69		
96.	बंगाल लक्ष्मी टेक्सटाइल मिल्स, सेरमपुर	27.97	22.66		
97.	बंगाश्री टेक्सटाइल मिल्स, सुखचर	29.08	25.30		
98.	सेंट्रल कॉटन टेक्सटाइल मिल्स, बेंलूर	11.67	14.00		
99.	ज्योति विविंग टेक्सटाइल मिल्स, कोलकाता	4.29	11.57		
100.	श्री महालक्ष्मी टेक्सटाइल मिल्स, पालटा	11.24	13.49		
101.	बंगाल फाइन टेक्सटाइल मिल्स, 2, कट्टागंज	19.44	5.44		
102.	बंगाल फाइन टेक्सटाइल मिल्स, 1, कट्टागंज	18.83	16.94		
103.	गया कॉटन टेक्सटाइल मिल्स, गया	32.77	5.20		
104.	आरती कॉटन टेक्सटाइल मिल्स, हावड़ा	6.25	7.50		
105.	मनिन्द्र बी.टी. टेल्स, मिल्स, कॉसिमबाजार	35.28	5.25		
106.	उड़ीसा कॉटन टेक्सटाइल मिल्स, भगतपुर	62.17	0.87		
107.	बिहार कापरेटिव टेक्सटाइल मिल्स, मोकामा	22.20	0.82		
108.	एसोसिएटेड इंड्रस्ट्रीज, चंद्रपुर	50.00	0.60		
	कुल	376.62	154.12		
	कुल योग	2709.95	3437.90	514.31	375.94

पूर्वोत्तर क्षेत्र शहरी विकास परियोजना

7180. डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम शांडिल्य : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'पूर्वोत्तर क्षेत्र शहरी विकास परियोजना'' (एनईआरयूडीपी) नामक परियोजना के प्रथम चरण के लिए एशियाई विकास बैंक से लगभग 900 करोड़ रु. की ऋण सहायता मांगी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने एनईआरयूडीपी के द्वितीय चरण के लिए एशियाई विकास बैंक से कोई ऋण सहायता मांगी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने हिमाचल प्रदेश में शिमला, कुल्लु, कांगड़ा तथा सोलन जिलों के लिए एशियाई विकास बैंक से कोई सहायता मांगी है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (घ) एशियाई विकास बैंक की प्रस्तावित सहायता से 200 मिलियन अमरीकी डालर लागत वाली पूर्वोत्तर क्षेत्र शहरी विकास परियोजना (चरण–I) नामक परियोजना कैलण्डर वर्ष 2005 के लिए प्रक्रियाधीन है तथा इस में आईजॉल, गंगटोक, अगरतला, कोहिमा तथा शिलांग शहरों को शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र शहरी विकास परियोजना (चरण–II), जिसकी लागत 200 मिलियन अमरीकी डालर होगी और जिसमें गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, ईटानगर तथा इम्फाल शहरों को शामिल किया जाएगा, कैलण्डर वर्ष 2007 के लिए प्रक्रियाधीन है।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

नौवें वित्त आयोग की सिफारिशों का क्रियान्वयन

7181. श्री तथागत सत्पथी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौवें वित्त आयोग का विचार यह है कि सार्वजनिक ऋण की समस्या का समाधान ऋण ली गई धनराशि में है (i) यह राजस्व खर्च के वित्त–पोषण के लिए नहीं प्रयोग की जा रही है (ii) इसका प्रयोग पूंजीगत व्यय के लिए कुशलतापूर्वक तथा उत्पादक रूप में किया जा रहा है जिससे कि लाभ अर्जित किया जा सके अथवा अर्थव्यवस्था की उत्पादकता को बढ़ाया जा सके;

(ख) यदि हां, तो क्या नौवें वित्त आयोग की इस सिफारिश को पूरी तरह क्रियान्वित किया जा रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा लाभ अर्जित करने तथा अर्थव्यवस्था की उत्पादकता को बढ़ाने हेतु वित्त के कुशलतापूर्वक तथा उत्पादक रूप से इस्तेमाल के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) जी, हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) अन्य कारणों के साथ–साथ पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने, अनुत्पादक निवेशों पर अधिक ऋण तथा पेंशन व्यय में बढ़ोतरी आदि के फलस्वरूप राज्यों के राजकोषीय घाटे के प्रतिशत के रूप में राजस्व घाटा वर्ष 1993–94 में 18.5 प्रतिशत की तुलना में बढ़कर वर्ष 2003–04 (सं. अनु.) में 51.1 प्रतिशत तक पहुंच गया है।

(घ) भारत सरकार ने बारहवें वित्त आयोग की ऋण समेकन तथा राहत सुविधा हेतु सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है, बशर्ते राज्य वर्ष 2008–09 तक राजस्व घाटे को पूरी तरह समाप्त करने हेतु राजकोषीय दायित्व विधायन को अपना लें।

राष्ट्रीय बचत कोष से महाराष्ट्र का ऋण

7182. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़ :

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार से राष्ट्रीय बचत कोष से लिए गए ऋण पर ली जा रही भेद भाव पूर्ण ब्याज दर हटाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार पर ऋण की कितनी धनराशि बकाया है तथा भेदभावपूर्ण ब्याज दर की प्रकृति और सीमा क्या है तथा इस प्रकार के ऋणों पर केन्द्र तथा अन्य राज्य सरकारों द्वारा ब्याज की किन दरों का भुगतान किया जाता है; और

(ग) राज्य सरकार के अनुरोध पर क्या निर्णय लिया गया?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) जी, नहीं। राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एमएसएसएफ) को निवल लघु बचत संग्रहणों के एवज में जारी की गई विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज दर के संबंध में महाराष्ट्र राज्य सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त होना प्रतीत नहीं होता है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

जीरोक्स मोदी कॉरपोरेशन के खातों की जांच

7183. श्री रघुनाथ झा : क्या कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीरोक्स मोदी कॉरपोरेशन ने अपनी वस्तुओं की बिक्री को बढ़ाने के लिए कोई अनुचित भुगतान किए थे तथा क्या सरकार ने कंपनी के खाते की जांच कराने की घोषणा की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या जांच पूरी कर ली गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकाला तथा इस संबंध में दोषी पाए गए अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई?

कंपनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता) : (क) और (ख) आरोपों के बारे में कि कम्पनी ने आदेश प्राप्त करने के लिए अनुपयुक्त प्रथा अपनाई थी की सूचना प्राप्त होने पर केन्द्र सरकार ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 235 के अन्तर्गत कम्पनी के कार्यों की जाँच की कार्रवाई आरंभ की थी। जांच का कार्य उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त निरीक्षक को सौंपा गया था। निरीक्षक ने कम्पनी अधिनियम तथा अन्य नियमों के उल्लंघनों को दर्शाते हुए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(ग) कम्पनी अधिनियम, 1956 के विभिन्न उपबंधों के उल्लंघन के लिए तेरह अभियोजनों को दर्शाया गया है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो, उत्पाद एवं सीमा शुल्क निदेशालय तथा प्रवर्तन निदेशालय को अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले अधिनियमों जैसे भ्रष्टाचार अधिनियम, भारतीय दंड संहिता, उत्पाद एवं सीमा

शुल्क अधिनियम, विदेश विनिमय विनियमन अधिनियम/विदेश विनिमय प्रबन्ध अधिनियम आदि अधिनियमों के उल्लंघन करने पर कम्पनी तथा इसके निदेशकों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई, जो कि अपेक्षित हो, करने की सलाह दी गई है।

[हिन्दी]

निजी बीमा कंपनियां

7184. श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी :

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि निजी क्षेत्र की कुछ बीमा कंपनियां; पॉलिसीधारकों को उनके दावों के निपटान के लिए परेशान करती हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस प्रकार की शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार ने पॉलिसीधारकों की शिकायतों के समाधान के लिए निजी क्षेत्र की बीमा कंपनियों को कोई निर्देश जारी किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) सरकार तथा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आई आर डी ए) को निजी बीमा कर्ताओं सहित बीमा कर्ताओं के विरुद्ध दावों को न निपटाए जाने अथवा निपटान में विलंब करने, दावों को इनकार/आंशिक निपटान करने आदि संबंधी शिकायतें प्राप्त होती रही हैं।

(ग) से (ङ) बीमा विनियम और विकास प्राधिकरण (आई आर डी ए) जिसकी स्थापना पालिसी धारकों के हितों की रक्षा करने के लिए की गई थी, ने बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (पालिसी धारकों के हितों की रक्षा) विनियमन, 2001 को अधिसूचित किया है। ये विनियम बीमा कर्ताओं और पालिसी धारकों के बीमा करार बिक्री के समय और दावा करते दोनों समय और कंपनियों में आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना करने संबंधी कर्त्तव्यों और दायित्वों का निर्धारण करते हैं। इसके अतिरिक्त दावों के निपटान संबंधी शिकायतों के लिए पालिसी धारक बीमा लोकपाल, आई आर डी ए का शिकायत कक्ष, उपभोक्ता मंच जैसी विद्यमान संस्थाओं अथवा अदालत में जा सकते हैं।

पूर्वोत्तर हस्तशिल्प विकास के लिए वित्तीय सहायता देने हेतु प्रस्ताव

7185. श्री शिवराज सिंह चौहान : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर हस्तशिल्प विकास निगम ने बांस और लकड़ी की वस्तुएं बनाने के लिए सहायता हेतु कोई प्रस्ताव सौंपा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) बांस एवं लकड़ी की वस्तुएं बनाने के लिए पूर्वोत्तर हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, शिलांग से हाल ही में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कपास की खरीद

7186. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार बाजार स्थापित करने हेतु सहकारी संघों के माध्यम से अतिरिक्त 5.00 लाख कपास की गांठें खरीदने पर विचार कर रही है तथा राज्य सरकार द्वारा खरीदी गई कपास के निर्यात की अनुमति देने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त मुद्दे पर केन्द्र सरकार का क्या दृष्टिकोण है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) और (ख) कपास की खरीद अथवा निर्यात के लिए भारत सरकार की अनुमति आवश्यक नहीं है। कपास की खरीद के संबंध में गुजरात सरकार के प्रस्ताव के बारे में वस्त्र मंत्रालय को कोई सूचना नहीं है। चूंकि कपास का निर्यात बिना किसी प्रतिबंध के स्वतंत्र है अतः कपास के निर्यात की अनुमति दिए जाने के लिए गुजरात सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

रूग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम, 1985

7187. श्री सुबोध मोहिते : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रूग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) कर अधिनियम, 1985 में संशोधन कर उसे सुदृढ बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार सेवाक्षेत्र को औद्योगिक इकाई के दायरे में लाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) रूग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 को रूग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) निरसन अधिनियम, 2003 के द्वारा निरसित कर दिया गया है।

(घ) और (ङ) लघु उद्योग मंत्रालय ने सूचित किया है कि भूमि एवं भवन को छोड़कर स्थिर आस्तियों में 10 लाख रुपए तक निवेश वाले उद्योग संबंधी सेवा एवं कारोबार उद्यम, लघु सेवा एवं कारोबार (उद्योग से संबंधित) उद्यमों (एसएसएसबीई) के रूप में लाभ पाने के पात्र हैं। एसएसएसबीई की सूची में शामिल मद उन रियायतों एवं लाभों, जो लघु उद्योगों के लिए प्रयोज्य है, के लिए पात्र हैं। तथापि, औद्योगिक (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 के तहत सेवा क्षेत्र को शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

साइबर कानून

7188. श्री कुलदीप बिश्नोई : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून संबंधी अंतर्राष्ट्रीय आयोग (यू.एन.सी.आई.टी.आर.ए.एल.) संबंधी संयुक्त राष्ट्र आयोग के सदस्य देशों के लिए जांच एजेंसियों तथा न्यायिक एजेंसियों हेतु साइबर कानून आरंभ करना अनिवार्य है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में साइबर प्रौद्योगिकी तथा साइबर कानूनों का प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले न्यायाधीशों की संख्या कितनी है; और

(ग) भारतीय न्यायपालिका द्वारा साइबर अपराधों से निपटने के लिए क्या नए कदम उठाए गए हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज) : (क) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि संबंधी अंतर्राष्ट्रीय आयोग से संबंधित संयुक्त राष्ट्र आयोग (यू.एन.सी.आई.टी.आर.ए.एल.), अपनी परिभाषा के अनुसार व्यापार विधियों से संबंधित है। तदनुसार, जहां तक साइबर विधि का संबंध है, यू.एन.ए.सी.आई.टी.आर.ए.एल. का कार्य इलैक्ट्रोनिक वाणिज्य की आदर्श विधि और इलैक्ट्रोनिक हस्ताक्षर की आदर्श विधि की परिधि के भीतर रहा है। "ये आदर्श विधियां सिफारिश की प्रकृति की हैं, इसलिए सदस्य देशों के लिए इनका क्रियान्वयन अनिवार्य नहीं है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, जो देश में न्यायाधीशों/न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए सर्वोच्च प्रशिक्षण केन्द्र हैं, साइबर विधियों, साइबर न्याय संबंधी और न्यायपालिका में ई–शासन पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन कर रही है।

असंगठित क्षेत्र के लिए पेंशन योजना

7189. श्री रायापति सांबासिवा राव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में असंगठित क्षेत्र के लगभग 37 करोड़ कामगारों के लिए एक पेंशन योजना बनाने हेतु एशियाई बैंक द्वारा पांच सदस्यीय एक दल का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या पांच सदस्यीय दल ने सरकार को अपनी रिपोर्ट पहले ही सौंप दी है;

(ग) यदि हां, तो सर्वेक्षण में कितने लोगों को शामिल किया गया;

(घ) शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति पर विचार करने का क्या तरीका है; और

(ङ) समूह की मुख्य सिफारिशें क्या हैं तथा इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई/किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (घ) तकनीकी सहायता समझौते के एक भाग के रूप में

एशियाई विकास बैंक ने अन्य बातों के साथ–साथ भारतीय श्रमिक बल के आय, व्यय और बचत की स्थिति का अध्ययन करने हेतु एक राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ करने के लिए पांच सदस्यीय परियोजना दल की नियुक्ति की है। इस सर्वेक्षण में शहरी तथा ग्रामीण दोनों ही इलाकों के भारतीय श्रमिक बल के 40,862 अर्जन सदस्यों को शामिल किया गया है। परियोजना दल की रिपोर्ट को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ङ) उपर्युक्त (क) से (घ) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अफीम की खेती को प्रोत्साहन

7190. श्री मित्रसेन यादव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के उद्योगों में तथा बाराबंकी जिले के उच्च गुणवत्ता वाली अफीम का उत्पादन किया जाता है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार अफीम की खेती के प्रोत्साहन के लिए किसी योजना पर विचार कर रही है ताकि विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सके;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) फसल वर्ष 2003–04 में उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में अफीम कृषकों द्वारा सौंपी गई अफीम पोस्त की गुणवत्ता उक्त फसल वर्ष के लिए यू.पी. यूनिट के लिए 11.24% के औसत मारफीन अंश की तुलना में मारफिन अंश के संदर्भ में 11.11% है।

(ख) से (घ) हालांकि लाइसेंसशुदा अफीम कृषकों द्वारा अफीम पोस्त की खेती सुकर बनाने के लिए सतत् प्रयास किये जाते हैं, घरेलू और निर्यात बाजार में अफीम की सीमित आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इस समय लाइसेंसशुदा अफीम की खेती का क्षेत्र बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

कृषि ऋण

7191. डा. अरूण कुमार शर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंक, पूर्वोत्तर क्षेत्र में कृषि ऋण प्रदान करने के लिए कतिपय आवश्यक शर्तों को उदार बनाने के लिए सहमत हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी परिणाम का ब्यौरा क्या है;

(ग) कृषि ऋण प्राप्त करने हेतु पूर्वोत्तर क्षेत्र के कृषि क्षेत्र को क्या कठिनाइयां आ रही हैं; और

(घ) ऋण को दोगुना करने की नई नीति आरम्भ होने से पहले तथा बाद में पिछले तीन वर्षों के दौरान बैंकों द्वारा किसानों को दिए गए कृषि ऋण की राज्यवार क्रियान्वयन स्थिति, लक्ष्य तथा उपलब्धियां क्या रहीं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में बैंकों को निम्नलिखित उदार नियमों एवं शर्तों पर अल्पावधि एवं दीर्घावधि पुनर्वित्त प्रदान करता है:–

(i) राज्य सहकारी बैंकों को उनकी अनुपयोज्य आस्तियों (एनपीए) के स्तर का ध्यान किए बिना उनके लिए सबसे कम ब्याज की दर अर्थात 5.5 प्रतिशत;

(ii) आरआरबी एवं सहकारी बैंकों को उनके एनपीए स्तर/वसूली कार्यनिष्पादन का ध्यान किए बिना उन्हें संस्वीकृत ऋण सीमा;

(iii) पुनर्वित्त के आहरण के लिए पात्रता मानदण्डों में छूट;

(iv) निवेश ऋण के लिए सभी कार्यकलाप बैंक ऋण राशि इत्यादि का 90 प्रतिशत से 100 प्रतिशत पर पुनर्वित्त के लिए पात्र हैं।

(ग) पूर्वोत्तर क्षेत्र में कृषि ऋणों का प्रवाह मंद गति से होने के प्रमुख कारणों में निम्नलिखित हैं:–

(i) आधारभूत ढांचा एवं उद्यमशीलता की कमी;

(ii) बैंकों का खराब वसूली कार्यनिष्पादन;

(iii) कृषि के प्रतिकूल जलवायु;

(iv) भूमि के लिए स्पष्ट बिक्री योग्य स्वत्वाधिकार का अभाव;

(v) पुरातन कृषि प्रणाली।

(घ) वर्ष 2001–02, 2002–03 और 2003–04 के दौरान कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलापों के अंतर्गत राज्य–वार बुनियादी स्तर (जीएलसी) संवितरण संलग्न विवरण में है। वर्ष 2004–05 में कुल संवितरण 1,15,243 करोड़ रुपए है जिसके लिए राज्य–वार ब्यौरे अभी भी संकलनाधीन हैं।

विवरण

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2001-02	2002-03	2003-04
1	2	3	4	5
1.	चंडीगढ़	**38,769**	17,848	37,245
2.	नई दिल्ली	**141,581**	182,540	242,367
3.	हरियाणा	400,908	463,705	628,620
4.	हिमाचल प्रदेश	25,658	31,358	38,232
5.	जम्मू और कश्मीर	4,960	5,746	6,619
6.	पंजाब	611,309	762,380	914,790
7.	राजस्थान	258,347	281,911	313,996
	उत्तरी क्षेत्र	**1,481,532**	**1,745,488**	**2,181,869**
8.	अरूणाचल प्रदेश	539	994	390
9.	असम	7,318	10,127	19,129
10.	मणिपुर	142	405	580
11.	मेघालय	642	552	5,184
12.	मिजोरम	357	684	544
13.	नागालैण्ड	540	540	742
14.	त्रिपुरा	1,739	1,759	3,000
15.	सिक्किम	368	325	425
	पूर्वोत्तर क्षेत्र	**11,645**	**15,386**	**29,994**
16.	बिहार	70,746	72,260	142,172
17.	झारखंड	16,101	20,315	21,461
18.	उड़ीसा	96,925	109,688	127,778
19.	पश्चिम बंगाल	144,881	184,244	212,944
20.	अण्डमान और निकोबार	578	382	385
	पूर्वी क्षेत्र	**329,231**	**386,889**	**504,740**
21.	मध्य प्रदेश	230,071	290,285	342,935
22.	छत्तीसगढ़	28,237	46,133	52,377
23.	उत्तर प्रदेश	560,667	618,123	810,833
24.	उत्तरांचल	27,169	48,416	42,589
	मध्य क्षेत्र	**846,144**	**1,002,957**	**1,248,734**
25.	दादरा और नागर हवेली	110	59	0
26.	दमन और द्वीव	33	24	0
27.	गुजरात	371,251	408,741	479,822
28.	गोवा	2,444	2,124	3,938
29.	महाराष्ट्र	592,991	503,275	528,487
	पश्चिमी क्षेत्र	**966,829**	**914,223**	**1,012,247**
30.	आंध्र प्रदेश	748,287	754,059	1,001,424
31.	कर्नाटक	433,752	466,361	532,600
32.	केरल	260,619	302,961	377,502
33.	लक्षद्वीप	33	26	78
34.	पांडिचेरी	4,073	5,341	6,970
35.	तमिलनाडु	528,105	627,046	695,166
	दक्षिणी क्षेत्र	**1,974,869**	**2,155,794**	**2,613,740**
	कुल	5,610,250	6,220,737	7,591,324
	अन्य बाण्ड*	5,700		
	गैर-सरकारी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंक*	425,412	585,255	1,023,008
	आरआईडीएफ (बैंकों द्वारा किया गया अंशदान)*	163,182	149,985	83,747
	कुल योग	6,204,544	6,955,977	8,698,079

*राज्य-वार आंकडे उपलब्ध नहीं है।

रायचूर ताप विद्युत स्टेशन

7192. श्री एम. शिवन्ना :

श्री ए. वेंकटेश नायक :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कोयले की कम आपूर्ति के कारण, कर्नाटक अपने रायचूर ताप विद्युत स्टेशन (आर.टी.पी.एस.) के लिए चीन से कोयले का आयात कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) से (ग) कोयला मंत्रालय ने अगस्त, 2004 में बताया कि प्रतिवर्ष देशी कोयले के 10 मिलियन टन की कमी होगी और सुझाव दिया कि कोयले के आयात के विकल्प पर विचार किया जाए। कर्नाटक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (केपीसीएल) के रायचूर थर्मल पावर स्टेशन सहित 9 विद्युत यूटिलिटियों को कोयले के आयात हेतु चिन्हित किया गया है जिनसे प्रतिवर्ष 9.6 टन कोयले के आयात की अपेक्षा की गई है। केपीसीएल ने सूचित किया है कि उन्होंने रायचूर थर्मल पावर स्टेशन के लिए कोयले के आयात हेतु फरवरी, 2005 में टेण्डर जारी किए हैं। आपूर्तिकर्ताओं को केपीसीएल द्वारा अभी तक चिन्हित नहीं किया गया है।

यथामूल्य

7193. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जेनेवा में हुई बातचीत में गतिरोध उत्पन्न हो गया है और विशिष्ट शुल्क को यथामूल्य साम्य में परिवर्तन पर मतभेदों का समाधान नहीं हो पाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारत सरकार ने विशिष्ट शुल्कों को यथामूल्य साम्यों में परिवर्तन करने के मुद्दे पर अन्य विकासशील देशों के साथ समन्वय करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) इस संबंध में अन्य विकासशील देशों की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) पेरिस में 3–4 मई, 2005 को सम्पन्न पांच इच्छुक पक्षों (एफ आई पी) की मंत्रिमंडलीय बैठकों एवं विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू टी ओ) के कुछ सदस्यों की लघु–मंत्रिमंडलीय बैठकों में कृषि उत्पादों के संबंध में गैर–यथा मूल्य शुल्कों को उनके यथा मूल्य समतुल्यों में परिवर्तन के लिए क्रिया–पद्धति के मुद्दे पर उनके मध्य एक सामान्य समझौते पर सहमति हुई है। इस क्रिया–पद्धति को अपनाया जाए अथवा नहीं, इस संबंध में निर्णय कृषि पर विश्व व्यापार संगठन समिति के विशेष सत्र में इसके सदस्यों की सहमति से लिया जाएगा। गैर–कृषि उत्पादों के लिए बाजार–पहुंच पर बातचीत के संदर्भ में परिवर्तन की क्रिया–पद्धति पर विचार–विमर्श चल रहा है।

(ग) और (घ) भारत विश्व व्यापार संगठन के दोहा कार्य कार्यक्रम के अंतर्गत बातचीतों में यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास करता रहा है कि इन बातचीतों का निष्कर्ष भारत के उद्देश्यों एवं प्राथमिकताओं के अनुकूल हो जिसमें समान हित एवं चिंता रखने वाले विश्व व्यापार संगठन के अन्य सदस्यों के साथ गठबंधन बनाना शामिल है।

ग्रामीण प्रौद्योगिकी का विकास

7194. श्री एन. एन. कृष्णदास : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ग्रामीण प्रौद्योगिकी के विकास हेतु गैर–सरकारी संगठनों और ऐसी अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो गत पांच वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य–वार ऐसे संगठनों अथवा संस्थानों का ब्यौरा क्या है और उन्हें कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई;

(ग) इन संस्थानों हेतु धनराशि स्वीकृत करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाए जाते हैं;

(घ) क्या इन धनराशियों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए कोई निगरानी प्रणाली विद्यमान है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

आर्थिक सुधार

7195. श्री थावरचन्द गेहलोत : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुसरण में अब तक की उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2004–05 के दौरान राजकोषीय घाटे की स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2004–05 के बजट में निर्धारित लक्ष्यों में से सरकार किन–किन बिन्दुओं को प्राप्त करने में सफल रही है; और

(घ) जिन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका, उनका ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम): (क) वर्ष 2004–05 के बजट में निर्दिष्ट किया गया है कि सरकार स्थिरता और समता के साथ तीव्र वृद्धि वाले राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के ध्येयों को प्राप्त करने के लिए एक पंचवर्षीय योजना का अनुपालन करेगी। केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन के अग्रिम अनुमान वर्ष 2004–05 के वास्तविक सकल घरेलू उत्पादन (सं.घ.उ.) में 6. 9 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हैं। यह वृद्धि खराब मानसून के कारण कम खरीफ उत्पादन के बावजूद हुई है। तेल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में अभूतपूर्व वृद्धि होने के बावजूद भी मार्च 2004–05 के अंत में मुद्रास्फीति 5.0 प्रतिशत पर नियंत्रण में रही है। अन्य वृहत् अर्थव्यवस्था के संकेतकों जैसे विदेशी मुद्रा भंडार, निर्यात, विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि तथा कारोबारी भरोसा संबंधी दृष्टिकोण अर्थव्यवस्था के सशक्त होने को दर्शाते हैं।

(ख) से (घ) वर्ष 2004–05 (संशोधित अनुमान) का राजकोषीय घाटा बजट अनुमानों द्वारा परिकल्पित सकल घरेलू उत्पाद के 4.4 प्रतिशत की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद के 4.5 प्रतिशत पर रखा गया है। वर्ष 2004–05 (संशोधित अनुमान) का राजस्व घाटा, बजट अनुमान के सकल घरेलू उत्पाद के 2.5 प्रतिशत के बजट अनुमान की तुलना में सकल घरेलू उत्पादन के 2.7 प्रतिशत पर रखा गया है। सकल घरेलू उत्पाद के समानुपात के रूप में, सकल कर राजस्व जिसका बजटीय प्रावधान 10.2 प्रतिशत था, को वर्ष 2004–05 के संशोधित अनुमानों में 9.8 प्रतिशत पर रखा गया है। वर्ष 2004–05 का कुल व्यय सकल घरेलू उत्पादन के 15.4 प्रतिशत के बजटीय प्रावधान की तुलना में संशोधित अनुमानों में 16.3 प्रतिशत पर रखा गया है। वर्ष 2004–05 के बजट जिसमें एक अग्रगामी राजकोषीय सुधार की मांग है, में राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन नियमावली, 2004 के अंतर्गत अपेक्षित कार्यनिष्पादन की तुलना में अधिक उच्च स्तर के कार्यनिष्पादन का अनुमान किया गया था। चूंकि इष्टतम सैद्धांतिक बजट अनुमान की प्राप्ति नहीं हुई, इसलिए वर्ष 2004-05 के लिए संशोधित अनुमानों का अनुपालन नियमों द्वारा निर्धारित न्यूनतम वार्षिक लक्ष्यों के साथ किया गया। सकल घरेलू उत्पाद के 0.5 प्रतिशत की न्यूनतम कमी के मुकाबले वर्ष 2004-05 (संशोधित अनुमान) में राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 0.9 प्रतिशत से कम रहा है। एफआरबीएम नियमों के तहत अधिदेशित राजकोषीय घाटे में कटौती सकल घरेलू उत्पाद 0.3 प्रतिशत थी और संशोधित अनुमान दर्शाते हैं कि इसे हासिल किया जा सकेगा।

विनिवेश में तीव्रता लाना

7196. श्री राम सिंह कस्वां :

श्री रनेन बर्मन :

श्री सुशील कुमार मोदी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र की कुछ कम्पनियों में अपनी शेयर धारिता की बिक्री करके विनिवेश की प्रक्रिया में तीव्रता लाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इन कम्पनियों के नाम क्या हैं और कितने प्रतिशत शेयरधारिता की बिक्री की जायेगी; और

(ग) उक्त बिक्री से प्राप्त धनराशि का उपयोग किन उद्देश्यों के लिए किया जायेगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) सरकार ने लाभ अर्जित करने वाले बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को स्वदेशी स्टॉक एक्सचेंजों की सूची में शामिल करने और पूर्ण प्रबंधन नियंत्रण सहित कम–से–कम 51 प्रतिशत शेयर अपने पास रखते हुए सूचीबद्ध चुनिन्दा लाभ अर्जित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में अल्पांश भागीदारी की बिक्री करने का सिद्धान्त रूप में निर्णय लिया है जिससे कि कंपनियों का सार्वजनिक क्षेत्र का स्वरूप विकृत न हो। तथापि, किसी विशिष्ट सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के विनिवेश के संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। विनिवेश से सरकार को होने वाली आय को अधिकतम करने के लिए सभी निर्णय मामला दर मामला आधार पर लिए जाएंगे।

(ग) सरकार ने यह निर्णय लिया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के विनिवेश से जुटाई गई धनराशि, जिसे भारत की संचित निधि में जमा कराया जाता है, को 1 अप्रैल, 2005 से राष्ट्रीय निवेश कोष के सृजन के लिए भारत की संचित निधि से विनियोजित किया जाएगा। राष्ट्रीय निवेश कोष की व्यावसायिक तौर पर प्रबंध व्यवस्था सार्वजनिक क्षेत्र की उन चयनित वित्तीय संस्थाओं द्वारा की जाएगी जिनको अपेक्षित अनुभव प्राप्त हो ताकि संग्रह को प्रभावित किए बिना सरकार को स्थायी आय प्रदान की जा सके। राष्ट्रीय निवेश कोष से प्राप्त आय को भारत की संचित निधि में

जमा किया जाएगा और तत्पश्चात सामाजिक क्षेत्र की उन चुनिन्दा योजनाओं के वित्त पोषण के लिए, जो शिक्षा और स्वास्थ्य रक्षा को बढ़ावा दें और उन चुनिन्दा लाभप्रद और पुनरूद्धार योग्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में पूंजी निवेश करने के लिए विनियोजित किया जाएगा जिनसे पर्याप्त आय प्राप्त होती है ताकि उनके पूंजी आधार में वृद्धि की जा सके और उनके विस्तार/विविधिकरण का वित्त पोषण किया जा सके।

[अनुवाद]

अधिशेष स्वर्ण और चांदी

7197. श्री सुखदेव सिंह ढींडसा :

श्री एम. राजा मोहन रेड्डी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत सरकार के टकसालों में पड़े अधिशेष स्वर्ण और चांदी की बिक्री करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो टकसालों में अनुमानतः कितने स्वर्ण और चांदी की अधिशेष मात्रा है; और

(ग) इसमें से कितना स्वर्ण और चांदी बेचे जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) जी, हाँ।

(ख) भारत सरकार की टकसालों में लगभग 5 मीट्रिक टन अधिशेष स्वर्ण और 1670 मीट्रिक टन चांदी मौजूद है।

(ग) सर्राफा बाजार की मांग को सोने और चांदी की संभावित बिक्री की मात्रा निर्धारित करेगी।

[हिन्दी]

विद्युत केन्द्र

7198. डा. चिन्ता मोहन :

श्री रामजीलाल सुमन :

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विद्युत केन्द्रों हेतु विद्युत की उपलब्धता का आकलन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्तमान में देश में कितनी विद्युत एक्सचेंज की जा रही है?

विद्युत मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) और (ख) यह अनुमान लगाया गया है कि आज की तारीख के अनुसार देश में विभिन्न राज्य विद्युत यूटिलिटियों (राज्य विद्युत बोर्डों अथवा विद्युत विभागों) द्वारा अधिकांशतः द्विपक्षीय आधार पर विद्युत का लगभग 15–17 बिलियन यूनिट (किवाघः किलोवाट घंटा) वार्षिक रूप से एक्सचेंज किया जाता है।

विद्युत एक्सचेंज, की स्थापना हो जाने पर, देश भर में क्रेता और विक्रेताओं के मध्य आपसी व्यापार हेतु एक संयुक्त मंच मुहैया हो जाने की आशा है और इस प्रकार विद्युत का ईष्टतम व्यापार हो सकेगा।

हथकरघा हस्तशिल्प क्षेत्र की योजनाओं का आकलन

7199. श्रीमती अनुराधा चौधरी :

श्री मो. ताहिर :

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं हेतु हथकरघा हस्तशिल्प क्षेत्र की केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के क्रियान्वयन का कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य के उपरोक्त वर्गों को कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(घ) क्या सरकार ने इस क्षेत्र में कार्यरत महिला शिल्पियों को प्रशिक्षण देने हेतु कोई कार्यक्रम आरम्भ किया है; और

(ङ) यदि हां, तो वर्ष 2004–05 के दौरान इस संबंध में सरकार ने कुल कितनी प्रदर्शनियां आयोजित की हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) हथकरघा क्षेत्र के विकास एवं संवर्धन और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं सहित हथकरघा बुनकरों के कल्याण के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। हथकरघा बुनकरों के किसी विशेष सामाजिक वर्ग के लिए विशेष रूप से कोई योजना नहीं है। हथकरघा क्षेत्र में कार्यान्वित केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन का मूल्यांकन अभी तक नहीं किया गया है।

जहां तक हस्तशिल्प का संबंध है, हस्तशिल्प क्षेत्र में विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के कार्यालय द्वारा कोई केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं नहीं कार्यान्वित की जा रही हैं। हस्तशिल्प के विकास और संवर्धन के लिए कार्यान्वित योजनाएं केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं हैं,

जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं सहित सभी कामगारों को शामिल करना अनिवार्य है। कारीगरों की किसी विशेष वर्ग के लिए कोई विशेष योजना नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) हथकरघा क्षेत्र की योजनाओं के तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए विशेष रूप से निधियों का आबंटन नहीं किया जाता है।

(घ) जी हां, हथकरघा क्षेत्र में महिला बुनकरों सहित हथकरघा बुनकरों के कौशल उन्नयन हेतु प्रशिक्षण देने के लिए दिसम्बर, 2003 में केन्द्रीय क्षेत्र की एक योजना एकीकृत हथकरघा प्रशिक्षण परियोजना शुरू की गई। इस योजना में पुरुष एवं महिला बुनकरों को प्रशिक्षण के लिए समान अवसर दिया जाता है।

सरकार भी हस्तशिल्प कारीगरों के लिए प्रशिक्षण योजनाएं कार्यान्वित कर रहीं है, जिसमें महिला शिल्पियां भी शामिल हैं।

(ङ) वर्ष 2004–05 के दौरान हथकरघा क्षेत्र के तहत 220 डिजाइन प्रदर्शनी–सह–रंगाई कार्यशालाएं आयोजित की गई।

वर्ष 2004–05 के दौरान हस्तशिल्प क्षेत्र के तहत कारीगरों को विपणन अवसर प्रदान करने के लिए देश में कुल 270 प्रदर्शनियां आयोजित की गई।

[अनुवाद]

बीमा कंपनियों में भ्रष्टाचार

7200. श्री जीवाभाई ए. पटेल :

श्री वी. के. दुग्गर :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ओरिएंटल इंश्योरेंस कार्पोरेशन लि. और न्यू इण्डिया एश्योरेंस कम्पनी लि. के सतर्कता प्रभाग का संगठनात्मक ढांचा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान और फरवरी, 2005 तक सतर्कता विभाग द्वारा भ्रष्टाचार, हेराफेरी और गैर–अनुपातिक परिसम्पत्तियों के कितने मामलों की जांच की गई;

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान दोनों कम्पनियों के दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालयों/मुख्यालय में भ्रष्टाचार, हेराफेरी, धोखाधड़ी और गैर–कानूनी भुगतान से संबंधित जांच की गई शिकायतों का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में की गई/की जाने वाली कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(घ) बीमा कंपनियों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (ओ आई सी एल) और न्यू इण्डिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एन आई ए सी एल) के पास उपयुक्त सतर्कता प्रणाली है जिसका प्रमुख मुख्य सतर्कता अधिकारी है और प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में सतर्कता अधिकारी है।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों अर्थात 2002–03, 2003–04 और 2004–05 (फरवरी तक) के दौरान ओ आई सी एल और एन आई ए सी एल में जांच किए गए भ्रष्टाचार, बेईमानी और अनुपात से अधिक आस्तियां रखने संबंधी मामले क्रमशः 341 और 156 हैं पिछले तीन वर्षों के दौरान ओ आई सी एल ने दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय/मुख्यालय में 86 शिकायतें प्राप्त कीं, जिनमें से 37 मामलों की जांच की गई है। 23 मामलों में कार्रवाई की गई है और 14 मामले बंद किए गए हैं। इसी प्रकार एन आई ए सी एल को 27 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 23 मामलों की जांच की गई है। 21 मामलों में कार्रवाई की गई है और दो मामले बंद किए गए हैं।

(घ) बीमा कंपनियों के सतर्कता अधिकारी सुधारात्मक/निवारक कार्रवाई के लिए मण्डलीय कार्यालयों/शाखा कार्यालयों का अचानक निरीक्षण करते हैं। भ्रष्टाचार मामलों में लिप्त पाए गए कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

[हिन्दी]

सेबी

7201. श्री रामचन्द्र पासवान :

श्री सूरज सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (सेबी) को वर्ष 1993, 1994 और 1995 के दौरान उन कंपनियों के विरुद्ध कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिन्होंने शेयर बाजार में जनता को पहले ही अपने शेयर जारी कर दिए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान सेबी को कौन–कौन सी कंपनियों के विरूद्ध नियमों के उल्लंघन की शिकायतें प्राप्त हुई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

विद्युत परियोजनाओं हेतु विदेशी ऋण

7202. श्री जसुभाई दानाभाई बारड़ : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश की कितनी विद्युत परियोजनाओं के लिए हाल ही में विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक ने ऋण मंजूर किये हैं और तत्संबंधी परियोजना-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक द्वारा उक्त ऋणों पर कितनी ब्याज दर वसूली जायेगी; और

(ग) केन्द्र सरकार उक्त ऋणों का किस प्रकार भुगतान करेगी?

विद्युत मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) से (ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान वित्तपोषण के लिए ए.डी.बी. और विश्व बैंक द्वारा स्वीकृत विद्युत परियोजनाएं संलग्न विवरण में दर्शाई गई हैं:

विवरण

क्र. सं.	परियोजना	ऋण सं.	क्रियान्वयक एजेंसी	राज्य	ऋण राशि (अमेरिकी डॉलर मिलियन में)	ब्याज दर	ऋण भुगतान
एडीबी द्वारा सहायता प्राप्त विद्युत परियोजनाएं							
1.	विद्युत पारेषण सुधार परियोजना	1764-आईएनडी	पीजीसीआईएल	बहुराज्य	250	ब्याज दर प्रत्येक 6 महीनों में परिवर्तनीय है। इसका निर्धारण इस प्रकार के ऋणों को पूरा करने के लिए बकाया ऋणों के बनाए गए संबंधित संचय के पूर्ववर्ती 6 माह की औसत लागत के आधार पर किया जाता है।	वसूली की पाँच वर्षीय छूट अवधि के पश्चात् 10-15 वर्षों की अवधि में इन ऋणों को लौटाया जाना है।
2.	विद्युत क्षेत्र वितरण परियोजना	1968-आईएनडी	पीएफसी	बहुराज्य	150		
3.	गुजरात विद्युत क्षेत्र विकास कार्यक्रम	1803-आईएनडी	जीईबी	गुजरात	150		
	गुजरात विद्युत क्षेत्र विकास परियोजना	1804-आईएनडी	जीईबी	गुजरात	200		
4.	मध्य प्रदेश विद्युत क्षेत्र विकास कार्यक्रम	1868-आईएनडी	एमपीएसईबी	मध्य प्रदेश	150		
	मध्य प्रदेश विद्युत क्षेत्र विकास परियोजना	1869-आईएनडी	एमपीएसईबी	मध्य प्रदेश	200		
5.	असम विद्युत क्षेत्र विकास कार्यक्रम	2036-आईएनडी	एएसईबी	असम	150		
	असम विद्युत क्षेत्र विकास परियोजना	2037-आईएनडी	एएसईबी	असम	1000		
विश्व बैंक सहायता प्राप्त विद्युत परियोजनाएं							
1.	उत्तर प्रदेश विद्युत पुनर्गठन परियोजना	4545-आईएन	यूपीपीसीएल	यू.पी.	150		
2.	राजस्थान विद्युत पुनर्गठन परियोजना	1594-आईएन	आर.आर.वी.पी.एन.एल.	राजस्थान	180		
3.	पीएसडीपी-II	4603-आईएन	पीजीसीआईएल	बहुराज्य	450		

[हिन्दी]

ग्राम विकास संस्थान हेतु सहायता

7203. श्री संतोष गंगवार :

श्री अतीक अहमद :

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार क्षेत्रीय ग्राम विकास संस्थानों के विस्तार के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो राज्य–वार और अवस्थिति–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त उद्देश्य हेतु केन्द्रीय सहायता कब तक जारी किये जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पीएफसी द्वारा वितरित ऋण

7204. श्री असादूद्दीन ओवेसी : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत क्षेत्र सम्बन्धी सुधार और राज्य कम्पनियों के उच्च राजस्व संग्रहण से निजी भागीदारी में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2004–05 के दौरान पीएफसी द्वारा कुल कितना ऋण वितरित किया गया और इससे प्राइवेट डेवलपर्स का अंश कितना है;

(ग) पीएफसी द्वारा 2005–06 के दौरान ऋण संवितरण हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किये गए हैं;

(घ) क्या पीएफसी का विचार बीमा क्षेत्र में प्रवेश करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में निगम द्वारा क्या विस्तृत रणनीति तैयार की गई है?

विद्युत मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) भारतीय वित्तीय संस्थानों एवं बैंकों ने विद्युत क्षेत्र की उत्पादन परियोजनाओं के वित्तपोषण में पुनः अभिरूचि दिखाई है। केवल एक वर्ष से थोड़े अधिक समय की अवधि में 4000 मे.वा. कुल क्षमता की 11 निजी परियोजनाओं, जिनमें लगभग 16000 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है, ने वित्तीय समापन प्राप्त कर लिया है।

(ख) वित्तीय वर्ष 2004–05 के दौरान पीएफसी ने कुल 9405 करोड़ रुपये संवितरित किए। इसमें से 1112 करोड़ रुपये निजी क्षेत्र को दिए गए।

(ग) वित्तीय वर्ष 2005–06 के लिए पीएफसी द्वारा 9800 करोड़ रुपये संवितरित करने का लक्ष्य है।

(घ) सरकार के पास ऐसा कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

[हिन्दी]

पीएमजीएसवाई

7205. श्री सुरेश चन्देल : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना" के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ख) इसके अंतर्गत राज्य–वार आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) उपरोक्त योजना के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश से सड़कों के निर्माण हेतु कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) उपरोक्त प्रस्तावों में से कौन–कौन सी योजनाओं को मंजूरी प्रदान कर दी गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 के दौरान विश्व बैंक/एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त–पोषित परियोजनाओं सहित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के लिए कुल बजट प्रावधान 4235.00 करोड़ रु. है।

(ख) पीएमजीएसवाई के अंतर्गत वर्ष 2005–06 के लिए राज्य–वार आबंटन विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) पीएमजीएसवाई के चरण–V (2005–06) के लिए प्रस्ताव और हिमाचल प्रदेश द्वारा प्रस्तुत किए गए विश्व बैंक द्वारा वित्त–पोषित पीएमजीएसवाई प्रस्ताव, जिन पर ग्रामीण विकास मंत्रालय की अधिकार संपन्न समिति द्वारा विचार किया गया था; निम्नानुसार हैं:

मद	चरण–V (2005–06)	विश्व बैंक द्वारा वित्त–पोषण (2005–06)
सड़क कार्यों की संख्या	105	97
लंबाई (कि.मी.)	614.496	691.15
स्वीकृत प्रस्तावों का मूल्य (करोड़ रु.)	132.93	154.44

चरण–V के कार्यों के संबंध में स्वीकृति दिए जाने से पहले राज्य सरकार को ऑन लाइन एकाउंटिंग अपनाने के साथ–साथ कतिपय पूर्वापेक्षाएं पूरी करनी पड़ती हैं। विश्व बैंक द्वारा वित्त–पोषित कार्यों के संबंध में विस्तृत परियोजना रिपोर्टों की जाँच तकनीकी परीक्षकों द्वारा की जानी होती है।

विवरण

पी.एम.जी.एस.वाई के अंतर्गत 2005–06 के लिए निधियों का अंतरिम राज्य–वार आबंटन*

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य	उपकर से आबंटन	विश्व बैंक	एशियाई विकास बैंक	कुल आबंटन
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	100.00			100.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	52.00			52.00
3.	असम	176.00			176.00
4.	बिहार	332.00			332.00
5.	छत्तीसगढ़	235.00		95.00	330.00
6.	गोवा	5.00			5.00
7.	गुजरात	60.00			60.00
8.	हरियाणा	25.00			25.00
9.	हिमाचल प्रदेश	82.00	50.00		132.00
10.	जम्मू–कश्मीर	60.00			60.00
11.	झारखंड	170.00	25.00		195.00
12.	कर्नाटक	105.00			105.00
13.	केरल	25.00			25.00
14.	मध्य प्रदेश	435.00		100.00	535.00
15.	महाराष्ट्र	140.00			140.00

1	2	3	4	5	6
16.	मणिपुर	28.00			28.00
17.	मेघालय	40.00			40.00
18.	मिजोरम	27.00			27.00
19.	नागालैंड	25.00			25.00
20.	उड़ीसा	268.00			268.00
21.	पंजाब	30.00			30.00
22.	राजस्थान	229.00	57.00		286.00
23.	सिक्किम	25.00			25.00
24.	तमिलनाडु	85.00			85.00
25.	त्रिपुरा	35.00			35.00
26.	उत्तर प्रदेश	370.00	75.00		445.00
27.	उत्तरांचल	95.00			95.00
28.	प. बंगाल	221.00			221.00
	कुल	3480.00	207.00	195.00	3882.00

*इसमें विशेष क्षेत्रों, एन.आर.आर.डी.ए. और क्षमता विकास के लिए निर्धारित निधियां शामिल नहीं हैं।

[अनुवाद]

न्यायालय के लम्बित मामले

7206. डा. एन. जगन्नाथ : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विभिन्न न्यायालयों में वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित सिविल मामलों का कोई रिकार्ड रखती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या विद्यमान कानून में कोई ऐसा उपबंध है जिसके माध्यम से सभी वरिष्ठ नागरिकों को उनके मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित समय से निबटाने का लाभ प्रदान किया जा सके;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इससे संबंधित कानून में संशोधन के लिए क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) से (ङ) वरिष्ठ नागरिकों, निःशक्त व्यक्तियों और महिलाओं से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटारे को पूर्विकता दी जा रही है। वर्ष 1999 में, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति ने सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों को ऐसे मामलों की, जिनमें 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति अंतर्वलित थे, पहचान करने और उनका

पूर्विकता के आधार पर निपटान करने के लिए लिखा था। अभी हाल ही में, संघ सरकार ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों से इस बात के लिए अनुरोध किया है कि वे ऐसे स्थानों पर, जहां एक से अधिक त्वरित निपटान न्यायालय हैं, एक त्वरित निपटान न्यायालय को अनन्य रूप से वरिष्ठ नागरिकों के मामलों पर कार्रवाई करने के लिए उद्दिष्ट करें। अधिकांश उच्च न्यायालयों ने वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित मामलों के निपटारे को पूर्विकता देने के लिए अनुदेश जारी किए हैं।

जहां तक उच्चतम न्यायालय का संबंध है, 65 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के मामलों को सूचीबद्ध किए जाने को पूर्विकता दिए जाने के लिए 2004 की टर्मिनल सूची में सम्मिलित किया गया है।

[हिन्दी]

बैंकों में अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण

7207. श्री सुनिल कुमार महतो :

श्री हरिकेवल प्रसाद :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों और केन्द्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान करने संबंधी सरकार के दिशा–निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान भरी गई रिक्तियों का ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान अधिकारी संवर्ग, लिपिकीय संवर्ग और स्टाफ संवर्ग से संबंधित कितने नव सृजित पदों को अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों से भरा गया है;

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों में मंडल आयोग की सिफारिशों का क्रियान्वयन किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमाणिक्कम) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

काला धन

7208. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :

श्री एम. अंजनकुमार यादव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हवाला कारोबार काले धन की उत्पत्ति का मुख्य कारण है;

(ख) यदि हां, तो सरकार हवाला व्यापार को रोकने के लिए क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है; और

(ग) काले धन की भूमिका को रोकने में उक्त प्रस्ताव कहां तक कारगर सिद्ध हुआ है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम): (क) कर अपवर्चन के तरीकों में से हवाला कारोबार एक है और ऐसे कारोबार काले धन की उत्पत्ति और परिचालन में सहायक होते हैं।

(ख) और (ग) काले धन का पता लगाने और कर अपवंचन को रोकने के लिए, जिसमें हवाला कारोबार के माध्यम से अपवंचन शामिल है, आयकर विभाग तलाशियां एवं जब्तियां, सर्वेक्षण, पूछताछ और आयकर विवरणियों की संवीक्षा करता है। इसके अतिरिक्त, वित्त (सं 2) अधिनियम, 2004 द्वारा धारा 277क शामिल की गई है जो लेखा बहियों अथवा दस्तावेजों की जालसाजी के लिए अभियोजन का प्रावधान करती है। वित्त विधेयक, 2005 दिनांक 1 जून, 2005 से कतिपय नकद कारोबार पर 0.1 प्रतिशत की दर से बैंकिंग कारोबार कर लगाने का प्रस्ताव करता है।

[अनुवाद]

सहकारी बैंकों में अनियमितताएं

7209. श्री पी. एस. गढ़वी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सहकारी बैंकों द्वारा विशेषकर गुजरात राज्य में की जा रही विभिन्न अनियमितताओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा अभी तक ऐसी अनियमितताओं की कोई जांच कराई गई है;

(ग) यदि हां, तो इस जांच के क्या परिणाम निकले हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा ऐसी अनियमितताओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) जी, हां। अन्य बातों के साथ-साथ, शेयर बाजार घोटाला और शेयर दलाली फार्मों के समूह के वित्त पोषण में माधवपुरा मर्कैंटाइल को-आपरेटिव बैंक (एमएमसीबी) की भूमिका की जांच करने के लिये एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया था। इसके अतिरिक्त, होम ट्रेड लि. के साथ सरकारी प्रतिभूतियों में शहरी सहकारी बैंकों के लेन-देनों और सूरत में शहरी सहकारी बैंकों द्वारा की गई अनियमितताओं की भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जांच की गई है।

(ग) जेपीसी ने निदेशकों और संबंधियों को ऋण और अग्रिम प्रदान किए जाने पर रोक, अनिवार्य समवर्ती लेखा परीक्षा, बैंकिंग विनियमन अधिनियम के अंतर्गत जुर्माना बढ़ाने आदि की सिफारिश की है। जेपीसी द्वारा की गई सिफारिशों पर कृत कार्रवाई रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत की गई है। जहां तक गुजरात में चुने हुए बैंकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में लेन-देन का संबंध है, भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ अनियमितताएं पाई थीं। इसके परिणामस्वरूप, इन बैंकों ने निदेशक मंडल के अधिक्रमण हेतु गुजरात राज्य सहकारिता अधिनियम की धारा 115 क के अंतर्गत गुजरात सहकारी समिति के रजिस्ट्रार से अनुरोध किया गया था।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) कई प्रकार के बैंक विशेष और नीति विशेष उपाय किए गए हैं जो निम्नानुसार हैं:-

(i) 25 लाख रु. और अधिक की धोखाधड़ियों के मामले की निगरानी के लिए धोखाधड़ी निगरानी कक्ष की स्थापना;

(ii) शहरी सहकारी बैंकों से कहा गया है कि वे आंतरिक लेखा परीक्षा/सांविधिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट तथा भारतीय रिजर्व बैंक की निरीक्षण रिपोर्ट की समीक्षा के लिए निदेशक मंडल लेखा परीक्षा समिति गठित करें;

(iii) उनके मुख्य कार्यात्मक क्षेत्र को शामिल करते हुए समवर्ती लेखा परीक्षा लागू करना;

(iv) शेयर दलालों को उधार देने पर रोक;

(v) बैंक के संबंधित लेखा-परीक्षकों द्वारा निवेश-पोर्टफोलियो की लेखा परीक्षा;

(vi) अपने ग्राहक को जानें मानदंड की सख्ती से अनुपालना।

बीमा सर्वेक्षकों संबंधी भंडारी समिति

7210. श्री पी. के. वासुदेवन नायर :

श्री के. सुब्बारायण :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बीमा सर्वेक्षकों और हानि का आकलन करने वालों संबंधी भंडारी समिति की रिपोर्ट में क्या सिफारिशें की गई हैं;

(ख) सरकार द्वारा इस पर क्या निर्णय लिया गया है;

(ग) क्या बीमा सर्वेक्षक और समायोजक संस्थान जो कि स्वतंत्र सर्वेक्षकों का एक संगठन है, ने भंडारी समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के कार्यान्वयन के विरूद्ध अभ्यावेदन दिया है और संस्थान के चार्टर स्टेटस को बनाए रखने का भी अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) भण्डारी समिति ने सिफारिश की थी कि आई आर डी ए अधिनियम, 1999 की धारा 14 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मददगार की भूमिका निभाते हुए, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आई आर डी ए) द्वारा बीमा सर्वेक्षकों और हानि निर्धारण के लिए स्वयं वित्त पोषण और स्वयं विनियमन करने वाली संस्था को प्रवर्तित किया जाए।

(ख) सरकार द्वारा भण्डारी समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। बीमा सर्वेक्षक और समायोजक संस्थान ने भण्डारी समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों को रद्द करने का अनुरोध किया है।

(ङ) बीमा सर्वेक्षकों और समायोजक संस्थान के प्रतिवेदन की जांच करने के बाद भण्डारी समिति की सिफारिशों पर सरकार के पहले के निर्णय पर हस्तक्षेप नहीं करने का निर्णय लिया है।

[हिन्दी]

राज्यों को केन्द्रीय सहायता

7211. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को सहायता प्रदान करने संबंधी आधारों का ब्यौरा क्या है;

(ख) सहायता प्रदान करने का सूत्र किस तिथि को तैयार किया गया था और तत्संबंधी मानदंड निर्धारित करने के आधार क्या हैं;

(ग) क्या किसी राज्य ने सूत्र में परिवर्तन करने अथवा इसमें कुछ अन्य आधारों को शामिल करने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) राज्यों को सामान्य केन्द्रीय सहायता गाडगिल फार्मूले के आधार पर योजना आयोग द्वारा आबंटित की जाती है, जिसे वर्ष 1969 में राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा अपनाया गया था तथा उसे 1991 में अंतिम बार संशोधित किया गया था। मौजूदा फार्मूले के अनुसार राज्यों को केन्द्रीय सहायता निम्नवत मानदण्डों के आधार पर आबंटित की जाती है:–

क्र.सं.	मानदण्ड	महत्व
1.	जनसंख्या	60 प्रतिशत
2.	प्रतिव्यक्ति आय	25 प्रतिशत
3.	निष्पादन	7.50 प्रतिशत
4.	विशेष समस्या	7.50 प्रतिशत

(ग) और (घ) मौजूदा गाडगिल मुखर्जी फार्मूले में संशोधन के लिए विभिन्न राज्य सरकारों ने योजना आयोग से संपर्क किया है। आमतौर पर विकसित राज्यों ने जहां बेहतर निष्पादन के आधार पर स्वयं को ज्यादा महत्व दिए जाने की मांग की है, जबकि कम विकसित राज्यों ने अपने पिछड़ेपन के आधार पर ही उन्हें ज्यादा महत्व दिए जाने की मांग की है। इस मामले पर पूरे योजना आयोग की 27 तथा 29 जून, 2001 को आयोजित बैठक में विचार–विमर्श किया गया। राज्य सरकारों के बीच मतभेद तथा मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए यह निर्णय लिया गया कि अगला कोई संशोधन करने से पहले इस मामले पर आम सहमति बनाया जाना आवश्यक है।

विद्युत परियोजनाओं का नवीकरण

7212. श्री सुशील कुमार मोदी : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बिहार के शहरी क्षेत्रों में विद्युत की स्थिति में सुधार करने हेतु सात नए विद्युत उप केन्द्रों के नवीकरण और तीन नए उपकेन्द्रों की स्थापना करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इनमें से प्रत्येक पर कितनी धनराशि खर्च करने का प्रस्ताव है; और

(घ) इनके कब तक पूरा होने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) से (घ) पावरग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लि. (पीजीसीआईएल) केन्द्रीय क्षेत्र के अंतर्गत क्षेत्रीय योजना के रूप में और राज्य क्षेत्र के अंतर्गत परामर्शदायी कार्यों के रूप में विभिन्न स्कीमों को कार्यान्वित कर रहा है।

केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत :

पीजीसीआईएल केन्द्रीय क्षेत्र के अंतर्गत बिहार में निम्नलिखित सब–स्टेशनों पर कार्यान्वयन कर रहा है–

* पटना में 2x315 एमवीए, 400/220 केवी सब–स्टेशन (कहलगांव–II फेस–I से संबद्ध पारेषण प्रणाली के अंतर्गत)

  चालू होने का समय : वर्ष 2007

* मुजफ्फरपुर में 2x315 एमवीए, 400/220 केवी सब–स्टेशन (तालां जल विद्युत परियोजना, पूर्वी–उत्तरी इंटर कनैक्टर और उत्तर क्षेत्रीय पारेषण प्रणाली से संबद्ध पारेषण प्रणाली के अंतर्गत)

  चालू होने का समय : वर्ष 2006

राज्य क्षेत्र के अंतर्गत :

उप–पारेषण कार्यों और त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) के भाग के रूप में बिहार में बहुत से नए सब–स्टेशनों का कार्यान्वयन बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बीएसईबी) की ओर से पीजीसीआईएल द्वारा किया जा रहा है। जिसके ब्यौरे क्रमशः विवरण – I और II में दिए गये हैं।

विवरण-I

बिहार में उप–पारेषण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के चरण–I के अंतर्गत नए सब–स्टेशन

			एमवीए
1.	गोपालगंज	–220/132 केवी	-2*100
		132/33 केवी	-2*20
2.	वैशाली	–132/33 केवी	-2*10
3.	शीतलपुर	–132/33 केवी	-2*20
4.	फुलपरास	–132/33 केवी	-2*10
5.	डाका	–132/33 केवी	-2*10
6.	मधुबनी	–132/33 केवी	-2*20
7.	सुपौल	–132/33 केवी	-2*10
8.	जयनगर	–132/33 केवी	-2*10
9.	बेनियापुर	–33/11 केवी	-2*3
10.	दरभंगा	–220/132 केवी	-2*100
11.	बांका	–132/33 केवी	-2*20
12.	बिक्रमगंज	–132/33 केवी	-2*20
13.	भभुआ	–132/33 केवी	-2*20
14.	सासाराम	–132/33 केवी	-2*20
15.	फारबिसगंज	–132/33 केवी	-2*20
16.	उदा किशनगंज	–132/33 केवी	-2*20
17.	बिहटा	–132/33 केवी	-2*50
18.	बाढ़	–132/33 केवी	-2*20

ये कार्य बिहार सरकार/बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की ओर से पीजीसीआईएल द्वारा निष्पादनाधीन है।

अनुमानित लागत : 192.37 करोड़ रुपए

चालू होने का समय : जून 2006 तक

विवरण-II

पीजीसीआईएल द्वारा बिहार में एपीडीआरपी योजना का निष्पादन

क्रम सं.	सर्किल का नाम	सब–स्टेशनों का नवीकरण	नए सब स्टेशन
1	2	3	4
1.	पीईएसयू (पूर्व)	16	2
2.	पटना	18	-
3.	मुजफ्फरपुर	29	-
4.	पीईएसयू (पश्चिम)	24	2
5.	रोहतास	9	5
6.	दरभंगा	22	5
7.	गया	13	7
8.	सहरसा	14	4
9.	पूर्णिया	19	4
10.	भागलपुर	19	3
11.	छपरा	17	6
	कुल	200	38

पीजीसीआईएल बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के साथ किए गए द्विपक्षीय समझौते के अंतर्गत बिहार राज्य के 11 सर्किलों में एपीडीआरपी योजनाओं का निष्पादन कर रही है जिसके अंतर्गत वर्तमान 33/11 केवी के 200 पावर सब–स्टेशनों का नवीनीकरण किया जा रहा है और 33/11 केवी के 38 नये विद्युत सब–स्टेशनों का निर्माण किया जा रहा है।

अनुमानित मूल्य : उपरोक्त कार्य बिहार राज्य के लिए मंजूर की गई 866.76 करोड़ रुपये की एपीडीआरपी योजनाओं का भाग है जिसमें अन्य योजनाएं जैसे 33 केवी, 11 केवी और एलटी लाइनों की नये रूप में/पुनः संचालन, नई डीटी के नवीकरण एवं आधुनिकीकरण और संस्थापना, उपभोक्ता व बी प्रणाली मीटरिंग, पीईएसयू (पूर्वी एवं पश्चिमी सर्किल) में स्काडा/डीएमएस, सूचना प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन आदि भी शामिल है।

चालू करने का समय : जून 2006 के अंत तक चरणबद्ध तरीके से।

[अनुवाद]

गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान

7213. श्री रूपचन्द मुर्मू : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा वर्ष 2004–2005 में पश्चिम बंगाल के कुछ गैर–बैंकिंग वित्त कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण–पत्र रद्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इन गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का जिलेवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) पंजीकरण प्रमाण–पत्र को रद्द करने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने जनवरी, 2004 से अब तक पश्चिम बंगाल के 25 गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के पंजीकरण प्रमाण–पत्र (सीओआर) को रद्द कर दिया है। जिन एनबीएफसी के पंजीकरण प्रमाण–पत्र को रद्द किया गया है, उनके पंजीकृत कार्यालय कोलकाता में हैं।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने आगे सूचित किया है कि दो कंपनियों की वित्तीय स्थिति संतोषजनक नहीं थी तथा प्रबंधन के पास कंपनियों के पुनरूज्जीवन या पुनर्गठन तथा जमाराशियों की वापसी के लिए कोई योजना नहीं थी। सात कंपनियों को गैर–बैंकिंग गैर–वित्तीय कंपनियों में परिवर्तित कर दिया गया। सोलह गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का विभिन्न कंपनियों में विलय कर दिया गया था। अतः उनके पंजीकरण प्रमाण–पत्रों को रद्द कर दिया गया।

राष्ट्रीय निवेश कोष

7214. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय निवेश कोष के प्रबंधन और विनियोजन के लिए कोई नियम अथवा दिशा–निर्देश बनाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इससे कितनी वार्षिक आय प्राप्त होने की संभावना है; और

(घ) इस कोष में किए गए निवेश का निर्धारित उद्देश्य के लिए प्रयोग सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ताकि इसका अन्यत्र उपयोग नहीं किया जा सके जैसा कि हाल ही में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के मामले में हुआ था?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) सरकार ने यह निर्णय लिया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के विनिवेश से जुटाई गई धनराशि, जिसे भारत की संचित निधि में जमा कराया जाता है, को 1 अप्रैल, 2005 से राष्ट्रीय निवेश कोष के सृजन के लिए भारत की संचित निधि से विनियोजित किया जाएगा। राष्ट्रीय निवेश कोष की व्यावसायिक तौर पर प्रबंध व्यवस्था सार्वजनिक क्षेत्र की उन चयनित वित्तीय संस्थाओं द्वारा की जाएगी जिनको अपेक्षित अनुभव प्राप्त हो ताकि संग्रह को प्रभावित किए बिना सरकार को स्थायी आय प्रदान की जा सके।

(ग) राष्ट्रीय निवेश कोष से होने वाली वार्षिक आय बाजार द्वारा निर्धारित होगी। तथापि, चूंकि सक्रिय रूप से इस कोष की प्रबंध व्यवस्था सार्वजनिक क्षेत्र की उन चयनित वित्तीय संस्थाओं द्वारा की जाएगी, जिनको अपेक्षित अनुभव हो, इसलिए समुचित आय होने की आशा है।

(घ) राष्ट्रीय निवेश कोष के लिए निवेश संबंधी नीति इस कोष की प्रबंध व्यवस्था करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं द्वारा कार्यान्वित की जाएगी। राष्ट्रीय निवेश कोष से प्राप्त आय को भारत की संचित निधि में जमा किया जाएगा और तत्पश्चात सामाजिक क्षेत्र की उन चुनिन्दा योजनाओं के वित्त पोषण के लिए, जो शिक्षा और स्वास्थ्य रक्षा को बढ़ावा दें और उन चुनिन्दा लाभप्रद और पुनरूद्धार योग्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में पूंजी निवेश करने के लिए विनियोजित किया जाएगा जिनसे पर्याप्त आय प्राप्त होती है ताकि उनके पूंजी आधार में वृद्धि की जा सके और उनके विस्तार/विविधिकरण का वित्त पोषण किया जा सके।

[हिन्दी]

ऐसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी

7215. श्रीमती जयाप्रदा :

श्री राजीव रंजन सिंह "ललन" :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया लिमिटेड ने 12,000 करोड़ रुपए की गैर निष्पादनकारी आस्तियों को मात्र 2,500 करोड़ रुपए में खरीदा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उपर्युक्त गैर निष्पादनकारी आस्तियों की बिक्री हेतु उक्त कंपनी के चयन के क्या कारण हैं;

(घ) क्या उक्त बैंकों अथवा वित्तीय संस्थानों ने आस्तियों को बेचने से पहले उक्त धनराशि की वसूली के लिए कोई प्रयास किया था; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि भारतीय आस्ति पुनर्गठन कंपनी लिमिटेड (एआरसीआईएल) द्वारा दिए गए विवरण के अनुसार 31 दिसम्बर, 2004 की स्थिति के अनुसार

कंपनी ने 11,279.04 करोड़ रु. बही मूल्य वाले बैंकों/वित्तीय संस्थाओं की आस्तियों को 2490.98 करोड़ रु. खरीद प्रतिफल में अधिग्रहण कर लिया है।

(ग) से (ङ) इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि भारत में बैंकों को समयाग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए कई विकल्प दिए गए हैं। बैंकों को अपनी देयराशियों की वसूली के लिए एक या अधिक विकल्पों का प्रयोग करने की स्वतंत्रता दी गई है। अनुपयोज्य आस्तियों की वसूली के लिए उपलब्ध अन्य उपाय करने के साथ–साथ बैंक या वित्तीय संस्थाएं अपनी अनुपयोज्य आस्तियों को वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत स्थापित प्रतिभूतिकरण कंपनियों/पुनर्गठन कंपनियों को बेच सकती हैं। प्रतिभूतिकरण/आस्ति पुनर्गठन का कारोबार शुरू करने के लिए तीन कंपनियों को पंजीकरण प्रदान किया गया है। भारतीय आस्ति पुनर्गठन कंपनी लि. (एआरसीआईएल) अकेली कंपनी है जिसने कारोबार शुरू किया है और इसलिए बैंकों/वित्तीय संस्थाओं ने इस कंपनी को अपनी अनुपयोज्य आस्तियां बेची हैं।

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम में धोखाधड़ी

7216. श्री तूफानी सरोज : क्या **कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय औद्योगिक वित्त निगम में धोखाधड़ी से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो आई एफ आई द्वारा की गई शिकायत का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस शिकायत को "सिरीयस फ्राड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस" को भेज दिया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(ङ) यदि हां, तो जांच निष्कर्ष के कब तक प्राप्त होने की संभावना है?

कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय औद्योगिकी वित्त निगम (आई एफ सी आई) ने कम्पनी विधि बोर्ड (सीएलबी) के समक्ष दायर एक शिकायत में यह आरोप लगाया है कि आई एफ सी आई सहित वित्तीय संस्थाओं द्वारा तीन सत्ताओं (इंटीटीज), नामशः मैसर्स ऊषा (इंडिया) लि., मैसर्स मालविका स्टील लि. और मैसर्स कोशिश टेलिकाम लि. को दिये गये ऋणों से 45 अरब रुपये (4500 करोड़ रुपये) तक का निधियों का अनुचित अपयोजन है।

(ग) आई एफ सी आई की शिकायत/याचिका पर आधारित, दिनांक 22.03.2005 के अपने आदेश में सी एल बी ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 237 (ख) के अन्तर्गत 3 कम्पनियों, नामतः मैसर्स ऊषा (इंडिया) लि. मैसर्स मालविका स्टील लि. और मैसर्स कोशिका टेलिकॉम लि. के कार्यों की जांच का आदेश दिया है। केन्द्र सरकार, गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय के सक्षम निरीक्षकों को जांच का कार्य करने के लिए नियुक्त करने का कार्य कर रही है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) छः से नौ महीने।

[अनुवाद]

विद्युत क्षेत्र में निवेश

7217. श्री बाडिया रामकृष्णा :

श्री ई. पोन्नुस्वामी :

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विद्युत परियोजनाओं के निवेश पर निर्णय लेने में हुए विलम्ब के कारणों की जांच करने के लिए वित्त मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो इसके लक्ष्य और उद्देश्य क्या है;

(ग) क्या समिति अवसंरचना क्षेत्र में कम वृद्धि के लिए जिम्मेदार घटकों की भी जांच करेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट सरकार को कब तक पेश किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) परियोजना निवेश की निर्णय प्रक्रिया में सुधार हेतु सुझाव देने के लिए वित्त मंत्री की अध्यक्षता में मंत्रियों के एक समूह (जीओएम) का गठन दिनांक 5.4.2005 को किया गया है। इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कोई समय–सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

[हिन्दी]

अंतर्राष्ट्रीय शिल्प परिसर

7218. श्री अविनाश राय खन्ना :

श्रीमती किरण माहेश्वरी :

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में अंतर्राष्ट्रीय शिल्प परिसरों को खोलने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थाना–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन अंतर्राष्ट्रीय शिल्प परिसरों को खोलने के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई है;

(घ) इन अंतर्राष्ट्रीय शिल्प परिसरों को खोलने के मुख्य उद्देश्य क्या हैं; और

(ङ) इन अंतर्राष्ट्रीय परिसरों को कब तक निर्मित किए जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) और (ख) हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसीएच) ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा स्थापित किए जा रहे वसंत कुंज मॉल में अंतर्राष्ट्रीय शिल्प परिसर के लिए निर्धारित क्षेत्र में इसकी स्थापना किए जाने हेतु सरकार को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

(ग) अभी कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है।

(घ) अन्तर्राष्ट्रीय शिल्प पर्यटन पर बल देने के प्रायोजन से अन्तर्राष्ट्रीय शिल्प परिसर के मुख्य उद्देश्यों में शामिल है; बेहतरीन राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय शिल्पों को प्रदर्शित करने के लिए एक समान मंच मुहैया कराना; थिमैटिक प्रदर्शनों के लिए वर्ष भर क्रियाकलाप मुहैया कराना; शिल्पों का सजीव प्रदर्शन; सांस्कृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रम आदि।

(ङ) अभी निश्चित समयावधि बताना सम्भव नहीं होगा क्योंकि डीडीए द्वारा भूमि के औपचारिक आबंटन की सूचना अभी दी जानी है।

[अनुवाद]

ईंधन के रूप में हाइड्रोजन ऊर्जा

7219. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हाइड्रोजन का ईंधन के रूप में प्रयोग करके उत्पादन, भंडारण तथा उपयोगिता के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं स्थापित करने का है ताकि हाइड्रोजन ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा सके; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : *(क) और (ख)* सरकार परिवहन तथा विद्युत उत्पादन के लिए ईंधन के रूप में हाइड्रोजन के उत्पादन, भंडारण, सुरक्षा तथा अनुप्रयोगों से संबंधित विभिन्न पहलुओं को शामिल करते हुए हाइड्रोजन ऊर्जा के क्षेत्र में व्यापक आधार के अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम की एक दशक से भी अधिक समय से सहायता कर रही है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रयोगशालाओं तथा अन्य विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संगठनों में हाइड्रोजन ऊर्जा के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं कार्यान्वयनधीन है।

[हिन्दी]

राजस्थान को सूखे के लिए राहत

7220. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के सूखा प्रभावित लोगों के कल्याण के लिए राजस्थान सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि हां, तो स्वीकृत प्रस्तावों की संख्या कितनी है; और

(ग) शेष प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र) : (क) से (ग) कृषि मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार राजस्थान की सरकार ने नवम्बर, 2004 में एक ज्ञापन भेजा था जिसमें जुलाई, 2004 से जुलाई, 2005 तक की अवधि के लिए राहत रोजगार के लिए तथा सूखे के लिए राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (एन.सी.सी.एफ.) से 2378.64 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता तथा 28.80 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्नों की माँग की थी। इस पर माननीय कृषि मंत्री की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति (एच.एल.सी.) द्वारा विचार किया गया था और उच्च स्तरीय समिति ने राज्य की आपदा राहत निधि (सी.आर.एफ.) में शेष राशि के समयोजन के अध्ययधीन राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से 332.27 करोड़ रुपये की सहायता तथा सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई.) के विशेष संघटक से 6.99 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न (जिसकी कीमत 700 करोड़ रुपये बैठती है) मुफ्त देने को अनुमोदित किया था। दी गई सहायता 31.3.2005 तक के लिए थी।

मार्च, 2005 के बाद सहायता संबंधी और आवश्यकताओं का

आकलन करने के लिए राज्य में एक दल भेजा गया था। माननीय कृषि मंत्री की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति ने दिनांक 5.5.2005 को हुई अपनी बैठक में राज्य की आपदा राहत निधि में शेष राशि के समायोजन के अध्यधीन राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (एन.सी.सी.एफ.) से 156.71 करोड़ रुपये की सहायता तथा सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के विशेष संघटक से 4.00 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न (जिसकी कीमत लगभग 400 करोड़ रुपये बैठती है) मुफ्त देने को अनुमोदित किया है। कुल मिलाकर अभी तक वर्ष 2004–05 के सूखे के लिए राज्य को राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (एन.सी.सी.एफ.) से 488.98 करोड़ रुपये (राज्य की आपदा राहत निधि में शेष राशि के समायोजन के अध्यधीन) तथा 10.99 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न (जिसकी कीमत लगभग 1100 करोड़ रुपये बैठती है) स्वीकृत किये गये हैं। राजस्थान के संबंध में वर्ष 2004–05 के सूखे के लिए सहायता संबंधी कोई अनुरोध लंबित नहीं पड़ा है।

फेरा, एमआरटीपी आदि से राजस्व

7221. श्री ब्रजेश पाठक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान फेरा, एम आर टी पी तथा अन्य संबंधित अधिनियमों को लागू करके सरकार द्वारा अर्जित राजस्व का वर्ष–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस संबंध में कोई समीक्षा की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973/विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 और एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 के कार्यान्वयन के माध्यम से सरकार द्वारा अर्जित राजस्व का वर्षवार ब्यौरा क्रमशः विवरण I और विवरण II में दिया गया है।

(ख) और (ग) फेरा 1973 और फेमा 1999 का आशय राजस्व अर्जित करना नहीं है। तथापि, उक्त अधिनियमों के उल्लंघनों के लिए न्यायनिर्णयन कार्यवाहियों के निष्कर्षों पर शास्तियां लगाई जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त, अभिगृहित मुद्राओं (करेंसियों) को भी जब्त किया जाता है। वसूल की गई और जब्त की गई शास्ति की समय–समय पर समीक्षा की जाती है। संग्रहित राशि पर्याप्त नहीं होने के कारण एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 के अधीन समीक्षा आवश्यक नहीं समझी गई है।

विवरण-I

(रुपये लाखों में)

फेरा, 1973 के अधीन विवरण	2002	2003	2004
वसूल की गई शास्तियां	321.53	473.40	1896.51
सरकारी खाते में जमा की गई जब्त भारतीय मुद्रा	114.61	320.52	481.55
सरकारी खाते में जमा की गई जब्त विदेशी मुद्रा	494.63	448.38	618.67
जोड़	930.77	1242.30	2996.73

(रुपये लाखों में)

फेरा, 1999 के अधीन	2002	2003	2004
वसूल की गई शास्तियां	19.34	62.59	108.29
सरकारी खाते में जमा की गई जब्त भारतीय मुद्रा	0.43	34.69	109.16
सरकारी खाते में जमा की गई जब्त विदेशी मुद्रा	14.42	36.86	103.44
जोड़	34.19	134.14	320.89

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों में फाइलों, दस्तावेजों आदि की प्रतियों की आपूर्ति के प्रयोजन के लिए संग्रहित एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	राशि (रुपए में)
2002	19,422/-
2003	6,663/-
2004	6,174/-

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा राज्यों को ऋण

7222. श्री रामदास आठवले : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंक राज्य सरकारों को ऋण उपलब्ध कराते हैं;

(ख) यदि हां, तो आज की तारीख तक प्रत्येक राज्य सरकार के पास बकाया राशि कितनी है;

(ग) यह राशि किस तिथि से बकाया है;

(घ) ऋण का भुगतान न करने के लिए चूककर्ता राज्यों द्वारा क्या कारण बताए गए हैं;

(ङ) उक्त राशि की वसूली करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(च) क्या कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकों ने उक्त राशि की वसूली करने के लिए अपने दावे न्यायालयों के समक्ष पेश किए हैं; और

(छ) यदि हां, तो इसकी नवीनतम स्थिति क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (छ) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंकों को सिर्फ बाजार उधार के माध्यम से न कि ऋणों के माध्यम से राज्य सरकारों को उधार देने की अनुमति दी जाती है। 28 फरवरी, 2005 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश 112940 करोड़ रु. है।

[अनुवाद]

एनटीपीसी द्वारा किया गया निवेश

7223. श्री बालासाहिब विखे पाटिल : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग द्वारा सिफारिश की गई है कि नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन (एन टी पी सी) को या तो स्टेट यूटिलिटीज कंपनियों के साथ अथवा निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से नए निवेश करने चाहिए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विद्युत मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) योजना आयोग ने फरवरी, 2003 में सिफारिश की थी कि नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एनटीपीसी) निजी प्रवर्तकों और राज्य सरकारों के साथ संयुक्त उद्यम के जरिए परियोजनाएं आरंभ करें। योजना आयोग की सिफारिशें एनटीपीसी को प्रेषित कर दी गई थीं।

एनटीपीसी एक नवरत्न कम्पनी है और जहाँ तक सौंपी गई शक्तियों का संबंध है एनटीपीसी इस शर्त के साथ भारत और विदेशों में वित्तीय संयुक्त उद्यमों और पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी आधिष्ठापित करने के लिए सक्षम है कि सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम का इक्विटी निवेश निम्नलिखित तक सीमित होगा–

(i) किसी एक परियोजना में 200 करोड़ रुपये।

(ii) किसी एक परियोजना में सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के निवल मूल्य का 5%।

(iii) सभी संयुक्त उद्यमों/सहायक कम्पनियों में सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के निवल मूल्य का 15% संयुक्त रूप से।

एनटीपीसी ने दिनांक 20.2.2004 को गुजरात के अमेरली जिले के पिपावाव में 1000 मेगावाट ताप विद्युत परियोजना की स्थापना हेतु गुजरात पावर कारपोरेशन लि. (जीपीसीएल) और गुजरात बिजली बोर्ड (जीईबी) के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है। एनटीपीसी ने 11वीं योजना अवधि के दौरान लाभ प्राप्त करने हेतु संयुक्त उद्यम परियोजनाओं यथा भिलाई कैप्टिव विद्युत संयंत्र (सीपीपी) चरण–।। (500 मेगावाट), नवीनगर ताप विद्युत परियोजना (टीपीपी) (1000 मेगावाट) और एन्नौर ताप विद्युत परियोजना (टीपीपी) (1000 मेगावाट) को भी आरम्भ किया है/आरम्भ करने की परिकल्पना की है।

गरीबी उपशमन के लिए वित्तीय सहायता

7224. श्री एस. के. खारवेनथन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गरीबी उपशमन कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान विश्व बैंक तथा एशियाई विकास बैंक द्वारा भारत को वित्तीय सहायता दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी अनुदान–वार तथा ऋण–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे अनुदान/ऋण के पुनर्भुगतान के तरीके तथा इन पर देय ब्याज को दर्शाते हुए ऐसे अनुदान/ऋण की निबंधन और शर्तें क्या हैं; और

(घ) कितने राज्यों द्वारा उक्त ऋणों का उपयोग कर लिया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) विश्व बैंक ने पिछले तीन वर्षों के दौरान गरीबी उपशमन से संबंधित दो परियोजनाओं के लिए सहायता प्रदान की है जिनके अंतर्गत प्रत्यक्षतः, गरीबी को कम करने का ही लक्ष्य रखा गया है। इन परियोजनाओं के नाम आंध्र प्रदेश ग्रामीण उपशमन परियोजना तथा छत्तीसगढ़ जिला ग्रामीण गरीबी उपशमन परियोजना हैं तथा इनमें विश्व बैंक की क्रमशः 150 मिलियन अमरीकी डालर तथा 112.56 मिलियन अमरीकी डालर की सहायता राशि अंतर्विष्ट है।

एशियाई विकास बैंक ने पिछले तीन वर्षों के दौरान गरीबी उपशमन की किसी विशिष्ट परियोजना के लिए सहायता प्रदान नहीं की है।

(ग) इन परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक सहायता

अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (आईडीए) क्रेडिट के रूप में प्रदान की गई है तथा इस पर कोई ब्याज नहीं लगता, केवल 0.75 प्रतिशत की दर से सेवा प्रभार लगता है। इन ऋणों की वापसी अदायगी 10 वर्ष की आरम्भिक रियायती अवधि सहित 35 वर्षों में की जानी है।

(घ) दो।

बीजों पर वैट लगाया जाना

7225. श्री कुलदीप बिश्नोई : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वैट प्रणाली के अंतर्गत बीजों पर 4 प्रतिशत कर लगाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राष्ट्रीय बीज नीति 2002 के विशिष्ट प्रावधान तथा कृषि संबंधी राष्ट्रीय आयोग की इस संबंध में सिफारिशें क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा बीजों को वैट से बाहर रखने के लिए क्या कदम, यदि कोई हैं, उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति ने दिनांक 26 अप्रैल, 2005 को हुई अपनी बैठक में तिलहन को छोड़कर सभी बीजों को वैट से छूट देने का निर्णय लिया है।

(ग) राष्ट्रीय बीज नीति, 2002 में यह परिकल्पना की गई है कि प्रतिस्पर्धात्मक बीज बाजार विकसित करने के लिए राज्यों को बीजों की बिक्री पर अनावश्यक स्थानीय कराधान हटाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसी प्रकार राष्ट्रीय कृषि आयोग–1976 उन्नयन उपाय जैसे अनाज के लिए प्रचलित उगाहियों, चुंगी, बिक्री कर अथवा किसी अन्य रूप में स्थानीय करों से बीजों को छूट देने की सिफारिश करता है।

(घ) वित्त राज्य मंत्रियों की अधिकार–प्राप्त समिति, जो राज्यों का प्रतिनिधि निकाय है, ने तिलहन बीजों को छोड़कर सभी बीजों को वैट से छूट देने का निर्णय लिया है।

सिक्कों/करेंसी नोटों की शुरूआत

7226. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम :

श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा महान विभूतियों की याद में कुछ सिक्के/करेंसी नोट शुरू करने का निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विभूति–वार तथा सिक्के–वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन सिक्कों के कब तक बाजार में परिचालित किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) हाल ही में, ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

पंजाब नैशनल बैंक में भ्रष्टाचार

7227. श्री सुकदेव पासवान : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा भ्रष्टाचार के कुछ मामलों की जांच की गई है जिसमें पंजाब नेशनल बैंक के उच्चाधिकारी शामिल थे;

(ख) यदि हां, तो इस जांच की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या वित्त मंत्रालय के बैंकिंग प्रभाग के सतर्कता विभाग द्वारा कोई जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे मामलों में कितनी राशि शामिल है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा उच्चाधिकारियों की संलिप्तता वाली करोड़ों रुपयों की जालसाजी को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सूचित किया है कि उसने वर्ष 2002 से पंजाब नैशनल बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक एवं इससे उच्च स्तर के अधिकारियों के विरूद्ध तीन मामलों की जांच की है। एक मामले में चार्जशीट दायर की गई है, दूसरे मामले में जांच चल रही है और निश्चित साक्ष्य के अभाव में तीसरे मामले में अभियोजन शुरू नहीं किया जा सका।

(ग) से (ङ) बैंकिंग प्रभाग के सतर्कता अनुभाग ने इन मामलों में कोई जांच नहीं की है। सामान्यतया, ऐसे मामलों में, प्राप्त

शिकायतों के आधार पर या स्रोत सूचना के आधार पर सीबीआई जैसी विशेषज्ञ एजेंसी द्वारा जांच की जाती है।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक अपने पर्यवेक्षी उत्तरदायित्व के भाग के रूप में सामान्य धोखाधड़ी की संभावना वाले क्षेत्रों और बैंकों में धोखाधड़ियों की घटना को रोकने/कम करने के लिए उनके द्वारा किए जाने वाले उपायों के बारे में बैंकों को समय-समय पर परामर्श देता है।

बहुराष्ट्रीय बैंकों की ब्याज दर

7228. श्री मंजुनाथ कुन्नुर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुराष्ट्रीय बैंक अपने उपभोक्ताओं से काफी अधिक दरों पर ब्याज ले रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन बैंकों को ब्याज लेते समय भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों को लागू करने का निदेश दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक की ब्याज दर नीति के अनुसार विदेशी बैंकों सहित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ब्याज की दर को अविनियमित कर दिया गया बशर्ते कि 2 लाख रु. तक के ऋणों पर ब्याज की दर बेंचमार्क प्राथमिक उधार दर से अधिक न हो। वाणिज्यिक बैंक अपने बेंचमार्क प्राथमिक उधार दर की घोषणा के अध्यधीन 2 लाख रु. से अधिक के ऋणों के लिए अपनी उधार दर तय करने के लिए स्वतंत्र है।

बीड़ी पर उत्पाद कर

7229. श्री श्याम चरण गुप्त : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बीड़ी के ब्रांड विनिर्माताओं द्वारा छूट के लिए किये गए गलत दावों के मामलों का ब्यौरा क्या है तथा उन पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ख) दिनांक 31.03.05 को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क न देने वाले ब्रांड वाले/बिना ब्रांड वाले बीड़ी विनिर्माताओं की जिले-वार संख्या कितनी है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान संबंधित कानून का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए वर्ष-वार कितने सर्वेक्षण कराये गए;

(घ) छूट की सीमा पार करने के बाद पंजीकरण करवाने वाले विनिर्माताओं की संख्या कितनी है;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान छूट संबंधी अवैध दावा करने वाले कितने लोगों को गिरफ्तार किया है; और

(च) किसी विशेष स्थान पर फील्ड ऑफिसर निरन्तर कितने समय तक तैनात रहते हैं क्योंकि एक ही स्थान पर तैनात रहने के कारण ऐसे मामलों का पता नहीं चल पाता है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कपास की खरीद

7230. श्री बी. विनोद कुमार : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कॉटन कॉर्पोरेशन आफ इंडिया ने आंध्र प्रदेश में किसानों से कपास की खरीद का कार्य शुरू कर दिया है;

(ख) क्या सरकार का ध्यान किसानों द्वारा की गई अनेक शिकायतों की ओर आकर्षित किया गया है कि उनकी कपास की बहुत कम मात्रा में तथा बहुत कम कीमतों पर खरीद की गई है; और

(ग) यदि हां, तो किसानों की शिकायतें दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) पूरे देश में 138.79 लाख क्विंटल कपास (170 कि.ग्रा. प्रत्येक गांठ की 27.09 गांठ लिंट कपास के बराबर) की कुल खरीद में से आंध्र प्रदेश ने भारतीय कपास निगम (सी सी आई) ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एस एस पी) के तहत 64.19 लाख क्विंटल कपास की खरीद की है।

(ख) सी सी आई को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अधिकतम कपास की खरीद करने के लिए समय-समय पर विभिन्न स्थानों से अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं।

(ग) भारत सरकार कपास उत्पादकों के हितों की रक्षा के

लिए उमदा औसत कोटि (एफ ए क्यू) की कपास (बीज कपास) के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है। जब कभी कपास का बाजार मूल्य भारत सरकार द्वारा घोषित एम एस पी के स्तर से नीचे गिरता है तो भारतीय कपास निगम न्यूनतम समर्थन मूल्य अभियान चलाता है और बिना किसी मात्रात्मक सीमा के कपास की खरीद करता है। चूंकि एम एस पी एफ ए क्यू ग्रेड की कपास के लिए निर्धारित किया जाता है अतः मानदंडों में किसी परिवर्तन के लिए ऑन/ऑफ भत्ता दिया जाता है। यद्यपि घोषित एम एस पी एफ ए क्यू ग्रेड की कपास के लिए होता है अतः किसानों के हितों की रक्षा के लिए सी सी आई उपयुक्त कटौती करने के बाद एफ ए क्यू ग्रेड से नीचे की कपास की भी खरीद करता है। चालू कपास वर्ष के दौरान 05.05.2005 तक सी सी आई ने समर्थन मूल्य अभियानों के तहत 138.79 लाख क्विंटल कपास (170 कि. ग्रा. प्रत्येक गांठ की 27.09 लाख गांठ लिंट कपास के बराबर) की खरीद की है जो कि एक रिकार्ड है।

[हिन्दी]

जल विद्युत परियोजना

7231. श्री कैलाश मेघवाल : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के मद्देनजर देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने हेतु परिस्थितियां अत्यधिक अनुकूल हैं;

(ख) क्या पूर्वोत्तर राज्यों में से एक मुख्य राज्य सिक्किम ने क्रमशः बिल्ट ओन एंड ऑपरेटेड (बी.ओ.ओ.) तथा 'बिल्ट ओन ऑपरेट एंड ट्रांसफर' (बी.ओ.ओ.टी.) आधार पर जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने के लिए सरकारी क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र को आमंत्रित किया है; और

(ग) क्या उनके मंत्रालय का विचार इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से इस तर्ज पर परियोजनायें स्थापित करने के लिए अन्य राज्यों को प्रोत्साहित करने का है?

विद्युत मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) जी, हां। अधिक संख्या में अविकसित जल विद्युत संभाव्यता पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्यमान है।

(ख) जी, हां। सिक्किम राज्य ने सार्वजनिक क्षेत्र को बी.ओ. ओ. और निजी क्षेत्र को बी.ओ.ओ.टी. व्यवस्थाओं द्वारा जल विद्युत परियोजनाएं आबंटित की हैं।

(ग) विद्युत मंत्रालय ने समय-समय पर जल विद्युत के विकास को प्रेरित करने के लिए पहले ही विभिन्न उपाय किए गए हैं और विद्युत क्षेत्र के विकास के लिए निजी क्षेत्र के सहयोग को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न पहल भी किए हैं।

[अनुवाद]

शिवनासासमुद्रम विद्युत परियोजना

7232. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय जल विद्युत निगम ने काफी समय से लंबित पड़ी शिवनासासमुद्रम विद्युत परियोजना के क्रियान्वयन के लिए कर्नाटक राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार को परियोजना के लिए मुफ्त में भूमि उपलब्ध करानी पड़ेगी तथा आधारभूत संरचना का विकास करना पड़ेगा;

(ग) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार पहले से ही ये आधारभूत संरचनाएं उपलब्ध करवा चुकी है;

(घ) यदि हां, तो इस परियोजना का कार्य कब तक शुरू हो जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो परियोजना का कार्य कब तक पूरा हो जाने-की-संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

रघुवंशी सहकारी बैंक

7233. श्री सुरेश वाघमारे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रघुवंशी सहकारी बैंक, मुम्बई की लिक्विडेशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है;

(ख) यदि हां, तो बैंक की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) कितने जमाकर्त्ताओं को जमा बीमा गारंटी-योजना के अंतर्गत पूरी धनराशि वापस मिलने की संभावना है;

(घ) जमा-कर्त्ताओं को अपनी धनराशि कब तक वापस मिल सकेगी; और

(ङ) उक्त कार्य में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 17 मार्च, 2005 को रघुवंशी सहकारी बैंक लिमिटेड (आरसीबीएल) के लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है तथा रजिस्ट्रार, सहकारी समिति (आरसीएस), महाराष्ट्र राज्य द्वारा 19 मार्च, 2005 को परिसमापक की नियुक्ति के साथ ही, परिसमापन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

(ग) से (ङ) आरसीबीएल के परिसमापन के लिए नियुक्त परिसमापक जमाकर्ताओं की सूची तैयार कर रहा है जिसे सनदी लेखाकार फर्म द्वारा प्रमाण–पत्र दिए जाने के पश्चात् निपटान हेतु डीआईसीजीसी को सौंपा जाना है। डीआईसीजीसी ऐसी प्रमाणित सूची के आधार पर दावों का निपटान करता है।

[हिन्दी]

जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत कार्य

7234. श्री गिरिधारी यादव : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत कार्य किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा बिहार सरकार को कितनी धनराशि आबंटित की गई तथा इस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष कितनी धनराशि का उपयोग किया गया तथा कितनी धनराशि वापस की गई?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) और (ख) इस समय जवाहर रोजगार योजना नामक कोई योजना नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

अवैध खनन

7235. श्री वसुदेव आचार्य : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान विशेषकर कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों भारत कोकिंग कोल लिमिटेड तथा ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के कमांड क्षेत्रों में हो रहे अवैध खनन की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे क्षेत्रों की दयनीय स्थिति की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है जिसमें जान माल का भारी नुकसान हो सकता है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/किये जाने का प्रस्ताव है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव) : (क) और (ख) कोयला मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार कोयला मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड (सी.आई.एल.) को ईस्टर्न कोलफील्डस लि. (ई.सी. एल.) और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बी.सी.सी.एल.) के कुछ क्षेत्रों में अवैध खनन की घटनाओं की जानकारी है। परित्यक्त/अप्रयुक्त खानों से अथवा कोयला कंपनियों के पट्टेवाले क्षेत्र के भीतर अथवा पट्टे वाले क्षेत्र के बाहर आउटक्राप क्षेत्रों से कोयले का चोरी–छिपे निष्कर्षण और कोयले की चोरी के रूप में अवैध खनन गतिविधियां की जा रही हैं। अवैध खनन के मामले की रिपोर्टें अधिकतर पश्चिम बंगाल और झारखण्ड राज्यों से मिली है। पश्चिम बंगाल सरकार ने अवैध खनन को रोकने के लिए राज्य, जिला और उप–मण्डल स्तर पर एक संयुक्त निगरानी समिति का गठन किया है। झारखण्ड के मामले में बी.सी.सी.एल. स्थानीय प्रशासनिक और जिला कानून और व्यवस्था प्राधिकारियों के साथ नियमित समयान्तराल पर बैठकें आयोजित करता आ रहा है।

(ग) और (घ) सी.आई.एल. की सहायक कंपनियां, कंपनियों के तथा सी.आई.एस.एफ. के सुरक्षा कार्मिकों की तैनाती करके अवैध खनन को रोकने के लिए कार्रवाइयां कर रही हैं। यह राज्य का विषय होने के कारण राज्य प्रशासन भी अपने आप तथा संबंधित कोयला कंपनियों के साथ संयुक्तरूप से आवश्यक निरोधात्मक कार्रवाई कर रहे हैं। अवैध खनन को रोकने के लिए कोयला कंपनियों द्वारा और आगे निम्नलिखित कार्रवाइयां भी की जा रही हैं।

(i) आसूचना का संग्रहण करना;

(ii) जहां–कहीं संभवहो अवैध खनन स्थलों को ढहाना/भरान करना;

(iii) स्वयं के सुरक्षाबल तथा सी.आई.एस.एफ. द्वारा चौबीसों घंटे पेट्रोलिंग करना;

(iv) परित्यक्त/अप्रयुक्त खुले स्थलों में चारदीवारी बनाना;

(v) सुरक्षा बल/सी.आई.एस.एफ. द्वारा औचक जांच करना/छापा मारना;

(vi) जब कभी छापों के दौरान अवैध रूप से खनिज कोयला और अवैध खनन के औजार पकड़े जाते हैं उन्हें स्थानीय पुलिस के हवाले किया जाता है और एफ.आई.आर. दर्ज कराई जाती है।

(vii) अवैध खनन की रोकथाम करने के लिए जिला प्राधिकारियों की सहायता और सहयोग पाने के लिए उनके साथ निकट सम्पर्क बनाये रखा जाता है।

[हिन्दी]

जटरोफा के पौधे लगाना

7236. श्री गणेश सिंह : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के वन विभाग ने खाली पड़ी भूमि पर जटरोफा (रथज्योति) के पौधे लगाने के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र) : (क) और (ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय, जो बायो–डीजल के बारे में राष्ट्रीय मिशन के संबंध में योजना आयोग की रिपोर्ट को कार्यान्वित करने के कार्य को समन्वित कर रहा है, को जटरोफा के पौधे लगाने के संबंध में मध्य प्रदेश सरकार के वन विभाग से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

कंपनियों का बकाया उत्पाद शुल्क

7237. कुंवर मानवेन्द्र सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन–किन कंपनियों के विरुद्ध 500 करोड़ रुपये तथा इससे अधिक का उत्पाद शुल्क बकाया है;

(ख) प्रत्येक के विरुद्ध उक्त उत्पाद शुल्क कितने समय से बकाया है;

(ग) इसकी वसूली नहीं होने के मुख्य कारण क्या हैं; और

(घ) इन कंपनियों से बकाया उत्पाद शुल्क की शीघ्र वसूली के लिए क्या उपाय किये गए हैं या किये जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क को इकाईवार संग्रहीत किया जाता है। ऐसी कोई इकाई नहीं है जिनके विरुद्ध दिनांक 30 अप्रैल, 2005 की स्थिति के अनुसार 500 करोड़ रु. अथवा उससे अधिक राशि का केन्द्रीय उत्पाद शुल्क बकाया है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों में कमी

7238. श्री पी. करूणाकरन : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्र सरकार द्वारा गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के सम्बन्ध में कराये गये राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के बारे में कोई प्रतिवेदन दिया है;

(ख) क्या सर्वेक्षण में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों, जो कई वर्षों से लाभ ले रहे थे की संख्या में कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में पूर्ववर्ती स्थिति बहाल करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) योजना आयोग, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा किए गए पंचवर्षीय उपभोग खर्च सर्वेक्षणों के आधार पर देश के गरीबों की संख्या तथा उनके अनुपात का अनुमान लगाता है। योजना आयोग द्वारा बताए गए गरीबी अनुमानों से पता चला है कि केरल में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी अनुपात वर्ष 1993–94 के 25.76 प्रतिशत से घटकर वर्ष 1999–2000 में 9.38 प्रतिशत हो गया है। केरल सरकार ने बीपीएल जनगणना, 2002 के दिशा–निर्देशों के तहत निर्धारित किए जाने वाले बीपीएल परिवारों की कुल संख्या पर लागू सीमा की समीक्षा करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय से अनुरोध किया है। इस संबंध में विभिन्न राज्यों के अभ्यावेदनों पर मंत्रालय ने पहले ही विचार कर लिया है और राज्यों को बीपीएल परिवारों की कुल संख्या निर्धारित करने की पर्याप्त लोचनीयता प्रदान की गई है, जो योजना आयोग के वर्ष 1999–2000 के गरीबी अनुमान अथवा समायोजित अंश, जो भी

अधिक हों, के बराबर हो सकती है। इसके अलावा, अस्थायी गरीब के मामले में 10 प्रतिशत की छूट दी गई है। इस परिशोधन के साथ केरल में ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की संख्या लगभग उतनी ही रहेगी जितनी संख्या विगत अनेक वर्षों से लाभ प्राप्त कर रही है।

राष्ट्रीय पुनर्वास नीति में संशोधन

7239. श्री जी. वी. हर्ष कुमार : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विद्यमान राष्ट्रीय पुनर्वास नीति में संशोधन करने का है जैसा कि दिनांक 2 जनवरी, 2005 के 'द हिन्दू' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विस्थापित लोगों के पुनर्वास के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र) : (क) और (ख) मौजूदा राष्ट्रीय पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति को संशोधित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास के संबंध में एक राष्ट्रीय नीति–2003 (एन.पी.आर.आर. 2003) तैयार की है। इस नीति की मुख्य विशेषताएं नीचे दिए गए अनुसार हैं:–

* यह नीति मैदानी क्षेत्र में 500 परिवारों या इससे अधिक परिवारों तथा पर्वतीय क्षेत्रों, मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) वाले खण्डों, भारत के संविधान की अनुसूची–V तथा अनुसूची–VI में उल्लेख किए गए क्षेत्रों में 250 परिवार या इससे अधिक परिवारों को सामूहिक रूप से विस्थापित करने वाली परियोजनाओं के संबंध में लागू होगी।

* यह नीति सभी संबंधितों के मार्गदर्शन के लिए विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धांतों के रूप में होगी।

* इस नीति दस्तावेज में परियोजना प्रभावित उन परिवारों के लिए पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास लाभों की व्यवस्था की गई है जिन्होंने अपनी भूमि तथा घर खोया हो। ये लाभ छोटे तथा सीमांत किसानों, कृषि तथा गैर कृषि श्रमिकों, ग्रामीण दस्तकारों/छोटे व्यापारियों/स्वनियोजित युवकों, चाहे वे गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) की श्रेणी से संबंधित हों या गैर बी. पी.एल श्रेणी से संबंधित हों, के लिए भी उपलब्ध होंगे। तथापि, वे राज्य, जहां पर पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास पैकेज इस नीति में प्रस्तावित पैकेज से अधिक हैं, अपने पैकेज अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं।

* परियोजना प्रभावित परिवारों की उपर्युक्त श्रेणियों, पुनर्स्थापन और पुनर्वास लाभ मौद्रिक रूप से जैसे आवास स्थलों के आबंटन, घरों तथा पशुशालाओं के निर्माण के लिए अनुदान, भूमि विकास तथा कृषि उत्पादन के लिए अनुदान, ग्रामीण दस्तकारों के लिए दुकान/कार्यशाला के निर्माण के लिए अनुदान और उन परियोजना प्रभावित परिवारों, जिन्होंने अपनी भूमि, घर तथा रोजगार खोया हो, को मासिक जीविका भत्ते के संबंध में एक बार दिए जाने वाला अनुदान, प्राप्त करने के लिए हकदार होंगी।

* ऐसे परियोजना प्रभावित जनजातीय परिवार जो जिले/तालुक से बाहर पुनर्स्थापित हुए हैं, अन्य पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास लाभों के अलावा मौद्रिक रूप से 25% अधिक पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास लाभ प्राप्त करेंगे।

* परियोजना स्तर पर एक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ तथा विभिन्न पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक निगरानी प्रकोष्ठ स्थापित किया जाएगा।

एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत प्रस्ताव

7240. श्री जी. एम. सिद्देश्वर : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को कर्नाटक राज्य के दावणगेरे जिले में डेयरी विकास के लिए स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना के अंतर्गत विशेष परियोजना की मंजूरी के लिए कर्नाटक सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या परियोजना की अनुमानित लागत 1216.5 लाख रुपये है और पूरी राशि केन्द्र सरकार से मांगी गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने कर्नाटक सरकार के इस प्रस्ताव पर विचार किया है;

(घ) यदि हां, तो कर्नाटक सरकार को कब तक अनुमोदन दिया जाएगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) और (ख) इस मंत्रालय को कर्नाटक राज्य सरकार से दावणगेरे जिले में डेयरी विकास के लिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के विशेष परियोजना घटक के अंतर्गत मंजूरी के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। परियोजना की प्रस्तावित लागत 1216.5 लाख रु. है जिसे केन्द्र और राज्य सरकार के बीच 75:25 के आधार पर वहन किया जाना होता है।

(ग) से (ङ) इस प्रस्ताव को तकनीकी संवीक्षा के लिए कृषि मंत्रालय के पशुपालन विभाग को भेज दिया गया है। पशुपालन विभाग से टिप्पणियां प्राप्त होने पर ही परियोजना पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विचार–विमर्श किया जाएगा।

जाली टी.डी.एस.

7241. श्री भर्तृहरि महताब : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में स्त्रोत पर जाली कर कटौती के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या आयकर विभाग के कर्मचारियों की जांच चल रही है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

स्वच्छता परियोजनाएं

7242. श्री मुंशी राम :

श्री तापिर गाव :

श्री जुएल ओराम :

श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा :

श्री गिरिधारी यादव :

श्री कैलाश मेघवाल :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत देश में विकसित आदर्श गांवों की राज्यवार संख्या क्या है;

(ख) उक्त उद्देश्य के लिए आबंटित राशि का वर्ष–वार तथा राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष शुरू की गई/पूरी की गई स्वच्छता परियोजनाओं की राज्य–वार संख्या क्या है;

(घ) क्या उक्त परियोजना के संदर्भ में कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है/निर्धारित करने का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधित ब्यौरा क्या है?

(च) उक्त परियोजना से जुड़ी गैर सरकारी संगठनों की संख्या तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान उनके निष्पादन तथा स्वच्छता परियोजना के लिए आबंटित/उनके द्वारा उपयोग की गई राशि कितनी है;

(छ) क्या इस कार्यक्रम के तहत सरकार को राज्य सरकार से सहायता के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(झ) इस कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मित महिला स्वच्छता परिसर की संख्या क्या है; और

(ञ) स्वच्छता कार्यक्रम तथा इसके क्रियान्वयन में लगी हुई एजेंसियों के नाम क्या हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र) : (क) केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत आदर्श गांव की योजना को 31.3.2002 से समाप्त कर दिया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) विगत तीन वर्षों के दौरान देश में 328 सम्पूर्ण अभियान (टीएससी) परियोजनाएं मंजूर की गई थीं। विगत तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण–। में दी गई हैं। टी एस सी मांग आधारित परियोजना है तथा परियोजनाओं की संख्या के वास्तविक लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं/किए जाने का प्रस्ताव है।

(च) टी एस सी परियोजना के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा गैर–सरकारी संगठनों को प्रत्यक्षतः शामिल नहीं किया जाता है।

(छ) और (ज) जी हां, भारत सरकार को टी एस सी परियोजनाओं की मंजूरी के लिए राज्य सरकारों से समय–समय पर प्रस्ताव प्राप्त होते हैं। दिशा–निर्देश के अनुरूप पाई गई परियोजनाओं को मंजूर किया जाता है। अब तक राज्यवार स्वीकृत परियोजनाओं की कुल संख्या संलग्न विवरण–।। में दी गई है।

(झ) कार्यक्रम के अंतर्गत 4832 महिला स्वच्छता ब्लाक बनाए गए हैं।

(ञ) जिला स्तर पर जिला परिषदों या जिला जल एवं स्वच्छता मिशनों द्वारा टी एस सी परियाजनाएं कार्यान्वित की जाती हैं।

विवरण-I

क्र. सं.	राज्य	2002-2003	2003-2004	2004-2005	कुल
1.	आंध्र प्रदेश	8	4	0	12
2.	अरूणाचल प्रदेश	0	0	0	0
3.	असम	0	3	1	4
4.	बिहार	6	0	0	6
5.	छत्तीसगढ़	3	2	1	6
6.	दादर और नागर हवेली	1	0	0	1
7.	गोवा	0	1	0	1
8.	गुजरात	2	0	20	22
9.	हरियाणा	3	12	0	15
10.	हिमाचल प्रदेश	5	0	0	
11.	जम्मू–कश्मीर	2	10	0	1..
12.	झारखण्ड	2	0	16	18
13.	कर्नाटक	0	0	15	15
14.	केरल	7	0	0	7
15.	मध्य प्रदेश	9	30	0	39
16.	महाराष्ट्र	11	13	0	24
17.	मणिपुर	3	0	0	3
18.	मेघालय	0	2	0	2
19.	मिजोरम	1	1	0	2
20.	नागालैंड	1	0	0	1
21.	उड़ीसा	10	0	15	25
22.	पांडिचेरी	0	0	0	0
23.	पंजाब	2	9	0	11
24.	राजस्थान	5	0	11	16
25.	सिक्किम	0	0	0	0
26.	तमिलनाडु	12	6	1	19
27.	त्रिपुरा	0	0	0	0
28.	उत्तर प्रदेश	13	29	0	42
29.	उत्तरांचल	5	7	0	12
30.	पश्चिम बंगाल	5	3	0	8
	कुल	116	132	80	328

विवरण-II

क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	टी एस सी परियोजनाओं की कुल संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	22
2.	अरूणाचल प्रदेश	4
3.	असम	15
4.	बिहार	16
5.	छत्तीसगढ़	7
6.	दादरा और नागर हवेली	1
7.	गोवा	1
8.	गुजरात	25
9.	हरियाणा	19
10.	हिमाचल प्रदेश	7
11.	जम्मू और कश्मीर	14
12.	झारखण्ड	22
13.	कर्नाटक	18
14.	केरल	13
15.	मध्य प्रदेश	45
16.	महाराष्ट्र	33
17.	मणिपुर	4
18.	मेघालय	2
19.	मिजोरम	2
20.	नागालैंड	4
21.	उड़ीसा	30
22.	पांडिचेरी	1
23.	पंजाब	14
24.	राजस्थान	21
25.	सिक्किम	4
26.	तमिलनाडु	29
27.	त्रिपुरा	4
28.	उत्तर प्रदेश	70
29.	उत्तरांचल	13
30.	पश्चिम बंगाल	18
	कुल योग	478

[अनुवाद]

विद्युत क्षेत्र में निजी निवेश

7243. श्री सुरेश कलमाड़ी : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में विद्युत क्षेत्र में सुधार के लिए रूपरेखा अनुमोदन कर दिया है जिसमें वर्ष 2012 तक 9,00,000 करोड़ रुपये के निवेश की बात कही गई है तथा जिसमें निजी क्षेत्र को बहुत अधिक निवेश करने की अनुमति दी गई है जैसा कि दिनांक 4 फरवरी, 2005 के 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) और (ख) केंद्र सरकार द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 3 के अंतर्गत अधिसूचित की गयी राष्ट्रीय विद्युत नीति में कहा गया है कि गृह विद्युतीकरण सहित "सभी के लिए विद्युत" और त्वरित आर्थिक विकास के लक्ष्य को पूरा करने के लिए, यह अनुमान लगाया गया है कि उत्पादन, पारेषण, सब–पारेषण, वितरण और ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाओं को वित्त प्रदान करने के लिए वर्ष 2002–03 के मूल्य स्तर पर 9,00,000 करोड़ रुपये के निवेश की आवश्यकता होगी। विद्युत बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र होने के कारण केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों दोनों स्तरों पर सार्वजनिक क्षेत्र निवेशों को बढ़ाना होगा। क्षेत्र के अपेक्षित विस्तार के महत्व पर विचार करते हुए, निवेशों के एक निश्चित भाग को निजी क्षेत्र में लाने की आवश्यकता भी होगी।"

(ग) विद्युत अधिनियम, 2003 विद्युत उद्योग के विकास, इसमें प्रतिस्पर्धा पैदा करने, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने तथा सभी क्षेत्रों को विद्युत आपूर्ति करने; विद्युत टैरिफ के यौक्तिकरण, सब्सिडी के संबंध में पारदर्शी नीतियां बनाने, विनियामक आयोगों के गठन तथा अपीलीय अधिकरण की स्थापना करने के लिए उदार ढांचा उपलब्ध कराता है। अधिनियम विद्युत आपूर्ति उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में प्रवेश संबंधी बाधाओं में कमी करता है और इसमें प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है, जिससे कार्य कुशलता बढ़ेगी।

विद्युत उत्पादन को अधिनियम के अंतर्गत लाइसेंसमुक्त कर दिया गया है। अधिनियम शुरूआत से ही पारेषण में पक्षपातरहित प्रवेश की व्यवस्था करता है। वितरण में खुले प्रवेश को राज्य विद्युत विनियामक आयोगों द्वारा चरणों में शुरू किया जाना है।

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 में प्रावधान है कि समुचित आयोग टैरिफ को स्वीकार करेगा यदि इस टैरिफ को केन्द्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार पारदर्शी बोली प्रक्रिया के जरिए तय किया गया हो। केन्द्र सरकार ने वितरण लाइसेंसियों द्वारा विद्युत प्राप्ति के लिए टैरिफ निर्धारित करने हेतु प्रतिस्पर्धात्मक बोली के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसे उत्पादन में निजी क्षेत्र की भागीदारी सुगम होने की आशा है।

पारेषण को लाइसेंस प्राप्त कार्य के रूप में अनुमति दे दी गई है। पारेषण लाइसेंस समुचित विनियामक आयोग द्वारा दी जानी है।

अधिनियम अपनी वितरण प्रणाली के जरिए समान क्षेत्र में अनेक वितरण लाइसेंस जारी करने का प्रावधान करती है। केन्द्र सरकार ने अधिनियम के अनुसार इस उद्देश्य से अतिरिक्त आवश्यकताओं की अधिसूचना जारी कर दी है।

विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत समेत ग्रुप कैप्टिव कैप्टिव विद्युत संयंत्रों को भी बिना लाइसेंस के प्रचालन की अनुमति दी गई है।

विद्युत मंत्रालय विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के वित्तीय समापन में सहायता कर रहा है। वित्तीय संस्थानों तथा विद्युत मंत्रालय के वरिष्ठ प्रतिनिधियों को मिलाकर एक अंतर–सांस्थानिक ग्रुप का गठन किया गया है, जो फास्ट ट्रैक विद्युत परियोजनाओं पर बल देगा, जिससे कि ये परियोजनाएं शीघ्र वित्तीय समापन प्राप्त कर सकें। समग्र रूप से लगभग 4000 मेगावाट क्षमता की 11 निजी विद्युत परियोजनाओं ने हाल ही में वित्तीय समापन प्राप्त किया है और अन्य 11 परियोजनाओं की, जिनकी समग्र क्षमता लगभग 12000 मेगावाट है, आईआईजी द्वारा इनके शीघ्र वित्तीय समापन प्राप्ति हेतु मॉनीटरिंग की जा रही है।

वस्त्र मिलों का विस्तार

7244. श्री दुष्यंत सिंह : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दसवीं और ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मौजूदा वस्त्र मिलों की क्षमता से अधिक वाली बड़ी वस्त्र मिलों की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त प्रस्ताव के संबंध में कोई कार्य योजना तैयार की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास के लिए प्रस्ताव

7245. श्री थावरचन्द गेहलोत : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 2001 से अप्रैल, 2005 तक अनुमोदन के लिए सरकार के पास लम्बित ग्रामीण विकास योजना से संबंधित प्रस्तावों की राज्य–वार तथा योजना–वार संख्या क्या है तथा प्रस्ताव के लम्बित रहने की अवधि क्या है;

(ख) इन प्रस्तावों को अनुमति देने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा 2004 से आज तक शुरू की गई/संशोधित/बंद की गई योजनाओं के नाम तथा उनका ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) ग्रामीण विकास मंत्रालय को ग्रामीण विकास की सभी योजनाओं के अंतर्गत कार्यक्रम दिशा–निर्देशों के अनुसार केन्द्रीय निधियों की किस्तें लेने के लिए जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों और राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त होते हैं। इन प्रस्तावों की कार्यक्रम प्रभागों द्वारा जांच की जाती है और सभी पात्र मामलों में उसी वर्ष उन्हें निधियां रिलीज कर दी जाती हैं। तथापि, स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) की विशेष परियोजनाओं के मामले में लंबित प्रस्तावों की राज्य–वार स्थिति संलग्न विवरण–। में दी गई है।

(ख) एसजीएसवाई के अंतर्गत बड़ी संख्या में विशेष परियोजना राज्य सरकारों से प्राप्त हो रही है और मंत्रालय में उनका मूल्यांकन करने के पश्चात उन्हें अनुमोदन के लिए अंतर–मंत्रालयी समिति के पास भेजा जाता है। मूल्यांकन और अनुमोदन सतत प्रक्रियाएं है। एसजीएसवाई की विशेष परियोजनाओं के अंतर्गत राज्यों को प्रमुख कार्यक्रम के अंतर्गत बचत के अध्यधीन (एसजीएसवाई के अंतर्गत अधिकतम 15% आबंटन तक) अतिरिक्त अनुदान के रूप में निधियां उपलब्ध कराई जाती हैं।

(ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने नवम्बर, 2004 से देश के 150 अत्यधिक पिछड़े जिलों में आवश्यकता के आधार पर आर्थिक, और सामुदायिक संपत्तियों के सृजन के माध्यम से खाद्य सुरक्षा प्रदान करते हुए अनुपूरक मजदूरी रोजगार पैदा करने के लिए काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम नामक एक मजदूरी रोजगार कार्यक्रम शुरू किया है। ग्रामीण आवास और पर्यावास विकास के अभिनव चरण, ग्रामीण निर्मित केन्द्र और समग्र आवास योजना जैसी कुछ ग्रामीण आवास योजनाओं को बंद कर दिया गया है और उन्हें इंदिरा आवास योजना की प्रमुख योजना के साथ मिला दिया गया है।

विवरण

अप्रैल, 2001 – मार्च, 2005 से एसजीएसवाई की विशेष परियोजनाओं के अंतर्गत राज्य–वार लंबित प्रस्ताव

क्र.सं.	राज्यों के नाम	परियोजनाओं की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	7
2.	अरूणाचल प्रदेश	3
3.	असम	3
4.	बिहार	5
5.	छत्तीसगढ़	7
6.	गुजरात	4
7.	हरियाणा	4
8.	हिमाचल प्रदेश	7
9.	झारखंड	2
10.	कर्नाटक	10
11.	मध्य प्रदेश	10
12.	महाराष्ट्र	1
13.	मणिपुर	7
14.	मिजोरम	4
15.	नागालैंड	6
16.	पंजाब	1
17.	राजस्थान	1
18.	तमिलनाडु	3
19.	उत्तर प्रदेश	4
20.	उत्तरांचल	8
21.	प. बंगाल	1
	कुल	98

[अनुवाद]

निपको द्वारा शुरू की गई विद्युत परियोजनाएं

7246. डा. अरुण कुमार शर्मा : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नार्थ ईस्टर्न इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन द्वारा शुरू की गई तथा चलाई जा रही परियोजनाओं की वार्षिक रूपरेखा तथा परिपक्वता अवधि क्या है; और

(ख) निकट भविष्य में निपको को सौंपे जाने वाले प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) और (ख) नार्थ–ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (नीपको) की पूर्ण की गई और निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं तथा विचाराधीन प्रस्तावों के अपेक्षित ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

नार्थ–ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (नीपको) की पूर्ण की गयी और निर्माणाधीन परियोजनाओं और विचाराधीन प्रस्तावों का ब्यौरा

(क) पूर्ण की गयी परियोजनाएं

क्र.सं.	परियोजनाओं का नाम व स्थल	अनुमोदित पूर्णता लागत (करोड़ रुपये में)	निर्माणावधि (माह/वर्ष)	वार्षिक स्थिर प्रभार (करोड़ रुपये में)	विद्युत प्रभार की दर (पैसे/ यूनिट)
क. जल विद्युत परियोजनाएं					
1.	कोपिली एचई पावर स्टेशन, (150 मेगावाट), असम	243.82	13 वर्ष	56.93	40.53
2.	कोपिली एचई विद्युत केंद्र, चरण-I विस्तार, (100 मेगावाट), असम	134.48	4 वर्ष 1 माह	16.88	40.53
3.	दोयांग एचई विद्युत केन्द्र, (75 मेगावाट), नागालैंड	758.70	15 वर्ष 4 माह	45.83	40.53
4.	रंगानदी एचई विद्युत केंद्र, (405 मेगावाट) अरूणाचल प्रदेश	1455.45	14 वर्ष 11 माह	202.52	40.53
5.	कोपिली एचई विद्युत केंद्र, चरण-II, (25 मेगावाट), असम	95.02	4 वर्ष 5 माह	टैरिफ संबंधी याचिका सीईआरसी में प्रस्तुत कर दी गयी है	
ख. ताप विद्युत परियोजनाएं					
1.	असम गैस आधारित साइकिल विद्युत परियोजना, (291 मेगावाट), असम	1532.32	10 वर्ष 8 माह	290.105	40.53
2.	अगरतला गैस आधारित टरबाईन विद्युत परियोजना, (84 मेगावाट), त्रिपुरा	322.55	3 वर्ष 6 माह	53.01	83.52

(ख) परियोजनाएं जो चालू की जा रही हैं/निर्माणाधीन परियोजनाएं

क्र.सं.	परियोजना का नाम व स्थल	अद्यतन लागत/अनुमोदित लागत (करोड़ रुपये में)	निर्माणावधि
1	2	3	4
1.	तुईरियल जल विद्युत परियोजना (60 मेगावाट) मिजोरम	368.72 (जून, 97 मूल्य स्तर) अद्यतन संशोधित लागत 808.55 करोड़ रुपये (अक्तूबर, 2004 मूल्य स्तर)	चालू होने के मूल कार्यक्रम 8 वर्ष के संदर्भ में।

1	2	3	4
2.	कामेंग जल विद्युत परियोजना (600 मेगावाट) अरूणाचल प्रदेश	2496.90 (मार्च, 04 का मूल्य स्तर)	निवेश अनुमोदन की तिथि (2.12.2004) से 5 वर्ष

(ग) विचाराधीन प्रस्ताव

क्र.सं.	परियोजना का नाम व स्थल	अद्यतन लागत/अनुमोदन लागत (करोड़ रुपये में)	चालू होने का प्रस्तावित कार्यक्रम
1	2	3	4
1.	त्रिपुरा गैस आधारित विद्युत परियोजना (280 मेगावाट), त्रिपुरा	864.98 (फरवरी, 04 मूल्य स्तर)	X व XI वीं योजना
2.	त्रिपुरा कोपिली ट्रांसमिशन प्रणाली (टीकेटीएस)	486.07 (2004 की दूसरी तिमाही का मूल्य स्तर)	XII वीं योजना
3.	तिपाईमुख जल विद्युत परियोजना (1500 मेगावाट), मणिपुर	5163.86 (टीईसी अनुमोदित) (दिसंबर, 02 के मूल्य स्तर)	XII वीं योजना 1 यूनिट XI वीं योजना में
4.	दिकरोंग एचईपी (110 मेगावाट) (पारे जल विद्युत परियोजना), अरूणाचल प्रदेश	510.24 (फरवरी, 04 मूल्य स्तर)	XI वीं योजना के दौरान
5.	रंगानदी एचईपी चरण–II (130 मेगावाट), अरूणाचल प्रदेश	557.58 (अक्तूबर, 02 के मूल्य स्तर)	XI वीं योजना

विद्युत क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी

7247. श्री चुएल ओराम : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए निजी क्षेत्र को अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान निजी क्षेत्र द्वारा स्थापित विद्युत संयंत्रों की राज्य–वार संख्या क्या है;

(ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निजी क्षेत्र द्वारा स्थापित किए जाने वाले विद्युत संयंत्रों की राज्यवार संख्या क्या है; और

(घ) उसके द्वारा देश में किस हद तक अतिरिक्त विद्युत पैदा की जाएगी?

विद्युत मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) जी, हां।

(ख) गत तीन वर्षों (2002–05) के दौरान, कुल 418 मेगावाट की क्षमता के लिए चार ताप विद्युत परियोजनाओं को निजी क्षेत्र में शुरू किया गया है। इन परियोजनाओं के राज्य वार ब्यौरे संलग्न विवरण–I में दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, हिमाचल प्रदेश में मैसर्स जय प्रकाश हाइड्रो पावर लिमिटेड का 300 मेगावाट (3x100 मेगावाट) की अधिष्ठापित क्षमता वाला एक जल विद्युत स्टेशन अर्थात्, बास्पा–II 2003 में चालू किया गया था।

(ग) कुल 5950.6 मेगावाट की क्षमता के लिए 16 ताप विद्युत परियोजनाओं को निजी क्षेत्र में दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किया जाना प्रस्तावित था। दसवीं योजना के दौरान स्थापित किये जाने के लिए लक्षियत/प्रत्याशित किए गए निजी क्षेत्र विद्युत संयंत्रों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण–II में दिए गए है। इसके अलावा तीन जल विद्युत संयंत्र निजी क्षेत्र में स्थापित किए जाने प्रस्तावित किए गए थे। इन विद्युत संयंत्रों के राज्यवार ब्योरे संलग्न विवरण –III में दिए गए हैं।

(घ) इन परियोजनाओं के शुरू होने के पश्चात् ताप विद्युत परियोजनाओं में इनकी कुल अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता 4200 मेगावाट तथा जल–विद्युत संयंत्रों में 870 मेगावाट होगी।

विवरण-I

निजी क्षेत्र में गत तीन वर्षों के दौरान चालू की गई ताप विद्युत परियोजनाएं

राज्य	परियोजना का नाम	क्षमता (मे.वा.)
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	बम्बूफ्लैट डीजीपीपी	20.00
आंध्र प्रदेश	पेद्दापुरम सीसीपीपी	78.00
तमिलनाडु	करूपपुर सीसीपीपी	70.00
	नैवेली जीरो टीपीपी	250.00
	कुल	418.00

विवरण-II

10वीं योजना के दौरान निजी क्षेत्र में चालू किए जाने हेतु लक्षित/प्रत्याशित ताप विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा

राज्य	परियोजना का नाम	क्षमता
1	2	3
क. पहले ही चालू हो चुकी परियोजनाएं		
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	बम्बूफ्लैट डीजीपीपी	20
आंध्र प्रदेश	पेद्दापुरम	78
तमिलनाडु	करूपपुर	70
	नैवेली जीरो टीपीपी	250
	उप जोड़	418.00
ख. निर्माणाधीन परियोजनाएं		
आंध्र प्रदेश	गौतमी सीसीपीपी	464
	जेगरूपाडु सीसीपीपी	220
	कोनासीमा सीसीपीपी	445
	वेमागिरि सीसीपीपी	370
छत्तीसगढ़	रायगढ़ टीपीपी (फेज–1)	250
झारखंड	जोजोबेरा	120
महाराष्ट्र	डाभोल सीसीपीपी–।।	1444
तमिलनाडु	करूपपुर सीसीपीपी	49.8
	वलानथरावी	52.8
	उप जोड़	3415.60
1	2	3
ग. वे परियोजनाएं जिन्हें सौंपा जाना है/जहां निर्माण कार्य शुरू होना है		
गुजरात	अखाखोल सीसीपीपी	365
	उपजोड़	365
घ. 10वीं योजना में लक्ष्य से पिछड़ गई/छोड़ी गई परियोजनाएं		
बिहार	भीती टीपीपी	135
गुजरात	जामनगर टीपीपी	500
कर्नाटक	हासन सीसीपीपी	189
	कनिर्मिके सीसीपीपी	107.60
मध्य प्रदेश	बीना टीपीपी	578
पंजाब	गोइंदवाल टीपीपी	500
	उपजोड़	2009.60
कुल (10वीं योजना विद्युत क्षेत्र)		4198.60

विवरण-III

10वीं योजना में निजी क्षेत्र में स्थापित किए जाने हेतु प्रस्तावित जल विद्युत संयंत्र

राज्य	जल विद्युत संयंत्र का नाम	क्षमता (मेगावाट)
हिमाचल प्रदेश	धामवाड़ी सुंडा	70
मध्य प्रदेश	महेश्वर	400
उत्तरांचल	विष्णुप्रयाग	400
	कुल	870

गैर-सरकारी संगठनों द्वारा अतिरिक्त प्रोफार्मा भरना

7248. श्रीमती मनोरमा माधवराज : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्विपक्षीय हिस्सेदारों से गैर–सरकारी संगठनों द्वारा विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए दिशानिर्देशों में हाल में किए गए संशोधनों में आर्थिक कार्य विभाग को भेजे जाने वाले अतिरिक्त प्राफार्मा को भरना लाभार्थियों के लिए अनिवार्य बना दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन अतिरिक्त संशोधनों से इस मामले में नौकरशाहों द्वारा गतिरोध पैदा नहीं किया जाएगा;

(घ) क्या गैर–सरकारी संगठनों ने नए प्रावधान के विरूद्ध अभ्यावेदन दिया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) जी, हां। द्विपक्षीय विकास भागीदार देशों से विदेशी सहायता की मांग करने वाले गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ), स्वायत्त संस्थाओं इत्यादि से यह अपेक्षित है कि वे निर्धारित प्रपत्र भरें और उन्हें अपने परियोजना प्रस्तावों सहित संबंधित विकास भागीदार देश के जरिए प्रस्तुत करें। दिशानिर्देशों की एक प्रति वित्त मंत्रालय की वेबसाइट www.finmin.nic.in पर भी उपलब्ध है।

(ग) से (च) हालांकि विलम्ब की आशंका से संबंधित अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, फिर भी जैसे ही और जब भी परियोजना प्रस्ताव प्राप्त होते हैं, किसी भी विलम्ब से बचने के लिए उन पर समयबद्ध तरीके से यथाशीघ्र कार्रवाई की जाती है।

[हिन्दी]

सरकार का राजस्व

7249. डा. चिन्ता मोहन :

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में केन्द्र तथा राज्य सरकारों, दोनों का संयुक्त रूप से राजस्व कितना है;

(ख) क्या सरकार ने इस प्रतिशत को बढ़ाने का कोई निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

(घ) क्या 'वैट' को इसके एक भाग के रूप में देश में लागू किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो उससे कितना अतिरिक्त राजस्व सृजित होने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (ग) सकल घरेलू उत्पाद के एक अनुपात के रूप में केन्द्र और राज्य सरकारों का संयुक्त राजस्व वर्ष 2003–04 (संशोधित अनुमान) में 19.3 प्रतिशत और वर्ष 2004–05 (बजट अनुमान) में 19.7 प्रतिशत था। वृहत्–आर्थिक स्थिरता के साथ वृद्धि की सतत उच्च दरों की आवश्यकता के प्रति सचेत सरकार राजस्व बढ़ाने, उत्पादक परिसंपत्तियों के सृजन के लिए व्यय का पुनर्गठन और घाटों पर अंकुश लगाने के लिए कई उपाय कर रहा है। इनमें, अन्य बातों के साथ–साथ, सेवा कर तंत्र के तहत बढ़ती कवरेज के द्वारा कराधार का विस्तार करना, छूटों को चरणबद्ध रूप से समाप्त करना, बकाया करों की वसूली करना, उदार ब्याज दरों को बनाए रखना, और पेंशन सुधार शामिल हैं। इसके अलावा, केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों को राजकोषीय सुधार करने, सार्वजनिक क्षेत्र का पुनर्गठन करने और विद्युत क्षेत्र में सुधार करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान कर रही है।

(घ) और (ङ) दिनांक 1 अप्रैल, 2005 से राज्य–स्तरीय मूल्यवर्धित कर (वैट) को लागू करना एक अन्य महत्वपूर्ण कर सुधार अजेंडा था, यह राज्य का विषय है और केन्द्र सरकार ने इसमें सुविधाकर्ता की भूमिका अदा की है। केन्द्र सरकार ने वैट से अतिरिक्त राजस्व लाभ के लिए कोई आधिकारिक अनुमान नहीं बनाया है। तथापि, केन्द्र सरकार ने राज्यों के लिए एक क्षतिपूर्ति पैकेज का आश्वासन उस स्थिति में दिया है जिसमें यदि कोई राज्य वैट को लागू करने की वजह से हानि उठाता है।

[अनुवाद]

राजस्व घाटा

7250. श्री अधीर चौधरी :

श्री निखिल कुमार :

श्री एस. के. खादरवेलवन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वर्ष 2004–05 के दौरान भारी राजस्व घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस भारी राजस्व घाटे के लिए जिम्मेदार कारक क्या हैं; और

(घ) इन भारी राजस्व घाटे को रोकने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार का राजस्व घाटा वर्ष 2004–05 (संशोधित अनुमान) में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 2.7

प्रतिशत था। यद्यपि यह बजट अनुमान से 0.2 प्रतिशतांक अधिक है, फिर भी यह राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) नियमावली, 2004 के अधीन अधिदेशित जीडीपी की न्यूनतम वार्षिक कटौती के पूर्ण रूप से अनुसार है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) एफआरबीएम अधिनियम और उसके अधीन बनी नियमावली के अंतर्गत तय किए गए लक्ष्यों के अनुपालन से वर्ष 2008–09 तक राजस्व घाटा समाप्त होने की संभावना है। सरकार कई उपायों जैसे छूटों की क्रमिक समाप्ति के माध्यम से कराधार को व्यापक करना, सेवा कर के अधीन बढ़ती कवरेज, कर बकाया वसूली के लिए विशेष अभियान, पेंशन सुधार, उदार ब्याज दरों के अनुरक्षण तथा अनुत्पादी राजस्व व्यय को कम करना आदि कर रही है।

[हिन्दी]

हथकरघा प्रदर्शनी और मेले

7251. श्री जीवाभाई ए. पटेल :

डा. धीरेंद्र अग्रवाल :

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में आयोजित हथकरघा प्रदर्शनी तथा मेलों की संख्या क्या है;

(ख) स्थान–वार तथा उन पर किए गए खर्च का ब्यौरा क्या है;

(ग) यह निश्चित करने के लिए कि उन पर किए खर्च का उचित उपयोग हुआ है; लेखा परीक्षा, यदि कोई हो, का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार के लेखा परीक्षा की कमियां क्या हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

ताप विद्युत परियोजनाओं की स्थापना

7252. श्री हरिभाऊ राठौड़ : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के नागपुर जिला के मोदा में स्थापित किए जाने हेतु प्रस्तावित 1000 मेगावाट की एन.टी.पी.सी. विद्युत परियोजना सभी दृष्टिकोण से स्वीकृत की जा चुकी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस परियोजना पर आने वाली अनुमानित लागत कितनी है तथा इसके क्रियान्वयन हेतु क्या समय सीमा निर्धारित की गयी है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस परियोजना को शीघ्र स्वीकृति दिए जाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) से (घ) जी नहीं, महाराष्ट्र के नागपुर जिले में मोदा में स्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित 1000 मे.वा. विद्युत परियोजना की तकनीकी–आर्थिक व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एनटीपीसी) द्वारा शुरू किए गए विभिन्न स्थल विशेष अध्ययनों में से, स्थलाकृति सर्वेक्षण, मेक–अप जल अध्ययन, भू–तकनीकी जांच कार्य पूरे हो चुके हैं जबकि भूकंप संबंधी अध्ययन, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन आदि प्रगति में हैं।

चूंकि विद्युत मंत्रालय भारत सरकार मंत्रालय में आयोजित हुई बैठक में परियोजना की शीघ्र स्थापना के लिए अपेक्षित विभिन्न स्वीकृतियों/तैयारी की समीक्षा करता रहा है, इसलिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा यह सूचित किया गया है कि 100 एमएम^3 नेट (भाप हानि रहित) के जलाशय को एनटीपीसी की मोदा थर्मल विद्युत परियोजना हेतु राज्य सरकार द्वारा मंजूर किया गया है और परिकल्पनानुसार जल समुपयोजन दर 29 रुपये प्रति 10,000 लीटर है। तथापि यदि जलाशय की अनुपातिक लागत उपयोगकर्त्ता अर्थात एनटीपीसी द्वारा वहन किया जाता है तो जल का मूल्य 10 रुपये प्रति 10,000 लीटर परिकल्पित किया जाता है।

[हिन्दी]

पंजीयक कार्यालय का आधुनिकीकरण

7253. श्री रामचन्द्र पासवान :

श्री सूरज सिंह :

क्या **कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2005–06 के दौरान कम्पनी पंजीयक के राज्यवार कितने नए कार्यालय खोले जाने का प्रस्ताव है;

(ख) पंजीयकों के वर्तमान कार्यालयों के विस्तार हेतु सरकार के पास कितने प्रस्ताव लम्बित पड़े हैं; और

(ग) पंजीयक कार्यालय के कार्यकरण में सुधार लाने हेतु क्या उपाय किए गए हैं तथा उनके आधुनिकीकरण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता) : (क) वर्ष 2005–06 के दौरान कंपनी पंजीयक के (राज्यवार) नए कार्यालय खोले जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) पंजीयकों के वर्तमान कार्यालयों के विस्तार हेतु सरकार के पास कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं है।

(ग) सेवा प्रदान करने में गति और निश्चितता में सुधार करने के लिए मंत्रालय ने "एम सी ए 21" के नाम से एक बहुआयामी ई–गवर्नेंस कार्यक्रम प्रारम्भ किया है। यह कार्यक्रम इन्टरनेट के द्वारा एक परस्पर प्रभावी और बिना पेपर की प्रक्रिया के माध्यम से कंपनियों के दस्तावेजों का इलैक्ट्रोनिक–फाइलिंग करने पर विचार करता है। यह कार्यक्रम देश के बाहर कंपनी कार्य मंत्रालय के सभी कार्यालयों में सूचना के समान हस्तांतरण (संचारण) को भी निश्चित करता है।

परियोजना 1 मार्च, 2005 के प्रारम्भ से 60 हफ्तों की अवधि में कार्यान्वित किये जाने के लिए निर्धारित है और उसके पश्चात 6 वर्ष की संचालन अवधि के प्रावधान है। तीन वर्षों की अवधि के लिए पूरे देश में 53 स्थानों पर फिजिकल फ्रंट आफिस खोलने का प्रस्ताव है। ये फिजिकल फ्रंट आफिस देश के बहुत से अतिरिक्त स्थानों से सेवाओं की पहुंच में सहायता करेंगे जब तक हस्तगत रूप (मैनुअल) से रजिस्ट्रेशन और फाइलिंग इस परियोजना के अन्तर्गत इलैक्ट्रानिक मोड में परिवर्तित न हो जाये।

[अनुवाद]

टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन

7254. श्री किसनभाई वी. पटेल :

श्री सुग्रीव सिंह :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वस्त्र समिति अधिनियम, 1963 के अंतर्गत वस्त्र समिति ने विभिन्न प्रयोगशालाओं में इको–टेस्टिंग सुविधाएं स्थापित की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न अनुसंधान परियोजना के लिए टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन हेतु वर्ष–वार जारी अनुदान सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष वस्त्र के क्षेत्र में शुरू की गयी परियोजनाओं विशेषतः पारिस्थितिकी प्रौद्योगिकी पर आधारित परियोजना का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) और (ख) जी, हां। वस्त्र समिति ने प्रतिबन्धित एमाइन्स और अन्य पारिस्थितिकी मानदण्डों के परीक्षण के लिए बेंगलूर, कन्नौर, चेन्नई, जयपुर, लुधियाना, मुंबई, नई दिल्ली, तिरूपुर और करूर में पारी परीक्षण सुविधाओं से युक्त नौ पारी परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान वस्त्र अनुसंधान संघों के संबंध में जारी अनुदान सहायता निम्नलिखितानुसार है:–

(लाख रु. में)

2002–03	2003–04	2004–05
864.06	212.70	72.81

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान वस्त्रों के क्षेत्र में वस्त्र अनुसंधान संघों द्वारा चलाई गई पारि–प्रौद्योगिकी परियोजनाओं का संलग्न विवरण में है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान वस्त्र अनुसंधान संघों द्वारा चलाई गई पारि–प्रौद्योगिकी परियोजनाएं

सिंथेटिक एवं आर्ट सिल्क मिल्स अनुसंधान संघ

1. विभिन्न बुनाई तकनीकों का प्रयोग करके रिसाईकिल की गई पीईटी बोतलों से विशेषता वाले यार्न
2. रंजन गृहों के लिए शून्य बहिस्त्राव वस्त्र प्रक्रिया का विकास।

उत्तर भारत वस्त्र अनुसंधान संघ

1. उन्नत आक्सीकरण तकनीकी का प्रयोग करके प्राकृतिक वस्त्र फाईबर की लागत प्रभावी एवं पारि–मैत्री ब्लीचिंग का विकास।
2. हैंक रंजन के लिए स्प्रे मिस्ट प्रौद्योगिकी का विकास।
3. कम द्रव अनुपात से हैंक रंजन के लिए रंजन प्रौद्योगिकी का विकास।
4. वस्त्र सामग्री से पैंटाक्लोरोफेनल हटाना।

भारतीय पटसन उद्योग अनुसंधान संघ

1. पटसन जैव–वस्त्रों–मृदा पारम्परिक क्रिया संबंधी नए अध्ययन।
2. प्रसारण एवं वितरण क्षतियों को कम करने के लिए पटसन मिल के वास्ते विद्युत डिजायन रूपरेखा का मानकीकरण एवं कार्यान्वयन।
3. पटसन जैव–वस्त्र–उन्नत निष्पादन के लिए नए फैब्रिक डिजायन।
4. आरबीओ प्रौद्योगिकी की औद्योगिक दक्षता बढ़ाना।
5. पटसन कैडीज एवं रिसाईकिल किए गए बेकार कागज का प्रयोग करके पेपर बोर्ड का विकास।
6. कचरा निपटान बैग का विकास।

दक्षिण भारत वस्त्र अनुसंधान संघ

1. वस्त्र–कीचड़ का निपटान अथवा प्रसंस्करण।
2. जिनरीज में क्रोम कम्पोजिट लैदर क्लैड रोलर के कारण जिन्ड लिंट में क्रोमियम प्रदूषण संबंधी अध्ययन।

अहमदाबाद वस्त्र उद्योग अनुसंधान संघ

1. अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करने के लिए भारतीय वस्त्र उद्योग को सक्षम बनाने के वास्ते प्रदूषण मुक्त स्वच्छ कपास गांठें उत्पादित करने के लिए।
2. विकेन्द्रीकृत क्षेत्रीय प्रक्रिया गृहों में सोपरों/वाशरों के लिए उपयुक्त स्वस्थाने हियर रिकवरी सिस्टम का डिजायन एवं विकास।
3. बेहतर संवेदनशीलता सहित टेक्सटाइल सबस्ट्रेट्स में पारि–मानदंडों के विश्लेषण के लिए सुरक्षित पद्धतियों का विकास और मानकीकरण।

ऊन अनुसंधान संघ

1. प्रभावी मॉथ प्रूफर्स के रूप में हर्ब्स–बेलाडोना, नीम एवं कस्टर्डएपेल सीड्स की जांच।
2. आंतरिक मानक का प्रयोग करके आईसोमर्स निकालना, उनको अलग करना और उनकी मात्रा निर्धारित करना।

बंबई वस्त्र अनुसंधान संघ

1. विकेंद्रीकृत क्षेत्र के विशेष संदर्भ में प्राकृतिक रंजित फैब्रिक में पारि–मैत्री परिष्करण।
2. स्ट्रीम पोलुशन में स्रोत कम करने और गुणवत्ता में सुधार लाने के संबंध में वस्त्र प्रसंस्करण में जैव–प्रौद्योगिकी की प्रत्याशा में नए रास्तों का पता लगाना।

एपीडीआरपी

7255. श्रीमती निवेदिता माने :

श्री कीर्तिवर्धन सिंह :

श्री अनिरूद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव :

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) के लिए धनराशि के आबंटन में कोई कटौती प्रस्तावित है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कुछ राज्यों ने इस कार्यक्रम हेतु और धनराशि के लिए अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने देश में एपीडीआरपी को शुरू करने के पश्चात् विद्युत उत्पादन और वितरण के मामले में राज्य विद्युत बोर्डों के कार्यकरण की निगरानी की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) जी, हां। त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) के अंतर्गत वर्ष 2005–06 के लिए 630.00 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई है।

(ख) योजना आयोग ने सूचित किया है कि एपीडीआरपी हेतु वर्ष 2005–06 के लिए किए गए बजटीय प्रावधान को कार्यक्रम के क्रियान्वयन के मूल्यांकन स्तर तथा तीन वर्षों में निधियों के उपयोग स्तर को देखते हुए कम कर दिया गया है।

(ग) और (घ) वित्तीय वर्ष 2004–05 के दौरान सरकार ने विभिन्न राज्यों को एपीडीआरपी के अंतर्गत 2885.30 करोड़ रुपये की राशि उप–पारेषण एंव वितरण परियोजनाओं हेतु स्वीकृत की है।

विद्युत मंत्रालय के समक्ष एपीडीआरपी के निवेश घटकों के अंतर्गत निधियों को जारी किए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है। केवल मणिपुर एवं मिजोरम को निधियां उनके द्वारा हस्ताक्षरित

त्रिपक्षीय समझौते (टीपीए) में निर्धारित शर्तों के पूरा न किये जाने के कारण जारी नहीं की जा सकी एपीडीआरपी के निवेश घटकों के अंतर्गत केरल, गुजरात एवं पश्चिम बंगाल को निधियां जारी किए जाने संबंधी सिफारिशें वित्त मंत्रालय को प्रेषित कर दी गई हैं।

(ङ) और (च) एपीडीआरपी के क्रियान्वयन से उप–पारेषण एवं वितरण क्षेत्र के सुधार पर प्रभाव पड़ता है। इससे बिजली के उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सभी राज्य बिजली बोर्डों (एसईबी)/यूटिलिटियों द्वारा वितरण मामलों जैसे सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक घाटे (एटी एण्ड सी) को कम करने के लिए उठाए गए कदम, विद्युत की चोरी तथा हेरा–फेरी को रोकना, 11केवी फीडर मीटरिंग तथा उपभोक्ता मीटरिंग, ऊर्जा एकाउन्टिंग एण्ड आडिटिंग, संग्रहण दक्षता तथा उपभोक्ता संतुष्टि आदि में सुधार लाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी पहल आदि के संबंध में मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है जिनकी मानीटरिंग की जाती है। सचिव (विद्युत), विद्युत मंत्रालय की अध्यक्षता में गठित संचालन समिति तथा राज्य स्तरीय वितरण सुधार समितियों द्वारा एपीडीआरपी के अंतर्गत किए गए कार्यों की प्रगति तथा एपीडीआरपी के अंतर्गत जारी निधियों के समुचित उपयोग की समय–समय पर समीक्षा की जाती है।

[हिन्दी]

राज्यों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोलना

7256. श्री शिवराज सिंह चौहान : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 2005 की स्थिति के अनुसार देश के प्रत्येक राज्य में कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्य कर रहे हैं; और

(ख) चालू वर्ष और वर्ष 2006 के दौरान प्रत्येक राज्य में इन बैंकों की कितनी शाखाएं खोले जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) 31 मार्च, 2005 की स्थिति के अनुसार देश में राज्य–वार कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या और 2005–06 के दौरान खोली जाने वाली प्रस्तावित शाखाओं की संख्या निम्नानुसार है:

क्र.सं.	राज्य का नाम	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या	2005–06 के दौरान खोली जाने वाली प्रस्तावित शाखाओं की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	16	2
2.	अरूणाचल प्रदेश	1	-
3.	असम	5	4
4.	बिहार	16	11
5.	छत्तीसगढ़	5	2
6.	गुजरात	9	8
7.	हरियाणा	4	13
8.	हिमाचल प्रदेश	2	-
9.	जम्मू–कश्मीर	3	-
10.	झारखंड	6	-
11.	कर्नाटक	13	14
12.	केरल	2	10
13.	मध्य प्रदेश	19	5
14.	महाराष्ट्र	10	2
15.	मणिपुर	1	-
16.	मेघालय	1	-
17.	मिजोरम	1	1
18.	नागालैंड	1	-
19.	उड़ीसा	9	1
20.	पंजाब	5	1
21.	राजस्थान	14	7
22.	तमिलनाडु	3	-
23.	त्रिपुरा	1	-
24.	उत्तर प्रदेश	36	-
25.	उत्तरांचल	4	2
26.	पश्चिम बंगाल	9	11
	कुल	196	94

[अनुवाद]

जूट का उत्पादन

7257. श्री जी. कल्याणकर रेड्डी : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान देश में जूट के उत्पादन में भारी गिरावट आयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(घ) सरकार द्वारा देश में जूट के उत्पादन को बढ़ावा देने तथा जूट मिलों/उद्योगों का पुनरूद्धार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) और (ख) पटसन विकास निदेशालय, कृषि मंत्रालय के अनुसार पिछले तीन वर्ष के लिए अनुमानित क्षेत्र और उत्पादन निम्नलिखितानुसार रहा है:–

वर्ष	क्षेत्र ('000 हेक्टयर)			उत्पादन लाख गाँठ में		
	पटसन	मेस्टा	कुल	पटसन	मेस्टा	कुल
2002–03	864.4	176.3	1040.7	102.99	10.36	113.36
2003–04	814.9	161.5	976.4	102.35	9.02	111.37
2004–05	694.9	150.6	845.5	86.81	8.75	95.56

(ग) वर्ष 2004–05 के दौरान पटसन और मैस्टा के उत्पादन में मामूली गिरावट मौसम की विपरीत परिस्थितियों और बुआई मौसम के दौरान विद्यमान बाजार कीमतों के कारण फसल के अंतर्गत कम कवरेज के कारण है।

(घ) देश में पटसन का उत्पादन बढ़ाने तथा पटसल मिलों/उद्योगों का पुनरूद्धार करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

पटसन का उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम

1. बेहतर रेटिंग सुविधाएं शुरू करना।
2. अधिक उपज के लिए अनुसंधान एवं विकास क्रियाकलापों का विकास।
3. प्रतिवर्ष कच्ची पटसन की बेहतर कीमतें पेश कर किसानों का उत्साहवर्धन।
4. पटसन किसानों को एक सुरक्षा नेट प्रदान करने के लिए कच्ची पटसन और मेस्टा के वास्ते न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण ताकि वे अपने उत्पाद की आपदा बिक्री से बच सकें।
5. नई राष्ट्रीय पटसन नीति 2005 शुरू करना।
6. कृषि मंत्रालय द्वारा अनुसंधान एवं विकास प्रयासों से संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन तथा पटसन उत्पादकों द्वारा उत्पादित कच्ची पटसन की उपज और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए बेहतर कृषि संबंधी परिपाटियों का क्रियान्वयन।

पटसन मिलों/उद्योगों के पुनरूद्धार के लिए उठाए गए कदम

1. प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) के माध्यम से नई मशीनों की खरीद के लिए पटसन उद्योग को आसान ऋण प्रदान करना।
2. जेएमसीडी के माध्यम से पटसन उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए प्रोत्साहन योजना पेश करना।
3. जेएमडीसी निर्यात बाजार सहायता (ईएमए) योजना को बढ़ाना। ईएमए 12 उत्पादों के लिए दी जाती है और सहायता 5% से 10% तक अलग–अलग है।
4. राष्ट्रीय पटसन विविधीकरण केन्द्र (एनसीजेडी) और पटसन विनिर्माण विकास परिषद (जेएमडीसी) द्वारा देखी गई कई योजनाओं के माध्यम से विविधीकृत उत्पाद दायित्व का संवर्धन ताकि जेडीपीएस के लिए प्रयुक्त उनके उच्च कोटि के फाइबर के लिए किसानों को बेहतर कीमत सुनिश्चित की जा सके।
5. पटसन पैकेजिंग सामग्री (वस्तुओं के लिए अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 के तहत पटसन पैकेजिंग सामग्री में पैक किए जाने के लिए खाद्यान्न एवं चीनी को आरक्षित कर किसानों द्वारा उत्पादित कच्ची पटसन के लिए उपयुक्त बाजार मांग सुनिश्चित करना।

विद्युत का पारेषण एवं वितरण

7258. श्री जसुभाई दानाभाई बारड़ :

श्री बृज किशोर त्रिपाठी :

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वर्ष 2012 तक विद्युत क्षमता को एक लाख मेगावाट और बढ़ाने की आवश्यकता है;

(ख) देश में एक लाख मेगावाट विद्युत के पारेषण व वितरण के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता है;

(ग) क्या नई पारेषण सुविधाएं स्थापित करने के लिए

पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) ने निजी क्षेत्र की भागीदारी की मांग की है;

(घ) यदि हां, तो किन क्षेत्रों में नई पारेषण प्रणाली के स्थापित किए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या गुजरात में कुछ ताप विद्युत केन्द्रों का निजी क्षेत्र द्वारा स्वामित्व लिए जाने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो इसके लिए निर्धारित निबंधन व शर्तें क्या हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने अनुमान लगाया है कि 10वीं और 11वीं योजनाओं के लिए 1,00,000 मेगावाट क्षमता अभिवृद्धि की आवश्यकता होगी।

(ख) 10वीं और 11वीं योजना के दौरान विद्युत क्षेत्र के वित्तपोषण संबंधी समिति ने देश में पारेषण एवं वितरण हेतु निधियों की आवश्यकता निम्नवत आंकी थी–

(करोड़ रुपये में)

	केन्द्रीय क्षेत्र	राज्य क्षेत्र	निजी क्षेत्र	कुल
10वीं योजना				
पारेषण	21370	26000	9710	57080
वितरण	–	45000	–	45000
11वीं योजना				
पारेषण	28258	30000	11200	69458
वितरण	–	50000	–	50000
कुल निधि आवश्यकता	49628	151000	20910	221538

(ग) जी, हाँ।

(घ) पूर्वी क्षेत्र और उत्तरी क्षेत्र में उत्तरी क्षेत्र पारेषण प्रणाली, पूर्वोत्तर इंटरकनेक्टर और ताला एचईपी से संबद्ध पारेषण प्रणाली के अंतर्गत विशेष पारेषण लाइनों का एक संयुक्त उद्यम के माध्यम से कार्यान्वयन किया जा रहा है।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों में गबन

7259. डा. एम. जगन्नाथ : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर में फैले सरकारी क्षेत्र के बैंकों में गबन के मामलों में चिन्ताजनक बढ़ोतरी हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने लेखा रखरखाव और मुद्रा अंतरण हेतु बैंकों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले साफ्टवेयर पैकेजों की दक्षता का आकलन करने हेतु कोई अध्ययन कराया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(घ) ऐसी धोखाधड़ी को रोकने के लिए वर्तमान में बैंकों द्वारा उपयोग में लाए जा रहे साफ्टवेयर में सुरक्षा विशेषताएं शामिल करने हेतु क्या निवाराणात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि गत तीन वर्षों यथा, 2002, 2003 एवं 2004 के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा सूचित गबन अर्थात दुर्विनियोजन एवं आपराधिक न्यासभंग के मामलों की संख्या क्रमशः 266, 409 एवं 377 थीं। इन मामलों में अन्तर्ग्रस्त राशि में वृद्धि हुई जो 2002 के दौरान 84.04 करोड़ रुपए थी, यह बढ़कर 2003 में 161.57 करोड़ रुपए हो गयी, किन्तु वर्ष 2004 के दौरान यह राशि कम होकर 70.00 करोड़ रुपए हो गयी। अतः, वर्ष 2003 की तुलना में वर्ष 2004 में मामलों की संख्या तथा अन्तर्ग्रस्त राशि में कमी हुई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचना प्रणाली लेखा जांच संबंधी एक प्रकाशन प्रकाशित किया है जिसमें बैंकों में स्थापित सभी हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर की सुरक्षा की जांच करने के लिए उठाये जाने वाले आवश्यक कदमों का उल्लेख है और इसे आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई के लिए सभी बैंकों को भेज दिया गया है।

[हिन्दी]

फर्जी बीमा व्यवसाय

7260. श्री सुनिल कुमार महतो :

डा. धीरेन्द्र अग्रवाल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश के विभिन्न भागों में चलाए जा रहे फर्जी बीमा व्यवसाय की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो विकास अधिकारियों, एजेन्टों और जीवन बीमा व्यवसाय के कार्यालयों के बीच घृणित मिलीभगत के कारण भारतीय जीवन बीमा निगम को घाटा रहा है;

(ग) क्या इस मामले में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को जांच करने के लिए कहा गया है;

(घ) पूरे देश में एल.आई.सी. में कार्यकरण को सरल व प्रभावी बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) उठाए गए कदमों के परिणामस्वरूप सरकार को क्या सफलता मिली है?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम): (क) भारतीय जीवन बीमा निगम ने सूचित किया है कि उन्हें अभी तक किसी फर्जी बीमा की जानकारी नहीं मिली है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) एल आई सी द्वारा अपनी दक्षता सुधार के लिए उठाए गए कदमों के प्रीमियम के भुगतान को सुकर बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली का उन्नयन, पालिसियों की स्थिति के बारे में सूचना प्रदान किया जाना, अग्रिम प्राप्ति आदि की मांग किए बिना मनी बैक पालिसियों के तहत उत्तरजीवित लाभ का भुगतान किया जाना शामिल हैं।

(ङ) प्रौद्योगिकी का उन्नयन करने के साथ दावों के निपटान में लिए जाने वाले समय में उल्लेखनीय कमी आई है। उदाहरण के लिए 95.49% परिपक्वता दावों का भुगतान निर्धारित समय पर अथवा पहले कर दिया गया और 91.68% मृत्यु दावों (जो समयपूर्व न हो), का निपटान सूचना मिलने की तारीख से 20 दिनों के भीतर कर दिया गया।

कांटी और बरौनी विद्युत परियोजनाओं का नवीनीकरण

7261. श्री सुशील कुमार मोदी : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बरौनी व कांटी ताप विद्युत संयंत्रों का पुनरूद्धार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन संयंत्रों में पुनरूद्धार के बाद विद्युत उत्पादन क्षमता में कितनी वृद्धि का प्रस्ताव है और इस उद्देश्य हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गयी है;

(घ) इन संयंत्रों पर कब तक कार्य शुरू होने की संभावना है;

(ङ) क्या सरकार ने कांटी ताप विद्युत संयंत्रों के विस्तार हेतु कोई योजना तैयार की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) और (ख) बरौनी और कांटी स्थित विद्युत संयंत्रों के नवीकरण एवं आधुनिकीकरण की जिम्मेवारी बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की है। बिहार सरकार ने राष्ट्रीय सम विकास योजना के अंतर्गत वित्तपोषण के लिए बरौनी और मुजफ्फरपुर ताप विद्युत केंद्र के अवशेष जीवन मूल्यांकन तथा नवीकरण एवं आधुनिकीकरण के लिए योजना आयोग के समक्ष एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

(ग) बरौनी टीपीएस और कांती टीपीएस नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्य के बाद 2x50 मेगावाट तथा 2x210 मेगावाट क्षमता प्राप्त कर सकते हैं। नवीकरण एवं आधुनिकीकरण के लिए आवयश्यक धनराशि तकनीक–आर्थिक व्यवहार्यता पर निर्भर करेगी। किंतु भारत सरकार ने पावर फाइनेंस कारपोरेशन के जरिए त्वरित विद्युत उत्पादन एवं आपूर्ति कार्यक्रम (एजी एंड एसपी) के अंतर्गत देश में थर्मल यूनिटों के पुनरोद्धार/नवीकरण एवं आधुनिकीकरण के लिए रियायती ब्याज दर पर पर्याप्त निधि निर्धारित कर दी गई है।

(घ) इन यूनिटों के पुनरोद्धार का कार्य अवशेष जीवन मूल्यांकन तथा वित्तीय व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद की जाएगी।

(ङ) और (च) वर्तमान में कांटी टीपीएस के विस्तार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

आयकर के दायरे में 'गुजरात मेरी टाइम बोर्ड'

7262. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के मुख्यमंत्री ने 'गुजरात मेरी टाइम बोर्ड' को कर छूट जारी रखने हेतु केन्द्र सरकार को अभ्यावेदन दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त अभ्यावेदन पर गुजरात सरकार द्वारा अभिकल्पित प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) जी, हां।

(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(20) के अंतर्गत गुजरात मेरी टाइम बोर्ड को कर छूट जारी रखने के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री के अभ्यावेदन की जांच की गई है तथा इसे स्वीकार्य नहीं पाया गया है।

लाभ का निर्गम

7263. श्री उदय सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा उदारीकरण के कारण विदेशी बैंकों और कंपनियों को लाभ का निर्गम रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) देश की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने/घाटे को कम करने और विदेशी ऋण का भुगतान करने के लिए सरकार की योजना क्या है; और

(ग) विदेशी बैंकों और कंपनियों पर सरकार का कितना नियंत्रण है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विदेशों से जीडीआर फंड जुटाना

7264. श्री चिंतिंग रामकृष्णा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई कंपनियां ग्लोबल डिजोजिटरी रिसिप्ट्स के माध्यम से धनराशि जुटाने के लिए विदेशी बाजारों में जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस संबंध में आरबीआई द्वारा क्या नियम और विनियम निर्धारित किए गए हैं;

(घ) क्या सरकार की छोटी और मध्यम आकार की कंपनियों को सहायता देने के लिए दिशानिर्देशों में छूट देने की योजना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) भारतीय कंपनियों द्वारा स्वचालित मार्ग के अन्तर्गत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफआईडी) संबंधी नीति के अनुरूप विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड तथा सामान्य शेयर (निक्षेपागार प्राप्ति प्रक्रम के जरिए) योजना, 1993 के निर्गम की शर्तों के अनुसार वैश्विक निक्षेपागार प्राप्तियां (जीडीआर) जारी की जा सकती हैं। विदेशी वाणिज्यिक उधार तथा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश संबंधी नीति के अनुरूप स्वचालित मार्ग के अन्तर्गत 500 मिलियन अमरीकी डालर तक की राशि के विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड (एफसीसीबी) भी जारी किए जा सकते हैं। विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान एडीआर/जीडीआर के माध्यम से हुए विदेशी निवेश अंतर्वाहों के ब्यौरे नीचे दर्शाए गए हैं:–

(मिलियन अमरीकी डालर)

2001–02	2002–03	2003–04
477	600	459

(ग) जीडीआर/एफसीसीबी के निर्गम को अभिशासित करने संबंधी विनियम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अन्तर्गत अधिसूचित किए जाते हैं।

(घ) और (ङ) दिशानिर्देशों का उदारीकरण एक सतत प्रक्रिया है।

[हिन्दी]

बैंक घोटाले

7265. श्री श्रीचन्द कृपलानी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान आज की तिथि तक कितने बैंक घोटालों के मामले सामने आए हैं;

(ख) प्रत्येक मामले में कितने अधिकारी लिप्त पाए गए हैं;

(ग) उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि कैलेण्डर वर्ष 2004 के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा उन्हें 2520 धोखाधड़ी के मामलों की सूचना दी गई है और इन धोखाधड़ियों में संलिप्तता के लिए 4311 कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक 1 करोड़ रुपए एवं इससे अधिक राशि की बड़ी मूल्य वाली धोखाधड़ियों की निगरानी करता है तथा कैलेण्डर वर्ष 2004 के दौरान वाणिज्यिक बैंकों ने 89 ऐसे मामलों की सूचना दी जिनमें से 42 मामलों में कर्मचारियों की संलिप्तता पायी गई है।

(ग) उन सभी 42 मामलों, जहां कर्मचारी संलिप्त पाये गये हैं, में संबंधित अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है तथा विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से कर्मचारी से संबंधित कार्रवाई तत्काल पूरी करने के लिए कहा है।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक अपने पर्यवेक्षी दायित्व के रूप में समय–समय पर बैंकों को सामान्य धोखाधड़ी संभावित क्षेत्रों के बारे में तथा बैंकों में धोखाधड़ियों की घटना को रोकने/कम करने के लिए उनके द्वारा किये जाने वाले उपायों के बारे में सलाह देता रहा है।

[अनुवाद]

चावल की भूसी से विद्युत उत्पादन

7266. श्री चलासोबरी वल्लभनेनी : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चावल की भूसी से विद्युत उत्पादन हेतु विद्युत परियोजनाओं को अनुदान/राजसहायता देती है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान आज की तिथि तक प्रत्येक राज्य को कितना अनुदान/राजसहायता दी गई है; और

(ग) आज की तिथि के अनुसार देश में कार्यरत ऐसी परियोजनाओं की संख्या कितनी है और देश में इससे राज्यवार कुल कितना विद्युत का उत्पादन हो रहा है।

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) जी हां, मंत्रालय एक बायोमास ऊर्जा और सहउत्पादन कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रहा है जिसमें चावल की भूसी आधारित सहित बायोमास आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्रों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

(ख) उपर्युक्त कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में व्यक्तिगत परियोजनाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2002–03, 2003–04, 2004–05 के दौरान स्वीकृत की गई राशि का राज्यवार विवरण नीचे दिया गया है:

राज्य	वर्ष 2002–05 के दौरान स्वीकृत की गई राशि (करोड़ रु. में)
आंध्र प्रदेश	11.30
कर्नाटक	1.09
पंजाब	0.36
राजस्थान	0.56
कुल	13.31

(ग) 31.3.2005 की स्थिति के अनुसार देश में 302 मेगावाट की समग्र संस्थापित क्षमता के साथ कुल 54 बायोमास आधारित विद्युत परियोजनाएं स्थापित की गई हैं। राज्यवार सूचना विवरण में दी गई है।

विवरण

बायोमास विद्युत परियोजनाओं की संस्थापित क्षमता पर राज्यवार सूचना

राज्य	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)
1	2
आंध्र प्रदेश	194.2
छत्तीसगढ़	11.0
गुजरात	0.5
हरियाणा	4.0
कर्नाटक	36.0
मध्य प्रदेश	1.0
महाराष्ट्र	3.5
पंजाब	10.0
राजस्थान	7.8
तमिलनाडु	34.5
कुल	302.5

[हिन्दी]

डी आर डी ए का कार्यकरण

7267. श्री ब्रजेश पाठक : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों (डी आर डी ए) में शामिल लोगों और इसके कार्यकरण का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों को भंग करने और जिला पंचायतों का गठन करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों पर राज्य–वार और वर्ष–वार कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ङ) आज की तिथि के अनुसार जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) जिला ग्रामीण विकास एजेंसी योजना के दिशा–निर्देशों के अनुसार, प्रत्येक जिले में उसकी जिला ग्रामीण विकास एजेंसी होगी जो साधारणतः सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत सोसायटी होगी। ऐसे राज्यों के संबंध में, जहाँ डीआरडीए की अपनी अलग पहचान नहीं है, अलग पहचान बनाए रखने और अलग खाते रखने के लिए जिला परिषद में अलग प्रकोष्ठ बनाया जाना चाहिए। यह प्रकोष्ठ सीधे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अथवा वैकल्पिक रूप से

एक ऐसे अधिकारी, जिसके पास अपर जिला अधिकारी की श्रेणी के परियोजना निदेशक की योग्यताएं हों, के प्रभार के अधीन होना चाहिए। प्रभावपूर्ण ढंग से कार्य करने के लिए जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के लिए दिशा–निर्देशों में संकेतात्मक स्टाफ संरचना के साथ–साथ उपयुक्त कार्मिक नीति दी गई है। डीआरडीए की संरचना में गरीबी उपशमन के लिए नियोजन, परियोजना निरूपण, सामाजिक संगठन और क्षमता निर्माण, लिंग संबंधी विषयों, इंजीनियरिंग पर्यवेक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण, परियोजना मॉनीटरिंग, एकाउंटेंसी और लेखा–परीक्षा संबंधी कार्य तथा मूल्यांकन और प्रभाव अध्ययनों की स्थिति को शामिल किया जाना आवश्यक है। राज्य सरकारों को संरचना में उपयुक्त परिशोधन करने की स्वतंत्रता दी गई है परंतु यह कि उसकी मूल अभिकल्पना में कोई परिवर्तन न किया जाए। डीआरडीए का प्रशासन अधिशासी निकाय द्वारा किया जाता है। जिला परिषद का अध्यक्ष जिला ग्रामीण विकास एजेंसी के अधिशासी निकाय का अध्यक्ष होगा; और जहाँ जिला परिषदें नहीं हैं, राज्य सरकारें डीआरडीए के अधिशासी निकाय के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए संबंधित जिलों से राज्य विधान मंडल के निर्वाचित सदस्यों को नामित कर सकती है। अधिशासी निकाय के अन्य सदस्यों में सभी संसद सदस्य विधान सभा सदस्य/विधान परिषद सदस्य, एक–तिहाई नामित किए गए पंचायत समिति सदस्य, सीईओ/समाहर्त्ता, बैंक, अन्य लाइन विभागों के अधिकारी शामिल हैं। परियोजना निदेशक अधिशासी निकाय का सदस्य सचिव होता है। अधिशासी निकाय नीतिगत निर्देश देता है और योजना, जिसमें विभिन्न कार्यक्रम शामिल हैं, के कारण की समीक्षा और निगरानी भी करता है।

डीआरडीए की समस्त कार्यकारी और वित्तीय शक्तियों का प्रयोग कार्यकारी समिति द्वारा किया जाता है जो डीआरडीए के सभी मामलों में अधिशासी निकाय राज्य सरकार के प्रति पूरी तरह से उत्तरदायी होती है। डीआरडीए की कार्यकारी समिति की अध्यक्षता मुख्य कार्य कार्यकारी अधिकारी/कार्यकारी निदेशक द्वारा की जाती है और इसका गठन जिला स्तर के सभी अधिकारियों और ऐसे अधिकारियों को मिलाकर किया जाता है जिन्हें गरीबी उपशमन संबंधी कार्यक्रमों के नियोजन और कार्यान्वयन के लिए आवश्यक समझा जाए। परियोजना निदेशक डीआरडीए कार्यकारी समिति के सदस्य सचिव होंगे। तथापि, कार्यकारी और वित्तीय क्रियाकलाप सीईओ, जिला परिषद/जिला समाहर्त्ता द्वारा किए जाएंगे जिसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अथवा कार्यकारी निदेशक के रूप में पदनामित किया जाएगा। यह सूचित करना उसका दायित्व होगा कि डीआरडीए के प्रशासन और कार्यक्रमों को दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जाता है। जहाँ जिला परिषदें नहीं है अथवा कार्यरत नहीं है, वहाँ डीआरडीए समाहर्त्ता/जिला अधिकारी/जिले के उपायुक्त, जैसा भी मामला हो, के अधीन कार्य करेगी। जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को विशेषज्ञता प्राप्त और एक व्यावसायिक एजेंसी के रूप में देखा जाता है जो एक ओर तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के गरीबी उपशमन कार्यक्रमों की व्यवस्था करने में और दूसरी ओर इन्हें जिले में गरीबी समाप्त करने के संपूर्ण प्रयास के साथ कारगर रूप से जोड़ने में सक्षम हो।

(ख) जी नहीं। ग्रामीण विकास एजेंसियों को समाप्त करने के लिए मंत्रालय के विचारार्थ फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान संघ सरकार द्वारा जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के लिए राज्य–वार रिलीज से संबंधित ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) डीआरडीए द्वारा हासिल उपलब्धियों में अन्य के साथ–साथ ग्रामीण विकास मंत्रालय के गरीबी उपशमन कार्यक्रमों का सही प्रबंधन और लाइन विभागों, पंचायती राज संस्थाओं, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों, गैर–सरकारी संगठनों तथा तकनीकी संस्थाओं के साथ देश में गरीबी कम करने के प्रयासों के लिए अपेक्षित समर्थन और संसाधन जुटाने की दृष्टि से कारगर समन्वयन शामिल है।

विवरण

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	रिलीज की गई राशि		
		2002-2003	2003-2004	2004-2005
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1139.89	1182.19	1099.54
2.	बिहार	1024.48	873.88	1231.19
3.	छत्तीसगढ़	385.71	455.88	455.90
4.	गोवा	86.38	110.56	92.52
5.	गुजरात	967.18	1062.05	1101.23
6.	हरियाणा	550.95	658.30	632.41
7.	हिमाचल प्रदेश	360.61	501.38	450.87
8.	जम्मू–कश्मीर	357.79	336.11	318.79
9.	झारखंड	420.78	569.47	641.85
10.	कर्नाटक	798.01	977.57	937.66
11.	केरल	454.45	505.18	583.71

1	2	3	4	5
12.	मध्य प्रदेश	1589.24	1661.30	1792.54
13.	महाराष्ट्र	1106.19	1025.02	1079.36
14.	उड़ीसा	1405.07	1455.96	1677.47
15.	पंजाब	420.44	450.95	610.38
16.	राजस्थान	1245.01	1358.28	1395.34
17.	तमिलनाडु	1329.12	1301.57	1463.63
18.	उत्तर प्रदेश	2818.69	3127.87	3202.29
19.	उत्तरांचल	471.25	471.27	442.14
20.	प. बंगाल	682.11	691.71	687.72
21.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	20.59	17.59	10.00
22.	दादरा और नागर हवेली	0.00	0.00	0.00
23.	दमन और द्वीव	0.00	0.00	5.04
24.	लक्षद्वीप	20.59	20.60	21.84
25.	पांडिचेरी	45.72	63.83	52.42
26.	अरूणाचल प्रदेश	516.53	600.66	653.12
27.	असम	855.15	1012.26	1207.85
28.	मेघालय	119.97	135.51	178.16
29.	मणिपुर	115.27	386.91	313.18
30.	नागालैंड	222.29	342.19	329.23
31.	मिजारेम	159.67	403.30	283.13
32.	सिक्किम	49.50	51.96	54.56
33.	त्रिपुरा	179.81	188.69	176.33
	कुल	19918.64	22000.00	23181.40

कंपनियों के पंजीयन हेतु मानदंड

7268. श्री रामदास आठवले : क्या कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली सहित विभिन्न राज्यों में विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में कंपनियां रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज से अपना पंजीकरण कराए बगैर ही कार्य कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या किसी कंपनी के लिए स्वयं को एक निर्धारित अवधि के अन्दर पंजीकृत करना अनिवार्य है;

(ग) यदि हां, तो इससे संबंधित निर्धारित मानदंड क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा गैर-कानूनी ढंग से कार्य कर रही गैर-पंजीकृत कंपनियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है?

कंपनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता) : (क) इस प्रकार की सूचना सरकार के नोटिस में नहीं आई है।

(ख) कम्पनी के रूप में कार्य करने की अपेक्षा करने वाली एक एनटिटी के लिए कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकरण कराना एक आवश्यक कानूनी अपेक्षा है। कोई संगठन कम्पनी रजिस्ट्रार से समामेलन का प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना कम्पनी के रूप में कार्य नहीं कर सकता।

(ग) नाम का चयन करने तथा कम्पनी रजिस्ट्रार से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, ज्ञापन तथा संगम अनुच्छेद के लिए संवर्द्धक/अंशदाता से आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करने तथा अपेक्षित फार्म को एतद्द्वारा भरकर तथा उस पर फीस के साथ कम्पनी रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है। रजिस्ट्रार, कम्पनी को रजिस्टर्ड करने के बाद समामेलन का प्रमाण पत्र जारी करता है।

(घ) यदि ऐसा कोई मामला नोटिस में आता है कि कोई संगठन कम्पनी रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर कराए बिना कम्पनी के रूप में कार्य कर रहा है तो कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबन्धों के अंतर्गत उस संगठन के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश

7269. श्री सनत कुमार मंडल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान अनिवासी भारतीयों द्वारा किए गए निवेश का राज्यवार और क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ख) अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश से संबंधित विद्यमान दिशानिर्देश क्या हैं; और

(ग) वर्ष 2004-2005 के दौरान अनिवासी भारतीयों से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) जनवरी, 2002 से फरवरी, 2005 की अवधि के दौरान अनिवासी भारतीयों के निवेश अनुमोदन का राज्यवार तथा क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण I और II में दिया गया है।

(ख) विदेशी निवेशकों/कंपनियों को विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए यथा उपलब्ध सामान्य नीति तथा सुविधा अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) के लिए भी पूर्णतः प्रयोज्य है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने अनिवासी भारतीयों के लिए अतिरिक्त अवसर भी प्रदान किए हैं, जिनमें ये शामिल हैं :– (i) घरेलू एयरलाइन्स में 100 प्रतिशत तक निवेश और (ii) व्यष्टि अनिवासी भारतीय द्वारा लघु उद्योगों में 24 प्रतिशत से अधिक निवेश बशर्ते कि उनका किसी अन्य औद्योगिक उपक्रम में कोई हिस्सा न हो। अनिवासी भारतीयों को रूग्ण एकक के पुनरूज्जीवन हेतु 100 प्रतिशत की सीमा तक प्रपुंज निवेश करने की अनुमति भी दी गई है। उन्हें भारतीय कंपनियों तथा मालिकाना/भागीदारी प्रतिष्ठानों में गैर–प्रत्यावर्तनीय आधार पर बिना किसी सीमा के निवेश करने की अनुमति भी दी गई है बशर्ते कि निवेशकर्ता कंपनी/फर्म कृषीय/बागान गतिविधि, स्थावर संपदा व्यवसाय, चिट फंड अथवा निधि कंपनी गतिविधियों में संलिप्त न हो।

(ग) कैलेंडर वर्षों 2004 और 2005 के लिए सरकारी तथा स्वचालित, दोनों मार्गों के अंतर्गत अनिवासी भारतीय निवेशों हेतु अनुमोदित राशि 409.23 मिलियन अमरीकी डालर है।

विवरण-I

(भारतीय रिजर्व बैंक के प्रादेशिक कार्यालयों को यथासूचित)
देश अनिवासी भारतीय

(राशि करोड़ रुपए)

क्र.स.	भारतीय रिजर्व बैंक के प्रादेशिक कार्यालय का नाम	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्वाहों की राशि	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्वाहों की प्रतिशतता
1	2	3	4
1.	गुजरात	150.84	28.84
2.	कर्नाटक	110.17	21.06
3.	महाराष्ट्र	41.68	7.97
4.	दिल्ली	6.14	1.17
5.	पश्चिम बंगाल	2.94	0.56
6.	तमिलनाडु	2.76	0.53
7.	आंध्र प्रदेश	1.52	0.29
8.	गोवा	1.04	0.20
9.	केरल	0.26	0.05
10.	मध्य प्रदेश	0.26	0.05
11.	राजस्थान	0.00	0.00
12.	अनिर्दिष्ट	205.44	39.28
	कुल जोड़	523.05	

टिप्पणी : 1. इस राशि में केवल एसआईए/एफआईपीबी मार्ग, विद्यमान शेयरों के अधिग्रहण तथा भारतीय रिजर्व बैंक के स्वचालित मार्ग के माध्यम से प्राप्त अंतर्वाह ही शामिल हैं।

2. उपर्युक्त राज्यवार अंतर्वाहों का वर्गीकरण भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई द्वारा उपलब्ध कराए गए भारतीय रिजर्व बैंक के प्रदेशवार अंतर्वाहों के अनुसार किया गया है।

विवरण-II

जनवरी, 2002 से फरवरी, 2005 के बीच प्राप्त किए गए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्वाहों के लिए क्षेत्रवार ब्यौरों का विवरण।

(राशि करोड़ रुपए)

क्र.स.	क्षेत्रक का नाम	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्वाहों की राशि (रुपए में)	कुल राशि का प्रतिशत
1	2	3	4
1.	वैद्युत उपकरण (एस/ डब्ल्यू और वैद्युत सहित)	234.41	44.82
2.	ईंधन (विद्युत तथा तेल शोधनशाला)	111.59	21.34
3.	वस्त्र (रंजित, छपे वस्त्रों सहित)	75.08	14.35
4.	परिवहन उद्योग	69.26	13.24
5.	औषध तथा भेषज	17.08	3.27
6.	विविध उद्योग	6.17	1.18
7.	दूरसंचार	2.95	0.56
8.	चीनी	2.94	0.56
9.	सेवा क्षेत्रक	1.71	0.33
10.	व्यापार	0.71	0.14
11.	सिरेमिक्स	0.63	0.12
12.	रसायन (उर्वरकों को छोड़कर)	0.38	0.07

1	2	3	4
13.	चिकित्सीय तथा शल्य उपकरण	0.10	0.02
14.	धातु उद्योग	0.02	0
15.	होटल तथा पर्यटन	0.02	0
	कुल जोड़	523.05	

टिप्पणी : 1. इस राशि में केवल एसआईए/एफआईपीबी मार्ग, विद्यमान शेयरों के अधिग्रहण तथा भारतीय रिजर्व बैंक के स्वचालित मार्ग के माध्यम से प्राप्त अंतर्वाह ही शामिल हैं।

2. उपर्युक्त राज्यवार अंतर्वाहों का वर्गीकरण भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई द्वारा उपलब्ध कराए गए भारतीय रिजर्व बैंक के प्रदेशवार अंतर्वाहों के अनुसार किया गया है।

बैंक ऑफ बड़ौदा में भ्रष्टाचार

7270. श्री किशन सिंह सांगवान : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 20 अप्रैल, 2005 के एक न्यूज पोर्टल यथा गुड मार्निंग स्टार में आतंकवादी गुटों को धन पहुंचाने के प्रयासों से संबंधित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले से संबंधित तथ्य क्या है;

(ग) केन्द्र अन्वेषण ब्यूरो द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा के शीर्ष अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की स्थिति क्या है;

(घ) क्या बैंकिंग प्रभाग के सतर्कता विभाग द्वारा भी जांच की गई थी;

(ङ) यदि हां, तो इस जांच की स्थिति क्या है;

(च) इस मामले में कितनी धनराशि अंतर्ग्रस्त है और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यकारी निदेशक एवं अन्य संलिप्त 6 अधिकारियों से उक्त धनराशि को वसूल करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(छ) क्या इस प्रकार के धन शोधन और आतंकवादी गुटों को धन पहुंचाने के प्रयास में दूसरे देश भी संलिप्त हैं; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (ज) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्धस सूचना पटल पर रख दी जाएगी।

कपास की गुणवत्ता

7271. श्री रायापति सांबासिवा राव : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "जीन कैम्पेन" द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार बीटी कॉटन हाइब्रीड की गुणवत्ता को निम्नस्तरीय बताया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस अध्ययन रिपोर्ट में अन्य क्या टिप्पणियां की गई हैं;

(ग) क्या यह अध्ययन इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है कि इससे संबंधित विनियामक प्राधिकरण, जेनेटिक इंजीनियरिंग एप्रूवल कमेटी द्वारा व्यावसायिक खेती की अनुमति की अवधि को बढ़ाने के लिए अप्रैल के मध्य में बीटी कॉटन हाइब्रीड की इन किस्मों की गुणवत्ता की समीक्षा की जानी है;

(घ) क्या सरकार ने इन सभी सिफारिशों की जांच की है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या इन किस्मों का विकास महीको द्वारा मोंसैंटो के सहयोग से किया गया है;

(च) क्या जीईएसी ने राज्य सरकारों और अन्य अभिकरणों से रिपोर्ट मांगी है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) से (छ) पूर्व में अनुमोदित तीन बीटी कपास किस्मों के निष्पादन के संबंध में राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों, जीन कैम्पेन और कृषक संघों, अनुसंधान संस्थाओं आदि जैसे अन्य क्षेत्रों से प्राप्त अभ्यावेदनों सहित विभिन्न गैर–सरकारी संगठनों से प्राप्त अभ्यावेदन पर विचार करते हुए जैनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति (जेईएसी) ने 03.05.2005 को हुई अपनी बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिए:–

(i) केन्द्रीय मण्डल (महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश और गुजरात राज्य) के लिए मैक 12 बीटी की वाणिज्यिक खेती के लिए अनुमति का दो वर्ष की अवधि के लिए नवीकरण किया गया।

(ii) आंध्र प्रदेश को छोड़कर केन्द्रीय मण्डल तथा दक्षिणी मण्डल (अर्थात महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य) के लिए मैक 162 बीटी और मैक 184 बीटी की वाणिज्यिक खेती के

लिए अनुमति का दो वर्ष की अवधि के लिए नवीकरण किया गया।

(iii) आंध्र प्रदेश राज्य के लिए मैक 12 बीटी, मैक 162 बीटी और मैक 184 बीटी की वाणिज्यिक खेती की अनुमति का नवीकरण किया गया।

इन किस्मों का विकास महीको द्वारा मोंसैटो के सहयोग से किया गया है।

वैट हेतु निगरानी प्रकोष्ठ

7272. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ ने केन्द्रीकृत वैट निगरानी प्रकोष्ठ गठित करने और राज्य के वित्त मंत्रियों की अधिकारप्राप्त समिति हेतु एक वेबसाइट की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) अखिल भारतीय व्यापारी संघ ने वैट निगरानी कक्ष और राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार-प्राप्त समिति के लिए वेबसाइट स्थापित करने का सुझाव दिया है।

(ग) राज्य वित्त मंत्रियों की अधिकार-प्राप्त समिति ने 17 जनवरी, 2005 को हुई अपनी बैठक में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को सलाह दी है कि वे राजस्व निष्पादन और मूल्यों में उतार-चढ़ाव का पता लगाने के लिए अपने बिक्री/वाणिज्यिक कर विभाग के अन्दर "वैट कक्ष" स्थापित करें जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या निर्माता/डीलर वैट का लाभ उपभोक्ताओं को दे रहे हैं। अधिकार-प्राप्त समिति की वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू. स्टेटवैट. गोव. इन पर पहले ही प्रचालन में है।

[हिन्दी]

कंपनियों का परिसमापन

7273. श्री कैलाश मेघवाल : क्या कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय में अनिवार्य परिसमापन के अन्तर्गत आने वाली कंपनियों के विचाराधीन मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन कंपनियों का परिसमापन निश्चित किए जाने पर इन्हें उच्च न्यायालयों से संबद्ध सरकारी परिसमापकों को सौंप दिया जाता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी कंपनी-वार और परिसमापक-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) मंत्रालय के अंतर्गत जांचाधीन और गंभीर धोखाधड़ी की जांच के मामलों का ब्यौरा क्या है और इन मामलों को कब तक निपटाने का प्रस्ताव है?

कंपनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा उपलब्ध कराई गई सहायता

7224. कुंवर मानवेन्द्र सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वर्ष-वार और योजना-वार कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है; और

(ख) अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) भारतीय जीवन बीमा निगम (एल आई सी) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान उनके सामाजिक और अवसंरचना के क्षेत्र में किए गए निवेश और सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत भुगतान किए गए दावे निम्नानुसार हैं:-

(करोड़ रुपए में)

क्षेत्र	वर्ष के दौरान		
	2002-2003	2003-2004	2004-2005*
आवास	1020.89	4177.09	2131.41
विद्युत	3744.35	4456.72	3534.27
सिंचाई/जल आपूर्ति सीवर व्यवस्था	967.94	2561.22	1232.65
सड़क/सेतु/एसआरटीसी	565.00	15.00	67.00
अन्य		832.83	4347.10
कुल	6297.98	12042.86	11312.43

(करोड़ रुपए में)

सामाजिक सुरक्षा योजना	निपटाए गए दावों की राशि		
	2002-2003	2003-2004	2004-2005*
सामाजिक सुरक्षा समूह बीमा योजना (एसएसजीआईएस)	14.16	14.18	11.59
जनश्री बीमा योजना (जेबीवाई)	20.4	31.12	34.48
कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना (केएसएसएसवाई)	0.25	0.57	0.37
शिक्षा सहयोग योजना (एसएसवाई)–वितरित छात्रवृत्तियां	1.94	8.10	14.90

चार्टर्ड अकाउन्टेंसी के पाठ्यक्रम में परिवर्तन

7275. श्री जी. वी. हर्ष कुमार : क्या कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चार्टर्ड अकाउन्टेंसी के पाठ्यक्रम में परिवर्तन लाने तथा लेखा प्रणाली की भाषा को सरल बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मुद्दे पर विचार करने हेतु कोई समिति गठित की है;

(ग) यदि हां, तो इस समिति द्वारा क्या सिफारिश की गयी है; और

(घ) सरकार द्वारा इस पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गयी है?

कंपनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता) : (क) से (घ) चार्टर्ड अकाउन्टेंट्स के पाठयक्रम में परिवर्तन लाने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन नहीं है, न ही उसने इस संबंध में किसी समिति का गठन किया है।

[हिन्दी]

हथकरघा को विद्युत करघा में बदलना

7276. श्री मुंशी राम :

प्रो. महादेवराव शिवनकर :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हथकरघा बुनकरों की स्थिति में सुधार लाने हेतु हथकरघाओं को विद्युतकरघाओं में बदलने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी क्षेत्र–वार ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) हथकरघों को विद्युतकरघों में बदलने का कोई प्रस्ताव विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

ऊन क्षेत्र में निजी कंपनियों की भूमिका

7277. श्री दुष्यंत सिंह : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का निजी उद्यमियों द्वारा ऊनी मिलों को स्थापित करने हेतु प्रोत्साहन देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान ऊनी मिलों की स्थापना को बढ़ावा देने हेतु सरकारी अनुदान और सहायता के प्रति निजी उद्यमियों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान ऊन क्षेत्र में निजी उद्यमियों को उपलब्ध कराई गई सहायता का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) से (घ) यद्यपि सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में ऊनी मिलों की स्थापना के लिए निजी उद्यमियों को कोई सहायता नहीं दी है, न ही कोई प्रस्ताव विचाराधीन है तथापि 10वीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड, जोधपुर द्वारा संचालित किए जा रहे एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूआईपी) के माध्यम से सरकारी एवं गैर–सरकारी एजेंसियों को अन्यथा सहायता प्रदान की जाती है।

वस्त्र इकाइयों हेतु ब्याज राजसहायता

7278. श्री इकबाल अहमद सरडगी :

श्री रायापति सांबासिवा राव :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम के

अंतर्गत वस्त्र इकाइयों को दी जाने वाली ब्याज राजसहायता में वृद्धि करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा ब्याज राजसहायता में वृद्धि करने के संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना

7279. डा. अरुण कुमार शर्मा : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में जल विद्युत परियोजनाओं के संचालन और इनकी कमीशनिंग में लगे राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर के सरकारी उपक्रमों के नाम क्या हैं और इनमें से प्रत्येक को सौंपी गई परियोजनाओं का स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकारी क्षेत्र की प्रत्येक कंपनी का आर्थिक प्रोफाइल और उनकी रेटिंग, अधिष्ठापित क्षमता तथा उनके अंतर्गत प्रत्येक परियोजना की वर्तमान स्थिति और इनको पूरा करने हेतु निर्धारित लक्ष्य क्या हैं;

(ग) भारत और विदेश में भविष्य में शुरू करने हेतु इन्हें सौंपी गई परियोजनाओं की क्षमता कितनी है;

(घ) क्या सरकारी क्षेत्र के कुछ छोटे उपक्रमों का राष्ट्रीय स्तर के सरकारी क्षेत्र के बड़े उपक्रमों के साथ विलय करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) और (ख) देश में जल विद्युत परियोजनाओं के प्रचालन और आरंभ करने/निर्माण में लगे हुए राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के ब्योरे उनके आर्थिक प्रोफाइल, रेटिंग और प्रचालनाधीन परियोजनाएं अधिष्ठापित क्षमता के साथ संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। इन पीएसयू द्वारा कार्यान्वयनाधीन प्रत्येक परियोजना की स्थिति उन्हें पूरी करने के लिए निर्धारित लक्ष्यों के साथ संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ग) भारत में भविष्य में विकसित किए जाने हेतु उन्हें अनंतिम रूप से सौंपी गई परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त इन पीएसयू द्वारा कार्यान्वयन किए जाने हेतु 50,000 मेगावाट जल विद्युत पहल के अंतर्गत अभिज्ञात की गई कम टैरिफ वाली कुछ चुनिंदा जल विद्युत स्कीमों का उनका आबंटन किया जाना राज्य सरकारों के परामर्श के साथ प्रक्रियाधीन है। इसके अतिरिक्त कार्यान्वयन हेतु नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन को कावेरी बेसिन में चार परियोजनाओं के आबंटन किए जाने हेतु संबंधित राज्य सरकारों के साथ परामर्श किए जा रहे हैं।

(घ) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

विवरण-I

देश में जल विद्युत परियोजनाओं के प्रचालन और उन्हें चालू करने में लगे हुए राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर के विद्युत क्षेत्र उपक्रमों के नाम, आर्थिक प्रोफाईल और रेंकिंग

क्र.सं.	पीएसयू का नाम	पूर्वदत्त पूंजी (31.03.2004 की) स्थिति के अनुसार	2003-04 के दौरान कर पश्चात लेखा परीक्षा लाभ (करोड़ रुपये में)	श्रेणी #	संस्थापित क्षमता (जल विद्युत)	क्रेडिट रेटिंग ##
1	2	3	4	5	6	7
1.	नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि. (एनएचपीसी)	8,269.03	621.38	A	2,475	AAA
2.	दामोदर हाइड्रो-इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कारपोरेशन लि. (एनएचडीसी)	1,932.42	12.37	**	1,000	रेटिंग नहीं की गई
3.	नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि.	1,953.26	197.58	B	755	रेटिंग नहीं की गई

1	2	3	4	5	6	7
4.	सतलुज जल विद्युत निगम (एसजेवीएनएल)	3,081.00	218.00	B	1,500	रेटिंग नहीं की गई
5.	टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन लि. (टीएचडीसी)	2,968.43	*	B	निर्माणाधीन	रेटिंग नहीं की गई
6.	नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एनटीपीसी)	7,812.55	5,260.80	नवरत्न	निर्माणाधीन	AAA

* इस समय कोई परियोजना प्रचालनाधीन नहीं है।

** एनएचडीसी द्वारा अब तक श्रेणीबद्ध किया जाना

सार्वजनिक उद्यम विभाग की समय सीमा के अनुसार श्रेणीबद्ध किया जाना है।

##घरेलू पूंजी बाजार ऋण हेतु क्रेडिट रेटिंग चिन्हित किया जाना है।

विवरण-II

संस्थापित क्षमता, स्थान और पूरा होने के लिए निर्धारित लक्ष्यों के साथ निर्माणाधीन परियोजनाओं की स्थिति

क्र. सं.	पीएसयू का नाम/परियोजना का नाम	राज्य/जिला का नाम	अधिष्ठापित क्षमता क्षमता (मे.वा.)	आरंभ करने हेतु लक्ष्य किया गया वर्ष
1	2	3	4	5
नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन				
1.	धौलीगंगा	उत्तरांचल/पिथोरागढ़	280	2005-06
2.	दुलहस्ती	जम्मू और कश्मीर/डोडा	390	2005-06
3.	तीस्ता चरण-V	सिक्किम/इस्ट सिक्किम	510	2006-07
4.	सेवा-II	जम्मू और कश्मीर/कठुआ	120	2007-08
5.	तीस्ता लो डेम-III	पश्चिम बंगाल/दार्जिलिंग	132	2007-08
6.	पार्वती चरण-II	हिमाचल प्रदेश/कुल्लू	800	2009-10
7.	सुबानसिरी लोअर	अरूणाचल प्रदेश/लोअर सुबानसिरी/धिमाजी	2,000	2010-11
		कुल	4232	
नर्मदा हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि.				
8.	ओंकारेश्वर	मध्य प्रदेश/खांडवा	520	2006-08
टिहरी हाइड्रो डेवलमेंट पावर कारपोरेशन लि.				
9.	टिहरी चरण-I	उत्तरांचल/टिहरी गढ़वाल	1000	2005-06
10.	कोटेश्वर	उत्तरांचल/टिहरी गढ़वाल	400	2006-07
		कुल	1400	
नॉर्थ इस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि.				
11.	टूरियल	मिजोरम/आईजोल	60	
12.	कामेंग	अरूणाचल प्रदेश/कामेंग	600	2009-10
		कुल	660	

1	2	3	4	5
नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लि.				
13.	कोल डेम	हिमाचल प्रदेश/ बिलासपुर	800	2008-10

*परियोजना कार्य रुका हुआ है।

विवरण-III

*भारत में भावी विकास हेतु पीएसयू को अनंतिम रूप से सौंपी गई परियोजना के ब्यौरे**

क्र.सं.	पीएसयू का नाम/ परियोजना का नाम	अधिष्ठापित क्षमता (मे.वा.)
1	2	3
	नेशनल हाइड्रोइलेक्टिक पावर कारपोरेशन	
1.	चमेरा-III	231
2.	पार्वती चरण-III	520
3.	किशनगंगा	330
4.	उड़ी-II	240
5.	निमू बाजगो	45
6.	कटक	44
7.	तीस्ता लो डेम-IV	160
8.	सियांग (अपर)/सियांग (इंटरमिडियेट)	निश्चित होनी है
9.	देवाड़े	6
10.	भव एचईपी चरण-II	20
11.	सियांग लोअर	1600
12.	कोटली भेल चरण-I बी	280
13.	कोटली भेल चरण-I ए	240
14.	कोटली भेल चरण-II	440
15.	पाकल डुल	1000
16.	बरसर	1020
17.	सुबानसिरी	1600
18.	सुबानसिरी	2000
19.	सियांम (सियांग मिडिल)	1000
	टिहरी हाइड्रो डवलपमेन्ट कारपोरेशन लि.	
20.	दिबांग	3000
21.	टिहरी पीएसएस	1000
22.	विष्णुगढ़	440
23.	लोहरिनागपाला	600
24.	तपोवन विष्णुगढ़	520
25.	लता तपोवन	125
	नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि.	
26.	तुइवई	210
27.	तिपाईमुख	1500
28.	हिरित	50
29.	पपुमपम	60
30.	भलेरी लिफ्ट डेम	330
31.	रंगानडी चरण-II	130
32.	लोअर कोपिली	150
33.	डिकरांग	110
	सतलुज जल विद्युत निगम लि.	
34.	रामपुर	434

* उपर्युक्त सूची अनंतिम है और पीएसयू को केन्द्र/राज्य एजेंसियों से विभिन्न स्वीकृतियां प्राप्त करने की शर्त पर होगी।

[हिन्दी]

भारतीय कपास निगम के कार्य

7280. श्री जीवाभाई ए. पटेल :

श्री हरिसिंह चावड़ा :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कपास निगम की भूमिका और कार्य क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान इस निगम के कार्यकरण की समीक्षा की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी समीक्षा के क्या परिणाम निकले तथा सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या सरकार को भारतीय कपास निगम के संबंध में कोई शिकायत/अनियमितता मिली है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) भारतीय कपास निगम (सीसीआई) की भूमिका और कार्य निम्नलिखित हैं:–

(1) जब भी कपास का बाजार मूल्य भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य के स्तर से नीचे गिरता है तो न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) अभियान चलाना;

(2) अपने जोखिम पर वाणिज्यिक अभियान चलाना; और

(3) कपास प्रौद्योगिकी मिशन के लघु मिशन–2 और 4 का कार्यान्वयन।

(ख) भारतीय कपास निगम के कार्य निष्पादन के विभिन्न पहलुओं के संबंध में मॉनिटरिंग करने के लिए उसकी कार्य प्रणाली की समय–समय पर समीक्षा की जाती है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय कपास निगम का कारोबार और लाभ निम्नलिखितानुसार हैं:–

(करोड़ रुपए में)

	2002–03	2003–04	2004–05 (अनंतिम)
कारोबार	988.60	1053.77	1600.00
लाभ (ब्याज एवं कर पूर्व)	17.26	21.71	56.25

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

विश्व बैंक ऋण

7281. श्री किसनभाई वी. पटेल :

श्री सुग्रीव सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में विश्व बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण/सहायता को संबंधित राज्यों को दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे अनुदान/ऋण और उस पर देय ब्याज का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऋण पर ब्याज दर काफी अधिक है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने विश्व बैंक से ब्याज दर घटाने का कोई अनुरोध किया है; और

(च) यदि हां, तो विश्व बैंक की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) आईबीआरडी के ऋण विदेशी वाणिज्यिक उधारों की अपेक्षा सस्ते होते हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वित्तीय वर्ष 2002–03 से वित्तीय वर्ष 2005–06 के दौरान (अप्रैल, 2005 तक) राज्य क्षेत्र परियाजनाओं के लिए विश्व बैंक द्वारा अनुमोदित ऋण/उधार/अनुदान सहायता–मिलियन अमरीकी डालर में।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	सहायता की किस्म	राज्य	वित्तीय वर्ष	कुल राशि
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश आर्थिक सुधार कार्यक्रम–II	ऋण / उधार	आंध्र प्रदेश	2003-04	220.0
2.	आंध्र प्रदेश ग्रामीण गरीबी उपशमन परियोजना	उधार	आंध्र प्रदेश	2002-03	150.0
3.	आंध्र प्रदेश समुदाय वन प्रबंधन परियोजना	उधार	आंध्र प्रदेश	2002-03	108.0
4.	असम कृषि प्रतिस्पर्धात्मकता परियोजना	उधार	असम	2004-05	154.0
5.	छत्तीसगढ़ जिला ग्रामीण गरीबी उपशमन परियोजना	उधार	छत्तीसगढ़	2003-04	112.6
6.	गुजरात आपातिक भूकम्प पुनर्निर्माण परियोजना	उधार	गुजरात	2002-03	442.8
7.	झारखंड भागीदारी वन प्रबंधन क्षमता निर्माण परियोजना	अनुदान	झारखंड	2004-05	0.4
8.	कर्नाटक शहरी जल क्षेत्र सुधार परियोजना	ऋण	कर्नाटक	2004-05	39.5

1	2	3	4	5	6
9.	कर्नाटक समुदाय आधारित ताल प्रबंधन परियोजना	उधार	कर्नाटक	2002-03	98.9
10.	कर्नाटक में शिक्षा में लोक व्यय प्रबंधन सुधार परियोजना	अनुदान	कर्नाटक	2004-05	0.5
11.	मध्य प्रदेश जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना	ऋण	मध्य प्रदेश	2004-05	394.0
12.	महाराष्ट्र ग्रामीण जलापूर्ति और सफाई 'जलस्वराज्य' परियोजना	उधार	महाराष्ट्र	2003-04	181.0
13.	मुम्बई शहरी परिवहन परियोजना	ऋण/उधार	महाराष्ट्र	2002-03	542.0
14.	पुणे जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रायोगिक आईसीटी कार्यक्रम	अनुदान	महाराष्ट्र	2004-05	1.0
15.	उड़ीसा सामाजिक – आर्थिक विकास ऋण/उधार	ऋण/उधार	उड़ीसा	2004-05	125.0
16.	राजस्थान स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजना	उधार	राजस्थान	2003-04	89.0
17.	तमिलनाडु स्वास्थ्य प्रणाली परियोजना	उधार	तमिलनाडु	2004-05	110.8
18.	तमिलनाडु सड़क क्षेत्र परियोजना	ऋण	तमिलनाडु	2003-04	348.0
19.	तमिलनाडु ग्रामीण जलापूर्ति और पर्यावरण स्वच्छता	अनुदान	तमिलनाडु	2003-04	0.4
20.	तमिलनाडु अधिकारिता और गरीबी उपशमन परियोजना	अनुदान	तमिलनाडु	2003-04	0.6
21.	इलाहाबाद बाईपास परियोजना	ऋण	उत्तर प्रदेश	2003-04	240.0
22.	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परियोजना	ऋण	उत्तर प्रदेश	2002-03	488.0
23.	उत्तरांचल विकेन्द्रीकृत जल–संभर विकास परियोजना	उधार	उत्तरांचल	2004-05	69.6
24.	उत्तरांचल विकेन्द्रकृत जलापूर्ति और पर्यावरणीय स्वच्छता परियोजना	अनुदान	उत्तरांचल	2004-05	0.9

विश्व बैंक की सहायता अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (आईबीआरडी) ऋणों और अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (आईडीए) उधारों के माध्यम से उपलब्ध है। केवल आईबीआरडी ऋणों पर ही ब्याज देय होता है, जो लिबोर +50 आधार बिंदु है। आईडीए उधारों पर कोई ब्याज नहीं लगता, लेकिन 0.75% का सेवा प्रभार लगता है। अनुदानों पर कोई ब्याज देय नहीं है।

[हिन्दी]

विदेशी ऋण

7282. श्री शिवराज सिंह चौहान :

श्री एस. के. खारवेलवन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आज तक सरकार द्वारा विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशियाई विकास बैंक और अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से कितना ऋण लिया गया है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन संस्थाओं/एजेंसियों को ब्याज सहित ऋण के पुनर्भुगतान पर कितनी राशि अदा की जा रही है; और

(ग) आज की स्थिति के अनुसार एजेंसी/संस्थावार कितना ऋण बकाया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (ग) गत तीन वर्षों के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कोई ऋण नहीं लिया गया है। अन्य अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों के संबंध में एक विवरण संलग्न है।

विवरण

वित्तीय वर्ष 2002–03 से वित्तीय वर्ष 2004–05 के दौरान ऋण का उपयोग, मूल राशि की वापसी अदायगी और ब्याज की अदायगी तथा मई, 2005 की स्थिति के अनुसार बकाया ऋण–करोड़ रु. में

क्र.सं.	अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरण	वित्तीय वर्ष 2002-03	वित्तीय वर्ष 2003-04	वित्तीय वर्ष 2004-05	मई 2005 को बकाया ऋण
1	2	3	4	5	6
1	**आईबीआरडी**				16499.83
	उपयोग	2750.44	3492.00	3259.97	

1	2	3	4	5	6
	मूल राशि की वापसी अदायगी	10464.71	7835.79	484.94	
	वचनबद्धता प्रभार सहित ब्याज–अदायगी	1283.36	632.28	297.62	
2.	**आईडीए**				103670.28
	उपयोग	4277.92	4151.89	4602.11	
	मूल राशि की वापसी अदायगी	2209.42	2876.62	2618.80	
	वचनबद्धता प्रभार संहिता ब्याज–अदायगी	732.61	768.80	866.43	
3.	**एडीबी**				6166.43
	उपयोग	1585.68	2202.11	1845.50	
	मूल राशि की वापसी अदायगी	6937.73	5625.93	66.05	
	वचनबद्धता प्रभार सहित ब्याज–अदायगी	997.21	326.52	167.11	
4.	**आईएफएडी**				1210.90
	उपयोग	51.78	50.04	32.60	
	मूल राशि की वापसी अदायगी	28.21	32.17	35.29	
	वचनबद्धता प्रभार सहित ब्याज अदायगी	10.72	11.31	11.55	

आईबीआरडी – अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक
आईडीए – अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ
एडीबी – एशियाई विकास बैंक
आईएफएडी – अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि

[अनुवाद]

कर्नाटक से प्राप्त प्रस्ताव

7283. श्री जी. करुणाकर रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार को राज्य की देनदारियों को पूरा करने के लिए एकमुश्त अनुदान देने संबंधी कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार के अनुरोध पर विचार किया है;

(घ) यदि हां, तो अनुदान कब तक जारी किए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या मुख्य कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमाणिक्कम) : (क) और (ख) जी, हां। राज्य सरकार, ने 10–19 फरवरी, 2006 के दौरान श्रवणबेलागोला में होने वाले भगवान बाहुबली की मूर्ति के महामस्तकाभिषेक समारोह हेतु एक मुश्त अनुदान का अनुरोध किया है।

(ग) से (ङ) जी, हां। योजना आयोग इस प्रयोजन के लिए एकमुश्त अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ए.सी.ए.) के रूप में 75 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने के लिए सहमत है। इस राशि को वित्तीय वर्ष 2005–06 के दौरान जारी किया जाएगा।

विकलांगों के लिए आवास

7284. श्री जसुभाई दानाभाई बारड़ :
श्री हंसराज जी. अहीर :
श्री बालासोवरी वल्लभनेनी :

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की स्थिति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरतमंद लोगों के लिए आवास की कमी का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.) के अंतर्गत वास्तविक रूप से क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए और अभी तक क्या लक्ष्य प्राप्ति हुई है;

(ग) इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत आवासों की गुणवत्ता की जांच हेतु निगरानी एजेंसियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने देश में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे विकलांग व्यक्तियों को आवास उपलब्ध कराने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार, विशेषकर गुजरात के संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(च) आज तक इस योजना से कुल कितने विकलांग व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) 2001 की जनगणना द्वारा उपलब्ध कराए गए अनुमानों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 148.33 लाख मकानों की कमी है। ग्रामीण क्षेत्रों में मकानों की कमी का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण –I पर दिया गया है।

(ख) इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.) के अंतर्गत लक्ष्य वार्षिक बजटीय आबंटन के आधार पर वर्षानुवर्ष निर्धारित किए जाते हैं। तथापि, योजना के आरंभ, अर्थात 1985–86 से योजना के अंतर्गत 153.42 लाख मकानों के लक्ष्य की तुलना में अब तक 127.47 लाख मकान बनाए गए हैं।

(ग) इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.) की राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त मासिक तथा वार्षिक रिपोर्टों के आधार पर निरंतर समीक्षा की जाती है। मंत्रालय में उप सचिव तथा उससे ऊपर के स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों को विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए क्षेत्र अधिकारी नियुक्त किया जाता है। ये क्षेत्र अधिकारी उन्हें आबंटित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का समय–समय पर दौरा करते हैं और निचले स्तर पर कार्यक्रम के क्रियान्वयन की निगरानी करते हैं। जिला स्तर निगरानी एजेंसियां चुने हुए जिलों में योजना के अंतर्गत सृजित परिसम्पतियों का वास्तविक सत्यापन भी करती हैं।

(घ) से (च) गरीबी रेखा (बी.पी.एल.) से नीचे रह रहे विकलांग लोगों को मकान बनाने के लिए सहायता प्रदान करने की अलग से कोई योजना नहीं है। तथापि, इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए 3% निधि निर्धारित की जाती है। इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए बनाए गए मकानों का ब्यौरा इस मंत्रालय में केवल 1998–1999 से ही रखा जा रहा है। तदनुसार, विकलांग व्यक्तियों के लिए अब तक बनाए गए मकानों का राज्य–वार ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

विवरण-I

ग्रामीण आवास की कमी का राज्य–वार विभाजन

क्र.सं..	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	2001 की जनगणना के आधार पर मकानों की कमी
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1350282
2.	अरूणाचल प्रदेश	105728
3.	असम	2241230
4.	बिहार	4210293
5.	छत्तीसगढ़	115528
6.	गोवा	6422
7.	गुजरात	674354
8.	हरियाणा	55572
9.	हिमाचल प्रदेश	15928
10.	जम्मू–कश्मीर	92923
11.	झारखण्ड	105867
12.	कर्नाटक	436638
13.	केरल	261347
14.	मध्य प्रदेश	207744
15.	महाराष्ट्र	612441
16.	मणिपुर	69062
17.	मेघालय	148657
18.	मिजोरम	30250
19.	नागालैंड	97157
20.	उड़ीसा	655617
21.	पंजाब	75374
22.	राजस्थान	258634
23.	सिक्किम	11944
24.	तमिलनाडु	431010

1	2	3
25.	त्रिपुरा	174835
26.	उत्तरांचल	53521
27.	उत्तर प्रदेश	1324028
28.	पश्चिम बंगाल	974479
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	17890
30.	चंडीगढ़	1232
31.	दादर और नागर हवेली	1926
32.	दमन और दीव	787
33.	दिल्ली	7200
34.	लक्षद्वीप	190
35.	पांडिचेरी	7778
	कुल	14833868

विवरण-II

इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत 1998-99 से आज तक बनाए गए मकानों की संख्या और विकलांग तथा मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए बनाए गए मकानों की संख्या दर्शाने वाला राज्य-वार विवरण

संख्या इकाई में

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निर्मित/उन्नत किए गए मकानों की संख्या	शारीरिक/मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए निर्मित/उन्नत किए गए मकानों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	625624	8095
2.	अरूणाचल प्रदेश	25854	102
3.	असम	427089	6113
4.	बिहार	1175365	1935
5.	छत्तीसगढ़	95464	565
6.	गोआ	2319	0
7.	गुजरात	195756	2201
8.	हरियाणा	67534	549
9.	हिमाचल प्रदेश	26310	219
10.	जम्मू-कश्मीर	41423	0
11.	झारखंड	247310	1013
12.	कर्नाटक	306258	1218
13.	केरल	182395	615
14.	मध्य प्रदेश	512346	5437
15.	महाराष्ट्र	560326	1969
16.	मणिपुर	12245	145
17.	मेघालय	22911	154
18.	मिजोरम	10711	52
19.	नागालैंड	37032	145
20.	उड़ीसा	1070470	2000
21.	पंजाब	36069	471
22.	राजस्थान	253182	580
23.	सिक्किम	8280	155
24.	तमिलनाडु	395340	3140
25.	त्रिपुरा	73942	413
26.	उत्तर प्रदेश	1184185	6630
27.	उत्तरांचल	84861	450
28.	पश्चिम बंगाल	570149	6965
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2191	0
30.	दादर और नगर हवेली	328	0
31.	दमन और द्वीव	126	2
32.	लक्षद्वीप	146	1
33.	पांडिचेरी	2156	0
	कुल	8255697	51334

लघु उद्योगों को ऋण देना

7285. श्री भर्तृहरि महताब : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलाहाबाद बैंक ने लघु उद्योगों को विकास हेतु ऋण देने की कोई योजना शुरू की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) इलाहाबाद बैंक लघु उद्योगों के विकास हेतु ऋण देने के लिए, अन्यों सहित, निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है:–

(i) 31 मार्च, 2005 की स्थिति के अनुसार, 1036.42 लाख रुपए और 3808.73 लाख रुपए की अन्तर्ग्रस्तता वाली क्रमशः कारीगर क्रेडिट कार्ड और लघु उद्यमी क्रेडिट कार्ड योजनाएं कार्यान्वित की गई है।

(ii) एस. एल. कपूर समिति की सिफारिशों के अनुसरण में, पण्यावर्ती आधार पर 5 करोड़ रुपए तक का कार्यशील पूंजी ऋण दिया जाता है।

(iii) लघु उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत कृषि प्रसंस्करण इकाईयों के लिए, बैंक द्वारा 25 लाख रुपए तक के उधारों के लिए पीएलआर से 1% कम (10%) और 2 करोड़ रुपए तक के ऋणों के लिए पीएलआर पर (11%) का विशेष ब्याज दर ढांचा अंगीकार किया गया है।

(iv) बैंक द्वारा ग्राम/कुटीर व बहुत छोटे उद्योगों के वित्तपोषण के लिए 60% का निर्धारित मानक जारी रखा जा रहा है।

[हिन्दी]

दीनदयाल हथकरघा योजना

7286. श्री सुशील कुमार मोदी : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बुनकरों के उत्थान के लिए दीन दयाल हथकरघा योजना शुरू की है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान योजना हेतु वर्षवार कितनी राशि आबंटित की गई और तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) योजना के अंतर्गत अभी तक किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा बुनकरों के लाभ हेतु चलाई जा रही अन्य योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) योजना के तहत राज्यवार आबंटन नहीं किया जाता है। योजना के तहत दिशा–निर्देशों के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा प्राप्त व्यवहार्य प्रस्तावों के आधार पर सहायता स्वीकृत की जाती है। तथापि, योजना के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान आबंटित राशि नीचे दी गई है:–

(लाख रुपये में)

वर्ष	आबंटित राशि
2002–03	8429.67
2003–04	6757.00
2004–05	8689.00

दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत राशि, जारी की गई राशि, स्वीकृत परियोजनाएं एवं शामिल किए गए लाभार्थियों का राज्यवार विवरण संलग्न है।

(घ) बुनकरों के लिए भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही अन्य योजनाओं का विवरण इस प्रकार है:–

विकासात्मक योजनाएं:-

1. हथकरघा निर्यात योजना
2. विपणन संवर्धन कार्यक्रम
3. डिजाइन विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम
4. मिल गेट कीमत योजना
5. एकीकृत हथकरघा प्रशिक्षण कार्यक्रम

कल्याणकारी योजनाएं:-

क. कार्यशाला–सह–आवास योजना

ख. स्वास्थ्य पैकेज योजना

ग. शिफ्ट फंड योजना

घ. बुनकर बीमा योजना

ङ नई बीमा योजना

विवरण

वर्ष 2002-03, 2003-04 एवं 2004-05 के दौरान दी द. हथ: प्रो. योजना के तहत स्वीकृत एवं जारी राशि (सहायता)

(रुपये लाख में)

क्र. सं.	राज्यों के नाम	2002-03								2003-04								2004-05							
		परियो–जना	मूल भूत (निवेश स्वी.)	मूल भूत नि. (जारी)	दूसरी किस्त की परि. संख्या	दूसरी किस्त जारी राशि	वि.प्रो. (इक्वी. एवं जारी	कुल (जारी) (भू.नि.+ वि.प्रो.)	लाभार्थी	परि.	भू.भू. निवेश (स्वी.)	भू.भू. निवेश (जारी)	दूसरी किस्त परि. की संख्या	दूसरी किस्त जारी राशि	वि.प्रो. (स्वी. एवं जारी)	कुल (जारी) भू.नि. + वि.प्रो.)	लाभार्थी	परि.	भू.भू. (स्वी.)	भू.भू.नि. (जारी)	दूसरी किस्त परि. की संख्या	दूसरी किस्त जारी राशि	विपणन प्रोत्साहन (स्वी. एवं जारी)	कुल जारी राशि (भू.नि.+ वि.प्रो.)	लाभार्थी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	आन्ध्र प्रदेश	85	256.35	127.92	0	342.00	693.38	1163.30	4710				1	1000.00	648.45	1648.45					29	8.04	355.48	363.50	
2.	बिहार							0.00		11	25.32	12.62				12.62	484							0.00	
3.	छत्तीसगढ़	24	74.49	37.16			5.76	42.92	1330	11	31.19	15.58	18	18.74	9.57	43.89	464	2	6.34	3.17	4	1.90	6.14	11.20	147
4.	दिल्ली							0.00								0.00								0.00	
5.	गुजरात							0.00								0.00								0.00	
6.	हरियाणा							0.00																0.00	
7.	हिमाचल प्रदेश	44	143.96	73.30			48.37	121.67	1175	27	133.60	66.65	1	1.25	17.64	85.54	700				16	16.65	80.17	96.82	
8.	जम्मू – कश्मीर						31.89	31.89							21.56	21.56							20.42	20.42	
9.	झारखण्ड							0.00								0.00								0.00	
10.	कर्नाटक						135.92	135.92		22	30.81	15.36	1	2.50	108.80	126.66	1021	15	22.90	11.52	14	10.54	82.70	104.76	1175
11.	केरल	32	75.09	37.34			964.40	1001.74	800	207	514.52	255.51			423.84	679.35	5900	56	193.46	96.50			427.23	523.73	1400
12.	मध्य प्रदेश	5	8.12	4.05			51.81	55.86	165	3	6.89	3.43			3.23	6.66	150						40.19	40.19	
13.	महाराष्ट्र							0.00								0.00								0.00	
14.	उड़ीसा						22.34	22.34							20.66	20.66							123.36	123.36	
15.	पंजाब							0.00								0.00								0.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
16.	राजस्थान	2	9.57	4.77			5.00	9.77	150						4.70	4.70							43.37	43.37	
17.	तमिलनाडु	262	472.07	235.53	144	91.59	2193.53	2520.65	17087	268	382.41	189.85			1391.56	1581.41	1298	1	1975.00	988.00	249	223.02	2164.18	3375.20	
18.	उत्तर प्रदेश	139	451.32	223.46			230.48	453.94	8540	127	470.50	234.45	40	82.04	311.78	628.27	9207	25	2080.30	540.56	103	166.55	224.41	931.52	1425
19.	उत्तरांचल	10	54.52	27.26				27.26	563						2.12	2.12		1	6.77	3.38	11	32.37	17.74	53.49	100
20.	पश्चिम बंगाल	65	193.99	97.56			250.32	347.88	3460	8	20.44	10.20				10.20	225				21	46.75	634.62	681.37	
	कुल (क)	668	1739.49	868.34	144	433.59	4633.20	5936.13	37980	684	1615.66	803.65	61	1104.53	2963.92	4872.10	31131	100	4264.77	1643.13	447	506.82	4419.99	6568.94	4247
पूर्वी राज्य																									
1.	अरुणाचल प्रदेश	2	25.67	12.83				12.83	200							0.00									
2.	असम	143	1606.18	802.23			35.64	837.87	14300	56	560.18	279.89	3	9.73	156.09	445 '2	5400								
3.	मणिपुर	174	927.48	463.52				463.52	7913				59	110.79		110.79					159	426.36			
4.	मेघालय							0.00								0.00									
5.	मिजोरम						2.46	2.46							3.47	3.47							7.76		
6.	नागालैंड	51	233.32	117.81				117.81	2550	141	1034.15	516.33				516.33	7644				116	268.25			
7.	त्रिपुरा					0.00	7.72	7.72						0.00	5.49	5.49					16	29.50			
8.	सिक्किम							0.00								0.00									
	कुल (ख)	370	2791.64	1396.39	0	0.00	45.82	1442.21	24963	197	1594.33	796.22	62	120.52	165.06	1081.80	13044	0	0.00	0.00	291	724.10	7.76	731.86	0
	कुल लागभी								62923								44175								4247
अन्य																									
1.	अं.रा. इथ. य वि. समिति						568.67	568.67							300.00	300.00							250.00	250.00	
2.	पूर्वी. इथ. एवं इ.वि.वि. निगम						24.00	24.00							10.00	10.00							10.00	10.00	
3.	दिल्ली						150.00	150.00							100.00	100.00							100.00	100.00	
	कुल (ग)						742.67	742.67							410.00	410.00							360.00	360.00	
	कुल योग (क+ख+ग)	1038	4531.13	2264.73	144	433.59	5421.69	8120.01		881	3210.00	1599.87	123	1225.05	3538.98	6363.90		100	4264.77	1643.13	738	1229.93	4787.75	7660.80	

[अनुवाद]

विद्युत क्षेत्र के लिए कृतिकबल

7287. श्री बाडिगा रामकृष्णा : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेश स्थित विद्युत बाजारों का अध्ययन करने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त कृतिक बल का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उद्देश्य क्या हैं तथा कृतिक बल द्वारा किन-किन देशों का दौरा किए जाने की संभावना है;

(ग) इससे क्या लाभ प्राप्त होने की संभावना है; और

(घ) ये लाभ ग्रामीण क्षेत्रों को किस प्रकार प्रदान किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) से (घ) भारत में राष्ट्रीय स्तर पर बड़े पैमाने में विद्युत के विनिमय की व्यवहार्यता सम्बन्धी विभिन्न मुद्दों की जांच करने तथा परामर्शकों यथा मैसर्स क्रिसिल तथा मैसर्स नोर्डपूल कन्सलटिंग नार्वे के एक संघ के माध्यम से इसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने हेतु एक पहल की गई है।

इस संबंध में परामर्शकों के साथ बात-चीत करने के लिए एक कोर-टीम (विद्युत मंत्रालय, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), पावर ग्रिड, एनटीपीसी तथा पावर ट्रेडिंग कारपोरेशन (पीटीसी) के प्रतिनिधियों के साथ) बनाई गई हैं।

एमओपी, सीईए, पावरग्रिड, एनटीपीसी तथा पीटीसी के प्रतिनिधियों की एक टीम ने अप्रैल, 2005 के पहले पखवाड़े में नार्वे, नीदरलैंड, कनाड़ा, यूएसए तथा आस्ट्रेलिया का दौरा, इन देशों में विद्युत बाजारों का अध्ययन करने के लिए किया।

दौरों से विभिन्न बाजारों की भिन्न-भिन्न विशेषताओं का अध्ययन करने में तथा देश के भीतर विद्युत के विनिमय हेतु एक समुचित मॉडल को विकसित करने में समाधान योग्य विशिष्ट मुद्दों की पहचान करने में सहायता मिली है, इससे बड़े पैमाने में विद्युत की आपूर्ति में प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ाने हेतु एक पारदर्शीय तथा तटस्थ मंच उपलब्ध करवाया जा सकेगा तथा इस प्रकार विद्युत क्षेत्र में दक्षता में सुधार होगा।

सौर ऊर्जा बोर्ड

7288. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा का प्रयोग करने हेतु एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम अथवा राष्ट्रीय मिशन बनाने का है क्योंकि ऊर्जा के वैकल्पिक स्त्रोत के रूप में केवल यही स्त्रोत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है;

(ख) क्या सरकार का विचार हाइड्रोजन बोर्ड की तर्ज पर सौर ऊर्जा हेतु एक पृथक बोर्ड गठित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि हां, तो सौर ऊर्जा पर गहन अनुसंधान करने और उसके प्रयोग हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) सरकार और ऊर्जा सहित देश में ऊर्जा के सभी प्रमुख अक्षय स्त्रोतों की महत्ता और संभाव्यता को समझती है। अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय और तापीय और प्रकाशवोल्टीय अनुप्रयोगों, दोनों को शामिल करते हुए सौर ऊर्जा के विकास और उपयोग के लिए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहा है। वर्ष 2005-06 के दौरान इन कार्यक्रमों का विस्तार किया जाना प्रस्तावित है।

(ख) सरकार ने सौर ऊर्जा और अन्य अक्षय ऊर्जा स्त्रोतों से संबंधित कार्यक्रमों की योजना बनाने तथा कार्यान्वयन को देखने के लिए पहले ही अतिरिक्त ऊर्जा स्त्रोत आयोग की स्थापना कर दी है। सौर ऊर्जा के लिए अलग बोर्ड गठित करने के लिए सरकार के विचारार्थ कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय दो दशकों से भी अधिक समय से सौर ऊर्जा पर अनुसंधान एवं विकास को सहायता प्रदान कर रहा है। मंत्रालय द्वारा सहायता किए गए अनुसंधान कार्यों के परिणामस्वरूप, देश में स्वदेशी प्रौद्योगिकी तथा विनिर्माण आधार स्थापित हुआ है। रोशनी, जल पंपन, दूरसंचार, रिमोट विद्युत उत्पादन, जल तापन, सौर कुकिंग, शुष्कन तथा अन्य अनुप्रयोगों के लिए देश में अनेक सौर ऊर्जा प्रणालियों का विकास और वाणिज्यीकरण किया गया है। इस समय अनुसंधान का बल सौर

उत्पादों की लागत में और कमी तथा उनकी गुणवत्ता, विश्वसनीयता और उनके जीवनकाल अवधि में सुधार पर हैं। इस कार्यक्रम से अनेक अनुसंधान संस्थान, विश्वविद्यालय तथा औद्योगिक प्रतिष्ठान जुड़े हुए हैं। इन प्रयासों से देश में सौर ऊर्जा के प्रयोग का और अधिक विस्तार होने की आशा की जाती है।

नाबार्ड के माध्यम से पुनर्वित्तपोषण

7289. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :
श्री अचलसिंह पाटील शिवाजीराव :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहकारी बैंक 12 प्रतिशत की ऊंची ब्याज दर वसूल कर रहे हैं जबकि नाबार्ड किसानों को 8 प्रतिशत की ब्याज दर पर पुनर्वित्तपोषण कर रहा है;

(ख) क्या सहकारी बैंक बैंककारी विनियमन अधिनियम का अनुपालन नहीं करते हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) नाबार्ड सहकारी बैंकों को रियायती दरों पर पुनर्वित्त देता रहा है और सहकारी बैंकों को (अल्पावधि–मौसमी कृषि कार्य) पुनर्वित्त पर नाबार्ड द्वारा प्रभारित ब्याज दर संबंधित बैंकों की अनुपयोज्य आस्तियों के स्तर पर निर्भर करते हुए 5.5% से 5.75% के बीच है। नाबार्ड ने अपनी तरफ से सहकारी बैंकों पर अपनी ब्याज दर संरचना की पुनरीक्षा करने के लिए दबाव डाला है। कुछ बैंकों ने अपनी उधार दरें घटाकर सकारात्मक प्रतिक्रिया की है और कुछ बैंक निधियों की ऊंची लागत, अनुपयोज्य आस्तियों के ऊंचे स्तर, बहु–स्तरीय संरचना आदि के कारण ऐसा नहीं कर पाए। इसके अतिरिक्त, ब्याज दर व्यवस्था पूरी तरह से अविनियमित कर दी गई है।

(ख) और (ग) नाबार्ड/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए जाने वाले सांविधिक निरीक्षणों से उन सहकारी बैंकों का पता चलता है, जो बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं। उन बैंकों के विरुद्ध उक्त अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

सहकारिता के आधार पर कताई मिलें स्थापित करना

7290. श्री दुष्यंत सिंह : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में सहकारिता के आधाार पर कोई कताई मिलें स्थापित की हैं;

(ख) यदि हां, तो देश में अभी तक राज्यवार कितनी सहकारी कताई मिलें स्थापित की गई हैं; और

(ग) विभिन्न राज्यों में सहकारिता के आधार पर राज्यवार कताई मिलों को बढ़ावा देने हेतु क्या प्रोत्साहन दिया गया है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी संस्थागत निवेशकों हेतु निवेश की सीमा

7291. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी संस्थागत निवेशकों हेतु निवेश की सीमा को उदारीकृत बनाने संबंधी प्रस्ताव अंतिम रूप दिए जाने हेतु सरकार के पास लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (ग) भारत में विदेशी संस्थागत निवेश नीति का उदारीकरण एक सतत् प्रक्रिया है और इसने विदेशी संस्थागत निवेशकों के लिए निवेश सीमाओं में छूट, पात्रता शर्तों में छूट तथा विदेशी संस्थागत निवेशकों के लिए अभिगम्य निवेश लिखतों के उदारीकरण का रूप ले लिया है। सरकार समय–समय पर उपयुक्त निर्णय लेती रहती है। अतः कोई समय–सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष

7292. डा. अरुण कुमार शर्मा :
श्री किन्जरपु येरननायडु :

श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च 2005 तक ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष की कायिक निधि में इसकी स्थापना से अब तक कितनी धनराशि जमा की गई है तथा चालू वित्तीय वर्ष हेतु कितनी धनराशि जमा किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या तत्संबंधी मानदंड और वित्तपोषण प्रणाली में कोई परिवर्तन करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उपरोक्त अवधि के दौरान इस कायिक निधि से राज्यों में कार्यान्वित और कार्यान्वयन हेतु प्रस्तावित परियोजनाओं की सूची दर्शाते हुए राज्यवार और स्थानावार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसमें से उपयोग की गयी धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) वर्ष 1995–96 में कार्पस निधि की स्थापना के प्रारंभ से वाणिज्य बैंकों द्वारा मार्च 2005 तक ग्रामीण आधारिक विकास निधि (आर आई डी एफ) की कार्पस निधि में जमा कराई गई कुल राशि 23,277.91 करोड़ रुपए थी। चालू वित्तीय वर्ष के लिए कार्पस निधि में 8000 करोड़ रुपए का आबंटन कर दिया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) आर आई डी एफ के प्रारंभ से इसके राज्य–वार संवितरण दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

राज्य–वार वर्ष–वार संवितरण (31.03.2005 की स्थिति के अनुसार)

(करोड़ रुपए)

राज्य	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
दक्षिणी अंचल											
आन्ध्र प्रदेश	39.21	70.26	146.70	227.22	240.14	353.04	515.32	577.11	648.34	655.98	3473.32
कर्नाटक	23.05	66.61	64.41	118.86	143.37	204.89	181.46	238.71	266.17	242.40	1549.93
केरल	7.87	57.43	35.93	39.65	60.96	74.71	155.71	134.60	127.26	71.01	765.13
तमिलनाडु	0.00	11.60	84.03	111.37	184.83	261.27	288.48	358.85	363.24	275.91	1939.58
दक्षिणी अंचल कुल	70.13	205.90	331.07	497.10	629.30	893.91	1140.97	1309.27	1405.01	1245.30	7727.96
पश्चिमी अंचल											
गोआ	4.17	2.68	0.00	0.89	4.08	2.85	12.47	2.58	14.99	0.00	44.71
गुजरात	31.00	103.22	65.15	72.04	145.38	272.56	189.55	193.76	373.85	510.16	1956.67
महाराष्ट्र	82.01	136.83	94.17	32.92	303.41	421.99	325.72	220.10	2.75	512.75	2132.65
पश्चिमी अंचल कुल	117.18	242.73	159.32	105.85	452.87	697.40	527.74	416.44	391.59	1022.91	4134.03
उत्तरी अंचल											
हरियाणा	0.00	15.98	53.93	18.34	37.30	65.41	109.73	124.24	144.88	145.00	714.81
हिमाचल प्रदेश	3.60	14.89	23.86	40.66	56.00	106.91	116.44	141.58	142.35	83.18	729.47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
जम्मू-कश्मीर	0.62	0.00	10.17	6.46	55.19	71.65	147.64	140.07	80.39	138.60	650.79
पंजाब	20.00	39.16	52.46	79.14	65.07	120.02	202.40	188.46	180.02	165.99	1112.99
राजस्थान	43.23	68.52	64.76	103.68	103.61	201.90	256.63	296.40	178.55	163.93	1481.21
उत्तरी अंचल कुल	67.45	138.55	205.18	248.55	317.17	565.89	832.84	890.75	726.19	696.70	4689.27
मध्य अंचल											
छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.93	44.25	96.99	140.60	182.32	612.09
मध्य प्रदेश	36.69	188.53	74.63	94.97	123.66	40.72	304.20	382.44	391.96	249.30	1817.10
उत्तर प्रदेश	30.66	238.88	97.87	221.05	319.81	343.55	352.74	307.93	272.20	300.67	2485.36
उत्तरांचल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.90	0.00	54.98	49.88	122.41	236.17
मध्य अंचल कुल	67.35	357.41	172.50	316.02	443.47	541.10	701.19	842.34	854.64	854.70	5150.72
पूर्वी अंचल											
बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00	17.43	-2.48	24.61	16.28	47.97	66.29	170.10
झारखंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00	5.00	7.48
उड़ीसा	50.71	68.62	98.37	37.45	157.22	80.13	116.28	182.42	107.57	154.60	1053.37
पश्चिम बंगाल	14.52	72.09	36.87	69.93	134.00	268.05	291.09	308.44	251.63	195.45	1642.07
पूर्वी अंचल कुल	65.23	140.71	135.24	107.38	308.65	348.18	431.98	507.14	407.17	421.34	2873.02
पूर्वोत्तर राज्य एवं सिक्किम											
अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	6.02	27.54	34.99	30.93	22.31	12.77	134.56
असम	0.00	0.00	0.00	36.81	79.23	53.63	55.34	40.07	29.96	13.83	308.87
मणिपुर	0.00	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96
मेघालय	0.00	0.00	2.79	1.41	10.81	13.07	19.06	12.65	20.70	15.09	95.58
मिजोरम	0.00	0.40	1.97	0.00	9.08	11.49	13.88	18.32	23.25	2.11	80.50
नागालैंड	0.00	1.38	0.00	0.00	5.05	9.82	11.77	7.11	11.60	16.76	63.49
त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	4.31	7.90	8.00	23.67	24.95	10.44	79.27
सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	11.90	6.94	12.61	4.73	4.72	5.07	45.97
पूर्वोत्तर राज्यों का कुल	0.00	1.78	5.72	38.22	126.40	130.39	155.65	137.48	137.49	76.07	809.20
सकल कुल	387.34	1087.08	1009.03	1313.12	2277.86	3176.87	3790.37	4103.42	3922.09	4317.02	25384.20

बैंक कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना

7293. श्री जी. वी. हर्ष कुमार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत अधिकांश संख्या में छोटे बैंकों की प्रणाली से कम संख्या में बड़े बैंकों की प्रणाली की ओर धीरे–धीरे अग्रसर हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) सरकार द्वारा बैंक कर्मचारियों के हितों की रक्षा हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (ग) भारतीय बैंक संघ (आईबीए) ने सिफारिश की है कि सरकार को राष्ट्रीयकृत बैंकों के बीच समेकन के प्रस्तावों पर विचार करना चाहिए, ताकि उन्हें सुदृढ़ बनाया जा सके। सरकार ने सूचित किया है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों से विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त होने पर वह उन पर विचार करेगी। एक राष्ट्रीयकृत बैंक का दूसरे राष्ट्रीयकृत बैंक के साथ विलय आदि के जरिए समेकन का कोई भी ऐसा प्रस्ताव संबंधित बैंकों के प्रबंधकों से प्राप्त होना है, जिसमें सरकार सामान्य शेयरधारक के रूप में एक सहायक भूमिका निभाएगी। समेकन संबंधी कोई भी निदेश सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी नहीं किया गया है। तथापि, सरकार विलय के किसी भी प्रस्ताव के लिए सहमति देने से पहले कर्मचारियों सहित सभी संबंधितों के हितों की रक्षा करेगी।

जूट का निर्यात

7294. श्री किसनभाई वी. पटेल :

श्री बृज किशोर त्रिपाठी :

श्रीमती किरण माहेश्वरी :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2010 तक जूट का निर्यात पांच गुना बढ़ाने हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा जूट निर्यात के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार दिल्ली में एक राष्ट्रीय जूट संग्रहालय की स्थापना करने का भी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) उक्त संग्रहालय को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है;

(च) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितनी मात्रा में जूट का निर्यात किया गया; और

(छ) उक्त अवधि के दौरान जूट के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गयी?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार द्वारा 15 अप्रैल 2005 को घोषित राष्ट्रीय पटसन नीति 2005 में पटसन एवं पटसन उत्पादों के निर्यात में लगभग 1000 करोड़ रुपए के वर्तमान स्तर से 2010 तक लगभग 5000 करोड़ रुपए तक वृद्धि करने के उद्देश्य की परिकल्पना है।

उपर्युक्त लक्ष्य प्राप्त करने के लिए इस नीति में निम्नलिखित उपाय प्रस्तावित किए गए हैं:–

1. नीतिगत उपाय तैयार करने तथा विशिष्ट कार्य–योजनाओं का सुझाव देने के लिए बहु–विषयक संस्थागत तंत्र की स्थापना।
2. डब्ल्यूटीओ मानदंडों के अनुरूप पटसन एवं पटसन उत्पादों के लिए "ब्रांड इक्विटी निधि" का निर्माण।
3. पटसन एवं पटसन उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से संवर्धनात्मक प्रयासों को प्रभावी ढंग से सुकर बनाने के लिए राष्ट्रीय पटसन बोर्ड में निर्यात संवर्धन परिषद शामिल करना।

(ग) से (ङ) जी, हां। राष्ट्रीय पटसन नीति, 2005 में घोषित किए गए अनुसार सरकार का पटसन की परंपरा को सुरक्षित रखने और उसका प्रचार करने के लिए भारत ने राष्ट्रीय पटसन एवं पटसन वस्त्र संग्रहालय स्थापित करने का प्रस्ताव है। तथापि, इसकी स्थापना के लिए स्थान एवं समय ढांचे के संबंध में सरकार द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

(च) और (छ) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत से पटसन सामान के निर्यात और अर्जित विदेशी मुद्रा का ब्यौरा निम्नलिखितानुसार है:–

मात्रा : 000 मी. टन

मूल्य : अमरीकी डालर/मिलियन

अवधि (अप्रैल–मार्च)	मात्रा	मूल्य
2002–03	226.00	187
2003–04	310.00	234
2004–05	214.10	172

उपभोक्ताओं को सेवा

7295. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने उपभोक्ताओं के साथ उचित संव्यवहार हेतु व्यापक आचरण संहिता तैयार करने और उसका अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु एक स्वतंत्र 'बैंकिंग कोड्स एंड स्टैण्डर्डस बोर्ड ऑफ इंडिया' गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने कार्ड जारी करने वाले बैंकों द्वारा पारदर्शिता बरतने और सूचना का प्रकटीकरण करना सुनिश्चित करने तथा ग्राहकों के अधिकारों की रक्षा हेतु बैंकों को समुचित दिशानिर्देश जारी किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक ने उपर्युक्त उद्देश्य के लिए एक स्वतंत्र बैंकिंग कोड एवं मानक बोर्ड स्थापित करने का प्रस्ताव किया है।

(ख) बोर्ड के गठन के विस्तृत तौर-तरीके तैयार किए जा रहे हैं।

(ग) और (घ) क्रेडिट कार्ड कारोबार शुरू करने संबंधी विद्यमान मार्गनिर्देशों के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि वे क्रेडिट कार्ड के लिए कार्डधारकों द्वारा आवेदन करते समय ही उन्हें शुल्क/प्रभारों के बारे में स्पष्ट रूप से बता दें। खासकर बैंकों को सदस्यता/नवीकरण शुल्क के अतिरिक्त भुगतान में देरी और चूक के मामले में प्रभारित की जाने वाली ब्याज की दरों को कार्डधारकों की जानकारी में लाना चाहिए।

विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम

7296. श्री जी. वी. हर्ष कुमार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) को उदारीकृत बनाने हेतु विभिन्न क्षेत्रों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गयी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) के अन्तर्गत विनियमित किए जाने वाले विदेशी मुद्रा संबंधी लेन-देनों का उदारीकरण क्रमशः भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों और विनियमों में समय-समय पर संशोधन करके किया जाता है। ये संशोधन भारत के राजपत्र में विधिवत् अधिसूचित किए जाते हैं और संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किए जाते हैं। उदारीकरण एक निरन्तर जारी रहने वाली प्रक्रिया है और भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक का हमेशा यह प्रयास रहा है कि जैसे ही और जब भी आवश्यक हो, स्वयं प्रेरित होकर अथवा मांग किए जाने पर उदारीकरण किया जाए।

मारूति उद्योग लिमिटेड द्वारा नए उद्यम

7297. श्री किसनभाई वी. पटेल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) ने देश में मारूति उद्योग द्वारा एक कार संयंत्र की स्थापना संबंधी नए संयुक्त उद्यम प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उपरोक्त उद्यम में भारतीय कंपनी की इक्विटी का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उपरोक्त संयुक्त उद्यम कब तक कार्यशील हो जाएगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (घ) विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) ने दिनांक 30.03.2005 को आयोजित अपनी बैठक में, भारत में मैसर्स मारूति सुजुकी ऑटोमोबाईल इंडिया लिमिटेड (एमएसएआईएल) के नाम से एक नई संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन हेतु मैसर्स सुजुकी मोटर कारपोरेशन, जापान की विद्यमान सहायक कंपनी, मैसर्स मारूति उद्योग लिमिटेड के सहयोग वाला उसका प्रस्ताव पारित कर दिया है। एमएसएआईएल, मैसर्स सुजुकी मोटर कारपोरेशन, जापान के चार पहियों वाले वाहन के विशिष्ट मंडलों, उनके कलपुर्जों तथा सहायक उपस्करों का विनिर्माण करेगा। इस प्रस्तावित संयुक्त उद्यम कंपनी में मैसर्स सुजुकी मोटर कारपोरेशान, जापान की इक्विटी पूंजी 30 प्रतिशत होगी और मैसर्स मारूति उद्योग लिमिटेड शेष 70 प्रतिशत इक्विटी पूंजी का धारण करेगा। मैसर्स मारूति सुजुकी आटोमोबाइल इंडिया लिमिटेड की प्रस्तावित चुकता पूंजी 40.00 करोड़ रुपए होगी। इस कंपनी ने अक्तूबर, 2006 तक विनिर्माण शुरू करने का प्रस्ताव किया है।

[हिन्दी]

हीरों का खनन

7298. श्री चन्द्रभान सिंह : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में हीरों का खनन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या हीरों की नीलामी की बिक्री मध्य प्रदेश के बजाय कुछ अन्य राज्यों में की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या हीरों से प्राप्त आय से इस क्षेत्र के विकास हेतु कोई योजना/प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ङ) क्या हीरों की खानों की स्थिति दयनीय है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसके सुधार के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव) : इस्पात मंत्रालय से यथा प्राप्त सूचना निम्नानुसार है:–

(क) जी हां।

(ख) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एन. एम. डी. सी.) द्वारा उत्पादित हीरे मध्य प्रदेश में पन्ना तथा मुम्बई (महाराष्ट्र) में बेचे जाते हैं।

(ग) बेचे जाने वाले हीरे की सभी श्रेणियों की प्रमात्रा लगभग 84,000 कैरेट प्रतिवर्ष है। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में अनघड़ हीरे के लिए हीरे का बाजार मुम्बई की तुलना में काफी छोटा है। इसलिए हीरे की नीलामी द्वारा बिक्री पन्ना के अतिरिक्त मुम्बई में भी की जाती है। मुम्बई में इसका बेहतर बाजार उपलब्ध है और है और यह बड़े–बड़े व्यापारियों को आकर्षित करता है जिसके परिणामस्वरूप अन्ततः बेहतर मूल्य प्राप्त होता है और मध्य प्रदेश सरकार को अधिक रायल्टी प्राप्त होती है।

(घ) एन.एम.डी.सी. द्वारा निकटवर्ती गांवों को चिकित्सा सुविधाएं, पेयजल शिक्षा, मुफ्त परिवहन सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

(ङ) और (च) मझगांव, पन्ना में एन. एम. डी. सी. की खानें पूर्णरूप से यान्त्रिकृत हैं और उनका सुव्यवस्थित रूप से खनन किया जा रहा है। एन.एम.डी.सी. का अपने स्वयं का टाउनशिप है जिसमें इसके कर्मचारियों के लिए अपेक्षित सुविधाएं उपलब्ध हैं।

[अनुवाद]

वैश्विक बाजार में वस्त्र उद्योग का हिस्सा

7299. श्री डी. विट्टल राव : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने वैश्विक वस्त्र बाजार में अपनी हिस्सेदारी को वर्तमान में 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत करने का कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) क्या भारत के वस्त्र निर्यात के मामले में अन्य देशों से आगे निकलने की आशा है;

(ग) यदि हां, तो वस्त्र बाजार की हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने हैं;

(घ) क्या सरकार के पास देश में वस्त्र प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना संबंधी कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो अवस्थिति–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) और (ख) विभिन्न अध्ययनों के अनुसार चीन और भारत कोटा पश्चात व्यवस्था में वैश्विक वस्त्र एवं क्लोविंग बाजारों के भारी हिस्से को काटेंगे। क्रिसिल द्वारा हाल ही में किए गए एक अध्ययन (भारतीय कपास मिल परिसंघ की ओर से) के अनुसार भारतीय वस्त्र एवं अपैरल उद्योग में वैश्विक वस्त्र एवं क्लोदिंग बाजार के देश के हिस्से को दुगना करने की क्षमता है जिसका अभिप्राय है कि 2010 तक 40 बिलियन अमरीकी डालर मूल्य की निर्यात आय प्राप्त कर सकता है।

(ग) से (ङ) निचले स्तर पर परिधान उद्योग के कुशल कार्मिकों की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं बढ़ाने के वास्ते सरकार ने अपैरल प्रशिक्षण एवं डिजायन केन्द्रों (एटीडीसी) के लिए आधुनिकीकरण/विस्तार कार्यक्रम चलाए जाने के वास्ते अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद (एईपीसी) को सहायता प्रदान की है। इस कार्यक्रम में चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, जयपुर और बेंगलूर स्थित मौजूदा 6 एटीडीसी केन्द्रों के आधुनिकीकरण और नोएडा, गुडगांव, लुधियाना, त्रिपुर, त्रिवेन्द्रम और मुंबई में 6 नए केन्द्रों की स्थापना परिकल्पना है। इस प्रयोजन के लिए वित्तीय वर्ष 2004–05 के दौरान एईपीसी को 7.21 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता जारी कर दी गई है।

सरकार वैश्विक बाजार में भारतीय वस्त्र उद्योग के हिस्से को बढ़ाने में उसे समर्थ बनाने के लिए समय–समय पर कई कदम उठाती रही है। उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम निम्नलिखित हैं:–

(1) इस क्षेत्र के आधुनिकीकरण तथा उन्नयन को सुगम बनाने के लिए दिनांक 1.4.1999 से प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) लागू कर दी गयी है।

(2) कपास की उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सरकार ने कपास प्रौद्योगिकी मिशन (टी एम सी) शुरू किया है। इस मिशन में 4 लघु मिशन हैं जिनका कार्यान्वयन कृषि मंत्रालय और वस्त्र मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। इस मिशन का एक महत्वपूर्ण घटक मौजूदा जिनिंग एवं प्रेसिंग सुविधाओं का उन्नयन/आधुनिकीकरण कर कपास प्रसंस्करण सुविधाएं स्थापित करना तथा मौजूदा बाजार यार्डों का सुधार करना/नए बाजार यार्डों की स्थापना करना है।

(3) सरकार ने विकास संभावित केन्द्रों में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के अपैरल विनिर्माण एककों की स्थापना पर बल देने और निर्यात को गति देने के लिए "अपैरल पार्क निर्यात योजना' नामक एक केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना शुरू की गई है।

(4) प्रमुख वस्त्र केन्द्रों में आधारभूत सुविधाओं को उन्नत बनाने के लिए वस्त्र आधारभूत विकास केन्द्र योजना (टीसीआईडीएस) शुरू की गई है।

(5) वित्तीय शुल्क ढांचा सामान्यतः देश के भीतर विकास एवं अधिकतम मूल्य संवर्धन की स्थिति प्राप्त करने के लिए युक्तिसंगत बना दिया गया है। मानवनिर्मित फिलामेंट यार्न तथा मानव निर्मित स्टेपल फाइबर पर अनिवार्य उत्पाद शुल्क को छोड़कर समग्र मूल्य वर्धन श्रृंखला को उत्पाद शुल्क की छूट का विकल्प दिया गया है।

(6) निवेश प्रोत्साहित करने के लिए तथा वैश्विक बाजार में हमारे वस्त्र उत्पादों को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए विनिर्दिष्ट वस्त्र एवं परिधान संबंधी मशीनों की मदों के आयात पर सीमाशुल्क की रिआयती दर की अनुमति दी गई है। वित्तीय नीति संबंधी उपायों के माध्यम से मशीनों की लागत भी कम कर दी गई है।

(7) परिधान निर्यातकों को, पिछले वर्ष के दौरान उनके वास्तविक निर्यात निष्पादन के 3% तक ट्रिमिंग तथा अलंकरण मदों की 21 मदों के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी गई है।

(8) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) की छह शाखाएं और अपैरल प्रशिक्षण एवं डिजायन केंद्र (एटीडीसी) डिजायन, व्यापार और विपणन के क्षेत्र में वस्त्र उद्योग, विशेषकर अपैरल की कुशल कारीगरों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम एवं कार्यक्रम चला रहे हैं।

(9) पारि–परीक्षण प्रयोगशालाओं के माध्यम से सुविधाएं तैयार की गई हैं ताकि निर्यातक आयातक देशों की आवश्कताओं के अनुरूप परिधानों/वस्त्रों का पूर्व–परीक्षण करवा सकें।

(10) सरकार ने सिले सिलाए परिधानों, हौजरी और निटवियर को लघु उद्योग क्षेत्र अनारक्षित कर दिया है।

छोटे निवेशकों को संरक्षण देना

7300. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु :
श्री संजय धोत्रे :
श्री सुरेश वाघमारे :

क्या कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इंडिया चार्ज क्रोम लिमिटेड के खातों की लेखा–परीक्षा के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या गत दो वर्षों से कंपनी ने आई डी बी आई को सही वित्तीय आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप छोटे निवेशकों पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ङ) सरकार द्वारा छोटे निवेशकों/कंपनी के शेयर धारकों के हितों के संरक्षण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कंपनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पीएफआरडीए को दंडात्मक शक्ति देने संबंधी प्रस्ताव

7301. श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक धन की धोखाधड़ी से निपटने हेतु भविष्य निधि नियामक एवं विकास अधिकरण को कोई दंडात्मक शक्ति प्रदान करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सामान्य भविष्य निधि अंशदान को भविष्य निधि अधिकरण के पास जमा नहीं करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (ग) सरकार ने पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण को सांविधिक शक्तियां प्रदान करने के लिए एक विधायी ढांचे का प्रस्ताव किया है। इस प्रस्तावित विधान में विनियामक उपबंधों का अनुपालन न करने पर 25 करोड़ रुपए के आर्थिक दण्ड और दस वर्ष के कारावास सहित कठोर दण्डों के प्रावधान शामिल हैं।

(ख) सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) के वर्तमान नियमों के अनुसार यदि अभिदाता अपेक्षानुसार अभिदान नहीं कर पाता है तो ऐसे अभिदाता से अभिदान की बकाया राशि की वसूली ब्याज सहित की जायेगी।

राजनीतिज्ञों के लिए अधिवार्षिता सेवानिवृत्ति उम्र

7302. श्री प्रहलाद जोशी : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने हाल ही में अपने एक भाषण में चुनाव लड़ने वाले अभ्यार्थियों के लिए विधेयक लाने की बात कही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार चुनाव लड़ने वाले राजनीतिज्ञों के लिए अधिवार्षिता सेवानिवृत्ति उम्र निर्धारित करने के लिए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में संशोधन करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज) : (क) और (ख) जी नहीं। सरकार को भारत निर्वाचन आयोग से राजनीतिज्ञों द्वारा निर्वाचन लड़ने के लिए अधिवार्षिता/सेवानिवृत्ति आयु के संबंध में विधि में संशोधन करने के लिए कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसा कोई प्रस्ताव भी सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

स्वच्छता उद्देश्यों के लिए ऋण और राज सहायता

7303. श्री अशोक अर्गल : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिग्लीपुर–तहसील की लक्ष्मीपुर पंचायत के अंतर्गत काल्पनिक नामों के माध्यम से ऋण और राज सहायता स्वीकृत की गई थी;

(ख) ऐसे काल्पनिक लोगों की संख्या कितनी है जिन्होंने ऐसे पोर फ्लश लैटरिन संबंधी ऋण प्राप्त किया है;

(ग) क्या लक्ष्मीपुर के प्रधान/जनता द्वारा प्रशासन के भ्रष्टाचार–रोधी अधिकारियों को शिकायतें दर्ज कराई गई है;

(घ) यदि हां, तो क्या गलती करने वाले के विरूद्ध शिकायत दर्ज की गई थी; और

(ङ) यदि हां, तो क्या इन अधिकारियों के विरूद्ध एफ.आई. आर.दर्ज की गई?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र) : (क) से (ङ) अण्डमान और निकोबार प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रधान, लक्ष्मीपुर ग्राम पंचायत और वहां की जनता द्वारा 4.7.2001 को ऋण–सह–सब्सिडी योजना के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के बारे में एक शिकायत दर्ज कराई गई थी। अण्डमान और निकोबार प्रशासन, पोर्ट ब्लेयर का भ्रष्टाचार – रोधी प्रकोष्ठ मामले की जांच कर रहा है।

भूकंप संबंधी राहत

7304. श्री हरिलाल भाधवजी भाई पटेल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार द्वारा गुजरात के कई जिलों में भूकंप की स्थिति के दौरान राहत के लिए वित्तीय सहायता/निधियों के आबंटन के लिए अनुरोध किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है तथा इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) आज की तारीख तक उक्त कार्य के लिए कितनी निधियां आबंटित की गई तथा कितनी राशि खर्च की गई; और

(घ) उपरोक्त की स्थिति क्या है और यदि कोई विलंब है, तो उसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, गुजरात सरकार ने वर्ष 2001 और 2002 के दौरान भूकम्प के लिए निधियों के आबंटन हेतु अनुरोध किया था।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि के मानदण्डों के अनुसार तत्काल राहत के लिए वर्ष 2000-01 में 500 करोड़ रुपए और वर्ष 2001-02 में 967.37 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई थी। राज्य सरकार ने इस राशि का पूरा उपयोग कर लेने की रिपोर्ट भेज दी है।

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा सर्वेक्षण

7305. श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, दक्षिण क्षेत्रीय कार्यालय ने आंध्र प्रदेश सरकार के भूजल विभाग के साथ 2.705 करोड़ रुपए अनुमानित लागत वाली 453 टोपो शीटों के लिए जी आई एस डाटा सेट बनाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है;

(ख) यदि हां, तो समझौता ज्ञापन में उल्लिखित कार्य पर कुल कितना खर्च हुआ;

(ग) क्या समझौता ज्ञापन की शर्तों के अनुसार खर्च न की गई धनराशि को आंध्र प्रदेश सरकार के भूजल विभाग को वापस किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव) : (क) जी, हां। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी. एस. आई.) ने 453 टोपो शीटों के लिए जी.आई.एस.डाटा सेट बनाने हेतु आंध्र प्रदेश सरकार के भूजल विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ख) समझौता ज्ञापन में उल्लिखित कार्य को करने में कुल 2,70,41,835/- रु. (लगभग 2.705 करोड़ रु.) का व्यय हुआ जो पूर्णतया "जी.एस.आई. के प्रभारों की अनुसूची" पर आधारित है। जी. एस.आई. ने इस परियोजना से जुड़े भूवैज्ञानिकों और तकनीकी स्टाफ के वेतन और अन्य भत्तों का खर्च वहन किया है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। समझौता ज्ञापन के अनुसार भारत के सर्वेक्षण से संबंधित दरों पर किसी प्रकार की छूट भूजल विभाग को वापस लौटा दी जाएगी। चूंकि ऐसी कोई छूट नहीं दी गई थी, इसलिए आंध्र प्रदेश सरकार को भुगतान करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना

7306. श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाह :

श्री मो. ताहिर :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने भविष्य में स्थापित की जाने वाली सभी जल विद्युत परियोजनाओं की पहचान के संबंध में प्राथमिक अध्ययन पूरा कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक मूल्यांकन की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) उन परियोजनाओं की संख्या कितनी है जिनका कार्य शुरू हो चुका है; और

(घ) 500 मेगावाट से अधिक स्थापित क्षमताओं वाली परियोजनाओं की संख्या कितनी है?

विद्युत मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) और (ख) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा 1987 में देश में किए गए विद्युत क्षमता में पुनर्मूल्यांकन अध्ययन के अनुसार देश की दोहनीय जल विद्युत क्षमता 60% भार घटक पर लगभग 84,044 मे.वा. है। इसके पूर्ण विकास होने पर यह क्षमता कुल संस्थापित क्षमता के रूप में 1,48,701 मे.वा. हो जाएगी। विभिन्न बेसीनों में कुल 845 जल विद्युत स्कीमें अभिज्ञात की गयी थी।

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने 2001-02 में एक दर्जा निर्धारण अध्ययन निर्धारण किया था जिसमें 1,06,910 मे.वा. संस्थापित क्षमता की कुल 399 स्कीमें तीन श्रेणियों यथा क, ख और ग में

बांटी गयीं ताकि हाइड्रो स्कीमों के विकास से संबंधित विभिन्न पहलुओं के महत्व के आधार पर उनकी प्राथमिकता निर्धारित की जा सके। स्कीमों के ब्यौरे विवरण–। के रूप में संलग्न हैं।

दर्जा निर्धारण अध्ययन के आधार पर भारत सरकार ने 2003–04 के दौरान 50,000 मे.वा. जल विद्युत क्षमता विकास शुरू की जिसके अंतर्गत 16 राज्यों में स्थित 162 स्कीमों की पूर्व व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की गयी है। इन 162 स्कीमों के ब्यौरे विवरण – II के रूप में संलग्न हैं।

(ग) वर्तमान में 14,878 मे. वा. संस्थापित क्षमता की 43 परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं जिनमें से 12540 मे.वा. संस्थापित क्षमता की 35 परियोजनाएं केन्द्रीत विद्युत प्राधिकरण द्वारा आयोजित किए गए पुनर्मूल्यांकन अध्ययन से हैं।

(घ) निर्माणाधीन 10 जल विद्युत परियोजनाओं की क्षमता 500 मे.वा. से भी अधिक हैं जिनमें से 8 परियोजनाएं के. वि. द्वारा कराए गए पुनर्मूल्यांकन अध्ययन से हैं।

विवरण-I

क्रम सं.	स्कीम का नाम	संभावित संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	श्रेणी
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश			
1.	दुम्मागुडम	360	ए
2.	पुलिचिंटाला	60	ए
3.	सिंगारेड्डी	250	ए
4.	पोंडूगाला	95	ए
5.	पोलावरम	720	बी
6.	इंचमपल्ली	975	बी
		2460	
अरुणाचल प्रदेश			
7.	सियांग लोअर	1700	ए
8.	भरेली लिफ्ट बांध-II	330	ए
9.	हिगियो	250	ए
10.	भरेली लिफ्ट बांध-I	240	ए
11.	इमिनी	295	ए
12.	अमुलिन	235	ए
13.	अंगोलिन	235	ए
14.	कपाक लियाक	195	ए
15.	रिंगोंग	130	ए
16.	बदाओ	120	ए
17.	पाक्के	120	ए
18.	खुरांग बांध-II	115	ए
19.	सेबा	105	ए
20.	येपिन	95	ए
21.	मिली	75	ए
22.	चेला	75	ए
23.	पार	65	ए
24.	पेंगिंग	60	ए
25.	टागो-I	55	ए
26.	पारा	55	ए
27.	सेपला	46	ए
28.	लाचुंग	41	ए
29.	सापे	38	ए
30.	रायगाम	32	ए
31.	नाइपिन	32	ए
32.	गिमलियांग	31	ए
33.	रेब्बी	30	ए
34.	चांदा	110	ए
35.	तरांग वारांग	65	ए
36.	हिया	41	ए

1	2	3	4
37.	टिडिंग-I	31	ए
38.	किमी	535	बी
39.	टाटो-II	360	बी
40.	पाचुंग	90	बी
41.	दारदू	60	बी
42.	हुटोंग	950	बी
43.	चोमी	80	बी
44.	ओजू-II	2580	बी
45.	अत्तूनी	175	बी
46.	नाबा	1290	बी
47.	इमरा-II	870	बी
48.	नोआ-दिहिंग	75	बी
49.	तम्मू	55	बी
50.	इटालिन	3045	बी
51.	कलाई	2550	बी
52.	नायिंग	495	बी
53.	कामेंग	1100	बी
54.	ओजू-I	1925	बी
55.	नियारे	1405	बी
56.	बिचोम-II	205	बी
57.	पासर	32	बी
58.	सियांग मिडिल	700	बी
59.	इमरा-I	275	बी
60.	मिनिर्यिंग	195	बी
61.	इलांगो	180	बी
62.	दुईमुख स्टोरेज	170	बी
63.	मिराक	160	बी
64.	टाटो-I	80	बी
65.	नाजोंग	65	बी
66.	पाउक	50	बी
67.	सतुक	47	बी
68.	गामेंग	37	बी
69.	पापू	160	बी
70.	जारू	60	बी
71.	पिचांग	31	बी
72.	रंगानदी चरण–II	180	बी
73.	मथिथिंग	40	बी
74.	खुईताम	29	बी
75.	तालोंग	150	बी
76.	उतुंग	110	बी
77.	डिब्बिन	95	बी
78.	जारोंग	85	बी
79.	बट	26	बी
80.	हिरोंग	180	बी
81.	मालीनाई	335	बी
82.	हियो	90	बी
83.	यांगमन स्टोरेज	60	बी
84.	टेंगा	275	बी
85.	मिथुमडन	145	बी
86.	दिबांग	1000	बी
87.	सिस्सरी	222	बी
88.	मिडिल सुबानसिरी	2000	बी

1	2	3	4
89.	सियांग अपर	11000	बी
90.	बिचोम स्टोरज-1	190	बी
91.	अप सुबानसिरी	2500	बी
92.	कुरूंग बांध-1	200	बी
93.	लोअर सुबानसिरी	2000	सी
94.	डेम्बे	3000	सी
95.	तिपांग	80	सी
		49126.0	
छत्तीसगढ़			
96.	कुन्नु-I	150	ए
97.	कोंटा	65	ए
98.	करीं	70	ए
99.	खरौली	46	ए
100.	चित्रकोट (मतनार)	38	बी
101.	भोपालपटनम	1000	बी
102.	कुन्नु-II	150	बी
103.	नुगूर-II	270	बी
104.	नुगू-I	160	बी
105.	कोटरी	70	बी
106.	पासल	55	बी
107.	दुनियाधीन	80	बी
108.	जोका	28	बी
		2182	
हिमाचल प्रदेश			
109.	बुधिल	70	ए
110.	अलाइन दुहंगन	192	ए
111.	करछाम वांग्चू	1000	ए

1	2	3	4
112.	रानाखड	29	ए
113.	नाकथान (पार्बती-I)	420	ए
114.	शोंगटोंग करछाम	780	ए
115.	जांगी थोपन	410	ए
116.	घोपरा	85	ए
117.	लुहरी	425	ए
118.	तपोवन पोवारी	650	ए
119.	संज–4	27	ए
120.	पांगुला सनैल	26	ए
121.	रामपुर नैनझा	420	बी
122.	सैंज (पार्बती–III)	520	बी
123.	मछेत्री	60	बी
124.	तीर्थन-III	26	बी
125.	चुलान	55	बी
126.	खाब-II	425	बी
127.	टिडोंग-II	90	बी
128.	थिबोदा	55	बी
129.	गोंढाला	90	बी
130.	छोटा दारा	50	बी
131.	खोकसर	80	बी
132.	बरडांग	145	बी
133.	छत्रू	140	बी
134.	सेली	150	बी
135.	सचखास	70	बी
136.	क्यूरिक	41	बी
137.	उदयपुर	36	बी

1	2	3	4
138.	टिडोंग-I	90	बी
139.	टैटी-I	50	बी
140.	झालमा	275	सी
141.	रावली	715	सी
142.	रैलिंग	155	सी
143.	खाब-I	1640	सी
		9492	

जम्मू-कश्मीर

144.	सियावा (चरण–II)	120	बी
145.	चखोटी (उढ़ी–II)	280	बी
146.	वांगम	60	बी
147.	लेह	29	बी
148.	पाखलदुल	1000	बी
149.	परखाचिक	60	बी
150.	हतियान	215	बी
151.	चेनारी	475	बी
152.	रातले	515	बी
153.	नानूत	1120	बी
154.	करकिट	190	बी
155.	कनियुंचे	105	बी
156.	दुनादी	60	बी
157.	चेचेस्मा	47	बी
158.	खबरु	30	बी
159.	थाम्बस	29	बी
160.	डांडल	26	बी
161.	क्वार	440	बी
162.	कियारी	28	बी
163.	किरू	295	बी
164.	खालसी	170	बी
165.	तकमाचिंन	75	बी
166.	शामनोट	200	बी
167.	नुरला	65	बी
168.	दुमखार	130	बी
169.	टिपरी	36	बी
170.	गंगबल	55	बी
171.	केसर	42	बी
172.	निमू	180	बी
173.	बिचलारी	75	बी
174.	किवा	37	बी
175.	नागा	29	बी
176.	गंडरमन	120	सी
177.	चालुंका	45	सी
178.	शुआस	505	सी
179.	अचिनथांग	140	सी
180.	बरसर	1020	सी
181.	बटालिक	235	सी
182.	शो	215	सी
183.	तिल्लारचू	39	सी
184.	बरीनीम	435	सी
185.	तहामुस	120	सी
186.	पैदार	46	सी
187.	परफिला	45	सी

1	2	3	4
188.	करालपुर (किशनगंगा)	330	सी
		9513	
कर्नाटक			
189.	मयात्नू	35	ए
190.	नेत्रावती	60	बी
191.	कुमारधारी	49	बी
192.	कालीनदी-III (मरदी)	175	बी
193.	किशनपुर (महदायी)	210	बी
194.	बेनीहोल	55	बी
195.	गंगावली-II	105	बी
196.	कावेरी फेज- I	235	बी
197.	अरकावती	42	बी
198.	कावेरी फेज-4	36	बी
199.	जलदुर्ग	270	बी
200.	नारायणपुर	70	बी
201.	कावेरी-फेज–II	165	बी
202.	कावेरी फेज-III	90	बी
203.	कृष्णाराजसागर	55	सी
204.	अग्नाशिनी	370	बी
205.	बड़ापोल चरण-I	335	बी
		2357	
केरल			
206.	पंडियारपुन्नापूजा-II	70	बी
207.	कुरियाकुटी	84	बी
208.	बडापोल-II	85	बी
209.	पोरिंगलकुथू (आरबी)	65	बी

1	2	3	4
210.	मंनथावड़ी	240	बी
211.	मनाली	36	सी
212.	परिंजनकुटी	120	सी
213.	लोअर सबरीगिरी	55	सी
214.	कुडाल	47	सी
215.	ट्विनकालर एमपीपी	65	सी
216.	चोलाथिपुजा	80	सी
217.	साइलेंट वैली	130	सी
218.	चालीपुजा	50	सी
		1127	
मध्य प्रदेश			
219.	बसानिया	60	ए
220.	धुरवारा	28	ए
221.	चोरहाट	55	ए
222.	जहांपुर	75	सी
223.	बर्नहेल	28	सी
		246	
महाराष्ट्र			
224.	कुंभी–II	27	ए
225.	कुंघरा	115	ए
226.	घरगांव	105	ए
227.	समदा	95	ए
228.	कसारी-I	215	बी
229.	पटपड़गंज	29	बी
230.	कादवी	215	बी
231.	कुंभी-I	170	बी

1	2	3	4
232.	पथरी	40	बी
233.	साहसराकुंड-I	29	बी
234.	हिरण्याकक्षी-II	405	बी
235.	प्राणहिता	310	बी
236.	वैनगंगा	150	बी
		1905	
मणिपुर			
237.	इरांग	60	ए
238.	खोंगनेम चाखा-III	48	ए
239.	लनियाए-II	27	ए
240.	इरांग	75	बी
241.	नुंगलीबान	85	बी
242.	लनियाए-I	34	बी
243.	खोंगनेस चाखा-II	90	बी
244.	तुईवई	51	बी
245.	पाबारम स्टोरेज	232	सी
246.	सिंजल	39	सी
247.	तिपाईमुख	1500	सी
		2241	
मेघालय			
248.	उमलामफंग	28	ए
249.	सुशेन	150	ए
250.	उमजीत	85	बी
251.	उमदुना	95	बी
252.	किनशी-II	175	बी
253.	माहू	90	बी
254.	उमियम उमतरू-5	27	बी
255.	उमियम उमतरू-6	145	बी
256.	मावपेट	55	बी
257.	रंगमा	42	बी
258.	नोंगनाम	36	बी
259.	नोंगमावलार	29	बी
260.	नोंगलिंगकिन	47	बी
261.	मौसरीपेट	45	बी
262.	नोंगकोलेट	180	बी
263.	सोमेश्वरी बांध	130	बी
264.	अमागाम स्टोरेज	35	बी
265.	मॉबलेई स्टोरेज	100	बी
266.	किनशी-I स्टोरेज	295	सी
267.	उमनगोट स्टोरेज	265	सी
268.	माथाबा	70	सी
269.	उमंगी स्टोरेज	35	सी
		2159	
मिजोरम			
270.	कोलोडीन	120	बी
271.	तुईवई	48	बी
272.	देह	26	बी
273.	कलदान स्टोरेज	545	सी
274.	लुंगलांचग स्टोरेज	690	सी
275.	बोइनु स्टोरेज	635	सी
		2064	
नागालैंड			
276.	लरूरी	80	ए
277.	सखाई-II	31	ए

1	2	3	4
278.	जुंगकी	48	बी
279.	खुजामी	32	बी
280.	यांगयू स्टोरेज	135	बी
281.	रूरूर	36	बी
282.	विखू लिफ्ट बांध	120	सी
283.	झांसी स्टोरेज	75	सी
284.	टिजू	365	सी
285.	दिखू बांध पीएच	470	सी
		1392	
उड़ीसा			
286.	भीमकुंड	29	बी
287.	हीराकुंड चरण-3	408	बी
288.	लोदानी	42	बी
289.	बलजोरी	393	बी
290.	नाराज	215	बी
291.	टिक्करपारा	205	बी
292.	लोअर कोलाब	375	बी
		1667	
सिक्किम			
293.	तीस्ता चरण–6	360	ए
294.	तीस्ता चरण–4	495	ए
295.	लाचुंग	30	ए
296.	गोम्पा	46	ए
297.	तालेम	65	ए
298.	कालेप	41	ए
299.	पानम	230	ए

1	2	3	4
300.	नामलुम	175	ए
301.	दिक्वू	90	ए
302.	तीस्ता चरण-2	450	ए
303.	रांगयोंग	175	बी
304.	सेरूम	50	बी
305.	लिंगजा	160	बी
306.	रूकेल	90	बी
307.	योकसाम	44	बी
308.	माना	37	बी
309.	रोंगनी स्टोरेज	95	बी
310.	जिडांग	185	बी
311.	रिंगपी	160	बी
312.	तीस्ता चरण–I	320	बी
313.	छोटा पठिंग	55	बी
		3353	
उत्तरांचल			
314.	बेनाकुली	40	ए
315.	तपोवन चुनार (तपोवन)	485	ए
316.	लता तपोवन	320	ए
317.	टिऊनी	42	ए
318.	बोवाला नंद प्रयाग	132	ए
319.	विष्णुगढ़ पिपलकोटी	360	ए
320.	भेला टिपरी	100	ए
321.	मैरोंघाटी	60	ए
322.	नैतवार मोरी	70	ए
323.	संकरी कुनारी	33	ए

1	2	3	4
324.	पिशेंतवार	30	ए
325.	उगमिर	28	ए
326.	दिऊलोंग सुमनगांव	26	ए
327.	बद्रीनाथ	260	बी
328.	नंदप्रयाग लांगसू	180	बी
329.	खारतौली लुमटी तिल्ली	105	बी
330.	हरसिल बांध	350	बी
331.	नीलांग	190	बी
332.	जड़गंगा	110	बी
333.	तालुका सौल	39	बी
334.	करमाली	190	बी
335.	जामोलना धनस्याली	44	बी
336.	गंगोत्री	70	बी
337.	टोख गुरूपा	26	बी
338.	कलिका दांतू	140	बी
339.	घरगांव-जंडारवली	29	बी
340.	बनोली नलगाम	55	बी
341.	नकोट पतलासू	43	बी
342.	कुवा फोर्ड	42	बी
343.	तमक लता	200	बी
344.	देवी बगार खारतोली	40	बी
345.	मंदाकिनी	36	बी
346.	कोटलीभेल	1000	बी
347.	मापांग बोगूदयार	185	बी
348.	खेत तवाघाट	225	बी
349.	सेला उरथिंग	165	बी
350.	मलखेट बांध	37	बी
351.	गिरती गंगा	34	बी
352.	लाहोरी नाग थरांग	520	बी
353.	सिरकारी भ्योल रस बागर	145	बी
354.	सोबला झिमरीगांव	145	बी
355.	निती धनशाली	32	बी
356.	उरथिंग सोबला	340	बी
357.	सिरकारी भ्योल बोगूदियार	240	बी
358.	छांगेर चाल	145	बी
359.	ऋषि गंगा–II	65	बी
360.	बाम्बा कुरकुटी	60	बी
361.	खेलकुरान नेती	49	बी
362.	नयार बांध	34	बी
363.	पालामीला टिपरी	400	बी
364.	बोकांग बैलिंग	145	बी
365.	रामगंगा बांध	75	बी
366.	देवड़ी	65	बी
367.	ऋषि गंगा–I	115	बी
368.	जालेम तमक	150	बी
369.	मलारी झेलम	90	बी
370.	देवासारी बांध	78	बी
371.	खासियाबारा	280	बी
372.	उतयासू बाएंध	1140	बी
373.	गरबा तवाघाट	195	बी
374.	गोहाना ताल	95	बी
375.	तवाघाट धारवूला	310	बी

1	2	3	4
376.	गरजिया बांध	295	बी
377.	किशाऊ बांध	600	सी
		11329	
झारखंड			
378.	अपर शंख–II	186	ए
379.	सेरेंगदा	37	ए
380.	सुबर्णरेखा एमपीपी	30	बी
381.	खदवान	450	बी
382.	लोअर शंख	186	सी
		889	
असम			
383.	लांगे	37	ए
384.	लोअर कोपिली	150	ए
385.	अपर बोरपानी	60	ए
386.	अमरिंग	33	बी
387.	जमुना बांध पी/एच	28	बी
388.	दियुंग बांध पी/एच	47	बी
389.	दिल्ली स्टोरेज	33	सी
		388	
पश्चिम बंगाल			
390.	रामम-III	100	ए
391.	बालासन	33	ए
392.	तीस्ता हाई डैम	2505	सी
		2638	
उत्तर प्रदेश			
393.	ओरछा	39	ए
गोवा			
394.	सोनल	55	सी
तमिलनाडु			
395.	भवानी कट्टलाई	90	ए
396.	लोअर मोयार	33	सी
397.	निरार	26	सी
398.	पारालियार	39	सी
399.	पॉडियारपुन्नापुज़ा–I	100	सी
		288	
कुल योग		106910	

विवरण-II

50000 मे.वा. जल विद्युत क्षमता विकास के अंतर्गत पूर्व–व्यवहार्यता रिपोर्ट स्कीमों की राज्यवार सूची

क्रम सं.	राज्य/स्कीम	अधिष्ठापित क्षमता (मे.वा.)
1	2	3
आंध्र प्रदेश		
1.	पोंडुगाला	81
	कुल(आंध्र प्रदेश) 1 संख्या स्कीम	81
अरूणाचल प्रदेश		
2.	एगोलाईन	375
3.	एमूलिन	420
4.	अशुपानी	30
5.	अट्टूनली	500
6.	बडाओ	120
7.	भरेली-I	1120
8.	भरेली-II	600
9.	चंडा	110

1	2	3
10.	डेमेव	3000
11.	डेंगसर	552
12.	डिबिन	100
13.	दुईमूख	150
14.	इलेंगो	150
15.	इमिनी	500
16.	इमरा-II	390
17.	इटाबू	165
18.	इटालिन	4000
19.	हिरॉम	500
20.	हूटांग	3000
21.	कलाई	2600
22.	कामेंग डेम	600
23.	कपाललेयाक	160
24.	कूरूंग I और II	330
25.	मिहूमडॉन	400
26.	मिराक	141
27.	नाबा	1000
28.	नालो	360
29.	नेयिंग	1000
30.	नियारे	800
31.	ओजू-I	700
32.	ओजू-II	1000
33.	पाके	110
34.	पापू	200
35.	फानचुंग	60
36.	रिंगोग	150
37.	सेबू	80
38.	सीमांग	90
39.	टोलांग	300
40.	टारांगवारांग	30
41.	टाटो-II	700
42.	टेंगा	600
43.	उटूंग	100
	कुल (अरूणाचल प्रदेश) 42 स्कीमें	27293
छत्तीसगढ़		
44.	काट्री	150
45.	नूगूर-I	170
46.	नूगूर-II	210
47.	रेहर-I	171
48.	रेहर-II	147
	कुल (छत्तीसगढ़ प्रदेश) 5 स्कीमें	848
हिमाचल प्रदेश		
49.	भाजोली होली	180
50.	बारडंग	114
51.	चम्बा	126
52.	छातटू	108
53.	चरोपा	114
54.	गोंघाला	144
55.	जंगी थोपन	480
56.	काब-I	450
57.	खाब-II	186

1	2	3
58.	खोकसार	90
59.	लूहरी	465
60.	थोपन पोवा	480
61.	टिडांग-I	60
62.	टिडोग-II	70
63.	यांगथांग	261
	कुल (हिमाचल प्रदेश) 15 स्कीम	3328
जम्मू-कश्मीर		
64.	बेरिनियम	240
65.	बिचलारी	35
66.	दुमखार	45
67.	केनियूचे	45
68.	करकिट	30
69.	कवार	320
70.	खालसी	60
71.	किरू	430
72.	रातले	560
73.	शामनॉट	370
74.	शुआस	230
75.	टाकमेचिंग	30
76.	ऊज	280
	कुल (जम्मू–कश्मीर) 13 स्कीम	2675
कर्नाटक		
77.	अगनाशिनी	600
78.	गंगावेली	400
79.	गुंडिया	300
80.	कालिनाडी चरण-III	300
81.	तमानकाल	300
	कुल (कर्नाटक)–5 स्कीम	1900
केरल		
82.	कारापारा किरियारकूट्टी	66
83.	पेरियांजाकूली	60
	कुल (केरल) 2 स्कीम	126
मध्य प्रदेश		
84.	बसानिया	90
85.	बौरास	55
86.	होशंगाबाद	60
	कुल (मध्य प्रदेश) 3 स्कीम	205
महाराष्ट्र		
87.	घरगांव	52
88.	हिरनियाक्षी	18
89.	काडवी	22
90.	कसारी	25
91.	कुमभी	17
92.	कुंघारा	72
93.	प्राणहिता	48
94.	समाडा	52
95.	वेनगंगा	105
	कुल (महाराष्ट्र) 9 स्कीम	411
मणिपुर		
96.	खोंगनूम चाक्का चरण-II	67
97.	नूगलियाबेन	105
98.	पबारम	190
	कुल (मणिपुर)–3 स्कीम	362

1	2	3
मेघालय		
99.	मावली	140
100.	मॉहू	120
101.	मॉपटू	21
102.	नॉगकोलेट	120
103.	नॉनगनम	50
104.	रंगमॉ	65
105.	सेलिम	170
106.	सुशेन	65
107.	उमडुना	57
108.	उमजौत	69
109.	उमंगी	54
	कुल (मेघालय) 3 स्कीम	931
मिजोरम		
110.	बोइनू	640
111.	लंलेंग	815
112.	त्लांग	45
	कुल (मिजोरम) 3 स्कीम	1500
नागालैंड		
113.	दिखू	140
114.	टिजू	150
115.	यांगनूयू	40
	कुल (नागालैंड) 3 स्कीम	330
उड़ीसा		
116.	बालजोरी	178
117.	लोअर कोलबा	465
118.	नाराज	287
119.	तिकारापारा	259
	कुल (उड़ीसा) 4 स्कीम	1189
सिक्किम		
120.	डिकचू	105
121.	लाचेन	210
122.	लिंगजा	120
123.	पनान	200
124.	रांगियोंग	141
125.	रिंगपी	70
126.	रांगपी स्टोरेज	195
127.	रूकेल	33
128.	तालेम	75
129.	तीस्ता-I	320
	कुल (सिक्किम) 10 स्कीमें	1469
उत्तरांचल		
130.	अराकोट टिऊनी	72
131.	बद्रीनाथ	140
132.	बगोली बांध	72
133.	भैरोंघाटी	65
134.	बोगुदियार–सिकरी म्योल	170
135.	बोकांग बालिंग	330
136.	छुंगेर–चैल	240
137.	देवढ़ी	60
138.	देवसारी	300
139.	गंगोत्री	55

1	2	3
140.	गरबा तवाघाट	630
141.	गोहाना ताल	60
142.	हरसिल	210
143.	जड़ गंगा	50
144.	जखोल संकरी	33
145.	जेलम तमक	60
146.	कलिका दांतु	230
147.	करमोली	140
148.	खरटोई लुमटी तल्ली	55
149.	लता तपोवन	310
150.	मलेरी जेलम	55
151.	मापांग–बोगिदियार	200
152.	नटवार मोरी	33
153.	नंदप्रयाग	141
154.	रामगंगा	66
155.	ऋषिगंगा-I	70
156.	ऋषिगंगा-II	35
157.	रूपसियाबांगर खासियाबरा	260
158.	सेला उथिंग	230
159.	सिरकरी म्योल रूपसियाबागर	210
160.	तालुका संकरी	140
161.	तमक लता	280
162.	उर्थिंग सोबला	280
	कुल (उत्तरांचल) 33 स्कीमें	5282
	कुल योग–162 स्कीमें	47930

[अनुवाद]

टेक्सटाइल पार्क

7307. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिरसिला के टेक्सटाइल टाउन के निकट बडेनपल्ली स्थित स्थापित टेक्सटाइल पार्क आज तक एक भी इकाई को स्थान नहीं दे पाया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने उक्त पार्क का पुनरूद्धार करने के लिए राज्य सरकार से परामर्श किया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में प्राप्त सुझाव क्या हैं; और

(ङ) वहां पर तत्काल उत्पादन कार्य आरंभ कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) से (ङ) सरकार ने बडेनपल्ली में किसी वस्त्र पार्क की स्वीकृति नहीं दी है। तथापि, यंगेल्लापल्ली गांव, सिरसिला मंडल, करीमनगर जिला (आंध्र प्रदेश) में आधारभूत सुविधाओं के उन्नयन के लिए वस्त्र केन्द्र अध्यसंरचना विकास योजना (टीसीआईडीएस) के तहत एक परियोजना स्वीकृत की गई है। टीसीआईडीएस के लिए अधिकार प्राप्त समिति में 15 मार्च, 2005 को परियोजना के कार्यान्वयन की समीक्षा की है। जिसमें आंध्र प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि ने यह सूचित किया था कि 100% औद्योगिक क्षेत्र बुक कर दिया गया है जिसमें 198 प्लॉट निर्धारित किए गए हैं और बेच दिए गए हैं तथा यह परियोजना दो माह के भीतर पूरी कर दी जाएगी। इस योजना के तहत इस परियोजना के लिए अब तक 98 लाख रुपए की अनुदान सहायता जारी की गई है।

टेक्सटाइल हब

7308. श्री अनन्त नायक :

श्री चन्द्रभूषण सिंह :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमरीका के लिए एक टेक्सटाइल हब के रूप में उभरेगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस अवसर का लाभ उठाने के लिए इस क्षेत्र में और अधिक निवेश करने की आवश्यकता है; और

(घ) यदि हां, तो इस क्षेत्र की सहायता करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) से (ग) जी, हां। विभिन्न अध्ययनों के अनुसार चीन और भारत कोटा पश्चात व्यवस्था में यूरोपीय संघ और अमरीकी बाजारों का बहुत बड़ा हिस्सा काटेंगे। भारत की निर्यात में वृद्धि मूल्यवर्द्धित मेडअप्स और अपैरल से संचालित होगी क्योंकि भारत को (i) अपेक्षाकृत रूप से कम खर्चीले और कुशल कार्यबल की उपलब्धता, (ii) डिजाइन विशेषज्ञता, (iii) आधारभूत कच्ची सामग्री के व्यापक उत्पादन आधार के संबंध में अपने प्रतिस्पर्धियों से अधिक तुलनात्मक लाभ प्राप्त हैं।

क्रिसिल द्वारा किए गए एक अध्ययन (भारतीय कपास मिल परिसंघ की ओर से) के अनुसार भारतीय वस्त्र एवं अपैरल उद्योग में वैश्विक वस्त्र एवं क्लोदिंग बाजार के देश के हिस्से को दोगुना करने की क्षमता है जिसका अभिप्राय है कि 2010 तक 40 बिलियन अमरीकी डालर मूल्य की निर्यात आय प्राप्त कर सकता है। पूर्ण क्षमता प्राप्त करने के लिए 1,40,000 करोड़ रुपए के निवेश की आवश्यकता होगी जो कि केवल मौजूदा क्षमताओं को आधुनिकीकरण करने के लिए नहीं अपितु नई क्षमता सृजित करने के लिए भी होगी।

(घ) जी, हां। सरकार घरेलू वस्त्र उद्योग की सहायता के लिए समय-समय पर कई कदम उठाती रही है। उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम निम्नलिखित हैं:-

(1) इस क्षेत्र के आधुनिकीकरण तथा उन्नयन को सुगम बनाने के लिए दिनांक 1.4.1999 से प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) लागू कर दी गयी है।

(2) कपास की उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सरकार ने कपास प्रौद्योगिकी मिशन (टी एम सी) शुरू किया है। इस मिशन में 4 लघु मिशन हैं जिनका कार्यान्वयन कृषि मंत्रालय और वस्त्र मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। इस मिशन का एक महत्वपूर्ण घटक मौजूदा जिनिंग एवं प्रेसिंग सुविधाओं का उन्नयन/आधुनिकीकरण कर कपास प्रसंस्करण सुविधाएं स्थापित करना तथा मौजूदा बाजार यार्डों का सुधार करना/नए बाजार यार्डों की स्थापना करना है।

(3) सरकार ने विकास संभावित केन्द्रों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अपैरल विनिर्माण एककों की स्थापना पर बल देने और निर्यात को गति देने के लिए "अपैरल पार्क निर्यात योजना" नामक एक केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना शुरू की गई है।

(4) प्रमुख वस्त्र केन्द्रों में आधाभूत सुविधाओं को उन्नत बनाने के लिए वस्त्र आधारभूत विकास केन्द्र योजना (टीसीआईडीएस) शुरू की गई है।

(5) वित्तीय शुल्क ढांचा सामान्यतः देश के भीतर विकास एवं अधिकतम मूल्य संवर्धन की स्थिति प्राप्त करने के लिए युक्तिसंगत बना दिया गया है। मानवनिर्मित फिलामेंट यार्न तथा मानवनिर्मित स्टेपल फाइबर पर अनिवार्य उत्पाद शुल्क को छोड़कर समग्र मूल्य वर्धन श्रृंखला को उत्पाद शुल्क की छूट का विकल्प दिया गया है।

(6) निवेश प्रोत्साहित करने के लिए तथा वैश्विक बाजार में हमारे वस्त्र उत्पादों को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए विनिर्दिष्ट वस्त्र एवं परिधान संबंधी मशीनों की मदों के आयात पर सीमाशुल्क की रिआयती दर की अनुमति दी गई है। वित्तीय नीति संबंधी उपायों के माध्यम से मशीनों की लागत भी कम कर दी गई है।

(7) परिधान निर्यातकों को, पिछले वर्ष के दौरान उनके वास्तविक निर्यात निष्पादन के 3% तक ट्रिमिंग तथा अलंकरण मदों की 21 मदों के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी गई है।

(8) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) की छह शाखाएं और अपैरल प्रशिक्षण एवं डिजायन केंद्र (ए टी डी सी) डिजायन, व्यापार और विपणन के क्षेत्र में वस्त्र उद्योग, विशेषकर अपैरल की कुशल कारीगरों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न पाठयक्रम एवं कार्यक्रम चला रहे हैं।

(9) पारि-परीक्षण प्रयोगशालाओं के माध्यम से सुविधाएं तैयार की गई हैं ताकि निर्यातक आयातक देशों की आवश्यकताओं के अनुरूप परिधानों/वस्त्रों का पूर्व-परीक्षण करवा सकें।

(10) सरकार ने सिले सिलाए परिधानों, हौजरी और निटवियर को लघु उद्योग क्षेत्र से अनारक्षित कर दिया है।

बारहवां वित्त आयोग

7309. श्री चेंगरा सुरेन्द्रन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बारहवें वित्त आयोग को प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए धनराशि का प्रबंध करने के मुद्दे की जांच करने का निदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आयोग द्वारा इस मुद्दे से संबंधित कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) बारहवें वित्त आयोग (टी.एफ.सी.) के विचारार्थ विषयों में ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (एन.सी.सी.एफ.) और आपदा राहत कोष (सी.आर.एफ.) के संदर्भ में आपदा प्रबंधन के वित्तपोषण संबंधी प्रबंध की समीक्षा को शामिल किया गया है।

(ग) बारहवें वित्त आयोग (टी.एफ.सी.) ने पांच वर्ष की अवधि (2005–10) की अपनी रिपोर्ट में 16,000 करोड़ की केन्द्र की हिस्सेदारी और 5,333.33 करोड़ रुपए की राज्य की हिस्सेदारी के साथ 21,333.33 करोड़ रुपए तक आपदा राहत कोष (सी.आर.एफ.) के आकार में वृद्धि के साथ आपदा राहत कोष (सी.आर.एफ.) और राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (एन.सी.सी.एफ.) स्कीम को अपने मौजूदा रूप में ही जारी रखने की सिफारिश की है। इसके अतिरिक्त आयोग ने आपदा राहत कोष/राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि में से सहायता के लिए उपयुक्त भू–स्खलन, भारी हिमपात, बादल फटना, नाशी जीवों के आक्रमण जैसी चार अतिरिक्त आपदाओं को शामिल करने की सिफारिश की है।

(घ) भारत सरकार ने आयोग की इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है।

नशीली दवाओं की तस्करी

7310. श्री असादुद्दीन ओवेसी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्व आसूचना निदेशालय के अनुसार अफगानिस्तान और पाकिस्तान मार्ग पर सक्रिय नशीली दवाओं के तस्कर और माफिया अफगानिस्तान में पोस्त की अत्यधिक फसल होने के कारण तस्करी के लिए निषिद्ध वस्तुओं को अधिकाधिक भारत में उतारने की कोशिश कर सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या अमरीका द्वारा अफगानिस्तान में ड्रग माफिया पर लगाम कसने में विफलता भारत को महंगी पड़ सकती है;

(ग) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने इस मामले को अफगानिस्तान के साथ उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो सरकार द्वारा देश में निषिद्ध वस्तुओं की तस्करी को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये अथवा उठाये जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) राजस्व आसूचना निदेशालय के पास उपलब्ध आसूचना से अफगानिस्तान में हुई अत्यधिक पोस्त की खेती को ध्यान में रखते हुए भारत में अफगानिस्तान और पाकिस्तान से स्वापक औषधियों की तस्करी में बढ़ोत्तरी को सुझाती है। संबंधित प्रवर्तन एजेंसियां इस स्थिति से निपटने और भारत में स्वापक औषधियों की तस्करी के किसी प्रयास को निष्फल करने के लिए सचेत हैं।

(ग) अफगानिस्तान से नशीली औषधियों के अवैध व्यापार के मामले को अफगानिस्तान सरकार के साथ औपचारिक रूप से नहीं उठाया गया है लेकिन भारत ने नशीली औषधियों पर संयुक्त राष्ट्र की बैठकों सहित अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर उक्त मामले पर अपना खेद व्यक्त किया था।

(घ) भारत–पाक सीमा के पार अवैध व्यापार से निपटने के लिए निम्नवत कदम उठाये गये हैं:–

1. सीमा सुरक्षा बल और पाकिस्तानी रेंजरों के बीच सीमा पर बैठकों के दौरान व्यापार करने वालों के बारे में सूचना का आदान–प्रदान करना।
2. अन्य एजेंसियों के साथ तालमेल करके भारत–पाक सीमा के पार स्वापकों की तस्करी करने वाला अवैध व्यापारियों के बारे में आसूचना का विकास करना।
3. पाकिस्तान के स्वापक रोधी बल के साथ नियमित द्विवार्षिक बैठक करना और स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के साथ नशीली औषधियों के अवैध व्यापार के संबंध में आसूचना का आदान–प्रदान करना।

दया मृत्यु

7311. श्री के. सी. पलनिसामी : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में दया मृत्यु अवैध है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का दया मृत्यु को वैध ठहराने हेतु विधान लाने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज) : (क) और (ख) देश में दया–मृत्यु अवैध है क्योंकि वह विधि के अधीन अनुज्ञात नहीं है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) संघ सरकार के पास दया–मृत्यु को वैध ठहराने के लिए निम्नलिखित कारणों से कोई विधान लाने का प्रस्ताव नहीं है:–

(i) कष्ट, यातना से मुक्ति दिलाने, पुनर्वास और कथित रूप से, असाध्य रोगों के उपचार में चिकित्सा विज्ञान की प्रगति को धक्का लगेगा।

(ii) ऐसा कोई व्यक्ति एक समय पर आकर भरना चाहेगा और उसकी यह इच्छा स्थायी न होकर क्षणिक अवसाद के कारण केवल अस्थायी इच्छा हो सकती है।

(iii) यातना एक मानसिक स्थिति और ग्लानि की अनुभूति है जो हर व्यक्ति में भिन्न–भिन्न हो सकती है और विभिन्न वातावरणों तथा सामाजिक कारणों पर निर्भर करती है।

(iv) चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में निरंतर उन्नति से कैंसर तथा अन्य लाइलाज बीमारियों से पीड़ित रोगियों के कष्टों को कम करना संभव हो गया है। इसी प्रकार पुनर्वास रीढ़ में क्षति ग्रस्त रोगी की सामान्य जीवन जीने में सहायता करता है और ऐसे में दया–मृत्यु की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

(v) मानसिक रूप से बीमार रोगी या अवसाद से पीड़ित रोगी द्वारा दया–मृत्यु की इच्छा का किसी अच्छे मनःचिकित्सा केन्द्र द्वारा उपचार किया जा सकता है।

(vi) यातना की मात्रा निश्चित करना कठिन होगा जो सदैव बदलते हुए सामाजिक दबावों और मानदंडों के अध्यधीन होती है।

(vii) डाक्टरों की ओर से यह कठिन होगा कि वे यह कहने के लिए ज्ञान और अनुभव रखने का दावा कर सकें कि रोग असाध्य है और रोगी स्थायी रूप से अशक्त है।

(viii) ऐसे चिकित्सा अधिकारियों पर मानसिक दबाव और उन्हें सदमा हो सकता है जिनसे दया–मृत्यु देने की अपेक्षा की जाए।

उत्पादन और गुणवत्ता संबंधी मानदण्ड

7312. श्री बालासाहिब विखे पाटील : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्पादन और गुणवत्ता संबंधी नए मानदण्ड निर्धारित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार की आर्थिक उदारीकरण नीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है; और

(घ) यदि नहीं, तो कोटा प्रतिबन्ध को हटाने के मद्देनजर ऐसे कदम से सरकार को क्या लाभ प्राप्त होने की आशा है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) से (घ) वस्त्र उद्योग मूल रूप से निजी क्षेत्र में संकेन्द्रित है और सरकार केवल एक सुविधादाता की भूमिका निभाती है। यह उद्योग उत्पादकता और गुणवत्ता के संबंध में सर्वोत्तम परिपाटियां अपनाने का प्रयास करती है जिनका वैश्विक रूप से पालन किया जा रहा है। अनुमान है कि कोटा प्रणाली के समाप्त होने के फलस्वरूप वस्त्र एवं क्लोदिंग में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 1995 से 2002 तक की अवधि में 6% की औसत वार्षिक वृद्धि की तुलना में 2005 से 8% की औसत वार्षिक दर से बढ़ेगा। परिणामस्वरूप वस्त्र एवं क्लोदिंग में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 2002 में 353 में बिलियन अमरीकी डॉलर मूल्य से बढ़कर 2010 में 655 बिलियन अमरीकी डॉलर मूल्य का हो जाएगा। आर्थिक उदारीकरण से वस्त्र क्षेत्र के चौतरफा विकास के साथ–साथ रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

निजी क्षेत्र को घरेलू ऋण

7313. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निजी क्षेत्र हेतु घरेलू ऋण और जीडीपी का वर्तमान अनुपात कितना है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में वित्त वर्ष 2005–06 के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) चीन, जर्मनी आदि देशों की तुलना में जीडीपी में से निजी क्षेत्र हेतु घरेलू ऋण के प्रतिशत के संदर्भ में भारत का स्थान क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (घ) दिनांक 31 मार्च, 2005 की स्थिति के अनुसार, वाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण जीडीपी के प्रतिशत के रूप में 41.0 प्रतिशत था। वर्ष 2005–06 के वार्षिक नीति विवरण में, वर्ष 2005–06 के दौरान खाद्य–भिन्न ऋण (बैंकों के गैर–एसएलआर निवेश सहित) में लगभग 19.0 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। ऋण के विस्तार की इस मात्रा से अर्थव्यवस्था के सभी उत्पादनकारी क्षेत्रों की ऋण आवश्यकताओं की पर्याप्त रूप से पूर्ति होने की आशा की जाती है।

(ङ) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सांख्यिकी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अप्रैल, 2005 में उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2003 में भारत के लिए जीडीपी के प्रतिशत के रूप में निजी क्षेत्र हेतु ऋण चीन के 147.7 प्रतिशत, जर्मनी के 117.3 प्रतिशत तथा संयुक्त राज्य अमरीका के 63.9 प्रतिशत की तुलना में 32.0 प्रतिशत था।

विद्युत क्षेत्र में निवेश

7314. श्री सुरेश कलमाड़ी : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र राज्य में स्थित विद्युत परियोजनाओं में कोई प्रत्यक्ष निवेश किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान परियोजनावार कितनी धनराशि का निवेश किया गया; और

(ग) इन परियोजनाओं में राज्य सरकार की भागीदारी कितनी है?

विद्युत मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

[अनुवाद]

राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों की वार्षिक योजना

7315. श्री राम सिंह कस्वां : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दसवीं पंचवर्षीय योजनावधि के पहले तीन वर्षों के दौरान राज्यों व संघ राज्यों क्षेत्रों की वार्षिक योजनाओं में केन्द्र की भागीदारी कम हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर संबंधित राज्य सरकारों/केन्द्र सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की वार्षिक योजनाओं में केन्द्र की कितनी भागीदारी थी; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा सहायता राशि को बढ़ाकर नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दी गयी राशि के बराबर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) दसवीं योजना के पिछले दो वर्षों का वास्तविक राज्य योजना परिव्यय अभी उपलब्ध नहीं है। तथापि, योजना आयोग द्वारा अनुमोदित राज्य योजना के अनुपात के रूप में केन्द्रीय सहायता का हिस्सा, जो वर्ष 2001–02 में 50.63 प्रतिशत था, वर्ष 2004–05 में बढ़कर 51.19 प्रतिशत हो गया, जो केन्द्रीय सहायता वर्ष 2001–02 में 49624.68 करोड़ रुपए थी जो कि वर्ष 2004–05 में (यथा–अनुमोदित) बढ़कर 63468.77 करोड़ रुपए हो गई।

(ग) और (घ) नौवीं योजना के दौरान राज्यों की वार्षिक योजनाओं में केन्द्रीय सहायता का अनुपात इस प्रकार था :–

1997–98	45.10 प्रतिशत
1998–99	42.64 प्रतिशत
1999–2000	43.99 प्रतिशत
2000–01	42.72 प्रतिशत
2001–02	50.63 प्रतिशत

मूल्य वर्धित कर

7316. श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मूल्य वर्धित कर (वैट) प्रणाली के अन्तर्गत कौन–कौन सी प्रमुख वस्तुएं शामिल हैं;

(ख) क्या सूची में और वस्तुएं शामिल किए जाने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) पड़ोसी राज्यों जिन्होंने वैट प्रणाली क्रियान्वित नहीं की है, उसका उक्त वस्तुओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (ग) 1 अप्रैल, 2005 से अधिकांश राज्यों द्वारा क्रियान्वित की गई वैट प्रणाली, राज्य का विषय है। राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार–प्राप्त समिति, जो सभी राज्यों का प्रतिनिधि निकाय है, ने विभिन्न दरों के तहत कर लगायी जाने वाली वस्तुओं की सूची को अंतिम रूप दिया है। अधिकार–प्राप्त समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि छूट प्राप्त श्रेणी के तहत वस्तुओं में प्राकृतिक और असंसाधित उत्पाद, मदें जो कानूनी रूप से कराधान से बाधित हैं। और मदें जिनका सामाजिक प्रभाव पड़ता है, शामिल होंगी। सोना, चाँदी, सर्राफा और बहुमूल्य पत्थरों पर वैट की 1 प्रतिशत की दर लगेगी। 4 प्रतिशत की वैट श्रेणी के तहत वस्तुओं में बुनियादी आवश्यकताओं की मदें, सभी कृषि औद्योगिक निविष्टियाँ, पूँजीगत वस्तुए तथा घोषित वस्तुए शामिल होंगी। शेष वस्तुएं 12.5 प्रतिशत की वैट की सामान्य दर के तहत आएंगी।

(घ) चूंकि वैट एक अन्तः राज्यीय कर है, इसलिए पड़ोसी गैर–वैट राज्यों में इसके प्रभाव का प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कर्नाटक में स्वर्ण भण्डार

7317. श्री प्रह्लाद जोशी : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पता लगाए गए स्वर्ण भण्डार के नए स्त्रोतों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह बात सरकार के ध्यान में आयी है कि गडग, कर्नाटक के निकट कप्पटा गुड्डा हिल्स में पर्याप्त मात्रा में स्वर्ण अयस्क पाया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार की इन हिल्स से स्वर्ण अयस्क के खनन की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो इस क्षेत्र से प्राप्त होने वाले स्वर्ण की मात्रा और निवेश का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का खनन कार्य शीघ्र शुरू करने हेतु कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव) : (क) खान मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालयों नामतः भारतीय भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी.एस.आई.) और भारतीय खान ब्यूरो (आई. बी. एम.) द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, विगत तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित स्वर्ण भंडारों का अनुमान लगाया गया है:–

क्षेत्र/जिले/राज्य का नाम	अयस्क (मिलियन टन में)	धातु अंश (ग्राम प्रति टन)
धानी–बसरी क्षेत्र, जिला दौसा, राजस्थान	0.8	1.00
देलवाड़ा ब्लॉक, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान	0.704	1.88
भूकिया ईस्ट सेन्ट्रल ब्लॉक, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान	0.273	1.89
दोना साऊथ ब्लॉक, जिला अनंतपुर, आंध्र प्रदेश	1.113	1.16 से 6.28
दोना नार्थ ब्लॉक, जिला अनंतपुर, आंध्र प्रदेश	0.098	3.85
दुगोचा–नार्थ ब्लॉक, जिला उदयपुर, राजस्थान	0.132	2.09
दुगोचा–सेन्ट्रल ब्लॉक, जिला उदयपुर, राजस्थान	0.216	3.05
दोनो ईस्ट ब्लॉक, जिला कुरनूल, आंध्र प्रदेश	5.309	उपलब्ध नहीं
जोन्नागीर का पूर्वोत्तर ब्लॉक, आंध्र प्रदेश	7.768	2.041
हट्टी, जिला रायचूर, कर्नाटक	7.07	6.28
ऊटी, जिला रायचूर, कर्नाटक	0.122	2.66
हीरा बुड्डिनी, जिला रायचूर, कर्नाटक	0.243	7.90

(ख) जी, नहीं। गडग के निकट कप्पट्टा गुड्डा हिल्स में अध्ययनों से अभी तक आर्थिक महत्व के स्वर्ण संसाधनों का पता नहीं चला है।

(ग) से (च) उपरोक्त (ख) के उत्तर के मद्देनजर, प्रश्न नहीं उठता।

लाभांश की घोषणा

7318. श्री ब्रजेश पाठक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन सूचीकृत कंपनियों की संख्या कितनी है जिन्होंने पिछले तीन वर्षों से लाभ कमाने के बावजूद लाभांशों का भुगतान नहीं किया है;

(ख) क्या भारतीय वित्तीय संस्था द्वारा इन्फोसिस, टाटा कंसलटेंसी, विप्रो और सत्यम के शेयरों में किए गए भारी निवेश पर कम लाभ प्राप्त हो रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) उन सूचीकृत कंपनियों का ब्यौरा क्या है जिनके पास 25 प्रतिशत से कम पब्लिक होल्डिंग हैं; और

(ङ) सेबी द्वारा सूचीकृत कंपनियों में न्यूनतम 25 प्रतिशत पब्लिक होल्डिंग सुनिश्चित करने हेतु क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

गैर सरकारी संगठनों के लिए विदेशी वित्तपोषण

7319. श्री के. सी. पलनिसामी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने गैर सरकारी संगठनों हेतु विदेशी वित्तपोषण की संपूर्ण व्यवस्था को वित्त मंत्रालय के अंतर्गत लाने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) आर्थिक कार्य विभाग द्विपक्षीय विकास भागीदार देशों से गैर-सरकारी संगठनों के विदेशी पूंजी से निधिकरण के लिए प्राप्त प्रस्तावों पर ही कार्यवाही करने से संबंध रखता है। गैर-सरकारी संगठनों के लिए विदेशी निधिकरण विदेशी अंशदान (विनियम) अधिनियम (एफसीआरए) 1976 के अन्तर्गत शासित होता रहेगा, जिसे गृह मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाता है।

ड्यूटी एनटाईटलमेंट पासबुक स्कीम

7320. श्रीमती मनोरमा माधवराज :

श्री गुरूदास कामत :

श्री सुग्रीव सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ड्यूटी एनटाईटलमेंट पासबुक योजना को एक ड्यूटी ड्रॉबैक रिजीम में परिवर्तित करने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या सरकार विश्व व्यापार संगठन के विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए ड्यूटी ड्राबैक की कवरेज में विस्तार हेतु सौमित्रा चौधरी समिति की सिफारिशों को क्रियान्वयन कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) जी, नहीं। विदेश व्यापार नीति, 2004-09 (31 मार्च, 2005 तक अद्यतन बनाई गई) में यह कहा गया है कि शुल्क हकदारी पासबुक स्कीम तब तक जारी रहेगी जब तक इसके स्थान पर कोई नई स्कीम नहीं बनाई जाती, जिसे निर्यातकों के साथ परामर्श करके तैयार किया जाएगा। यह मामला वाणिज्य मंत्रालय के विचाराधीन है।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सरकार ने अपने दिनांक 9 मार्च, 2005 के आदेश के तहत तीन सदस्यों की एक समिति का गठन किया था जिसमें श्री सौमित्रा चौधरी (प्रधानमंत्री की आर्थिक परामर्शदात्री परिषद् के सदस्य) को इस समिति का अध्यक्ष, श्री एस. बी. मोहापात्रा, सचिव, (सेवानिवृत्त) और श्री टी. आर. रूस्तगी, मुख्य आयुक्त, सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (सेवा निवृत्त) को इस समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। विचारणीय विषयों के अनुसार, समिति से साझेदारों के साथ विचार-विमर्श करके शुल्क प्रतिअदायगी, 2005-06 की सर्व उद्योग दरों की संगणना हेतु तौर-तरीके तैयार करना अपेक्षित था। इस शासनादेश के अनुसार, इस समिति ने विभिन्न प्रशासनिक मंत्रालयों, निर्यात संवर्द्धन परिषदों, व्यापारिक संगठनों और अलग-अलग

निर्यातकों से विचार–विमर्श किया था। समिति ने साझेदारों द्वारा दिए गए सुझावों की जांच करने के बाद दिनांक 24.4.2005 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। समिति की सिफारिशों के आधार पर विभिन्न निर्यात उत्पादों हेतु मूल्यानुसार प्रति अदायगी की उपयुक्त दरों को 2 मई, 2005 को अधिसूचित किया गया है। संशोधित दरें 5 मई, 2005 से लागू हो गयी हैं।

[अनुवाद]

न्यायालय में लम्बित मामले

7321. डा. एम. जगन्नाथ : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी उच्च न्यायालयों में सभी लम्बित मामलों का कम्प्यूटरीकृत रिकार्ड रखने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार लम्बित मामलों पर निगरानी रखने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने लम्बे समय लम्बित मामलों को निपटाने के लिए विभिन्न निदेश दिए हैं; और

(छ) यदि हां, तो ऐसे निदेशों के क्या परिणाम निकले हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज) : (क) और (ख) सभी उच्च न्यायालय लंबित मामलों का कम्प्यूटरीकृत अभिलेख रख रहे हैं और इन आंकड़ों को वाद सूचियां तैयार करने, निर्णय और आदेश तैयार करने, केवियटों का मिलान करने, सूचना तैयार करने और साथ ही वादकारी जनता को इंटरनेट पर सूचना प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाता है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) और (ङ) मामलों के लंबित रहने का संबंध न्यायपालिका के सारवान कार्यकरण से है। तथापि, केन्द्रीय सरकार मामलों के संस्थन निपटान और लंबित मामलों की संख्या के संबंध में, आवधिक रूप से उच्च न्यायालयों से त्रैमासिक रिपोर्टें और अधीनस्थ न्यायालयों से छः माही रिपोर्टें प्राप्त कर रही है।

(च) और (छ) सरकार और न्यायपालिका दोनों ही लंबित मामलों के प्रति चिंतित हैं। इस संबंध में अनेक उपाय किए गए हैं। केन्द्रीय सरकार ने न्यायपालिका प्रक्रियाओं के त्वरित और दक्षतापूर्ण प्रबंधन हेतु अधीनस्थ न्यायपालिका के कम्प्यूटरीकरण के लिए 384.53 करोड़ रुपए का आबंटन मंजूर किया है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने 1562 त्वरित निपटान न्यायालयों की कार्यावधि को, 100% केन्द्रीय वित्तपोषण के रूप में 509 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ पांच वर्ष की अवधि के लिए अर्थात्, 31.03.2010 तक बढ़ाया है।

शेयर बाजार में ट्रेडिंग प्रणाली

7322. श्री गणेश सिंह :

श्री वडिग्ग रामकृष्णा :

श्री विकास चौधरी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) में अपनायी जाने वाली विभिन्न ट्रेडिंग प्रणालियां/पद्धतियां कौन–कौन सी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी प्रणालीवार ब्यौरा क्या है और प्रत्येक ट्रेडिंग प्रणाली में एक्सचेंजवार क्या अंतर है;

(ग) क्या जनवरी और अप्रैल, 2005 के बीच विशेषकर अनेक स्क्रिप्स के मूल्यों में उतार–चढ़ाव के समय ट्रेडिंग में गिरावट आई;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त विफलता के कारण निवेशकों को एक्सचेंजवार कितना घाटा हुआ है;

(ङ) इस संबंध में उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम): (क) एनएसई द्वारा व्यवस्था की गई कारोबार प्रणाली नेशनल एक्सचेंज फॉर ऑटोमेटेड ट्रेडिंग (एनईएटी) है तथा बीएसई की कारोबार प्रणाली बीएसई ऑनलाइन ट्रेडिंग प्रणाली (बोल्ट) है।

(ख) कारोबार प्रणाली में कोई अंतर नहीं है, चाहें वह एनएसई की कारोबार प्रणाली एनईएटी हो अथवा बीएसई की बीओएलटी।

(ग) सेबी ने यह सूचित किया है कि लीज्ड़ लाइनों/ एमएलडीएन लाइनों के कुछ समूहों में जनवरी तथा फरवरी 2005 तथा 17.03.2005 को खराबी देखने में आई।

(घ) एमटीएनएल/बीएसएनएल प्राधिकारियों द्वारा खराबियों की रिपोर्ट स्थानीय टैलीफोन एक्सचेंज में प्रणाली की खराबी, विभिन्न मैट्रो शहरों के बीच ट्रंक मार्ग सम्बद्धता की क्षति, आदि सहित विभिन्न कारणों के फलस्वरूप निम्नांकित रूप में की गई:–

* अहमदाबाद क्षेत्र में 15.01.2005 को सम्बद्धता समस्याएं थीं।
* कोलकाता क्षेत्र में 14.02.2005 को सम्बद्धता समस्याएं थीं।
* दिल्ली क्षेत्र में 24.02.2005 को सम्बद्धता समस्याएं थीं।
* दिल्ली क्षेत्र में 17.3.2005 को सम्बद्धता समस्याएं थीं।

16.03.2005 को कोई भी सम्बद्धता समस्या एनएसई की जानकारी में नहीं आई है।

सेबी ने कहा कि एनएसई ने यह सूचित किया है कि कारोबार सुविधा में अल्पकालिक रूकावट से निवेशकों को कोई क्षति नहीं हुई है।

(ङ) से (छ) ऊपर भाग (ग) के उत्तर के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

वस्त्र की गुणवत्ता सुधारने हेतु समिति

7323. डा. चिन्ता मोहन :
श्री नीतीश कुमार :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वस्त्र समिति, जो वस्त्र और वस्त्र मशीनरी की गुणवत्ता सुधारने और इसके घरेलू उपयोग तथा निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए गठित की गई थी, ने उपकर भी लगाने की सिफारिश की थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त उपकर किस तिथि से लगाया गया था और उसकी दर क्या है तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान उपकर के रूप में कुल कितनी राशि प्रभारित की गई;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान उक्त राशि में से कितनी राशि किस शीर्ष पर व्यय की गई थी; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान उक्त समिति का औसत वार्षिक बजट कितना है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) और (ख) जी, हां। वस्त्र समिति की स्थापना वस्त्र और वस्त्र मशीनरी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा इनसे संबंधित मामलों के लिए 1963 में की गई थी। यह समिति हथकरघा और विद्युतकरघा उद्योग द्वारा विनिर्मित वस्त्रों को छोड़कर भारत में विनिर्मित वस्त्र और सभी वस्त्र मशीनों पर उपकर वसूलती है। वस्त्र समिति उपकर 01 अप्रैल, 1975 से भारत में विनिर्मित वस्त्र और सभी वस्त्र मशीनों पर यथा मूल्य 0.025% की दर से लगाया गया था। उपकर की दर 01 जून, 1977 से यथामूल्य 0.025% से बदलकर 0.050% कर दी गयी थीं। पिछले तीन वर्षों के दौरान समिति द्वारा उपकर के रूप में वसूली गई कुल राशि 13029.45 लाख रु. है।

(ग) वस्त्र समिति द्वारा वसूले गए उपकर से होनेवाली आय को वस्त्र समिति अधिनियम, 1963 की धारा 5 च के अनुसार भारत की समेकित निधि में जमा किया जाता है। बदले में, भारत सरकार वस्त्र समिति को विनियोजन के रूप में वार्षिक गैर–योजनागत अनुदान देती हैं। यह समिति इस अनुदान का उपयोग प्रमुख क्रियाकलापों पर करती है जैसे (1) करघा मूल; देशी मूल और अपैरलों के वर्गीकरण के संबंध में गुणवत्ता जांच, प्रमाणन के रूप में निर्यातकों को सहायता; (2) संपूर्ण भारत में 17 प्रयोशालाओं के माध्यम से वस्त्रों, रसायनों, रंजनों और बहिस्त्रावों का परीक्षण; (3) आईएसओ 9000 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (क्यूएमएस), आईएसओ 14000 पर्यावरणात्मक प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस) और सामाजिक जिम्मेदारी (एसए) 8000 मानकों के कार्यान्वयन के संबंध में परामर्श, (4) परीक्षण, गुणवत्ता जांच और मूल्यांकन के संबंध में उद्योग कार्मिकों को प्रशिक्षण; (5) उद्योग विशिष्ट अनुसंधान व विकास अध्ययन/सर्वेक्षण/परियोजनाएं आदि (अर्थात प्रसंस्करण सर्वेक्षण, जिनिंग सर्वेक्षण, हस्त प्रसंस्करण सर्वेक्षण, उपभोक्ता पैनल के लिए डाटा संग्रह, उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम आदि); और (6) घरेलू तथा अन्य क्षेत्रों में वस्त्रों की खपत संबंधी सर्वेक्षण। पिछले तीन वर्षों के दौरान समिति द्वारा खर्च की गई कुल राशि 8110.81 लाख रु. है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान समिति का औसत वार्षिक स्वीकृत बजट 4142.71 लाख रु. है।

[अनुवाद]

वस्त्र निर्यात

7324. श्री रायापति सांबासिवा राव :

श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वजन के आधार पर वस्त्र और सिले–सिलाए वस्त्रों के लिए शुल्क प्रति अदायगी प्रदान करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्यातकों से यह शिकायतें प्राप्त होने पर कि नई प्रणाली के परिणामस्वरूप प्रति अदायगी में तेजी से कमी आई है जिससे भारत में प्रतिस्पर्धा की धार कुंद हो गई है; इसकी जांच के लिए उच्चस्तरीय समिति गठित की गई है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है; और

(घ) यह वस्त्र निर्यातकों के लिए किस हद तक मददगार साबित होगा?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) से (घ) वित्त मंत्रालय ने शुल्क वापसी की समग्र उद्योग दर (2005–06) निर्धारित करने के लिए एक समिति गठित की थी। इस समिति ने विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और भागीदारों के साथ विस्तृत परामर्श किए और 20.4.2005 को अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की। अखिल भारतीय शुल्क वापसी दरें निर्धारित करने का आधार दिनांक 02.05.2004 की अधिसूचना संख्या 36/2005–सीयूएस (एनटी) द्वारा घोषित किए गए अनुसार पूर्व की मूल्य आधारित प्रणाली के अनुरूप रखा गया है। मूल्य आधारित अखिल भारतीय समग्र उद्योग शुल्क वापसी दरों का दोहरा लाभ है क्योंकि पहला तो यह निर्यातकों के अनुकूल है और दूसरा इससे मूल्य वर्द्धित मदों का निर्यात प्रोत्साहित करने का नीतिगत उद्देश्य पूरा होगा।

महाराष्ट्र के लिए विशेषज्ञ
अवसंरचनात्मक समायोजन

7325. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने विश्व बैंक सहायता के लिए महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव को हाल ही में भेजा है और राज्य सरकार को सूचित किया है कि राज्य विशेष अवसंरचनात्मक समायोजन ऋण पाने के योग्य नहीं था;

(ख) यदि हां, तो कितना ऋण मांगा गया और ऋण का उद्देश्य क्या है एवं ऋण के अनुरोध को किस आधार पर ठुकरा दिया गया; और

(ग) इस पर राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) जी, हां। महाराष्ट्र सरकार ने वित्तीय क्षेत्र से संबंधित सुधारों के कार्यान्वयन के लिए विश्व बैंक से 750 मिलियन अमरीकी डालर (लगभग 3750 करोड़ रुपए) की सहायता मांगी थी। लेकिन इस ऋण की संस्तुति नहीं की गई क्योंकि राज्य पर अभी राजकोषीय दबाव है तथा पिछले पांच वर्षों में राजस्व प्राप्ति अनुपात की तुलना में इसका कुल राजस्व घाटा और भी अधिक बढ़ गया है।

(ग) इस संबंध में, राज्य सरकार से और कोई पत्राचार नहीं हुआ है।

मूल्य वर्धित कर

7326. श्री बालासाहिब विखे पाटील : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई.सी.ए.आई. ने कहा है कि उपभोक्ताओं से संग्रहित मूल्यवर्धित कर को बिक्री के रूप में नहीं दिखाया जाना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) आई.सी.ए.आई. ने यह सिफारिश की है कि उपभोक्ताओं से एकत्र वैट की राशि को आय के रूप में नहीं माना जाना चाहिए और उसे उपयुक्त खाते में जमा किया जाना चाहिए।

(ग) चूंकि वैट से आशय राज्यों के बिक्री कर को प्रतिस्थापित करने वाले कर से है, अतः यह राज्य का विषय है। इसलिए इस मामले पर राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति/राज्य सरकारों द्वारा विचार किया जाना है।

बुनकरों की दुर्दशा

7327. श्री जी. करुणाकर रेड्डी : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बिचौलियों द्वारा बुनकरों के शोषण के कारण उनकी दुर्दशा की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा बिचौलियों की गतिविधियों पर रोक लगाने तथा बुनकरों को बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यह कदम कितने सफल रहे?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) और (ख) सरकार को बिचौलियों द्वारा शोषण के कारण हथकरघा बुनकरों की दुर्दशा के बारे में किसी राज्य सरकार से कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग का मनमाना रवैया

7328. श्रीमती मनोरमा माधवराज :

श्री बालासाहिब विखे पाटील :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग, शुल्क एकत्र करने के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जोर जबर्दस्ती कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि उत्पाद शुल्क विभाग अपने अधिकारों का दुरूपयोग न करे, सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व संग्रहण को बढ़ावा देने के लिए कोई जोर–जबर्दस्ती वाले तरीके नही अपनाये गये।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

चीनी पर सीमा शुल्क

7329. श्री मुंशी राम : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपरिष्कृत चीनी के आयात तथा निर्यात की वर्तमान शर्तों को हटाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) 2003–04 से अब तक बिना किसी शुल्क के कितने टन अपरिष्कृत चीनी आयात की गई है;

(घ) चीनी तथा अपरिष्कृत चीनी पर वर्तमान में कितने प्रतिशत सीमा शुल्क लगाया गया है;

(ङ) क्या चीनी उद्योग ने 7.5 प्रतिशत सीमा शुल्क लगाने की मांग की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग के अधिकार-क्षेत्र के बाहर बैंक अधिकारी

7330. डा. चिन्ता मोहन :

श्री नीतीश कुमार :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों में कतिपय श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले अधिकारियों को केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त श्रेणियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त श्रेणियों के अधिकारियों द्वारा की जाने वाली अनियमितताओं को रोकने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं या किए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों में स्केल–V और इससे ऊपर के स्तर के अधिकारियों के सतर्कता मामले सलाह के लिए केन्द्रीय

सतर्कता आयोग (सीवीसी) को भेजे जाते हैं। बैंकिंग उद्योग में विशेषतः बदलते हुए परिदृश्य के परिणामस्वरूप आयोग को सुलाह हेतु भेजे जा रहे मामलों की बड़ी संख्या को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय सीवीसी द्वारा लिया गया है। सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों में भ्रष्टाचार, धोखाधड़ियों आदि के विरुद्ध ठोस कार्रवाई करने के लिए सतर्कता संगठन होते हैं और इन संगठनों का नेतृत्व संबंधित बैंक के बाहर से नियुक्त मुख्य सतर्कता अधिकारियों (सीवीओ) द्वारा किया जाता है। सीवीसी अपने क्षेत्राधिकार से बाहर के अधिकारियों के संदर्भ में मामलों की निगरानी मुख्य सतर्कता अधिकारियों की मासिक/वार्षिक रिपोर्टों के जरिए करते हैं। सीवीसी ने समग्र सतर्कता प्रशासन की निगरानी के लिए, जहां कहीं आवश्यक हो, विशिष्ट संगठनों की सतर्कता लेखा परीक्षा भी शुरू कर दी है।

[अनुवाद]

वस्त्र मिलों का आधुनिकीकरण

7331. श्री जसुभाई दानाभाई बारड़ : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विशेषकर गुजरात में वस्त्र मिलों के आधुनिकीकरण के लिए हाल ही में किसी पैकेज की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो इसके अंतर्गत विशेषकर गुजरात में अब तक प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रकार की मिलों के लिए कोई विदेशी सहायता प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कितनी धनराशि प्राप्त की गई और प्रयुक्त की गई; और

(ङ) देश में वस्त्र मिलों के आधुनिकीकरण तथा उन्नयन के लिए तैयार की गई अथवा तैयार की जाने वाली कार्ययोजना का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

रत्न भण्डार

7332. श्री ब्रजेश पाठक : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उपलब्ध रत्नों का स्थानावार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में इन रत्न भण्डारों के निष्कर्षण और दोहन हेतु कोई विशिष्ट योजना क्रियान्वित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) देश के इन भण्डारों में कितनी मात्रा में रत्न उपलब्ध हैं तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक इन भण्डारों से राज्यवार कितनी मात्रा में रत्नों का निष्कर्षण किया गया; और

(ङ) निष्कर्षित रत्नों का मूल्य कितना है तथा इनमें से कितनी मात्रा में रत्नों का प्रयोग स्थानीय बाजारों में किया गया है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव) : (क) खान मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक अधीनस्थ कार्यालय भारतीय खान ब्यूरो द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय खनिज सूची (एन.एम.आई.) के अनुसार देश में पाए जाने वाले रत्नों का स्थानवार ब्यौरा निम्नानुसार है:–

रत्न	स्थान
1	2
कोरंडम	आंध्र प्रदेश में अनन्तपुर, खम्माम। कर्नाटक में बंगलौर, बेल्लारी, चित्रदुर्ग, कुर्ग, गुलबर्गा, हास्सन, मान्डया, मैसूर, टुमकुर, रायचूर। छत्तीसगढ़ में दांतेवाडा। केरल में कन्नूर। मध्य प्रदेश में सिधी। महाराष्ट्र में भण्डारा। मेघालय में खासी हिल्स वेस्ट। राजस्थान में टोंक।
हीरा	आंध्र प्रदेश में अनन्तपुर, गुन्टूर, कृष्णा, कड्डापाह, कुरनूल, महबूबनगर, नेल्लोर, प्रकासम। मध्य प्रदेश में पन्ना। छत्तीसगढ़ में रायपुर, बस्तर। महाराष्ट्र में गढ़चिरौली।

1	2
रत्न	स्थान
	उड़ीसा में सम्बलपुर।
	उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर।
नीलम	आंध्र प्रदेश में गोदावरी वेस्ट।
	जम्मू और कश्मीर में डोडा।
	कर्नाटक में हास्सन।
	केरल में तिरूअनन्तपुरम।
	तमिलनाडु में करूर।
एमरल्ड	राजस्थान में अजमेर, राजस्मन्द, उदयपुर।
	तमिलनाडु में कोयम्बटूर।
रूबी	कर्नाटक में बेल्लारी, चिकमंगलूर, टुमकुर।
	उड़ीसा में कालाहांडी, रायगढ़ा।
	तमिलनाडु में तिरूचिरापल्ली।

(ख) और (ग) सभी गैर–ईंधन और गैर–परमाणु खनिजों के गवेषण और विदोहन को निजी निवेश के लिए खोल दिया गया है जिसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) भी शामिल है। सरकार खनन क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने के लिए निवेशक–अनुकूल माहौल बनाने और ऐसे निवेश को आकृष्ट करने के लिए अवरोधों को हटाने जैसे सभी संभव प्रयास कर रही है।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय खनिज सूची (एन.एम.आई.) के अनुसार, देश में हीरे के 4580336 कैरेट, कोरंडम के 32932 टन और गारनेट के 51736155 टन कुल संसाधन होने का अनुमान लगाया गया है। रूबी के 469 कि.ग्रा. संसाधन (सभी उड़ीसा में) और नीलम के 450 कि.ग्रा. संसाधन (सभी जम्मू और कश्मीर में) होने का अनुमान है। विगत तीन वर्षों यानी 2001–02, 2002–03 और 2004–04 के दौरान इन रत्नों का राज्यवार उत्पादन और मूल्य निम्नवत है–

(मूल्य हजार रु. में)

खनिज/राज्य	इकाई	2001–02		2002–03		2003–04 (पी)	
		उत्पादन	मूल्य	उत्पादन	मूल्य	उत्पादन	मूल्य
हीरा							
मध्य प्रदेश	कैरेट	81436	396047	84407	396307	71259	318106
गारनेट							
राजस्थान	कि.ग्रा.	676	158	908	214	545	128
कोरंडम							
आंध्र प्रदेश	कि.ग्रा	1	4	1	4	–	–
महाराष्ट्र		300	1	7600	17	79430	197
अगेट							
गुजरात	टन	53	53	96	96	55	55

नोट – (पी) = अनंतिम

[अनुवाद]

आयकर संबंधी उत्पीड़न

7333. श्रीमती मनोरमा माधवराज : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि डी.ई.पी.बी. पर कर और आई.टी. अधिनियम की धारा 80–एच.एच.सी. के अंतर्गत नकारात्मक लाभ के मामले में आयकर अधिकारियों के उत्पीड़न के कारण लघु और मझौली निर्यात इकाइयां बंद होने के कगार पर हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विशेषकर धारा 80–एच.एच.सी. को लागू करने पर निर्यातक समुदाय की शिकायतों को दूर करने के लिए कौन–कौन से सुधारात्मक कदम उठाए गये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, नहीं। निर्यातकों से प्राप्त अनेक अभ्यावेदनों से यह प्रतीत होता है कि वे आयकर अधिनियम के अंतर्गत उनके द्वारा प्राप्त किये गए निर्यात प्रोत्साहनों की पुनः संगणना के बारे में चिंतित है। ये मामले आयकर अधिनियम के कतिपय उपबंधों की व्याख्या से संबंधित हैं।

(ख) इस मामले को प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के पास भेजा गया है। परिषद की रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही आगे की कोई कार्रवाई की जाएगी।

[हिन्दी]

अधिशेष विद्युत

7334. डा. चिन्ता मोहन :

श्री नीतीश कुमार :

श्री विक्रमनाई अर्जनभाई माडम :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर क्षेत्रीय स्तर पर अधिशेष विद्युत उपलब्ध है जिसका आम उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग किया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अधिशेष विद्युत की मात्रा कितनी है;

(ग) वर्तमान में उक्त अधिशेष विद्युत की मात्र कितनी है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान सामान्य उपभोक्ताओं द्वारा वार्षिक औसत विद्युत उपयोग कितना है; और

(ङ) ऐसी विद्युत की अनुमानित मात्रा कितनी थी जिसका उपयोग नहीं किया जा सका तथा यह किस क्षेत्र में उपलब्ध थी और अलग-अलग रूप से इसकी मात्रा कितनी थी?

विद्युत मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) से (ग) पूर्वी क्षेत्र में सतत् आधार पर अधिशेष विद्युत उपलब्ध है। इसके अलावा, दिन-प्रतिदिन के आधार पर होने वाले मौसम संबंधी अधिशेष तथा प्रचालनगत अधिशेष भी हैं, जिन्हें प्रणाली शर्तों, पारेषण कॉरिडार की उपलब्धता, वाणिज्यिक करार आदि पर निर्भर करते हुए अन्य क्षेत्रों में आवश्यकता वाले राज्यों को निर्यात किया जाता है। वर्तमान में, 817 मेगावाट विद्युत अस्थायी आधार पर पूर्वी क्षेत्र से पश्चिमी, दक्षिणी और उत्तरी क्षेत्रों को आबंटित की गई है। इसके अतिरिक्त, क्षेत्र में राज्यों के पास अधिशेष विद्युत को द्विपक्षीय करारों के अंतर्गत विद्युत व्यवसाय कम्पनियों के माध्यम से भी अन्य क्षेत्रों को निर्यात किया जा रहा है।

(घ) 2001-02, 2002-03 और 2003-04 के दौरान देश में विद्युत का वार्षिक प्रति व्यक्ति उपभोग क्रमशः 559.2 के. डब्ल्यू. एच., 566.7 के. डब्ल्यू. एच. और 592.0 के. डब्ल्यू. एच. था।

(ङ) पूर्वी क्षेत्र में सतत् आधार पर उपलब्ध अधिशेष विद्युत को पहले से ही अन्य क्षेत्रों के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आबंटित कर दिया गया है। राज्यों में उपलब्ध प्रचालनगत अधिशेष विद्युत की अपनी स्वयं की मांग को पूरा करने के पश्चात् द्विपक्षीय व्यवस्थाओं के अंतर्गत अन्य राज्यों को इन राज्यों के द्वारा आपूर्ति कर दी जाती है।

[अनुवाद]

खानों के आधुनिकीकरण हेतु धनराशि

7335. श्री जी. करुणाकर रेड्डी : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए सरकारी संयुक्त क्षेत्र में खानों के आधुनिकीकरण हेतु कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ख) वर्ष 2003-04 के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि प्रदान की गई और वर्ष 2004-05 के दौरान कितनी धनराशि प्रदान किए जाने का विचार है;

(ग) क्या इन खानों के आधुनिकीकरण हेतु कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस कार्रवाई से कुल कितना लाभ प्राप्त होने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव) : (क) खान मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा संयुक्त क्षेत्र की कंपनियों की खानों के आधुनिकीकरण के लिए दसवीं पंचवर्षीय योजना में कोई प्रावधान नियत नहीं किया गया है। तथापि, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम तथा संयुक्त क्षेत्र की कंपनियाँ अपनी खानों के विस्तार और विकास पर अपने संसाधनों से व्यय करती रहती है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, संयुक्त क्षेत्र की एक कंपनी है और इसने 2002-03 से 2006-07 की अवधि के दौरान अपनी खानों के आधुनिकीकरण के लिए 297.00 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया है।

(ख) हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने आधुनिकीकरण पर 2003-2004 और 2004-2005 में क्रमशः 20.00 करोड़ रुपये तथा 208 करोड़ रुपये व्यय किये हैं।

(ग) और (घ) हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने जावर समूह और राजपुरा दरीबा की अपनी दोनों खानों के आधुनिकीकरण के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया है। इस आधुनिकीकरण में उच्चतर क्षमता के हॉलेज उपकरण, ऊर्जा दक्ष कम्प्रेसरों की स्थापना करना, फील्ड इन्स्ट्रूमेन्टेशन के माध्यम से सान्द्रकों (कन्सन्ट्रेटर्स) में स्वचालन (आटोमेशन) और एडवांस प्रोसेस कन्ट्रोल प्रणाली की स्थापना आदि शामिल है। उच्चतर क्षमता के आधुनिक उपकरण/मशीनरी की स्थापना करने से उपकरण की उत्पादकता में सुधार होगा। आधुनिकीकरण कार्यक्रम में जावर में बरोई सीसा–जस्ता खान को पुनः खोलना, राजपुरा दरीबा में सिन्दसेर खुर्द सीसा–जस्ता खान को प्रचालनरत बनाना भी शामिल है। इन सभी कार्यकलापों के वर्ष 2006 के अन्त तक पूरे हो जाने की प्रत्याशा है।

(ङ) उपर्युक्त आधुनिकीकरण कार्यक्रम से प्राप्त होने वाले लाभ निम्नानुसार हैं:–

क्रम संख्या	लाभ	2002–03 (वास्तविक)	2005–06 (अनुमानित)
1.	सीसा–जस्ता अयस्क उत्पादन	3.1 मिलियन टन	4.7 मिलियन टन
2.	जस्ता–सान्द्र (धातु की मात्रा)	262118 एम टी	430,000 एम टी
3.	सीसा–सान्द्र (धातु की मात्रा)	37917 एम टी	61,000 एमटी
4.	जस्ता प्राप्ति	88.64%	91.12%

राष्ट्रीय जूट बोर्ड

7336. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :

श्री रवि प्रकाश वर्मा :

श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जूट उद्योग और व्यापार के विनियमन तथा विकास के लिए राष्ट्रीय जूट बोर्ड का गठन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे बोर्ड के गठन के क्या उद्देश्य हैं; और

(घ) सरकार द्वारा जूट को एक स्वदेशी पर्यावरण हितैषी उत्पाद के रूप में प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) से (ग) जी, हां। सरकार के विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों के तहत कई पटसन संबंधी संगठनों में समन्वय की कमी की प्रणालीगत बुराइयों को दूर करने के लिए और समग्र रूप से पटसन क्षेत्र का एकीकृत विकास समकालिक एवं सहक्रियाशील बनाने के लिए एक राष्ट्रीय पटसन बोर्ड स्थापित किया जाएगा। यह संघीय ढांचे में सरकारी निर्णय लिए जाने के विभिन्न स्तरों को एक साथ करने के लिए आवश्यक है। यह निकाय इस समय पटसन क्षेत्र में कार्य कर रही विभिन्न संस्थाओं के कार्यों का सन्निवेशन, समामेलन और एकीकरण करेगा।

(घ) पटसन विनिर्माण विकास परिषद (जेएमडीसी) और राष्ट्रीय पटसन विविधीकरण केंद्र (एनसीजेडी) बाजार संवर्धन योजनाएं चलाते हैं और पटसन की पर्यावरणीय अनुकूलता के संबंध में उपभोक्ता–जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्यक्रम करते हैं।

कॉरपोरेट क्षेत्र पर नए कर लगाना

7337. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिक्की ने यह सुझाव दिया है कि कॉरपोरेट क्षेत्र पर लगाए गए फ्रिंज बेनिफिट कर जैसे नए करों में कम होती बचतों और निवेशों पर काफी बुरा प्रभाव पड़ेगा;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या फिक्की ने केन्द्र सरकार को निजी कॉरपोरेट क्षेत्र में ऋण और निवेश के विकास–दर को अवरूद्ध करने वाले प्रस्ताव पर विचार करने का सुझाव दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) अनुषंगी लाभ कर पर फिक्की सहित विभिन्न संगठनों से अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। सभी अभ्यावेदनों पर विचार करने के उपरांत सरकार ने वित्त विधेयक, 2005 में संशोधन प्रस्तुत किए हैं जिन्हें संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

अपराह्न 12.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ –

(1) जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा (3) की उपधारा (4) के अंतर्गत फूकन आयोग के आंशिक प्रतिवेदन की एक प्रति तथा "न्यायमूर्ति एस. एन. फूकन आयोग के बारे में संलग्न टिप्पण" (केवल अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 2283/2005]

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : महोदय, मैं श्री राम विलास पासवान की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, गुडगांव के वर्ष 2001–2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, गुडगांव का वर्ष 2001–2002 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल. टी. 2284/2005]

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : महोदय, मैं जूट विनिर्मित विकास परिषद अधिनियम, 1983 की धारा 3 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 3(अ) जो 3 जनवरी, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो 10 दिसम्बर, 2004 से दो वर्ष की अवधि के लिए उसमें उल्लिखित अध्यक्ष और सदस्यों से मिलकर बनने वाली जूट विनिर्मित विकास परिषद के गठन के बारे में हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं –

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल. टी. 2285/2005]

विद्युत मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : महोदय, मैं त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम (ए.पी.डी.आर.पी.) के बारे में श्री रायापति सांबासिवा राव, संसद सदस्य के अतारांकित प्रश्न संख्या 5310 के 29.4.2005 को दिये गए उत्तर में शुद्धि करने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं–

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल. टी. 2286/2005]

जल संसाधन मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : महोदय, मैं वाटर एण्ड पावर कंसल्टेन्सी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड तथा जल संसाधन मंत्रालय के बीच वर्ष 2005-2006 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल. टी. 2287/2005]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : महोदय, मैं श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) (एक) राष्ट्रीय आयुर्वेद अकादमी (राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ), नई दिल्ली के वर्ष 2003–2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय आयुर्वेद अकादमी (राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ), नई दिल्ली के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल. टी. 2288/2005]

(3) (एक) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर के वर्ष 2003–2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 2289/2005]

(5) (एक) केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2003–2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2003–2004 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 2290/2005]

(7) राष्ट्रीय आरोग्य निधि (पूर्व में राष्ट्रीय रूग्णता सहायता निधि के नाम से ज्ञात), नई दिल्ली के वर्ष 1996–1997, 1997–1998 और 1998–1999 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 2291/2005]

(9) राष्ट्रीय आरोग्य निधि (पूर्व में राष्ट्रीय रुग्णता सहायता निधि के नाम से ज्ञात), नई दिल्ली के वर्ष 1999–2000 और 2000–2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले (दो) विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 2292/2005]

(11) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2002–2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2002–2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 2293/2005]

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राज मार्ग मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : महोदय, मैं श्री के. एच. मुनियप्पा की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं –

(1) (एक) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2003–2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 2294/2005]

अध्यक्ष महोदय : श्री कांति लाल भूरिया। उपस्थित नहीं है। कोई सूचना तो देनी चाहिए थी। यह कोई तरीका नहीं है। अगले सत्र से मैं कड़ाई बरतूंगा।

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : महोदय, मैं श्री कांतिलाल भूरिया की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) (एक) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2003–2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2003–2004 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (कर्मचारी भविष्य निधि), नई दिल्ली के वर्ष 2003–2004 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(चार) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 2295/2005]

(3) कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(क) (एक) मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड, भोपाल के वर्ष 2001–2002 के कार्य–करण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड, भोपाल का वर्ष 2001–2002 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 2296/2005]

(ख) (एक) उड़ीसा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, भुवनेश्वर के वर्ष 1998–1999 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) उड़ीसा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, भुवनेश्वर का वर्ष 1998–1999 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 2297/2005]

(ग) (एक) आंध्र प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2002–2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आंध्र प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2002–2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 2298/2005]

[हिन्दी]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : अध्यक्ष जी, श्री मो. अली अशरफ फातमी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:–

(1) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985 की धारा 40 की उपधारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या आईजी/एडमिन. (जी)/एसटी. 1/2003/03 जो 29 जनवरी, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें कुलपति से संबंधित परिनियम 1 (6) में संशोधन दिए हुए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल. टी. 2299/2005]

(2) (एक) उत्तरांचल सभी के लिए शिक्षा परिषद् (जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम–III), देहरादून के वर्ष 2001–2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) उत्तरांचल सभी के लिए शिक्षा परिषद् (जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम–III), देहरादून के वर्ष

2001–2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल. टी. 2300/2005]

(4) (एक) उत्तरांचल सभी के लिए शिक्षा परिषद् (जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम–III), देहरादून के वर्ष 2002–2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) उत्तरांचल सभी के लिए शिक्षा परिषद् (जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम–III), देहरादून के वर्ष 2002–2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल. टी. 2301/2005]

(6) (एक) उत्तरांचल सभी के लिए शिक्षा परिषद् (जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम–III), देहरादून के वर्ष 2003–2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) उत्तरांचल सभी के लिए शिक्षा परिषद् (जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम–III), देहरादून के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल. टी. 2302/2005]

(8) (एक) उत्तरांचल सभी के लिए शिक्षा परिषद् (सर्व शिक्षा अभियान), देहरादून के वर्ष 2001–2002 और 2002–2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) उत्तरांचल सभी के लिए शिक्षा परिषद् (सर्व शिक्षा अभियान), देहरादून के वर्ष 2001–2002 और 2002–2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल. टी. 2303/2005]

(10) (एक) उत्तरांचल सभी के लिए शिक्षा परिषद् (सर्व शिक्षा अभियान), देहरादून के वर्ष 2003–2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) उत्तरांचल सभी के लिए शिक्षा परिषद् (सर्व शिक्षा अभियान), देहरादून के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल. टी. 2304/2005]

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :–

(1) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45 की उपधारा (11) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का.आ. 844(अ) जो 24 जुलाई, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो ग्लोबल ट्रस्ट बैंक लिमिटेड के ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के साथ सम्मेलन की स्कीम के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल. टी. 2305/2005]

(2) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 की उपधारा (4) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 262(अ) जो

2 मई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 6 जुलाई, 2000 की अधिसूचना संख्या 3/2000–सेवा कर में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल. टी. 2306/2005]

(3) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) सा.का.नि. 248 (अ) जो 27 अप्रैल, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित नायनोल टायर कोर्ड फैब्रिक्स पर अंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 266 (अ) जो 2 मई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय टैपियोका स्टार्च के आयात पर 3 वर्ष की अवधि के लिए रक्षोपाय शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 2307/2005]

(4) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 10 के अंतर्गत कम्प्यूटर अतिरिक्त शुल्क (संशोधन) नियम, 2005 जो 2 मई, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 264 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 2308/2005]

(5) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) सा.का.नि. 263 (अ) जो 2 मई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002–सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 265 (अ) जो 2 मई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सेल्यूलर फोन सहित मोबाइल हैंडसेटों के पुर्जों, संघटकों, उपस्काधनों को उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण अतिरिक्त सीमा शुल्क से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 2309/2005]

(6) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) सा.का.नि. 257 (अ) जो 2 मई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 24 फरवरी, 2005 की अधिसूचना संख्या 3/2005–के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 258 (अ) जो 2 मई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 6/2002–के. उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 259 (अ) जो 2 मई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जिनके द्वारा 9 जुलाई, 2004 की अधिसूचना संख्या 29/2004 – के. उ. शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 260 (अ) जो 2 मई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2005 की अधिसूचना संख्या 4/2005 के. उ. शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सेनवैट क्रेडिट (पांचवा संशोधन) नियम, 2005 जो 2 मई, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 261 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 2310/2005]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के. एस. इलंगोवन) : महोदय, मैं एमएमटीसी लिमिटेड तथा वाणिज्य

विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 2005–2006 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल. टी. 2311/2005]

[हिन्दी]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : अध्यक्ष जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूँ :–

(1) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक को–ऑपरेशन एण्ड चाइल्ड डेवलपमेंट नई दिल्ली के वर्ष 2003–2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक को–ऑपरेशन एण्ड चाइल्ड डेवलपमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए, विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल. टी. 2312/2005]

[अनुवाद]

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : महोदय, मैं श्री नमोनारायन मीना की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:–

(1) (एक) सेन्ट्रल जू अथारिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2003–2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल जू अथारिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल. टी. 2313/2005]

(3) (एक) गोविन्द वल्लभ पंत हिमालयी पर्यावरण और विकास संस्थान, अल्मोड़ा के वर्ष 2003–2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) गोविन्द वल्लभ पंत हिमालयी पर्यावरण और विकास संस्थान, अल्मोड़ा के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 2314/2005]

अपराह्न 12.02 बजे

विधेयकों पर अनुमति

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मैं चालू सत्र के दौरान संसद की सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित विधेयक सभा पटल पर रखता हूँ चूंकि 20 अप्रैल, 2005 को सभा में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी।

(i) विनियोग (रेल) संख्याक 2, विधेयक 2005 : तथा

(ii) विनियोग (संख्याक, 2) विधेयक, 2005

अपराह्न 12.02½ बजे

गैर सरकारी सदस्यों के विधयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

कार्यवाही सारांश

[अनुवाद]

श्री चरणजीत सिंह अटवाल (फिल्लौर) : महोदय, मैं गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति की चौथे सत्र के दौरान हुई छठी से दसवीं बैठकों का कार्यवाही–सारांश (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

अपराह्न 12.03 बजे

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति

उन्नीसवां तथा बीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री एम.एम. पल्लम राजू (काकीनाडा) : महोदय, मैं सूचना और प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ:–

(1) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक का कार्यकरण के बारे में 19वां प्रतिवेदन; और

(2) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (डाक विभाग) से संबंधित डाक नेटवर्क का कार्यकरण तथा विस्तार के बारे में 20वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.04 बजे

कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति

(एक) सातवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : अध्यक्ष जी, मैं हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक, 2004 के बारे में कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के सातवें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)। सभा पटल पर रखता हूं।

(दो) साक्ष्य

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : अध्यक्ष महोदय, मैं हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक, 2004 के बारे में कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्य की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.06 बजे

याचिका का प्रस्तुतीकरण

[अनुवाद]

श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार (कालीकट) : महोदय, मैं असंगठित क्षेत्र के कामगारों की मांगों को एक समुचित कानून द्वारा पूरा किए जाने के अनुरोध से संबंधित प्रो. मधु दंडवते, सभापति–स्वागत समिति, राष्ट्रीय असंगठित क्षेत्र कामगार अभियान समिति तथा अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूँ।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल. टी. 2315/2005]

अपराह्न 12.07 बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) गृह कार्य संबंधी स्थायी के 110वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

[अनुवाद]

***जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी. आर. किन्डिया)** : महोदय, मैं वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ:–

मैं, दिनांक 1 सितम्बर, 2004 के लोकसभा बुलेटिन भाग II द्वारा माननीय लोकसभा अध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देशों के निदेश 73क के अनुसरण में उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय से सम्बन्धित गृह मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति से सम्बन्धित विभाग की 110 वीं रिपोर्ट में शामिल सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के सम्बन्ध में यह वक्तव्य दे रहा हूं।

गृह मंत्रालय की स्थायी समिति (उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय से सम्बन्धित) ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के लिये वर्ष 2004–2005 की अनुदान मांगों की जांच की और इस सम्बन्ध में 23.8.04 को उन्होंने अपनी 110 वीं रिपोर्ट लोकसभा में प्रस्तुत कर दी। समिति की प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं:

यह मंत्रालय संशोधित अनुमान स्तर (2004–2005) पर एन एल सी पी आर के अन्तर्गत बजट आबंटन में वृद्धि के लिए वित्त मंत्रालय/योजना आयोग के साथ मामला उठाये और एन ई आर के लिए विभिन्न मंत्रालयों द्वारा जी बी एस के 10 प्रतिशत व्यय में कमी के सम्बन्ध में मापदण्डों में रियायत देने के लिए योजना आयोग से चर्चा। समिति ने मंत्रालय को निदेश दिया कि यह मंत्रालय परियोजनाओं के उचित और समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए और इन परियोजनाओं के प्रभाव की समीक्षा करने के लिए एक तन्त्र विकसित करने के लिए सम्बन्धित राज्य सरकारों के साथ मामला उठाये। समिति ने मंत्रालय को स्वयंमेव नये विकास कार्यक्रम विशेष रूप से क्षेत्र में सम्पर्क सुधार के लिए कार्यक्रम आरम्भ करने की सिफारिश

*ग्रंथालय में भी रखा गया देखिए संख्या एल.टी.–2316/2005

की। समिति ने एन ई सी के रिवाईटलाईजेशन और क्षेत्र के कलाकारों/कारीगरों को अपनी योग्यता बढ़ाने के लिए तकनीकी/वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने और उनके उत्पादों के लिए अच्छे दाम प्राप्त करने में मदद करने की सिफारिश की।

समिति की सिफारिश के अनुसार मंत्रालय ने संशोधित अनुमान स्तर (2004–2005) पर 200 करोड़ रुपये के अतिरिक्त आबंटन और 2005–2006 के लिए 1020 करोड़ रुपये के आबंटन के लिए योजना आयोग/वित्त मंत्रालय के साथ मामला उठाया था। सरकार को पेश आ रही वित्तीय कठिनाईयों के कारण यह स्वीकार नहीं किया जा सका। तथापि मुझे सदन को सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए जी बी एस के 10 प्रतिशत के आबंटन के लिए सम्बन्धित मंत्रालयों के साथ लगातार कार्रवाई के फलस्वरूप उत्तर पूर्वी राज्यों पर व्यय की प्रतिशतता में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। 2001–2002 के दौरान 6.88 प्रतिशत के स्तर से 2004–2005 में यह 8.5 प्रतिशत हो गया।

राज्य सरकारों द्वारा आरम्भ की गई परियोजनाओं की निगरानी के लिए मंत्रालय के पास पहले से ही एक प्रभावी तन्त्र है। एन एल सी पी आर द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं के प्रभाव अध्ययन के लिए आई आई एम लखनऊ को लगाया गया था।

इसके अलावा मेरे मंत्रालय ने पूर्वोत्तर परिषद के रिवाइटलाईजेशन के लिए गठित समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार इसके रिवाइटलाईजेशन के लिए विभिन्न कदम उठाये हैं। मंत्री, डोनर को एन ई सी का अध्यक्ष बनाया गया है और इसमें तीन सदस्यों को नामित किया गया है। एन ई सी को क्षेत्र के लिए 15 वर्षीय परिदृश्य योजना के साथ विजन दस्तावेज 2020 तैयार करने का निदेश दिया गया है।

क्षेत्र में सम्पर्क सुधार के लिए, सड़कों के निर्माण के लिए विभिन्न परियोजनाओं के वास्ते एन एल सी पी के अन्तर्गत निधियां आबंटित करने के अलावा मंत्रालय सड़क और हवाई सम्पर्क में सुधार के लिए सम्बन्धित मंत्रालयों से अपनी परियोजनाओं को तेज करने के लिए मामला उठाता रहा है। कलाकारों/कारीगरों की योग्यता बढ़ाने के लिए और उनके उत्पादों को अच्छे दामों पर विपणन हेतु मदद के लिए मंत्रालय ने अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय व्यापार मेले और एक्सपोज प्रायोजित करके विभिन्न पहलें की हैं। यह उनके तकनीकी/प्रबन्धकीय कौशल में सुधार के लिए प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराता है।

इस प्रकार, मेरे मंत्रालय ने समिति की सिफारिशों के अनुसार विभिन्न कदम उठाये हैं और सम्बन्धित राज्य सरकारों/ मंत्रालयों के साथ और अधिक जोर से इनको जारी रखेगा।

अपराह्न 12.07¼ बजे

(दो) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन के अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

[अनुवाद]

***स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास):** महोदय, मैं निम्नलिखित वक्तव्य सभापटल पर रखता हूं।

माननीय अध्यक्ष के निदेशों (पांचवां संस्करण) के निर्देश 73–ए के अनुसरण में यह सूचित करना चाहूंगा कि विभाग से सम्बद्ध स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने 26 अगस्त, 2004 को सभा पटल पर रखे जा रहे अनुबंध–। पर दिए गए ब्यौरों के अनुसार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अनुदान मांगों (2004–05) पर तीन रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं।

इन तीनों रिपोर्टों में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट सभा पटल पर रखे जा रहे अनुबंध–।। में दिए गए ब्यौरों के अनुसार मंत्रालय से संबंधित विभाग द्वारा प्रत्येक के सामने दी गई तारीखों को प्रस्तुत की गई। की गई कार्रवाई की ये रिपोर्टें समिति द्वारा उन पर अपने विचारों के साथ 11 मार्च, 2005 को सभा पटल पर रखी गई थी;

समिति ने सभा पटल पर रखे जा रहे अनुबंध–III के अनुसार सिफारिशों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट को चार अध्यायों में बांट दिया है।

मैं यह सूचित करना चाहता हूं कि उन सिफारिशों, जिन्हें मंत्रालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, के संबंध में आगे अनुवर्ती कार्रवाई, जहां कहीं आवश्यक होगी, की जाएगी। उन सिफारिशों के संबंध में जिन पर समिति भेजे गए उत्तरों को देखते हुए कार्रवाई करने की इच्छुक नहीं है, इस मंत्रालय की ओर से आगे कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है।

मैं आगे यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि समिति की उन सिफारिशों अथवा टिप्पणियों, जिन पर या तो मंत्रालय के उत्तरों को समिति द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है अथवा मंत्रालय के अंतिम उत्तर अभी तक भेजे जाने हैं, के संबंध में कार्रवाई चल रही है।

---

* वक्तव्य सभापटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल. टी.–2317/2005

सभी तीनों विभागों की समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति सदन के पटल पर रखी जा रही है।

अपराह्न 12.07½ बजे

(तीन) कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

[अनुवाद]

*रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : महोदय, श्री सुरेश पचौरी की ओर से मैं यह वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय की 2004–2005 की अनुदान माँगों के बारे में कार्मिक, लोक शिकायत, विधि तथा न्याय पर स्थाई समिति ने अपनी प्रथम रिपोर्ट में 25 सिफारिशें की हैं। महोदय, आपकी अनुमति से, माननीय सदस्यों को समिति द्वारा की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति से अवगत कराने के क्रम में, मैं सदन के पटल पर दो विवरण प्रस्तुत करता हूँ। विवरण संख्या 1 समिति की उन सिफारिशों को दर्शाता है जिनका या तो कार्यान्वयन किया जा चुका है या जिन पर आगे कोई कार्रवाई नहीं की जानी है। विवरण संख्या 2 में वे शेष सिफारिशें दर्शाई गई हैं जो कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर हैं। समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन की प्रगति की कार्मिक मंत्रालय द्वारा ध्यानपूर्वक मानिटरिंग की जा रही है।

अपराह्न 12.07¼ बजे

(चार) विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 129वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

[हिन्दी]

**प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं–

मैं दिनांक सितम्बर 01, 2004 के लोक सभा बुलेटिन भाग–II (सं. 456) द्वारा लोक सभा के माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देश 73ए के अनुपालन में, अंतरिक्ष विभाग की अनुदानों की मांगें 2004–05 पर विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 129वें प्रतिवेदन में अंतर्निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति पर यह वक्तव्य दे रहा हूं।

संसदीय स्थायी समिति ने अगस्त 9, 2004 को अनुदानों की मांगे 2004–05 पर विचार करते हुए अंतरिक्ष विभाग के प्रतिनिधियों के साक्ष्य लिये थे। समिति ने 26 अगस्त, 2004 को राज्य सभा में प्रस्तुत तथा 26 अगस्त, 2004 को लोक सभा के पटल पर रखे अपने 129वें प्रतिवेदन में अंतरिक्ष विभाग की अनुदानों की मांगों को अनुशंसित किया।

समिति के प्रतिवेदन में चौबीस (24) सिफारिशें शामिल थीं। अंतरिक्ष विभाग द्वारा दिसम्बर, 2004 के दौरान समिति द्वारा प्रस्तुत सभी सिफारिशों पर 'की गयी कार्रवाई' का नोट प्रस्तुत किया। समिति ने विभाग द्वारा प्रस्तुत की गयी कार्रवाई के नोट पर विचार किया और मार्च, 2005 के दौरान इसे स्वीकार किया। स्थायी समिति के प्रतिवेदन में अंतर्निहित सभी सिफारिशों पर की गयी कार्रवाई/स्थिति को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

समिति ने विभाग द्वारा की गयी कार्रवाई को संतोषप्रद रूप से स्वीकृत करते हुए निम्न के संबंध में आगे के लिए कुछ सुझाव दिए: (1) एडुसैट कार्यक्रम के लिए प्रक्रिया का मॉनीटरन (2) भूलभूत प्रयोक्ताओं को संभावित पेयजल क्षेत्र को दर्शाते हुए मानचित्रों को उपलब्ध कराने के विशेष संदर्भ में सुदूर संवेदन आंकड़ों का इष्टतमी उपयोग और (3) अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसियों के साथ सहयोग को बढ़ाना और संबंधों को सुदृढ़ करना। विभाग ने इन सुझावों को नोट कर लिया है, जो कि कार्यान्वयन के लिए स्वभाविक रूप से जारी है।

अपराह्न 12.08 बजे

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

मजदूरी संदाय अधिनियम और न्यूनतम मजदूरी संदाय अधिनियम के कथित उल्लंघन से उत्पन्न स्थिति तथा देश में असंगठित श्रमिकों के लिए एक व्यापक विधान अधिनियमित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री गुरुदास दासगुप्त (पंसकुरा) : महोदय, मैं अविलम्बनीय

---

* वक्तव्य सभापटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल. टी.–2318/2005

** वक्तव्य सभापटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल. टी.–2319/2005

लोक महत्व के निम्नलिखित मामले पर श्रम और रोजगार मंत्री का ध्यान आकृष्ट करता हूं और अनुरोध करता हूं कि वह इस पर वक्तव्य दें।

"मजदूरी संदाय अधिनियम और न्यूनतम मजदूरी संदाय अधिनियम के कथित उल्लंघन से उत्पन्न स्थिति तथा देश में असंगठित श्रमिकों के लिए एक व्यापक विधान अधिनियमित किए जाने की आवश्यकता और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम"

*श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव) : राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एन एस एस ओ) द्वारा कराए गए सर्वेक्षण के अनुसार, असंगठित क्षेत्र में कुल श्रम बल का लगभग 93% श्रम बल लगा है। असंगठित क्षेत्र के कामगार वे लोग हैं जो रोजगार के नैमित्तिक स्वरूप के होने, नियोजक–कर्मचारी के बीच निश्चित संबंध का अभाव होने, अपने अधिकारों के प्रति बहुधा अनभिज्ञ होने और अशिक्षा जैसी बाधाओं की वजह से अपने सामान्य हितों को हासिल करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, बागान श्रमिक अधिनियम, 1951, बीड़ी और सिगार कामगार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966, बंधित श्रम प्रणाली (उत्सादन) अधिनियम, 1976, भवन और अन्य निर्माण कामगार (रोजगार और सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 आदि जैसे विभिन्न श्रम कानून असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से लागू हैं।

केन्द्र सरकार बीड़ी कामगारों, गैर–कोयला खान कामगारों और सिने कामगारों के लिए कुछ कल्याण योजनाएं चल रही हैं। इसके अलावा, सरकार स्वर्ण जयंती ग्राम स्व–रोजगार योजना आदि जैसे अनेक रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम भी चला रही है।

सरकार असंगठित क्षेत्र के कामगारों के कल्याण के प्रति वचनबद्ध है जैसा कि राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एन सी एम पी) में इस मुद्दे को दी गई उच्च प्राथमिकता से परिलक्षित होता है। सरकार ने राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एन ए सी) के सदस्यों और विशेषज्ञों तथा अन्य पणधारियों (स्टेक होल्डर्स) के साथ परामर्श करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। सरकार ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए उपलब्ध सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों की समीक्षा करने और ऐसे कामकारों के लिए व्यापक विधान बनाने हेतु सिफारिश करने के लिए डॉ. अर्जुन सेनगुप्ता की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया है। सरकार ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों की रोजगार एवं सेवा शर्तों को विनियमित करने और विभिन्न पणधारियों (स्टाक होल्डर्स) अर्थात् केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों, श्रमिक संघों, नियोजकों के संगठनों और गैर–सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों से परामर्श करने उन्हें सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण सुविधाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से असंगठित क्षेत्र कामगार विधेयक, 2004 प्रारूपित किया है। इस विधेयक के प्रारूप के प्रमुख प्रावधानों में, अन्य बातों के साथ–साथ, कामगारों, नियोजकों, केन्द्रीय और राज्य सरकारों के अंशदान से कल्याण निधि स्थापित करना शामिल है। स्वास्थ्य और चिकित्सा देख–रेख, रोजगार के दौरान लगने वाली चोट के लिए सुविधाओं, प्रसूति सुविधाओं, समूह बीमा, आवास और वृद्धावस्था पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ बनाए जाने का भी प्रावधान है। इस विधेयक के प्रारूप पर भारतीय श्रम सम्मेलन के 40वें सत्र के दौरान विचार–विमर्श किया जाना भी निर्धारित है। "विधेयक" को अंतिम रूप दिए जाने से पहले डॉ. अर्जुन सेनगुप्ता की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय असंगठित क्षेत्र आयोग की सिफारिशों सहित सभी पणधारियों (स्टेक होल्डर्स) के अभिमतों/दृष्टिकोणों पर विचार–विमर्श किया जाएगा।

कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 का कवरेज पात्र प्रतिष्ठानों अर्थात 6500/–रु. प्रतिमाह तक मासिक मजदूरी प्राप्त करने वाले बीस या उससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों तक बढ़ाया जाना एक सतत प्रक्रिया है। पिछले तीन वर्षों में, कवरेज को निम्नानुसार बढ़ाया गया है।

वर्ष	शामिल किए गए प्रतिष्ठानों की संख्या	नामांकित सदस्यों की संख्या (लाखों में)
2001–02	357747	274.18
2002–03	344508	394.98
2003–04	370386	400.92

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा अनुपालन न करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करके अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है। कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के प्रवर्तन हेतु कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा की गई कार्रवाई निम्नवत हैं:

* ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी.–2320/2005

[श्री के. चन्द्रशेखर राव]

वर्ष	धारा 14 के अंतर्गत दायर अभियोजन	भारतीय दंड संहिता धारा के गिरफ्तारी प्राथमिकी (एफ आई आर)	कुर्क किए गए बैंक खाते	कुर्क की गई चल/अचल सम्पतियां	चूककर्त्ताओं की 406/409 अंतर्गत दायर
2001–02	6712	570	8301	775	145
2002–03	2451	945	6390	609	144
2003–04	2426	1387	19287	1001	121

सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत कवरेज और अनुपालन की स्थिति में सुधार हेतु प्रयासरत है। सरकार अधिनियम के प्रवर्तन को और अधिक सुदृढ करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर भी विचार कर रही है।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम असंगठित क्षेत्र के उन कामगारों के हितों की रक्षा करने के लिए वर्ष 1948 में अधिनियमित किया गया था जो अशिक्षा, सौदाकारिता शक्ति और संस्थागत समर्थन की कमी की वजह से शोषण के आसानी से शिकार हो जाते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत केन्द्र और राज्य दोनों सरकारें अपने–अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अनुसूचित नियोजनों में लगे कामगारों की न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने उसकी समीक्षा करने और उससे संशोधन करने के लिए समुचित सरकारें हैं। केन्द्रीय क्षेत्र में 45 अनुसूचित नियोजन हैं जबकि राज्य में नियोजनों की संख्या लगभग 1447 है।

मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 यह सुनिश्चित करता है कि नियोजकों द्वारा मजदूरी का वितरण निर्धारित समय–सीमा के भीतर किया जाए और यह भी कि कानून द्वारा प्राधिकृत कटौतियों के अलावा नियोजकों द्वारा कोई अन्य कटौतियाँ न की जाएं। यह अधिनियम केवल उन कामगारों पर लागू है जिनकी मजदूरी 1600/– रुपये प्रतिमाह से कम है। मजदूरी की उच्चतम सीमा 6500/– रुपये तक बढ़ाकर अधिनियम में संशोधन करने के लिए प्रस्तावित विधेयक राज्य सभा द्वारा अपने पिछले शीतकालीन सत्र, 2004 के दौरान पहले ही पारित कर दिया गया है।

दोनों अधिनियमों का प्रवर्तन केन्द्रीय तथा राज्य स्तर पर सुनिश्चित किया जाता है। केन्द्रीय क्षेत्र में, यह क्रियान्वयन मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) के माध्यम से किया जाता है, जबकि राज्य स्तर पर, इसके प्रवर्तन का उत्तरदायितव संबंधित सज्य प्रवर्तन तंत्र का है। इन दोनों तंत्रों के अधिकारियों की नियुक्ति अधिनियम के कानूनी उपबंधों के अंतर्गत निरीक्षकों के रूप में की जाती है। वे नियमित रूप से निरीक्षण करते हैं और जहाँ कहीं मजदूरी का भुगतान न किए जाने अथवा कम भुगतान किए जाने के बारे में कोई मामला उनके सामने आता है, वे नियोजकों को कम मजदूरी भुगतान की भरपाई करने की सलाह देते हैं।

वर्ष 2003–04 के दौरान न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के प्रवर्तन के संबंध में केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा निम्नवत है:

	केन्द्रीय क्षेत्र	राज्य क्षेत्र
किए गए निरीक्षणों की संख्या	18,587	5,38,820
पाई गई अनियमितताओं की संख्या	2,53,141	1,98,087
ठीक की गई अनियमिताओं की संख्या	2,11,115	1,28,796
दाखिल किए गए दावों की संख्या	3,843	50,123
निपटान किए गए/निर्णीत दावों की संख्या	3,594	18,638
अभियोजित व्यक्तियों की संख्या	5,599	3,684
वसूल किए गए जुर्माने की राशि (रुपयों में)	24,95,057	53,38,338

केन्द्रीय सरकार इन अधिनियमों का कड़ाई से प्रवर्तन करने के लिए राज्य सरकारों पर सतत दबाव डालती रहती है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए सिविल सोसाइटी को भी शामिल करने का सुझाव दिया गया है। प्रस्तावित व्यापक असंगठित क्षेत्र विधेयक से उक्त नियमों के प्रर्वतन को ओर अधिक बल मिलेगा।

श्री गुरुदास दासगुप्त : महोदय, मैं माननीय मंत्री को उनके आंकड़ों सहित दिए गए लम्बे वक्तव्य के लिए धन्यवाद नहीं दे सकता। क्यों? पहले, यह नहीं कहा गया कि असंगठित श्रमिकों के लिए संसद के सामने विधेयक कब लाया जा रहा है। इन्होंने केवल यही कहा है कि यह मामले पर अर्जुन सेनगुप्ता आयोग से विचारविमर्श कर रहे हैं। माननीय मंत्री नए हैं; इन्हें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि पिछली 25 वर्षों में भारत में और संसद में क्या हुआ। कितने आयोग गठित किए गए और उनकी सिफारिशें क्या थीं? सभी अवसरों पर सरकार कोई निर्णय लेने में विफल रही। इसलिए इनके वायदे से मुझे कोई संतोष नहीं मिला।

जहां तक भविष्य निधि का प्रश्न है तो इसे अच्छी तरह तैयार किया गया है। ये यह नहीं कहते कि कितनी बड़ी चूक है? ये चूक के कुल आकार के संबंध में रहस्यमय रूप से शांत हैं और ये यह नहीं कहते कि क्या भविष्य निधि के मामले में चूक के आकार में वृद्धि हुई है अथवा कमी हुई है। न ही ये यह बताते कि उन लोगों को क्या दंड दिया गया जिन्हों चूक की अथवा कामगारों का धन खा गए।

न्यूनतम मजदूरी के उल्लंघन के लिए मुकदमें चलाने के प्रश्न पर इन्हें बहुत गर्व है कि ये इस अवधि में 1 करोड़ रुपए से भी कम वसूल कर पाए हैं। भारत जैसे देश के लिए जिसमें लगभग 10 करोड़ की कार्यशील आबादी है, इन्हें संतोष है कि चूककर्ता लोगों से वसूला गया धन लगभग 75 लाख रुपए था।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझता कि ये संतुष्ट हैं। इन्होंने केवल आंकड़े दिए हैं।

श्री गुरूदास दासगुप्त : यह संतोष का प्रश्न नहीं है। यह विशेषरूप से देश के असंगठित और संगठित श्रमिकों के संबंध में श्रम मंत्रालय और सरकारों की निरंतर विफलता का प्रश्न है।

मैं देश के सभी कामकाजी लोगों की विशाल बुनियादी समस्या और बुनियादी मानवीय पीड़ा को उठाने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं सरकार का ध्यान सर्वकालिक मानवीय समस्या की ओर आकर्षित करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं मंत्री महोदय यह पूछने के लिए खड़ा हुआ हूं कि क्या ये इस बात से सहमत होंगे कि देश में श्रम कानूनों का निरंतर उल्लंघन हुआ है। हाल के समय में विशेषत निजी क्षेत्र में मजदूर संघों पर अघोषित प्रतिबंध रहा है। सामूहिक सौदेबाजी की प्रक्रिया को दरकिनार किया गया है।

क्या मंत्री महोदय इस बात की पुष्टि करेंगे कि जिन 53 त्रिपक्षीय बोर्डों की स्थापना की गई थी उनका क्या हो रहा है और एक भी बोर्ड बैठक अथवा कोई विचार–विमर्श नहीं कर रहा है। मैं व्यापक तौर पर कम भुगतान, मजदूरी में कमी, बढ़ते हुए काम के घंटों, जो कि देश के कानून में अनुमत्य सीमा से बहुत अधिक हैं का प्रश्न उठाने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं ऐसा प्रश्न उठाने के लिए खड़ा हुआ हूं जिसका मंत्री जी से उत्तर अपेक्षित है अर्थात गत कई वर्षों के दौरान स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के वेश में देश में कितनी छंटनी की गई। मैं जानना चाहता हूं कि देश में भविष्य निधि की छूट वाली और बिना छूट वाली श्रेणी में कुल कितना भुगतान नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : आप ध्यानाकर्षण के विषय से बहुत आगे जा रहे हैं।

श्री गुरूदास दासगुप्त : महोदय, यही है।

अध्यक्ष महोदय : यह मजदूरी संदाय अधिनियम और न्यूनतम मजदूरी संदाय अधिनियम के कथित उल्लंघन से संबंधित है।

श्री गुरूदास दासगुप्त : महोदय, कृपया मेरी बात सुनें। वक्तव्य देते हुए माननीय मंत्री ने भविष्य निधि का उल्लेख किया है और उसके आधार पर मैंने यह प्रश्न उठाया है। देश और इस सम्माननीय सदन को पता लगने दो कि हाल के समय में अनौपचारीकरण, ठेकाकरण और नैमित्तीकरण के माध्यम से श्रमिकों का घोर शोषण किया गया है। हाल के सर्वेक्षणों में पता चला है कि समग्र रूप में वास्तविक मजदूरी में कमी आई है। परन्तु निगमों के लाभ के आकार में वृद्धि हुई है।

इस तरह की स्थिति में सरकार क्या भूमिका निभा रही है? इस तरह के हालात में श्रम मंत्रालय लगभग एक निष्क्रिय दर्शक बनी हुई है। ऐसी स्थिति में, कृपया यह शब्द प्रयोग करने के लिए बुरा मत मानिए, श्रम मंत्रालय लगभग एक बंधुआ मजदूर बना हुआ है। त्रिपक्षीय निकाय केन्द्रीय स्तर पर शीत निष्क्रियता में हैं। केवल इतना ही नहीं आप मुझसे सहमत होंगे कि संसद देश के कामकाजी लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भूल गई है। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं बल्कि यह मेरा दुख है। यह बहुत स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हुआ है क्योंकि इस सभा ने गत 11 वर्षों से श्रम मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा नहीं की है।

मंत्री महोदय ने भारतीय श्रमिक सम्मेलन का जिक्र किया है। मैं आपको बताता हूँ कि पिछले एक वर्ष से स्थापित मानदंडों का पूर्ण उल्लंघन करते हुए भारतीय श्रम सम्मेलन नहीं हुआ। संप्रग सरकार मई, 2004 में सत्ता में आई थी और अब मई का महीना है। एक वर्ष बीत चुका है। देश में स्थापित मानदंड हैं कि भारतीय श्रमिक सम्मेलन होना चाहिए जो कि सर्वोच्च त्रिपक्षीय मंच है परन्तु श्रम मंत्रालय देश के स्थापित मानदंडों का पूरी तरह उल्लंघन करते हुए यह सम्मेलन आयोजित करने में विफल रहा है। इसलिए, पूर्ण विनम्रता से क्या मैं यह प्रश्न उठा सकता हूं कि क्या यह उपेक्षा अथवा अनदेखी का प्रश्न है और यदि आप मुझे बोलने की अनुमति दें तो क्या देश की राजनैतिक व्यवस्था के चूककर्ता निगमों जो श्रमिकों के खून से लाभ कमाना चाहते हैं के साथ सांठ–गांठ का कार्य है?

महोदय, मैंने यह ध्यानाकर्षण इसलिए उठाया है क्योंकि मैं भारतीय कामकाजी वर्ग के साथ बेहतर व्यवहार, उचित व्यवहार चाहता हूं। मैं और अधिक कुछ आशा नहीं रखता। आर्थिक सुधारों के युग में मेरी मांग है और मेरा दावा है कि कामगारों को अच्छे व्यवहार का अधिकार है, न कि खराब व्यवहार का। मैं समानता और

[श्री गुरूदास दासगुप्त]

न्याय की मांग करता हूं। मैं श्रम कानूनों का प्रवर्तन करने की मांग करता हूं। मैं सरकार से आशा करता हूं कि देश की कामकाजी जनता के हितों की रक्षा करे।

अध्यक्ष महोदय : आपके प्रश्न क्या हैं?

श्री गुरूदास दासगुप्त : महोदय, मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूं कृपया मुझे थोड़ा समय दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : आप पहले ही 13 मिनट ले चुके हैं। यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

श्री गुरूदास दासगुप्त : मुझे मालूम है। कृपया मुझे कुछ देर और बोलने दीजिए। सरकार को जवाब देना है।

मारूति उद्योग लिमिटेड में सैंकड़ों कर्मकारों को किसी उपयुक्त क्षतिपूर्ति के बिना उनकी नौकरियों से निकाल दिया गया है। यूनियन के नेताओं की बिना अभियोग पत्र के नौकरी में छटाई कर दी गई। उन्हें बन्द करके रखा गया। यूनियन के धन के उपयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। दिल्ली के निकट नोएडा में श्रमिक संघों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब वहां संघों का पंजीकरण नहीं किया जाता है। उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहता हूं कि मात्र एक वर्ष के भीतर भविष्य निधि चूक बढ़कर 300 करोड़ रुपये हो गई है और मेरी राय में यह अभी भी कम आंकी गई है।

महोदय, असंगठित श्रमिकों के बारे में स्थिति क्या है? इस देश में लगभग 39 करोड़ के कुल श्रम–शक्ति में से 37 करोड़ श्रमिक असंगठित क्षेत्र के है। उन्हें न्यूनतम वेतन तक प्राप्त नहीं होता है। उनका कोई सुरक्षित रोजगार नहीं है। उन्हें पेंशन भी नहीं मिलती है उन्हें चिकित्सा उपचार की सुविधा नहीं होती है और न ही उन्हें इस देश में मूलभूत मानवाधिकार तक नहीं होते हैं। दरिद्रकरण, गरीबी, भूख, अपूर्ण रोजगार और कम भुगतान मुख्य लक्षण हैं और हमारी आजादी के 57 वर्षों के बाद भी महान भारत देश इन समस्याओं के प्रति पूरी तरह असावधान रहा है।

अध्यक्ष महोदय : हम सभी इसके भागीदार हैं।

श्री गुरूदास दासगुप्त : महोदय, माननीय मंत्री जी ने कई रिपोर्टों का उल्लेख किया था मैं आपको बता सकता हूं कि कई उद्योगों का गठन किया गया था। उन्होंने सेनगुप्ता आयोग की रिपोर्ट का उल्लेख किया था। श्रम मंत्रालय इसमें लुक्काछिप्पी का खेल खेल रहा है। वर्ष 1969 से लेकर अभी तक 5 आयोगों की नियुक्ति की गई है। एक आयोग की नियुक्ति हमारे भूतपूर्व स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा की गई थी और मैं उस आयोग का सदस्य था। अभी तक 5 ऐसे आयोगों की नियुक्ति की गई है। सभी आयोगों ने केन्द्रीय वित्तपोषित असंगठित श्रमिकों के लिए कानून बनाने की सिफारिश की है। भारतीय श्रम सम्मेलन ने इसका सुझाव दिया है। लेकिन माननीय मंत्री फिर से कहना चाहेंगे कि वे सबके साथ सलाह मशवरा करेंगे। माननीय महोदय आप कब तक सलाह मशवरा करते रहेंगे? आप इस पर कब तक टाल मटोल करते रहेंगे? आप कब तक विचलित होते रहेंगे और आप कब तक असंगठित क्षेत्र में भारतीय श्रमिक वर्ग को उनके वेतनमानों को न देने के लिए कानून बनाने से इन्कार करते रहेंगे?

महोदय, अंतिम रूप से मेरा प्रश्न है कि कार्यबल के इतने बड़े समूह को क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है? सरकार आयोगों को नियुक्त करने में ही क्यों लगी हुई है? राजनीतिक व्यवस्था इतनी आसक्त क्यों है?

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जवाब नहीं दे सकते हैं। वह पूरी राजनीतिक व्यवस्था के बारे में न कहकर अपने मंत्रालय से सम्बंधित प्रश्नों के ही जवाब दे सकते हैं।

श्री गुरूदास दासगुप्त : महोदय, माननीय मंत्री सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : हम उसके भागीदार हैं।

श्री गुरूदास दासगुप्त : महोदय, मैं भी महसूस करता हूं कि आप भी उसके भागीदार है और हम अपने देश के श्रमिक वर्ग के सामूहिक उपेक्षा के लिए दोषी हैं। लेकिन सरकार मुखिया है सरकार के पास सत्ता है।

महोदय, समाप्त करते हुए मुझे कुछ दृष्टान्त प्रस्तुत करने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, कृपया अपने प्रश्न पूछिए। मैंने आपको पहले ही 15 मिनट का समय दे दिया है। यह वाद विवाद नहीं है।

श्री गुरूदास दासगुप्त : महोदय, मुझे मालूम है कि यह वाद विवाद नहीं है। लेकिन मेरे लिए यह दुखदायी है कि मैं आज इस पर बोल रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : सभी व्यथित हैं।

श्री गुरूदास दासगुप्त : गुस्से और शर्म के साथ मैं यह कह रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : केवल इन कठोर शब्दों से कोई सहायता नहीं होगी। हर कोई इसके बारे में महसूस करता है हम आपकी व्यथा समझते हैं।

श्री गुरूदास दासगुप्त : मैं आपको दो उदाहरण दूंगा। एक महिला को मुर्फास्सल शहर में ब्लाऊज सिलने के लिए 30 पैसे मिलते हैं।

अध्यक्ष महोदय : देश को इस पर शर्म आनी चाहिए।

श्री गुरूदास दासगुप्त : एक महिला को पेटीकोट सिलने के लिए एक रुपया मिलता है एक महिला को एक दिन में 1,000 बीड़ी बनाने के लिए केवल 20 रुपये मिलते है और इस देश में एक पुरूष को 12 घंटे से अधिक प्रतिदिन काम करने पर 1200 रु. प्रतिमाह मिलते हैं।

इसलिए मेरा माननीय श्रम मंत्री जी से सीधा प्रश्न यह है और मैं इस सम्बन्ध में उनसे आश्वासन भी चाहता हूं। सरकार संसद में विधेयक लाने में कितना समय लेगी और क्या विधेयक में केन्द्र द्वारा वित्त पोषण और व्यापक निगरानी व्यवस्था प्रदान करेगा?

मेरा दूसरा प्रश्न है क्या श्रम मंत्रालय एक साल पहले अन्य सदन में पारित किए गए मजदूरी भुगतान विधेयक में संशोधन लाएगी सरकार उस पर निर्णय लेने में देरी क्यों कर रही है?

तीसरा सरकार उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई कर रही है जो इस देश में श्रम कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं?

अन्त में, क्या सरकार हमें आश्वास्त करेगी कि हड़ताल के अधिकार सहित साधारण मजदूर संघ आंदोलन जो कि श्रमिकों का अन्तर्राष्ट्रीय अधिकार है को उनके नेतृत्व में श्रम मंत्रालय के अधीन संरक्षण प्रदान किया जाएगा यूनियनों को पंजीकृत किए जाने की अनुमति दी जाए और संविधान द्वारा दिये गए आन्दोलन करने के अधिकार के साथ छेड़ छाड़ नहीं की जाएगी?

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय आज हम 40 करोड़ लोगों की समस्याओं पर चर्चा कर रहे हैं। 40 करोड़ श्रमिकों में से 37.5 करोड़ श्रमिक असंगठित क्षेत्र से हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपको केवल प्रश्न पूछने का अधिकार है। चूंकि विषय महत्वपूर्ण है मैं आपको थोड़ी देर बोलने की अनुमति दूंगा। अतः आप संक्षेप में बोलिए। आज कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जानी हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : असंगठित क्षेत्र के अधीन मजदूरों को कोई अधिकार नहीं होते हैं। इस सभा द्वारा बड़ी संख्या में कानून अधिनियमित किए गए हैं। इन कानूनों की नियोक्ताओं द्वारा धज्जियां उडाई जाती हैं। कल मैं चंडीगढ़ में 5000 असंगठित मजदूरों की एक रैली को सम्बोधित कर रहा था। वे पिछले एक वर्ष से अपने संघ के पंजीकरण की मांग कर रहे हैं?

महोदय, उनके तीन संघ हैं। वे लाल झंडा हीरो साइकल मजदूर संघ, लुधियाना, लाल झंडा रॉकमैन साइकल मजदूर संघ, लुधियाना और लाल झंडा मजली डिविजन हीरो साइकल मजदूर संघ, लुधियाना है।

एक वर्ष पूर्व उन्होंने विधि के अधीन अपने संघों के पंजीकरण कराने के लिए आवेदन पत्र दाखिल किया था। लेकिन श्रम विभाग उनके संघों को पंजीकरण कराने की अनुमति नहीं दे रहा है। हमारे देश में श्रमिक वर्ग को संघ बनाने का मौलिक अधिकार है। आज, उनके मालिको, नियोक्ताओं अथवा बहुराष्ट्रीय कारपोरेशनों के कहने पर उन्हें इस अधिकार से भी वंचित किया जा रहा है। हमने कई विधियां पारित की हैं लेकिन हम कई वर्षों से असंगठित क्षेत्र के 37.5 करोड़ मजदूरों के लिए व्यापक विधान लाने के लिए कह रहे हैं। 37.5 करोड़ मजदूरों में से 22 करोड़ कृषि मजदूर है कृषि मजदूरों के लिए कोई कानून नहीं हैं ओर उन्हें न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिल पाती है। उनके लिए रोजगार सुरक्षा अथवा कल्याण योजनाएं भी नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तक ही सीमित रहिए। आपकी सूचना के आधार पर ही मैंने आपको देश में श्रमिक स्थिति पर चर्चा न करके अपने विचार प्रस्तुत करने की अनुमति दी है।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मैं इस समस्या के पूरे विस्तार पर नहीं जाऊंगा।

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है। हम इस पर चर्चा करने के लिए तैयार है लेकिन इस तरीके से नहीं।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, ये समस्याएं हैं। यह मामला 37.5 मजदूरों से सम्बन्धित हैं। भारतीय खाद्य निगम जैसे केन्द्रीय सरकार विभागों में ठेके के मजदूर होते हैं। माननीय मंत्री जी ने ई पी एफ योजना का उल्लेख किया है। भारतीय खाद्य निगम में ईपीएफ के अधीन कवर किए गए ठेके के मजदूरों की स्थिति क्या है? कर्मचारियों की मजदूरी से मजदूरों के अंश की कटौती की गई। कर्मचारियों कों, दोनों, ठेकेदारों और उनके अपने अंश भी जमा करने हैं। मैंने इस सम्बंध में कई पत्र लिखे हैं। लेकिन कर्मचारी भविष्य निधि योजना के मामलों में यह अब भी चल रहा है।

चालीस लाख बीडी कामगार है। इन चालीस लाख कामगारों में से कितनों को कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है? तीन से चार लाख से ज्यादा कामगार नहीं है। बीड़ी कामगारों के लिए एक कल्याण योजना है....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह मजदूरी संदाय अधिनियम और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत सम्मिलित है।

....(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर लगाया जा रहा है। यह प्रति एक हजार बीड़ी पर 4 रुपये है। बीड़ी कर्मकारों के कल्याण पर कितना खर्च किया जा रहा है?... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कर्मकारों के इस वर्ग के प्रति अपनी पूरी सहानुभूति रखते हुए हमें प्रक्रिया को विनियमित करना होगा।

....(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : बहुत से निर्माण कार्य चल रहे हैं हमने इस सम्बंध में एक कानून अधिनियमित किया है। अभी तक कितने राज्यों ने इस कानून को लागू किया है जिसे हमने लाखों निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के लिए बनाया था? स्थिति बहुत गंभीर है।

माननीय मंत्री महोदय ने आयोग का उल्लेख किया है कि जिसे डा. अर्जुन सेन गुप्ता की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था। उन्होंने यह भी कहा है कि एक प्रारुप विधेयक पहले ही तैयार कर लिया गया है और उसे राष्ट्रीय श्रम आयोग के चालीसवें सत्र के दौरान रखा जायेगा। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में यह विशेष रूप से कहा गया था कि संप्रग सरकार असंगठित क्षेत्र के सभी श्रमिकों को सम्मिलित करने के लिए एक शीर्ष–संगठन की स्थापना करेगी। संप्रग सरकार अपने कार्यकाल का एक वर्ष पूरा करने वाली है।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह एक वर्षीय कार्यक्रम है?

श्री बसुदेव आचार्य : यह पांच वर्षीय कार्यक्रम है। लेकिन अतितात्कालिकता है। जब श्रमिकों की बात आती है तो सरकार हिचकने लगती है तथा दुलमुल रवैया अपनाने लगती है। लेकिन जब बहुराष्ट्रीय निगमों की बात आती है, जब विदेशी कम्पनियों को देश में आने की अनुमति देने की बात आती है तब सरकार शीघ्रता से विधान सदन में लाती है। मजूदरी संदाय विधेयक राज्य सभा द्वारा शीतकालीन सत्र में ही पारित किया गया था। लोक सभा में यह विधेयक लाया जाने वाला था लेकिन अभी तक नहीं लाया गया है। एक मंत्री का कहना है कि इसे सूची से निकाल दिया गया है। क्या इसका कारण है कि यह श्रमिकों से सम्बंधित है? उनकी न्यूनतम मजदूरी बहुत पहले निर्धारित की गई थी और उसे बढ़ाया जाना है।

क्या मैं माननीय मंत्री से यह जान सकता हूँ कि क्या यह सरकार कृषि श्रमिकों, जिनकी कार्यबल में कुल संख्या 22 करोड़ है, के लिए एक अलग से कानून बनाने पर विचार करेगी? कृषि श्रमिकों के लिए कोई कानून नहीं है। क्या सरकार कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अंतर्गत पूरे कार्यबल को सम्मिलित करने के लिए कोई ठोस कदम उठाएगी? क्या सरकार मौजूदा श्रम कानूनों जैसे न्यूनतम मजदूरी संदाय अधिनियम, का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध सख्त कदम उठाएगी? भारतीय रेल में भी ठेके पर काम करने वाले लाखों श्रमिक लगे हुए हैं।

इनमें से अधिकांश कामगारों को न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल पाता। उन्हें बोनस भी नहीं मिलता।

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न क्या है? कृपया प्रश्न पूछिए।

श्री बसुदेव आचार्य : मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या वे यह सुनिश्चित करेंगे कि कामगारों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार न्यूनतम मजदूरी मिले। ये मेरे तीन प्रश्न हैं। मैं माननीय मंत्री से इनका जवाब चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने विषय की गंभीरता को देखते हुए इसकी अनुमति दी है। मैं आपकी चिंताओं से सहमत हूँ। आप में से केवल दो व्यक्तियों ने आधे घंटे का समय लिया। आप बोलना इस तरह जारी नहीं रख सकते। चर्चा के लिए कई महत्वपूर्ण विषय हैं।

अब श्री सांताश्री चटर्जी बोलेंगे। यदि आपको कोई प्रश्न पूछना है, तो पूछिए। नहीं तो कृपया अपना आसन ग्रहण करें।

श्री सांताश्री चटर्जी (सेरमपुर) : मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ। दो माननीय सदस्यों द्वारा लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बोलने के लिए मुझे अनुमति देने के लिए मैं माननीय अध्यक्ष महोदय का अभारी हूँ।

माननीय मंत्री महोदय से मेरा पहला प्रश्न है कि क्या असंगठित क्षेत्र और असंगठित मजदूरों की हितों की रक्षा के लिए न्यूनतम साझा कार्यक्रम में की गई वचनबद्धताओं के बारे में उनको पूरी जानकारी है।

अध्यक्ष महोदय : यह पहले ही कहा जा चुका है। नया प्रश्न पूछिए।

श्री सांताश्री चटर्जी : मेरा दूसरा प्रश्न यह है। क्या माननीय मंत्री जी को श्रम और कपड़ा संबंधी स्थायी समिति, जिसकी रिपोर्ट

सभा में रखी जा चुकी है, की सिफारिशों के बारे में जानकारी है। आपकी अनुमति से मैं यह जानना चाहूँगा कि क्या विभाग इस प्रस्ताव की जांच कर रहा है। अधिनियम बनाने में कितना समय लगेगा?

अध्यक्ष महोदय : आप केवल प्रश्न दोहरा रहे है।

श्री सांताश्री चटर्जी : मेरा अंतिम प्रश्न यह है। क्या सरकार सामान्यतः कामगारों की और विशेषकर असंगठित क्षेत्र के हितों की रक्षा के लिए एक व्यापक कानून बनाने पर विचार कर रही है। आपको धन्यवाद।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : एक तरीका है। कोई भी नियमों को नहीं पढ़ता। नियम–पुस्तिका आज अनावश्यक हो गई है।

श्री के. चन्द्रशेखर राव : अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम, मैं तीन अनुभवी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने अपने पूरे जीवनकाल में श्रमिक क्षेत्र के लिए कार्य किया है। उन्होंने सामान्यतः श्रमिक वर्ग तथा विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की दयनीय दशा के बारे में वास्तव में चिंता व्यक्त की है. ..*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, आप लोग अपना प्रश्न पूछ चुके हैं। कृपया अब उत्तर सुनिए।

श्री के. चन्द्रशेखर राव : न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के क्रियान्वयन के बारे में मैं माननीय सदस्यों से पूरी तरह सहमत हूँ, यह पूरी तरह सुनिश्चित नहीं है। इसलिए, मैं आपके माध्यम से सभा को बताना चाहूँगा कि लगभग 1492 अनुसूचित रोजगार है जिसमें से केवल 45 केन्द्रीय क्षेत्र में हैं और बाकी 1447 राज्य सरकारों के पास हैं। हमने संसद के एक विधान के माध्यम से राज्य सरकारों को शक्ति प्रदान की है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की धारा 3 और 27 के माध्यम से राज्य सरकारों को शक्ति प्रदान करती है। जिसके तहत 1447 अनुसूचित रोजगारों के संदर्भ में न्यूनतम मजदूरी के क्रियान्वयन सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है।

ऐसा नहीं है कि इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं होती है। हमें भी अपनी भूमिका निभानी होती है। भारत सरकार राज्य सरकारों से बात करती है। जब कभी गंभीर, किस्म की शिकायतें प्राप्त होती हैं तो भारत सरकार की ओर से विशेष दल भेजा जाता है। हम स्थिति की जायजा लेते हैं। हम उस राज्य के मुख्यमंत्री, श्रम मंत्री और राज्य की क्रियान्वयन एजेंसी के साथ स्थिति में सुधार के लिए इस विषय पर चर्चा करते हैं।

श्री दासगुप्ता, श्री बसुदेव आचार्य और श्री सांताश्री चटर्जी का मुख्य जोर 'असंगठित क्षेत्र विधेयक' पर था। यह विधान पिछले 20 से 25 वर्षों से लम्बित पड़ी है। ...*(व्यवधान)*

श्री गुरूदास दासगुप्त : यह उससे ज्यादा है। 1968 से ही यह लम्बित है।..*(व्यवधान)*

श्री के. चन्द्रशेखर राव : ऐसा हो सकता है। वे सही हो सकते हैं। प्रश्न यह है कि यह विशेष मुद्दा पर कई मंचों पर चर्चा हुई। कई श्रम मंत्रियों के सम्मेलन आयोजित हुए।

श्रम सचिव और श्रम आयुक्त के सम्मेलन आयोजित किए गए और व्यापार संघों और कर्मचारियों के साथ बैठक हुई। उनके विचार अलग–अलग थे। उनमें मतैक्य नहीं था। इन बैठकों में भाग लेने वाले बहुत से लोगों का विचार था कि कृषि क्षेत्र में जाने से सामाजिक तनाव पैदा होगा...*(व्यवधान)*

श्री गुरूदास दासगुप्त : अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार जब कभी कोई कानून बनाती है तो क्या यह राज्यों से परामर्श करती है? क्या देश के सब से बड़े कामगार समूह के कल्याण के लिए कोई कानून नहीं बनाए जाने का कारण मतैक्य का न होना है?

अध्यक्ष महोदय : उन्हें उत्तर देने दीजिए। उन्होंने आपको ध्यान से सुना है। उन्हें अपना उत्तर पूरा करने दीजिए। तत्पश्चात्, यदि आपको कोई स्पष्टीकरण चाहिए तो आप पूछ सकते हैं।

हाँ, तो मंत्री जी, आप जारी रखें।

श्री के. चन्द्रशेखर राव : महोदय, माननीय सदस्य को मुझे बताना है कि जब कभी हम कानून बनाते हैं या कानून में संशोधन करते हैं तो भारत सरकार, विशेषकर श्रम मंत्रालय को सभी राज्य सरकारों तथा सभी शेयर धारकों से परामर्श लेना चाहिए। यही त्रिपक्षीय प्रणाली है। जिसकी वकालत माननीय सदस्य श्री गुरुदास दासगुप्त ने की है। वे अभी–अभी भारतीय श्रमिक सम्मेलन की बैठक पर जोर दे रहे थे जो त्रिपक्षीय स्वरूप का है और श्रम मंत्रालय द्वारा जिसका व्यापक तौर पर अनुसरण किया जाता है। अपेक्षित परिणाम के लिए हमें सभी शेयरधारकों और क्रियान्वयन प्राधिकारियों से आवश्यक रूप से परामर्श करना होगा। यही कारण है कि इस विषय पर भिन्न–भिन्न विचार क्यों हैं। बहुत से राज्यों द्वारा भिन्न – भिन्न राय दिए गए हैं।

इस विधेयक, जिस की हम चर्चा कर रहे हैं के अंतर्गत देश के लगभग 37 करोड़ कामगार आएंगे। इसलिए इस बात की जांच

[श्री के. चन्द्रशेखर राव]

चल रही है कि कृषि श्रमिक इसके अंतर्गत आएंगे या उन्हें इससे अलग रखा जाएगा जैसाकि श्री बसुदेव आचार्य द्वारा सुझाया गया है।

सत्ता में आने के बाद शीघ्र ही संप्रग सरकार ने देश के कामगार समूह की प्रति अपनी वचनबद्धता प्रदर्शित की है। हमारा दृढ़ विश्वास है कि स्वस्थ कार्यबल देश का वैभव है। यह इस सरकार का दर्शन है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम इस विषय पर एक व्यापक विधेयक लाना चाहते हैं। इसलिए इस मामले को अर्जुन सेनगुप्ता समिति को सौंपा गया है जो इसका समेकित अध्ययन करेगी और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। सरकार के पास रिपोर्ट आने के बाद हमें श्रमिक संघ के नेताओं, नियोक्ताओं, राज्य सरकारों के साथ चर्चा करनी होगी और उसके बाद हम सभा में उचित और व्यापक विधेयक लाएंगे। मैं निश्चित रूप से माननीय सदस्यों की चिंता समझता हूं।

मैं उनकी चिंता समझता हूं। मैं इस बात से सहमत हूं कि इस देश में असंगठित कार्यबल के कल्याण पर ध्यान देने की आवश्यकता है जो दशकों से लंबित है। मैं निश्चित रूप से मामले में तेजी लाने की कोशिश करूंगा और यथाशीघ्र आपके सामने आऊंगा।

जहां तक भविष्य निधि संगठन, इसकी बकाया राशि और चूकों का संबंध है इसमें काफी आशंकाएं हैं। मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि चूक इतनी ज्यादा नहीं है जितना कि प्रचार किया गया अथवा समझा गया। यह कम हो रही है। दिनांक 31.3.2004 तक भविष्य निधि की बकाया राशि 1,862 करोड़ रूपए थी। इसमें से वसूली योग्य बकारा राशि 541 करोड़ रुपए है, तत्काल वसूली न किए जाने वाली राशि 1,321 करोड़ रुपए है; सम्माननीय न्यायालयों द्वारा दिए गए स्थगन आदेश में 711 करोड़ रुपये अंतर्विष्ट है; 142 करोड़ रुपए परिसमापन प्रक्रिया में शामिल है; बी.आई.एफ.आर. तथा अन्य स्थानों में फंसी राशि 467 करोड़ रुपए है तथा वसूली योग्य राशि, जो कुल चूक का 30 प्रतिशत है, की वसूली की जा रही है।

हम इसे वसूल करने के लिए हर संभव कदम उठा रहे हैं। यहां मैं यह बात सुस्पष्ट कर दूं कि 1,800 करोड़ रुपये की यह चूक भविष्य निधि संगठन की सामूहिक चूक है जो वर्ष 1952 में संगठन के आरंभ में हुई थी और यह कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कोष का केवल एक प्रतिशत है। कोष की कुल राशि 1,60,000 करोड़ रुपये है जबकि चूक केवल 1800 करोड़ रुपए की है, जिसमें से 1350 करोड़ रुपए बी. आई. एफ. आर तथा न्यायिक मामलों में फंसे हुए हैं। हम शेष धनराशि की वसूली के लिए कड़े कदम उठा रहे हैं। हमारे पास उड़न दस्ते हैं, हमारे पास क्षेत्रवार उड़न दस्ते हैं तथा मुख्यालय में उड़न दस्ता है। जब कभी हमें कर्मचारियों अथवा श्रमिक संघों से शिकायतें प्राप्त होती हैं तो हम बहुत कड़ी कार्यवाही नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम इन मुद्दों पर कार्यवाही नहीं करते हैं।

मैं इस सम्मानीय सभा को बताना चाहता हूं कि यह सरकार श्रमिकों की पक्षधर है। हम उद्योगपतियों के पक्षधर तथा श्रमिक विरोधी नहीं हैं। हम निश्चित रूप से श्रमिक पक्षधर हैं; आजकल हम श्रम सुधारों के बारे में सुन रहे हैं। माननीय प्रधान मंत्री, डा. मनमोहन सिंह, मैं तथा सरकार सामाजिक सुरक्षा के अभाव में श्रम सुधार में विश्वास नहीं करते हैं। सामाजिक सुरक्षा के दायरे के बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। हम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई.पी.एफ.ओ.) तथा ई.एस.आई.सी. को मिलाकर एक करने पर चर्चा कर रहे हैं। जैसाकि अनेक अनुभवी सदस्यों और श्रम क्षेत्र में दार्शनिकों ने सुझाव दिया है।

हम संगठित क्षेत्र तथा असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों को पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु वृहत् कोष को एक करने की भी कोशिश कर रहे हैं। मैंने केवल इसके लिए कुछ कदम उठाए हैं। मैं सम्मानीय सभा को बताना चाहता हूं कि श्रम मंत्रालय के अधीन ई. एस.आई.सी. ने राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना नामक एक स्कीम शुरू की है जिसके तहत ई. एस. आई. सी. में किसी भी बीमाकृत व्यक्ति को बेरोजगार होने पर छह माह तक उसके वेतन की 50 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जाएगा। महोदय, मैंने आपकी अनुमति से सभा में वक्तव्य भी दिया था।

मैं इस सम्मानीय सभा को एक अन्य कदम के बारे में भी बताना चाहता हूं अर्थात् ई. एस. आई. सी. कवरेज के संबंध में उठाया गया कदम जो इस मंत्रालय का मेरे द्वारा कार्यभार संभालने से पहले उठाया गया था। देश में 1667 नगरपालिकाएं है। 350 नगरपालिकाओं में ई.एस.आई.सी. क्रियान्वित की गई है। भारत सरकार 120 नगर निगम में से 55 नगरनिगम में ई.एस.सी.आई. क्रियान्वित करती थी। हमने अब आदेश पारित किए हैं कि देश में 10,000 से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र में इस योजना का विस्तार किया जाए। देशभर में ई.एस.आई.सी कवरेज का चरणबद्ध तरीके से विस्तार किया जाएगा।

मेरे द्वारा मंत्री पद ग्रहण करने के बाद बीड़ी कामगार कल्याण पर भी विचार किया गया है। मैंने प्रति हजार बीड़ी पर 2 रुपये के उपकर को बढ़ाकर 4 रुपये कर दिया है। बीड़ी कामगार कल्याण

कोष का बजट 170 करोड़ रुपए तक बढ़ गया है। इसमें से हम बीड़ी कामगारों के लिए कई कल्याणकारी उपाय शुरू कर सकते हैं जैसे स्वास्थ्य देखभाल, छात्रवृत्ति प्रदान करना तथा आवास सुविधाएं। इस सरकार ने यह कदम भी उठाया है।

यह सरकार इस देश के गरीब कामगारों के बच्चों के लिए व्यवसायिक पाठ्यक्रम हेतु विश्वविद्यालय स्थापित करने, व्यवसायिक सीटें प्रदान करने तथा व्यवसायिक शिक्षा देने पर भी विचार कर रही है। यह मामला जांचाधीन है और हम इसकी जांच कर रहे हैं।

मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि संप्रग सरकार श्रमिक विरोधी नहीं है। इसलिए हमें इस तरह की आशंकाएं नहीं होनी चाहिए। हमारी सरकार श्रमिक पक्षधर है। हमारा यह भी विश्वास है कि जब कार्यबल स्वस्थ होगा, तभी उत्पादकता बढ़ेगी और हम वैश्विक प्रवृत्ति का मुकाबला कर पाएंगे जो कि निकट भविष्य में सबसे बड़ा खतरा होगा।

माननीय सदस्यों ने 53 त्रिपक्षीय निकायों के गैर–कार्यकरण पर भी बल दिया था। मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूं। मैं त्रिपक्षीय निकायों के कार्यकरण से भी प्रसन्न नहीं हूं। तरीका बदल गया है। वे बहुत लम्बे अंतराल के बाद मिल रहे हैं जिसमें सुधार किए जाने की आवश्यकता है। मैं वरिष्ठ नेताओं, श्रमिक संघ के नेताओं तथा अन्य सभी नेताओं से सलाह ले रहा हूं। मैं माननीय सदस्यों से सभी त्रिपक्षीय निकायों के कार्यकरण में सुधार करने, प्रभावी कदम उठाने, सरकार द्वारा समय–समय पर दिए गए सुझावों पर विचार करने का वादा करता हूं। माननीय सदस्यों ने इन मुद्दों पर मुख्य रूप से बल दिया था। मैं श्री गुरूदास दासगुप्त को एक और बात स्पष्ट करना चाहता हूं। देशभर में छंटनी का आकलन करने वाले शिमला के श्रमिक ब्यूरो के अनुसार वर्ष 2002 में छंटनी के कारण 3,875 कामगार प्रभावित हुए...*(व्यवधान)*

श्री गुरूदास दासगुप्त : क्या मजाक है? क्या माननीय मंत्री इन आंकड़ों पर विश्वास करते हैं?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने अपने स्रोत का उल्लेख किया है। इस तरह से आप सवाल–जवाब नहीं कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने स्रोत का उल्लेख किया है। आप विश्वास कीजिए।

श्री गुरूदास दासगुप्त : मैं पूछ रहा हूं कि क्या माननीय मंत्री इस रिपोर्ट से सहमत हैं।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं। माननीय मंत्री जी, आपको इसका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री गुरूदास दासगुप्त : महोदय, मैं आपका हस्तक्षेप चाहता हूं। वह जो आंकड़े दे रहे हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप आंकड़ों को नकार दीजिए लेकिन पहले उन्हें बोलने तो दीजिए।

इस तरह की टीका–टिप्पणी नहीं की जा सकती है।

श्री गुरूदास दासगुप्त : महोदय, मैं न तो टीका–टिप्पणी कर रहा हूं और न ही बहस कर रहा हूं। मैं माननीय मंत्री से कहना चाहता हूं कि वह सभा में प्रमाणित करें कि यह आंकड़े सही हैं।

अध्यक्ष महोदय : यदि वह सभा को गुमराह कर रहे हैं तो आप उनके विरुद्ध कार्यवाही कर सकते हैं।

श्री के. चन्द्रशेखर राव : मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं। जब कभी और जहां कहीं हमें यह खबर मिलती है कि हमारे कामगारों की छंटनी होने वाली है तो हमें निश्चित रूप से बुरा लगता है।

अध्यक्ष महोदय : किसी को भी प्रसन्नता नहीं होती है।

श्री के. चन्द्रशेखर राव : मुझे दुःख होगा। मैं दिल से उनके साथ हूं। लेकिन आंकड़े अधिकारिक स्रोत द्वारा दिए गए हैं जो श्रम मंत्रालय में उपलब्ध हैं। मैं केवल स्रोत उद्धृत कर रहा हूं। मैं कुछ कहने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि सरकार असंगठित क्षेत्र में कामगारों के संबंध में तथाकथित विधेयक लाने हेतु शीघ्र उपाय करने के लिए हर संभव कदम उठाएगी।

अपराह्न 12.56 बजे

सरकारी विधेयक-पुरःस्थापित

(एक) बैंककारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2005*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम मद सं. 27 पर चर्चा करेंगे। श्री चिदम्बरम।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–II, खंड–2, दिनांक 13.05.2005 में प्रकाशित।

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : महोदय, मैं बैंककारी विनियमन विधेयक 1949 में और अधिक संशोधन करने तथा उसके परिणामस्वरूप कतिपय दूसरे अधिनियमनों में संशोधनों करने हेतु विधियेक पुरःस्थापित करने की अनुमति चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपने अपनी सूचनाओं में कारणों का उल्लेख नहीं किया है। मैं आप की सूचनाओं को पढ़कर सुना रहा हूं। "मैं आज के लिए सूचीबद्ध किये गये बैंककारी विनियमन विधेयक के पुरःस्थापन का विरोध करना चाहता हूं।" यह सूचना श्री बसुदेव आचार्य द्वारा दी गयी है।

श्री रूपचन्द पाल द्वारा दी गई सूचना में लिखा है : "मैं कार्यसूची में मद सं. 27 के रूप में दिये गये बैंककारी विनियमन (संशोधन) विधेयक का उसके पुरःस्थापन के चरण पर विरोध करना चाहता हूं।"

आप लोग वरिष्ठ सदस्य हैं। कृपया सहयोग करें।

....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न है कि विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

....(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, हम विरोध के कारणों का उल्लेख करेंगे। कृपया हमें बोलने की अनुमति दें।

अध्यक्ष महोदय : आप हमें यह बतायें कि किस नियम के अंतर्गत ऐसा किया जा सकता है। मैं इस बारे में एक बार फिर नियम पढ़कर सुनाता हूं। मुझे नियम पढ़कर सुनाने दें। आप नियम के पक्षकार हैं। नियम के प्रावधान को जानते हुए भी यदि आप उनका उल्लेख करने की भी जहमत नहीं उठाना चाहते हैं, तो फिर मैं क्या कर सकता हूं।

....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या मैं आपकी अनुमति से यह नियम पढ़ सकता हूं। इसमें लिखा है:

"किसी विधेयक को पुरः स्थापित करने का विरोध करने की सूचना उठायी जाने वाली आपत्तियों का स्पष्ट रूप से और संक्षेप में उल्लेख करते हुए महासचिव को संबोधित की जायेगी और उस दिन 10.00 बजे तक दी जायेगी जिस दिन विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति का प्रस्ताव कार्यसूची में शामिल किया गया हो।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, हमें कारणों का उल्लेख करने की अनुमति दें...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हमने इसके लिए विशेषरूप से नियमों में परिवर्तन किया है। आप लोग भी इसके पक्षकार रहे हैं। आप नियम समिति के भी सदस्य हैं।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, कृपया हमें अनुमति दें.. .*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

श्री बसुदेव आचार्य : हम बतायेंगे कि हम इसका विरोध क्यों कर रहे हैं....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

श्री गुरुदास दासगुप्त (पंसकुरा) : इस बारे में मेरा दूसरा विचार है। मेरा सुझाव यह है कि इस नियम में ढील दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : मैं नियम में ढील नहीं दे सकता।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप लोग नये सदस्य होते तो मैं ऐसा कर भी सकता था।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाये।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, आप कृपया इस नियम में ढील दें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आप लोगों से सहयोग करने की अपील कर रहा हूं। मैंने नियम स्थिति भी पढ़कर सुना दी है। आप इस नियम के एक पक्षधर हैं। आप इस सभा के दो सर्वाधिक वरिष्ठ सदस्य हैं। पहले तो आप नियम की अनदेखी करते हैं और अब अध्यक्ष पीठ पर दबाव बना रहे हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : हम दबाव नहीं बना रहे हैं। हम अपील कर रहे हैं।

श्री गुरूदास दासगुप्त : हम अनुरोध कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अनुरोध करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। हम ऐसा क्यों करें? आप कोई कनिष्ठ सदस्य तो हैं नहीं जो नियमों से अनभिज्ञ हों।

श्री गुरूदास दासगुप्त : महोदय, आप नियम में ढील दें।

अध्यक्ष महोदय : क्यों? मैं नियमों में ढील क्यों दूं? केवल इसलिए कि आप ने एक दोषपूर्ण सूचना दी है?

श्री दासगुप्त आपने कोई सूचना नहीं दी है, इसलिए आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

श्री गुरूदास दासगुप्त : महोदय, हम अनुरोध कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : यदि मैं आपको अनुमति देता हूं तो मुझे बाद में सबको अनुमति देनी पड़ेगी।

श्री बसुदेव आचार्य : हम अपील कर रहे हैं कि हमें उन कारणों का उल्लेख करने की अनुमति दी जाये कि हम क्यों ऐसा करना चाह रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपने तो इतना भी कष्ट नहीं उठाया कि उसकी सूचना नियमानुसार देते।

श्री बसुदेव आचार्य : आप नियमों में ढील दे दें।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।

श्री अमिताभ नन्दी (दमदम) : यह बैंकिंग उद्योग से संबधित काफी गंभीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप इसको लेकर इतने ही गंभीर हैं तो आपको सूचना उचित रूप से देनी चाहिए थी। इससे पता चलता है कि आप इसके प्रति कितना अधिक गंभीर हैं। कृपया मुझे टिप्पणी करने पर बाध्य न करें।

प्रश्न है कि अनुमति प्रदान की जाये।

श्री गुरूदास दासगुप्त : हम विधेयक के पुरःस्थापन का विरोध करेंगे। हम इस पर मत विभाजन करा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में और संशोधन करने वाले विधेयक तथा उसके परिणामस्वरूप कतिपय अन्य अधिनियमन में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 1.00 बजे

श्री गुरूदास दासगुप्त : हम इस विधेयक का पुरजोर विरोध करेंगे–सभा के अंदर ही नहीं अपितु सभा के बाहर भी।

अध्यक्ष महोदय : श्री गुरूदास दासगुप्त, आपसे यह अधिकार किसने छीना है? मैं यहां पर सभा के नियमों के अनुसार सभा की कार्यवाही नियमित करने के लिए हूं। आप निरंतर आपत्ति किये जा रहे हैं। मैंने तो नियमों को भी पढ़ कर सुना दिया है।

आप दोनों इस सभा के काफी वरिष्ठ सदस्य हैं। आप लोग काफी सक्षम सदस्य हैं। जानबूझ कर आप ऐसा नहीं कर सकते। तो फिर आप ऐसा क्यों सोचते हैं? तो फिर मैं यहां और किसी को अवसर क्यों न प्रदान करूं।

श्री बसुदेव आचार्य : आप नियमों में ढील दे सकते थे।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।

....(व्यवधान)

अपराह्न 1.02 बजे

(दो) भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन) विधेयक, 2005*

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

....(व्यवधान)

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : कुछ लोगों ने कहा है कि ये दोनों विधेयक स्थायी समिति को सौंप दिये जायें।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–II, खंड–2, दिनांक 13.05.2005 में प्रकाशित।

श्री पी. चिदम्बरम : हां, मैं यही कहना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय : किसी विधेयक को स्थायी समिति को सौंपा जाना मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है। आपको उस पर कुछ नहीं कहना है। आप केवल अनुरोध कर सकते हैं। मैं इसे अस्वीकार कर सकता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि भारतय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

महोदय, क्या मैं एक अनुरोध कर सकता हूँ। हम अपने मित्रों से विचार–विमर्श करते रहे हैं। अतः आप से मेरा अनुरोध है कि इन विधेयकों को कृपया स्थायी समितियों को सौंप दें।

अध्यक्ष महोदय : हां, मैंने पहले ही इस बारे में निर्णय कर लिया था। सहमति के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आपकी सहमति मेरे निर्णय को और संबल प्रदान करती है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हमने इस ध्यानाकर्षण के लिए एक घंटा लिया है। अब हम अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले लेंगे।

अब, श्री अनवर हुसैन। आप बोलना शुरू कीजिए। अधिक समय नहीं बचा है।

श्री अनवर हुसैन (धूबरी) : महोदय, मुझे यह मौका देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। महोदय, आज के 'दि टाइम्स ऑफ इंडिया' में "यूथ्स एविक्ट" इल्लीगल माइग्रेंट्स फ्राम असम" शीर्षक के अंतर्गत एक समाचार प्रकाशित हुआ है। यह कहा गया है कि कुछ युवकों ने 15,000 लोगों को डिब्रूगढ़ और इसके पड़ोसी जिलों से बाहर निकाल दिया है। यह भी कहा गया है कि डिब्रूगढ़ के पुलिस अधीक्षक को इसकी कोई जानकारी नहीं है। हम किसी विदेशी को असम अथवा भारत से बाहर निकालने का विरोध नहीं करते परन्तु यह बहुत अजीब बात है कि डिब्रूगढ़ जिला बहुत दूर यानी बांग्लादेश सीमा से लगभग 1000 किलोमीटर दूर है। यह म्यांमार और चीन से बहुत नजदीक है।

इसलिए, मेरे पास वहां से टेलीफोन पर एक संदेश आया है। यह कहा गया है कि वे मेरे निर्वाचन क्षेत्र के हैं और वे प्रामाणिक भारतीय नागरिक हैं। उनके नाम मतदाता सूची में हैं और इनके पास 1951 के राष्ट्रीय पंजीकरण प्रमाण–पत्र भी हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपको बहुत संक्षेप में अपनी बात कहनी होगी। यहां कोई बहस नहीं हो रही है। मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता।

श्री अनवर हुसैन : यह केवल डिब्रूगढ़ में ही नहीं बल्कि दिल्ली और हरियाणा में भी हो रहा है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के 25,000 लोग यहां कार्य कर रहे हैं। इसलिए, वे यहां केवल अपनी रोजी–रोटी के लिए हैं। महोदय, मेरा प्रश्न यह है।

अध्यक्ष महोदय : यहां कोई प्रश्न नहीं। आप मामला उठाइये।

श्री अनवर हुसैन : किसी युवा बल को, वह कोई भी हो सकता है, किसी नागरिक की पहचान करने का क्या न्यायिक और विधिक अधिकार है? दूसरे, कोई युवा बल उस स्थान से 15,000 लोगों को बाहर निकालने के लिए प्रशासनिक और पुलिस की शक्ति कैसे ले सकती है?...*(व्यवधान)*...

अध्यक्ष महोदय : मामले के महत्व के कारण ही मैंने आपको अनुमति दी है। आपने अपनी बात कह दी है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, जीरो आवर में हमारा भी नोटिस है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अनवर हुसैन : धन्यवाद।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सभा अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.04 बजे

तत्पश्चात् लोकसभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.07 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात 2.07 बजे पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा मद सं. 29 पर विचार करेगी। नियम 377 के अधीन मामले

श्री प्रशान्त प्रधान – उपस्थित नहीं।

(एक) जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र, त्रिवेन्द्रम, केरल का केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिग्रहण किए जाने की आवश्यकता।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : जैव प्रौद्योगिकी ने हमारे देश के सामने बहुत संभावनाएं प्रस्तुत की है। पहला जैव–प्रौद्योगिकी केंद्र स्व. राजीव गांधी के नाम पर त्रिवेन्द्रम में स्थापित किया गया था। परन्तु राज्य सरकार के इस प्रस्ताव पर कि भारत सरकार संस्थान को जैव प्रौद्योगिकी का विश्वस्तरीय केंद्र बनाने के लिए इसका अधिग्रहण कर ले, भारत सरकार ने अभी तक गौर नहीं किया है यद्यपि यह घोषणा की गई है कि जैव–प्रौद्योगिकी का विकास सरकार का एक प्राथमिकता वाला क्षेत्र है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री हन्नान मोल्लाह – उपस्थित नहीं।

श्री पी. करूणाकरन – उपस्थित नहीं।

(दो) पर्यावरणीय प्रदूषण को रोकने के उद्देश्य से पूर्वी रेलवे के हावड़ा मंडल में रानी झील में अपशिष्ट पदार्थों की डम्पिंग को रोके जाने की आवश्यकता

श्री स्वदेश चक्रवर्ती (हावड़ा) : महोदय, पूर्व रेलवे के हावड़ा मंडल के अंतर्गत बागुनगाची (रानी झील) में एक बड़ा जल निकाय वाष्प इंजिनों को जल की आपूर्ति किया करता था। पूर्व रेलवे के हावड़ा मंडल के इंजिनों तथा बोगियों की सफाई करने के लिए भी जल का प्रयोग किया जाता था। वाष्प के इंजिनों की समाप्ति के पश्चात रेलवे द्वारा इस जल निकाय का अन्य प्रयोजनों के लिए भी प्रयोग किया जाता था। यह जल निकाय (रानी झील) मानसून के दौरान जलाशय का काम भी करता था और बागुनगाची रेलवे कालोनी और रेल पटरियों तथा आस–पास के क्षेत्रों में जलभराव को भी रोकता था। इस झील से अतिरिक्त पानी सिंचाई नहर से चला जाता था। अब इस झील को पूर्व रेलवे द्वारा भारी पाटन स्थल बना दिया गया है। रेलवे द्वारा इस झील में कूड़ा और अन्य अपशिष्ट जमा किए जा रहे हैं। इस बड़े जलग्रहण क्षेत्र के समाप्त होने के परिणामस्वरूप रेल सेवाओं का निलम्बित किया जा रहा है और बरसात के दौरान आस–पास के क्षेत्रों और रेलवे कालोनी के लोगों को जलभराव के कारण कष्ट उठाना पड़ रहा है।

अतः मेरा सरकार से आग्रह है कि पर्यावरण की रक्षा और जल निकासी की व्यवस्था में सुधार लाने के लिए और रेल सेवाओं के निलम्बन के कारण पूर्व और दक्षिण पूर्व रेलवे दोनों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए तत्काल जल निकाय की बहाली करने के लिए कदम उठाये।

(तीन) उत्तर भारत के चायल संसदीय क्षेत्र में सैदपुर और गुरौली सिंचाई पम्प परियोजनाओं को पूरा करने हेतु निधियां जारी किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : मेरा संसदीय क्षेत्र चायल, उ.प्र., तीन जिलों का निर्वाचन क्षेत्र है, जिसकी लम्बाई 120 किलोमीटर तथा चौड़ाई गंगा एवम् यमुना का किनारा है। यहां पेयजल एवम् सिंचाई की विकट समस्या है। 25 वर्षों से सिरायू (विधान सभा) में नहरों में एक बूंद पानी नहीं आया है। पानी नहरों में तत्काल छोड़ा जाए। एकमात्र किशुनपुर पम्प नहर का पानी नहरों के टेल व माइनर नहरों में नहीं पहुंच पाता है। सैदपुर व गुरौनी पम्प योजना जो प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित है, केन्द्र के विचाराधीन है।

मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि तत्काल उपरोक्त परियोजनाओं में धन स्वीकृत कर कार्य कराने का कष्ट करें।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रवि प्रकाश वर्मा–उपस्थित नहीं। श्री गणेश प्रसाद सिंह।

(चार) हमीदनगर में बैरेज के निर्माण हेतु बिहार सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री गणेश प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : बिहार राज्य के जहानाबाद, अरवल, गया, नालंदा एवं पटना जिलों के किसानों के हित में पुनपुन, दरधा एवं मोरहर नदी परियोजनाओं के तहत हमीदनगर में बराज निर्माण की योजना केन्द्र सरकार के समक्ष पिछले पांच दशक से लंबित है। इस संबंध में राज्य सरकार ने प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास भेजा है, परंतु यह परियोजना केन्द्रीय जल आयोग एवं जल संसाधन विभाग, भारत सरकार की संचिकाओं

में लंबित है। उक्त परियोजना अति महत्वपूर्ण है। इस परियोजना dsfelklsyxdk 50 हजार हेक्टेयर असिंचित भूमि की सिंचाई होगी, जिससे मध्य बिहार के किसानों के बीच खुशहाली आएगी।

अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त परियोजना की स्वीकृति प्रदान करते हुए निर्माण कार्य प्रारम्भ कराने के लिए अनुरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री ई. जी. सुगावनम – उपस्थित नहीं।

श्री मोहम्मद शाहिद – उपस्थित नहीं।

श्री सुनिल कुमार महतो – उपस्थित नहीं।

श्री पी. करूणाकरन।

(पांच) स्थानीय लोगों को रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से केरल के कासरगोड जिले में उद्योग स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री पी. करूणाकरन (कासरगोड़) : महोदय, मैं सरकार का ध्यान केरल के कासरगोड जिले के विभिन्न भागों में बाक्साइट व अन्य खनिजों के भंडारों की उपलब्धता की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

यह पता लगा है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा होसदुर्ग ताल्लुक के कासरगोड़ जिले में एक सर्वेक्षण किया गया था। उन्हें इस क्षेत्र में अल्युमीनियम ऑक्साइड का 56 से 57 प्रतिशत तथा अन्य विभिन्न प्रकार के खनिज भंडार मिले हैं। जी. एस. आई. द्वारा किए गए पिछले सर्वेक्षण में भी इन भंडारों का पता लगा था। उस अध्ययन के अनुसार यहां लगभग 2000 एकड़ भूमि उपयोग के लिए उपलब्ध है। यदि सरकार अपनी ओर से या सार्वजनिक, निजी, संयुक्त उपक्रम के माध्यम से पहल करे तो इन संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जा सकता है। भूमि, जलापूर्ति, विद्युत, श्रमशक्ति, संचार सुविधाएं, सड़क, रेल, पत्तन, विमानक्षत्तन जैसी परिवहन सुविधाएं मंगलौर में हैं तथा कुन्नूर में भी प्रस्तावित हैं जिनका यहां लाभ उठाया जा सकता है, यह सरकार और स्थानीय लोगों के लिए भी लाभकारी होगा क्योंकि इससे सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा। सरकार की ओर से केरल के पिछड़े हुए उत्तरी भाग में एक कारखाने की शुरूआत करना वास्तव में एक महान कार्य होगा।

मैं सरकार से इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने तथा इस पर सकारात्मक रूप से विचार करने का निवेदन करता हूं।

अपराह्न 2.15 बजे

प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) विधेयक-2005

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 30, प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) विधेयक, 2005 लेंगे। मैं माननीय वित्त मंत्री श्री पी. चिदम्बरम से इस विधेयक को विचारार्थ प्रस्तुत करने का अनुरोध करता हूं।

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनियों के विनियमन और उधार के दक्ष वितरण को सुगम बनाने के लिए तथा उससे संबंधित या उसके अनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित पर विचार किया जाए।"

महोदय, माननीय सदस्य यह जानते हैं कि वर्ष 1993 में वित्तीय क्षेत्र में किए गए सुधारों से गैर–निष्पादनकारी आस्तियों (एन. पी.ए.) की वास्तविकता सामने आयी थी। बैंकिंग प्रणाली में गैर–निष्पादनकारी आस्तियों से विभिन्न उपायों से निपट रहे हैं। गैर–निष्पादनकारी आस्तियों की वृद्धि पर अंकुश लगाने हेतु ऋण लेने वालों से संबंधित सूचना को एक प्रभावी व्यवस्था के माध्यम से एकत्रित करना ऋण के जोखिम प्रबन्धक की दिशा में एक पहला कदम है। इसलिए, सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक व ऋण देने वाली संस्थाओं द्वारा स्पष्ट रूप से एक प्रभावशाली डाटाबेस प्रणाली के माध्यम से ऋण लेने वालों के संबंध में पर्याप्त, व्यापक और विश्वसनीय सूचना प्रणाली की आवश्यकता महसूस की गई है।

यह महसूस किया गया है कि विभिन्न बैंक अधिनियम बैंक और वित्तीय संस्थाओं को ऋण सूचना कंपनियों (क्रेडिट इनफोर्मेशन कंपनीज) के साथ सूचना का लेन–देन करने की अनुमति नहीं देते, इसलिए, वर्तमान वैधानिक ढांचे में एक विश्वस्तरीय ऋण सूचना कम्पनी की स्थापना कर पाना संभव नहीं होगा।

इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए मैंने 6 दिसम्बर, 2004 को राज्यसभा में प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) विधेयक, 2005 पुरः स्थापित किया था। इस विधेयक का उद्देश्य

प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी का विनियमन करना तथा ऋणों के कुशल वितरण और उससे संबंधित मामलों अथवा उसके कारण उद्भूत मामलों का विनियमन है। साथ ही इसका उद्देश्य प्रत्यय विषयक जानकारी तथा निर्णयों की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार लाना है।

इस विधेयक को वित्त संबंधी स्थायी समिति के पास भेजा गया था। जिसने फरवरी, 2005 में इस माननीय सभा को अपना प्रतिवेदन सौंप दिया था। स्थायी समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए यह वांछित समझा गया कि विधेयक में निम्नलिखित बातों का समावेश किया जाये :–

(1) भारतीय रिजर्व बैंक, उपलब्ध प्रत्यय विषयक जानकारी के व्यापार तथा पहले से ही विद्यमान ऐसे व्यापार के विस्तार की संभावना के बारे में, समय–समय पर प्रत्यय विषयक की जानकारी कंपनियों की संख्या निश्चित कर सकेगा।

(2) सर्टिफिकेट आफ रजिस्ट्रेशन के पंजीकरण अथवा उसको रद्द करने के लिए अनुमति हेतु आवेदन को अस्वीकृत करने के आदेश के विरूद्ध अपील को केन्द्रीय सरकार अथवा उसके द्वारा अधिकृत किसी भी प्राधिकरण के पास भेजी जायेगी।

(3) निपटारे के लिए जिन विवादों को एक निश्चित समयावधि में सौंपा जायेगा उनका निपटारा किया जायेगा तथा स्थिति की मांग के अनुसार अपवाद स्वरूप मामलों में जैसा भी निर्दिष्ट हो समय सीमा में विस्तार के लिए लचीला रूख अपनाया जायेगा।

उपरोक्त शब्दों के साथ मैं यह सिफारिश करता हूं कि 9 मई, 2005 को राज्यसभा द्वारा यथा पारित प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) विधेयक, 2005 के पारित करने के लिए इस माननीय सभा द्वारा विचार किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री के. एस. राव अब आप बोल सकते हैं। लेकिन, यदि आप अन्यथा न लें, तो आप पहले अपनी सीट पर जायें।

श्री के. एस. राव (एलूरू) : महोदय, यदि आप अनुमति दें तो मैं यहीं से बोलना चाहूंगा। अन्यथा मैं अपनी सीट पर जाकर बोलूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : इसके लिए आपको लिखित अनुमति मांगनी चाहिए थी।

श्री के. एस. राव : महोदय, अब मैं अपनी सीट पर आ गया हूं। मैंने अपने सभी कागज उस सीट पर रखे हुए थे। इसीलिए मैं वहां से बोलने की अनुमति मांग रहा था। क्या अब मैं वहां जाकर बोल सकता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : हां, आपको अपनी सीट पर रहकर अनुरोध करना चाहिए था।

श्री के. एस. राव : महोदय, मैं वित्त मंत्री जी की सराहना करता हूं कि वह इस विधेयक को लाये हैं। वस्तुतः इस विधेयक को बीस साल पहले आना चाहिए था। मेरे द्वारा ऐसा कहने का कारण यह है कि 1985 में जब समाचार पत्रों में राष्ट्रीय बैंकों में आये दिन होने वाली धोखाधड़ी की घटनाओं के बारे में छप रहा था। तब मैं इसी सभा में बोला था तथा मैंने सदन को बताया था कि बैंकिंग विनियमन में गोपनीयता अधिनियम के कारण उन अधिकारियों को तथा साथ ही साथ ग्राहकों, तथा ऋण प्राप्तकर्त्ताओं को भी यह अवसर उपलब्ध कराया गया था कि वे आसानी से काम करें और फिर बैंकों के साथ धोखाधड़ी करें। इसलिए उन दिनों भी धोखाधड़ी की घटनाओं में वृद्धि हो रही थी। इस बारे में दोषी अधिकारियों अथवा दोषी ऋण प्राप्तकर्त्ताओं के विरूद्ध कार्रवाई करने के लिए कोई कठोर प्रावधान नहीं थे।

हम निश्चित रूप से यह समझ सकते हैं, और इस व्यवस्था को भी यह बात पता है कि यदि कोई वास्तविक ऋण प्राप्तकर्त्ता जो विनिर्माण, व्यापार अथवा कारोबार करना चाहता है तो कानून में परिवर्तन होने पर अथवा बाजार की स्थितियों आदि में परिवर्तन होने पर उसे अपने पैसे को गंवाना पड़ता। हम समझ सकते हैं कि उन्होंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है, उनका इरादा ठीक था और वह कभी किसी वित्तीय संस्थान को धोखा नहीं देना चाहते थे, लेकिन इसके बावजूद यह उनके नियंत्रण से बाहर था और उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। इसलिए, वे उस पैसे को वापस करने की स्थिति में नहीं थे जिसे उन्होंने वित्तीय संस्थाओं से लिया था। ये ऐसे सच्चे मामले हैं जिन्हें समझा जा सकता है। लेकिन उन दिनों 1985 में भी ऐसे ग्राहक और ऋण लेने वाले व्यक्ति थे जो बैंकों से ऋण प्राप्त करने के समय तक ही अपनी सारी प्रतिभा दिखा पाते थे। वे ग्राहक अपनी सारी प्रतिभा, बुद्धि, संसाधन, संबंध इत्यादि बैंकरों तथा वित्तीय संस्थाओं को प्रभावित करने के लिए लगाते थे कि किस तरह उनकी परियोजनाएं, उनकी महत्वाकांक्षाएं, उनके संभावित परिणाम अधूरे न रह जायें और इसीलिए वे वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेते थे। लेकिन ऋण प्राप्त करने के बाद अगले ही दिन वे ये सोचने लग जाते थे कि किस तरह उन्हें यह पैसा वापस न करना पड़े। वे उस धन के अन्यत्र उपयोग करने के रास्तों पर सोच विचार कर लेंगे। लेकिन जिस उद्देश्य के लिए इस पैसे के उधार

[श्री के. एस. राव]

लिया गया था उस उद्देश्य पर खर्च नहीं करेंगे। वे इस पैसे को धीरे–धीरे निकालकर अपने व्यक्तिगत खाते में जमा करा लेंगे और उसमें थोड़ी सी भी धनराशि नहीं रहने देंगे। और इसके बाद वह उस संस्थान को इस आशय की सूचना देंगे कि घाटा हो जाने के कारण वह ऋण का भुगतान नहीं कर पायेंगे। इसलिए, यह धनराशि जिसे बैंक से उधार लिया गया था, अशोध्य ऋण बन जाती है। गत दो दशकों के दौरान ऐसे मामलों की संख्या बढ़ी है।

माननीय वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि जब यह पता चला कि राष्ट्रीयकृत बैंकों में गैर–निष्पादित आस्तियों का विस्तार इतना अधिक है तो पूरी व्यवस्था को भी इससे चिंता हुई है। गैर–निष्पादित आस्तियाँ 50,000 करोड़ रुपये से अधिक थीं। कभी–कभी तो यह भी कहा गया है कि ये आस्तियाँ 1,00,000 करोड़ रुपये से अधिक रही होंगी। जब हमारी व्यवस्था की जानकारी में सारे तथ्य आये, तो स्वाभाविक है सारी व्यवस्था इससे चिंतित हुई। इसको लेकर सरकार चिंतित हो रही है, अर्थशास्त्री चिंतित हो रहे हैं और गैर–निष्पादित आस्तियों पर नियंत्रण पाने का प्रयास कर रहे हैं। बैंकों के कुछ बहुत ही होशियार लोग बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों के अधिकारी और प्रमुख तो अपने तुलन पत्र में अशोध्य ऋण का प्रावधान भी कर रहे हैं अथवा पूरा का पूरा ऋण ही माफ कर रहे हैं। यह सब बैंकों द्वारा अर्जित उस लाभ में से समायोजित किया जा रहा है जो बैंकों ने भले कर्जदारों से वसूले गये ब्याज से कमाया है। इस तरह, बैंकों ने जो धन कमाया है वह गैर–निष्पादित आस्तियों को माफ कर देने अथवा अशोध्य ऋण के प्रावधानों के माध्यम से बर्बाद किया जा रहा है।

यदि हम गहराई से तुलन पत्र (बैलेंस सीट) को देखें तब हम पायेंगे कि गैर–निष्पादित आस्तियां (एन पी ए) दिनों दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन रिकार्ड से पता चलता है कि एन पी ए कम होता जा रहा है। यदि कोई समझदार व्यक्ति इस मामले में गहराई से जाये, तो यह पता चल जायेगा कि एन पी ए में वस्तुतः प्रत्येक वर्ष वृद्धि हुई है। लेकिन वे लोग इस प्रकार के प्रावधान बता रहे हैं तथा संस्थाओं द्वारा अर्जित किये गये लाभ में से दिए गए ऋण को माफ कर रहे हैं।

इसका कुल परिणाम यह निकलता है कि देश को इससे हानि होती है। ऐसे कई धोखेबाज होते हैं, कई ऐसे लोग होते हैं जो जानबूझकर बैंकों को घाटे में ले जा रहे हैं। इसे रोका जाना चाहिए। मुझे प्रसन्नता है कि वित्त मंत्री जी यह विधेयक लेकर आये हैं। इसके बारे में कुछेक वर्षों पहले भी विचार किया गया था। सरकार ने इस बारे में स्थायी समिति द्वारा दिये गये इन सुझावों के आधार पर विचार किया था कि एक प्रत्यय विषयक जानकारी ब्यूरो की स्थापना की जानी चाहिए। सरकार चाहती थी कि इन गैर–निष्पादित आस्तियों को विनियमित करने के उद्देश्य से इन कंपनियों को पंजीकृत कराया जाये। साल–दर–साल बढ़ते एन पी ए ने एक बार फिर यह अनिवार्य बना दिया है कि इस प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) विधेयक को पेश किया जाये।

अब देखना यह है कि यह प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी किस प्रकार हमारी मदद करता है। चूंकि वित्तीय संस्थानों के अधिकारी कर्जदारों की उचित ढंग से सहायता नहीं कर रहे हैं और इस बात की परख नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा कर्जदार सही है और कौन गलत, अथवा ऐसी कौन सी परियोजना हो सकती है जहां कर्जदार की आर्थिक स्थिति इतनी सुदृढ़ नहीं होगी कि वह संस्थान से लिए गये ऋण की अदायगी कर सकेगा और यह कि आंशिक रूप से इस बारे में हम अपना विश्वास खो बैठे हैं कि ऋणदाता संस्थान के अधिकारी कर्जदार का अच्छी तरह परख कर पाने में सक्षम हैं और इसलिए इस विधेयक की जरूरत आन पड़ी है। यदि संबद्ध अधिकारी कर्जदार की उचित तरह से आंकलन करते, कर्जदार की ऋण अदायगी की क्षमता की पूरी जानकारी करते, यह पता लगाते कि वस्तुतः उनकी आर्थिक स्थिति कितनी सुदृढ़ है, क्या उसके पास पर्याप्त आस्तियां हैं, परियोजना वास्तव में सुदृढ़ है या पूरी तरह से काल्पनिक है, और क्या कर्जदार उस परियोजना को पूरा कर पाने में सक्षम हैं अथवा नहीं, दस या बीस वर्षों बाद उस उद्योग की स्थिति क्या होगी, तो फिर इस विधेयक की आवश्यकता नहीं पड़ती। चूंकि बैंकों के प्रबन्धन की असफलता संबंधी घटनाओं में वृद्धि हुई है, अधिकारियों की निष्ठा, ईमानदारी, सक्षमता, दृढ़ता तथा प्रतिबद्धता जैसे मूल्यों में गिरावट आयी है, इसलिए इस विधेयक को पारित करना अनिवार्य हो गया था।

अब ये कंपनियां जिन्हें अब प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी के रूप में पंजीकृत करने की अनुमति दी जा रही थी में भी कल को इसी तरह के लोगों की भर्ती की जानी थी, और तब तो इसका उद्देश्य ही खत्म हो जाता। इसलिए इस बात का फैसला करते समय कि किस प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी को पंजीकृत करने की अनुमति दी जा सकती है और किसे नहीं, माननीय मंत्री जी इन कंपनियों का गठन करने वाले व्यक्तियों की पृष्ठभूमि की अच्छी तरह जांच–पड़ताल करवा ले। सभी बातों की जांच होनी चाहिए जैसे कि उनका इतिहास क्या है, उनकी निष्ठा और उनका कार्यनिष्पादन कैसा है। क्या वे भरोसे लायक है अथवा नहीं। इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि उनके द्वारा दी जाने वाली सूचना विश्वसनीय है भी या नहीं।

कुछ सलाहकार, परामर्शदाता, बैंकिंग एसोसिएशन और वरिष्ठ बैंक सोचते हैं कि केवल तीन या चार कंपनियां पंजीकृत की जा सकती हैं अथवा कंपनियों की संख्या दस तक सीमित रहनी चाहिए। ऐसे सुझाव हैं और मेरी राय है कि यदि आप तीन या चार कंपनियों का पंजीकरण करते हैं तो वे निश्चय ही सम्पूर्ण देश के लिए जरूरी जानकारी नहीं दे सकतीं। इसलिए आवश्यकता और मांग जैसी ऋणों की संख्या व्यापार अथवा दिए जा रहे उधार की मात्रा के अवसर पर कंपनियों की संख्या का निर्णय किया जाए। जैसा मैंने कहा कि निर्णय करते हुए कंपनियों की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखा जाना चाहिए। क्रेडिट इंफारमेशन कंपनी के रूप में पंजीकृत होना निश्चय ही एक विशेष सुविधा है। यदि कोई उधार लेने वाला एक हजार करोड़ रुपए का ऋण लेना चाहता है तो ऋण देने वाली संस्था संबंधित 'क्रेडिट इंफारमेशन कंपनी' द्वारा दी गई सलाह पर निर्भर रहती है। इसका तात्पर्य है कि इन क्रेडिट इंफारमेशन कंपनियों की यह निर्णय करने में बहुत बड़ी भूमिका है कि क्या किसी उधार लेने वाले को ऋण दिया जा सकता है या नहीं। वे तबाही मचा सकती हैं। दूसरे शब्दों में इसका तात्पर्य है कि हम बीच में लोगों की संख्या बढ़ा रहे हैं और उन्हें कार्यों में भागीरथी की शक्ति दे रहे हैं। इसलिए, इन कंपनियों के संबंध में सत्यनिष्ठा और ज्ञान एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं।

जहां तक दंड का प्रश्न है तो आप क्रेडिट इंफारमेंशन कंपनियों पर किस तरंह का दंड लगा रहे हैं?

मेरा प्रश्न यह है। यदि कोई क्रेडिट इंफारमेशन कंपनी कोई गलती करती है। कल्पना कीजिए कि यदि यह ऋण लेने वाले के साथ मिली हुई है तो यह कह सकती है "यह कंपनी बहुत अच्छी है; यह परियोजना बहुत अच्छी है; वित्तीय कंपनी इसे एक हजार करोड़ रुपए दे सकती है।" यदि वह परियोजना कल विफल हो जाती है तो राष्ट्र को एक हजार करोड़ रुपए की हानि होगी। यदि कोई वित्तीय संस्था एक हजार करोड़ रुपए देती है तो वह हमारा धन, आपका धन, जनता का धन होता है। इसलिए राष्ट्र को केवल इसलिए हानि होती है कि क्रेडिट इंफारमेशन कंपनी द्वारा दी गई जानकारी गलत है। हो सकता है उस कंपनी की ऋण लेने वाले के साथ सांठ–गांठ हो अथवा वह कंपनी ऋण लेने वाले के बारे में सही जानकारी न जुटा पाई हो। इसलिए, वहां वह सुरक्षा होनी चाहिए।

विधेयक में जो दंड रखा गया है वह 1 करोड़ रुपए तक सीमित है। एक करोड़ रुपया क्या होता है? यदि आप कहें कि यह एक करोड़ रुपए का दंड उन कंपनियों पर लागू होगा जो केवल 10 करोड़ रुपए अथवा 5 करोड़ रुपए ऋण लेती हैं तो मैं इसे समझ सकता हूँ। आपने ऋण लिए गए धन की कोई सीमा अथवा किसी वित्तीय संस्था द्वारा दिए जाने वाले ऋण की कोई सीमा तय नहीं की। इसलिए 1 करोड़ रुपए ऋण वाली कंपनी के मामले में यदि जानकारी गलत होती है तो क्रेडिट इंफारमेशन कंपनी पर 1 करोड़ रुपए का दंड किया जा सकता है। एक हजार करोड़ रुपए ऋण लेने वाली कंपनी के मामले में यदि यह गलती करती है और राष्ट्र की हानि होती है, तब भी क्रेडिट इंफारमेशन कंपनी पर दंड 1 करोड़ रुपए ही होगा। मुझे इसमें कोई औचित्य नहीं दिखाई देता। यद्यपि यह कहा गया है कि कुछ मामलों में एक वर्ष की कैद का प्रावधान है फिर भी मेरा मत है कि बैंकिंग क्षेत्र और वित्तीय संस्थाओं में गिरते हुए मूल्यों को ध्यान में रखते हुए दंड या कैद को बढ़ाया जाना चाहिए। कंपनी पर खतरा होना चाहिए। इसे जोखिम उठाना चाहिए।

किसी क्रेडिट इंफारमेशन कंपनी को किस लिए बनाया गया है? इससे किसी कंपनी के वित्तीय कार्यों में सभी कमियों की जांच करने की अपेक्षा की जाती है। यदि वह भी वैसी ही गलती करती है तो हम क्या हो सकता है? यदि कार्यालय में भ्रष्टाचार होता है तो हम भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाते हैं। यदि भ्रष्टाचार विरोधी अधिकारी भी भ्रष्ट हो तो इसका अंत कहां होगा? इसलिए, कहीं न कहीं इसे समाप्त करने की जरूरत है और हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सत्यनिष्ठा में सुधार हो। उसके लिए यदि आवश्यक हो तो दंड का प्रावधान पर्याप्त मजबूत बनाया जाना चाहिए।

मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मंत्री जी साथ–साथ बैंककारी विनियमन अधिनियम और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में भी संशोधन लाएं हैं जहां गोपनीयता का खंड हटाया जा रहा है। वह आवश्यक है। मुझे बड़ी खुशी है कि मंत्री जी उन्हें एक साथ लाए हैं। गोपनीयता अधिनियम में मुझे कई उदाहरण पता हैं जैसे कि एक तम्बाकू व्यापारी यह बताकर कि 15 करोड़ रुपए का तम्बाकू गोदाम में है 10 करोड़ रुपए का ऋण लेता है और बैंक प्रबंधक व्यापारी से सांठ–गांठ करके 10 करोड़ रुपए का ऋण दे देता है। यदि पास का व्यापारी अथवा पास को कोई अन्य व्यक्ति जानता है कि गोदाम में कुछ नहीं है परन्तु वह ऋण ले रहा है तो यह क्रेडिट इंफारमेशन कंपनी जाकर यह देखने के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकती है कि क्या वास्तव में गोदाम में कोई भंडार है और क्या इसे उस पर ऋण दिया जा सकता है। इसलिए, इस तरह से यह उपयोगी होगी। प्रस्ताव अच्छा है। मेरी राय है कि इसे 20 वर्ष पूर्व लाना चाहिए था। हम अभी तक इस देश में कम से कम एक लाख करोड़ रुपए बचा लेते। कम से कम अब मंत्री जी इसे सभा में लाए हैं और मैं इन्हें बधाई देता हूं।

[श्री के. एस. राव]

मेरी इच्छा है कि कंपनियों का पंजीकरण करते हुए सरकार कंपनी की पृष्ठभूमि और इतिहास का ध्यान रखने की कृपा करे। जहां स्थापित कंपनी हो और दशकों से उसकी विश्वसनीयता हो तभी उन्हें लाइसेंस देना चाहिए। कल कोई कह सकता है, "क्या आप इसे केवल स्थापित लोगों को दे रहे हैं? हम सत्यनिष्ठा वाले लोग हैं, हमारे पास ज्ञान है और हम अच्छा कार्य कर सकते हैं।" ठीक है। सरकार नई कंपनियों को भी चुन सकती है परन्तु दंड का प्रावधान बढ़ाया जाना चाहिए।

इसी के साथ में माननीय मंत्री को यह विधेयक लाने के लिए बधाई देता हूं। मैं चाहता हूं कि क्रेडिट इंफारमेशन कंपनियां गैर–निष्पादनकारी आस्तियां कम करने में मदद करेंगी और राष्ट्र को उन लोगों से बचाएंगी जो जानबूझकर वित्तीय संस्थाओं के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : चूंकि आप पहले वक्ता थे इसलिए आपकी इच्छानुसार समय दिया गया।

श्री स्वदेश चक्रवर्ती (हावड़ा) : महोदय, मैं प्रत्यक्ष विषयक जानकारी कंपनीज (विनियमन) विधेयक, 2005 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। विधेयक का समर्थन करते हुए मैं कुछ टिप्पणियां करना चाहता हूं।

उद्देश्य और कारण बताने वाले विवरण में मंत्री जी ने बताया है कि वित्तीय क्षेत्र सुधारों को शुरू करने से अनुप्रयोजन आस्तियों और बैंकिंग प्रणाली में गैर–निष्पादनकारी आस्तियों को सामने लाया गया है। विधेयक का उद्देश्य बैंकिंग प्रणाली में अनुप्रयोज्य आस्तियों को नियंत्रित करना है। मेरा मत है कि वित्तीय क्षेत्र में सुधार से बहुत सी अन्य चीजें सामने आई हैं। यह हर्षद मेहता घोटाला सामने लाया है; यह केतन पारेख घोटाला सामने लाया है; यू टी आई घोटाला और सेंटूर होटल घोटाला जिस पर हम अब चर्चा कर रहे हैं। वित्तीय क्षेत्र में सुधार की बहुत सी चीजें की गई हैं। हम इनसे लड़ना पड़ेगा। वित्तीय क्षेत्र के सुधार होते रहेंगे परन्तु वित्तीय क्षेत्र के सुधार के स्वाभाविक सहायक उत्पाद जैसे के उपर्युक्त घोटाले हो सकते हैं जिन्हें नियंत्रित किया जाना चाहिए। मंत्री जी ने इस विधेयक के द्वारा उन सहायक उत्पादों और अनुप्रयोज्य आस्तियों के प्रबंधन को नियंत्रित करने का प्रयास किया है। किंतु जहां तक अनुप्रयोज्य आस्तियों का संबंध है तो वास्तविक परिदृश्य क्या है?

हम वित्त मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य से देख सकते हैं कि बैंकों की पांच श्रेणियां हैं जहां प्रत्येक ऋण प्राप्तकर्ता–राष्ट्रीयकृत बैंकों, भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहयोगी बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, विदेशी बैंकों और निजी क्षेत्र के बैंकों की 1 करोड़ रुपए से अधिक की अनुप्रयोज्य आस्तियां हैं। यदि आप राष्ट्रीयकृत बैंकों का मामला लें तो औसत अनुप्रयोज्य आस्तियां 6 करोड़ रुपए से कम है जिनके विरुद्ध वाद दायर किए गए हैं। यदि देना बैंक, इलाहाबाद बैंक और सिंडीकेट बैंक को सूची से बाहर निकाल दिया जाए तो यह औसतन 4 करोड़ रुपए के भीतर तक, नीचे आ जाएगी। भारतीय स्टेट बैंक के स्वयं 1,195 मामले हैं जिनमें इसने 6,806.64 करोड़ रुपए तक ऋण दिया है। मैं जो कहना चाहता हूं वह यह है कि विदेशी बैंक बेहतर सेवा प्रदान करने का प्रचार करते हैं और हम भी उनको आमंत्रित करते हैं। अवश्य ही वे कुछ दिखावटी सेवाएं ग्राहकों को देते हैं। परन्तु जहां तक अनुप्रयोज्य आस्तियों का संबंध है तो मंत्री जी के वक्तव्य के अनुसार बैंक ऑफ टोक्यो मित्सुबिशी लिमिटेड की केवल 31 खातों में ही 506.45 करोड़ रुपए की अनुप्रयोजय आस्तियां हैं। यह सर्वोच्च औसत है।

वित्तीय संस्थाओं के क्षेत्र में भारतीय निर्यात–आयात बैंक जहां से लोग अपनी वस्तुओं का निर्यात करने अथवा व्यापार करने तथा देश के लिए धनार्जन करने के आधार पर ऋण लेते हैं, हम अनुप्रयोज्य आस्तियों की श्रेणी में 28 मामले देख सकते हैं और इसमें 445.59 करोड़ रुपए की राशि लगी हुई है। यह बैंक स्वयं सरकार द्वारा नियंत्रित है। इसलिए, यह केवल राष्ट्रीयकृत बैंकों का ही दोष नहीं है। यह सच है कि सुधार पूर्व के युग में अशोध्य ऋण थे। अब इसने अनुप्रयोज्य आस्तियों का रूप ले लिया है। कुछ लोन मेले हुए थे जिनमें लाभार्थियों को 20,000 से 50,000 रुपए तक प्राप्त हुए थे जो उन्होंने वापस नहीं दिए। वहां ऋण प्राप्तकर्ताओं की संख्या अधिक थी परन्तु बैंकों को वास्तविक हानि बहुत कम थी। बैंकिंग डिवीजन सही आंकड़े दे सकता है। चूंकि समय का अभाव है इसलिए मैं यहां इस संबंध में आंकड़े नहीं दे सकता। किंतु सच्चाई यह है कि सुधार–पश्चात के समय में अनुप्रयोज्य आस्तियों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है।

विदेशी बैंकों के मामले में भी यही बात है। मेरा निवेदन है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों का कार्य निष्पादन निजी और विदेशी बैंकों से बेहतर रहा है। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का प्रश्न है। आकार कम करना एक लोकप्रिय शब्द है जो आजकल पूरे देश के हितों के खिलाफ जा रहा है। आकार कम करने के सिद्धांत के कारण हमारी यह स्थिति हुई है। मुझे योजना आयोग की एक रिपोर्ट से पढ़ने की अनुमति दी जाए। यह बताया गया है कि अब बेरोजगारी 9.11 प्रतिशत है। दो वर्षों के भीतर यह 9.11 प्रतिशत तक पहुंच गई जो कि सर्वाधिक है क्योंकि सूचना प्रौद्योगिकी और सेवा उद्योग जैसे कुछेक क्षेत्र हैं जहां रोजगार सृजन हुआ है। समग्र तस्वीर इतनी उत्साहजनक नहीं है। देश में सकल घरेलू उत्पाद नीचे आ गया है

हालांकि अर्थव्यवस्था में विकास हुआ है। अर्थव्यवस्था को खोलने से कुछेक धनी क्षेत्रों को लाभ हुआ है परन्तु उन्हें नहीं हुआ जो आर्थिक गिरावट में सबसे नीचे है। यह मेरा वक्तव्य नहीं है। यह योजना आयोग का वक्तव्य है।

विधेयक की बात करें तो विधेयक का उद्देश्य जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया है अनुप्रयोज्य आस्तियों का नियंत्रित करना है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री स्वदेश चक्रवर्ती : मैं समाप्त करने की कोशिश करूंगा। क्रेडिट इंफारमेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड (सी आई बी आई एल) नामक एक संस्था है। यह 1 जनवरी 2001 को अस्तित्व में आया। इसने अप्रैल 2004 में कार्य करना आरम्भ किया। भारतीय स्टेट बैंक जैसे बड़े राष्ट्रीयकृत बैंक का इस पर स्वामित्व है। इसमें भारतीय स्टेट बैंक की 40 प्रतिशत, एच.डी.एफ.सी. बैंक की 40 प्रतिशत तथा एक विदेशी कम्पनी डन एंड ब्रांड स्ट्रीट की 20 प्रतिशत हिस्सेदारी है। 107 ऋण संस्थानों ने भी सी आई बी आई एल की सदस्यता प्राप्त करने के लिए हस्ताक्षर किए हैं। वास्तव में 106 में से 23 ऋण संस्थानों ने सी आई बी आई एल को सूचना दी थी। मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि इस विधेयक में क्या है। ऋण संस्थानों को प्रथम विषयक जानकारी कंपनियां जिनके गठन का हम प्रयास कर रहे हैं को अपने अभिलेख देना बाध्यकारी होगा। मेरा यह सुझाव है कि एक सुनिश्चित समय सीमा में सभी ऋण संस्थानों को अनिवार्य रूप से सदस्यता दी जानी चाहिए। दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि कर्जदार के लिए समान गुणांकन प्रणाली होनी चाहिए क्योंकि यदि अधिक कंपनियां होगी वे कर्जदार के हितों की अनदेखी कर गुणांकन को प्राथमिकता देगें। सरकार अथवा भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से समान ऋण गुणांकन प्रणाली होनी चाहिए। अन्यथा यह सैन्टूर मामले की तरह हो जाएगा। एक मूल्य निर्धारक ने 206 करोड़ मूल्य आंका तथा वहां दूसरे मूल्य निर्धारक ने इसे घटाकर 100 करोड़ कर दिया। ऐसी घटनाएं जारी रहेंगी। कर्जदार के लिए समान गुणांकन प्रणाली के अभाव में घोटाले होते रहेंगें।

तीसरी बात कम्पनियों को क्षेत्रवार ढंग से चलाने की अनुमति दी जानी चाहिए। कम्पनियों की संख्या सीमित होनी चाहिए जिससे कि इन्हें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित किया जा सके; यदि ऐसा किया जाता है तो वे अपनी शक्तियों का दुरूपयोग नहीं कर सकतीं। चौथा प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनियों का नियमन किया जाना चाहिए। यह नियमन किया जाना है। अंतिम बात विधेयक में दंड का प्रावधान किया गया है, परन्तु राशि का उल्लेख नहीं किया गया है। विधेयक में कहा गया है भारतीय रिजर्व बैंक इस संबंध में निर्णय लेगा परन्तु सरकार की ओर से इसका उल्लेख किया जाना चाहिए अर्थात असफल संस्थानों पर भारी दंड लगाया जाना चाहिए।

मैं पुनः अपनी उस बात पर जोर देना चाहूँगा कि एक निश्चित समय सीमा के भीतर सभी ऋण संस्थानों द्वारा अनिवार्य रुप कम्पनी की सदस्यता ग्रहण की जानी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता (हज़ारीबाग) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) विधेयक, 2005 का समर्थन करता हूं। माननीय मंत्री जी ने कहा कि फाइनेन्शियल सेक्टर में सुधार के लिए 1993 में पहला कदम उठाया गया था। 1993 में कदम उठाने के बाद, जो नतीजे सामने आए, वे काफी चिंताजनक हैं। अभी प्रायोरिटी सेक्टर में 31 मार्च, 2000 तक एनपीए 23840 करोड़ रुपए है, जिसमें कृषि की मद में 7240 करोड़ रुपये, लघु उद्योग की मद में 8838 करोड़ रुपये तथा अन्य मदों में 7762 करोड़ रुपये है। लेकिन जब हम तस्वीर के दूसरे पहलू को देखते हैं, तो राष्ट्रीयकृत बैंकों और दूसरे अन्य बैंकों द्वारा जो ऋण दिए जाते हैं, जिनकी राशि एक करोड़ या इससे अधिक है, ऐसे मामलों की संख्या 4862 है तथा दी गई कुल राशि 28671.21 करोड़ रुपये है। माननीय वित्त मंत्री जी ने लोक सभा में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में बताया था कि भारतीय स्टेट बैंक और इसके सहयोगी बैंकों द्वारा कर्ज के मामलों की संख्या 1951 है, जिसकी राशि 10434.11 करोड़ रुपये है। अन्य वित्त संस्थाओं से कर्ज लेने वालों की संख्या 1914 है और इसकी कुल राशि 1351.78 करोड़ रुपये है। इस संबंध में जितने मामले दर्ज होने चाहिए थे, उतने नहीं हुए हैं। ऐसा कोई भी मामला नहीं है, जिसमें एक करोड़ रुपए से कम रुपये हों, लेकिन उन्हे चुकता नहीं किया गया है। ऐसे मामलों की संख्या 2647 है। यह इस बात को प्रमाणित करता है कि किस तरह से बैंक से मिलकर, किसी कम्पनी के नाम पर या किसी अन्य के नाम पर बैंक के पैसे को, जनता के पैसे को लूटने का काम किया जा रहा है। बैंकों के एक लाख तीस हजार करोड़ रुपये बड़े उद्योगपतियों पर कर्ज हैं, जिसकी वसूली करने का सरकार ने आज तक कोई काम नहीं किया है। इस दुरूपयोग को रोकने के लिए यह विधेयक लाया गया है। मैं समझता हूं कि यह विधेयक तभी कारगर होगा जब वित्त मंत्री जी इसका कड़ाई के साथ पालन करवाएंगे। उन्हें अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करना होगा, तभी यह लूट बंद की जा सकती है। यह सरकार को मालूम है कि कितने लोगों पर उधार बाकी है या कितना क्रेडिट बाकी है। बैंकों को भी मालूम है और रिजर्व बैंक आफ इंडिया

[श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता]

को भी मालूम है कि कितना पैसा लोगों पर बाकी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि वित्त मंत्री जी जो विधेयक लाए हैं, उस विधेयक के साथ–साथ उन्हें अपनी इच्छा शक्ति को भी मजबूत करना होगा। आप देखें कि किस तरह से एक लाख तीस हजार करोड़ रुपया बड़े–बड़े बिजनेसमैन ने अपने पास रखा हुआ है जबकि कृषि तथा लघु उद्योगों का मात्र 27 हजार करोड़ रुपया है। यह किस प्रकार का भेदभाव है और किस प्रकार ऐसा हो रहा है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि इन सुधारों को मजबूत इच्छा शक्ति के साथ पालन करना और करवाना होगा।

श्री आलोक कुमार मेहता (समस्तीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) विधेयक, 2005 पर चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए मैं केन्द्र सरकार, वित्त मंत्री, श्री पी. चिदम्बरम और प्रधान मंत्री डॉ मनमोहन सिंह जी को बधाई देता हूं। मेरी समझ में यह विधेयक वित्त व्यवस्था में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुझे इससे बहुत अपेक्षाएं हैं क्योंकि मैंने ऋण लेने की जमीनी हकीकतों और इससे संबंधित बहुत सारी समस्याओं को स्वयं फेस किया है।

महोदय, मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं कि ऋण देने के संबंध में किस तरह से नैशनेलाइज्ड बैंकों में मैनेजर राज चलता है, मैं नहीं मानता हूं कि ऋण लेने में जो बोरोअर्स हैं सिर्फ उनकी गलती है, बल्कि जो ऋण देने वाले बैंक हैं, उनकी भी बहुत गलतियां हैं। मैं अपेक्षा रखता हूं कि इस विधेयक के पास होने से स्थिति में सुधार आएगा। जहां डिस्क्रिशन की बात आती है, वहां इंस्पैक्शन के बाद मनमानी चलती है। हाल ही में के.वी.आई.सी. द्वारा एक अनएम्पलाइड यूथ को लोन सैंक्शन किया गया जो उसे नैशनलाइज्ड बैंक की ब्रांच के माध्यम से दिया जाना था। जब लोन प्राप्तकर्ता नैशनलाइज्ड बैंक की ब्रांच में गया, तो लाख मशक्कत करने के बाद भी उस बैंक के मैनेजर ने लोन नहीं दिया। जब मैंने उनसे इसका कारण टेलीफोन पर पूछा, तो उन्होंने सीधा और सपाट उत्तर दिया कि यह हमारा अपना निर्णय है। मैंने समझा कि यह उपयुक्त नहीं होगा, इसलिए ऋण नहीं दिया। इस प्रकार यहां एक नैगोशिएटिंग पाइंट है। अब सवाल यह उठता है कि जिस सिस्टम में ऐसे पाइंट होते हैं, जहां मनमानेपन की छूट होती है, वहां इस प्रकार की कठिनाइयां आती हैं। मैं समझता हूं कि इस विधेयक से इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगेगा और लोन सैंक्शन करने तथा उसके वितरण के प्रौसेस में ट्रांसपेरेंसी तथा एकरूपता आएगी।

महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि नॉन परफॉरमिंग असैट्स, इस देश की पूरी बैंकिंग वित्तीय व्यवस्था पर बहुत गहरा घाव है। इस विधेयक के माध्यम से उस पर अंकुश लगेगा और उसमें कमी आएगी, ऐसी मैं आशा करता हूं। जैसा हमारे पूर्व वक्ता ने कहा कि अब 28,671.21 करोड़ रुपए का क्रेडिट, नॉन परफारमिंग असैट्स बन चुका है और उसे कम करने के लिए रिजर्व बैंक के माध्यम से प्रयास भी चल रहे हैं, लेकिन उसके साथ–साथ मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि एन.बी.एफ.सीज. को भी इसके दायरे में लाया जाना चाहिए या उस तरह की चीजें जिन पर भारतीय रिजर्व बैंक के रेगुलेशन के बावजूद, बैंकिंग रैगुलेशन एक्ट के अलावा, दूसरे रैगुलेशन्स के माध्यम से यदि किसी प्रकार के कंट्रोल की कमी हो, तो मैं समझता हूं कि उसकी इन्फॉर्मेशन जनता की जानकारी तक पहुंचाई जानी चाहिए ताकि जनता धोखे में न पड़े और ठगी न जाए।

महोदय, इस विधेयक की 20 क्लॉजेज हैं। उनमें से मैं 18वी क्लॉज की ओर माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस क्लॉज द्वारा डिस्प्यूट सैटलमेंट के बारे में जो बातें कही गई हैं, उसमें टाइम फ्रेम निश्चित किया गया है। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि जहां छोटे–छोटे बौरोअर्स हैं, जिन लोगों की आय कम है, जो छोटे बिजनैस करने वाले लोग हैं, उन्हें इस तरह की सैटलमेंट करने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए इतना किया जाए कि जो छोटे बौरोअर्स हैं, जो 5 लाख या 10 लाख रुपए से नीचे बिजनैस करने वाले बौरोअर्स हैं, उनके सैटलमेंट का भी एक टाइमफ्रेम निश्चित किया जाए, ताकि उन्हें कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।

मैं कहना चाहता हूं कि नेशनलाइज्ड बैंकों में लैंडिंग प्रोसेस को और सिम्पल किए जाने की आवश्यकता है और जो हकीकत है, उसके लिए स्टैंडर्डाइज्ड लैंडिंग प्रोसेस, यानी डाकुमेंटेशन प्रोसेस या इंस्पेक्शन प्रोसेस, पूरे के पूरे लैंडिंग प्रोसैस को और ट्रांसपेरेंट, और सिस्टमेटिक बनाए जाने की जरूरत है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रोसेस के नाम पर कुछ कमी दिखा कर बिहार जैसे राज्य में, जो कि पहले से ही बहुत उपेक्षित और पिछड़ा रहा है, वहां की इकोनोमी राज्य के बंटवारे के बाद बहुत ही नीचे चली गई है, ऐसे राज्य में लम्बे समय से 30 से 35 प्रतिशत के बीच वहां का सीडी रेश्यो झूल रहा है। वहां विभिन्न तरह के प्रतिरोधों के बावजूद, वहां की आम जनता ने भी प्रतिरोध किया था और हम लोगों ने भी उसके लिए धरना एवं प्रदर्शन किया था, लेकिन नेशनलाइज्ड बैंक का रवैया यह है कि 30 से 35 प्रतिशत के बीच सीडी रेश्यो अभी तक झूल रहा है और कहा जा रहा है कि वायबिलिटी नहीं है, लोन लेने वाले लोगों के पास रिपेमेट केपेसिटी नहीं है। आप जब तक उन्हें एनक्रेज नहीं करेंगे तो रिपेइंग केपेसिटी कहां से आएगी। इस बात पर हम माननीय मंत्री जी आग्रह करना चाहते हैं कि वहां बैंकिंग बिहेवियर बहुत ही पुअर है और ऐसा लगता है कि ब्यूरोक्रेसी में जिस तरह तानाशाही जैसी स्थिति पैदा हो जाती है, उनका व्यवहार छोटे अनएम्प्लायड यूथ के प्रति और छोटे–छोटे बोरोअर्स के प्रति बहुत ही खराब है। इसलिए खास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में जो

लोन दिए जाते हैं, उनमें 50 हजार रुपए और एक लाख रुपए तक के छोटे लोन देने में छः–छः आठ–आठ महीने तक का समय लग जाता है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस विधेयक में ऐसे प्रावधान किए जाएं ताकि उसमें पूरी ट्रांसपेरेंसी आए, आम जनता को उसकी सूचना रहे तथा बैंक के अधिकारियों को भी उसके सामने चैलेंज करने में दिक्कत पेश आए, उन्हें किसी तरह की मेनुप्लेशन करने में दिक्कत आए। ऐसी व्यवस्था करने के सुझाव के साथ मैं माननीय वित्त मंत्री जी एवं सरकार को बहुत–बहुत धन्यवाद देता हूं और इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री एस. के खारवेनथन (पलानी) : महोदय, मैं प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) विधेयक 2005 के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। जब भी श्री पी. चिदम्बरम देश के वित्त मंत्री अथवा किसी और मंत्रालय के मंत्री बने हैं चाहें वर्ष 1991 हो अथवा 1996 देश की आर्थिक स्थिति में अत्यधिक सुधार हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि मंत्री महोदय ने पूरी प्रणाली में कई परिवर्तन किए हैं जब हमारे विद्यमान प्रधानमंत्री वित्त मंत्री थे तथा श्री चिदम्बरम भी मंत्री मंडल में थे उन्होंने कई परिवर्तन किए।

यह विधेयक प्रत्यय विषयक जानकारी कम्पनी के विनियमन तथा ऋण के कुशल वितरण के सुगम बनाने तथा उसके साथ संबंधित मामलों अथवा उसकी सहवर्ती घटनाओं से संबंधित है। वित्त मंत्री महोदय द्वारा लिया गया यह स्वागत योग्य कदम है। मंत्री महोदय द्वारा लिए गए इस निर्णय के लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। 'प्रत्यय विषयक जानकारी' के अर्थ की खंड 2 उपखंड (घ) में स्पष्ट रूप से व्याख्या की गयी है। जिसके अनुसार

"(i) राशि तथा ऋण की प्रकृति अथवा अग्रिम भुगतान इत्यादि।

(ii) ली गयी प्रतिभूति की प्रकृति इत्यादि।

(iii) दी गयी गारंटी इत्यादि

(iv) किसी कर्जदार की ऋण सुपात्रता इत्यादि और

(v) कोई अन्य मामला, इत्यादि।"

विधेयक का मुख्य उद्देश्य ऋण प्रदान करना है साथ ही कर्जदार की स्थिति के बारे में भी जानना है। विभिन्न कर्जदारों की वित्तीय स्थितियों के बारे में जानकारी न होने के कारण विगत में विभिन्न ऋण संस्थानों ने पैसे उधार दिए जिसके परिणाम स्वरूप 60 करोड़ रु. से अधिक की राशि अभी लम्बित है जिसे वसूल किया जाना है। यहाँ तक कि वे व्यक्ति जो इस ऋण की अदायगी करने की स्थिति में नहीं है वे इस अवसर का लाभ उठा कर ऋण लेते रहे तथा अपने प्रयोजन के लिए उस राशि का प्रयोग करते थे। जिसके कारण देश को भारी घाटा हुआ। यह विधेयक ऐसी ही घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के उद्देश्य से बनाया गया है। यह एक स्वागत योग्य कदम है।

विधेयक में, ऋण संस्थान क्या हैं इस बारे में विस्तार से बताया गया है। खंड–2 (च) इसी से संबंधित है तथा इसमें भारतीय स्टेट बैंक, सहायक बैंक, सहकारी बैंक, राष्ट्रीय बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बारे में बताया गया है।

विधेयक में रिजर्व बैंक से पंजीकरण का प्रमाण पत्र लिए बिना प्रत्यय विषयक जानकारी संबंधी कारोबार जारी रखने अथवा आरम्भ करने पर प्रतिबंध के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है।

अपराह्न 3.00 बजे

भारतीय रिजर्व बैंक को अनुदेश जारी करने की शक्तियां दी जा रही हैं। धारा 11(1) के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक दिशानिर्देश देगा:

"(क) लोक हित में; अथवा

(ख) ऋण संस्थानों के हित में; अथवा

(ग) विशिष्ट उपयोगकर्ता के हित में; अथवा

(घ) बैंकिंग नीति के हित में; अथवा

(ङ) किसी भी प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी के ऐसे कामों को रोकना जो कि विशिष्ट उपयोगकर्ता के अथवा ऋण संस्थानों अथवा कर्जदार अथवा ग्राहक के हितों के प्रतिकूल किए जा रहे हों; अथवा

(च) सामान्यतः प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी का उपयुक्त प्रबंधन निश्चित करने के लिए"

इन सब बातों का विधेयक में स्पष्ट उल्लेख किया गया है। इसके अलावा यह विधेयक कंपनियों को व्यापक शक्तियाँ प्रदान करता है तथा साथ ही यह विधेयक देश के लोगों के कल्याण के लिए ऋण दिये जाने तथा ऋण लेने में आने वाली बाधाओं को दूर करता है। इसलिए मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूँ।

श्री पी. चिदम्बरम : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों का प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) विधेयक को दिये गए समर्थन के लिए आभारी हूं।

अपनी बात आरम्भ करते ही मैंने इसके उद्देश्य को स्पष्ट कर

[श्री पी. चिदम्बरम]

दिया था। यह विधेयक संचयी गैर निष्पादनकारी आस्तियों से संबंधित नहीं है। यह विधेयक गैर निष्पादनकारी आस्तियों की अभिवृद्धि से संबंधित है संचयी गैर निष्पादनकारी आस्तियों से वर्तमान कानूनों के अंतर्गत निपटा जाना चाहिए। हमारे यहां ऋण वसूली न्यायाधिकरण अधिनियम है। हमारे पास 'सरफेसी' अधिनियम है तथा अनेक कदम उठाए गए हैं।

सरकार गैर निष्पादनकारी आस्तियों को कम करने के प्रति कितनी गंभीर है मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करने के लिए कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहूंगा। मार्च 2002 में सकल एन.पी.ए. 70861 करोड़ रु. था जो मार्च 2004 के अंत तक घटकर 64786 करोड़ रु. हो गया था। मार्च 2005 में यह घट कर और कम हो गया है। परन्तु अभी तक आंकड़ों का संकलन नहीं हो पाया है। यदि आप शुद्ध एन पी ए को देखे मार्च 2002 में यह 35554 करोड़ रु. था जो मार्च 2004 में घटकर 24617 करोड़ रु. हो गया। यदि आप प्रतिशत पर एक नजर डालें इस अवधि के दौरान सकल एन.पी.ए. 10.4 प्रतिशत से घटकर 7.2 प्रतिशत रह गया तथा शुद्ध एन.पी.ए. 5.5 प्रतिशत से घटकर 2.9 प्रतिशत रह गया। ऐसा नये तथा पुराने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा निजी क्षेत्र के बैंकों में हो रहा है। हम एन.पी.ए. को कम करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहेंगे।

जहाँ तक एनपीए की अभिवृद्धि का संबंध है यह विधेयक में प्रत्यय विषयक जानकारी का प्रावधान किया गया है जिससे कि ऋण देने वाला ऋण लेने वाले की ऋण योग्यता, उसकी ऋण श्रेणी के इतिहास को जान सकेगा तथा क्या वह ऋण पाने के लायक है अथवा नहीं। यह नई प्रणाली है जो लागू की जा रही है। ऐसा वास्तव में पहली बार हुआ है। यदि आप एक बार उधार देने की गुणवत्ता में सुधार करते हैं उम्मीद की जानी चाहिए कि एन.पी.ए. में भी भारी कमी होगी।

महोदय, श्री भुवनेशवर प्रसाद जी ने मुझसे क्षेत्रीय एन.पी.ए. के बारे में पूछा है। जहां तक क्षेत्रीय एन.पी.ए. की बात है मैंने कई बार सभा में यह कहा है कि न्यूनतम एनपीए कृषि क्षेत्र में है जो कि 8.4 प्रतिशत है। लघु उद्योग इकाइयों में सबसे अधिक 15.16 प्रतिशत एन.पी.ए. है। परन्तु इन दोनों क्षेत्रों पर अन्य उद्योग निर्भर है। इसीलिए बैंक कृषि क्षेत्र को अधिक ऋण उपलब्ध करा रहे हैं। लघु उद्योग क्षेत्र की गैर–निष्पादक परिसम्पत्तियों की इस समस्या का समाधान हमें खोजना ही होगा। यहाँ तक कि लघु उद्योग क्षेत्र में भी वर्ष 2002 के दौरान कुल अग्रिम के 21.28 प्रतिशत से घटकर यह 15.16 प्रतिशत हो गया है। लेकिन हम इस समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास करते रहेंगे।

इस विधेयक से गैर–निष्पादक परिसम्पत्तियों के जमा होने पर रोक लगेगी। हम ऐसा करेंगे कि भा. रि. बैंक केवल कुछ ही ऋण सूचना कम्पनियों को अनुज्ञप्ति देगा और वह इस संख्या को निर्दिष्ट करेगा। एक कम्पनी को ऋण सूचना कम्पनी के रूप में मान्यता देने के संबंधी मानदंड बहुत ही सख्त हैं और हर कोई ऋण सूचना कम्पनी नहीं बन सकता। अभी तक केवल सी.आई.बी.आई.एल. जो भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रायोजित है, ऐसी कम्पनी बन पाई है। मुझे पूरा विश्वास है कि सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य बैंक भी इसी प्रकार की ऋण सूचना ब्यूरो को प्रायोजित करेंगे।

मैं आशा करता हूं कि प्रारंभ में तीन से चार ऐसी ऋण सूचना कम्पनियां होंगी। कुछ समय के बाद इसकी समीक्षा करेंगे कि हमें और कम्पनियों की आवश्यकता है या नहीं। मैं नहीं समझता कि किसी कम्पनी के लिए किसी एक क्षेत्र विशेष पर अपने को केन्द्रीत कर पाना संभव है। इसका मतलब होगा कि इस क्षेत्र में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। प्रत्येक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा अवश्य होनी चाहिए। इसलिए कम्पनियों को अखिल भारतीय स्तर पर कार्य करने की अनुमति होनी चाहिए। जी हाँ, कोई कम्पनी किसी क्षेत्र विशेष में मजबूत होगी तो कोई अन्य कम्पनी किसी और क्षेत्र में मजबूत होगी। लेकिन जब तक प्रतिस्पर्धा नहीं होगी सेवा की गुणवत्ता में सुधार नहीं होगा।

महोदय, दंड के सम्बंध में एक प्रश्न किया गया था। श्री राव बिल्कुल सही थे, धारा 23 से 25 में दंड का प्रावधान है। उन्होंने केवल धारा 23 के एक भाग को पढ़ा। धारा 23 में इस बात का उल्लेख है कि किसी जीवित व्यक्ति के मामले में दोष सिद्धि के बाद कारावास का दंड होगा जो एक वर्ष का हो सकता है तथा जुर्माना भी हो सकता है। इसका निर्णय न्यायालय करेगा। इसकी कोई सीमा नहीं है। न्यायालय कुछ भी जुर्माना लगा सकता है। परन्तु किसी कम्पनी का मामला है तो इसे कारावास में नहीं डाला जा सकता, इसलिए अधिकतम एक करोड़ रुपये का जुर्माना तय किया जाएगा। इतना ही नहीं, यदि आप धारा 25 को देखें तो इसमें कहा गया है कि धारा 23 में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए अभियोजक से अलग भारतीय रिजर्व बैंक ऐसी ऋण सूचना कम्पनियों पर जुर्माना लगा सकता है जो धारा 22(2) की स्थिति में एक लाख रुपये से अधिक और धारा 23(2)(3) के अंतर्गत एक करोड़ रुपये से अनधिक नहीं होगा। अर्थात, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा और एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। मैं समझता हूँ कि ये दंड काफी सख्त है। यदि आवश्यकता हुई तो हम देखेंगे कि क्या बाद में दंड बढ़ाया जाना चाहिए, हम बाद में धारा में संशोधन कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं समझता हूं कि झूठी सूचना देने वाले या धारा 23 में दिए गए सिद्धांतों का उल्लंघन करने वालों के लिए यह काफी सख्त दंड है।

महोदय, इस प्रत्यय विषयक जानकारी विधेयक के साथ हमारी बैंकिंग प्रणाली एक दूसरे चरण में प्रवेश कर चुकी है जहाँ हम विश्वस्तरीय हो रहे हैं। हमारा विचार विश्वस्तरीय बैंकिंग प्रणाली बनने का है। विश्व के सभी विकसित देशों में ऋण सूचना ब्यूरो है। ये बहुत ही सफल ऋण सूचना कम्पनियां हैं। हमें भी एक विकसित देश जैसा बनना पड़ेगा और एक विकसित देश की तरह हमारी बैंकिंग प्रणाली को भी विकसित प्रणाली बनानी होगी और इससे हमारी बैंकिंग प्रणाली को विकसित प्रणाली बनने में मदद मिलेगी। माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि वे इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करें।

श्री स्वदेश चक्रवर्ती : रेटिंग प्रणाली के बारे में क्या हो रहा है।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, रेटिंग प्रणाली के सम्बंध में मैं कहना चाहूँगा कि यदि आप अवलोकन करें अधिनियम की धारा 10 में, भारतीय रिजर्व बैंक के पास ऋण सूचना कम्पनियों के लिए नीति और मानदण्ड निर्धारण करने के अधिकार है। अब ऋण सूचना कम्पनियां क्रेडिट रेटिंग संबंधी के लिए मानदंड अपनाएंगी। यह इसके ग्राहकों पर निर्भर करेगा। कोई ऋणदाता उधार लेने वाले के प्रबंधन के तहत परिसम्पत्तियों पर गौर कर सकता है; दूसरा ऋण लेने वालों की निवल क्षमता पर, गौर का समय है, तीसरा ऋण लेने वाले के व्यवसाय में नीहित जोखिमों के बारे में जानना चाहेगा तथा चौथा दूसरा दूसरे मानकों पर जोर दे सकता है। इसलिए ऋण सूचना कम्पनियां उन्हीं रेटिंग प्रणाली को अपनाएंगी जो उधार लेने वालों के हित में हो।

एक स्कोरिंग की प्रणाली भी है। स्टैंडर्ड एण्ड पुअर्स मूडी जैसी छ कम्पनियां देश या कम्पनियों की क्रेडिट रेटिंग निर्धारित करती है। उनकी एक स्कोरिंग प्रणाली है। इसलिए, उधार लेने वाला पक्ष ऋण सूचना कम्पनियों के पास जाएगा और स्कोर बनाने वाले मानदंडों को देखेगा। कि उस उधार देने वाले तथा उधार लेने वाले के लिए ज्यादा सुसंगत क्या होगा। इन सभी में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों का ध्यान रखा जाएगा। मैं समझता हूँ कि कुछ समय के बाद में स्कोर मान्य हो जाएंगे। स्टैंडर्ड एण्ड पुअर्स, मूडीज की स्कोरिंग प्रणाली काफी मान्य है। उन दोनों के बीच प्रतिस्पर्धा है। उन्हें स्कोर प्राप्त करने में काफी मेहनत करनी पड़ेगी। आप स्कोर प्राप्त करने में शिथिलता नहीं बरत सकते। क्योंकि यदि स्कोरिंग लगातार गलत होती है तो कोई भी शुल्क नहीं देगा और ऐसे ऋण सूचना कम्पनियों से कोई भी जानकारी हासिल नहीं करेगा। इसलिए, धारा 10 के अंतर्गत मानदण्ड निर्धारित किए जाएंगे और ऋण सूचना कम्पनियों को उन मानदण्डों का पालन करना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि प्रत्यय विषयक जानकारी कम्पनियों के विनियमन और उधार के दक्ष वितरण को सुगम बनाने के लिए तथा उससे संबंधित या उसके अनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक राज्य सभा द्वारा यथा पारित, पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंड–वार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 37 विधेयक के अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 37 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अनुसूची विधेयक में जोड दी गई

खंड–1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

श्री पी. चिदम्बरम : मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.11 बजे

अवक्रय (निरसन) विधेयक, 2005

उपाध्यक्ष महोदय : अब, सभा मद सं. 31 पर विचार करेगी। श्री एच. आर. भारद्वाज विधेयक प्रस्तुत करेंगे।

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज) : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूँ।

"कि अवक्रय अधिनियम, 1972 का निरसन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथा पारित, पर विचार किया जाए।"

अवक्रय अधिनियम, 1972 का आशय अवक्रय समझौतों के प्रति सम्बंधित पक्षों के अधिकारों और कर्तव्यों को परिभाषित और

[श्री हंस राज भारद्वाज]

विनियमित करना है। तथा उससे सम्बद्ध या आनुषंगिक विषयों के लिए प्रावधान करना है। इस अधिनियम को 1 जून, 1973 से प्रवृत करने का विचार था। तथापि, अधिनियम को लागू करने के विरोध में जनता की ओर से कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए और अधिनियम को लागू नही करने का निर्णय लिया गया। यद्यपि, अधिनियम के प्रावधानों में उपयुक्त संशोधन करने के लिए इसकी जांच चल रही है ताकि इसको लागू किये जाने के बारे में कोई विरोध न हो, बैकिंग विधि समिति ने वैयक्तिक सम्पति प्रत्याभूति विधि 1977 पर अपनी रिपोर्ट में इस अधिनियम के दूरगामी संशोधनों का प्रस्ताव किया है। भारतीय रिजर्व बैंक का भी सुझाव है कि जबतक उक्त समिति की रिपोर्ट पूरी रिपोर्ट की जांच लम्बित है, अवक्रय अधिनियम को लागू नहीं किया जाना चाहिए।

परिणामतः कई संगठनों के साथ बातचीत के बाद अवक्रय अधिनियम, 1972 की पुन जांच की गई और अवक्रय (संशोधन) विधेयक 1989 के नाम से एक विधेयक 5 मई, 1989 को राज्य सभा में पुरःस्थापित किया गया। इस विधेयक की जांच और इस पर रिपोर्ट देने के लिए इसे गृह कार्य संबंधी विभागीय संसदीय समिति को भेजा गया। उक्त समिति ने 1972 के इस अधिनियम की भारतीय विधि आयोग द्वारा गहन परीक्षण की सिफारिश की। भारतीय विधि आयोग ने अन्य बातों के साथ–साथ यह भी सिफारिश की कि सांविधिक अवक्रय शुल्कों की राशि की गणना 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से की जाएगी या केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित किए गए किसी अन्य कम दर पर उस गणितीय सूत्र के अनुसार की जाएगी जो अधिनियम में शामिल किया जाएगा।

भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों के साथ विचार–विमर्श के बाद इस प्रश्न का पुनः परीक्षण किया गया कि अवक्रय अधिनियम, 1972 को विधि आयोग द्वारा यथा प्रस्तावित संशोधनों के साथ लागू किया जाना चाहिए या नहीं और ऐसा महसूस किया गया कि अवक्रय अधिनियम, 1972 वर्तमान में अपनी प्रासंगिकता खो चुका है और ऊंचे से ब्याज लगा कर कर्जदारों के शोषण संबंधी मामलों को अन्य कानूनों के तहत पर्याप्त रूप से निपटाया जा सकता है। वर्तमान, आर्थिक परिदृष्य में इस प्रकार के विधान की आवश्यकता नहीं है जबकि बाजार में उधार मुक्त रूप से उपलब्ध है। विधेयक को राज्य सभा में बिना चर्चा के ही 20 अप्रैल, 2005 को पारित किया जा चुका है।

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ, मैं सिफारिश करता हूँ कि वह विधेयक पर विचार करें।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

कि अवक्रय अधिनियम, 1972 का निरसन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

श्री के. एस. राव (एलूरू) : महोदय, मैं इस कानून का निरसन करने के लिए विधि मंत्री के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मैंने पहले भी विधि मंत्री और कई अन्य मंत्रियों से अनेकों कानूनों को निरसित करने का अनुरोध किया है जो आज अपना महत्व खो चुके हैं। वे पिछले पचास या साठ वर्षों से रहे हैं। वे सांविधिक पुस्तकों में बने रहेंगे। प्रश्न यह है कि कुछ लोग हर समय उनका दुरूपयोग करते रहेंगे। इसलिए, मेरा माननीय मंत्री से यह विनम्र निवेदन है कि वे उन सभी कानूनों पर ध्यान दें जो समाज और राष्ट्र की वर्तमान आवश्यकताओं के लिए असंगत हो गए हैं। उन्हें किसी धोखेबाज अथवा किसी को भी इसके दुरूपयोग का मौका दिए बिना उन सबका निरसन कर देना चाहिए। मैं माननीय मंत्री को यह विधेयक लाने के लिए बधाई देता हूँ।

वास्तव में अवक्रय प्रणाली विशेषकर उन लोगों के लिए एक रास्ता है जिनकी वित्तीय संस्थाओं तक कोई पहुंच नहीं होती, जिसकी कोई वित्तीय पृष्ठभूमि नहीं होती, जिन्हें वित्तीय संस्थाओं से ऋण नहीं मिल सकता। उदाहरण के लिए एक निर्धन आदमी, एक व्यवसायी चलाने के लिए एक ट्रक खरीदना चाहता है। कोई बैंक ऋण नहीं देगा क्योंकि उसकी कोई वित्तीय पृष्ठभूमि नहीं है। इसलिए, धनवान आदमी अपने नाम पर इसे खरीदेगा और निर्धन आदमी को अवक्रय पर देगा। वह आदमी किराया खरीद पर लेने वाले आदमी से इतनी ज्यादा फीस लेगा कि वह कभी भी ऋण के बोझ से नहीं निकल पाएगा। अंततोगत्वा, उसे बीच में ही ट्रक बेचना पड़ेगा और दिवालिया हो जाएगा। वह अपना बचाया हुआ थोड़ा सा धन भी गंवा देगा। इसलिए, समय–समय पर अनेकों अवसरों पर भारतीय रिजर्व बैंक, बैंककारी विधि समिति और अनेक संगठनों ने अनुरोध किया है कि अवक्रय अधिनियम लागू नहीं किया जाना चाहिए। बाद मे जब स्थायी समिति ने इसे विधि आयोग के पास भेजा तो उन्होंने 18 प्रतिशत के ब्याज को उद्धृत किया। जैसा कि माननीय मंत्री ने कहा है कि वे दिन् चले गए जब 18 प्रतिशत ब्याज लिया जाता था। आजकल व्यावसायिकों को संस्थाओं से छ प्रतिशत, आठ प्रतिशत के ब्याज पर भी धन उपलब्ध हो जाता है। इसलिए, यह कानून बहुत असंगत बन गया है। कुछ लोगों को इस अधिनियम का दुरूपयोग करने से रोकने के लिए इसे तत्काल निरसित करना पड़ेगा। इसलिए माननीय मंत्री यह विधेयक लाए हैं। मैं उसके लिए उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं।

एक बार फिर मैं अपना अनुरोध दुहराता हूं। देश में ऐसे अनेकों अधिनियम हैं। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि उन पर भी ध्यान दें और उनका निरसन करायें। उन्हें किसी को

भी कानूनों का दुरूपयोग नही करने देना चाहिए। मैं माननीय मंत्री को यह विधेयक लाने के लिए बधाई देता हूं।

श्री एस. के. खादवेनथन (पलानी) : सबसे पहले मैं माननीय विधि मंत्री से अवक्रय अधिनियम, 1972 (1972 का अधिनियम 26) निरसित करने के लिए विधेयक लाने के लिए बधाई देता हूं। भारतीय विधि आयोग की रिपोर्ट और रिपोर्ट में विधि आयोग की सिफारिशों के आधार पर लगभग 33 वर्ष पूर्व अवक्रय विधेयक पुरःस्थापित किया गया था। यह अधिनियम वर्ष 1972 में अधिनियमित किया गया था। परन्तु इसे लागू नहीं किया गया।

इस देश में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे निर्धन लोग बैंक से ऋण लेकर कोई वाहन अथवा कार अथवा दुपहिया लेने के लिए बहुत संघर्ष कर रहे हैं। केवल किसी विशेष समुदाय, विशेष जाति के लोग ही बैंकों से ऋण लेकर अवक्रय पर वाहन ले पा रहे हैं। ऐसे लोग निजी वित्तपोषकों से धन ले रहे हैं और अवक्रय आधार पर चीजें ले रहे हैं किंतु वे भारी ब्याज दे रहे हैं और आखिरकार वे कष्ट उठा रहे हैं। इस अधिनियम से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की समस्याओं को हल करने में मदद मिलेगी।

हम कह रहे हैं कि अवक्रय अधिनियम का क्या हुआ। इसे लागू नहीं किया गया। यह अधिवक्ता अधिनियम की धारा 30 की तरह है। हमारे माननीय मंत्री इस निरसन विधेयक को लेकर आए हैं। यह समाज के लिए लाभदायक होगा। इसलिए, मैं इस विधेयक का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं माननीय मंत्री को यह कार्य करने के लिए बधाई देता हूं और उनकी तारीफ करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब माननीय मंत्री श्री हंस राज भारद्वाज से बहस का उत्तर देने का अनुरोध करता हूं।

श्री हंस राज भारद्वाज : महोदय, सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि दो प्रश्न हैं। माननीय सदस्य श्री के. एस. राव ने सुझाव दिया है कि सरकार को पुराने और पुरातन कानूनों पर ध्यान देना चाहिए। समय-समय पर हम सफाई अभियान चला रहे हैं। हम समय समय पर अधिनियमों के निरसन हेतु विधेयक लेकर आते हैं। हमने बड़ा कार्य किया है। पी. सी. जैन समिति की रिपोर्ट के पश्चात अधिकांश कानून जिनका अब कोई औचित्य नहीं है उनका पहले ही निरसन कर दिया गया है। परन्तु हम पुनः देख रहे हैं कि क्या कुछ कानूनों की सांविधिक पुस्तकों में बिल्कुल भी जरूरत है या नहीं है।

अन्य मामलों के संबंध में मेरा निवेदन है कि अब आर्थिक विकास में तेजी चल रही है। धन आसानी से उपलब्ध है। सच्चाई यह है कि कंपनियां एक के बाद एक किसी भी व्यक्ति को वाहन या कुछ और लेने के लिए ऋण देने के लिए आगे आ रही हैं। इसलिए वे दिन अब चले गए। ये कानून अब सुसंगत नहीं हैं। अतः मैं सभा से इसे पारित करने का अनुरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि राज्य सभा द्वारा यथा पारित अवक्रय अधिनियम, 1972 का निरसन करने वाले विधेयक, पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मंत्री महोदय प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।

श्री हंस राज भारद्वाज : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.21 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

देश में बढ़ती हुई जनसंख्या – जारी

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम मद सं. 32, अर्थात देश में बढ़ती हुई जनसंख्या के बारे में और चर्चा पर विचार करेंगे। इस चर्चा के लिए आबंटित समय दो घंटा था जिसमें से 55 मिनट पहले ही ले लिए गए हैं। हमारे पास एक घंटा और पांच मिनट बचे हैं। जब सभा स्थगित हुई थी तो श्री रामजीलाल सुमन बोल रहे थे।

श्री रामजीलाल सुमन – उपस्थित नहीं।

श्री आलोक कुमार मेहता।

श्री आलोक कुमार मेहता (समस्तीपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अगली बार बोलूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप तैयार नहीं हैं तो ठीक है।

श्री राजा रामपाल – उपस्थित नहीं।

डा. करण सिंह यादव।

[हिन्दी]

डा. करण सिंह यादव (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, श्री प्रबोध पाण्डा जी द्वारा देश में बढ़ती हुई जनसंख्या के बारे में उठाई गई चर्चा की शुरूआत में मैं कहना चाहता हूं कि यह ऐसा विषय है जिसके बारे में हम सभी को चिंता करने की जरूरत है। देश जब आज़ाद हुआ था, उस समय हम अपने आप को 36 करोड़ कहते थे और पिछले 57 साल में हम 102 करोड़ से भी बढ़कर हो गये हैं। हम पिछले आंकड़ों को जब देखते हैं तो पाते हैं कि लगभग 50–60 साल में आबादी दुगुनी होती थी और अब पिछले साल के आंकड़ों को देखते हैं तो पाते हैं कि हर 30 वर्ष में आबादी के आंकड़े दुगुने हो जाते हैं। सन 1950 में हमारे देश की आबादी 30 करोड़ के लगभग थी और 1980–81 की जनगणना में 72 करोड़ के आसपास हमारी आबादी थी लेकिन आज सौ करोड़ से ऊपर हमारे देश की आबादी हो गई है। जिस तेजी से हमारे देश की आबादी बढ़ रही है, निश्चित रूप से यह हमारे लिए चिंता का विषय है। आजादी के बाद देश में काफी प्रगति तरक्की की गई, बहुत सारे स्कूल, कॉलेज खोले गये, डैम, नहरें और अस्पताल तथा प्रगति के अनेक साधन बढ़ाये गये लेकिन आज सब जगह हम देखते हैं कि उन साधनों की कमी है। आज हमारे देश में बेरोजगार नौजवानों की एक फौज खड़ी हो गई है। हमारी यू.पी.ए. सरकार रोजगार गारंटी योजना बिल लाने वाली है लेकिन इस सबको देखते हुए मैं समझता हूं कि देश के सर्वोच्च सदन को इस बात के लिए सदैव चिंतित रहना चाहिए कि पोपुलेशन कंट्रोल करने के लिए जितने भी उपाय हमने किए हैं, वे कारगर साबित नहीं हुए हैं। हमने इस देश में अनेक कोअर्सिव मैथड अपनाकर देखे, लोगों पर स्टरलाइजेशन ऑपरेशन थोपकर देखे लेकिन वे कारगर साबित नहीं हुए। पिछले कुछ वर्षों में जनगणना में जरूर कुछ गिरावट आई है। कुछ प्रदेशों में अच्छा काम हुआ है। केरल और अन्य प्रांतों में आबादी नियंत्रण की दिशा में जरूर कुछ कारगर कदम उठाए गए हैं। वहीं दुर्भाग्य से हमारे उत्तर भारत के कुछ राज्यों, जिन्हें बीमारू राज्यों के नाम से जाना जाता है जिनमें बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश शामिल हैं और नॉर्थ ईस्ट को कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर स्वास्थ्य के पैरामीटर्स अभी भी बिगड़े हुए हैं। अगर हम इसी हिसाब से आगे चलते रहे तो मुझे लगता है कि वह दिन दूर नहीं है जब हमारा देश, जैसी कि पहले से ही भविष्यवाणी की जा रही है कि वर्ष 2035 तक दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। हमारी आबादी चीन से बढ़ जाएगी। वह बहुत ही भयावह स्थिति होगी। इसीलिए जरूरी है कि हमारी सरकार और संसद उन उपायों पर गंभीरता से विचार करे कि कैसे हम आबादी पर नियंत्रण करें। संसद इस देश का सबसे अच्छी फोरम है। मैं समझता हूं कि बहुत सारे प्रदेशों में जहां ग्रामीण चुनावों में, पंचायती राज संस्थाओं में इस तरह के नियम और कानून लाए गए हैं कि दो से अधिक सन्तान वाले लोग चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, उसी तरह से देश की संसद में भी इस बात पर विचार करना चाहिए। हमें देश का नेतृत्व करना चाहिए, हमें स्वैच्छिक रूप से इस बात के लिए प्रस्ताव पारित करना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए कि भविष्य में ऐसे नियम बने कि कम से कम सारे देश में लोगों को यह राह दिखाई पड़े कि आबादी नियंत्रण के लिए देश का यह सर्वोच्च सदन चिंतित है।

मैं कहना चाहूंगा कि हम चाहे जितने भी उपाय कर लें जब तक ग्रामीण स्वास्थ्य डिलीवर, हेल्थ केयर डिलीवरी को इम्प्रूव नहीं करेंगे, तब तक हम आबादी पर नियंत्रण नहीं पा सकेंगे। आज गांवों में इस बात की तो जानकारी है कि जनसंख्या पर नियंत्रण होना चाहिए, छोटा परिवार होना चाहिए, सीमित परिवार होना चाहिए, लेकिन वहां वे साधन उपलब्ध नहीं हैं जिनको टेक्नीकल भाषा में अनमेट नीड्स कहते हैं। लोगों की जरूरतों को हम पूरा नहीं कर सकते हैं। हमारे जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और उप स्वास्थ्य केन्द्र हैं, वहां पर सुविधाओं की भारी कमी है। हमारे जो कम्यूनिटी हेल्थ सैंटर्स हैं उनमें डाक्टरों और विशेषज्ञों की कमी है, गायनेकोलोजिस्ट्स की कमी है। हमारे यहां डाक्टर्स गांवों में नहीं जाना चाहते हैं। महोदय, मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि ब्लाक लेवल पर ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाओं की भारी कमी है और यह अक्सर देखा गया है कि जिन राज्यों में ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति अच्छी है जहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में हेल्थ क्रेयर डिलीवरी अच्छी है, जहां ब्लाक लेवल पर सर्जरी की, गायनेकोलोजिस्ट, पीडियोलॉजिस्ट और एनेथेसिस्ट उपलब्ध हैं, वहां पर परिवार कल्याण प्रोग्राम अच्छे चल रहे हैं और जहां ऐसा नहीं है वहां पर आबादी पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। इसलिए मैं यूपीए सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा जिसने इस बार नेशनल

रूरल हेल्थ मिशन की कल्पना की है और उसके माध्यम से हमारे ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्रों को अपग्रेड करने में, उनको सुसज्जित करने में, वहां पर प्राइवेट लेवल पर डाक्टर्स, गायनेकोलॉजिस्ट्स और एनेथेसिस्टट्स हायर करने, उनकी सर्विसेज लेने आदि मामलों में पहल की जाने की शुरूआत की जा रही है। मैं समझता हूं कि मिशन का काम जितना आगे बढ़ेगा, उतना ही हमारा परिवार कल्याण एवं जनसंख्या पर नियंत्रण प्रभावी रूप से हो सकेगा।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : डा. यादव, आप अगली बार अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

माननीय सदस्यों, गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार करने से पूर्व मैं माननीय वित्त मंत्री को एक वक्तव्य देने के लिए आमंत्रित करता हूं।

अपराह्न 3.28 बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(पांच) भारतीय होटल निगम के दो होटलों की बिक्री के जांच आदेश का निर्णय

[अनुवाद]

***वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम)** : उपाध्यक्ष महोदय, होटल कारपोरेशन आफ इंडिया के दो होटलों की बिक्री के बारे में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रपट का परीक्षण करने के पश्चात सरकार ने इस पर एक जांच करवाने का निर्णय लिया है। इस जांच का स्वरूप और दायरा अभी विचाराधीन है और यथासमय इसकी घोषणा कर दी जायगी।

अपराह्न 3.30 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के दसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब, हम मद संख्या 33 लेंगे।

श्री आलोक कुमार मेहता।

श्री आलोक कुमार मेहता (समस्तीपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा 11 मई, 2005 को सभा में प्रस्तुत गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के दसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि यह सभा 11 मई, 2005 को सभा में प्रस्तुत गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के दसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 34 पर आते हैं।

श्री चन्द्रकांत खैरे – उपस्थित नहीं ।

मद संख्या 35, श्री काशीराम राणा – उपस्थित नहीं।

मद संख्या 36, श्री काशीराम राणा – उपस्थित नहीं।

मद संख्या 37, श्री सुबोध मोहिते – उपस्थित नहीं।

मद संख्या 38, श्री सुबोध मोहिते – उपस्थित नहीं।

मद संख्या 39, श्री सुबोध मोहिते – उपस्थित नहीं।

मद संख्या 40, श्री सुबोध मोहिते – उपस्थित नहीं।

मद संख्या 41, ब्रजेश पाठक – उपस्थित नहीं।

मद संख्या 42, श्री बची सिंह रावत 'बचदा' – उपस्थित नहीं।

अपराह्न 3.31 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक - पुरः स्थापित

(एक) भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2005* (धारा 375 का संशोधन)

[अनुवाद]

श्री अबदुल्लाकुट्टी (कन्नानौर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय दंड संहिता, 1860 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

---

*ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 2321/2005

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–II, खंड–2 दिनांक 13.5.2005 में प्रकाशित।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय दंड संहित, 1860 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अब्दुल्लाकुट्टी : मैं विधेयक पुरः स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.32 बजे

(दो) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2005*
(अनुच्छेद 124 और 217 का संशोधन)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मद संख्या 44, श्री अब्दुल्लाकुट्टी।

श्री अब्दुल्लाकुट्टी (कन्नानौर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अब्दुल्लाकुट्टी : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.33 बजे

(तीन) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2005*
(सातवीं अनुसूची का संशोधन)

[अनुवाद]

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी (बापतला) : मैं प्रस्ताव करती हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी : मैं विधेयक पुरःस्थापित करती हूं।

अपराह्न 3.33½ बजे

(चार) वाणिज्य फसल कर्मकार (कल्याण) विधेयक, 2005*

[अनुवाद]

श्री अब्दुल्लाकुट्टी (कन्नानौर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वाणिज्य फसल कर्मकारों के लिए कतिपय कल्याणकारी उपायों और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वाणिज्य फसल कर्मकारों के लिए कतिपय कल्याणकारी उपायों और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अब्दुल्लाकुट्टी : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.34 बजे

प्रादेशिक ग्रामीण बैंक (संशोधन) विधेयक, 2004 – जारी
(धारा 2 आदि का संशोधन)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब, हम मद संख्या 47 लेंगे। प्रादेशिक ग्रामीण बैंक (संशोधन) विधेयक पर आगे विचार।

अब, श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी बोलेंगे–उपस्थित नहीं। डा. करण सिंह यादव।

डा. करण सिंह यादव (अलवर) : माननीय उपाध्यक्ष

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–II, खंड–2 दिनांक 13.5.2005 में प्रकाशित।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–II, खंड–2 दिनांक 13.5.2005 में प्रकाशित।

महोदय, मैं माननीय श्री बसुदेव आचार्य द्वारा यहां प्रस्तुत किए गए विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हूं जिसमें इन्होंने प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों को मान्यता प्रदान किए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। जैसा कि सर्वविदित है कि इन प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों की स्थापना इस देश के निर्धनतम लोगों की सहायता के लिए की गई है और इनकी स्थापना वर्ष 1975 में आपातकाल के दौरान की गई थी।

अपराह्न 3.35 बजे

(श्री वरकला राधाकृष्णन पीठासीन हुए)

अब ये ग्रामीण ऋण संरचना का एक अविभाज्य अंग बन चुके हैं और अब उन्हें गरीबों का बैंक कहा जाता है। अब, ये बैंक 580 जिलों में कार्यशील हैं, इनके नेटवर्क में 14,446 शाखाएं हैं और इनमें 70,000 से अधिक कर्मचारी कार्य करते हैं। हमारे यहां 196 प्रादेशिक ग्रामीण बैंक है, ये सभी बैंक, जो ग्रामीण ऋण प्रणाली को कार्यान्वित कर रहे हैं, आम आदमी के बैंक है। लेकिन गत कुछ वर्षों से यह देखा गया है कि इनकी जमाओं की बड़ी धनराशि, जो ग्रामीण क्षेत्रों से आती है, ग्रामीण किसानों से आती है, ग्रामीण दस्ताकारों से आती है और ग्रामीण किसानों से प्राप्त होती है का निवेश कस्बों, शहरों और बड़े उद्योगों में किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब किसान अपनी जमाओं से वंचित हो जाते हैं। ऐसा अन्तर्निहित ढांचे के कारण हो रहा है।

प्रायोजक बैंक उनके स्वामी बैंक हैं। ये ग्रामीण बैंक उन स्वामी बैंकों के हाथों में उनके दास जैसे बन गए हैं। इसीलिए, ऐसा सूचित किया जाता है कि प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के पास जमा 62,000 करोड़ रुपये की धनराशि में से लगभग 37,000 करोड़ रुपये गांवों से इन प्रायोजक बैंकों के बॉन्ड्स, प्रतिभूति और सावधि जमाओं के रूप में निवेश करने हेतु, ले लिए जाते हैं। इन ग्रामीण बैंकों में अपनी बहुत सी कमियां है। इनके कार्य संचालन का क्षेत्र सीमित होता है। प्रायोजक बैंकों और उन बैंकों द्वारा तैनात किए गए अधिकारियों के रवैये से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकिंग की स्वायतता का हनन हुआ है। क्रास सब्सिडाइजेशन के लाभ उठाने के लिए उनके पास समय है। इन विसंगतियों को कई बार इस सभा में उठाया गया है।

वित्त सम्बंधी संसदीय स्थायी समिति इन ग्रामीण बैंकों को समेकित करने के लिए प्रस्तावों की रूपरेखा तैयार की है और उसकी सिफारिश की है। इस प्रकार के प्रस्ताव 1993 में प्रस्तुत किए गए थे और पुनः 2003 में भी प्राप्त हुए थे। सरकार ने बैंकिंग प्रणाली के सम्पूर्ण प्रचालन की जांच करने के लिए व्यास समिति की नियुक्ति की थी। परन्तु सरकार का विचार या प्रस्ताव उस विशेष क्षेत्र के ग्रामीण बैंकों को उसी प्रायोजक बैंकों में एकीकृत करना था इस विधेयक के प्रस्तुतकर्त्ता श्री बसुदेव आचार्य का सुझाव है कि इन सभी ग्रामीण बैंकों को प्रायोजन बैंकों से अलग किया जाए और उन्हें 25 क्षेत्र विशेष अथवा जोनल ग्रामीण बैंकों में मिला दिया जाए।

एक सुझाव दिया गया है कि राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक आयोग जैसे शीर्ष निकाय से बनाया जाए अथवा नाबार्ड जैसे बैंक को इन बैंकिंग संस्थाओं की शीर्ष समिति का अंग बनाया जाए। यह बात इस सभा के समक्ष लाया गया है कि देश की ग्रामीण ऋण आन्दोलन में उत्प्रेरक के रूप में, नाबार्ड नेतृत्व संभाल सकता है और प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के रूप में पहले से ही विद्यमान इसकी अवसंरचना को इसका अंग बनाया जा सकता है। प्रत्येक राज्य अथवा प्रत्येक जोन में एक इकाई होगी और प्रणाली में पूर्ण व्यवस्था हो सकेगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रायोजन बैंकों के शिकंजों से आजाद किया जोकि किसानों की सेवा नहीं कर रहे।

हमारी सरकार अधिक से अधिक ग्रामीण ऋण उपलब्ध कराने के लिए वचनबद्ध हैं। माननीय वित्त मंत्री ने कहा है कि हमने पिछले वर्ष के 1,000 करोड़ रुपये ऋण वितरित करने के लक्ष्य को प्राप्त किया है और हम इस वर्ष इसमें 30 प्रतिशत की वृद्धि कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि यदि हमे यू ही सरकार की नीतियों को कार्यान्वित करना है और यदि हमे किसानों खेतिहरों और ग्रामीण दस्ताकारों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है तो श्री बसुदेव आचार्य द्वारा तैयार किए गए विधेयक को सरकार द्वारा इस प्रकार के विधेयक के रूप में सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए ताकि राष्ट्रीय ग्रामीण बैंकिंग शीषस्थ निकाय बनाया जा सके और क्षेत्रीय ढांचा का भी गठन किया जा सके।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्री बसुदेव आचार्य द्वारा प्रस्तुत किए गए, प्रस्तावों का समर्थन करता हूं।

श्री सुनील खां (दुर्गापुर) : धन्यवाद, सभापित महोदय।

मैं श्री बसुदेव आचार्य द्वारा प्रस्तुत किए गए विधेयक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (संशोधन) विधेयक 2004 का समर्थन करता हूं।

जैसाकि सभी को विदित है कि भारत की 70% से अधिक जनता ग्रामीण क्षेत्रों में रह रही है और वे अपनी बचत का अधिकतम हिस्सा बैंकों में जमा करते हैं। अतः हमें ग्रामीण बैंकों के पुनःगर्ठन पर बल देना ही होगा।

सेल और कोल इण्डिया के मामलों की तरह ही हमें क्षेत्रीय

[श्री सुनील खां]

ग्रामीण बैंकों के लिए भी शीर्ष निकाय बनाना होगा और नाबार्ड इस भूमिका को निभा सकता है। हम पिछले डेढ़ दशक से मांग कर रहे हैं कि शीर्ष संस्थान के अधीन 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 21 राज्यों और जोन व ग्रामीण बैंकों में समेकित किया जाए।

ग्रामीण संसाधनों का शहरों और अनुत्पादकारी क्षेत्रों में बढ़ते हुए अन्तरण को रोकने के लिए हमें गांवों में बैंकों में ग्रामीण पूंजी निवेश, कृषि उत्पादन और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना होगा। हमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से प्रायोजित वाणिज्यिक बैंकों को अलग करना होगा और उसके स्थान पर नाबार्ड जैसी संस्था बनानी होगी। वाणिज्यिक बैंक 14,000 से अधिक ग्रामीण बैंकों के प्रायोजक बैंक हैं।

पिछले वर्ष में ग्रामीण बैंकों ने 623 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया है और पिछले 5 वर्षों में उनको 500 करोड़ रुपये से अधिक का औसतन लाभ हुआ है। इसके बावजूद, ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों को वाणिज्यिक बैंकों के कर्मचारियों के समान वेतन और भत्ते नहीं मिल रहे हैं। इस तथ्य के बावजूद वे गांवों में अधिक ऋण का वितरण कर रहे हैं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि भारत में ग्रामीण बैंकों का पुनर्गठन करने के लिए एक प्रस्ताव होना चाहिए।

क्षे. ग्रा. बैंकों की विद्यमान समस्याओं का समाधान करने के लिए देश के 196 क्षेत्रीय ग्रा. बैंकों को 19 राज्य स्तर के बैंको और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एक जोनल बैंक में विलय करने का प्रस्ताव किया गया है। पुर्नगठित ढांचे के सैद्धान्तिक विचार को 31.3.2004 की तिथि तक व्यापार की स्थिति के साथ देखा जा सकता हैं जिसकी सूची पहले ही दी गई है। इसके साथ ही सेल, जी आई सी अथवा कोल इण्डिया लिमिटेड की तरह शीर्ष स्तर पर एक निगमित निकाय अर्थात राष्ट्रीय भारतीय ग्रामीण बैंक अथवा राष्ट्रीय ग्रामीण बैंकिंग निगम का गठन किया जाए जिसका कार्य 20 पुर्नगठित ग्रामीण बैंकों की देख भाल करना होगा।

चूंकि ये बैंक ग्रामीण लोगों को बड़े भाग के सामाजिक दायित्वों का निर्वाहन करेंगे, भारत सरकार (50 प्रतिशत) और राज्य सरकार (15 प्रतिशत) का क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में मालिकाना हक जारी रहना चाहिए और शेष 36 प्रतिशत प्रायोजक बैंकों का होगा जोकि प्रस्तावित शीर्ष निकाय (एन आर बी आई) अथवा नाबार्ड द्वारा उत्तरदायित्व लिया जाएगा। जोकि ग्रामीण ऋण प्रदान करने, ग्रामीण आयोजना और विकास करने में पहले ही शीर्ष पर बना हुआ है। संयोगवश नाबार्ड अधिनियम का विद्यमान प्रावधान (धारा 26) ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं के शेयरों की खरीद और धारकता की अनुमति देता है। नए ढांचे में किसी अतिरिक्त श्रम–शक्ति की आवश्यकता नहीं होगी। अवसंरचना पहले से ही वहां मौजूद हैं और निगमित स्तर पर लघु विशिष्ट ढाँचा विकसित किया जाएगा। जिसमें बैंकिंग उद्योग से लगभग 100 विशेषज्ञ और अनुभवी बैंककर्मियों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर पैनल में रखा जाएगा। जो शीर्ष निकाय अथवा नाबार्ड जैसे निकाय द्वारा चलाया जाएगा। प्रायोजक बैंकों से पूर्णतः अलग और उन प्रधानों से असमान प्रतिस्पर्धा से दूर, ये पुनर्गठित किए बैंक उभरती स्थिति की चुनौतियों को पूरा करने में सक्षम होंगे।

अन्त में मैं सरकार से अपील करूंगा कि उन्हें ग्रामीण बैंकों के बारे में सोचना चाहिए कि वे ग्रामीण क्षेत्र में विशेषकर गांवों में कार्य कर रहे हैं। जैसाकि आपको मालूम है कि अधिकतर बेरोजगारी कृषि क्षेत्र से विशेषकर कृषि कर्मकारों से आ रही है। हमारे पास ग्रामीण विकास के लिए कोई अवसंरचना नहीं है।

अतः ग्रामीण लोगों के विकास के लिए, बेरोजगार लोगों के विकास के लिए और असंगठित क्षेत्रों के विकास के लिए श्री बसुदेव आचार्य द्वारा प्रस्तुत किए गए विधेयक पर विचार किया जाए और उसे पारित किया जाए।

श्री सी. के. चन्द्रप्पन (त्रिचूर) : महोदय, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (संशोधन) विधेयक 2004 श्री बसुदेव आचार्य द्वारा इस सदन में पुरःस्थापित किया गया है यह हमें ग्रामीण ऋण की व्यवस्था पर विचार विमर्श करने का अवसर प्रदान करता है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री चन्द्रप्पन, कृपया एक मिनट के लिए रूकिए।

अब इस विधेयक पर चर्चा करने के लिए आबंटित समय समाप्त हो गया है यदि सभा सहमत होती है तो विधेयक के लिए निर्धारित किए गए समय को आधा घंटा बढ़ा दिया जाए।

कई माननीय सदस्य : जी, हां। महोदय।

सभापति महोदय : श्री चन्द्रप्पन, अब आप बोल सकते हैं।

श्री सी. के. चन्द्रप्पन : महोदय, यह हमें ग्रामीण ऋण की समस्या और ग्रामीण ऋण प्रदान करने के लिए मजबूत संस्थागत प्रबंध की आवश्यकता पर विचार करने का अवसर प्रदान करता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 1976 में की गई थी। इस 30 वर्षों के अनुभव से यह पता चलता है कि इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में सुधार हुआ है और इन्होंने अनुभव अर्जित किया है इनके क्षेत्र का विस्तार देश के अन्य भागों में हुआ है। इन्होंने ग्रामीणों द्वारा बैंकों में धन निवेश को प्रोत्साहित किया है और इन्होंनें ज्यादा से धन ग्रामीण लोगों को ऋण प्रदान करने में सहायता की

है। लेकिन अब कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ा है और इसके लिए कई सुझाव भी दिए गए हैं यद्यपि इन ग्रामीण ऋण संस्थाओं ने ग्रामीण क्षेत्र से निवेश भी प्राप्त किया है प्रायोजक बैंक ग्रामीण क्षेत्रों से प्राप्त धन को दूसरी जगह ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। और उन्हें बड़े–बड़े शहरों में निवेश कर रहे हैं। यदि प्रायोजक बैंकों के इस प्रकार के रवैये को अनुमति दी जाएगी तो इससे इसके प्रयोजन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जिसके लिए इन्हें स्थापित किया गया है।

सभापति महोदय : श्री चन्द्रप्पन इसके लिए केवल आधा घंटे का समय बढ़ाया गया है कृपया जब आप बोलें तो इस बात को ध्यान में रखे। कृपया अपनी बात जारी रखे।

श्री सी. के. चन्द्रप्पन : जी हां, महोदय।

वास्तव में, इन बैंकों की स्थापना ग्रामीणों की सहायता करने हेतु की गई थी। अब वह उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में बहुत से लोगों ने विभिन्न प्रस्ताव भेजे हैं। श्री बसुदेव आचार्य ने अपने संशोधन में इनमें से एक प्रस्ताव का समर्थन किया है और वह प्रस्ताव है इन सभी ग्रामीण बैंकों को एक निकाय के रूप में समेकित और सुदृढ़ करने हेतु एक अखिल भारतीय संस्थापन स्थापित करना। लेकिन एक अन्य सुझाव यह है कि इन ग्रामीण बैंकों का विलय इनके प्रायोजक बैंकों में कर दिया जाए और इस प्रकार इन प्रायोजक बैंकों की शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में भी हो जाएंगी तथा इससे लोगों को मदद मिलेगी।

फिर, इस सम्बन्ध में बहुत से सुझाव दिए गए हैं। अब मुख्य बात यह है कि ग्रामीण किसानों, शिल्पकारों और ग्रामीण उद्योगों तथा कृषि कार्यों पर निर्भर लोगों को ऋण की सुविधा मिलनी चाहिए। इस सरकार ने गत वर्ष के तथा इस बजट में भी ग्रामीण ऋण में वृद्धि करने की अपनी योजना की घोषणा की है। सं प्र. ग. सरकार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नीतियों में से एक नीति यह भी है कि ग्रामीण ऋण में वृद्धि की जाए जिससे कि कृषि क्षेत्र और अधिक सुदृढ़ हो सके। इस वर्ष माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट की घोषणा करते हुए यह कहा था कि वे अपने मिशन में सफल हुए हैं। ग्रामीण ऋण और ऐसी संस्थाओं के महत्व के बारे में प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था कृषि पर बहुत निर्भर करती है। दसवीं योजना का लक्ष्य कृषि के क्षेत्र में चार प्रतिशत या उससे अधिक वृद्धि दर हासिल करना है। इस क्षेत्र में सकल घरेलु उत्पाद में चार प्रतिशत से अधिक का योगदान होना चाहिए। लेकिन इसे हासिल करने के लिए ग्रामीण ऋण संस्थाओं को सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए। यहां अन्य संस्थाएं भी हैं। लेकिन मुख्य बात यह है कि इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आर. आर. बी.) के पास जमा भारी–भरकम राशि का हम किस प्रकार उपयोग कर पाएँगे।

महोदय, क्या हो रहा है? इस विधेयक को पुरः स्थापित करने वाले कह रहे हैं कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में जमा राशियों के एक बड़े भाग का उपयोग ग्रामीण विकास के लिए नहीं किया जा रहा है। उनका कहना है कि इसके लिए मुख्यतः प्रायोजक बैंक जिम्मेदार हैं। वे यही कह रहे थे। इस परिप्रेक्ष्य में इस बात पर अधिक गंभीरतापूर्वक चर्चा की जानी चाहिए कि सरकार उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेगी जिसके लिए ये बैंक स्थापित किए गए थे। इस विधेयक को पुरःस्थापित करने वाले ने एक ऐसा सुझाव दिया है, जिस पर गंभीरतापूर्वक चर्चा की जा सकती है। अतः हम इस विधेयक को पुरः स्थापित करने वाले श्री बसुदेव आचार्य, द्वारा प्रस्तुत किए गए विचार का व्यापक रूप से समर्थन करते हैं। हम इस विधेयक का समर्थन करते हैं।

श्री प्रबोध पाण्डा (मिदनापुर) : महोदय, मैं माननीय सदस्य श्री बसुदेव आचार्य द्वारा पुरः स्थापित किए गए विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह कहा जाता है कि भारत गांवों में बसता है। माननीय सदस्य पहले ही यह कह चुके हैं कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ग्रामीण भारत में ऋण प्रदान करने की प्रणाली के एक महत्वपूर्ण और अविभाज्य अंग के रूप में उभरे हैं।

भारत भर में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की 196 शाखाएं कार्यशील हैं। केवल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ही देश के 45 प्रतिशत यानि लगभग 12 लाख स्व–सहायता समूहों को संगठित करते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने किसानों को 40 लाख से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए हैं और नाबार्ड योजना के अन्तर्गत 11,000 किसान क्लबों में से 5000 को संगठित किया है। भारत सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से वर्ष 2004–05 के दौरान उनके कृषि ऋण में 40 प्रतिशत वृद्धि करने के लिए कहा, लेकिन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने सितम्बर, 2004 तक ही इस लक्ष्य को पार कर लिया। उनकी वसूली की स्थिति भी संतोषजनक रूप से 74 प्रतिशत के आसपास रही है और गैर–निष्पादनकारी आस्तियां केवल 12.6 प्रतिशत रही है।

श्री एन. जनार्दन रेड्डी, जो यहां उपस्थित हैं, की अध्यक्षता में एक स्थायी समिति ने यह सिफारिश की थी कि ग्रामीण बैंकों के एक शीर्ष निकाय की स्थापना की जानी चाहिए और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके प्रायोजक बैंकों से पृथक कर दिया जाना चाहिए। अतः मैं इस विधेयक और इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। यह बात नोट की जाए कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की 62,000 करोड़ रुपये की जमाराशि में से 37,000 करोड़ रुपये प्रायोजक

[श्री प्रबोध पाण्डा]

बैंकों के बॉंड, प्रतिभूतियों और सावधि जमा खातों में निवेश किए जाने के रूप में गांवों से ले लिए गए हैं। अतः मैं यह कहना चाहता हूं कि इसे एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम के रूप में लिया जाए और इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को इनके प्रायोजक बैंकों से पृथक कर दिया जाए। मेरे विचार से हमारे देश में 10 से 12 प्रायोजिक बैंक हैं।

केवल इतना ही नही चूंकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ऋण प्रदान करने के अपने मुख्य कार्य सहित अपनी महती जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से पूरा कर रहे हैं और उनके माध्यम से ऋण देने के कार्य में भी वृद्धि हुई है, इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को स्वतंत्र कर दिया जाना चाहिए और इन्हें प्रायोजक बैंकों के कार्यक्रमों या दिशानिर्देशों से निर्देशित नहीं होना चाहिए। इसीलिए, मैं यहां इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह आशा की जा रही थी कि यह विधेयक सरकार द्वारा इस सभा में लाया जाएगा, लेकिन यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसा नहीं हुआ। मैं माननीय श्री बसुदेव आचार्य को धन्यवाद देता हूं कि वे यह विधेयक इस सभा में लेकर आए। मेरे विचार से इस सभा को इस पर विचार करना चाहिए और इसे स्वीकृत करना चाहिए। मुझे आशा है कि माननीय वित्त मंत्री जी इस पर सकारात्मक रूप से विचार करेंगे।

अपराह्न 4.00 बजे

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम) : महोदय, मैंने लोक महत्त्व का एक मुद्दा उठाने हेतु सूचना दी है। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसे मैं इस सदन में उठाना चाहता हूं। आन्ध्र प्रदेश में गोलीबारी हुई और हमारी पार्टी के छह कार्यकर्ता इस दुर्घटना में मारे गए।

सभापति महोदय : श्री येरननायडु, मुझे बताया गया है कि आपका मामला विचाराधीन है।

...(व्यवधान)

श्री किन्जरपु येरननायडु : महोदय, मैं इस मुद्दे को केवल इसलिए उठाना चाहता हूं क्योंकि यह एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है।

सभापति महोदय : श्री येरननायडु मुझे सूचित किया गया है कि आपका मामला अभी भी सक्रिय रूप से माननीय अध्यक्ष महोदय के विचाराधीन है।

अब, माननीय वित्त मंत्री जी की बारी है।

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : महोदय, श्री बसुदेव आचार्य द्वारा जो विधेयक पुरः स्थापित किया गया है उसमें यह इंगित किया गया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यकरण की बहुत सी सीमाएं हैं। उनका विचार यह है कि वर्तमान कानून में संशोधन करके हम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यकरण को बेहतर बना सकते हैं। मुद्दा स्पष्ट है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यकरण को बेहतर बनाए जाने की आवश्यकता है, लेकिन, पहले यह देखिए कि इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना क्यों की गई थी। एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर छोटे और सीमांत किसानों, कृषि श्रमिकों, कारीगरों और छोटे उद्यमियों के लिए कृषि, व्यापार, वाणिज्य और अन्य उत्पादक कार्यों के विकास को बढ़ावा देना होता है। इसलिए, कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक लोगों के इस उपेक्षित वर्ग तक बैंकिंग सेवा पहुंचाने का कार्य करने में तभी सक्षम हो सकेगा। जब वह उसी क्षेत्र में अपना ध्यान केन्द्रित रखे और उसका ध्यान बंटे नहीं जिससे कि वह एक वैश्विक बैंक की भांति ही कार्य कर सके।

आज, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक बड़े पैमाने पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रायोजित कर रहे हैं। कुछ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को निजी क्षेत्र के बैंक जैसे बैंक ऑफ राजस्थान, जे. एण्ड के. बैंक और एक मामले में उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी बैंक प्रायोजित कर रहे हैं। यदि हम श्री बसुदेव आचार्य द्वारा दिए गए सुझाव को स्वीकार कर लेते हैं कि यदि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक संघ राज्य क्षेत्रों के समूह या संघ राज्य क्षेत्र में स्थापित किया गया हो तो सरकार, केन्द्र सरकार होगी और एक राज्य में सरकार, संबंधित राज्य की राज्य सरकार होगी और यदि यह कुछ राज्यों के समूह में है तो यह संबंधित राज्य सरकारों का समूह होगी और तब मेरे विचार से इन बैंकों के ऊपर किसका नियंत्रण होगा, इस बारे में पूर्णतया भ्रम की स्थिति पैदा हो जाएगी। आज, नियंत्रण की स्थिति स्पष्ट है। या तो राष्ट्रीयकृत बैंक इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रायोजक हैं या कोई निजी बैंक इनका प्रायोजक है तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इसके लिए लाइसेंस दिया जाता है। यदि हम नियंत्रण प्रणाली में फेरबदल करते हैं तो मुझे आशंका है कि पूरी व्यवस्था को शुरू से पुनः आरम्भ करना पड़ेगा और इसे पुनः शुरू से आरम्भ करना संभव नहीं है। क्योंकि आज ग्रामीण बैंकों की जड़ें बहुत गहराई में पहुंच चुकी है।

दूसरी ओर यदि नाबार्ड इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अधिगृहित करता है तो एक ओर इन बैंकों के पर्यवेक्षक और विनियामक नाबार्ड तथा दूसरी ओर इनके स्वामी नाबार्ड के बीच हितों का टकराव शुरू हो जाएगा। बैंकों का स्वामित्व केंद्र सरकार के पास और विनियमन भारतीय रिजर्व बैंक के पास रहने

का एक कारण है कि विनियामक कार्य और स्वामित्व संबंधी कार्य अलग–अलग होने चाहिएं। नाबार्ड सभी कृषि ऋण संबंधी बैंकों के लिए पर्यवेक्षण – सह – विनियामक संस्था है और मैं नहीं समझता कि विनियामक और पर्यवेक्षक को बैंकों का स्वामी भी होना चाहिए।

महोदय, आज क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने अपने कार्यकरण में सुधार किया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक तथा सहकारी बैंक आज हमारे कृषि ऋण संबंधी कार्यों के लिए एक महत्वपूर्ण साधन बन गए हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसानों को ऋण देते हैं और जहां तक कृषि ऋण का संबंध है तो वर्ष 2004–05 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने बहुत अच्छा कार्य किया है। वस्तुतः उन्होंने हमारी अपेक्षाओं से बहुत अच्छा कार्य किया है।

अब हम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की ऋण विकास दर पर ध्यान देते हैं। यह वर्ष 2000 में 6,960 करोड़ रुपए थी; अब वर्ष 2004 में यह 15,579 करोड़ रुपए थी। इन पांच वर्षों में कुल औसत विकास दर 20 प्रतिशत से अधिक है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की 62,000 करोड़ रुपए की की जमाओं में से 37,000 करोड़ रुपए गांव वालों से जुटाये गए। प्रायोजक बैंकों ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में धन निवेश किया है। उदाहरणार्थ 31 मार्च, 2004 की स्थिति के अनुसार प्रायोजक बैंकों ने 356.40 करोड़ रुपए दिए हैं; नाबार्ड ने अल्पावधि और दीर्घावधि दोनों के लिए 4,288.75 करोड़ रुपए दिए हैं। वस्तुतः मैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के, विशेषकर वर्ष 2004–05 में निष्पादन से बहुत प्रसन्न हूं। कृषि क्षेत्र को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से 11,718 करोड़ रुपए की बड़ी राशि प्राप्त हुई है। इसलिए, मैं समझता हूं कि वर्तमान व्यवस्था सुस्थिर है और अच्छी कार्य कर रही है।

अब हम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कुछ अन्य निष्पादन संकेतों को देखते हैं। 4 फरवरी, 2005 के अंत तक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा जारी किसान क्रेडिट कार्डों की संख्या 14,47,585 है; क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा प्रवर्तित किसान क्लबों की संख्या 6,185 है। हमने पिछले वर्ष में क्या किया है? हमने प्रायोजक बैंकों को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यकरण के लिए पूरी तरह जिम्मेदार बनाया है। इसलिए जवाबदेही तय की गई है। हमने प्रत्येक प्रायोजक बैंक को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यकरण को पर्यवेक्षण करने के लिए महाप्रबंधक स्तर पर एक वरिष्ठ अधिकारी को नाम–निर्दिष्ट करने के लिए कहा है। इसलिए अधिकारियों की स्पष्ट पंक्ति है: यह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष से प्रायोजक बैंक के महाप्रबंधक और बोर्ड तथा प्रायोजक बैंक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक तक जाती है।

प्रायोजक बैंक आज क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में प्रशिक्षण अधिकारियों की जिम्मेदारी लेते हैं। वास्तव में वेतन मान अब समान हैं। प्रायोजक बैंकों से वरिष्ठ अधिकारियों को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में प्रतिनियुक्त किया जाता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी केवल इस बात को छोड़कर कि उनका कार्यकरण बहुत विकेंद्रीकृत स्तर पर है और वे प्रायोजक बैंकों की तुलना में बहुत भिन्न ग्राहकों की मांग पूरी करते हैं, जानकारी और प्रतिस्पर्धा के मामले में प्रायोजक बैंकों जैसे बन रहे हैं।

महोदय, जब श्री बसुदेव आचार्य ने यह विधेयक पुरः स्थापित किया था तो शायद कोई कारण होगा परन्तु वह कारण अब उचित नहीं रह गया है। मैं समझता हूं कि 2004–05 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यकरण को देखने के बाद हमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यकरण की प्रशंसा करनी चाहिए और 2005–06 में भी अच्छा काम करते रहने देना चाहिए। यदि हमारे सामने कोई व्यवहारिक समस्या आती है तो हम उन समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे। तथापि, मेरा सादर निवेदन है कि कानून में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन करने और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के गठन और कार्यकरण के तरीके में कोई परिवर्तन करने का समय नहीं है। मेरा यह भी सादर निवेदन है कि राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक के लिए भी कोई मामला नहीं है। नवीनतम समिति सहित बहुत सी समितियों द्वारा सिफारिश नहीं की गई है। उसका केवल यही अर्थ है कि हम एक कठोर चीज बनायें और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का असर कम करें जो कि स्थानीय जनसंख्या की आवश्यकताओं पर ध्यान देने वाला स्थानीय क्षेत्र का स्थानीय बैंक है।

अब हम प्रायोजक बैंक को अपने द्वारा प्रायोजित और एक राज्य में कार्यरत सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को ऊर्ध्वगामी एकीकृत करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। यह राज्य के भीतर संहिताबद्ध किए जाने की दिशा में पहला कदम है। मैं समझता हूं कि एक या दो राज्य सरकारों को छोड़कर सभी राज्य सरकारें इस विचार से सहमत हैं इसलिए, यदि किसी प्रायोजक बैंक के पास एक राज्य में एक से अधिक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं तो उन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को संहिताबद्ध किया जा रहा है और एक नाम और एक छतरी के नीचे लाया जा रहा है। मैं समझता हूं कि उस कोशिश को सफल बनाना चाहिए। मैं समझता हूं कि इसमें से अधिकांश चालू वर्ष में हो जायेगा। मुझे विश्वास है कि वर्ष के अंत तक में सूचना दे सकूंगा कि क्षेत्रीय बैंकों ने 2005–06 में बेहतर कार्य किया है और 2004–05 के अपने निष्पादन में सुधार किया है।

[श्री पी. चिदम्बरम]

इसलिए, मैं श्री बसुदेव आचार्य से सादर अनुरोध करता हूं कि इस विधेयक को वापस ले लें। इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। मैंने उनकी बात को नोट किया है। परन्तु मैं समझता हूं कि यह समय इस पर आग्रह करने का नहीं है।

सभापति महोदय : मैं इस विधेयक को प्रस्तुत करने वाले श्री बसुदेव आचार्य को अपनी बात कहने के लिए आमंत्रित करता हूं।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : माननीय सभापति महोदय, मैंने प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम में संशोधन करने के लिए यह विधेयक क्यों प्रस्तुत किया है? पिछले लगभग तीन दशकों से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक विद्यमान हैं। एक निश्चित उद्देश्य यानी ग्रामीण ऋण पर ध्यान केंद्रित करने, किसानों कृषि श्रमिकों, ग्रामीण कारीगरों, छोटे व्यापारियों इत्यादि की सहायता करने के लिए 1976 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बनाये गए थे।

मैंने अपने विधेयक में यह सुझाव नहीं दिया है कि कुछ राज्यों को एक साथ मिला देना चाहिए। मेरा विशिष्ट संशोधन धारा 24ख में है जिसमें कहा गया है:

> "केन्द्रीय सरकार रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय बैंक से परामर्श करके राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अथवा संसद के पृथक अधिनियम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक अथवा ऐसे अन्य नाम से जो अधिसूचना अथवा अधिनियम में विनिर्दिष्ट किया जाए, का गठन कर सकेगी जिसमें एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य होंगे...
>
> धारा 3(1) में मेरे संशोधन में कहा गया है:
>
> "केन्द्रीय सरकार, यदि किसी विशेष क्षेत्र या राज्य या संघ राज्य क्षेत्र पर राज्यों के किसी समूह के लोगों के हित में आवश्यक और समीचीन समझे तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा संबंधित क्षेत्र या राज्य या संघ राज्य क्षेत्र या राज्यों के समूह में एक प्रादेशिक ग्रामीण बैंक की स्थापना ऐसे नाम से कर सकेगी जैसाकि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, अथवा उक्त या किसी पश्चात्वर्ती अधिसूचना द्वारा ऐसी सीमाएं विनिर्दिष्ट कर सकेगी जिनके भीतर प्रादेशिक ग्रामीण बैंक कार्य करेगा।"

यहां राज्यों के समूह में छोटे राज्यों की ओर संकेत किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में छोटे राज्य हैं। इन छोटे राज्यों में अलग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं हो सकते। इसीलिए, मैंने अपने विधेयक में सुझाव दिया है कि छोटे राज्यों के समूह में एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो सकता है।

मेरा सुझाव यह नहीं है कि एक राज्य में केवल एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो सकता है। बड़े राज्यों में दो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो सकते हैं। माननीय वित्त मंत्री का कहना कि मैंने राज्यों के समूह के लिए एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का सुझाव दिया है सही नहीं है। राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक बनाने के मेरे सुझाव के संबंध में मंत्री महोदय ने बताया है कि यह एक कठोर ढांचा बन जाएगा। मेरे सुझाव का यह अर्थ नहीं है कि एक अलग निकाय बनाया जाना चाहिए। नाबार्ड भी समन्वयक की भूमिका निभा सकता है।

ये बैंक केवल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में ही समन्वय करेंगे। नाबार्ड अथवा राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक समन्वयकों की भूमिका अदा करेंगे। मुझे नहीं पता कि नाबार्ड द्वारा क्या विनियामक कार्य किया जा रहा है। मेरा सुझाव है कि नाबार्ड बैंक का स्वामी नहीं होगा। बल्कि नाबार्ड विभिन्न क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में समन्वयन करेगा।

महोदय, माननीय मंत्री ने गत वर्ष स्वीकार किया था कि किसानों और ग्रामीण लोगों को ऋण देने के संबंध में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने बहुत अच्छा कार्य किया है। वृद्धि 20 प्रतिशत थी। जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक घाटे में चल रहे थे वे अब घाटे से बाहर निकल आए हैं। इन तीन दशकों के दौरान इन बैंकों ने अनुभव हासिल किया है। आज प्रायोजक बैंकों द्वारा क्या भूमिका निभाई जा रही है? उनका योगदान क्या है? मैं उन सबका आभारी हूं जिन्होंने इस कार्य में भाग लिया। सभी माननीय सदस्यों ने अपना समर्थन दिया है। जिन्होंने चर्चा में भाग लिया उन सबने मांग की है कि प्रायोजक बैंकों को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से अलग किया जाना चाहिए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने अनुभव प्राप्त कर लिया है। वे अब अपने पांव पर खड़े हो रहे हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 1976 में बनाया गया था। तीन दशकों के पश्चात उन्होंने अनुभव प्राप्त कर लिया है। प्रायोजक बैंक वह भूमिका नहीं निभाते जिसके लिए उन्हें बनाया गया था। उस स्थिति में हमें उस व्यवस्था को क्यों बनाये रखें? यदि वही व्यवस्था चलानी थी तो केलकर समिति, दास समिति से शुरू करके इतनी सारी समितियां गठित क्यों की गई। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी अपनी सिफारिशें दी और श्री जनार्दन रेड्डी की अध्यक्षता में स्थायी समिति ने भी उसी तरह की सिफारिशें की कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्संरचना और पुनर्गठन की जरूरत है।

अपने उद्देश्य और कारणों के विवरण में मैंने यह संशोधन विधेयक लाने के पांच कारण बताये हैं। सबसे पहले क्षेत्रीय ग्रामीण का दौशिक कवरेज बढ़ाना और कवरेज क्षेत्र का विस्तार करना है। कवरेज का अर्थ है कि वह प्रयोजन जिसके लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का सृजन किया गया था। मैं यह नहीं कह रहा हूं

कि उस क्षेत्र के बाहर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को काम करने की अनुमति भी दी जाए। दूसरा विभिन्न एजेंन्सियों द्वारा धन जुटाकर बैंकों के संसाधन आधार को मजबूत करना है। तीसरा प्रायोजित बैंकों को ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्य से असम्बद्ध करना है ताकि विद्यमान प्रतिस्पर्धा परिदृश्य है में मान्यता प्राप्त बैंकों को समान अवसर प्रदान किए जा सके। चौथा, विभिन्न स्तरों पर काम करने वालों कर्मचारियों के दृष्टिकोण, आदेश तथा उत्तदायित्व में एकरूपता सुनिश्चित की जानी चाहिए। पाचवां प्रबन्धन और निर्णय लेने में कर्मचारियों की भागीधारी की अनुमति होना चाहिए और बातचीत करने का उनका अपना एक मंच हो। आज कोई ऐसा मंच नहीं हैं राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए जो वेतन संशोधन संबंधी निर्णय लिया गया है। उसे लम्बे संघर्ष के पश्चात् क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में लागू किया गया है। आरम्भ के 20 वर्षों तक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों के वेतनमान वाणिज्यिक बैंक के कर्मचारियों के वेतन से काफी कम थे।

किसी भी समिति ने शीर्षस्थ निकाय की सिफारिश नहीं की है। शीर्ष निकाय की अवधारणा यह है कि एक संगठन भारतीय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होना चाहिए। मैंने पहले भी कहा है कि इसका कार्य समन्वय का होगा। यह भिन्न-भिन्न क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बीच समन्वय करेगा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कृषि और उससे सम्बद्ध कार्यों के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए एक परामर्शदात्री समिति गठित की गई। उस समिति ने सिफारिश की है और मैं उद्धत करता हूं "कृषि के लिए दिए जाने वाले ऋण के अनुमान को ध्यान में रखते हुए समिति महसूस करती है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक विशेषकर अपनी मजबूत ग्रामीण शाखा अवसंरचना, अपने कर्मचारियों की ग्रामीण पृष्ठभूमि और कृषि के लिए ऋण प्रदान करने में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के हिस्से के वर्तमान प्रवाह के कारण महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। अतः समिति महसूस करती है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के अधिदेश जारी रखे जाए। यद्यपि उन्हें एक सक्षम वित्तीय संस्थान के रूप में पुनर्गठित किये जाने की आवश्यकता है और इसके साथ साथ उनकी क्षेत्रीय विशेषता और ग्रामीण फोकस को भी पुनर्गठित किए जाने की आवश्यकता है। समिति ने यह भी सुझाव दिया कि पुनर्गठन की आवश्यकता है। अधिदेश जारी रहेगा। यह क्षेत्रीय विशेषता और ग्रामीण फोकस पर निर्भर होगा। यदि संशोधन स्वीकार किया जाता है और यदि मंत्री महोदय प्रत्येक राज्य में एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित करने के लिए सहमत नहीं हैं तो वे इस पर विचार कर सकते हैं। आज पश्चिम बंगाल में 6-7 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं। उन्हें दो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में विलय किया जा सकता है। एक छोटे राज्यों के लिए हो सकता है और बड़े राज्यों के लिए 2-3 हो सकते हैं। 1976 में 30 वर्षों के पश्चात्, परिस्थितियां बिल्कुल अलग थीं। प्रारंभ में ग्रामीण बैंकों ने नयी अवधारणा अपनाई थी। हम बंगलादेश जैसे अन्य देशों में भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यकरण को देख सकते हैं। बंगलादेश ग्रामीण बैंक सफल हैं। उन्होंने कहा है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्गठन की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जारी रहेंगे क्योंकि पिछले वर्ष में उन्होंने अच्छा कार्य किया है। वह अपेक्षा कर रहे हैं कि इस वर्ष भी वे बेहतर कार्य करेंगे। अतः यदि कार्यनिष्पादन बेहतर है और इसे अधिक कुशल बनाने के लिए यदि पुनर्गठन की आवश्यकता होती है तो मैं जानना चाहता हूं क्या सरकार इस पर विचार करेगी या नहीं?

इस समिति ने पैरा 7.7 में भी यह सुझाव दिया है और मैं उद्धत करता हूं:-

> "समिति देश के अन्य भागों के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के दो चरण के पुनगर्ठन की सिफारिश करती है। पहले चरण के अंतर्गत एक राज्य में सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और प्रायोजित बैंकों को मिलाकर उस राज्य में एक इकाई बना दिया जाएगा। राज्य स्तर पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मिलाकर एक से अधिक किया जा सकता है जोकि उस राज्य में प्रायोजित बैंकों की संख्या पर निर्भर करेगा। इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक प्रायोजित बैंक एक धारक कम्पनी की स्थापना कर सकता है।"

यह एक धारक कम्पनी की तरह ही है। भारी उद्योग मंत्रालय के अधीन दो धारक कम्पनियां हैं। इन धारक कम्पनियों के अधीन कई इकाईयां होती हैं। जैसे एक धारक कम्पनी के अंतर्गत 6-7 इकाईयां होती है। धारक कम्पनी का कार्य समन्वय स्थापित करना और निगरानी करना है। धारक कम्पनी सभी इकाईयों की स्थायी नहीं होती है। धारक कम्पनी की अवधारणा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के मामले में भी अपनाई जा सकती है।

"इस प्रायोजन के लिए, प्रत्येक प्रायोजित बैंक कम्पनी अधिनियम के अधीन राज्य में विशेष प्रयोजनक उपाय के रूप में काम करने के लिए एक धारक कम्पनी की स्थापना कर सकता है। नाबार्ड का धारक कम्पनी में अंशदान 74:26 प्रतिशत के अनुपात में होगा। इसके बदले में धारक कम्पनी प्रायोजित बैंकों के विभिन्न राज्य स्तर के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की इक्विटी में अंशदान करेगी। यह शेयर पूंजी और प्रत्यक्ष मूल्य पर आधारित कीमत पर केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा दी जाने वाली अतिरिक्त शेयर पूंजी जमा को भी ध्यान करेगा। नुकसान उठाने वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों यदि कोई है, को निश्चित समय सीमा में लाभ अर्जित करने के लिए कहा जाए और स्पष्ट रूप से उन्हें यह भी

[श्री बसुदेव आचार्य]

कहा जाए कि इसके पश्चात उन्हें कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पुनर्गठन के पहले चरण में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या 196 से घटकर 74 कर दी जाएगी।"

यह सत्य नहीं है कि किसी भी समिति के पुनर्गठन करने की सिफारिश नहीं की है। उन्होंने राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए इसकी सिफारिश नहीं की होगी। मैंने किसी ऐसे संगठन के लिए सुझाव नहीं दिया है। जिसका एकाधिकार हो। मेरा सुझाव है कि इस धारक कम्पनी जैसा, समन्वय निकाय बनाया जाए। नाबार्ड भी यह भूमिका निभा सकता है अथवा एक राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक बनाया जाए जिसका काम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की निगरानी, विनियमन और सहायता करना होगा। ऐसे विलय के पक्ष में सिफारिशें की गई हैं। वित्त मंत्री भी राष्ट्रीयकृत बैंकों का विलय करने के लिए सहमत है लेकिन वह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय करने के लिए सहमत नहीं है। वह इस पर क्यों आपत्ति कर रहे हैं? वह राष्ट्रीयकृत बैंकों का विलय करने के पक्ष में है लेकिन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय करने के पक्ष में नहीं हैं। यहां दो प्रकार के मानदण्ड अपनाए जा रहे हैं। अतः मैं इसका समर्थन नहीं करता हूं।

श्री पी. चिदम्बरम : यदि माननीय सदस्य एक मिनट रूकें तो मैं कहना चाहूंगा कि उन्होंने मेरी कही बात का गलत अर्थ लगाया है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मामले में हमने कहा है कि हम किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को मजबूर नहीं कर रहे हैं कि वह किसी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के साथ विलय करे। यदि दो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक विलय चाहते है तो हम उनकी मदद करेंगे। इसका कारण यह है कि भारत में एक विशेष आकार और प्रकार के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की आवश्यकता है ताकि वे प्रतिस्पर्धा में सक्षम हो सके। जहां तक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का सम्बन्ध है जैसाकि मैंने कहा है हम प्रायोजित बैंक को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वह प्रत्येक राज्य में एक से अधिक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का विलय करे। हम राज्य के भीतर विलय को प्रोत्साहित कर रहे हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : प्रायोजित बैंक ने क्या भूमिका निभाई है? उनका योगदान क्या है? मंत्री महोदय ने कहा है कि उन्का अंशदान मात्र 356 करोड़ का है। जबकि हमारा अंशदान 4268 करोड़ रुपये है। मंत्री महोदय प्रायोजित बैंकों को यह भूमिका क्यों सौंप रहे हैं जबकि बैंक अपनी भूमिका निभा ही नहीं रहे हैं? प्रायोजित बैंकों की अवधारणा 30 वर्ष पहले अपनाई गई थी, क्या सरकार इसकी समीक्षा नहीं करेगी? हमने समय के साथ शिक्षा ली? लेकिन 30 वर्षों के अनुभव के पश्चात भी हम उसी व्यवस्था को अभी भी चला रहे हैं। निसन्देह इसमें कई कठिनाईयां और समस्याएं हैं। फिर भी इसमें विकास की गुंजाइश है लेकिन इसमें और विकास की गुंजाइश है या नहीं इस पर विचार किया जाना चाहिए। आज भी ग्रामीण भारत में, सरकारी आंकड़ों के अनुसार जनसंख्या का 26 प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे रह रहा है। इस 26 प्रतिशत लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाना चाहिए और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को इस सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। हम जानते हैं कि सहकारी बैंक की हालत खस्ता है।

मंत्री महोदय, आज एक विधेयक लाए हैं। वैद्यनाथन समिति ने इनकों मजबूत करने, पुनर्गठित करने, विनियमन तंत्र बनाने और ऐसे अन्य कार्यों के लिए सिफारिश की है। अभी तक कितने सहकारी बैंकों को बन्द किया गया है? सहकारी बैंक भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भी गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए महत्त्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। लेकिन माननीय मंत्री जी का कहना है कि वह इसकी समीक्षा नहीं करेंगे। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि हमने उपलब्धि हासिल की है लेकिन क्या इसमें और प्रगति करने की कोई गुंजाइश नहीं है और यदि हैं तो इसमें आने वाली बाधाओं और कठिनाईयों को भी दूर करना होगा।

महोदय, आपने सभा के विचारों को सुना है एन डी ए सभा की बैठक का बहिष्कार कर रहा है लेकिन यदि वे सभा में उपस्थित होते तो वे भी इसका समर्थन देते। येरननायडु जी का दल भी इसका समर्थन कर रहा है।

श्री किरन्जपु येरननायडु : मैंने हमेशा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का समर्थन किया है।

सभापति महोदय : आपके भाषण का समय समाप्त हो गया है आप इस तरह अपना भाषण जारी नहीं रख सकते।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : पूरी सभा प्रायोजित बैंकों से असम्बद्ध होने के पक्ष में है लेकिन वित्त मंत्री उस प्रस्ताव से सहमत नहीं है। उन्होंने आश्वासन भी नहीं दिया है कि वे इसकी समीक्षा करेंगे अथवा इस पर चर्चा करेंगे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्गठन और सशक्तीकरण की आवश्यकता है ताकि वे 1976 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सौंपी गयी भूमिका को अदा कर सकें। आज बदली हुई परिस्थिति में पुनर्गठन और सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता है। कुछ ग्रामीण बैंकों के विलय की आवश्यकता है। एक समन्वयक की भी जरूरत है।

मैं वित्त मंत्री से अपील करता हूं कि इस प्रस्ताव पर

सहमति देने की कृपा करें। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि सभा को भरोसा दिलायें कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्गठन और अलग–अलग करने के संबंध में सकारात्मक निर्णय लेंगे ताकि बैंक अधिक कुशलता से कार्य कर सकें, अपने पांव पर खड़े हो सकें और भारत के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सौंपी गई जिम्मेदारी को निभा सकें।

सभापति महोदय : क्या आप अपना संशोधन वापस ले रहे हैं?

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, जब तक मंत्री महोदय कोई आश्वासन नहीं देते तब तक मैं अपना संशोधन वापस कैसे ले सकता हूँ?

श्री पी. चिदम्बरम : आपको ध्यान होगा कि अपने उत्तर के दौरान मैंने कहा था कि बैंक अपना कार्य अच्छी तरह कर रहे हैं और इस वर्ष और बेहतर करने की आशा है। राज्य स्तर पर कुछ संगठित करने का कार्य चल रहा है और अब जवाबदेही प्रायोजक बैंकों पर तय की गई है। इसलिए, अब ढांचे में परिवर्तन करने का कोई कारण नहीं है। परन्तु जैसा मैंने कहा कि यदि यह आवश्यक हुआ और यदि हमें व्यवहारिक कठिनाई होती है तो हम निश्चय ही मामले पर पुनर्विचार करेंगे। एक कहावत है जिसमें कहा गया है : यदि कुछ टूटा नहीं है तो उस मत जोड़ो। इस समय कुछ भी टूटा नहीं है। इसलिए, हम ऐसी चीज न जोड़े जो टूटी नहीं है। परन्तु यदि हमारे सामने व्यवहारिक समस्या आती है तो हम निश्चय ही मामले पर पुनर्विचार करेंगे। यही मैंने माननीय मित्र को बताया था।

श्री बसुदेव आचार्य : हमारे सामने पूर्व में समस्याएं आई थीं। परन्तु गत एक वर्ष से इसने सही कार्य किया है। इसलिए वह भविष्य में पुनर्संरचना और पुनर्गठन पर विचार करेंगे। इसलिए, जब तक वह आश्वासन नहीं देते तो मैं कैसे अपना संशोधन वापस ले सकता हूं?

सभापति महोदय : विधेयक का उद्देश्य अच्छा हैं परन्तु अब हम इसे समाप्त करते हैं।

प्रश्न यह है :

"कि प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

अपराह्न 4.38 बजे

राज्यसभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है:–

(एक) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उप–नियम (6) के उपबंधों के अनुसरण में मुझे बिहार मूल्य वार्धित कर विधेयक, 2005 को जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 11 मई, 2005 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निर्देश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिश नहीं करनी है।"

(दो) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबंधों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 12 मई, 2005 की हुई अपनी बैठक में, लोक सभा द्वारा 11 मई, 2005 को हुई अपनी बैठक में पारित किए गए सूचना का अधिकार विधेयक, 2005 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई"।

अपराह्न 4.40 बजे

आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने के बारे में

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब श्री येरननायडु आप दो मिनटों में अपनी बात रख सकते हैं।

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम) : महोदय, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में पुलिस की गोलीबारी के कारण छः ते.दे.पा. कार्यकर्ताओं की जान चली गई है।...*(व्यवधान)*

श्री एन. जनार्दन रेड्डी (विशाखापत्तनम) : महोदय, वह यहां राज्य का मामला उठा रहे हैं...*(व्यवधान)* पहले ही इसके लिए मजिस्ट्रेट द्वारा जांच का आदेश दिया जा चुका है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री येरननायडु को अपनी बात कहने की इजाजत दी जा चुकी है। और कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**...

श्री किन्जरपु येरननायडु : महोदय, तेदेपा के एक पूर्व मंत्री परितला रवि की हत्या कर दी गई और उसके कारण आंध्र प्रदेश में अनंतपुर उपचुनाव कराया जा रहा है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि श्री येरनायडु को माननीय अध्यक्ष द्वारा अपनी बात करने की अनुमति दी गई है और इसलिए मैंने उनका नाम पुकारा है। माननीय सदस्य अब कम से कम धैर्यपूर्वक उनकी बात सुनेंगे।

....(व्यवधान)

श्री किन्जरपु येरननायडु : महोदय, पूर्व विधान सभा सदस्य और तेदेपा के मंत्री श्री परितला रवि की हत्या के लिए दायर प्राथमिकी में श्री जगनमोहन रेड्डी, पुत्र श्री वाई. एस. राजशेखर रेड्डी, श्री दिवाकर रेड्डी और अनंतपुर के पुलिस महानिरीक्षक का नाम दर्ज किया गया है। सी बी आई जांच चल रही है। *...(व्यवधान)* आज हमारे दल की उम्मीदवार श्रीमती परितला सुनीता उपचुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल करने गई और वहाँ बड़ी संख्या में हमारे दल के कार्यकर्ता एकत्र हुए और बिना भड़काये और बिना कोई संकेत दिए पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किया गया और अश्रु गैस के गोले फेंके गए...*(व्यवधान)* और पुलिस गोलीबारी के कारण कम से कम छः तेदेपा कार्यकर्ताओं की मौत हो गई। हमने इस मामले में माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से बात की और अनंतपुर में पुलिस महानिरीक्षक तथा अधीक्षक को बदलने का अनुरोध किया। दोनों ही इस गोलीबारी के लिए जिम्मेदार हैं...*(व्यवधान)* महोदय, आपके मध्यम से मैं सभा में आंध्र प्रदेश में अनंतपुर के पुलिस महानिरीक्षक तथा अधीक्षक के तत्काल निलंबन की मांग करता हूं। सरकार को जांच आयोग अधिनियम के अंतर्गत इस मामले में न्यायिक जांच का आदेश भी देना चाहिए।...*(व्यवधान)* यही हमारी मांग है।

माननीय सभापति महोदय, तेदेपा के छ कार्यकर्ता मारे गए हैं। राज्य में कोई कानून और व्यवस्था नहीं है। आंध्र प्रदेश राज्य में कोई मानवाधिकार और कानून का शासन नहीं है। पुलिस बिना किसी कारण के गोली चला रही है। हम जांच आयोग अधिनियम के अंतर्गत न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं। जिसकी अध्यक्षता उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश करें। यही हमारी मांग है...*(व्यवधान)*

महोदय, एक दिन सच्चाई बाहर आ जाएगी...*(व्यवधान)* राज्य–प्रायोजित पुलिस गोलाबारी की जा रही है। सरकार पुलिस बल का प्रयोग कर रही है और वे इस तरह चुनाव जीतना चाहते हैं...*(व्यवधान)* यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है और हम मामले की जांच की मांग कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपको केवल दो मिनट दिए गए थे। कृपया अब आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री किन्जरपु येरननायडु : महोदय मेरे दल ने छ मतदाता खो दिए। आज पुलिस गोलीबारी हो रही है और राज्य में कोई कानून और व्यवस्था नहीं है। हमने इसके बारे में मानवाधिकार आयोग से बात की; हमने इन हत्याओं के बारे में माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधान मंत्री और मानवाधिकार आयोग से भी बात की है...*(व्यवधान)*

डा. एम. जगन्नाथ (नगर कुरनूल) : यह एक गंभीर बात है...*(व्यवधान)*

श्री किन्जरपु येरननायडु : महोदय, मैं चाहूँगा कि माननीय गृह मंत्री एक बयान दें...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब सभा दूसरे विषय पर चर्चा करेगी और कार्यवाही–अभिलेख में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री किन्जरपु येरननायडु : महोदय, माननीय गृह मंत्री को एक बयान देना चाहिए *...(व्यवधान)*। सरकार को एक न्यायिक जांच बैठानी चाहिए और पुलिस महानिरीक्षक और अनंतपुर जिला के पुलिस अधीक्षक को तत्काल निलम्बित किया जाना चाहिए। हमें इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अनंतपुर में हो रहा चुनाव मुक्त और निष्पक्ष हो पायेगा और इस कारण सरकार तदनुसार चुनाव आयोग को सीधे अपनी देख–रेख में चुनाव करने का निर्देश जारी करें।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपको बोलने की अनुमति नहीं दी गई है। श्री येरननायडु अपना भाषण पूरा कर चुके हैं और अन्य किसी भी सदस्य का भाषण कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय : अब इस विषय पर किसी को भी बोलने की अनुमति नहीं है।

श्री येरननायडु की बारी समाप्त हो चुकी है।

...(व्यवधान)

श्री किन्जरपु येरननायडु : महोदय, सभा के माननीय नेता यहाँ मौजूद हैं...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री एन. जनार्दन रेड्डी : महोदय हमें बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए।

श्री किन्जरपु येरननायडु : हम एक न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*... अनंतपुर के आई.जी. को निलंबित किया जाना चाहिए।

...*(व्यवधान)*...

सभापति महोदय : कृपया बैठे रहिए...*(व्यवधान)*

डा. एम. जगन्नाथ : क्या आप चाहते हैं कि लोग इसी तरह मारे जाते रहें? ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं होगा।

...*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : आप लोग केवल शोर मचा रहे हैं।

...*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : यह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्री किन्जरपु येरननायडु : हमने मामले को माननीय प्रधान मंत्री के साथ उठाया था और प्रधानमंत्री ने कहा है कि वहाँ से आई.जी. को स्थानांतरित करने के लिए मैं राज्य सरकार को निर्देश जारी करूँगा। लेकिन यह अभी तक नहीं हुआ है। और यही कारण है कि यह घटना हुई है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप लोग शोर मचाते जा रहे हैं। कुछ भी कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्री किन्जरपु येरननायडु : महोदय, टी.डी.पी. के कार्यकर्ता अश्रुगैस या अन्य किसी भी प्रकार की चेतावनी दिए बिना मारे गए है। हम न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं ताकि सच्चाई सामने आए...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कार्यवाही–वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं होगा।

...*(व्यवधान)**

*कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय : आप पहले ही बोल चुके हैं और आपने जो कुछ कहा है वह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया गया है। अब आप शोर क्यों कर रहे है?

...*(व्यवधान)*

श्री किन्जरपु येरननायडु : महोदय, आप सदन के नेता को इस घटना के सम्बंध में न्यायिक जांच का आदेश देने के लिए निदेश दें। बहुत लोग मारे गए हैं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : इस विषय को उठाने के लिए आपको दो मिनट का समय देकर मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देशों का पालन किया है।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कार्यवाही–वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : यह बहुत ही अनुचित और दुर्भाग्यपूर्ण है। यदि आप अपना स्थान ग्रहण कर ले तो मैं आप की बात सुनूँगा। कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : यह बहुत ही अनुचित और दुर्भाग्यपूर्ण है। यदि आप अपना स्थान ग्रहण कर लें तो मैं आप की बात सुनूँगा। कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

अपराह्न 4.49 बजे

(अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*)

अध्यक्ष महोदय : मुझे इसके बारे में पता चला है और मैंने कहा है कि मैं आपको बोलने की अनुमति अवश्य दूँगा। यह मामला बहुत ही सदमा पहुँचाने वाला तथा अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। कुछ लोगों की जाने चली गई हैं। हम इसके लिए सहानुभूति व्यक्ति करते हैं। लेकिन एक बात है कि आपने इसका केवल उल्लेख किया है। माननीय वरिष्ठ मंत्री यहां उपस्थित हैं। जैसा कि आप जानते हैं, यह ऐसा मामला है जिस पर हमें अपनी सहानुभूति दर्शानी चाहिए और हम अवश्य ही अपनी भावना व्यक्त करें। कृपया इसे टकराव का विषय मत बनाएं। कृपया बैठ

*कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

जाइए। श्री येरननायडु, आप आश्वस्त हों कि यह ऐसा मामला है जिससे किसी को खुशी नहीं है। आपने इस विषय को इस देश के सर्वोच्च मंच से उठाया है। सरकार यहाँ मौजूद है और उसने इस घटना पर ध्यान दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि उपलब्ध ढांचे में तहत जो भी संभव होगा, किया जाएगा।

श्री एन. जनार्दन रेड्डी : इसे तोड़-मोड़ कर पेश किया गया है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं उनके कथन को स्वीकार नहीं करता। आपको चिंता क्यों हो रही है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत ही संवेदनशील मामला है।

...(व्यवधान)

श्री एन. जनार्दन रेड्डी : उन्होंने अपनी बात कह दी है... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने अपनी बात कही है। आप भी अपनी बात कहिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, क्या आप लोग अपनी-अपनी जगह पर बैठेंगे? आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। अब हम लोग इस विषय पर लड़ना छोड़ दें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री जनार्दन रेड्डी, आप एक बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं। यह विषय भी मानवता से जुड़ा हुआ है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी मत लिखिए। कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत मे सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मेरा आप लोगों से निवेदन है कि हम झगड़ा न करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री इकबाल अहमद सरकारी, अब अपना विधेयक कृपया प्रस्तुत करें। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। यह बाल-श्रम उन्मूलन के बारे में है।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आज अंतिम दिन है। हम लोग इसे इसी मुद्दे पर न समाप्त करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री रेड्डी, आप उनके आरोपों से सहमत नहीं हैं। आप उनके आरोप को स्वीकार नही करते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : डा. एम. जगन्नाथ, मैंने इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित करवाया है। मैंने अपने स्थान पर बैठकर कहा था कि मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री रेड्डी, आप उनके द्वारा लगाए गए आरोपों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : समस्या यह है। मैं सबसे अनुरोध कर रहा हूं कोई भी माननीय सदस्य कुछ भी यहां कहता है वह जरूरी नहीं कि दूसरों पर लागू हो वह अपना दृष्टिकोण रखता है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री रेड्डी, मैंने उसे नोट कर लिया है कि आप उस दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं करते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह बताया गया है। यह कार्यवाही वृत्तांत में पहले ही आ गया है। इसे इस प्रकार से नहीं मिटाया जा सकता है क्योंकि कुछ लोगों ने अपनी जान गंवाई है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री येरननायडु, बोलना मुझे भी आता है। आप यह कहने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? इस देश के कई नागरिकों की जान गई है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : श्री इकबाल अहमद सरडगी, आज कृपया यहां आइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब सभा मद संख्या 48 लेगी। कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अपराह्न 4.54 बजे

बालक श्रम उत्सादन विधेयक, 2005

श्री इकबाल अहमद सरडगी (गुलबर्गा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

> "कि देश में बालक श्रम का उत्पादन करने और उससे सम्बंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

महोदय, मैं बालक श्रम उत्सादन विधेयक पर चर्चा आरंभ करने का अवसर प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। भारत में बाल श्रमिकों की संख्या विश्व में सबसे अधिक है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इनकी संख्या तेरह मिलियन है किंतु वास्तविक संख्या इससे काफी अधिक हो सकती है। भारत के बच्चे सस्ते श्रम के स्रोत हैं क्योंकि उन्हें कम मजदूरी दी जा सकती है अथवा इनका आसानी से शोषण किया जा सकता है। ये बच्चे पटाखे बनाने, हीरा पॉलिश करने, शीशा, पीतल के बर्तन, कालीन बुनाई, चूडी बनाने, ताला बनाने, अभ्रक की कटाई जैसे उद्योगों में कार्य करते हैं कुछ बालक श्रमिक तो ओटोमोबाइल वर्कशाप गैराज, कसाईखाने, विषैले अथवा ज्वलनशील तत्वों विस्फोटकों खानों और कोयला की खानों और फाइबर ग्लास उद्योगों जैसे खतरनाक कामों में लगे होते हैं।

ये सभी रोजगार खतरनाक व्यवसायों की श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं। लाखों महिलाओं और बच्चों को जीवन रक्षक दवाईयों और देखभाल की सुविधा नहीं मिलती है। बड़ी संख्या में बच्चे घरेलू नौकरो के रूप में भी कार्य करते हैं। निर्धनता को बालक श्रम का एक प्रमुख कारण बताया जाता है। किंतु यह एकमात्र निश्चित कारण नहीं है। विद्यालयों की अपर्याप्त संख्या और शिक्षा पर आने वाले खर्च के कारण भी कुछ बच्चों के पास कार्य करने के सिवाय कोई दूसरा विकल्प नहीं बचता है।

अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा से इस प्रवृति पर अंकुश लगाने में मदद मिल सकती है। बालक श्रम की समस्या को एक ही बार में समाप्त नहीं किया जा सकता है। बहुत से देशों में उन उद्योगों में उत्पादों को खरीदना बन्द कर दिया है जहां बच्चों को काम पर लगाया जाता है।

विश्व स्वास्थ्य रिपोर्ट 2005, जो कि जारी की गई थी, के अनुसार 10.6 मिलियन बच्चे 5 वर्ष की आयु से पहले मर जाते हैं। विश्व भर में 5 लाख महिलाएं बच्चा पैदा होने के दौरान मर जाती है रिपोर्ट में बताया गया है कि इन मौतों को मुख्य हस्ताक्षेपों को अधिक उपयोग करके और सतत् देखभाल करके कम किया जा सकता है। 51 देशों में नवजात शिशुओं और बाल मृत्यु दर से संबंधित इस रिपोर्ट में भारत का नाम भी है। इस रिपोर्ट को भारत में भी प्रकाशित किया गया ताकि भारत सरकार का ध्यान इस गंभीर मामले की ओर दिलाया जा सके।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन की रिपोर्ट भी है। भारत में रोजगार–बेरोजगार की स्थिति पर एन एस एस ओ की अद्यतन रिपोर्ट लीजिए। वर्ष 1991–2000 के दौरन 5 से 14 वर्ष के आयु समूह में लगाए गए व्यक्तियों में 27 बच्चे प्रति हजार थे और वर्ष 2001–02 में यह बढ़कर 43 बच्चे प्रति हजार हो गए। इसका निसन्देह कारण है कि बालक श्रम को समाप्त करने के लिए कोई नीति नहीं है। लेकिन ऐसा माना जाता था कि इसे कम करने के लिए और अन्ततः इसे समाप्त करने के लिए एक नीति तैयार की जाएगी। आज तक बालक श्रम को कम करने की तो नीति है लेकिन इसे समाप्त करने के लिए नीति नहीं है। अतः भारत में ही नही बल्कि विश्वभर में बालक श्रम को पूरी तरह समाप्त करने के लिए विधान लाने की आवश्यकता है।

इस सम्बंध में, मैं कहना चाहता हूं कि समय समय पर कई कानून लागू किए गए हैं। केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा भी कई नियम बनाए गए है। पहले बनाए गए सभी कानून बाल श्रम को रोकने और समाप्त करने तथा बाल कल्याण के लिए बनाए गए थे एक भी कानून अथवा नियम बालक श्रम को समाप्त करने के लिए नहीं बनाया गया है। इसीलिए बाल श्रम को समाप्त करने के लिए ही मैंने यह विधेयक पुरःस्थापित किया है। यह गंभीर समस्या न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व भर में विद्यमान है। व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के संबंध में कई कानून लागू किए गए हैं ताकि नियोक्ताओं को भिन्न स्थापनाओं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों और अन्य फैक्टरियों में बालक श्रम को नियुक्त करने से रोका जा सके। इस प्रकार अधिनियमों में से एक अधिनियम बाल (श्रम गिरवीकरण) अधिनियम 1933 है। यह अधिनियम बाल श्रम को गिरवीं रखने पर प्रतिबंध लगता है। यह 1933 में लागू किया गया है।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री इकबाल अहमद सरडगी]

दूसरा अधिनियम "बालक नियोजन अधिनियम 1938 है। इस अधिनियम की धारा 3(3) (1) में कहा गया है:

"कोई बालक जिसकी आयु 15 वर्ष से कम हो, को किसी परिवहन, पत्तन, राख साफ करने, रेलवे स्टेशनों, पुलों के निर्माण कार्य में नियोजित करने अथवा काम करने पर नहीं लगाया जा सकता।"

कई अन्य विधान और कानून बनाए गए हैं। कई विशेष उपबंधों और खण्डों में बच्चों को नियोजित करने से रोकने का प्रावधान किया गया है। कारखाना अधिनियम 1948 है। इस अधिनियम का एक खण्ड कहता है।

"किसी बच्चे, जिसकी आयु 14 वर्ष से कम हो को किसी कारखाने में न तो काम पर लगाया जाएगा और न ही इसकी अनुमति दी जाएगी।"

खान अधिनियम की धारा 45 में भी यही बात कही गई है। बागान और श्रम अधिनियम 1951 भी है। इस अधिनियम की धारा 24 कहती है।

"किसी बच्चे, जिसकी आयु 12 वर्ष से कम हो, को काम करने की आवश्यकता अथवा अनुमति नहीं होगी।"

भारतीय वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958, धारा 109 कहता है:

"किसी बच्चे जिसकी आयु 15 वर्ष से कम हो को किसी भी पोत में नहीं लगाया जा सकता है।"

मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1961, धारा 21 कहती है:

कोई बालक, जिसकी आयु 15 वर्ष से कम हो को किसी भी पद पर नियोजित करने की आवश्यकता अथवा अनुमति नहीं दी जाएगी।

बीड़ी और सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम 1966 की धारा 24 कहती है:

कोई बालक जिसकी आयु 14 वर्ष से कम हो को किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान में काम करने की आवश्यकता अथवा अनुमति नहीं दी जाएगी।"

राज्य दुकानें और वाणिज्यिक अधिष्ठापन अधिनियम कहता है कि दुंकानों और वाणिज्यिक अधिष्ठानों में 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे को काम पर नहीं लगाया जाए।"

विकिरण संरक्षण नियम, 1971 कहता है:

"18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को विकिरण संरक्षण नियमों 1971 के अधीन नियोजित नहीं किया जा सकता है"।

अपराह्न 5.00 बजे

विकिरण सुरक्षा अधिनियम 1971 कहता है कि 18 वर्ष की आयु से कम लोगों को ऐसे उद्योगों में, जहां विकिरण के प्रभाव पाए जाए, में नहीं लगाया जाए।

महोदय, कई विधान लागू किए गए, कई नियम बनाए गए। भिन्न-भिन्न राज्यों में अलग-अलग समय पर कई राज्य विधान भी लागू किए गए हैं लेकिन कोई भी विधान, नियम अथवा नीति स्पष्ट बालश्रम को समाप्त करने के बारे में नहीं कहती है।

इस विषय का अध्ययन करने के लिए कई समितियों का गठन किया गया है। एक समिति 1979 में श्री गुरूपादस्वामी के नेतृत्व में गठित की गई थी। उस समिति ने भी औद्योगिक अधिष्ठापनाओं में बच्चों को रोजगार देने को पूरी तरह समाप्त करने का सुझाव भी नहीं दिया है लेकिन इसने बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य विकास सहित सर्वांगीण विकास करने पर बल दिया है। इसके आगे समिति ने बाल श्रम और बाल श्रम का शोषण करने के बीच विभेद भी किया है।

वर्तमान अधिनियम अर्थात बाल श्रम (निषेध और विनियम) अधिनियम 1986 गुरूपादस्वामी समिति का चरम बिन्दू था। इस समिति ने बाल श्रम को रोकने और बाल श्रम के कल्याण के लिए कुछ सुझाव दिए थे लेकिन इस समिति के बाल श्रम को पूरी तरह समाप्त करने की कभी भी सिफारिश नहीं की। विद्यमान अधिनियम बाल श्रम के विधानों को तर्कसंगत बनाने, खतरनाक रोजगारों में बाल श्रमिकों को बिल्कुल न लगाए जाने और गैर खतरनाक उद्योगों में बाल श्रमिकों की स्थितियों को विनियमित करने के उद्देश्य से लागू किया गया था। इस अधिनियम में सबसे बड़ी खामी है कि इसमें नियोजित क्षेत्र के बच्चों को ही समाहित किया गया है जबकि 90% बच्चे अनियोजित शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रहे है। इसके अतिरिकत इस अधिनियम में काम करने वाले बच्चों की न्यूनतम आयु भी नहीं बताई गई है। और उन रोजगारों का वर्णन भी नहीं किया गया है जहां बाल श्रम पर प्रतिबन्ध नहीं होगा। बाल श्रम समाप्त करने के लिए बाल श्रम विधानों के अस्पष्ट होने के कारण केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों ने खतरनाक कार्मों से बच्चों को हटाने के लिए कई कार्यवाहीन्मुखी कार्यक्रम चलाए हैं। इस दिशा में उठाया गया सबसे महत्वपूर्ण कदम "राष्ट्रीय बाल श्रम नीति, 1987 को अपनाना था।

अपराह्न 5.03 बजे

(श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव पीठासीन हुए)

राष्ट्रीय बाल श्रम नीति में कई उपाय सुझाए गए हैं। इसमें

एक विधायी कार्य–योजना का प्रारूप बनाने का सुझाव दिया है और सुझाव दिया है कि बाल श्रम के हित के लिए, जहां कही भी सम्भव हो, सामान्य विकास कार्यक्रमों पर ध्यान दिया जाए। इसमें मंजूरी अथवा अर्द्ध मंजूरी रोजगार में लगे बाल श्रमिकों के लिए अधिक ध्यान से करने वाले कार्यों में पारियोजना के आधार पर कार्य योजना का भी सुझाव दिया गया है। इसके अतिरिक्त इस नीति के अधीन बालक श्रम तकनीकी नीति केन्द्र सरकार को सलाह देने के लिए भी तैयार की गयी है।

बालक रोजगार को कम करने के उद्देश्य से कई समितियां गठित की गई है, कई नीतियां बनाई गई है, कई कदम उठाए गए हैं, भिन्न–भिन्न राज्यों ने अलग–अलग समय पर नियम और विनियम बनाए हैं लेकिन हम बालक श्रम को पूरी तरह रोकने में अफसल हो रहे है। इसका कारण है कि पूर्व में किए गए सभी उपायों से बालक श्रम को समाप्त नहीं किया गया था बल्कि कम किया गया था।

विभिन्न अधिनियमों में अंतर्निहित किए गए दाण्डिक उपबंध पर्याप्त नहीं थे। उसमें मात्र तीन माह की जेल अथवा जुर्माना आदि जैसी साधारण सजा की दी जाती थी। लेकिन केन्द्रीय अधिनियम अथवा राज्य अधिनियमों में किसी कठोर सजा का प्रावधान नहीं था। इस लिए बाल श्रम की बढ़ती संख्या को नियंत्रित नहीं किया जा सका।

महोदय, मैं इस माननीय सभा का ध्यान "बालक श्रम का उत्सादन" पर श्रम और कल्याण सम्बन्धी स्थायी समिति के 17वें प्रतिवेदन की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं। इस प्रतिवेदन के पैरा नं. 1.10 में बताया गया है कि समिति ने सिफारिश की थी कि मंत्रालय को बाल श्रम व्यवस्था को समाप्त करने के लिए स्पष्ट और व्यापक नीति तैयार करनी चाहिए। प्रतिवेदन के पैरा 1.15 में कहा गया है:

"समिति दुख के साथ नोट करती है कि यद्यपि श्रम मंत्रालय ने समिति को बालक श्रम निषेध और विनियम अधिनियम को संशोधित करके अधिक कठोर बनाने के लिए आश्वास्त किया था लेकिन 1½ वर्ष बीतने के बाद भी अभी तक कुछ नहीं किया गया है।"

प्रतिवेदन के पैरा 2–5 में समिति ने स्थिति पर चिन्ता व्यक्त करते हुए कहा है कि बाल श्रम कानून को सही में लागू करने के लिए राज्य सरकारों को साथ लेकर आवश्यक कदम उठाये जाने चाहिए। समिति का यह भी विचार है कि इस सम्बन्ध में श्रम मंत्रालय द्वारा नियमित निगरानी की जानी चाहिए।

माननीय प्रधानमंत्री ने भी बाल श्रम के मुद्दे पर चिन्ता व्यक्त की है इन सभी कमियों के होते हुए आपको वर्तमान केन्द्र सरकार विशेषकर माननीय प्रधानमंत्री जिन्होंने कहा है कि भारत सरकार बाल श्रम के सभी स्वरूपों को समाप्त करने के लिए वचनबद्ध है, द्वारा उठाए गए सकारात्मक कदमों की प्रशंसा करनी होगी। माननीय प्रधानमंत्री ने कुछ बाल श्रमिकों को प्रमाण पत्र देते हुए विश्वास व्यक्त किया है कि यदि समाज के सभी वर्ग मिल जाए तो बाल श्रम को जड़ से उखाड़ा जा सकता है। इन बच्चों ने आंध्र प्रदेश में रंगा रेड्डी जिले में चावला के निकट अलौर में ब्रीज कोर्स से सातवीं कक्षा की पढ़ाई पूरी की थी। हमें इस संबंध में मा. प्रधान मंत्री के साथ–साथ केन्द्र सरकार द्वारा व्यक्त की चिन्ता की गई प्रशंसा करनी चाहिए।

महोदय, इसमें कोई संदेह नहीं है कि केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा बालकों के कल्याण के लिए भिन्न–भिन्न योजनाएं चलाई गई है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम द्वारा प्रदान की गई खाद्य–सुरक्षा–बाल श्रम को कमी लाने की ओर सकरात्मक प्रभाव पड़ा है। सभी के लिए शिक्षा के उद्देश्य वाले सर्वशिक्षा अभियान से बालकों में साक्षरता का स्तर काफी बढा है।

सरकार ने अब बाल श्रम को समाप्त करने के लिए परियोजना आधारित दृष्टिकोण अपनाया है। इसमें शिक्षा, छात्रवृत्ति, प्रोत्साहन स्वास्थ्य ध्यान और व्यवसायिक मार्गदर्शन आदि को शामिल किया गया है। इसमें योजना की भी व्यवस्था है। निगरानी तंत्र को अध्यापकों से प्राप्त जानकारी, श्रम विभाग के कर्मचारियों और योजना प्राधिकरणों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर मजबूत किया जा रहा है।

राष्ट्रीय बाल श्रम योजना के अधीन विशेष स्कूलों की स्थापना करके नौकरी से हटाए गए बच्चों को अनौपचारिक और औपचारिक शिक्षा प्रदान करने, व्यवसायिक प्रशिक्षण देने, छात्रवृति, स्वास्थ्य परीक्षा कराने और अनुपूरक पोषाहार प्रदान करने का प्रमुख कार्य आरंभ किया गया है।

इस समय, 13 राज्यों में एक सौ बाल श्रम योजनाओं को मंजूरी दी गई है जिसमें 2.11 लाख बच्चों को शमिल किया गया है।

अतः इस सम्बंध में, मैं सुझाव देना चाहता हूं कि श्रम, स्वास्थ्य और मानवसंसाधन विकास तीनों में मंत्रालयों में समाजंस्य स्थापित करने की आवश्यकता है। बाल कल्याण के लिए सभी योजनाओं को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से श्रम, स्वास्थ्य और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के बीच समांजस्य होने की आवश्यकता है ताकि ये तीनों मंत्रालय बाल श्रम को उपयुक्त और बेहतर तरीके से समाप्त कर सकने में समर्थ होंगे। इसका कारण

[श्री इकबाल अहमद सरडगी]

है कि ये तीनों मंत्रालय बच्चों को शिक्षा प्रदान करने और मध्याह्न भोजन जैसी सुविधाएं प्रदान करते हैं और 100 रु. की छात्रवृत्ति देते है और गैर सरकारी संगठनों को शिक्षा देने में भी मदद करती है। स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए यह आवश्यक है कि वह महिलाओं और पैदा हुए बच्चों को स्वास्थ्य सुविधा और पौष्टिक भोजन प्रदान करे। श्रम मंत्रालय को विशेष रूप से समाजस्य करना पड़ता है और खतरनाक व्यवसायों में बाल श्रम समाप्त करने में मदद देनी होती है।

यद्यपि वर्तमान सरकार ने बाल श्रमिकों के कल्याण के लिए कई सकरात्मक कदम उठाए हैं लेकिन वर्तमान विधान में बाल श्रम को समाप्त करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है क्योंकि समाज में विद्यमान वातावरण बाल श्रम को पूरी तरह समाप्त करने के समर्थन में विधान लाने के पक्ष में नहीं है। अभी समाज में सुधारात्मक कार्य करने के विकासात्मक कार्य करने और समाज में ऐसी बुराईयों के विरुद्ध समर्थन देने की प्रवृत्ति चली है। इस सम्बंध में ऐसा विधान लाने के लिए अनुकूल वातावरण भी है। अतः मैं महसूस करता हूं कि बाल श्रम को जड़ में उखड़ने के लिए विधान लाने के लिए यह समय उपयुक्त है।

महोदय, मैंने कुछ प्रावधान पुरस्थापित करने के प्रयोजन से यह संकल्प प्रस्तुत किया है जोकि पहले की विधियों में अभी तक सम्मिलित नहीं किए गए हैं। मैंने सुझाव दिया है कि किसी भी रूप में किसी भी संस्थान में, देश में, बाल श्रम समाप्त किया जाना चाहिए।

दूसरा किसी व्यक्ति, जो बच्चों को किसी रोजगार में लगाता है, को सजा और जुर्माना लगाकर दण्ड दिया जाना चाहिए। दूसरा किसी बच्चे का संरक्षक जो अपने बच्चे को रोजगार में लगाता है को भी दण्ड दिया जाना चाहिए।

तीसरा कोई संस्थान अथवा अधिष्ठापन जो बच्चे को काम में लगाते हैं को निश्चित अवधि–इस अधिनियम के लागू होने की तिथि से छः माह के लिए बन्द किया जाना चाहिए। उपयुक्त सरकार को ऐसे संस्थान अथवा अधिष्ठापन बन्द करने के आदेश देने चाहिए। इसके अतिरिक्त, कोई बच्चो काम करते हुए अथवा कोई नौकरी करते हुए अथवा कूड़ा करकट इकट्ठा करते हुए पाया जाता है तो उसे तुरन्त हिरासत में ले लिया जाना चाहिए। और बाल गृह में भेज दिया जाना चाहिए। जो जिलों में स्थापित किए जाएंगे और उनमें शिक्षा प्रदान करने और रखरखाव जैसी सुविधाएं होगी जब तक वह बच्चे 18 वर्ष के नहीं हो जाते तब तक उन्हें वहां रखा जाएगा।

यदि माननीय मंत्री आश्वासन देते हैं कि विद्यमान विधि में इन्हें शामिल किया जाएगा अथवा विद्यमान बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम 1986 में उचित संशोधन किए जाएंगे। तो मुझे प्रसन्नता होगी।

महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे सभा में इस महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा करने का अवसर प्रदान किया।

[अनुवाद]

श्री सुनील खां (दुर्गापुर) : सभापति महोदय, जो बिल श्री इकबाल अहमद सरडगी जी लाए हैं, मैं उसका समर्थन करता हूं। भारत एक गरीब देश है, मैं आंकड़े तो नहीं दे सकता लेकिन हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा बाल श्रमिक हैं। हम लोगों को सरकार की तरफ से जो काम करना है और जिसका उल्लेख हमारे संविधान में भी हैं कि छः से चौदह वर्ष के बच्चे के लिए कम्पलसरी एजुकेशन होनी चाहिए। सर्वशिक्षा अभियान चल रहा है, सर्व शिक्षा अभियान के लिए सरकार थोड़ी–बहुत कोशिश भी कर रही है लेकिन उसे ठीक से लाना होगा। उसमें थोड़ा बहुत लैकुना है। जैसा अभी कहा गया है कि पांच साल उम्र के बच्चे स्कूल में जाएंगे, यह कार्य सारे राज्यों में चल रहा है। लेकिन हो क्या रहा है? जो गरीब है, जो बिलों पावर्टी लाईन के नीचे रहने वाला आदमी है, जिसके पास पैसा नहीं है, वे लोग अपने लड़के और लड़की को बीड़ी बांधने के काम में लगाते हैं और उसमें कुछ पैसा आता है इसलिए वे उन्हें स्कूल में नहीं भेज पा रहे हैं। कभी वे चाय की दुकान में काम करते हैं। कुछ शहरों में और मुंबई में भी मैं घूमा हूं, वहां पर बाल श्रमिक बूट पॉलिश कर रहे हैं। ऐसी स्थिति क्यों है क्योंकि हमारा देश गरीब है। हमें गरीबों को लिए 57–58 सालों में जो कुछ करना था, वह हम लोग नही कर पाए। हर व्यक्ति कहता है कि पैसा नहीं है, नॉन–परफॉरिंग एसेटस के रूप में 1,30,000 करोड़ रुपया अमीरों के पास है, जिस पर उन्होंने इनकम टैक्स भी नहीं दिया है, कोई कानून बनाकर उस धन को लाया जा सकता है।

सभापति महोदय, यह कहा जाता है कि इम्पलाएमेंट गारंटी स्कीम के तहत डेढ़ सौ जिलों में काम होगा। लेकिन जिले चार सौ से ज्यादा हैं और उनके लिए 40,000 करोड़ रुपए की जरूरत है। 1,30,000 करोड़ रु. अमीरों के पास हैं और उनके लिए हमारा बजट 5,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बनता है क्या उसमें से 40,000 करोड़ रुपए देने से काम नहीं बनेगा? अगर हमें 40,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था कर दें तो वह गरीब आदमी, जो अपने बच्चे को अभी स्कूल नहीं भेज सकता, उसे काम मिल जाएगा और वह अपने बच्चे को स्कूल भेज सकेगा। सर्वशिक्षा अभियान में यह लैकुना है। हर बच्चा स्कूल में जाना चाहिए।

जो पढ़े–लिखे लड़के हैं और पोस्ट ग्रेज्युएट टीचर्स हैं, उन

से कहा जाता है कि आप एक हजार रुपया ले लो, आप दो हजार रुपया ले लो जबकि सरकारी स्कूल में एक टीचर को 14–15 हजार रुपया मिलता है। आप देख सकते हैं कि हर साल वह वौलैंटरी सर्विस नहीं दे सकता है क्योंकि उसे अपने बच्चों की शादी करनी है लेकिन उसके पास पैसा नहीं है। वह अपने बाल–बच्चों का पालन–पोषण कैसे कर पायेगा? यह एक प्रकार से लैकुना है जिस कारण उसका दिमाग ठीक नहीं रहेगा। अगर उसका दिमाग सही नहीं रहेगा, वह अपने बाल–बच्चों को पढ़ा नहीं सकेगा, इसलिये इस लैकुना को दूर करने के लिये सरकार को सर्वशिक्षा अभियान व्यवस्था में संशोधन करना होगा।

यह बात सही है कि एक एम.पी. और एम. पी. को सोचना होगा कि उसे अपने घर में 14 साल का कोई लड़का नहीं रखना है। अगर कहीं होगा तो वह शोर मचायेगा और बोलेगा कि एक पब्लिक के आदमी के घर पर लड़का काम करता है जो अच्छी बात नहीं है। इसलिये सरकार से मेरी रिक्वैस्ट है कि सरकार इस कानून में संशोधन लाये। इस संशोधन को एक पौलिटिकल विल के जरिये करना होगा। अगर सरकार के पास पौलिटिकल विल होता तो आज यह कानून बना हुआ होता। क्योंकि हमारी पोलिटिकल विल नहीं है, इसलिए हम लोग ज्यादा से ज्यादा बात कहने की कोशिश करते हैं। हमारा नॉन परफौर्मिंग असेट्स बन जाता है। इसलिये पहले एम. पी. को सुधारना चाहिये। जो पब्लिक के प्रतिनिधि हैं, अगर वे सही ढंग से पढ़ेंगे तो आगे उनके बच्चे भी सही ढंग से पढ़ सकेंगे। हमारे यहां कई एक्जीक्यूटिव्ज हैं, जहां ऐसा चल रहा है। हम देश को जिस तरह आगे बढ़ाना चाहते हैं, उस तरह से नहीं बढ़ा पा रहे हैं। हमें इस बात को देखना होगा। हमारे मुल्क की 70 फीसदी आबादी खेती का काम करती है। जो किसान हैं, उनके बच्चे फैक्टरियों में बाल श्रमिक के रूप में काम करते हैं। यदि सरकार की कोई ऐसी नीति होगी कि जिस फैक्टरी में बाल श्रमिक हैं, उसे बंद कर सकती है तो इस व्यवस्था में सुधार आ सकता है। सरकार इसके लिए कानून लाये। मेरा सुझाव है कि सरकार को 1983 के एक्ट को रिपील करना होगा कि ऐसा करने वालों को आगे सजा हो सकती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुये दूसरे आदमी बाल श्रमिक नहीं होने देंगे।

बाल श्रमिकों की पढ़ाई–लिखाई के लिये मां–बाप कुछ न कुछ कर सकते हैं। उसका जो रूट कॉज़ है, अगर मां–बाप गरीब हैं, उन्हें पहले एजुकेट करना होगा। हमारे यहां एडल्ट एजुकेशन सिस्टम चल रहा था जिसे बंद कर दिया गया है। अगर यह सिस्टम फिर से चालू कर दिया जाये तो बाल–बच्चों को सिखाने की कोशिश हर मां–बाप कर सकता है। हमें यह देखकर सब को शिक्षित करना होगा। सरकार को 2010 तब सब को शिक्षित करने का जो उद्देश्य है, वह तभी पूरा हो सकेगा, जब सरकार कानून में संशोधन करेगी। क्या सरकार को जानकारी है कि आज देश में बड़े पैमाने पर कितने बाल श्रमिक हैं जिनका शोषण किया जा रहा है? मैं चाहूंगा कि मंत्री जी अपने जवाब में जानकारी दें कि कितने लोगों द्वारा कानून का उल्लंघन किया जा रहा है और उनके खिलाफ कार्यवाही करते हुये उन्हें क्या सजा दी गई है?

क्या अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने इस और भारत का ध्यान आकर्षित किया है कि इस क्षेत्र में भारत में क्या हो रहा है। भारत में वर्तमान समय में लगभग तीन साल की उम्र के बच्चों का शोषण हो रहा है। इनके बारे में अब तक कितनी शिकायतें मिली हैं, इस बारे में मंत्री जी अपने उत्तर में सदन को बतायें तथा यह भी बतायें कि इस विषय पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है। श्रम कानूनों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कठोर कदम उठाये जाने चाहिए, यह बात मूवर ने कही है। उन्होंने यह भी कहा है कि ऐसे लोगों के खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि जिसे देखकर दूसरे लोगों को सबक मिले और वे कभी ऐसा कोई काम न कर सकें।

सभापति महोदय, नॉर्थ ईस्ट में बाल श्रमिकों के रूप में लड़कियों के साथ क्या हो रहा है। वहां 13–14 साल की लड़कियों को उनके मां–बाप पैसे के अभाव में विदेश में पैसा कमाने के लिए भेज देते हैं। विदेशों में और विशेष रूप से अरब कंट्रीयज में जो 50–60 वर्ष की उम्र के अमीर लोग हैं, वे 13–14 साल की लड़कियों को पैसा देकर अपने साथ ले जाते हैं और उन्हें प्रोस्टीटयूट बना देते हैं। नॉर्थ ईस्ट में लोगों के पास रोजी–रोटी नहीं है। खाने के लिए खाना नहीं है। वहां उन गरीब लोगों से अमीर लोग पैसा देकर लड़कियां छीनकर ले जाते हैं। इसके एक संगठन है जो विदेशों में प्रचार करता है, उसे ऐसे लोगों को पकड़ना चाहिए। हमारा देश गरीब है और यहां सभी लोगों को दो समय का खाना नहीं मिल पाता है। इसलिए वे लोग अपने बच्चों को विदेश भेज देते हैं। एक तरह से देखा जाए तो मां–बाप अपने बच्चों को बेच देते हैं। यदि हमारी सोच सही हो और हमारे पास पोलिटिकल विल है तो इस पर रोक लगाई जा सकती है। केवल यहां खड़े होकर बोलना पर्याप्त नहीं है। यहां लोग अच्छा बोल सकते हैं, लेकिन उससे कोई काम अच्छा नहीं होगा। आप देश में कोई ऐसा कानून लाइये, जिससे कोई अपने यहां बाल श्रमिक न रख सके। इसके बावजूद भी यदि कोई इस कानून का उल्लंघन करता है तो आप उसे कानून के तहत दंड दीजिए, ताकि पूरे देश में कोई भी अपने घर, फैक्टरी या काम की जगह पर बाल श्रमिक न रख सकें। इतना कहकर मैं दोबारा से इस बिल का जोरदार समर्थन करता हूं।

श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल (ठाणे) : माननीय सभापति जी, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बाल श्रमिक बिल पर बोलने का मौका दिया। यह बात सत्य है और हमारे देश की विडम्बना है कि इतने सालों से विभिन्न प्रकार के कानून बनाने के बाद भी आप किसी भी क्षेत्र, किसी मौहल्ले, किसी गांव या देश के किसी भी कोने में चले जाइये, मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई जगह है कि जहां आपको बाल श्रमिक न मिलते हों। चाहे वे होटलों में काम करते हों, चाहे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में काम करते हों, चाहे छोटी-छोटी फैक्ट्रीज में काम करते हों या किसी अन्य धंधे में काम करते हों। सरकारी आंकड़े बताते हैं और सैन्सज रिपोर्ट के अनुसार लगभग 13 मिलियन बाल श्रमिक हमारे देश में है। यदि सरकारी आंकड़े 13 मिलियन हैं तो मेरा आइडिया है कि लगभग 20 मिलियन बच्चे विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे होंगे, चाहें वह चूड़ी बनाने का कारखाना हो, चाहें कारपैट बनाने का कारखाना हो या कोई अन्य धंधा हो। आज दुनिया के देशों में ऐसी फैक्टरियां और ऐसी जगहों में माल खरीदने पर बैन लगा दिया है जहां बच्चे काम करते हों। हम चाहेंगे कि सरकार भी इस पर ध्यान दे। इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

सभापति महोदय, हमने स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि छोटे-छोटे बच्चे घरों में काम करते हैं, फैक्टरियों में चूड़ियां बनाते हैं, माइका की फैक्टरियों में कटिंग करते हैं। खुर्जा में बहुत सी ग्लास फैक्टरियों में बच्चे काम करते हैं तथा अन्य जगहों पर भी बाल श्रमिक काम कर रहे हैं।

जब तक कड़े से कड़े कानून नहीं बनाए जाएंगे, तब तक यह मसला हल होने वाला नहीं है। हम चाहेंगे कि सामाजिक संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाएं, राजनीतिक चेतना और सामाजिक चेतना को भी इसमें इनवॉल्व करना होगा। मात्र सरकार के कानून बनाने से कोई भी कार्य संभव नहीं है। यह ऐसा अमानवीय कार्य है कि जिन बच्चों की उम्र स्कूल जाने और पढ़ने-लिखने की होती है, उस उम्र में मजबूरन बच्चों को काम करने के लिए उनके घर वाले भेज देते हैं। सरकार को इस पर भी सोचना होगा। जहां हम एक तरफ उन बच्चों पर प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके परिवारों की क्या स्थिति है, क्यों उन्होंने बच्चों को कार्य करने के लिए भेजा, क्या मजबूरी है उन बच्चों से काम कराने की, उसके भी उपाय साथ-साथ सोचने होंगे। एकतरफा बैन लगाकर हो सकता है कि उन परिवारों को भी हम पीड़ित करने का काम करें जिन परिवारों के कच्ची उम्र के बच्चों को मजबूरन फैक्ट्रियों या दूसरे कामों में भेजा जाता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि जिन परिवारों के बच्चों को हम रोकने का काम कर रहे हैं, उनकी रोज़ी-रोटी के लिए भी कोई साधन उपलब्ध कराए जाएं।

मान्यवर, हमारी यूपीए सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस बारे में अपनी इच्छा जाहिर की है यह सरकार चाहती है कि हम बाल श्रमिकों की व्यवस्था को खत्म करें। साथ ही साथ जिन फैक्ट्रियों या कल-कारखानों में ये बच्चे काम करते हैं, जिन मालिकों के क्षेत्र में काम करते हैं, जिनकी निगरानी में ये काम करते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है, इसलिए उनको भी दंडित करने का काम करें। कानून बनाने के बाद जो लोग कानून के रखवाले हैं, उनके लिए भी सज़ा का प्रावधान किया जाना चाहिए ताकि इसको रोका जा सके। जब हम कानून बनाते हैं तो हम उन अधिकारियों के लिए नया धंधा खोले देते हैं, इंस्पैक्टर राज खोल देते हैं। और जो उनकी आमदनी का रास्ता बन जाता है। इसलिए जिन अधिकारियों के क्षेत्र में बाल श्रमिक काम करते हों, उनकी भी जिम्मेदारी निर्धारित होनी चाहिए कि ऐसा न हो ... *(व्यवधान)*

महोदय, हमने अखबारों में पढ़ा है कि जो कारपेट भदोही से बनकर आते हैं, जहां से हमारे मिश्रा जी आते हैं, उन पर जर्मनी में खून के दाग देखे गए। इससे हमारे देश का नाम खराब होता है। लेकिन यह केवल हमारे देश का ही मसला नहीं, पूरी दुनियां का मसला है। अभी मैं बैंकाक गया था।

अपराह्न 5.29 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

वहां भी सड़कों पर लोगों ने छोटी-छोटी दुकानें लगा रखी थीं और उनमें बच्चे कार्य कर रहे थे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का पुरज़ोर समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : माननीय उपाध्यक्ष जी, श्री इकबाल अहमद सरडगी द्वारा जो बाल श्रमिक उन्मूलन विधेयक सदन में पेश किया गया है, मैं उसका पुरजोर समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। आज वास्तव के डेर पर बैठे गरीबों के लिए वोट से ज्यादा जरूरी रोटी है। सदन में बैठे हुए सभी सम्मानित सदस्यों को बड़ी गंभीरता से इस पर विचार करना चाहिए। बाल श्रमिका एक बदनुमा दाग हमारे समाज पर है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बाल श्रमिक एशिया में हैं जिनकी संख्या 60 प्रतिशत से

ऊपर है। मैं अभी देख रहा था कि कोलकाता में 88 प्रतिशत बाल श्रमिक हैं जो कुपोषण के शिकार हैं।

बहुत से बाल श्रमिकों को आपने भी जगह–जगह पर देखा होगा। आप कहीं पर भी देखिए, गन्दी जगहों पर रद्दी इकट्ठी करते हुए छोटे–छोटे बच्चे दिखाई देते हैं। राजस्थान के अंदर खदानों में भी बाल श्रमिक बहुत अधिक संख्या में आपको काम करते हुए मिल जाएंगे। माननीय सदस्य श्री राजेश जी ने इंगित किया है कि उत्तर प्रदेश के भदोही जिले और उसके आस–पास के अन्य छोटे–छोटे जिलों में कालीन बनाने का काम होता है वहाँ भी बाल श्रमिक ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपको मिल जाएंगे। उनमें लड़के और लडकियाँ दोनों होते है। उनमें खासकर पांच, दस, पन्द्रह और बीस साल तक के बच्चे आपको ज्यादा मिलेंगे। राजधानी दिल्ली में ही करीब 20 हजार बाल श्रमिक हैं। यह सोचने की बात है और हमारी यूपीए की सरकार ने वायदा किया है कि वर्ष 2007 तक हम बाल श्रम को पूरे देश में खत्म कर देंगे। मैं यूपीए की सरकार को बधाई देना चाहूंगा कि वे इस पर रोक लगाने का काम कर रहे हैं। इससे बहुत बड़ा कलंक हमारे देश से हटा जाएगा।

दूसरी बात यह है कि सरकार ने इस बुराई को दूर करने के लिए चार करोड़ डालर खर्च करने की बात कहीं है। आज बाल श्रम बहुत बढ़ गया है, इसका प्रमुख कारण शिक्षा में गिरावट है। जिनके पास पैसा होता है, या बड़े घर के लोग हैं, वे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, लेकिन अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग, गरीब लोग अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं। चाय और पान की दुकान पर, पनवाड़ी की दुकान पर गरीब बच्चे आपको काम करते दिखाई पड़ जाएंगे। इसी तरह जूतों पर पॉलिश करने का काम करते गरीब बच्चे दिखाई पड़ जाएंगे। हमारे तमाम साथियों ने कहा है कि आप किसी भी इंडस्ट्री में जाइए, छोटे–छोटे लघु उद्योगों को देखिए जैसे बीड़ी उद्योग है, हम देखते हैं कि आप गांवों में किसी भी घर में चले जाइए, वहाँ बालक–बालिकाएँ बीड़ी बनाने का काम करते हैं। हमें इस बुराई को दूर करने के बारे में सोचना पड़ेगा। हम उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य को कैसे अच्छा रख पाएं, इसके लिए सोचना पड़ेगा। इस प्रयास में भारत, पाकिस्तान और अमरीका ने मिल कर लड़ाई लड़ने की बात कही है, बाल श्रम को खत्म करने की बात कही है, यह अपने आप में बहुत अच्छा कार्यक्रम है और यह इस सरकार के लिए भी बहुत अच्छी बात है। इसी प्रकार से आप देखें कि जो मुस्लिम क्षेत्र हैं, वहीं कसाई घरों में छः साल से लेकर चौदह साल तक के करीब 65 प्रतिशत बच्चे काम करते हैं। इन बच्चों से काम कराकर उन्हें कम मजदूरी देकर उनको सुरक्षा देने के नाम पर उन्हें काम पर रखा जाता है, लेकिन वहां पर उनका यौन शोषण भी होता है और उनसे वेश्यावृति भी कराई जाती है। इसके साथ ही उन्हें घरेलू काम करने के लिए भी मजबूर किया जाता है। बाल श्रमिक को अपराध करने के लिए विवश किया जाता है, इस पर हमें चिन्ता करनी चाहिए। आप देखिए कि ज्यादातर बच्चे अपराधी प्रवृत्ति में भी लिप्त पाए जाते हैं। यह एक गैंग है जो बच्चों से भीख मंगवाता है, धार्मिक स्थलों पर तथा तीर्थ स्थलों पर छोटे–छोटे बच्चे कटोरा लेकर भीख मांगते दिखाई देते हैं और शाम को जो पैसे भीख मांग कर लाते हैं, उसे भीख मंगवाने वाले व्यक्ति, बच्चों को खाना देकर उनमें पैसे लेकर रख लेते हैं। हमें इस ओर भी ध्यान देना होगा। तीर्थ स्थलों और धार्मिक स्थलों पर जो भी बच्चे भीख मांगते नजर आते हैं। हमें उनकी इस प्रवृत्ति पर रोक लगाना बहुत जरूरी है।

तीसरी बात यह है कि दुनिया में करीब एक करोड़ बच्चे नौकर के रूप में काम करते हैं। आप दिल्ली में ही देखिए और भी किसी प्रान्त में चले जाइए, यह प्रवृत्ति हम लोगों में होनी चाहिए कि कोई भी बाल श्रमिक लड़का या लड़की–उससे हमें काम नहीं कराना चाहिए।

महोदय, जहां इस प्रकार के लोग पाए जाएं, वहां इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए। इनके पुनर्वास, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए सरकार विशेष कार्यक्रम चलाए। बोर्डिंग स्कूल चलाए जाएं। सर्वशिक्षा अभियान और अन्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत इन बच्चों को शिक्षित करने की बात कही गई है, जो अच्छी है। अगर ये बच्चे शिक्षित हो जाते हैं, तो अच्छे कार्यों में सफलता प्राप्त करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, बाल श्रमिक सिर्फ भारत में ही हैं, ऐसी बात नहीं है। दक्षिण अफ्रीका में इनकी संख्या 20 लाख, ब्राजील में 5.50 लाख, कीनिया में 2 लाख, पाकिस्तान में 2.65 लाख, श्रीलंका में 1 लाख, इंडोनेशिया में 7 लाख और बांग्लादेश में 13 लाख है। इस प्रकार तमाम देशों में बाल श्रमिक हैं। बाल श्रम को खत्म करने के लिए हमें अन्य देशों के साथ इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर विचार प्रस्तुत करने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत–बहुत धन्यवाद देते हुए, माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि यदि सरकार का लक्ष्य वर्ष 2007 तक बाल श्रम को खत्म करने का है, तो उसे इस संबंध में तेजी से कार्य करने चाहिए जिससे देश बाल श्रम समाप्ति की दिशा में आगे बढ़ सके।

[श्री शैलेन्द्र कुमार]

इससे श्री इकबाल अहमद सरडगी, माननीय सदस्य, जो विधेयक लाए हैं, उन्हें भी खुशी होगी, सदन को भी खुशी होगी और सारा देश खुश होगा कि हमारे यहां बाल श्रम का शोषण नहीं हो रहा।

श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश (कनकपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्माननीय सभा में बाल श्रमिक उन्मूलन विधेयक 2005 के समर्थन में खड़ा हुआ हूँ। मैं तीन उदाहरणों को उद्धृत करना चाहूंगा। पहला हीरा उद्योग है। आज यह परम्परा है कि हर कोई अपना भाग्य जगाने के लिए भाग्यशाली हीरा पहनता है। परन्तु हम हीरा चमकाने वाले बाल श्रमिकों के मर्म को देखते में असमर्थ हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।

दूसरा उदाहरण त्योहारों के दौरान अपनी खुशियां व्यक्त करने के लिए जब हम पटाखे चलाते हैं उस समय हम पटाखा उद्योग में कार्यरत बाल श्रमिकों की चीखों को नहीं सुन पाते। मेरे पत्रकारिता के 18 वर्षों के अनुभव के दौरान मैंने पटाखा उद्योग में सैंकड़ों आगजनी की घटनाओं की सूचना दी हैं, जो बहुत ही दर्दनाक थीं।

तीसरा उदाहरण है खाड़ी के देशों में प्रभावशाली व्यक्तियों को देख सकते हैं जो अपने आप को चुस्त दुरूस्त, रखने तथा अतिरिक्त कैलरी कम करने के लिए इन मासूम और अभागे बच्चों से सूर्य की तपती धूम में कार्य करवाते हैं। उन्हें अपना भोजन सुनिश्चित करने के लिए ऐसा करना पड़ता है।

हमारी भारत माता ने इस राष्ट्र को अपार सम्पदा दी है। हम इस सम्पन्नता को आपस में बांटने में असफल क्यों रहें? मैं वाम दलों का यूपीए सरकार को दिए जा रहे समर्थन के प्रति हमेशा ही अपना सम्मान व्यक्त करना चाहूंगा। हमारे मतभेद वैचारिक हैं। हम अपनी विचारधारा के आधार पर राष्ट्र को सम्पन्न बनाने का प्रयास कर रहे हैं तथा वे भी अपने तरीको से इस राष्ट्र को सम्पन्न बनाने का प्रयास कर रहे थे। उनका भी यही कहना था कि सम्पति का एक समान बंटवारा किया जाना चाहिए।

जब भी हम 14 नवम्बर को बाल दिवस मनाते हैं जो कि पंडित जवाहर लाल नेहरू का जन्म दिवस भी है जो बच्चों के प्रति उनकी महान दृष्टि तथा अपार प्रेम को प्रदर्शित करता है। इसीलिए वे हमेशा कहा करते थे आज के बच्चे भारत का भविष्य है, भारत के भावी नागरिक हैं। आज हम माँ और बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने में असक्षम हैं। यदि किसी समाज में माँ और बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य उपलब्ध नहीं है मैं उस राष्ट्र को उन्नत राष्ट्र नहीं कह सकता।

वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार देश में 13.64 मिलियन बच्चे कार्यरत थे। वर्ष 1991 की जनगणना के दौरान यह संख्या घटकर 11.28 लाख रह गयी। 14 वर्ष से कम उम्र के बालक और बालिका को काम पर रखना बाल श्रमिक की श्रेणी में आता है तथा बाल श्रमिकों को काम पर रखना दंडनीय अपराध है। बाल श्रमिकों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, शोषण किया जाता है साथ ही वे कुपोषण के भी शिकार हैं। शोषण का सबसे घिनौना पहलु है उनके साथ यौन दुराचार किया जाना जो कि किसी भी सभ्य समाज के लिए लज्जाजनक है।

आप उन अभाग्यशाली बच्चों के सपनों को टूटता हुआ महसूस कर सकते हैं जिन्हें कृषि क्षेत्र में मजदूरी करने के लिए मजबूर किया जाता हैं क्योंकि उनके पास अपनी आजीविका सुनिश्चित करने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कोई भी माँ अपने बच्चों को काम करते हुए देख कर प्रसन्न नहीं हो सकती।

यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे संविधान ने हमें रोजगार का अधिकार, भोजन का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, शिक्षा का अधिकार दिया आदि जैसे अनेकों अधिकार दिए हैं परन्तु अभी तक हम उन्हें लागू करने में असफल रहे हैं। यदि हम वंचित वर्गों जैसे दलितों, अल्पसंख्यकों पिछड़े वर्गों, गांवों के गरीब किसानों आदि को ये संवैधानिक अधिकार उपलब्ध कराने में असफल होते हैं तो इन वर्गों के साथ अन्याय होगा। हमें इन शोषित वर्गों के लिए मूल अधिकार अवश्य सुनिश्चित करने चाहिए।

बाल श्रमिक अपने श्रम अधिकारों के प्रति अनभिज्ञ हैं, तथा उन्हें इस बात की भी जानकारी नहीं है कि वे कितनी मजदूरी पाने के हकदार हैं। वास्तविकता यह है कि वे अभाग्यशाली इसलिए हैं क्योंकि उनका जन्म गरीब परिवार में हुआ है। यदि हम अपने संविधान की भावना के अनुरूप कार्य नहीं करते, जिसमें प्रत्येक नागरिक को समानता सुनिश्चित की गयी है, तब तक हम अपने समाज में व्याप्त इस निष्ठुर परम्परा का उन्मूलन नहीं कर सकते।

मेरा मानना है कि सम्पति का समान बंटवारा किया जाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण आदि की सुविधाएं दी जानी चाहिए। यदि हम संविधान में किए गए इन वायदों को सुनिश्चित करने में असफल रहते हैं तो हम अपने समाज में व्याप्त बाल श्रम जैसी शर्मनाक परम्परा का उन्मूलन नहीं कर सकते। मैं हर किसी से यही उम्मीद करता हूँ कि हमें बाल श्रम जैसी समस्या का राजनीतिकरण नहीं करना

चाहिए। बाल श्रम जैसी समस्या से निपटने के लिए हमें कठोर कानूनों का निर्धारण करना चाहिए तथा भाग्यहीन बच्चों को न्याय सुनिश्चित करने के लिए हमें ईमानदारी से प्रयास करने चाहिए।

मैं अपनी सरकार, यूपीए अध्यक्षा, माननीय प्रधानमंत्री और अपने सभी सहयोगियों का उनके समर्थन के प्रति धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगा और इस विषय से निपटने के लिए हम दृढ़ निश्चयी हैं। एक बार पुनः मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ।

श्री सी. के. चन्द्रप्पन (त्रिचूर) : महोदय, यह विधेयक पुरः स्थापित करने पर मैं श्री इकबाल अहमद सरडगी का आभार व्यक्त करता हूं। इससे हमें बाल श्रम की समस्या पर चर्चा करने का अवसर मिला है। वास्तव में हम उन बच्चों के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो अपना बचपन खो चुके हैं। वे अपने बचपन का आनन्द नहीं उठा सकते क्योंकि उन्हें कार्यस्थलों में झोंक दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि वे ऐसा अपनी इच्छा से करते है। अपितु उन्हें ऐसा करने के लिए बाध्य किया जाता है। अतः यह वास्तव में गरीबी का परिणाम है और बाल श्रम गरीबी का ही दूसरा रूप है।

मैं इस विधेयक के प्रस्तावक की चिंताओं में पूर्ण रूप से भागीदार हूं लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि कानून में किसी कमी के कारण हमारे समाज में बाल श्रम चल रहा है। हमारा अपना संविधान यह कहता है कि भारत में पैदा होने वाले प्रत्येक बच्चे को 14 वर्ष की आयु तक अनिवार्य रूप से प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। हमारे संविधान को कार्यान्वित हुए आधी शताब्दी से अधिक का समय बीच चुका है। यदि इस प्रावधान को क्रियान्वित किया जाता तो आज हमारे देश के बहुत से बच्चे बाल श्रम में लगे होने के स्थान पर कक्षाओं में बैठकर पढ़ रहे होते।

ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें ऐसा करने के लिए बाध्य किया जाता है। कोई भी मां या बाप यह नहीं चाहता कि उनका बच्चा इतनी छोटी आयु में, जिसमें उसे खेलना ओर अपने बचपन का आनन्द उठाना चाहिए, जाए और रोजी–रोटी कमाए। कोई भी मां या बाप ऐसा होते नहीं देखना चाहता। लेकिन भूख और गरीबी नामक बीमारी उसे ऐसा करने के लिए बाध्य करते हैं। उनके सम्मुख प्रस्तुत कठिन परिस्थितियों के परिणामस्वरूप भारी मन और दुख से वे अपने बच्चों को काम पर जाता देखने की त्रासदी के गवाह बनते हैं।

अतः, यह हो रहा है। अब, इसका हल कैसे खोजा जाए? मैं उनसे सहमत हूं जिन्होंने यह मुद्दा उठाया है और जिनका यह कहना है कि कानून अच्छे हैं। इसके बाद, इस संकल्प के प्रस्तावक ने यह कहा है कि ऐसे दर्जनों कानून हैं जो बाल श्रम का निषेध करते हैं। इन्होंने अर्थदंड लगाने के बारे में भी कहा है। तथापि, बाल श्रम प्रचलित है। इसलिए, इसे इसका हल ढूंढने हेतु कहीं और देखना पड़ेगा। इसे एक सामाजिक–आर्थिक समस्या के रूप में लेना होगा और राजनैतिक प्रतिबद्धता के साथ उसी स्तर पर इसका हल निकालना होगा। मेरे विचार से जब सं.प्र.गं. सरकार ने अपने न्यूनतम साझा कार्यक्रम में यह कहा था कि वे वर्ष 2007 तक इस समस्या को हल कर लेंगे तो उस राजनैतिक इच्छाशक्ति की अभिव्यक्ति हो चुकी थी। मैं नहीं जानता कि क्या हम दो वर्ष के भीतर इसका समाधान ढूंढ पाने में सक्षम हो पाएंगे। मुझे इसमें संदेह है, परन्तु मैं उनकी प्रतिबद्धता को सलाम करता हूं।

यदि हमें इसका हल खोजना है तो हमारे पास एक शिक्षा नीति होनी चाहिए जिसके लिए बहुत सी धनराशि की आवश्यकता है। हमें उस धन का प्रबन्ध करना होगा और हमें देश में सभी गांवों में प्राथमिक शिक्षा उपलबध करानी होगी। ऐसा नहीं है कि मात्र विद्यालय बना देने से बच्चे वहां जाऐंगे और स्वयं को शिक्षित कर लेंगे। इन्हें वर्दी दी जानी होगी, उन्हें भोजन देना पड़ेगा, उन्हें एक प्रकार का वजीफा देना पड़ेगा जिससे वे अपने अन्य खर्चों को पूरा कर सकें। शायद, वे गरीब लोग जो अपने बच्चों को भेज रहे हैं उन्हें ऐसा करने के लिए कुछ धन देना पड़ेगा क्योंकि इन बच्चों के कठोर परिश्रम के कारण ही वे आज अपना गुजारा कर पा रहे हैं। हम इसे पसंद करें या न करें परन्तु यही वास्तविकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : अध्यापक भी।

श्री सी. के. चन्द्रप्पन : अध्यापक भी।

अब, महोदय, यह कोई नई समस्या नहीं है। बहुत से वक्ताओं ने इसे इंगित किया है और आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार हमारे देश में लगभग 13 मिलियन बच्चे बाल श्रम में लगे हुए हैं। यहां आंकड़े हैं जो यह बताते हैं कि यह संख्या कुछ कम हुई है। मैं उन आंकड़ों में विश्वास नहीं करता। वास्तविकता में यह संख्या इससे कहीं अधिक है। यहां ऐसे कुछ अनधिकारिक आंकड़े भी हैं जिन के अनुसार भारत में बाल श्रम में लगे बच्चों की संख्या 20 मिलियन है। यह हमारी सभ्यता पर एक धब्बा है।

अपराह्न 5.57 बजे

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

यह पिछड़ेपन की समस्या है। प्रत्येक पिछड़े देश में बाल श्रम है। यह सदियों से था। औद्योगिक क्रान्ति के दिनों में जब इंसान इतिहास के एक नए युग में प्रवेश कर रहा था तो वह बाल श्रम ही था जिसने उसे गति प्रदान की थी। वह सब उन बच्चों की दुर्दशा, उनमें पसीने और आंसुओं के बारे में है, 'दास

[श्री सी. के. चन्द्रप्पन]

कैपिटल' में कार्ल–मार्क्स ने कहा है, "रानियां और राजकुमारियां; जब वे उन बहुत मुलायम और सुकोमल वस्त्रों तथा लेसों को पहनेंगी तो सभी बच्चों के पसीनां, रक्त तथा आंसुओं से भीग हुए होंगे।" तब, यह एक वास्तविकता थी; यह आज भी एक वास्तविकता है। अतः आज, हमारे देश में सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं। मैं यह नहीं कहता कि सरकार इस समस्या से मुंह मोड़ रही है, लेकिन वे योजनाएं पर्याप्त नहीं है। यदि हमें इसका कोई हल निकालना है तो हमें ऐसे पर्याप्त स्त्रोत खोजने होंगे जिनसे इन गरीब परिवारों, जो अपने बच्चों को बाल श्रम में झोंक देते हैं, की वित्तीय रूप से सहायता की जा सके। यह सुनिश्चित करने हेतु कि उनके बच्चों को विद्यालय भेजा जा सके उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करनी होगी।

विद्यालयों में भोजन, वर्दी, पुस्तकें, खिलौने और अन्य सब कुछ सहित निशुल्क रूप से सुविधाएं प्रदान करनी होंगी। हमारे जैसे देश में यह करना कठिन होगा। लेकिन हमें संसाधन तलाशने होंगे। उन संसाधनों को तलाशने हेतु यह आवश्यक है कि हममें राजनैतिक इच्छाशक्ति हो और हम इस कार्य को वरीयता दें। इसे हमें प्राथमिकता के रूप में लेना होगा। उन बच्चों को इस देश में एक खुशहाल बचपन प्रदान करने की प्राथमिकता होनी चाहिए। उसके लिए हमें धन और संसाधन जुटाने होंगे। यदि वे संसाधन जुटा लिए जाते हैं, उन्हें समुचित रूप से दिशा प्रदान कर दी जाती है और उनका समुचित उपयोग हो जाता है तो संभवतः हम इस समस्या का हल निकालने की और एक बड़ी कामयाबी हासिल कर पाऐंगे। इसके ऐसे कई पहलु हैं। जिन पर की चर्चा की जा सकती है।

मुझसे पहले जिन महिला सदस्य ने अपना भाषण दिया था उन्होंने यह उल्लेख किया था कि बाल श्रम पटाखा उद्योग में लगा है। यह एक दुखद बात है। पटाखा उद्योग में एक छोटी सी चिंगारी या एक लापरवाही पूरे कारखाने में आग लगा सकती है और बहुत से बच्चे उसमें मारे जा सकते हैं। ऐसा होता है। बच्चे हीरों की पालिश के काम में लगे हैं। वे होटल उद्योग में लगे हैं।

हम पाते हैं कि हमारे देश में गरीब क्षेत्रों से बड़ी संख्या में बच्चे होटलों में काम करने के लिए शहरों में आते हैं। यह शोषण का एक अन्य पहलु है। जब सब जगह बेरोजगारी फैली हुई है तो यदि आप समुचित रूप से लोगों को काम पर रखते हैं तो आपको अधिक धन देना पड़ेगा। उदाहरण के लिए यदि आप तंदरूस्त अनुभवी लड़कों और लड़कियों को होटल में काम पर रखते हैं तो आपको इन्हें बहुत अधिक वेतन देना पड़ेगा। तब इसका छोटा रास्ता कौन सा है? इसका छोटा रास्ता बच्चों को काम पर रखना है। वे किसी चीज की मांग नहीं करते। वे अपने अधिकारों से अनभिज्ञ होते हैं। वे केवल अपनी भूख के बारे में चिंतित होते हैं। उन्हें खाने के लिए थोड़ा भोजन चाहिए। होटल उन्हें खाना दे सकता है। संभवतः वे उन्हें केवल खाना देते हैं, और यहां तक कि अच्छे कपड़े भी नहीं देते और उन्हें बचपन की सभी खुशियों से वंचित कर देते हैं। इन बच्चों को दस घंटे तक काम करने के लिए बाध्य किया जाता है या फिर प्रबन्धन जितने भी घंटे चाहे इनसे काम करा ले। अतः, यह गरीबी है जिसका कि वे शोषण कर रहे हैं, यह बेरोजगारी है जिसका वे बच्चों का सस्ते श्रम के रूप में उपयोग कर शोषण कर रहे हैं।

इन मुद्दों पर एक–एक करके चर्चा की जा सकती है। मूलतः यह नए संसाधन तलाशने का प्रश्न है। यदि सरकार प्रतिबद्ध है और उसमें राजनैतिक इच्छाशक्ति है तो मुझे नहीं लगता है कि इसका हल तलाशने हेतु किसी नए कानून की आवश्यकता है। हमें उसी स्थिति पर बने रहना चाहिए कि संवैधानिक प्रावधान क्रियान्वित किए जाएंगे और उसके लिए उपाय किए जाने चाहिए। यही पर्याप्त है।

आप देख सकते हैं कि प्रत्येक उद्योग के लिए यहां कानून हैं। इस विधेयक के प्रसतावक ने ऐसे दर्जनों कानूनों की ओर इंगित किया है जो बच्चों को श्रमिक बनाए जाने का निषेध करते हैं। उन सभी प्रावधानों को क्रियान्वित करना पड़ेगा। यह कोई ऐसा प्रश्न नहीं है कि हम कोई एक कानून बना दें और कहें कि इसके बाद बाल श्रम का उन्मूलन हो जाएगा। यह देश में बेहतर परिस्थितियां, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियां बनाए जाने से संबंधित है। जहां हम हमारे बच्चों को एक बेहतर जीवन प्रदान करने का निर्णय लेंगे। संभवतः पंडित जवाहर लाल नेहरू का यही स्वप्न था।

पंडित जवाहर लाल नेहरू बच्चों को पसंद करते थें उनका जन्मदिवस बाल–दिवस है। ये वही थे जिन्होंने स्वतंत्रता के पश्चात सोवियत संघ की यात्रा से लौटने के बाद यह कहा था कि उन्हें सोवियत संघ में बच्चों को राजकुमार और राजकुमारियों की भांति पाया।

अध्यक्ष महोदय : श्री चन्द्रप्पन, क्या आप अधिक समय लेंगे या इसे अगले सत्र तक ले जाना चाहेंगे?

श्री सी. के. चन्द्रप्पन : मैं इसे अगले सत्र में ले जाना चाहूंगा...*(व्यवधान)* आप यह सुझाव दे रहे हैं कि मुझे अपने भाषण को अगले सत्र में भी जारी रखना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको इस प्रकार रोकने का प्रयास नहीं कर रहा हूं। हम सत्रावसान की ओर बढ़ रहे हैं। आप अगले सत्र में अपना भाषण जारी रखें।

श्री सी. के. चन्द्रप्पन : ठीक है, महोदय।

अपराह्न 5.55 बजे

विदाई उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रधानमंत्री जी एक वक्तव्य देना चाहते हैं।

डा. मनमोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय, पुनः एक मिश्रित अनुभव के साथ इस महान सभा के एक और सत्र का अवसान हो रहा है। इस सत्र के दौरान जो कार्य निष्पादित किया गया वह भी एक उपलब्धि है। सदन की कार्यवाही के दौरान जिस प्रकार कभी–कभी व्यवधान उत्पन्न हुआ या सदस्यों द्वारा सभा से बहिर्गमन किया गया वह अपने आप में एक क्षति भी है? परन्तु इससे भी चिंता जनक बात यह है कि माननीय अध्यक्ष के गरिमामय पद पर आक्षेप लगाये गये हैं।

महोदय, विगत सत्र के अंत में सभा की कार्यवाही व्यवस्थित ढंग से न चल पाने पर मैंने अपना दुःख प्रकट किया था। मुझे अत्यंत खेद है कि इस सत्र के दौरान भी विपक्ष द्वारा सदन में पर्याप्त समय के लिए उपस्थित न रहने के कारण हमें अपना कार्य पूरा करने के पर्याप्त अवसर उपलब्ध नहीं हुए। भारत की जनता ने हम में अपनी आस्था और विश्वास व्यक्त किया है और हमें यहाँ अपनी समस्याओं और हितों की रक्षा के लिए अपनी समस्याओं की पैरवी करने तथा उन्हें यहाँ रखने, सरकारी नीति का स्वरूप प्रदान करने तथा उस पर अपना प्रभाव छोड़ने के लिए भेजा है। महोदय, हम यहाँ जनता की आवाज बुलंद करने के लिए आए हैं, सभा से बाहर रहने या जनता की भावनाओं को व्यक्त न करने के लिए नहीं आए हैं।

तथापि, मैं सभा की कार्यवाही संचालन में आपके धैर्य, सहनशीलता, आपकी निष्पक्षता और आपके नेतृत्व के लिए आपको बधाई देता हूँ। इस महान सभा के अध्यक्ष पद पर आप जैसे प्रतिष्ठित और बुद्धिमान नेता का पीठासीन होना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। सभा की कार्यवाहियों के दौरान उत्पन्न विभिन्न व्यवधानों के बावजूद इस सत्र के दौरान हम इतने उपयोगी कार्य कर पाए इसका श्रेय आपकी योग्यता और आपकी मन–मस्तिष्क की विशेषताओं को जाता है।

महोदय, इस सत्र में कुल 26 विधेयक पुनःस्थापित किए गए और सभी 26 विधेयक जिसमें वित्त विधेयक भी शामिल था। पारित किए गए। केन्द्रीय मंत्रीमंडल के मेरे साथियों और मुझे ग्यारह ऐसे अवसर मिले जब मैंने सभा में महत्वपूर्ण वक्तव्य दिए। जनता की समस्याओं से जुड़े 10 मामलों के संदर्भ में सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर चर्चा हुई। हमने नियम 193 में अंतर्गत सुनामी, चुनाव सुधार, विदेशी नीति, जनसांख्यिकीय सम्बंधी रूझान और नेपाल की गतिविधियों जैसे राष्ट्रीय चिंता संबंधी मामलों पर चर्चा की।

महोदय, इस सत्र के दौरान सम्पन्न विधायी कार्य से सामाजिक न्याय के साथ–साथ आर्थिक विकास की ओर देश आगे बढ़ा है। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन को जनता ने एक ऐसी सरकार बनाने के लिए चुना था जो जनता का ख्याल रखे। एक ऐसी सरकार जो आम नागरिक या एक आम आदमी की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील हो तथा हमारे राष्ट्रीयता के चरित्र को मजबूत करती हो। इस एक साल में हमने अलगाववाद देश को बांटने वाली बहुमतवाद की राजनीति की प्रवृत्ति को बदलने में सफलता प्राप्त की है। संप्रग सरकार ने राष्ट्र को एक समतल आधार प्रदान किया है तथा राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं द्वारा निर्धारित मार्ग को अपनाया है। यह मार्ग धर्म निरपेक्षता और बहुमतवाद का है जिसमें इस देश के हर नागरिक को बराबर का दर्जा प्राप्त है। चाहे वह किसी भी जाति या समुदाय, क्षेत्र या धर्म, भाषा या वंश का हो, राष्ट्र के विकास में उसका भी भविष्य समान रूप से सुरक्षित होगा।

महोदय, कल के अपने भाषण में मैंने विदेश नीति के संबंध में उठाए गए कदमों पर विस्तार से चर्चा की थी। मैं उसे दोहराना नहीं चाहता सिर्फ सदन का ध्यान पुनः इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय वातावरण तैयार किया है जिसमें हमारे विकास कार्यों की प्राथमिकता को बेहतर ढंग से तय किया जा सकेगा।

सांय 6.00 बजे

अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री ने बजट भाषण में इस साल की हमारी प्राथमिकताएं बतायी हैं। हम एक अधिक समरूप और सफल अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए वचनबद्ध हैं। हमारी प्राथमिकता नई सम्पति का निर्माण करना, नए रोजगार सृजित करना, नए निवेश को आकर्षित करना और नई जानकारियां उपलब्ध कराना। एक ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें सबका

ध्यान रखा जाए। और प्रतिस्पर्धायुक्त अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है। जनता से हमारा यही वादा है।

महोदय, मेरी हार्दिक इच्छा है कि इस विषय पर चर्चा के लिए और समय मिले जो आम आदमी की समस्याओं से जुड़ा है। मैं सिर्फ उम्मीद कर सकता हूँ कि अगला सत्र एक सामान्य सत्र होगा ओर उसमें और अधिक कार्य संपन्न होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि अगले सत्र में हमारे विपक्ष के सदस्य संसद में लौट आयेंगे ताकि हम उन लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य कर सकें। जिनका हम यहां प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं संसद में अगले सत्र में भाग लेने के प्रति आशान्वित हूँ। जिसमें इस महान सभा के सभी सदस्य उपस्थित होंगे। ससंद से विपक्ष की अनुपस्थिति का मुझे बहुत खेद है। हमारी शासन प्रणाली में विपक्ष को सम्मानीय स्थान प्राप्त है और उसकी अनुपस्थिति हमारी शासन प्रक्रिया की दक्षता को घटाती है। जैसा कि मैंने बार-बार कहा है, महोदय, कोई भी मुद्दा जो इस सभा में किसी सदस्य से संबोधित हो उस पर चर्चा की जा सकती है और सदन में उस पर वाद-विवाद किया जा सकता है। वह दिन दुःख भरा दिन होगा जब जनता को संसद जैसी महत्वपूर्ण संस्थाओं से विश्वास उठ जाएगा। इसलिए, सरकार और प्रतिपक्ष दोनों की यह जिम्मेदारी है कि वे यह सुनिश्चित करने में अपनी अपनी भूमिका अदा करें ताकि हमारे संस्थापक नेताओं द्वारा अभिकल्पित नियंत्रण और संतुलन की प्रणाली आम लोगों के हित में प्रभावी तथा कारगर रूप से काम कर सके।

महोदय, अंत में मैं आपके मार्ग-निदेशन और नेतृत्व के प्रति अपना सच्चा सम्मान व्यक्त करता हूँ तथा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महासचिव और लोक सभा के कर्मचारियों को उनकी प्रतिबद्धता और कठिन श्रम के लिए धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, चौदहवीं लोकसभा का चौथा सत्र जो केन्द्रीय कक्ष में एकत्रित दोनों सदनों के सदस्यों को सम्बोधित करते हुए महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण से 25 फरवरी 2005 को शुरू हुआ था। अब समाप्त हो रहा है।

सत्र के दौरान 38 बैठकें हुई और 211 घंटे से अधिक समय तक चलीं। सभा की बैठक का 27 मार्च 2005 से 18 अप्रैल, 2008 तक अवकाश रहा। जिससे कि विभागीय स्थायी समितियों और केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों के अनुदानों की मांगों पर विचार करने का अवसर प्राप्त हुआ तथा उन्होंने सभा में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। सत्र के दौरान लोक सभा की स्थायी समितियों ने कुल 81 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए स्थायी समितियों की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई के संबंध में निदेश 73(क) के अंतर्गत मंत्रियों द्वारा वक्तव्य दिए गए।

बजट सत्र के दौरान सभा में वित्तीय विधायी और अन्य कई महत्वपूर्ण कार्य निष्पादित किए गए। तीन दिन तक चले, चले वाद – विवाद में 11 घंटे से अधिक समय तक वाद-विवाद चला। 10 मार्च, 2005 को सभा ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया।

सभा ने बजट (रेल) तथा बजट (सामान्य) 2005-2006 पर सामान्य चर्चा की तथा वर्ष 2005-06 की लेखानुदान माँगों (रेलवे) तथा (सामान्य) और वर्ष 2004-2005 की अनुपूरक अनुदान मांगों (रेलवे) तथा (सामान्य) व सम्बंधित विनियोग विधेयक भी पारित किए। सदन में वर्ष 2005-2006 के लिए गोवा और बिहार राज्यों के बजटों पर भी सामान्य चर्चा की तथा वर्ष 2005-2006 के लिए उनके लेखानुदानों तथा वर्ष 2004-2005 के लिए अनुपूरक मांगे। और सम्बंधित विनियोग विधेयकों को पारित किया।

कृषि मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों को भी पारित किए जाने से पूर्व 14 घंटे तक चर्चा हुई। बजट (सामान्य) 2005-2006 के संबंध में सभी बकाया अनुदानों की मांगों पर सभा में 27 अप्रैल, 2005 को मतदान हुआ। बाद में, 2 मई, 2005 को गहन चर्चा के बाद जो 10 घंटे तक चली थी तथा तीन दिन तक जारी रही, सदन ने वित्त विधेयक, 2005 पारित किया।

सत्र के दौरान सदन में कुल 26 सरकारी विधेयक पारित किए। विधेयकों में से एक, पेटेंट (संशोधन) विधेयक 2005, को विश्व व्यापार संगठन के तत्वावधान में बौद्धिक सम्पदा अधिकार के व्यापार सम्बंधी पहलू के अंतर्गत भारत की वचनबद्धताओं को पूरा करने के लिए पारित किया गया। इसी प्रकार, सभा द्वारा पारित व्यापक जनसंहारक हथियारों और उनकी विमोचन प्रणाली (गैर कानूनी गतिविधियों का निषेध) विधेयक, 2005, व्यापक जनसंहार के हथियारों के प्रसार को रोकने के सम्बन्ध में देशकी प्रतिबद्धता के लिए विधायी कार्य का अभिन्न भाग उपलब्ध कराना है। सभा में पारित होने वाले अन्य महत्वपूर्ण विधेयक हैं-केन्द्रीय जलकृषि प्राधिकार विधेयक, 2005, धन अपव्यय निषेध (संशोधन) विधेयक, 2005, और विशेष आर्थिक क्षेत्र विधेयक, 2005 हैं। इसके अतिरिक्त, अपराध प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2005 सहित दो अन्य महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुए जो देश की

अपराधिक कानून प्रणाली के सुधार की दिशा में एक अन्य कदम हैं। सभा द्वारा पारित सूचना का अधिकार विधेयक, 2004 भी सूचना प्राप्त करने के इस नये युग में प्रवेश की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहलू है। जो बाद में शासन में पारदर्शिता को बढ़ावा देगा तथा भ्रष्टाचार को समाप्त करेगा।

सभा ने सर्वसम्मति से क्रमशः गोवा और बिहार राज्यों के लिए संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जारी 4 मार्च, 2005 और 7 मार्च, 2005 की उद्घोषणाओं के अनुमोदन प्राप्त करने संबंधी संकल्प को स्वीकृत किया।

नियम 193 के अंतर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के 5 मामले उठाए गए। इसके अतिरिक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से 13 मामले उठाए गए जिसके बारे में सम्बंधित मंत्रियों ने वक्तव्य भी दिए। इसके अतिरिक्त विभिन्न अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मंत्रियों द्वारा कुल 58 वक्तव्य दिए गए। गैर सरकारी सदस्यों के कार्य की बात करें तो कुल 42 गैर–सरकारी विधेयक पुरःस्थापित किए गए। दो विधेयक विचारार्थ लाए गए जिसमें से एक गंभीर चर्चा के बाद अस्वीकृत कर दिया गया और दूसरे विधेयक पर चर्चा अभी पूरी नहीं हो पाई है।

दो गैर–सरकारी संकल्पों पर भी सभा में विचार हुआ। एक को अस्वीकृत कर दिया गया और दूसरे पर चर्चा अभी पूरी नहीं हुई है।

सत्र के दौरान 700 तारांकित प्रश्न सूचीबद्ध किए गए, जिनमें से 116 प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए गए। शेष 584 तारांकित तथा 7,337 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे गऐ थे।

नियम 377 के अधीन 356 मामले उठाए गए। इसके अतिरिक्त शून्य काल के दौरान अविलम्बनीय लोक महत्व के लगभग 348 मामले उठाए गए।

जैसा कि आप अवगत हैं इस सत्र के दूसरे भाग के दौरान, मुख्य विपक्षी दल तथा इसके सहयोगी दलों ने 27 अप्रैल 2005 से सभा का बहिष्कार आरम्भ कर दिया था। मैंने विपक्षी दल के सदस्य गणों से सभा की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए अनेक बार आग्रह किया और मैंने उन्हें अनेक बार आश्वस्त किया कि यदि उन्हें नियमों के अंतर्गत किसी चर्चा में बोलने की अनुमति की आवश्यकता है तो मैं उन्हें अनुमति देने के लिए तैयार हूँ, परन्तु उन्होंने फिर भी बहिष्कार जारी रखने का निर्णय लिया है, जो मेरे लिए बहुत निराशाजनक है। परन्तु मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि प्रतिपक्ष ने वित्त विधेयक की चर्चा में सृचनात्मक रूप से भाग लिया।

दिनांक 5 मई 2005 को विपक्ष के एक भाग अर्थात तेलगू देशम पार्टी ने बहिष्कार समाप्त करने का निर्णय लिया मैं उनका स्वागत करता हूँ, मैंने एक बार पुनः सभी मित्रों से आग्रह किया कि वे सभा की कार्यवाही में हिस्सा लें। मैं यहां इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि लोक सभा किसी वर्ग विशेष से संबंधित नहीं है, मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि यह अध्यक्ष का कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करें कि सभा की कार्यवाही प्रक्रिया के नियमों तथा सुस्थापित परम्पराओं के अनुसार चलें। मैं पुनः इस बात को दोहराना चाहता हूँ तथा मैं बड़ी विनम्रता से इन परम्पराओं को कायम रखने का प्रयास करूंगा।

पिछले कुछ दिनों से मैंने सभा में अनुपस्थिति की प्रवृति को नोट किया है। जिसके कारण अनेकों बार सभा की कार्यवाही निर्धारित समय पर आरम्भ नहीं हो सकी अथवा गणपूर्ति न होने के कारण कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। मैं दलों के नेताओं से आग्रह करना चाहूंगा कि वे इस समस्या को समझे तथा हर समय सभा में गणपूर्ति सुनिश्चित करें।

मैंने साप्ताहिक आधार पर सभा की कार्यवाही का ब्योरा सदस्यों को सूचित करने की परम्परा आरम्भ की है, जिसका मुख्य उद्देश्य सभा में किए गए वास्तविक कार्यों तथा जबरन स्थगन कराने और व्यवधान के कारण व्यर्थ हुए समय के बारे में सदस्यों को सूचित करना है।

मैं 27 अप्रैल 2005 से प्रतिदिन सुबह सभी दलों तथा समूहों के नेताओं की बैठक भी बुला रहा हूँ जिसमें उनके द्वारा सभा में उठाए जाने वाले अविलम्बनीय विषयों पर चर्चा की जाती है।

दिनांक 20 अप्रैल 2005 को सभी नेताओं की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार तथाकथित शून्य काल के अन्तर्गत उठाए जाने वाले विषयों को व्यवस्थित करने का प्रयास किया जा रहा है। उक्त बैठक में बनी सहमति के अनुसार प्रश्न काल के पश्चात अविलम्बनीय राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के विषयों को उठाने की अनुमति दी जा रही है।

नियम 377 के अन्तर्गत प्रतिदिन उठाए जाने वाले मामलों की संख्या 15 से बढ़ाकर 20 कर दी गयी है।

इस वर्ष देश, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में आरम्भ की गयी दांडी यात्रा की प्लेटिनम जयंती मना रहा है। सभा में इसका उल्लेख किया गया था। मैं यह कह सकता हूँ कि ऐतिहासिक यात्रा के पश्चात राष्ट्र के समक्ष चुनौतियां नए रूप में सामने आयी हैं और उन चुनौतियों का सामना करना हमारा दायित्व है क्योंकि हम जन प्रतिनिधि हैं।

अध्यक्षपीठ द्वारा बांडुंग सम्मेलन था द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति और फासीवाद पर विजय की 60 वर्षगांठ के उत्सव का भी उल्लेख किया गया था।

मैंने जल पर संसदीय मंच के गठन की घोषणा भी की है जिसके सुचारू कार्यकरण के लिए मैं सभा के सभी पक्षों से सहयोग चाहता हूँ।

मैं इस अवसर पर माननीय उपाध्यक्ष और सभापति तालिका में मेरे सहयोगियों का, सभा की कार्यवाही चलाने में सहयोग करने के लिए धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगा। मैं विशेष रूप से सभा के नेता, विपक्ष के नेता, विभिन्न दलों के नेताओं, मुख्य सचेतकों और सचेतकों का उनके सहयोग के प्रति विशेष आभार व्यक्त करना चाहूंगा। मैं संसदीय कार्य मंत्री और उनके सहयोगियों का मुझे दिए गए सहयोग के प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा।

मैं लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों तथा कर्मचारियों और सहयोगी ऐजेंसियों का सभा की कार्यवाही में उनके बहुमूल्य सहयोग के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूंगा। मैं सभा की कार्यवाही की प्रभावी कवरेज के लिए संचार माध्यमों को धन्यवाद देता हूँ। मैं आप सभी को सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूँ।

सायं 6.10 बजे

राष्ट्रगीत

(राष्ट्र गान गीत की धुन बजाई गई)

अध्यक्ष महोदय : अब सभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.11 बजे

तत्पश्चात लोक सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1.	श्री पी. करूणाकरन	681
	श्री दुष्यंत सिंह	682
2.	श्री मुंशी राम	682
	श्री ए. साई प्रताप	
3.	श्री काशीराम राणा	683
	श्री वी. के. तुम्मर	
4.	श्री आनंदराव विठोबा अडसूल	684
	श्री सुग्रीव सिंह	
5.	श्री इकबाल अहमद सरडगी	685
	श्री खारबेल स्वाई	
6.	श्री बी. विनोद कुमार	686
7.	श्री जुएल ओराम	687
	श्री गिरिधर गमांग	
8.	श्रीमती मनोरमा माधवराज	688
9.	श्री जी. वी. हर्ष कुमार	689
10.	श्री अधीर चौधरी	690
	श्री चन्द्र भूषण सिंह	
11.	श्री किसनभाई वी. पटेल	691
12.	श्रीमती निवेदिता माने	692
	श्री कीर्ति वर्धन सिंह	
13.	श्री ई. पुन्नुस्वामी	693
14.	श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी	694
15.	श्री जी. करूणाकर रेड्डी	695
16.	श्री हंसराज जी अहीर	696
17.	श्री भर्तृहरि महताब	697
	श्री जी. एम. सिद्दीश्वर	
18.	श्री निखिल कुमार	698
	श्री श्रीचन्द कृपलानी	
19.	श्री किन्जरपु येरननायडु	699
	श्री ए. बी. बेल्लारमिन	
20.	श्री सनत कुमार मंडल	700

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आचार्य, श्री बसुदेव	7168, 7325
2.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	7272, 7289, 7336, 7337
3.	अग्रवाल, डा. धीरेन्द्र	7251, 7260
4.	अहमद, श्री अतीक	7203
5.	अहीर, श्री हंसराज जी	7284
6.	अर्गल, श्री अशोक	7303
7.	आठवले, श्री रामदास	7222, 7268
8.	बारड, श्री जसुभाई दानाभाई	7202, 7258, 7284, 7331
9.	बर्मन, श्री रनेन	7161, 7196
10.	बखला, श्री जोवाकिम	7161
11.	भार्गव, श्री गिरधारी लाल	7211
12.	बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह	7220
13.	बिश्नोई, श्री कुलदीप	7188, 7225
14.	बुधौलिया, श्री राजनरायन	7166, 7167
15.	चन्देल, श्री सुरेश	7205
16.	चावड़ा, श्री हरिसिंह	7280
17.	चिन्ता मोहन, डा.	7198, 7249, 7323, 7330, 7334
18.	चौधरी, श्रीमती अनुराधा	7199
19.	चौहान, श्री शिवराज सिंह	7185, 7256, 7282
20.	चौधरी, श्री अधीर	7250
21.	चौधरी, श्री विकास	7322
22.	देशमुख, श्री सुभाष सुरेशचंद्र	7164, 7292
23.	ढींढसा, श्री सुखदेव सिंह	7179, 7197
24.	धोत्रे, श्री संजय	7300

1	2	3
25.	गढ़वी, श्री पी. एस.	7209
26.	गायकवाड़, श्री एकनाथ महादेव	7182
27.	गंगवार, श्री संतोष	7203
28.	गाव, श्री तापिर	7242
29.	गेहलोत, श्री थावरचन्द	7195, 7245
30.	गोहेन, श्री राजेन	7178
31.	गुप्त, श्री श्यामा चरण	7229
32.	हर्ष कुमार, श्री जी. वी.	7239, 7275, 7293, 7296
33.	जगन्नाथ, डा. एम.	7206, 7259, 7321
34.	जयाप्रदा, श्रीमती	7215
35.	झा, श्री रघुनाथ	7183
36.	जोशी, श्री प्रहलाद	7183
37.	कलमाडी, श्री सुरेश	7243, 7314
38.	कामत, श्री गुरूदास	7179, 7320
39.	करूणाकरन, श्री पी.	7238
40.	कस्वां, श्री राम सिंह	7196, 7315
41.	खन्ना, श्री अविनाश राय	7218
42.	खारवेनथन, श्री एस. के.	7224, 7250, 7282
43.	कृपलानी, श्री श्रीचन्द	7265
44.	कृष्णदास, श्री एन. एन.	7194
45.	कुन्नुर, श्री मंजुनाथ	7228
46.	कुशवाहा, श्री नरेन्द्र कुमार	7242, 7306
47.	'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	7215, 7249
48.	माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	7226, 7334
49.	माधवराज, श्रीमती मनोरमा	7248, 7320, 7328, 7333
50.	महाजन, श्री वाई. जी.	7177
51.	महतो श्री सुनिल कुमार	7207, 7260
52.	माहेश्वरी, श्रीमती किरण	7218, 7294
53.	महताब, श्री भर्तृहरि	7241, 7285
54.	मंडल, श्री सनत कुमार	7269
55.	माने, श्रीमती निवेदिता	7255
56.	मेघवाल, श्री कैलाश	7158, 7231, 7242, 7273
57.	मोदी, श्री सुशील कुमार	7196, 7212, 7261, 7286
58.	मो. ताहिर, श्री	7199, 7306
59.	मोहिते, श्री सुबोध	7187
60.	मुंशी राम, श्री	7242, 7276, 7329
61.	मुर्मू, श्री रूपचन्द	7213
62.	नायक, श्री ए. वेंकटेश	7192
63.	नायर, श्री पी. के. वासुदेवन	7210
64.	नरहिरे, श्रीमती कल्पना रमेश	7159, 7226
65.	नायक, श्री अनन्त	7308
66.	निखिल कुमार, श्री	7250
67.	नीतीश कुमार, श्री	7323, 7330, 7334
68.	ओराम, श्री जुएल	7242, 7247
69.	ओवेसी, श्री असाद्ददीन	7204, 7310
70.	पलनिसामी, श्री के. सी.	7171, 7311, 7319
71.	पाण्डये, डा. लक्ष्मीनारायण	7184
72.	पासवान, श्री रामचन्द्र	7201, 7253
73.	पासवान, श्री सुकदेव	7227
74.	पटेल, श्री हरिलाल माधवजी भाई	7304
75.	पटेल, श्री जीवाभाई, ए.	7200, 7251, 7280
76.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	7254, 7281, 7294, 7297
77.	पाठक, श्री ब्रजेश	7221, 7267, 7316, 7332
78.	पाटील, श्री बालासाहिब विखे	7223, 7312, 7326, 7328

1	2	3
79.	पोन्नुस्वामी, श्री ई.	7217
80.	प्रभु, श्री सुरेश प्रभाकर	7182, 7300, 7313, 7325
81.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	7207
82.	राजेन्द्र कुमार, श्री	7169
83.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	7217, 7264, 7287, 7322
84.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	7189, 7271, 7278, 7324
85.	राव, श्री डी. विट्ठल	7299
86.	राठौड़, श्री हरिभाऊ	7166, 7252
87.	रेड्डी, श्री करूणाकर	7257, 7283, 7327, 7335
88.	रेड्डी, श्री के. जे. एस. पी.	7307
89.	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	7179, 7197
90.	रेड्डी, श्री सुरवरम सुधाकर	7305
91.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	7173, 7208
92.	सांगवान, श्री किशन सिंह	7165, 7270
93.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	7232, 7278, 7291
94.	शर्मा, डा. अरूण कुमार	7191, 7246, 7279, 7292
95.	सरोज, श्री तूफानी	7216
96.	सत्पथी, श्री तथागत	7181
97.	सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव	7214
98.	शाहीन, श्री अब्दुल रशीद	7175
99.	शांडिल्य, डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम	7180
100.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	7289, 7336
101.	शिवन्ना, श्री एम.	7192
102.	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	7276
103.	सिद्दीश्वर, श्री जी. एम.	7240
104.	सिद्धू, श्री नवजोत सिंह	7176
105.	सिंह, श्री चन्द्रभूषण	7174, 7308
106.	सिंह, श्री चन्द्रभान	7298
107.	सिंह, श्री दुष्यंत	7244, 7277, 7290
108.	सिंह, श्री गणेश	7160, 7236, 7322
109.	सिंह, श्री कीर्ति वर्धन	7255
110.	सिंह, कुंवर मानवेन्द्र	7170, 7237, 7274
111.	सिंह, श्री सुग्रीव	7254, 7281, 7320
112.	सिंह, श्री सूरज	7201, 7253
113.	सिंह, श्री उदय	7172, 7263
114.	सिप्पीपारई, श्री रविचन्द्रन	7324
115.	सुब्बा, श्री मणी कुमार	7157
116.	सुब्बारायण, श्री के.	7210
117.	सुमन, श्री रामजीलाल	7198
118.	सुरेन्द्रन, श्री चेंगरा	7309
119.	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	7186, 7262
120.	ठुम्मर, श्री वी. के.	7200
121.	त्रिपाठी, श्री चन्द मणि	7184, 7316
122.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	7258, 7294, 7301
123.	वल्लमनेनी, श्री बालासोवरी	7219, 7266, 7284, 7288
124.	वसावा, श्री मनसुखभाई डी.	7173
125.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	7193, 7289, 7295, 7336
126.	विनोद कुमार, श्री बी.	7230
127.	वाघमारे, श्री सुरेश	7162, 7233, 7300
128.	यादव, श्री अनिरूद्ध प्रसाद उर्फ साधु	7255
129.	यादव, श्री एम. अंजन कुमार	7208
130.	यादव, श्री गिरिधारी	7163, 7234, 7242
131.	यादव, श्री मित्रसेन	7190
132.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	7292
133.	जाहेदी, श्री महबूब	7156

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका

कंपनी कार्य	
वित्त	684, 685, 686, 689, 691, 692, 696, 698, 699
विधि और न्याय	681
खान	687
अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत	
विद्युत	695, 700
ग्रामीण विकास	682, 686, 697
वस्त्र	683, 690, 693, 694

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका

कंपनी कार्य	7162, 7183, 7216, 7253, 7268, 7273, 7275, 7300
वित्त	7158, 7161, 7165, 7167, 7168, 7169, 7170, 7171, 7173, 7174, 7175, 7176, 7176, 7177, 7178, 7180, 7181, 7182, 7184, 7187, 7189, 7190, 7191, 7193, 7195, 7196, 7197, 7200, 7201, 7207, 7208, 7209, 7210, 7211, 7213, 7214, 7215, 7221, 7222, 7224, 7225, 7226, 7227, 7228, 7229, 7233, 7237, 7241, 7248, 7249, 7250, 7256, 7259, 7260, 7262, 7263, 7264, 7265, 7269, 7270, 7272, 7274, 7281, 7282, 7283, 7285, 7289, 7291, 7292, 7293, 7295, 7296, 7297, 7301, 7304, 7309, 7310, 7313, 7315, 7316, 7318, 7319, 7320, 7322, 7325, 7326, 7328, 7329, 7330, 7333, 7337
विधि और न्याय	7188, 7206, 7302, 73111, 7321
खान	7235, 7298, 7305, 7317, 7332, 7335
अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत	7219, 7266, 7288
विद्युत	7156, 7159, 7172, 7192, 7198, 7202, 7204, 7212, 7217, 7223, 7231, 7232, 7243, 7246, 7247, 7252, 7255, 7258, 7261, 7279, 7287, 7306, 7314, 7334
ग्रामीण विकास	7160, 7163, 7164, 7166, 7194, 7203, 7203, 7205, 7220, 7234, 7236, 7238, 7239, 7240, 7242, 7243, 7245, 7267, 7284, 7303
वस्त्र	7157, 7179, 7185, 7186, 7199, 7218, 7230, 7244, 7251, 7254, 7257, 7271, 7276, 7277, 7278, 7280, 7286, 7290, 7294, 7299, 7307, 7308, 7312, 7323, 7324, 7327, 7331, 7336

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद–विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का दूरदर्शन के विशेष चैनल "डीडी–लोकसभा" पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद–विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली–110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी.एल.एस. – 48/10/38/ 2005 (एन.)
232

© 2005 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय
लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित
और सनलाईट प्रिन्टर्स, दिल्ली – 110006 द्वारा मुद्रित।